राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का बीसवां दिवस   [संख्या : 12

मंगलवार,

11 अप्रेल , 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन , जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा , अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

जिला नागौर में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

324. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने 33/11 व 132/220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशनों पर स्वीकृत भार कितना है.? उक्त स्टेशनों को माह जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2000 तक कितनी आपूर्ति की गई ?

(3) जिला नागौर में कृषि, उद्योगों तथा घरेलू कनेक्शनों का कुल कितने मेगावाट का भार प्रतिदिन है ? क्या स्वीकृत भार के आधार पर चालू ग्रिड सब-स्टेशन पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार और भी ग्रिड सब-स्टेशन जिला नागौर में स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा कितने और नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जिला नागौर के अन्तर्गत नागौर वृत में वर्तमान में 33, 132 एवं 220 के.वी. के 149 ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है : —

सं.	ग्रिड सब स्टेशन की श्रेणी	संख्या
1.	220 के.वी.	2
2.	132 के.वी.	12
3.	33 के.वी.	135

उक्त ग्रिड सब-स्टेशनों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर सदन के पटल रख दी गई है।

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापित क्षमता व माह जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2000 तक की गई विद्युत आपूर्ति का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-"अ" तथा "ब" पर दर्शाया गया है।

(डा. चन्द्रभान)

(3) जिला नागौर के अन्तर्गत नागौर वृत में कृषि, उद्योगों व घरेलू कनेक्शनों का लोड क्रमशः 499 मेगावाट, 145 मेगावाट व 100 मेगावाट प्रतिदिन है। वर्तमान में जारी विद्युत आपूर्ति नीति (ब्लॉक) के अनुसार कार्यरत ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापित क्षमता पर्याप्त है। विद्युत तंत्र को और सुदृढ़ करने व भविष्य में होने वाली मांग को देखते हुए नये ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न के भाग संख्या-1 में मैंने जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने 33 व 132 केवी. के ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत हैं की सूची मांगी है जबकि मंत्रीजी ने अपने जवाब में नागौर वृत की सूचना दी है जो सर्वथा गलत है। मैंने पूरे जिले की सूची मांगी और इन्होंने नागौर वृत की सूचना दी है पूरे जिले की सूची नहीं दी है। क्या माननीय मंत्रीजी इसकी जानकारी देंगे कि पूरे नागौर जिले में कितने ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने 220 केवी. की भी मांगी है 132, 33 के अलावा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हां, 220 की मांगी है पूरे जिले की मांगी है और मंत्रीजी ने नागौर वृत का जवाब दिया है। प्रश्न के भाग-2 में माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि उक्त ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापित क्षमता व माह जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2000 तक की गई विद्युत आपूर्ति का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-"अ" तथा "ब" पर दर्शाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से 2-3 सवाल करना चाहूंगा। प्रश्न के भाग संख्या-1 में जैसा कि मैंने बता दिया पूरे नागौर की जानकारी चाहूंगा। प्रश्न के भाग-2 में स्वीकृत भार का प्रश्न पूछा गया जबकि इन्होंने उत्तर दिया है स्थापित भार क्षमता का जो सर्वथा गलत उत्तर दिया है। नम्बर-3 के उत्तर में दी गयी आपूर्ति के हिसाब से क्या किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे विद्युत आपूर्ति जनवरी से मार्च, 2000 के बीच में दी गई। यदि नहीं तो कितने घंटे आपूर्ति की गई ? हकीकत में उस समयावधि में केवल 3-4 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है जिसके कारण मेड़ता, भैरूंदा, कुचामन और नागौर के अन्य जगह जितने भी सब स्टेशन हैं वहां किसानों के धरने लगे थे, अध्यक्ष महोदय,..

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ! आप दो सप्लीमेंट्री पूछिये, सभी सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं साथ में।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे हैं कि इन्होंने पूरे जिले के सब स्टेशनों की संख्या चाही थी।

(डा. चन्द्रभान)

बिजली बोर्ड में व्यवस्था यह है कि वृत के अनुसार यह सब व्यवस्था की जाती है। फिर भी मैं इनकी जानकारी में ला देता हूं जिले में 149 ग्रिड सब स्टेशन हैं। लाडनूं क्षेत्र नागौर जिले का है लेकिन वह चूरू वृत में आता है वहां पर 6,33/11 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन और हैं। 132 का प्रस्तावित है लेकिन अभी नहीं बना है और 220 का कोई नहीं है तो 149-16 ये कुल संख्या 155 है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान में नागौर जिला ही एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रिड सब स्टेशन हैं। दूसरा सवाल इन्होंने किया कि मैंने जो जवाब दिया है वह स्वीकृत भार के हिसाब से दिया है न कि स्थापित क्षमता के हिसाब से और इन्होंने मांगा था कि...

श्री अध्यक्ष : विद्युत आपूर्ति।

डा. चन्द्रभान : स्वीकृत भार, अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि स्वीकृत भार जो होता है वह इंडीविजुअल कंजूमर का होता है कि उसका कनेक्टेड लोड कितना होता है बाकी जो ग्रिड सब स्टेशन बनते हैं उनकी स्थापित क्षमता होती है इसलिए इसमें कोई अन्तर नहीं है। जो ग्रिड सब स्टेशन बनता है उसका कोई स्वीकृत भार होता ही नहीं है उसकी स्थापित क्षमता होती है इसलिए यह जवाब मैंने दिया है। इंडीविजुअल का होता है वह स्वीकृत भार होता है। तीसरा इन्होंने कहा है कि नागौर जिले में अभी जो रबी का सीजन था इसमें 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली दी गई या नहीं दी गई। सूची में मैंने बताया आपने दो जगह का उल्लेख किया है एक तो आपने किया है...

श्री अध्यक्ष : कुचामन का।

डा. चन्द्रभान : मेड़ता का और एक किया है भैरूंदा का, कुचामन का भी। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि नागौर जिला भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है और वहां सिस्टम भी अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। लाइन लोसेज भी ज्यादा हैं और कुओं में पानी भी बहुत नीचे चला गया है इसलिए वहां मांग बढ़ती जा रही है लेकिन मैं कहना चाहूंगा बिजली तो वहां कम नहीं दी गई। बिजली तो 45 से 50 लाख यूनिट एवरेज वहां रोजाना दी गई। लेकिन चूंकि मांग कुछ बढ़ी और पानी नीचे चला गया इसके कारण जिस तरह की आपूर्ति माननीय सदस्य चाहते हैं वह नहीं हो पाई और मैं कहना चाहूंगा कि पूरे नागौर में 3 हजार 78 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली इस वर्ष भी दी गई जिसमें सबसे ज्यादा बिजली मेड़ता में 500 लाख यूनिट दी गई है जनवरी से लेकर मार्च, 2000 तक और भैरूंदा में 278 और कुचामन में 276 लाख यूनिट्स। कनेक्टेड

(डा. चन्द्रभान)

लोड का जहां तक सवाल है यह जो मैंने कहा कि 499 मेगावाट है उसको जब हम तीन ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो करीब 165 मेगावाट बनता है और कुछ डोमेस्टिक का भी भार रहता है। आप तो अध्यक्ष महोदय, जानते हैं कि 45 से 50 लाख यूनिट रोजाना देने का मतलब है दो सौ मेगावाट बिजली रोजाना नागौर जिले को दी गई। यह बात सही है कि नवम्बर और दिसम्बर के महीने में विद्युत की बड़ी दिक्कत रही हमें बाहर से भी बिजली खरीदने पर नहीं मिली उसके बाद में पंजाब से बिजली खरीदी गई, महाराष्ट्र से खरीदी गई, दिल्ली प्रदेश से ली गई और ओवर ड्रा बहुत की गई तो नवम्बर-दिसम्बर में तो आप कह सकते हैं कि बिजली कम आई कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे कई जगह यह जो झुंझुनुं, सीकर, नागौर, जयपुर जहां बहुत ज्यादा मांग है लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में ऑन एंड एवरेज 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे के बीच में किसानों को विद्युत की सप्लाई दी गई।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो इन्होंने सूची दी है उसमें जिला नागौर और नागौर वृत में जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2000 तक की गई विद्युत आपूर्ति का विवरण दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्रीजी ने दांतारामगढ़ का भी नाम लिखा है। दांतारामगढ़ को नागौर में कब से मिला दिया, यह भी बता दो आप। वृत का मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने जिले की सूची मांगी है आपसे।

डा. चन्द्रभान : आप बैठिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं आपके कहने से थोड़े ही बैठूंगा, अपनी मर्जी से बैठूंगा।

डा. चन्द्रभान : मैं आपके ज्ञान की वृद्धि करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हो कि बिजली किसी भी जिले में सप्लाई की जाती है वह अन्य जिलों से भी सप्लाई की जाती है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, इनकी जानकारी में यह नहीं है, नागौर जिले में रतनगढ़ और सुजानगढ़ से भी बिजली दी जाती है और दांतारामगढ़ से भी बिजली दी जाती है। चितावा का नया ग्रिड सब स्टेशन तो अब बना है। हम 132 के.वी. के हिसाब से इसको केलकुलेट करते हैं कि 132 के.वी. पर हमने कितनी बिजली दी। चितावा अभी तीन महीने पहले शुरू हुआ है। इसमें मैंने 28 लाख यूनिट दर्शायी है। इससे पहले चितावा, कुचामन की तरफ जो बिजली आती थी वह दांतारामगढ़ से आती थी। एक महीने तो बिजली चितावा से दी गई बाकी जनवरी से मार्च में करीब डेढ़ महीने जो बिजली आपको दी गई, वह दांतारामगढ़ से दी गई थी, पहले चितावा नहीं बना था। आपकी जानकारी के लिये

(डा. चन्द्रभान)

कहना चाहूंगा कि नागौर में दांतारामगढ़ से भी विद्युत की सप्लाई की जाती है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बिलकुल असत्य है क्योंकि इन्होंने वृत और जिले, दोनों में ही दांतारामगढ़ का नाम लिया है। अगर दांतारामगढ़ सप्लाई के हिसाब से ही लें तो फिर रतनगढ़ और भांखड़ा का नाम भी ले लेते। इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि जिला नागौर में कितने सब स्टेशन हैं और उनकी क्षमता क्या है ? उसमें दांतारामगढ़ का नाम दिया और मंत्रीजी जो अभी उत्तर दे रहे हैं वह बिलकुल असत्य है। सप्लाई तो रतनगढ़ से भी होती है डीडवाना का।

डा. चन्द्रभान : इसीलिए रतनगढ़ को इसमें नहीं दर्शाया। आपकी यह जो लिस्ट है इसमें 13 जगह का नाम दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : इसमें रतनगढ़ कहां लिखा हुआ है ?

डा. चन्द्रभान : रतनगढ़ दर्शाने की जरूरत ही नहीं है। नागौर वृत के बारे में यह जानकारी दी गई है।

श्री अमराराम (धोद) : नागौर वृत में दांतारामगढ़ कब से आने लग गया ? नागौर जिला और नागौर वृत, दोनों में ही दांतारामगढ़ नहीं है। सप्लाई एक अलग व्यवस्था है। नागौर जिला और नागौर वृत दोनों से ही दांतारामगढ़ का सम्बन्ध नहीं है। केवल प्रशासनिक व्यवस्था यह है, सप्लाई कहीं से भी हो सकती है। सप्लाई तो नागौर में जो भैरूंदा बता रहे हैं उसकी भी अजमेर से होती है, फिर अजमेर का क्यों नहीं लिखा आपने ?

डा. चन्द्रभान : जरूरत नहीं थी।

श्री अमराराम (धोद) : आपको यह पता नहीं है, केवल जो अधिकारियों ने लिख दिया वह विधान सभा के पटल पर रख दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लिया है। अमराराम जी आप एक सप्लीमेंट्री ही पूछ सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, यह तो जो इन्होंने उत्तर दिया था उसके लिये है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नागौर जिले के कुचामन, डीडवाना और मकराना के 132 के.वी. सब स्टेशनों पर 8 घंटे सप्लाई देने और बाकी समय टू फेस देने के लिये प्रतिदिन तीन ब्लाक के लिये कितने मेगावाट की आवश्यकता होती है और जनवरी से लेकर मार्च तक आपने कितनी मेगावाट बिजली वहां सप्लाई की है ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो दूसरा है, यह अलग से ही पूरा

(डा. चन्द्रभान)

सवाल है। इसमें आप मुझसे अलग से पूछिए कि कितनी-कितनी मेगावाट बिजली प्रतिदिन दी, यह अलग से सवाल करते, यह सवाल ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सवाल कैसे नहीं है, कितनी सप्लाई की गई यह बाकायदा इस प्रश्न में है। प्रश्न के भाग संख्या दो में यह लिखा हुआ है।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं, अलग से सवाल है, तब कह रहा हूं। आप प्रश्न का भाग संख्या 2 देख लीजिए। माह जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2000 तक कितनी आपूर्ति की गई, आपूर्ति का क्या मतलब समझते हैं आप?

डा. चन्द्रभान : लाख यूनिट।

श्री अमराराम (धोद) : यूनिट, मैं पूछ रहा हूं मेगावाट।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जानते हैं कि मेगावाट बढ़ता और घटता रहता है। मेगावाट का केलकुलेशन नहीं किया जा सकता। जवाब लाख यूनिट और हजार यूनिट में दिया जायेगा।

श्री अमराराम (धोद) : आप घंटे बता दें। इन तीनों 132 के.वी. के सब स्टेशनों पर कितने घंटे जनवरी से लेकर मार्च तक आपने सप्लाई की?

डा. चन्द्रभान : आप बैठेंगे तब जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य बिजली को लेकर बहुत आंदोलन करते हैं, इनकी जानकारी भी है। लेकिन मैं फिर आपको करेक्ट करता हूं। इसमें हमने जो दांतारामगढ़ दिखाया है यह इसलिए दिखाया है इन्होंने सवाल यह पूछा है कि जिला नागौर और नागौर वृत, दोनों में मैंने दिखाया है, यह दांतारामगढ़ इसलिए दिखाया है कि दांतारामगढ़ से सप्लाई नागौर वृत के क्षेत्र में होती थी। (व्यवधान) आप सुनिए तो सही। आप खुद ही कह रहे हैं कि ब्यावर की सप्लाई होती है तो फिर दांतारामगढ़ की क्यों नहीं की जा सकती?

श्री अमराराम (धोद) : दांतारामगढ़ को क्यों फिर आप अजमेर में क्यों नहीं बता रहे?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वृत से क्या लेना-देना है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : प्रशासनिक व्यवस्था से दांतारामगढ़ नागौर सर्किल में नहीं आता। आपको अधिकारियों ने गलत बता दिया और आपने यहां सदन को मिसगाइड किया।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये, आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वृत का नहीं कह रहे हैं, यह सप्लाई का कह रहे हैं। सप्लाई हुई है।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दें कि दांतारामगढ़ सीकर वृत में है या नागौर वृत में है।

डा. चन्द्रभान : आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना, आप आगे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। भैरूंदा का भी जवाब दूंगा और रतनगढ़, सुजानगढ़ का भी दूंगा, आप सुनो तो सही। यदि चितावा का ग्रिड सब स्टेशन पहले बन जाता तो मैं दांतारामगढ़ दर्शाता ही नहीं। असल में क्या है कि यह अभी बना है और यह फरवरी से चालू हुआ है, इन्होंने जनवरी से पूछा है। जनवरी से पहले जब चितावा नहीं था तो 132 के.वी. दांतारामगढ़ से दी जाती थी। मैंने ब्यावर का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यह जो बिजली हम केलकुलेट करते हैं यह 132 के.वी. जी.एस.एस. पर करते हैं। ब्यावर का भैरूंदा में इसलिए नहीं लिखा कि भैरूंदा में आलरेडी 132 का स्टेशन है और सुजानगढ़ का इसलिए नहीं लिखा कि वहां की बिजली डीडवाना में आती है और डीडवाना में 132 के.वी. का स्टेशन है जो मैंने लिख दिया है। डीडवाना में 323 लाख यूनिट, जब आलरेडी 132 के.वी. के स्टेशन है वहां केलकुलेट हो रही है। इसलिए रतनगढ़, सुजानगढ़ और ब्यावर को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी। दांतारामगढ़ की 61 लाख बतायी है और चितावा की मैंने 28 लाख अलग से बता दी। यदि चितावा पहले से ग्रिड सब स्टेशन होता तो यहां दांतारामगढ़ का नाम ही नहीं आता।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो यह बता दें कि दांतारामगढ़ से नागौर को सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतने समझदार हैं और फिर ऐसी बात कर रहे हैं। सप्लाई तो नागौर में फुलेरा से भी हो रही है। बिजली की सप्लाई तो चारों तरफ एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। यह केवल केलकुलेट करने के लिये मैंने दांतारामगढ़ दिखाया है। बाकी आप क्या समझते हैं कि अन्य जिलों से नहीं की जा रही है क्या सप्लाई। हर जिले में जाती है दूसरे जिले से। आज चूरू और झुंझुनुं में हिसाब से सप्लाई आती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम जी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो जानकारी करना चाहता हूं। एक तो आपने यह नये सब स्टेशन बनाने की जो सूची दी है, उसमें लाडनूं का नाम है और लाडनूं का आप हर साल हाउस में यह आश्वासन देते हो कि इस साल मार्च तक बनकर तैयार हो जायेगा। लेकिन तीन साल हो गये आश्वासन देते, यह तैयार नहीं हुआ। अब कब तक तैयार हो जायेगा?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

दूसरी बात आपने प्रश्न के भाग संख्या तीन में जो नागौर वृत का लोड बताया है 744 मेगावाट, मेरा आपसे यह पूछना है कि यह जो लोड़ आप बता रहे हो यह सिर्फ कनेक्टिंग लोड है। एक्चुअल लोड कितना है इसका आपके विभाग के पास कोई हिसाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी से वितरण की यह सारी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राज्य में कहीं भी इनके पास यह हिसाब नहीं है कि एक्चुअल लोड कितना है। आज से 20 साल पहले किसी ने कनेक्शन ले लिया, वह बंद हो गया, वह कहीं चला गया उसको आप स्वीकृत भार में जोड़ते जाते हो। इस तरह जोड़ने से क्या होता है कि एक्चुअल लोड का पता नहीं चलता। कहीं आज एक्चुअल लोड कम हो गया, वहां आप सप्लाई कम करते नहीं। पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम में जब तक यह एक्चुअल लोड का पता नहीं लगेगा तब-तक यह बिजली की अव्यवस्था बनी रहेगी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना अपनी जगह सही है कि लाडनूं का 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन लंबे समय से स्वीकृत है। लेकिन वहां भूमि का विवाद था जो माननीय सदस्य को भी पता है। अब वह भूमि का विवाद सुलझा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब भूमि का विवाद सुलझ गया है और बोर्ड ने न केवल लाडनूं बल्कि, अन्य माननीय सदस्य जो नागौर जिले से आते हैं, उनको बताना चाहूंगा कि चार ग्रिड सब-स्टेशन हैं। नम्बर वन लाडनूं, नम्बर टू सांजू, नम्बर थ्री बागोट और नम्बर फोर मोलासर यह चार सब ग्रिड स्टेशन 132 के.वी. के इसी वर्ष नागौर में बना दिये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया कि नवम्बर और दिसम्बर में बिजली की आपूर्ति (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैंने सवाल पूछा था कितने मेगावाट दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नागौर जिले का विद्युत सप्लाई संबंधी मामला है। विद्युत आपूर्ति में उपेक्षित रहा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गत वर्ष 1998-99 में 8 घंटे बिजली किसानों को दी गई, उसी आशा में, उसी के अनुरूप किसानों ने बुवाई की। इस वर्ष 1999-2000 में चार महीने में किसानों की बिजली की सप्लाई इतनी खराब दी गई, इतनी व्यवस्था बिगाड़ी गई, शायद ही किसी भी 132 ग्रिड सब-स्टेशन पर लोड निर्धारित नहीं था। लोड फिक्स नहीं था। इसलिए किसानों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी।

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने। श्री मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : विद्युत सप्लाई का मामला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान) विद्युत सप्लाई 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं मिली है। (व्यवधान) किसान बहुत पीड़ित है। सप्लाई से पीड़ित है। किसान बहुत दुःखी है। (व्यवधान) आज भी शाम को बिजली नहीं है। आज भी शाम को टाइम से बिजली नहीं मिल रही है। (व्यवधान) स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको रात के 10 बजे से पहले बिजली कभी नहीं मिलती है। नागौर की यह हालत है।

मेरा निवेदन है कि नागौर...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आखिर बोर्ड की और सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। कहीं से भी व्यवस्था कर दें, किसान किसके भरोसे रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : नागौर जिले के किसान बहुत पीड़ित हैं, दुःखी हैं। (व्यवधान) किसानों को बिजली नहीं मिलने से लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। (व्यवधान) सप्लाई सही नहीं है। (व्यवधान) सप्लाई सही नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी। (व्यवधान) नागौर के संबंध में प्रश्न है। नागौर वृत का।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल रूप से नागौर के संबंध में है और ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के संबंध में है। चूंकि यह बिजली का मुद्दा है। आप यदि सप्लाई और दूसरे सवाल उठाना चाहेंगे तो बिजली पर लंबा-चौड़ा डिसकशन होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी में ला देना चाहता हूं मैंने पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि डिमाण्ड बहुत ज्यादा बढ़ी है। पानी भी नीचे चला गया। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : व्यवस्था करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप किसानों को भरोसे में मार देंगे। या तो आप पहले इस प्रकार की घोषणा नहीं करते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आगाह कर देते कि हम विद्युत आपूर्ति इस प्रकार से नहीं कर पायेंगे। (व्यवधान) सिर्फ दो-तीन घंटे देंगे। (व्यवधान) किसानों ने बुवाई कर ली। चने और सरसों की फसल थी। (व्यवधान) न तो आप क्षति आपूर्ति करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। बैठिये आप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, कहना बहुत आसान है। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले...(व्यवधान) मैं पूरे आंकड़ें दूंगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी अपने स्पीच में बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे कि हमने

(डा. चन्द्रभान)

तो 30 करोड़ रुपये खर्च किया है किसानों को बिजली देने के लिये। वह 30 करोड़ तो एक घंटा ज्यादा के लिये किया था और आपने साढ़े चार हजार करोड़ की बिजली खरीद कर दी, सस्ती। आपने साढ़े चार हजार करोड़ की खरीदी होगी 8 साल में। हमारी सरकार ने इस वर्ष केवल इस वर्ष दो हजार करोड़ रुपये की बिजली बाहर से खरीदकर राज्य के किसानों को देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा। (व्यवधान) 1997-98 में राज्य में विद्युत उपलब्ध कराई गई 1 लाख, 99 हजार, 200 लाख यूनिट। 1998-99 में हमारी सरकार के आने के बाद किसानों को ज्यादा बिजली दी, इसलिये 2 लाख, 22 हजार 492.45 लाख यूनिट और अब की बार 2 लाख 32 हजार 748 लाख यूनिट। गत वर्ष से भी 10 हजार लाख यूनिट ज्यादा दी गई। अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार प्रतिशत ज्यादा विद्युत उपलब्ध कराई गई, यह कहना गलत है। राजस्थान के किसानों को 6 से 8 घंटे बिजली मिली है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : चने और सरसों की बहुत अच्छी फसल हुई है। गलत कह रहे हैं। (व्यवधान) सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर कहां दी बिज़ली? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह खुद स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दें कि मकराना, परबतसर, डीडवाना और कुचामन में मात्र दो से तीन घंटे के बीच में बिजली मिली है। (व्यवधान) केवल दो से तीन घंटे के बीच बिजली मिली है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। प्रताप सिंहजी, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) ज्ञानदेवजी, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह ताली बजा रहे हैं। (व्यवधान) ताली बजाने के शौकीन, मेजें थपथपाने के शौकीन (व्यवधान) यह बतायें कि इनके एरिया में बिजली गई है क्या? (व्यवधान) हमारे एरिया में बिजली आज भी गुल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कनेक्शन नहीं मिले। डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं मिले हैं। कुओं के कनेक्शन नहीं मिले हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 300 कनेक्शन आज भी बकाया है जो नहीं मिल रहे हैं। बिजली दो घंटे से ज्यादा वहां नहीं जा रही है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से पूछना चाहता हूं कि बिजली की सप्लाई आज भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने सप्लीमेण्ट्री पूछ लिया है। मंत्रीजी उसका उत्तर दे चुके हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपूर्ति नहीं हुई है। गलत आंकड़े दिये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्न संख्या 325.

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार घोषणा के अनुरूप पूरे आठ घण्टे बिजली नहीं दे सकी। राज्य सरकार के भरोसे किसान ने ज्यादा बुवाई की, उसका जो हर्जाना हुआ वह किसानों को कौन देगा?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में किसान रो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

हड़ताल अवधि के दौरान गिरफ्तार कर्मियों पर व्यय

325. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में कई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था? यदि हां, तो कुल कितना व्यय भार कर्मचारियों को जेल में रखने से वहन करना पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कारागार (मास्टर भवरलाल) : जी हां, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल अवधि में कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल में रखने पर कुल रुपये 9,16,458.50 का व्यय करना पड़ा। विवरण संलग्न है।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोरटेशन का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोरटेशन का आपने कर्मचारियों को बंदी बनाने में, ट्रांसपोरटेशन में जो खर्चा हुआ, वह आपने नहीं बताया। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल : परिवहन निगम बसों के किराये की राशि जो आपने मांगी है वह जयपुर जिला कलेक्टर द्वारा रोड़वेज बसों को दिया गया है, उसका किराया 8 लाख 78 हजार 250 रुपये हैं। पुलिस विभाग के कोटे में, पुलिस विभाग की जो गाड़ियां

(मास्टर भंवरलाल)

चली उसमें जो पैसा विभाग ने जमा कराया वह 5 हजार, 892 रुपये हैं। जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने 17 हजार, 968 रुपये एक, 720 एक इस प्रकार कुल 8 लाख 96 हजार 938 रुपये की राशि परिवहन पर खर्च की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने पूरे राजस्थान का पूछा है, खाली जयपुर का नहीं पूछ रहा हूं।

मास्टर भंवरलाल : राजस्थान में दूसरा पैसा कहीं नहीं दिया गया है। जेल विभाग के द्वारा, यह पैसा, चूंकि जयपुर कलेक्टर ने सारी व्यवस्था यहां से की थी उनको यहां से लाने ले जाने की, बाकी जो भी जेलों से बंदी लाये गये थे वह सारे बंदी, यहां से व्यवस्था की गई थी। अन्य जगह से कोई व्यवेस्था नहीं की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें राजसमंद दिया हुआ है, डूंगरपुर, और सब जगह दिया हुआ है। आपके हैड में खर्च नहीं हुआ यह बात तो समझ में आती है। छह करोड़ तो रामसिंहजी विश्नोई ने खर्च किया है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अलग से है बिलकुल मानते हैं, इसमें कोई गलत विवाद नहीं करूंगा। (व्यवधान) अलग से क्वेश्चन है बाद में मुख्य मंत्रीजी से पूछूंगा। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : सारे हाउस को गुमराह क्यों करते हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कुल मिलाकर आपने स्ट्राइक को फेल करने के लिये कितना पैसा खर्च किया। उसमें कोई विवाद नहीं है। बिलकुल अलग से प्रश्न है। आप ट्रांसपोरटेशन का पूरे राजस्थान का खर्चा बतायें। यहां टेबल पर रखिये। आप खाली जयुपर का बता रहे हैं इसमें डूंगरपुर, राजसमंद, सब जगह का दिया हुआ है। गिरफ्तारियां सब जगह हुई हैं, खाली जयुपर में नहीं हुई हैं।

मास्टर भंवरलाल : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं कहना चाहूंगा कि जो सूची दी गई है उसके अंदर जेल विभाग द्वारा जो राशि खर्च की बंदियों के ऊपर, वह राशि मैंने आपको दी। आपने जेल विभाग की राशि मांगी है। इसलिये इसमें जेल विभाग के द्वारा (व्यवंधान) जेल विभाग की राशि है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अमराराम।

श्री कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीकर में आवश्यक सुविधाएं

326. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमराराम)

(1) क्या यह सही है कि सीकर के श्री कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये भवन फर्नीचर की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अध्ययन में बाधा आ रही है? यदि हां तो सरकार उसके निराकरण के लिये क्या योजना बना रही है?

(2) क्या उक्त महाविद्यालय को यू.जी.सी. से मिलने वाली ग्रान्ट की मैचिंग ग्रान्ट विभाग ने उपलब्ध करवा दी है? यदि हां कब और नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री सी.पी. जोशी) : (1) जी नहीं। श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर में गत तीन वर्षों में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर देने हेतु 11 नवीन वर्ग प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप कक्षों एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1996-98 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विकास सहायता से 9.00 लाख रुपये व्यय किये गये तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रीडिंग रूम व प्रयोग शाला निर्माण हेतु 9.50 लाख रुपये यू.जी.सी. विकास सहायता से प्राप्त कर राज्यांश के रूप में 3.01 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(2) वार्षिक योजना 1999-2000 में राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से किये जाने वाले पूंजी निर्माण कार्यों में 68.70 लाख रुपयों की राज्यांश की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ.7(15)शिक्षा-3/99, दिनांक 21.7.99 के द्वारा जारी कर दी गई थी। महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 3 वर्षों में, आपने उत्तर में बताया है कि 11 नवीन सेक्शन प्रारम्भ किये हैं और यह प्रारम्भ करने के बाद भी आपने 3 वर्ष में कितना फर्नीचर इस महाविद्यालय को उपलब्ध कराने के लिये राशि स्वीकृत की है तथा कितने कक्ष राज्य सरकार द्वारा इन 3 वर्ष में बनाये गये हैं। मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 5 हजार विद्यार्थियों की संख्या इस महाविद्यालय में है और पीने के पानी का कुआं डेढ साल से बिलकुल बंद है। डेढ़ साल से पानी के अभाव में विद्यार्थी, इसको न महाविद्यालय शुरू करा रहा है और न वाटर-वर्क्स शुरू कर रहा है, तो कब तक यह शुरू हो जाएगा। यह अंश राशि, महाविद्यालय को आपने जो सेंक्शन जारी की है, 21.7.99 को, वह महाविद्यालय को कब स्थानान्तरित हुई है और क्या यह यू.जी.सी. की स्वीकृति राशि है। क्या भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और भवन अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण होने के कारण पूर्ण मरम्मत, क्योंकि यह 70 साल पुराना, महाविद्यालय का जो मुख्य भवन है

(श्री अमराराम)

वह 60-70 साल पुराना है। इसकी पूर्ण मरम्मत करवाने की सरकार मंशा रखती है या नहीं?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न, मैं नहीं समझता हूं कि मेरे से किस तरह का उत्तर चाहते हैं। यह जो महाविद्यालय है, जिस महाविद्यालय में जो सेक्शन खोले गये हैं, वह खोले गये हैं 1996-97 ऑनवर्ड्स। वहां पर जब सेक्शन प्रारम्भ किये गये तब वहां के प्राचार्य ने यह लिखकर दिया कि इन सेक्शंस को खोलने में कोई फर्नीचर और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब ये सेक्शन खोले गये, तब वहां के प्राचार्य द्वारा यह लिखित सूचना दी गई कि नये सेक्शन खोलने के लिये फर्नीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि यू.जी.सी. की जो ग्राण्ट है उसे हमने स्टेट फण्ड से रिलीज कर दिया है। पूरा भवन जीर्ण-शीर्ण है, इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है। आपने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है। राजस्थान सरकार को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के बाद, जब राजस्थान सरकार को साधन उपलब्ध हो जाएंगे तब इस पूर्ण भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में भी राज्य विचार करेगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है उसके फर्नीचर का। आप तो यह बता दें कि 5 हजार की संख्या विद्यार्थियों की है। वह महाविद्यालय 2 शिफ्टों में चलता है। कितना फर्नीचर है, आप यह बता दीजिए, और पानी की क्या व्यवस्था है यह बता दीजिये। यह दो प्रश्न आप बता दीजिए। (व्यवधान) आज की तारीख में।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कहा, माननीय सदस्य, आज की डेट में उस कॉलेज में 4924 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सन् 1995-96 में 2933 विद्यार्थी वहां पढ़ रहे थे। तत्कालीन सरकार ने वहां सेक्शन खोलते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि 11 सेक्शन खोल रहे हैं तो वहां पर फर्नीचर की आवश्यकता होगी या यह आवश्यकता होगी। इसका कारण यह बेक-लॉग खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधन की कमी है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस बारे में भिज्ञ है और शीघ्र ही संसाधन उपलब्ध होने के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था करने का कार्य राज्य सरकार करेगी।

श्री अमराराम (धोद) : और पानी...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्त्वपूर्ण यह है, 5 हजार विद्यार्थी जहां पढ़ते हों...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : पानी की व्यवस्था के लिये, माननीय सदस्य इतने जागरूक हैं, अपने 25 लाख के कोटे से जितने संसाधन की व्यवस्था कर दें।...(व्यवधान) पानी की व्यवस्था तुरन्त विभाग से करवा दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, उस महाविद्यालय में मेरे क्षेत्र के विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिये मैं (व्यवधान) मैं छात्रसंघ का अध्यक्ष रहा हूं। (व्यवधान) मेरे क्षेत्र के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं लेकिन मेरा क्षेत्र नहीं होने के कारण 25 लाख में से एक रुपया भी मैं नहीं दे सकता हूं। यदि दे सकता तो मैं, 50 हजार रुपये के लिये विद्यार्थी, जो 5 हजार, हम करीब ढाई सौ की आबादी पर पानी की व्यवस्था करते हैं और जिस महाविद्यालय में 4900 और कुछ विद्यार्थी पढ़ते हों, वहां डेढ़ साल में पानी की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाये। इससे अक्षमता राजस्थान की सरकार के लिये हो नहीं सकती है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : राजस्थान सरकार 25 हजार रुपये की स्वीकृति की आज ही घोषणा करती है, वह पानी की व्यवस्था करवा देगी। (व्यवधान) राजस्थान सरकार 25 हजार की घोषणा अभी करती है और पानी की व्यवस्था करवा देगी।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, आप यह केवल दोषारोपण (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये दोषारोपण करके पिण्ड नहीं छुड़ा सकते। आज भी महाविद्यालय के 2 हजार विद्यार्थी बगैर फर्नीचर के फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं। यह आप आरोप, पिछली सरकार ने सेक्शन खोल दिये इसलिये आप फर्नीचर नहीं देंगे ? पिछली सरकार ने किसी को नौकरी दे दी उसको आप हटा देंगे ? सरकार सरकार है, चाहे निवर्तमान है, चाहे वर्तमान है। उसकी व्यवस्था की सरकार की जिम्मेदारी है। उससे बचना, केवल पूर्व सरकार का नाम लेकर बचना नहीं चाहिए। फर्नीचर की आप कब तक व्यवस्था कर देंगे और पानी सुचारू रूप से कब तक दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : पानी का तो आपने पूछा ही नहीं है, अब पूछ रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उस कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितनी राशि ये जनता के सहयोग से इकट्ठी करेंगे, उतनी राशि राज्य सरकार से मैं दिलवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो. सांवर लाल।

निगम द्वारा संचालित होटलों/ रेस्टोरेन्टों में उपलब्ध सुविधाएं

327. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम राज्य में होटल/रेस्टोरेन्ट संचालित करता है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) गत पांच वर्षों में किस-किस का लाभ-हानि कितना-कितना रहा ?

(3) क्या उन होटल/रेस्टोरेन्ट में रियायती दर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही

(श्री सांवर लाल)

हैं? यदि हां, तो किस-किस को क्या-क्या?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती बीना काक) : (1) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में संचालित होटल/रेस्टोरेन्ट की सूचना परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में संचालित इकाइयों की गत पांच वर्षों की लाभ/हानि की सूचना परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(3) निगम द्वारा संचालित इकाइयों में रियायती दर पर उपलब्ध सुविधाओं की सूचना परिशिष्ट-"स" पर उपलब्ध है।

(सूचना की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो सूची दी है उस सूची में 46 होटल और रेस्टोरेन्ट दिये है और जो लाभ हानि की जो सूची दी है, उसमें 53 की सूची है। अब यह 7 की संख्या कहां से बढ़ गयी, कौनसे हैं जो उसमें आपने सम्मिलित नहीं किये। और जो गत मैंने 5 वर्ष का पूछा है तो 31 मार्च को जो साल समाप्त हुआ है, 1999-2000, उसमें जो लाभ और हानि है, वह आपने नहीं दी। तो वह क्या, किस-किस होटल का रहा, एक तो मैं यह जानकारी चाहता हूं।

दूसरा आपने दिया है, रियायतों की लिस्ट, एक जानकारी मैं यह करना चाह रहा हूं कि यह रियायतों का निर्धारण किस स्तर पर हुआ। अधिकारियों के स्तर पर हुआ, या मंत्री स्तर पर हुआ, या केबिनेट लेबल पर हुआ या मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर हुआ? और इसमें मापदण्ड क्या थे, जो आपने ये विभिन्न संलग्न कर रखे हैं, लिस्ट दी है। इसमें इन लोगों को क्या आवश्यकता थी, क्यों आपने सम्मिलित किया है, जबकि एम.एल.ए., एम.पी. और दूसरे जो मिनिस्टर हैं उनको सम्मिलित नहीं किया। दूसरा, आपने यह रेट दी है, भोजन की, 10 रुपये रियायती रेट है, इसकी 5 रुपये दी है। रेट कब की निर्धारित की हुई हैं। सर्किट हाउस में और राजस्थान हाउस में अभी परिवर्तन किया था, परन्तु ये रेट कब की, कितनी पुरानी हैं। और एक मैं यह जानकारी चाहता हूं कि यह जो 5 वर्षों की सूचना आपने दी है उसमें कुल कितनी रियायत रही। यानि वास्तविक अगर रेट पर चार्ज किया जाता तो कितनी लागत आती और रियायत कितनी हुई, उनसे वसूल कितना किया गया जिसकी वजह से यह लोस हुआ।

एक यह कि आपकी ज्यादातर इकाइयां लोस में जा रही हैं। इनको चलाना, क्या आप राजस्थान के हित में, जब मुख्य मंत्रीजी और सारा कबीना कहता है कि पैसा नहीं है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब

(श्री सांवर लाल)

है तो राजस्थान की जनता के साथ, जो अकाल पीड़ितों की मदद हम नहीं कर सकते, पानी नहीं पिला सकते, और फिर आप कहते हैं कि बीयर पीयें, बीयर वाली रेस्टोरेन्ट में तो इतना लाभ है और जहां पर बीयर नहीं है, वहां ज्यादा यूनिट्स आपकी घाटे में हैं। तो यह भी आप बताइये कि बीयर के बेचने से आपकी आर.टी.डी.सी. में कुल कितना लाभ हुआ। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य की जो क्वेरीज हैं उनका मैं जवाब दे देना चाहती हूं। जब दिसम्बर, 98 में वर्तमान सरकार ने राज-भार सम्भाला, राजस्थान पर्यटन निगम से हमें 12 करोड़ का कर्जा और एक करोड़ का घाटा विरासत में मिला था। और आज डेढ़ सल के बाद मुझे खुशी है यह कहते हुए कि आर.टी.डी.सी. का सिर्फ हमने जो हमारा घाटा था, उसे दुगुना ही नहीं किया, बल्कि जो इनसे हमें करोड़ों का कर्जा मिला था उसे भी हमारे निगम ने चुका दिया है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, फायदा जो था वह दुगुना किया। उदाहरण-स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट हो तो बात अलग है, मेरे पांइटेड सवाल हैं। मैं चाहता हूं मंत्रीजी उन्हीं का जवाब दें।

श्रीमती बीना काक : पाइंटेड ही तो मैं कह रही हूं, लाभ-घाटा आप कह रहे हैं।

श्री सांवर लाल : पिछली सरकार और यह सरकार क्या होती है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : बिलकुल कह रही हूं, आप सुनिये ना...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : वे जवाब दे रही हैं, आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैंने जो पूछा, उसका जवाब दीजिए आप। यह लोगों को गुमराह मत कीजिए, पिछली सरकार और यह सरकार...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक : 12 करोड़ का कर्जा आपकी सरकार हमारे ऊपर छोड़कर गयी थी।

श्री सांवर लाल : यह मैंने पूछा नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : 1994 में इन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रोड गेज करने के लिए पांच करोड़ का ऋण लिया था। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जो सवाल मैंने किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब दिलाएं। यह थोड़े कह रहे हैं। इस तरह का बेक-ग्राउण्ड बता रही हैं, माननीय मंत्री महोदया। यही तो सवाल है।

श्री अध्यक्ष : यह उत्तर दे रही हैं।

श्रीमती बीना काक : फायदे में कैसे आया है, यह बता रहे हैं हम आपको और आप कह रहे हैं कि बीयर बेचकर...(व्यवधान)

श्री. सांवर लाल : हम यह नहीं पूछ रहे हैं। जो मैंने पूछा है, उसका जवाब दीजिए आप।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, जो आज की स्थिति है, वह हमारी जो बिग बीयर यूनिट्स हैं, 18 यूनिट्स लाभ में रही, 34 यूनिट्स हानि में इनके राज में रही थी और आज 11 यूनिट्स, आज 21 यूनिट्स हमारे, नहीं, 18 यूनिट हमारी बीयर सहित 1998-99 में लाभ में रही थी और आज 36 यूनिट्स फायदे में हैं। हानि में 34 रही थी और आज 16 हानि में है और जो बिना बीयर की यूनिट है, वह आपके राज में 11 लाभ में रही थी और आज 21 लाभ में है और 41 हानि में थी...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तो बताओ न आंकड़े।

श्रीमती बीना काक : और आज 31 हानि में है यह सुन लीजिए। यह बीयर और बिना बीयर का आप पूछ रहे थे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कर्ज आपने लिये हुए थे, उनके ऊपर जो ब्याज लगता था।...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैंने यह पूछा कि यह 46, एक बात माननीय मंत्री महोदया, आप यह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उसमें ही हम लग रहे हैं। डेढ़ करोड़ कमा लिया है, अच्छे वित्तीय तरीकों से और जो आप कह रहे हैं रियायतों पर, रियायतें व्यावहारिक तौर पर की जाती हैं। जिन महकमों से आर.टी.डी.सी. का सम्बन्ध रहता है, जो अधिकारी अपनी यूनिट्स में, डे-टू-डे बिजनेस डीलिंग है, उन्हें दी जाती है। माननीय विधायकों को सर्किट हाउसेज में उक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, प्राथमिकता के आधार पर लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है यदि कोई ऐसी बात हो तो सरकार उसके ऊपर भी विचार कर सकती है।

श्री सांवर लाल : मेरा सवाल यह है कि रियायतें किस स्तर पर अनुमोदन के बाद लागू की, यह पूछ रहा हूं। अधिकारी स्तर पर अनुमोदन हुई या मिनिस्टर लेवल पर हुआ या सी.एम. लेवल पर हुआ या कैबिनेट लेवल पर हुआ?

श्रीमती बीना काक : यह तो आर.टी.डी.सी. के लेवल पर होती है, यह कोई बात ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आर.टी.डी.सी. के लेवल पर, आपके मंत्रालय का रोल है या अधिकारियों का ही है, यह भी बता दीजिए।

श्रीमती बीना काक : आर.टी.डी.सी. मंत्रालय के तहत ही आती है, यह तो मेरे ख्याल से सारा सदन जानता है।

श्री सांवर लाल : किस तारीख को हुआ यह रियायतों का। मेरा सवाल यह है कि किस तारीख को यह अनुमोदन होने के बाद रियायतें लागू हुई, यह बताइयें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इसमें तारीखों में क्यों जाते हैं, इतनी छोटी-सी चीज है, आपको तो सर्किट हाउसेज में जी.ए.डी. सुविधा उपलब्ध कराता है और हमारा जो निगम है वह केटेलिस्ट की भूमिका निभाता है। केटेलिस्ट का काम करके वह निकल जाता है।

एक माननीय सदस्य : फिर क्या मतलब हुआ इसका ?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब सही नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दारू की चिन्ता है और चिन्ता तो नहीं है। यह मंत्री महोदया से बार-बार इस बीयर के बारे में पूछ रहे हैं। राजस्थान में बीयर और दारू की चिन्ता है आपको और चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और आपकी चिन्ता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि माननीय विधायकों और सांसदों को तो ऑलरेडी सर्किट हाउस में रियायती दरों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कई जगह ऐसी है जहां पर सर्किट हाउस नहीं है। बहरोड मिड-वे है, वहां पर आर.टी.डी.सी. का रेस्ट-हाउस है। महुवा जाते हैं, आगरा जाते हैं, भरतपुर जाते हैं, महुवा, वहां सर्किट हाउस नहीं है। वैर है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि आर.टी.डी.सी. के रेस्टोरेंट और होटलों में क्या आप माननीय विधायकों और सांसदों को भी जिस तरीके से आप अपने विभाग के लोगों को रियायत देते हैं, हमको भी कुछ रियायत देने के लिए विचार कर रही हैं ? देना चाहते हैं या नहीं देना चाहती हैं, यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप। अलग से प्रश्न है।

श्री सांवर लाल : आपके अलावा दूसरे मंत्री साहिबान को भी तो दो।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों को घोषणा करनी चाहिए कि हम दारू और बीयर कतई नहीं पीयेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। बैठिये, रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमने बात की है नाश्ते की और भोजन की। दारू पीने की बात नहीं की है। दारू तो हम चाहते हैं कि बंद की जाए।

श्री रामस्वरूप : हमको नहीं चाहिए दारू और बीयर और कोई रियायत की जरूरत नहीं है। हम खुद न पीते हैं और न पीना चाहते हैं। यह बेकार की जो सदन में चर्चा होती है दारू और बीयर की, यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे मैटर को डाइवर्ट कर देते हैं। मेरा आशय नाश्ता और भोजन से है अगर रामस्वरूपजी को जो चाहिए उस पर रियायत दी जाए तो मुझे आपसे मतलब नहीं है। मैं तो मेरी राय है वह कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम घोषणा करते हैं हमने दारू न कभी पी और न पीएंगे। न कभी बीयर पी है और न पीएंगे, इसको बंद कर देना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने जो बीयर बार बंद किये हैं। (व्यवधान) आपको सबको बंद कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दारू पीते हैं, माननीय रामस्वरूप जी को, मैंने देखा है, उनको असत्य बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप तो दारू के ठेकेदार हो, आपने तो ठेके ले रखे हैं दारू के। इसलिए इस सदन में हमेशा दारू की चर्चा करना चाहते हो। यहां दारू की चर्चा नहीं होनी चाहिए। यहां पर शिक्षा की, चर्चा होनी चाहिए, पानी की चर्चा होनी चाहिए, विद्युत की होनी चाहिए, अकाल की हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन दारू की चर्चा माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा की जाए, यह शर्म की बात है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि जब कारपोरेशन घाटे में जा रहा है।

श्रीमती बीना काक : कहां जा रहा है?

डा. किरोड़ी लाल : कारपोरेशन जब घाटे में जा रहा है तो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, घाटे में कहां है?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब कारपोरेशन घाटे में जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहां जा रहा है?

डा. किरोड़ी लाल : इस कारपोरेशन की जो-जो यूनिट्स घाटे में जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो मना कर रही हैं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस कारपोरेशन की जो-जो यूनिट्स घाटे में जा रही हैं और घाटे के कारण बताये गये। क्या ऐसे यूनिट्स को प्राइवेट सैक्टर में देने का सरकार इरादा रखती है?

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, यह कहीं नहीं कहा गया है कि कारपोरेशन घाटे में जा रहा है। कारपोरेशन दो करोड़ से ज्यादा मुनाफे में है। और जैसा कि

(श्रीमती बीना काक)

मैंने आपसे कहा कि 12 करोड़ के कर्जे भी हम चुका चुके हैं और हमारी सकार की मान्यता यह है कि हमारा विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करे, केटेलिस्ट की भूमिका निभाए, जिस तरह की मिड-वेज बनाये गये, एक मिड-वे बना और एरिया को आइडेंटिफाई किया। प्रमोट किया लेकिन उसके आस-पास कई मिड-वेज और आ गये। यह राज्य सरकार की भूमिका है और मैं आज भी कहना चाहती हूं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट हम प्राइवेट सैक्टर को दें, वह दी जा सकती है, ओपन टेंडर्स के जरिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं।

श्रीमती बीना काक : आपके माननीय सदस्य के सवाल...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : वह प्राइवेट हो जाएंगे, क्या करेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सवाल कोई डाक्टर साहब ऊर्जा या बिजली से सम्बन्धित नहीं है। पर्यटन का पूछ रहे हैं इसलिए जवाब पर्यटन मंत्रीजी से आने दीजिए। आपका जवाब तो आज आपसे दिया नहीं गया। दांतारामगढ़ में करके...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आपको दे दिया न?

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां दे दिया?

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्रीमती बीना काक : माननीय सदस्यों को आर.टी.डी.सी. की यूनिट्स में रियायती दर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अध्यक्ष महोदय के मार्ग-दर्शन के अनुरूप विचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय सर्वोपरी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप सर्वोपरि हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में माननीय सदस्यों, विधायकों और सांसदों को यह सुविधाएं मिले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : ऐसे लोगों को छूट दी जा रही है, बन्द कर देनी चाहिए। आप निर्देश दो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : विधायकों और सांसदों को रियायतों के लिए और सुविधा के लिए आज ही घोषणा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वे तो चाहेंगे, ऐसा थोड़े ही है कि अध्यक्षजी नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्षजी, कोई निर्देश दें।

श्री हीरासिंह चौहान : आप सरकार को निर्देश दीजिए। हम लोगों को कई जगह पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, विधायकों के हक और अधिकार तो आपके हाथ में सुरक्षित है। आप आसन पर बैठे हैं और मंत्रीजी ने बात आपके ऊपर छोड़ दी। आप हमारा भला ही चाहते हैं इसलिए आप निर्देश दे दें मंत्रीजी को कि माननीय विधायकों और सांसदों को जितनी ज्यादा से ज्यादा रियायत दी जाए, वह रियायत देने की घोषणा करें। अध्यक्ष महादेय, अब यह तो आपके ऊपर छोड़ दिया सारा (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इससे घाटा भी नहीं बढ़ेगा, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

तहसील नीमकाथाना (सीकर) के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिला कर्मियों को देय सुविधाएं

328. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1999 से 25 मार्च, 2000 तक तहसील नीमकाथाना के किस-किस आंगनबाड़ी केन्द्र पर क्या-क्या सामग्री कब-कब किसके द्वारा किसको उपलब्ध कराई गई? सामग्री का वितरण कब-कब किस-किसको कितना-कितना उक्त समय तक किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य के लिए उक्त क्षेत्र में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, उनको क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की है तथा इस पर कितनी राशि प्रतिवर्ष व्यय होती है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती जकिया) : (1) तहसील नीमकाथाना में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में माहवार (25-3-2000) तक परियोजना में उपलब्ध करवायी गयी पोषाहार सामग्री का वितरण निम्नानुसार हैं : —

क्र.सं.	माह	प्राप्त पोषाहार सामग्री (मात्रा किलोग्राम में)		
		मुरमुरे	पंजीरी	इंडिया मिक्स
1	2	3	4	5
1.	अप्रेल, 99	4500	4500	–
2.	मई, 99	–	–	–
3.	जून, 99	–	–	–
4.	जुलाई, 99	–	–	–
5.	अगस्त, 99	–	–	–

(श्रीमती जकिया)

1	2	3	4	5
6.	सितम्बर, 99	–	–	16000
7.	अक्टूबर, 99	–	–	–
8.	नवम्बर, 99	–	–	–
9.	दिसम्बर, 99	–	–	–
10.	जनवरी, 2000	–	–	–
11.	फरवरी, 2000	–	–	–
12.	मार्च, 2000	–	–	–
	योग : —	**4500**	**4500**	**16000**

यह पोषाहार सामग्री विभागीय कर्मियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को उपलब्ध करवायी गयी है। आंगनबाड़ी केन्द्रवार उपलब्ध करवायी गयी सामग्री का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार सामग्री का वितरण 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा किया गया है। पोषाहार सामग्री का वितरण प्रतिदिन प्रति लाभान्वित निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.सं.	लाभार्थी	मात्रा किलोग्राम में		
		मुरमुरे	पंजीरी	इंडिया मिक्स
1	2	3	4	5
1.	6 माह से दो वर्ष के कुपोषित बच्चे	60	60	60
2.	2 वर्ष से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	70	–	80
3.	6 माह से 2 वर्ष से अति कुपोषित बच्चे	–	120	160
4.	2 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चे	120	–	160
5.	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	120	–	160

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माहवार वितरित की गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(श्रीमती जकिया)

(2) उक्त कार्य के लिए नीमकाथाना क्षेत्र में वर्तमान में 148 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 148 सहायिका, कुल 296 महिलाएं कार्यरत हैं। इनको निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं : —

1. आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन की एवज में इन्हें प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जिसकी दरें निम्नानुसार है : —

क्र.सं.	विवरण	दर (प्रतिमाह)
अ.	**आंगनबाड़ी कार्यकर्ता**	
1.	नान मैट्रिक	438/-
2.	नान मैट्रिक पांच वर्ष का कार्यानुभव	469/-
3.	नान मैट्रिक दस वर्ष का कार्यानुभव	500/-
4.	मैट्रिक	500/-
5.	मैट्रिक पांच वर्ष का कार्यानुभव	531/-
6.	मैट्रिक दस वर्ष का कार्यानुभव	562/-
ब.	**आंगनबाड़ी सहायिका**	260

2. इन्हें प्रतिवर्ष 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सक की सलाह पर 10 दिवस का चिकित्सा अवकाश भी देय है।

3. इन्हें सेक्टर स्तर पर बैठकों एवं प्रशिक्षण में भाग लेने पर वास्तविक यात्रा व्यय (बस एवं द्वितीय श्रेणी रेल) तथा प्रतिदिन 30/- की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है।

4. इनको अधिकतम दो बार तीन-तीन माह का प्रसूति अवकाश भी देय है। यह अवकाश दो जीवित जन्म तक ही देय है। दो से अधिक संतान जीवित होने पर प्रसूति अवकाश देय नहीं है। प्रसूति अवकाश गर्भावस्था के आठवें माह से प्रसव समाप्ति के तीन माह तक के दौरान लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक बार 42 दिवस का गर्भपात अवकाश भी चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। यह दोनों अवकाश एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जा सकते हैं।

इन सुविधाओं पर नीमकाथाना क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 15.00 लाख प्रतिवर्ष व्यय होते हैं।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वैसे जो जवाब दिया मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं। क्या मैंने पूछा है, क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने यह बच्चों की संख्या बता दी और इसके अंदर लिखा है कि उनको यह मात्रा दी जाती है, यह स्थिति है। मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं यह जो आप मुरमुरे, पंजीरी और इंडिया मिक्स दे रहे हैं, उनका कोई रजिस्टर रखा जाता है? यह माल जाता कहां है और यह आंगन केन्द्रों पर किस तरह से पहुंचाया जाता है, यह जरा बता दें आप।

श्रीमती जकिया : सीकर जिले के नीमकाथाना में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट आज तक चालू है। नये प्रोजेक्ट आने के बाद सीकर जिले के हर ब्लॉक में प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। इसमें आज तक की तारीख में एक साल पहले तक माडर्न फूड की तरफ से मुरमुरे और इंडिया मिक्स दिया जाता था। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक परिवहन के जरिये पहुंचाया जाता है। पहले का मुझे पता नहीं, मगर पिछले साल से मैंने वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, केन्द्र हैं, वहां पर तीन आदमियों की समिति बना दी है, जो इनकी निगरानी करती है कि इन लोगों को जिनकी जरूरत है और जो बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं उन तक वह माल पहुंचे। ऐसा है मोदी साहब, माननीय सदस्य से मैं चाहूंगी कि कारोबार के अलावा अगर आप उस तरफ भी ध्यान दें तो वहां समिति गठित मिलेगी।

श्री मोहन लाल मोदी : बड़ा ध्यान है। मेरा तो बहुत ध्यान है। मैं कारोबार बहुत कम करता हूं।

श्रीमती जकिया : वहां समितियां बनी हुई मिलेंगी। मैंने जहां लोडिंग और डिस-लोडिंग हो रही है माल की, वहां भी पांच आदमियों की, पांच प्रतिनिधियों की समितियां बनी है और उस लोडिंग और डिस-लोडिंग की जगह पर आपका भी नाम है। अगर आप ध्यान देते तो आपका नाम (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मेरा नाम आज तक आप बता दीजिए। आपके विभाग से कोई पत्र गया है, कोई चिट्ठी गयी है, कोई आपने जबानी कहा है। आप बताएं तो सही कम से कम। इस तरह अगर आप यह सारा माल तो गोलमाल हो जाए, वहां पर लोगों को मिले नहीं और सब चला जाए और फिर आप यह कह दें, आप भी उसमें मेम्बर हैं।

श्रीमती जकिया : माननीय सदस्य, आप थोड़ा शांति से सुन लें। पूरे राजस्थान में, आपके क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में जितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उनमें तीन आदमियों की निगरानी समिति बनायी गयी है। यह पोषाहार जिन बच्चों को दिया जाना है, वह उनको दिया जा रहा है या नहीं आज की तारीख में।

श्री मोहन लाल मोदी : कौन है वह तीन आदमी सारे राजस्थान में?

श्रीमती जकिया : एक मिनट ठहरें तो सही।

श्री मोहन लाल मोदी : आप बता तो दो। पूरा तो बताइये। यह तीन आदमी अलग-अलग हैं सब जगह या सारे राजस्थान के एक हैं?

श्रीमती जकिया : जब आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जवाब भी सुनने की ताकत रख लें और आज की तारीख में डिसीजन यह हुआ है कि यह पंचायत समिति

(श्रीमती जकिया)

के द्वारा पंचायतों के द्वारा वितरित किया जाएगा। उनकी निगरानी में किया जाएगा। यह भी शायद आपको अभी मालूम नहीं हुआ है।

श्री मोहन लाल मोदी : अब आपने बता दिया न। अब तक का सब गोलमाल हिसाब बराबर हो गया।

श्रीमती जकिया : नहीं, गोलमाल नहीं था वह भी। आपको इसलिए ऐसा लग रहा है कि माडर्न फूड को पिछले दस सालों से, अब मैं आगे बता दूं आपको, माडर्न फूड जो आपको दस सालों से सप्लाई कर रहा था, उसके लिए टेण्डर नहीं किये जाते थे और जब टेण्डर हुआ तो हाई कोर्ट का स्टे आया जिसकी वजह से आपके यहां इर्रेगुलरिटी आयी। अब टेण्डर हो चुके हैं और आपके यहां माल जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी कार्य-कर्ताओं की योग्यता क्या है?

श्रीमती जकिया : यह तो बता दिया न।

श्री हीरालाल सहरिया : यह तो मुझे याद है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में इनकी योग्यता क्या रखी गयी है। दूसरा मेरा प्रश्न एक ओर है कि न्यूनतम योग्यता आदिवासियों की नहीं मिलती है तो वहां जो रिक्त पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रहते हैं, उनको भरने के लिए आपके क्या मापदण्ड हैं, यह बता दें आप।

श्रीमती जकिया : योग्यता तो मैं आपको बता चुकी हूं। अगर आपने सुना होगा तो मैट्रिक चाहिए।

श्री हीरालाल सहरिया : योग्यता आपने बतायी नहीं। आपने यह बताया था नॉन मैट्रिक, वह ज्यादा है। तो उसमें योग्यता नहीं बतायी। आपने बता दी नॉन मैट्रिक। नॉन मैट्रिक लग गये होंगे पहले, लेकिन वास्तविक आपके डिपार्टमेंट में योग्यता क्या है? यह पूछ रहा हूं मैं तो।

श्रीमती जकिया : मैंने उसमें आखिरी योग्यता आठवीं बतायी है। आपको इतनी तो समझ है कि आठवीं को यह मिलता है। आठवीं को ही लिया जाएगा। आठवीं से ऊपर हो तो वैलकम करते हैं। और आदिवासी क्षेत्र में जब कहीं कोई नहीं मिलता है तो रिलेक्स करते हैं।

श्री हीरालाल सहरिया : रियायत नहीं दी जा सकती आदिवासी क्षेत्र में?

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं आंगनबाड़ी केन्द्र पूरे राजस्थान में संचालित होते हैं, हमारे

(श्री हीरासिंह चौहान)

पाली जिले में भी बहुत हैं। इनके सामान के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। न जो केन्द्र की अधीक्षिका है, संचालक है, वह समय पर आते नहीं। आप जो इस समय ऐसा बता रहे हैं कि यह कोई कमेटी बनी हुई है उसके अधीनस्थ है, इनकी सारी वितरण व्यवस्था निश्चित की हुई है। पंचायत समिति में आपका जो भी इंचार्ज है, वह कभी आता नहीं। चारों तरफ आंगनबाड़ी केन्द्रों की जो भी आपने व्यवस्था कर रखी है इसके ऊपर पुनर्विचार करना आवश्यक है अन्यथा उन केन्द्रों की किसी प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उपयोगिता नहीं हो रही है।

श्रीमती जकिया : आप जो भी सुझाव देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। अगर आप सुझाव देंगे तो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डॉ. करण सिंह जी यादव।

नर्सिंग कालेज, जयपुर की मान्यता

329. **डा. करण सिंह यादव** (बहरोड) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय नर्सिंग परिषद् ने जयपुर के नर्सिंग कालेज की मान्यता वर्ष 1994 से ही समाप्त कर रखी है? यदि हां, तो क्यों? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मान्यता समाप्त करने के क्या कारण रहे तथा इन्हें दूर करने के लिये सरकार ने गत वर्षों में क्या उपाय किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नर्सिंग कालेज में शैक्षणिक कार्यों के लिए कितने पद स्वीकृत हैं तथा किन-किन पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति कार्यरत हैं?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र चौधरी) : (1) जी, हां। भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा वर्ष 1994 से जयपुर के नर्सिंग कालेज की निम्न कारणों के आधार पर मान्यता समाप्त कर दी :—

(क) संरचनात्मक एवं प्रशासनिक ढांचे में मूलभूत सुधार,

(ख) संकाय के शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु वांछित सुधार,

(ग) भौतिक संसाधनों में भवन संबंधी सुधार,

(घ) शैक्षणिक मामलों एवं योजनाओं की क्रियान्विति में सुधार की आवश्यकता एवं मूल्यांकन।

(2) मान्यता समाप्त करने के कारणों का विवरण प्रश्न संख्या-एक के अन्तर्गत दे दिया गया है। गत वर्षों में इन्हें दूर करने के लिए किये गये उपायों का विवरण निम्नानुसार है :—

(क) प्रधानाचार्य, नर्सिंग कालेज ने अपने पत्र दिनांक 30.8.94, 9.2.95 एवं 20.8.99

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

द्वारा सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद् को कमियों को दूर कर पुनः मान्यता प्रदान करने के संबंध में पत्र लिखे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 22.11.94 एवं 25.4.95 को अर्थना पत्र भेजे गये। आयोग ने आपत्तियां लगाकर उक्त अर्थना लौटा दीं। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव नये सिरे से भारतीय नर्सिंग परिषद् के अनुरूप किये गये जिसका नोटिफिकेशन दिसम्बर, 1999 में जारी हुआ।

(ग) स्वीकृत शैक्षणिक पद भरे जाने की कार्यवाही के फलस्वरूप दो व्याख्याता के पद भर दिये गये एवं एक एम.एस.सी. नर्सिंग योग्यताधारी व्याख्याता पद के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त जो शिक्षक बी.एस.सी. नर्सिंग योग्यताधारी थे वे पद विरुद्ध कार्यरत थे उन्होंने इसी दौरान एम.एस.सी. नर्सिंग की योग्यता अर्जित कर ली है।

(घ) भौतिक संसाधनों में सुधार कर संस्थान में अध्ययन कक्षों का निर्माण कर छात्र/छात्राओं के लिए वाटर कूलर लगवा दिया गया है।

(ङ) राजस्थान विश्वविद्यालय के घोषित कलेण्डर के अनुरूप शैक्षणिक कार्य नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। भारतीय नर्सिंग परिषद की वार्षिक ऐफिलेशन फीस नियमित रूप से जमा करायी जा रही है।

(3) नर्सिंग कालेज में निम्न शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं : —

(क) प्रधानाचार्य	एक पद
(ख) प्रोफेसर	एक पद
(ग) वरिष्ठ व्याख्याता	छः पद
(घ) व्याख्याता	आठ पद
(ङ) सहायक व्याख्याता	दस पद

एक व्यक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता के पद पर चयनित है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संवर्ग का अन्य कोई भी व्यक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा-चयनित नहीं है।

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की एक मात्र नर्सिंग कालेज जो जयपुर शहर में स्थित है, जिसकी मान्यता नर्सिंग कालेज ने 1994 में समाप्त कर दी थी। आज 6 साल उस बात को गुजर रहे हैं, 6 साल के अन्दर नर्सिंग कालेज की जब मान्यता समाप्त की तो उसमें कहा गया था कि संकाय के शैक्षणिक पदों की भर्ती में वांछित सुधार। माननीय मंत्री महोदय, आपने अपने अंतिम उत्तर में कहा है कि प्रधानाचार्य, प्रोफेसर, वरिष्ठ व्याख्याता, व्याख्याता और सहायक व्याख्याता के 26 पदों में से मात्र एक व्यक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित है। उस कालेज की हालत देखिये, 26 पद हैं, प्रिंसिपल का पद

(डा. करण सिंह यादव)

खाली, प्रोफेसर का पद खाली, एक सीनियर लैक्चरर सलैक्टेड है जो कि प्रिंसिपल के एडहोक काम कर रही है। इसके अलावा नर्सिंग कालेज के नर्सिंग ट्यूटर्स को लेकर, वह भी आधे-अधूरे, 26 में से 6 या 7 आदमी उस कालेज को चला रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का सदन के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किस परिस्थिति में आज नर्सिंग की पढ़ाई की जा रही है और कौनसी नर्सिंग कौंसिल उसको मान्यता देगी?

मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने 1994 और 1995 में मात्र दो बार लोक सेवा आयोग को भर्तियों के लिए आवेदन किया। उसके बाद आज तक कोई आवेदन नहीं किया गया।

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

अब आपने शैक्षणिक योग्यता 1999 में नोटिफाई कर दी है, मैं पूछना चाहूंगा कि 1999, दिसम्बर के बाद क्या लोक सेवा आयोग को हमने कोई रिक्विजिशन भेजा है? नहीं भेजा है तो आप कब तक भेजेंगे? मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि वे कब तक इन पदों को...

श्री अध्यक्ष : आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

डा. करण सिंह यादव : यह पूछना चाहता हूं कि रिक्विजिशन आपने भेज दिया या नहीं? भेजेंगे तो कब भेजेंगे? कब तक यह पद पूरे कर लिये जायेंगे? आप क्या यह आश्वासन देंगे कि यह पद आज के वित्तीय प्रबंधन के समय में समाप्त नहीं कर दिये जायेंगे इस कालेज के अन्दर? आर.पी.एस.सी. में कब तक भेजे जायेंगे? कब तक इनको आप पूरा कर देंगे और कब तक यह पद समाप्त नहीं किये जायेंगे? इस मामले में मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य के स्वयं की जानकारी में है कि 1999 में यह राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर नियमों में परिवर्तन कर के इन पदों की योग्यतानुसार उनका, हैण्ड बुक में उसके अनुसार कर दिया गया है। अब विभाग में रूल्स में परिवर्तन किया जा रहा है और रूल्स में परिवर्तन होते ही आर.पी.एस.सी. को सरकार भेज देगी और इन पदों को समाप्त करने की कोई बात नहीं है।

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो रूल्स के परिवर्तन की कोई सीमा चाहता हूं कि दो महीने में, चार महीने में। कब तक?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकाल तो समाप्त हो गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है, आप आसन ग्रहण करें, मैं बोल लूं। आप आसन ग्रहण करें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप आसन ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप कौनसा प्रश्न बीच में पूछ रहे हैं?

प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान वित्त निगम की बकाया राशि

399. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम की वर्ष 1998-99 तक प्रारम्भ में विभिन्न उद्योगों में कुल 941.86 करोड़ की राशि बकाया थी? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि, किस-किस इकाई से वसूली की गई है एवं शेष वसूली न होने के क्या कारण हैं?

(2) क्या वित्त निगम की उक्त बकाया के मामलों में लम्बी अवधि से बकाया राशि वसूली हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये गये है? यदि हां, तो न्यायालय के माध्यम से कितना धन वसूला गया?

(3) क्या वित्त निगम ने अपनी वसूली के लिए गत एक वर्ष में कुछ उद्योगों पर कुर्की वारंट जारी कर कब्जा लेकर नीलामी के माध्यम से राशि वसूल की है? यदि हां, तो किस-किस से कितनी-कितनी और कहां-कहां?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि वर्ष 1998-99 के प्रारम्भ के अर्थात् 1 अप्रेल, 98 को राजस्थान वित्त निगम का अपनी वित्त पोषित इकाइयों में कुल बकाया राशि 941.86 करोड़ रुपये थी। उक्त राशि में बकाया अधिदेय राशि 211.01 करोड़ रुपये थी। मार्च, 99 तक 275.76 करोड़ रुपये की राशि के देय होने पर कुल वसूली योग्य राशि 476.77 करोड़ रुपये थी, जिसमें से निगम द्वारा 206.14 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली के प्रयास निगम द्वारा किये जा रहे है। शेष बकाया राशि वसूल नहीं होने के प्रमुख कारण व्यापारिक मंदी, प्रवर्तकों/साझेदारों में समन्वय का अभाव/पारस्परिक मनमुटाव, कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता, कच्चे माल का अभाव अथवा कच्चे माल की उचित दर पर अनुलब्धता आदि रहे है। जिन इकाइयों से निगम द्वारा अधिदेय राशि की वसूली की गई है उनकी संख्या लगभग 20,000 है, इसलिए इकाइयों की संख्या को देखते हुए इकाइवार वसूली की सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां, लम्बी अवधि से बकाया राशि की वसूली हेतु निगम द्वारा न्यायालय की शरण ली गई है। ऐसे मामलों में निगम द्वारा कुल 1.07 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

(3) जी हां। निगम द्वारा उसके कब्जे में पड़ी हुई इकाइयों में से 125 इकाइयों की परिसम्पत्तियों का बेचान नीलामी द्वारा किया जाकर रुपये 7.47 करोड़ की कुल वसूली की गई है। इकाईवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जिला जैसलमेर के लवण क्षेत्र का विकास

400. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर के लवण क्षेत्र में गत दस वर्षों से नये प्लाट आवंटन क्यों नहीं हो रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि नमक प्लाट विक्रय करने हेतु कोई क्षेत्र की सीमा है?

(3) क्या यह भी सही है कि नियमों की जटिलता के कारण विक्रय एवं हस्तांतरण बेनामी हो रहे हैं?

(4) क्या उक्त जिले के लवण क्षेत्र के विकास हेतु कोई विशेष योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के लवण क्षेत्रों में गत 10 वर्षों से नये लवण भूखण्डों का आवंटन नहीं किया गया है। वर्ष 1983 में जैसलमेर जिले के लवण क्षेत्रों सहित विभिन्न लवण क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। आवंटन से पूर्व ही आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिये गये, तथा इस प्रकरण के सबज्यूडिस होने के कारण लम्बे समय से आवंटन की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

न्यायालय ने 1996 में वाद निस्तारित करते हुये यह निर्देश दिये कि 1983 में जितने भी व्यक्तियों ने आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये हैं उन्हें भी पुनः मौका देते हुए नेय सिरे से आवंटन किया जाए। इस निर्देश से पैदा हुई प्रक्रियात्मक जटिलता के कारण अब तक कोई आवंटन नहीं किये गये हैं, हालांकि इस प्रकरण में विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही जारी है।

(2) जी हां। लवण भूखण्ड विक्रय/हस्तान्तरण करने हेतु वर्तमान में हस्तानान्तरित के पक्ष में भूमि की अधिकतम होल्डिंग की सीमा 15 एकड़ निश्चित है। जैसलमेर जिले के लवण क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों का क्षेत्रफल 15 एकड़ से अधिक है, इसलिये लवण भूखण्डों की हस्तान्तरण की स्वीकृति सम्भव नहीं है। इस हेतु नियमों में संशोधन

(उद्योग मंत्री)

के मामले पर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार विचार करेगी।

(3) विभाग की जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

(4) जैसलमेर जिले के लवण क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत पोकरण लवण क्षेत्र में सड़क एवं पेयजल की योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, शेष क्षेत्रों में योजनावार तरीकों से बजट उपलब्धता के अनुसार योजना तैयार की जावेगी।

उद्योगों के लिए एकल खिड़की योजना

401. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने एकल खिड़की योजना उद्योगों के लिये जारी की है? यदि हां, तो कब और यह नीति क्या है? यदि यह कोई लिखित दस्तावेज है तो उसकी प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त नीति के लिये नियमों में कोई संशोधन किये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से नियमों में? मूल नियम में संशोधन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नीति के तहत उद्यमी द्वारा भरे जाने वाले फार्म भी निर्धारित किया है? यदि हां, तो उक्त फार्म की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एकल खिड़की योजना दिनांक 10.3.2000 को लोकार्पित की गई है। उक्त नीति के अन्तर्गत उद्यमी अपना उद्योग स्थापित करने हेतु विभिन्न विभागों/निगमों से संबंधित स्वीकृतियां, अनुमोदन इकाई रूप में एक साथ एक ही जगह प्राप्त कर सकता है। उक्त योजना की प्रति परिशिष्ट-"क" पर सलंग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनेस के नियम 55 में संशोधन किया है। किये गये संशोधन की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत उद्यमी द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु विभिन्न विभागों/निकायों द्वारा निर्धारित प्रार्थना-पत्रों को संकलित कर एक बुकलेट के रूप में प्रकाशित किया गया है जो परिशिष्ट-"ग" पर उपलब्ध है।

(प्रति विधान सभा विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पुष्कर का खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र

402. **श्री रमजान ख़ान** (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रमजान खान)

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर, जिला अजमेर में खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां, तो उक्त भूमि पर कब तक प्रशिक्षण केन्द्र चालू किया जायेगा?

(2) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के लिए कितनी राशि गत दो वर्षों में आवंटित की गई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, पुष्कर जिला अजमेर में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण कार्य हेतु 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रशिक्षण कार्य चालू कर दिया जायेगा।

(2) वर्ष 1999-2000 के बजट में पुष्कर प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 3 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। किन्तु गत 2 वर्षों में इस राशि के विरुद्ध कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

जिला धौलपुर के खेल संगठन

403. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाडी) : क्या यूवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर से धौलपुर जिले के कितने खेल संगठन एवं एसोसिएशन सम्बद्ध है तथा इनके कौन-कौन पदाधिकारी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् जयपुर से धौलपुर जिले का कोई भी खेल संगठन तथा एसोसिएशन सम्बद्ध नहीं है क्योंकि राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा केवल राज्य स्तरीय खेल संगठनों अथवा संघों को ही नियमानुसार सम्बद्ध किया जाता है। वर्तमान में धौलपुर में किसी भी खेल का राज्य स्तरीय संघ नहीं है अतः पदाधिकारियों की सूची देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के डार्क जोन क्षेत्र

404. **श्री हबीबुर्रहमान** (मुंडवा) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पंचायत समिति नागौर और मूण्डवा में डार्क जोन हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त डार्क जोन किस वर्ष से लागू किया गया है?

उत्तर

(1) नवीनतम भूजल आकलन रिपोर्ट 1.1.98 के आधार पर पंचायत समिति नागौर डार्क जोन में नहीं आती है। पंचायत समिति मूण्डवा को डार्क जोन में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि मूण्डवा पंचायत समिति क्षेत्र में भू जल का दोहन वार्षिक पुर्नभरण से बहुत अधिक होना पाया गया इसलिए इसे डार्क जोन में रखा गया। अतः वर्तमान में

(भू-जल मंत्री)

मूण्डवा पंचायत समिति को डार्क जोन से हटाया जाना सम्भव नहीं है। आगामी भूजल आकलन 1.1.2001 को तैयार करने के पश्चात् भूजल उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रों का पुनः वर्गीकरण किया जावेगा और मूण्डवा पंचायत समिति की जो भी स्थिति होगी उसी के अनुसार श्रेणी में रखा जावेगा।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र मूण्डवा वर्ष 1993 से डार्क जोन में आता है। पुनः भू जल आकलन 1995 तथा 1.1.98 में भी डार्क जोन में ही स्थित रहा। यह स्थिति अधिक भू जल दोहन के कारण उत्पन्न हुई है। वर्ष 1990 से 1.1.98 तक भूजल विकास की दर निम्न प्रकार रही :

वर्ष	नागौर पंचायत समिति		मूण्डवा पंचायत समिति	
	विकास की दर (%)	श्रेणी	विकास की दर (%)	श्रेणी
1990	25.37	व्हाईट	37.55	व्हाईट
1992	98.31	डार्क	83.94	ग्रे
1993	25.41	व्हाईट	222.16	ओवरएक्सपलोइटेड
1995	26.50	व्हाईट	512.09	ओवरएक्सपलोइटेड
1998	42.16	सेफ व्हाईट	187.53	ओवरएक्सपलोइटेड

राजस्थान नर्सिंग कोन्सिल में अनियमित नियुक्ति

405. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में कार्यरत एक लिपिक को गैर कानूनी तरीके से आजीवन नियुक्ति देने के प्रकरण की जांच कराई गई थी? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

(2) क्या यह भी सही है कि अवैध नियुक्ति के बारे में राज्य के मुख्य मंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव को कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग के आदेश 17(7) कार्मिक/क-2/99, दिनांक 27-5-99 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि सेवा निवृत्ति के पश्चात राजकीय उपक्रम एवं विभिन्न विभागों में लगे हुए कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाय? यदि हां, तो उसके बाद भी निदेशक एवं अध्यक्ष राज्य कौन्सिल सिटी के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निर्देशानुसार प्रार्थी ने रिट याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नियम विरुद्ध नियुक्ति के कारण सरकार को करीब रुपये 4.50 लाख की हानि उठानी पड़ी? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं,

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय के पृष्ठाकंन क्रमांक प. 21(1) चि. स्वा/ 99/13975 दिनांक 5.11.99 द्वारा शासन सचिव चिकित्सा विभाग से दिनांक 2.11.99 के दैनिक नवज्योति अखबार में छपी खबर "अफसर मेहरबान, लिपिक पहलवान" पर टिप्पणी चाही गई। जिसकी जांच करवा कर पदेन अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के आदेश दिनांक 28.1.2000 द्वारा श्री चांदमल शर्मा, लिपिक की सेवाएं समाप्त कर दी गई।

(3) जी हां, प्रार्थी द्वारा स्वयं राजस्थान नर्सिग कौंसिल की सेवाओं से हटाये जाने के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय , जयुपर में याचिका दायर की थी। जिसे बाद में उन्होंने विथड्रा कर ली।

(4) जी नहीं, राजस्थान नर्सिग कौंसिल जो एक स्वतः पोषित स्वायत्तशाषी संस्था (ओटोनोमस बाडी) है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य की मान्या प्राप्त फार्मेसी शिक्षण संस्थाएं

406. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में फार्मेसी शिक्षण संस्थाएं है? यदि हां, तो कौन-कौनसी, कहां-कहां पर उसमें कौन-कौन से कोर्स चलाये जा रहे हैं?

(2) फार्मेसी कौन्सिल ऑफ इण्डिया व फार्मेसी कोन्सिल ऑफ राजस्थान के क्या-क्या कर्तव्य हैं?

(3) क्या उक्त शिक्षण संस्थाओं को फार्मेसी कौन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता लेनी आवश्यक है? यदि हां, तो कौन-कौनसी शिक्षण संस्थाएं कब-कब से मान्यता प्राप्त है?

(4) क्या उक्त शिक्षण संस्थाओं में कुछ ऐसी भी हैं जिनको उक्त मान्यता नहीं मिली है? यदि हां, तो कौन-कौन सी?

(5) क्या यह भी सही है कि कुछ शिक्षण संस्थाएं बिना मान्यता के भी कोर्स चला रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी और क्यों तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य में फार्मेसी कोर्स से सम्बन्धित फार्मेसी शिक्षण संस्थाएं एवं इसमें चलाये जा रहे फार्मेसी कोर्स का विवरण संलग्न है।

(2) फार्मेसी कोन्सिल ऑफ इण्डिया एवं राजस्थान के कर्तव्य निम्न प्रकार है

फार्मेसी कोन्सिल ऑफ इण्डिया

1. फार्मेसिस्ट पंजीयन हेतु न्यूनतम योग्यता करना एवं तदनुसार पाठ्यक्रम व मापदण्ड बनाना।

2. फार्मेसी पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं का निरीक्षण कर उन्हें मान्यता प्रदान करना।

3. फार्मेसी परीक्षा आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य विधिक संस्था का निरीक्षण कर मान्यता देना।

फार्मेसी कोन्सिल ऑफ राजस्थान

(1) राजस्थान फार्मेसी कोन्सिल का कर्तव्य राजस्थान में फार्मेसिस्ट पंजीयन करना है।

(3) जी हां, राज्य में फार्मेसी कोर्स से सम्बन्धित फार्मेसी शिक्षण संस्थाओं को कौन-कौन से वर्ष में मान्यता प्राप्त हुई है, का विवरण प्रश्न के भाग एक की सूची में दर्शाया गया है।

(4) फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री-फार्मेसी टेस्ट द्वारा चयनित अभ्यार्थियों को दिया जाता है, जिसका आयोजन तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेशानुसार किया जाता है। सामान्यतया शिक्षण संस्थाओं के आरम्भ होने के पश्चात् ही फार्मेसी कौन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निरीक्षण करवा कर मान्यता दी जाती है। उक्त शिक्षण संस्थाओं की सूचना चिकित्सा विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित नहीं है। सूचना मिलने पर फार्मेसी कौन्सिल को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के चिकित्सालयों के रिक्त पद

407. **डा. रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के चिकित्सालयों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों, नर्सों एवं ए.एन.एम. के पद कहां-कहां, कब-कब से रिक्त है?

(2) अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के चिकित्सालयों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों (डाक्टर) नर्सों एवं प्रसाविकाओं (ए.एन.एम.) के रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी-प्रथम, श्रेणी-द्वितीय एवं नर्स श्रेणी प्रथम के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पश्चात् भरा जाना संभव

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

हो सकेगा तथा चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजी हुई है। चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। प्रसाविका का पद वित्त विभाग द्वारा नियुक्तियों पर लगाये गये प्रतिबंध की समाप्ति के पश्चात् भरना संभव होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

मांगरोल से जिला मुख्यालय बांरा की सड़क की चौड़ाई में वृद्धि

408. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल से बारां जिला मुख्यालय की सड़क वर्तमान में सिंगल होने से बरसात में आवागमन में असुविधा होती है और ट्राफिक जाम हो जाते हैं?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क को चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। मांगरोल से बारां ज़िला मुख्यालय की सड़क की कुल लम्बाई 26 किमी. है जिसका 20 किमी. लम्बाई में सड़क भाग सिंगल लेन होने से बरसात में आवागमन में असुविधा होती है एवं अंशकालीन ट्राफिक जाम हो जाता है।

(2) उक्त सड़क को चौड़ा करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

एम.ओ.टी. योजना के तहत निर्मित सड़कें

409. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एम. ओ. टी. योजना क्या है तथा इसका क्या लाभ है? उक्त योजना के तहत सड़क मरम्मत एवं रख-रखाव का खर्चा कौन वहन करेगा? क्या टौल टेक्स की तरह उक्त सड़क से निकलने वाले वाहनों से यह धन वसूला जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

(2) उक्त समयावधि में फिर सड़क मरम्मत की जरूरत पड़ी तो क्या पुनः वाहनों से धन वसूला जाएगा?

(3) यदि वाहनों से उक्त धन वसूला जाता है तो फिर सरकार रोड टेक्स किस कारण लेती है?

उत्तर

(1) राज्य में सड़कों के संधारण, सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण हेतु संधारण, संचालन एवं हस्तान्तरण (एम.ओ.टी.) की अवधारणा को विकसित किया जा रहा है।

(2) यह योजना अभी लागू नहीं हुई है।

(3) यह योजना अभी लागू नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की सड़क मरम्मत पर व्यय

410. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की सड़कों की मरम्मत डामरीकरण एवं पेवर रोड हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? उक्त राशि से कार्य कब तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है?

(2) उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की सड़कों की मरम्मत/डामरीकरण एवं पेवर कार्य हेतु गैर योजना मद में 46.5 लाख एवं योजना मद में 28.0 लाख की राशि स्वीकृत निम्न प्रकार से की गई :—

गैर योजना मद (3054)	**राशि**
साधारण मरम्मत	38.00 लाख
रिन्यूअल कार्य	8.50 लाख
	46.50 लाख
योजना मद (5054)	
राज्य पथ	10.00 लाख
नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	18.00 लाख
	28.00 लाख

इन कार्यों का वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) वर्ष 1999-2000 में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत पर गैर योजना मद (3054) में 41.04 लाख एवं योजना मद (5054) में कुल 0.11 लाख राशि निम्नानुसार व्यय की गई। सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

मद	**राशि**
गैर योजना मद (3054)	
मरम्मत/रख-रखाव	38.07 लाख
पेवर कार्य	2.97 लाख
	कुल : 41.04 लाख
योजना मद (5054)	
राज्य पथ	—
सुदृढ़ीकरण	0.11 लाख
	कुल : 0.11 लाख

नाडोल से दादाई (पाली) की स्वीकृत सड़क

411. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है की तहसील देसूरी (पाली) में गत वर्ष सरकार ने नाडोल से दादाई वाया नया गुडा एक ग्रेवल सड़क स्वीकृत की थी?

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(2) उक्त स्वीकृत सड़क को प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त स्वीकृत सड़क को इस वर्ष पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित किसी भी मद में स्वीकृति नहीं हुई है।

(2) इस कार्य की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित किसी भी मद में स्वीकृति न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(3) इस सड़क का पूर्ण करवाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर ही संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की अपूर्ण सड़क

412. **श्री मानसिंह चौहान** (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में पिड़ावा से ओवर सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण है? क्या लम्बे अर्से से अपूर्ण सड़क के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पिड़ावा से ओवर तक सड़क की कुल लम्बाई 17.00 किमी. है जिसमें 9 किमी. डामर तथा 8 किमी. मेटल है। मेटल सड़क के कारण आवागमन में कुछ असुविधा हो रही है।

(2) मेटल सड़क को डामर करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है तथा वर्ष 99-2000 में 4 किमी. डामर का कार्य संपादित करवाया गया है। वर्ष 2000-2001 में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों अनुसार उक्त सड़क में शेष कार्य को पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

जिला बाड़मेर में स्वीकृत सड़कें

413. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1999-2000 में सड़कों के नव-निर्माण हेतु मरम्मत कार्य पर कितनी राशि का प्रावधान है? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कि बजट में आवंटित राशि के बराबर व्यय नहीं होने पर माह दिसम्बर, 99 में समस्त नये सड़क कार्य/अनुरक्षण मरम्मत कार्य बंद कर दिये गये हैं?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले में नाबार्ड व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों पर भी रोक लगा दी गई है? यदि हां, तो क्या उक्त योजनाओं की राशि का पुनर्भरण खर्चे के अनुसार नाबार्ड बैंक या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को किया जाता है?

(4) क्या उक्त योजनाओं के कार्य पर रोक लगने का कोई औचित्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में सड़कों के नव निर्माण एवं मरम्मत हेतु क्रमशः योजना मद में 135.00 करोड़ रुपये एवं गैर योजना मद (सामग्री मद) में 67.90 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया था। जिलेवार नव निर्माण एवं मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। माह दिसम्बर, 1999 में वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के संदर्भ में सड़क निर्माण कार्यों को रोका गया था।

(3) जी हां। नाबार्ड एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना के निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 1999 से मार्च 2000 तक वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण बंद रहे। राज्य सरकार को नाबार्ड द्वारा निर्माण लागत का 80 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है एवं शेष राशि राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध कराई जाती है।

(4) योजना मद में वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के संदर्भ में निर्माण कार्यों पर माह दिसम्बर, 1999 में रोक लगाई गयी थी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

हिण्डौन से खरेटा क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

414. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन से खरेटा सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो कब से?

(2) सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) हिण्डोन से खरेटा सड़क एक ग्रामीण श्रेणी की सड़क है, जिसकी कुल लम्बाई 10 किलोमीटर है। यह सड़क कि.मी. 0/0 से 9/0 लम्बाई में ठीक है एवं यातायात योग्य है। इस सड़क का अन्तिम कि.मी. 20 वर्षा ऋतु से अत्यधिक पानी के बहाव के कारण लगभग प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त हो जाता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र संगरिया के विद्यालयों में रिक्त पद

415. **श्री के. सी. विश्नोई** (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में वर्ष 1999-2000 में कितने माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये? क्या उक्त सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को सभी विषय अध्ययन हेतु सुविधा है? यदि हां, तो स्टाफ की क्या व्यवस्था की गयी और नहीं, तो कौन-कौन से विद्यालय इसी सत्र से प्रारम्भ नहीं किये जा सके।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने सरकारी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां पर है? क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त सभी विद्यालयों में पद भरे हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों और अब रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(3) सरकारी विद्यालयों में प्राचार्य/उपाचार्य के पद सृजित करने के क्या मानदण्ड है? क्या नये सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य, उपाचार्य के पद सृजित किये हैं? क्या मानदण्डानुसार उक्त पद भर दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में वर्ष 1999-2000 में 02 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में तथा 03 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं प्रारंभ कर दी गई, जिसमें छात्रों को कला संकाय एवं अनिवार्य विषय का अध्यापन करवाया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं प्रारंभ कर दी गई है तथा सभी अनिवार्य विषय का अध्यापन करवाया जा रहा है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं के छात्रों को एच्छिक विषय पढ़ाने हेतु विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक जो कि व्याख्याता के पद की योग्यता रखते हैं, से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय, संतपुरा में 02 वरिष्ठ अध्यापक तथा 03 तृतीय श्रेणी अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलीपुरा में 01 वरिष्ठ अध्यापक 3 तृतीय श्रेणी अध्यापक तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय खारवाल में 02 वरिष्ठ अध्यापक तथा 03 तृतीय श्रेणी अध्यापकों का पद-स्थापन कर दिया गया है।

(2) विधानसभा क्षेत्र संगरिया में 06 उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 25 माध्यमिक

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालय संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। उक्त विद्यालयों में 15 व्याख्याता, 10 वरिष्ठ अध्यापक तथा 01 तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद रिक्त है। सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, पदोन्नति परित्याग, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एंव नये सृजित पदों के कारण पद रिक्त हैं।

व्याख्याताओं व वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पद सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध हटाने एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरे जाने संभव हो सकेंगे।

(3) राज्य के नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य का पद तथा 750 से अधिक छात्र संख्या होने पर उप प्राचार्य का पद स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य/उप प्राचार्य का पद आवंटित किये जाने का प्रावधान नहीं है। अपितु माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद स्वीकृत कर दिये गये हैं। उप प्राचार्य का पद 750 से अधिक छात्र संख्या होने पर ही स्वीकृत किये जाने संभव हो सकेंगे। अभी विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध नहीं हुये है इस कारण वरिष्ठतम व्यक्तियों को जो पदोन्नत हेतु पात्रता सूची में हैं, को पाते वेतनमान में इन पदों पर लगाये जाने के आदेश राज्य सरकार ने दिये है। तद्नुसार कार्यवाही हो रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला नागौर में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जन्मतिथि परिवर्तन प्रकरण

416. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जो अपनी जन्मतिथि के गलत होने के कारण परिवर्तित कराना चाहते हैं, ऐसे छात्र/छात्राओं की कुल संख्या कितनी हैं? जिला शिक्षा अधिकारी नागौर के पास ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या उक्त आवेदनों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया है? यदि हां, तो कितनों का और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कक्षा 10 में अध्ययनरत 23 छात्र/छात्राओं द्वारा जन्मतिथि में परिवर्तन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-"क" पर है।

(2) जी हां। 21 आवेदन-पत्रों पर नियमों के अन्तर्गत सही पाये जाने पर जन्मतिथि

(शिक्षा मंत्री)

में परिवर्तन करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। 02 प्रकरणों में कमी होने के कारण संस्था प्रधान को आक्षेप पूर्ति हेतु लौटा दिये गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

पंचायत समिति बामनवास तथा बौंली के लंबित घरेलू कनेक्शन

417. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2000 तक घरेलू कनेक्शन वाले सभी आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो पंचायत समिति बामनवास एवं बौंली में किस-किस को कब-कब कितने कनेक्शन दिये गये? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक आवेदनों के लंबित रहने के क्या कारण रहे? क्या शेष रहे आवेदकों को भी कनेक्शन दे दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बौंली व बामनवास में वर्ष 1999-2000 के माह मार्च 2000 तक क्रमशः 451 व 103 घरेलू कनेक्शन दिये जा चुके हैं। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुए माह फरवरी, 2000 में बजट प्रावधानों के अनुसार ही कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया था। अब शेष रहे आवेदकों को भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि अनुसार ही कनैक्शन दिये जा सकेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राज्य में निर्धारित विद्युत दर

418. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कृषि, उद्योग, घरेलू तथा कामर्शियल कनेक्शन देने के क्या-क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उपभोक्ताओं से सभी तरह के कनेक्शनों के बिल किन-किन दरों से वसूल कर रही है? उसकी टेरिफ सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कनेक्शनों के मांग-पत्र जारी करने के क्या-क्या नियम है तथा मांग-पत्र की राशि किस तरह जोड़कर मांग-पत्र दिया जाता है? विवरण सहित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत विभाग द्वारा कृषि, घरेलू, अघरेलू तथा औद्योगिक कनेक्शन देने सम्बन्धी नियमों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) विद्युत मण्डल विभिन्न श्रेणी के उप-भोक्ताओं को अलग-अलग दरों से बिल जारी करता है जिसका विवरण परिशिष्ट-"ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उपभोक्ता का तकमीना बनने के पश्चात् उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने हेतु विद्युत मण्डल की जनरल कंडीशन्स आफ सप्लाई के क्लाज-4 (सी) के प्रावधानों के अनुसार मांग-पत्र जारी किया जाता है। इस विषय में जारी दिशा निर्देशों का विवरण परिशिष्ट-"स" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(नियम/सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जालौर के कृषकों के लम्बित विद्युत कनेक्शन

419. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में वर्ष 1999-2000 में किन-किन किसानों के कुओं पर वर्ष 1986-87 के आवेदनकर्ताओं को बिजली कनेक्शन देने की वरीयता क्रम में प्रावधान था?

(2) उक्त क्षेत्र के कितने किसानों को कुओं पर बिजली कनेक्शन दिये गये?

(3) वरीयता क्रम के आधार पर वर्ष 1986-87 के आवेदनकर्ताओं जो बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं कर सके हैं एवं वर्ष 1999-2000 में प्राप्त करने के अधिकारी थे उन्हें क्या सरकार इसी वर्ष विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 की कृषि नीति अनुसार जालौर जिले की पंचायत समिति रानीवाड़ा, सायला, जसवन्तपुरा, जालौर और भीनमाल में कृषि आवेदकों के दिनांक 31.3.87 तक के विचाराधीन प्रार्थना पत्रों को वर्ष 1999-2000 में वरीयता क्रम में कनेक्शन देने का प्रावधान था। इसके अनुसार वर्ष 1986-87 तक के लम्बित कुल 115 आवेदक कृषि कनेक्शन लेने की पात्रता रखते थे, जिनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र के 8 आवेदकों को सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन दिये गये हैं।

(3) उपरोक्त 115 आवेदकों में से 102 को मांग पत्र जारी किये गये थे तथा 13 आवेदकों के कृषि कुएं न बने होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये थे। जारी किये गये 102 मांग पत्रों में से 21 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करवाई थी, इनमें से 8 को कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष 13 आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिये जाने का कार्य प्रगति पर है, कार्य पूर्ण होने पर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डग के ग्रामों के प्रस्तावित 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन

420. **श्री मदन लाल वर्मा** (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र डग के गांव गांगलिया खेड़ी 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण चालू वर्ष में कर दिया जावेगा?

(2) उक्त स्टेशन निर्माण में अवरोध किसलिये हुआ? उक्त स्टेशन कब से बन रहा है एवम् कब तक पूर्ण हो जायेगा?

(3) क्या पद्मा खेड़ी में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के गांव गांगलिया खेड़ी में 33 के.वी. सब-स्टेशन का कार्य प्रगति पर है और इसे वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य माह नवम्बर 1999 में शुरू किया गया था परन्तु कुछ सामान की कमी के कारण अवरोध आ गया था। सामान की व्यवस्था कर इसे शीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के अविद्युतीकृत ग्राम

421. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल के कई गांव अभी विद्युतीकृत नहीं हैं? यदि हां, तो कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शेष रहे गांवों को सरकार विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र घाटोल के 66 गांव अभी तक अविद्युतीकृत हैं। अविद्युतीकृत गांवों की सूची परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त गांवों को आगामी वर्षों में शनैः शनैः वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार विद्युतीकृत किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला नागौर में अनुसूचित जाति के विचाराधीन कृषि कनेक्शन

422. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में अनुसूचित जाति के कृषकों के कृषि कनेक्शन हेतु कुल कितनी

(श्री मोहन लाल चौहान)

पत्रावलियां विचाराधीन हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में अनुसूचित जाति के कृषकों के कृषि कनेक्शन हेतु दिनांक 1.4.2000 को 139 पत्रावलियां विचाराधीन थी।

(2) इस श्रेणी के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती है—हाथों हाथ कनेक्शन दिए जावेंगे।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के लम्बित विद्युत कनेक्शन

423. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में मण्डल द्वारा विभिन्न श्रेणियों में गत 5 वर्षों में कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये ? श्रेणीवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे आवेदकों को भी विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में गत पांच वर्षों में विभिन्न श्रेणियों में कुल 1710 कनेक्शन जारी किये गये जिनका वर्षवार व श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार हैं : —

(2) जी हां। शेष रहे आवेदकों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि व मण्डल की नीति के अनुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही निरन्तर चलती रहती है। फिलहाल समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

दिये गये कनेक्शनों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	घरेलू	अघरेलू	कृषि	औद्योगिक	रोड लाइट	योग
1.	1995-96	273	12	14	7	–	306
2.	1996-97	268	8	38	3	–	317
3.	1997-98	361	150	45	20	1	577
4.	1998-99	204	22	50	8	2	286
5.	1999-2000	165	19	34	4	2	224
	योग :	**1271**	**211**	**181**	**42**	**5**	**1710**

दुर्गापुरा (जयपुर) के बाशिन्दों को अनियमित विद्युत आपूर्ति

424. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्वकर्मा नगर-2, महारानी फार्म दुर्गापुरा, जयपुर के बाशिन्दों को कितने के. वी. ए. के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है? क्या पर्याप्त है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में वोल्टेज कम आने से ट्यूब लाइटें नहीं जलती हैं? यदि हां, तो वहां कितने के. वी. ए. के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिशासी/सहायक अभियन्ता, बी-3 राज. राज्य विद्युत मण्डल, रामबाग सर्किल, जयपुर को उक्त कालोनी के बाशिन्दों ने दिनांक 14-10-1999 को वोल्टेज की समस्या से सम्बन्धित हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पेश किया और कई बार मौखिक निवेदन भी किया? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? प्रार्थना पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा नगर-1 एवं 2 बाशिन्दों को बिजली सप्लाई हेतु एक नया ज्यादा पावर का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा चुका है? उक्त ट्रांसफार्मर से किस कालोनी को बिजली सप्लाई की गई है? क्या विश्वकर्मा नगर-2 को इस ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक विश्वकर्मा नगर-2 को इससे जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर शहर के विश्वकर्मा नगर-2, महारानी फार्म, दुर्गापुरा के उपभोक्ताओं को तीन, 100 के. वी. ए. के ट्रांसफार्मरों से बिजली आपूर्ति की जा रही है जो कि वर्तमान आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है।

(2) जी हां। उपभोक्ताओं की शिकायत को देखते हुए वहां एक नया 100 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे कम वोल्टेज की शिकायत का समाधान हो गया है।

(3) जी हां। इस समस्या के समाधान हेतु विश्वकर्मा नगर के लिए 100 के.वी.ए. का एक नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है।

(4) जी हां। नये स्थापित ट्रांसफार्मर से विश्वकर्मा नगर-1 व 2 को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

वर्ष-1999-2000 में खोले गये नये छात्रावास

425. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 की अवधि में कितने नये छात्रावास खोले जाने का प्रावधान

(श्री शिवनाथ सिंह)

था तथा कितने खोले जा चुके हैं और किन-किन स्थानों पर नये छात्रावास खोले गये है?

(2) बजट में घोषणा की अनुपालना करने हेतु जितने छात्रावास खोले जाने थे में क्या कमी रही है और उससे कितनी राशि की बचत हुई है?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में 56 नये छात्रावास बजट घोषणा के अनुरूप खोले जाने का प्रावधान था। ये छात्रावास इस वर्ष नहीं खोले जा सके।

(2) बजट घोषणा के अनुपालना में नये छात्रावास वित्त विभाग के अनुमोदन के अभाव में नहीं खोले जा सके तथा विभाग के संशोधित बजट (आर. ई.) प्रावधान में पूर्व प्रावधित राशि 56.00 लाख रुपये का प्रावधान नहीं रखा गया।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सम्बल योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण

426. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सम्बल योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से गांवों का चयन किया गया तथा यहां क्या-क्या कार्य करवाये गये? क्या सरकार अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? उक्त योजना में वर्ष 1990 से फरवरी, 2000 तक जयपुर जिले के किन-किन गांवों को जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में चयनित सम्बल ग्रामों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। चयनित सम्बल ग्रामों में पेयजल, सम्पर्क सड़क, सामुदायिक भवन निर्माण, प्राथमिक विद्यालय, छात्रावास भवन, नाली निर्माण एवं विद्युतीकरण के कार्य करवाये गये।

अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाया जाता है वर्ष 1990 से फरवरी 2000 तक जयपुर जिले के जिन गांवों को सड़क से जोड़ा गया है उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के विद्यालयों में छात्र/शिक्षक अनुपात

427. **डा. रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या कितनी हैं? विद्यालय वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. रामप्रताप)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां छात्र/अध्यापक अनुपात सही नहीं है? सरकार इस अनुपात को कब तक सही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के 51 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10666 छात्र अध्ययनरत् हैं, एवं 349 अध्यापक पदस्थापित है। विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रख दी है। परिशिष्ट-"अ"

(2) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/अध्यापक अनुपात समुचित नहीं है। वर्तमान में नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

428. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कौन-कौन से गांवों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं तथा इन पर प्रतिमाह कितना व्यय किया जा रहा है व इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) लोक जुम्बिश/शिक्षाकर्मी योजना जयुपर जिले के कौन-कौन से गांव में चलाई जा रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के 37 गांवों में 58 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

इन केन्द्रों हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यय 727 रुपये प्रति केन्द्र प्रति माह के आधार पर 42166 रुपये प्रतिमाह व्यय किया जा रहा है।

इन समस्त केन्द्रों पर 1469 बालक बालिकाऐं लाभान्वित हो रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट-"अ"

(2) लोक जुम्बिश/शिक्षाकर्मी योजना जयपुर जिले के जिन गांवों में चलाई जा रही है उनकी सूची संलग्न है।

लोक जुम्बिश योजना के गांवों की सूची परिशिष्ट-"स" शिक्षाकर्मी योजना के गांवों की सूची परिशिष्ट-"द"

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वन विहार पर्यटक क्षेत्र धौलपुर के ऐतिहासिक भवन की क्षति

429. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला धौलपुर में वन विहार को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने के लिए निर्णय लिया गया था? क्या उक्त क्षेत्र को विकसित किये जाने के स्थान पर वहां के दुर्लभ साज-सामान को नष्ट कर दिया? यदि हो, तो क्या उक्त भवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वहां की स्थिति को नस्ट किये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अब कार्यवाही करेगी।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1990-91 में वन विहार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु वन विभाग से राजस्थान पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरित किया गया था। यह सही नहीं है कि वहां के दुर्लभ साज-सामान को नष्ट कर दिया गया। निगम द्वारा भवन का संधारण व साज-सज्जा कर पर्यटन ईकाई का संचालन किया गया। ईकाई के संचालन में हो रही निरन्तर हानि को दृष्टिगत रखते हुए निगम के संचालन मण्डल द्वारा लिये गये निणर्यानुसार वर्ष 1996 में ईकाई को बन्द कर, पुनः वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया। चूंकि इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

करौली में महिला परिवेक्षक के रिक्त पद

430. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) महिला परिवेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध पुरुष परिवेक्षक के स्थानान्तरण/समायोजन के क्या नियम है'?

(2) क्या सरकार द्वारा पूर्व में महिला परिवेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध पुरुष परिवेक्षकों का स्थानान्तरण/समायोजन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस का व कब-कब तथा कहां-कहां? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि करौली जिले में महिला परिवेक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कब-कब से तथा क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि करौली के महिला परिवेक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध पुरुष परिवेक्षक के स्थानान्तरण/समायोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कितने व किस-किस के एवम् कब-कब तथा सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त महिला परिवेक्षक के अभाव में रिक्त पदों पर पुरुष परिवेक्षकों का समायोजन/स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

पुरुष पर्यवेक्षक के स्थानान्तरण/समायोजन का कोई नियम नहीं है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा पूर्व में महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध पुरुष पर्यवेक्षकों के किए गए स्थानान्तरण/समायोजन का विवरण निम्नानुसार हैं :—

क्र.सं.	पुरुष पर्यवेक्षक का नाम	स्थानान्तरण दिनांक	स्थान का नाम
1.	श्री आसुतोष दाधीच	26-6-96	आबूरोड (सिरोही)
2.	श्री आसुतोष दाधीच	31-5-97	किशनगढ़ (अजमेर) प्रतिनियुक्त पर
3.	दुर्गादान	30-6-99	सिरोही
4.	कैलाश चन्द्र सांखला	1-4-99	शेरगढ़ (जोधपुर) अस्थायी तौर पर

आदेशों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। करौली जिले में निम्न परियोजनाओं में रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं.	परियोजना	रिक्त	रिक्त पद होने की तिथि
1.	सपोटरा	2	1 पद 7/94 से 1 पद 8/94 से

क्र.सं.	परियोजना	रिक्त	रिक्त पद होने की तिथि
2.	हिण्डोन	3	2 पद 5/94 से 1 पद 3/96 से
3.	टोडाभीम	1	1 पद 1/95 से
4.	नादोती	1	1 पद 6/98 से
5.	करौली	4	1 पद 1/95 से 1 पद 5/96 से 2 पद 7/96 से
	योग	11	

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

चयन नहीं होने के कारण पद रिक्त है।

(4) जी, हां। बाल विकास परियोजना अधिकारी, करौली में महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध पुरुष पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण से संबंधी आवेदन पत्र श्री लोकेश अग्रवाल पुरुष पर्यवेक्षक का 28.11.99 को प्राप्त हुआ था। परियोजना करोली में पुरुष पर्यवेक्षक का पद नहीं होने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया।

(5) जी, नहीं।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों का समायोजन

431. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन की मार्गदर्शिका दिनांक 1-4-1999 से लागू की गई हैं? क्या भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु 75% राशि एवं राज्य सरकार द्वारा 25% राशि प्रदान की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मार्गदर्शिका में यह भी निर्देश है कि डी.आर. डी.ए. के कर्मचारी जो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हैं, को एक योजना बनाकर 3 से 5 वर्ष की अवधि में ग्रामीण विकास विभाग में लगा दिया जावे? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के लिये क्या योजना बनाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, भारत सरकार द्वारा सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के संस्थापन/प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए दिनांक 1.4.99 से "डीआरडीए प्रशासन" नामक नवीन योजना प्रारम्भ की गई है।

जी हां, उक्त योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

भारत सरकार द्वारा जारी इस योजना की मार्गदर्शिका परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, उक्त योजना में यह प्रावधान है कि अभिकरणों में कोई स्थाई स्टाफ नहीं रखा जाना चाहिए एवं वर्तमान में जो स्टाफ डी.आर.डी.ए. का है, उसे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आगामी 3-5 वर्षों में कार्यकारी विभागों (Line Departments) में समायोजित कराये जाने की योजना बनाई जानी चाहिए।

(मार्गदर्शिका विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर के कन्या महाविद्यालय के रिक्त पद

432. **श्री हबीबुर्रहमान** (मुण्डवा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला मुख्यालय नागौर पर खोले गये कन्या महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी/चौकीदार के कितने पद सृजित किये गये है? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार कब तक पद स्वीकृत करने जा रही है?

(2) क्या गत सत्र में खोले गये गृह-विज्ञान विषय के लिए व्याख्याता/प्रयोगशाला सहायक के पद सृजित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त कन्या महाविद्यालय में वर्तमान में स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त है? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय नागौर पर वार्षिक योजना 1997-98 में प्रारम्भ किये गये कन्या महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के दो पद अनुबन्ध पर सृजित किये गये। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वार्षिक योजना 2000-2001 में पद सृजन का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण गृह विज्ञान विषय में व्याख्याता एवं प्रयोगशाला सहायक के पद सृजित नहीं किये गये हैं। राज. कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा की प्राध्यापक श्रीमती सुमन गोयल को अस्थाई तौर पर एक माह के लिए लगाकर पाठ्यक्रम पूरा करवाया गया।

(3) राजकीय महिला महाविद्यालय नागौर में वर्तमान में 5 पद रिक्त हैं। जी हां, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही वित्त विभाग की अनुमति मिलने के पश्चात् की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में महाविद्यालय की स्थापना

433. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की तहसील कोटडा एवं गोगुन्दा में महाविद्यालय नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य के वार्षिक योजना 2000-2001 में कहीं भी राजकीय महाविद्यालय खोलने की योजना नहीं है।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : —

(1) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से ज़िला अजमेर के कतिपय गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीश चन्द्र, सदस्य की ओर से जिला नागौर की तहसील नावां के ग्राम लूणवा में हुई आगजनी की घटना में प्रशासन द्वारा बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से पाली जिले के सैदड़ा थाना में दर्ज मुकदमा नम्बर-42 की तफ्तीश में गलत दबाव बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है : —

श्री गुलाब चन्द कटारिया, एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राजसमंद के थाना कैलवाडा में अभिरक्षारत महिला के साथ कथित रूप से किये गये सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य, श्री गुलाब चन्द कटारिया को प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, बाकी के? (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि सैदड़ा थाने में हत्या हुई है 20.3 को और आज दिन तक मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत जबरदस्त हो रहा है। चारों तरफ लोग धरना देने के लिए तैयार हो रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार तारीख को कालअटेंशन का नोटिस दिया है।

श्री हीरासिंह चौहान : नृशंस हत्या हुई है और इसमें मुल्जिमान को बचाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री रमजान खान (पुष्कर) : मुल्जिम थाने के सामने खुले घूम रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : थाने के आमने-सामने खुले रूप से घूम रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमजान ख़ान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी मामला है।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, खुले रूप से थाने के आमने-सामने मुल्जिमान घूम रहे हैं सैदड़ा थाने में और पुलिस अभी तक पकड़ नहीं रही है और बिना कारण उस जांच को बदल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी यहां पर बिराजमान हैं, मामला बहुत सीरियस है, हजारों लोग धरना देने के लिए तैयार बैठे हैं।

श्री रमजान ख़ान : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी इसके बारे में कुछ कहें, जो मुल्जिमान थाने के सामने घूम रहे हैं...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : गृह मंत्रीजी इसके बारे में कुछ कहें। सैदड़ा थाने में मुल्जिम घू रहे हैं और जांच बदल दी गयी है। पहले भी धरना दिया गया था, कम से कम 250-300 आदमियों द्वारा धरना दिया गया था। उस धरना देने के बाद में पुलिस ने दिन-रात एक करके कुछ मुल्जिमान को पकड़ा लेकिन आज भी उसकी तफ्तीश बिना कारण के बदल दी गयी है और लोग धरना देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या तमाशा लगा रखा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : चीफ़ व्हिप महोदय, मंत्रीजी, मंत्रीजी, आसन पैरों पर। आप कैसे खड़े हैं?

श्री रमजान ख़ान : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से इसके बारे में कोई दो शब्द कहलवाइये। मुजरिम थाने के सामने खुले घूम रहे हैं।

(12.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रीजी इसके बारे में दो शब्द कहें। बहुत गम्भीर मामला है सैदड़ा थाने का। (व्यवधान) पहले भी 250-300 आदमियों ने धरना दिया था जब तो पुलिस हरकत में आयी। पुलिस थाने से तीन किलोमीटर की दूरी पर यह नृशंस हत्या हुई। वहां कूट-कूट कर मार दिया था एक पुलिस लाइन मैन को और उसी समय इत्तला दे दी गयी।

श्री रमजान ख़ान : खुले घूम रहे हैं अभी।

श्री हीरासिंह चौहान : और अभी खुले घूम रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ऑफ-हैंड कहना तो कुछ संभव है नहीं। माननीय सदस्य मुझे विस्तार से जानकारी देंगे, कब मुकदमा दर्ज किया गया, किस के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी और कब तफ्तीश बदली थी, आप मुझे सारे तथ्य देंगे

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

तो मैं उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : धन्यवाद, मंत्री महोदय। मैं आज ही इत्तला दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये। इनको इजाजत दी है, पहले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमाओ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने, चार अप्रेल को एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। आज 8 दिन बीत गये हैं वैसे साधारणतः तीसरे या चौथे दिन, सबसे माइल्ड प्रेक्टिस है पार्लियामेंट की ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और इस सदन में ना तो एक भी ध्यानाकर्षण आया है, न आप नॉन-आफीशियल डे रखते हैं, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगी कि आखिर कितने दिन हम इंतजार करें? 16 तारीख को मोहर्रम है, ताजिये दफन हो जायेंगे, इससे सम्बन्धित मामला है। 8 दिन बीत गये हैं और + + + मैं समझती हूं यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है और इस मामले पर...(व्यवधान) मैं बताती हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : एक बोल रहे हैं न अभी, आप बीच में कैसे बोल जाओगे?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हां, यह बोल लें, मैं नहीं बोलूंगा। आपकी इजाजत से बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। नहीं, मैं इजाजत दे नहीं रहा हूं न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं शहर के अन्दर 1826 के अन्दर तत्कालीन जागिरदार नर्सिंगदासजी ने शहर काजी को कर्बला के नाम पर 101 बीघा जमीन का पट्टा दिया था। उस पर काजीवाड़ा बस गया और करीब 20 बीघा खसरा नम्बर 545 और खसरा नम्बर 546, 20 बीघा जमीन पर कब्रिस्तान, ईदगाह और कर्बला, तीनों हैं। मजिस्ट्रेट के यहां से फैसला हुआ है 19.2....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप का जो ध्यानाकर्षण गवर्नमेंट को भेजा हुआ है उसकी जानकारी आने के बाद आप...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये। 16 तारीख को मोहर्रम हैं। ताजिये से सम्बन्धित मेरा मामला है। पिछली बार भी ताजिये दफन नहीं हुए थे। इस बार भी यदि ताजिये दफन नहीं हुए और वहीं पर खड़े कर दिये तो मैं समझती हूं कि सारे अल्पसंख्यक

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

समुदाय की भावना पर एक ठेस पहुंचेगी और साम्प्रदायिकता का रंग आ जायेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि या तो इसका जवाब आज दिलवाएं क्योंकि 13, 14, 15 और 16 चार दिन की छुट्टी है। 17 तारीख को यदि होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है।

इसलिए मैं चाहूंगी, यह बड़ा संवेदनशील मामला है। इस मामले के ऊपर आठ दिनों तक क्या हो रहा था। मैंने तो चार तारीख को नोटिस दिया है। अब तक सरकार का जवाब क्यों नहीं आया? सरकार इस बारे में कुछ कहना क्यों नहीं चाहती है? मगर आप कहने तो दें। मजिस्ट्रेट का फैसला है। गिरदावरी के अन्दर 2010 से 2049 तक लगातार उनतालीस साल तक करबला और कब्रिस्तान के उसमें दर्ज होती रही है लेकिन खातेदारी नहीं मिल पायी है। वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने लिख दिया कि यह हमारी जमीन है। कलेक्टर ने कह दिया कि इस पर आप बना लीजिए। कानून पढ़ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर अब पूरा ही बोल गये। क्या बचा फिर? (व्यवधान) ये रुकें तो बोलें न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बचा नहीं तो फिर ध्यानाकर्षण का मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तीन आपने...

श्री उपाध्यक्ष : यह कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है?

मोहम्मद माहिर आजाद : पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर आपकी व्यवस्था यह है कि तीन में सरकार का जवाब आ जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो आप बैठो न। हो गया आपका ध्यान। आर्डर-आर्डर। आप बैठिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार से जवाब दिलवायें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आठ-आठ, दस-दस दिन हो जाएं और अब आपने 13 तारीख की छुट्टी कर दी। अब हाउस मिलेगा 17 तारीख को और मोहर्रम 16 तारीख को है। वहां पर लोगों में इतना असंतोष है। जनाक्रोश इतना है। वहां का प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला है, गृह मंत्रीजी से मिला है और सारे अधिकारियों से मिला है। प्रशासन वहां ताजिये दफनाने की इजाजत देगा नहीं। आपने एडहॉक पुलिस चौकी बना दी वहां पर। उपाध्यक्ष महोदय, आठ नौ साल से इजाजत नहीं मिल रही। अब वे अल्पसंख्यक लोग इस उम्मीद में हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के वोट लेकर सरकार में बैठी है। कम से कम यह तो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हमारी सुनेगी और मोहर्रम और ताजिये दफनाने की इजाजत देगी। 16 तारीख को ताजिये उस जमीन पर जहां सौ साल से दफनाते आ रहे हैं वहां दफनाने के ऊपर लोग अडामेंट हैं और प्रशासन अगर इजाजत नहीं देगा तो टकराव होगा। कुछ भी अनहोनी हो सकती है और कोई भी जनहानि हो सकती है इसलिए हम आसन से मांग करते हैं कि आज आठ दिन हो गये हमको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हुए। आखिर इस सदन की कुछ तो गम्भीरता होनी चाहिए। तीन दिन में राज्य सरकार का जवाब आ जाना चाहिए। आठ दिन तक जवाब नहीं आ रहा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। हो गया न।

मोहम्मद माहिर आजाद : और मेरे पीछे आप इंजेक्शन लगाओगे तो इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए गृह मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी आज इस बात की घोषणा करें और प्रशासन को यह निर्देश दें कि मोहर्रम पर करबला मैदान में मोहर्रम और ताजिये दफनाने की इजाजत दी जाएगी और नहीं दी जाएगी तो हम विरोध में धरने पर बैठेंगे और ताजिये वहीं जाकर दफनायेंगे और जो भी कोई व्यवस्था बिगड़ेगी जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : कुछ तो जवाब आये। कुछ तो आप गम्भीरता से लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तब ही तो जवाब आवे न।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्या चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, लेजिसलेटिव प्रेक्टिस है।

श्री उपाध्यक्ष : बोल दिया न उन्होंने। आप बार-बार...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं आप कहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Why are you repeating? Let the Government say something. Let him say something.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं। कुछ कहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसकी ग्रेविटी आप समझें।

श्री उपाध्यक्ष : हां समझ गये न ग्रेविटी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कह रही है। आज की तारीख में स्टेटमेंट आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट कहेगी न आप विराजें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारा नम्बर ही नहीं लेते हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों बिराजें। आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप बैठिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां बैठने के लिए थोड़े ही आये हैं।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो मुद्दा उठाया है उसके सम्बन्ध में मुझसे डेलीगेशन भी मिला था। उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और कागजात भी दिये हैं और पिछला जो सन्दर्भ था वह भी उसमें सब लगा हुआ है। तमाम वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर से अविलम्ब इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए लिख दिया है, कह दिया है और जल्दी से जल्दी इस प्रकरण में जो वस्तुस्थिति है, कागजात की रिकार्ड की जो स्थिति है उसके सन्दर्भ में राज्य सरकार निर्णय लेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं। आज ही स्टेटमेंट आये उपाध्यक्ष महोदय। 16 तारीख को मोहर्रम है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं-नहीं। मोहर्रम तो 16 तारीख का है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 16 तारीख को है तो आज तो 11 तारीख ही है। और क्या चाहिए आपको? कह दिया न उन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे कह रहे हैं कि मोहर्रम हमेशा वहां पर दफन होते रहें हैं। आपने उसमें से इन्दिरा कालोनी का कुछ भाग खसरा नम्बर 546 की जमीन तो रोडवेज को दे दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न उन्होंने। जवाब आ गया न गवर्नमेंट का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या चाहिए ?

मोहम्मद माहिर आजाद : रोडवेज का आगार बना दिया। नहीं, जवाब कब आयेगा? 17 तारीख को आयेगा? हाउस 17 को मीट करेगा। आप टेलीफोन पर कलेक्टर से बात कर सकते हैं। टेलीफोन पर रिपोर्ट लेकर निर्णय लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं क्या? क्या कहा उन्होंने?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज देंगे जवाब।

मोहम्मद माहिर आजाद : 17 तारीख को क्या होगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यह कहा कि 16 तारीख पहले फैसला करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं-नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आज जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दस दिन से लोग घूम रहे हैं। दस दिन पहले इनको ज्ञापन दे दिया और वह जवाब कब आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष : You cannot force the government.

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज जवाब आना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज जवाब आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ गया न।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या जवाब दिया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आया है कि कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है और 16 तारीख से पहले इसका फैसला कर देंगे। यही जवाब है और क्या जवाब होगा? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, सारे लोगों में असंतोष है। संवेदनशील, परदर्शी और जवाबदेह सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो बिलकुल जवाबदेही है। सरकार जवाब देगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आठ दिन में जवाब नहीं आया? दस दिन पहले कागजात दे दिये। उसका जवाब नहीं आया। जवाब कब आयेगा? 17 तारीख को मोहर्रम के बाद आयेगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ गया न। 16 तारीख पहले गवर्नमेंट इस पर डिसीजन करेगी। यह कह दिया गवर्नमेंट ने। और क्या चाहिए आपको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : 16 तारीख को मोहर्रम है। 17 तारीख को आप क्या करेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आप आज ही जो भी कोई निर्णय हो, वह निर्णय कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार कोई फैसला करे कि वहां मोहर्रम तो दफनाने दें।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न 16 तारीख से पहले फैसला कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मोहर्रम ताजिये तो वहां दफनाने की इजाजत दें। लोग ताजिये को लिए घूमते रहेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत ही दे देंगे तो फिर फैसला क्या करना है? यह तो फैसला हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या जवाब दें दिया? यह तो बात आपने कही थी। इन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट मांगी है। जवाब आ रहा है। जवाब कब दे दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट इन्क्वायरी कर रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, कब से कर रही है?

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न 16 तारीख पहले कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, 16 तारीख पहले तो हाउस ही नहीं मिल रहा है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस नहीं मिल रहा है तो उससे क्या होता है?

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारी इसी से समस्या का हल होता है। (व्यवधान) आपको विरोध करना है हर बात का तो अलग बात है। यह कोई बात नहीं है। हम आपके मामले में बोलते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। प्लीज अब बैठिए आप। You cannot do anything more than this.

श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले की गम्भीरता को आप लें। लोग मोहर्रम पर ताजिये को...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं के अन्दर जहां ताजिये पर ढोल तासे बज रहे हैं। वहां हर जगह एक ही चर्चा है कि 16 तारीख को हमारे ताजिये जहां दफ़नाने चाहिए अगर वहां नहीं दफ़नाने दिये गये...

मोहम्मद माहिर आजाद : अजीब बात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी क्यों जवाब नहीं देते। मुख्य मंत्रीजी से प्रतिनिधि मण्डल मिला है, गृह मंत्रीजी से मिला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा नम्र निवेदन कर रहा हूं, वहां पर कानून और व्यवस्था संभलेगी नहीं। यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। और यह आज की बात नहीं है पिछले दस दिनों से जुड़ा हुआ सवाल है। और यह आज की बात नहीं है पिछले दस दिनों से उन्होंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। मुख्य मंत्रीजी से मिले, गृह मंत्रीजी से मिले...

मोहम्मद माहिर आजाद : रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब जिला कलेक्टर को कहते हैं तो जिला कलेक्टर कहता है कि मैंने पूरी रिपोर्ट राजस्व मंत्रीजी महोदय को भेज दी है। मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले को छोटा नहीं समझें। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सरकार जो अल्पसंख्यकों के वोट से है और उनकी हिमायती सरकार बनती है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप तो कह दो। इनका तो हाल यह हो गया। आप तो कह दें। (व्यवधान) डांक्टर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चन्द्रभानजी मेरे साथ एक करबला मैदान में गये थे और ऊर्जा मंत्रीजी ने घोषणा की थी। (व्यवधान) आज ये सरकार में बैठे हैं। यह भी आज इस बात का समर्थन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको और बोलना है या खतम हो गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोगों की भावनाओं और हित का मामला है उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले कांग्रेस के राज में वहां मोहर्रम दफन होते रहे हैं। बी.जे.पी. के राज में कम ही हुए थे। अब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गयी। इनको दफनाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : हम समर्थन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए प्लीज। (व्यवधान) हां, सुनेंगे। पहले यह तो निपटा दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सरकार का जवाब आने तक धरने पर बैठ रही हूं।

(माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह का सदन के वैल में धरना)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारी नेता हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की वरिष्ठतम सदस्या धरने पर बैठ जाएं और यह सरकार...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आज प्रोविजनल मोहर्रम दफनाने की ओर लाठियां दफनाने की इजाजत दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर आसन इजाजत नहीं देता और सरकार जवाब नहीं देती तो सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीति के विरोध में मैं भी धरने पर बैठता हूं।

(माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद का सदन के वैल में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : आप कितने धरने पर बैठना चाहते हैं? (व्यवधान) आप क्या चाहते हो? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में माननीय सदस्यों को और सदन को अवगत कराया है कि सरकार इस पूरे मुद्दे से अवगत है और पूरी तरह से इसकी गम्भीरता को समझती है और पूर्व में जो प्रतिनिधि मण्डल आया उसके साथ में माननीय सांसद भी आये थे। उन्होंने भी...(व्यवधान)

श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अपनी सरकार इसमें सहयोग नहीं करेगी, कांग्रेस की ही सरकार ऐसे काम

(श्री भंवर सिंह)

में सहयोग नहीं करेगी तो कौन करेगा? ऐसे मामलों में किसी भी धार्मिक भावना वाले लोगों को हमें नहीं रोकना चाहिए। जहां सौ साल से यह कार्य हो रहा है। उसकी मैं भी ताइद करता हूं, सरकार को भी करनी चाहिए और उसमें मदद करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको भी धरने पर बैठना चाहिए।

श्री भंवर सिंह : हमदर्दी रखकर मदद करनी चाहिए। सुमित्राजी की बात को मैं ताइद करता हूं।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहत स्पष्ट रूप से और पूरी क्लेरिटी के साथ में मैंने निवेदन किया है कि एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था उनके साथ सांसद महोदय भी पधारे थे। उन्होंने भी उसका सारा विवरण दिया और जो स्थिति है सरकार उसके बारे में पूरी तरह से चिन्तित है और अवगत है और यथासमय उसका निर्णय कर दिया जाएगा। तत्परता से उसका ब्यौरा ले लिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कह दीजिए कि 16 तारीख से पहले कर देंगे आप। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, 16 तारीख से पहले का ही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं। यह सवाल नहीं है।

श्री भंवर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आठ साल हो गये। हमारे शासन में भी दूसरी साल जा रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहत बड़ा विरोधाभास है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कह दें कि इस पूरे प्रकरण का फैसला 16 तारीख से पहले कर दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : मोहर्रम तो 16 तारीख को है उससे पहले करना ही पड़ेगा न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह कह रही हैं कि यथाशीघ्र। यथाशीघ्र की क्या परिभाषा है।

श्रीमती कमला : आप यह फर्जी सहानुभूति दिखाकर क्या लूटना चाह रहे हैं? दो बार कह दिया उसके बाद भी आप जानबूझकर मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : यह संवेदनशील सरकार है। आप घोषणा कर दें कि ताजिये वहां दफनाये जायेंगे...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसे संवेदनशील मामले के अन्दर हाउस को भी...(व्यवधान)

श्री भंवर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सहानुभूति का मामला नहीं है यह एक वर्ग विशेष के हक का मामला है उनको आप

(श्री भंवर सिंह)

हक दिलवाइये। सवाल हक का है यहां सहानुभूति लेने का मामला नहीं है। कोई भी सहानुभूति नहीं लेना चाहता। किसी वर्ग विशेष का हक है उसको आप दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, (व्यवधान) प्लीज आप बैठिये। आप एक मिनट बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की पालना नहीं हो रही है। यह निरंकुश होते जा रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये...(व्यवधान) एक मिनट। आर्डर प्लीज। यह इश्यु हाउस में है। यह इश्यु जो उठा है माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि इसका फैसला यथा समय कर दिया जाएगा, 16 तारीख को मोहर्रम है...(व्यवधान) सुनिये, पूरी बात तो सुनिये। 16 तारीख को मोहर्रम है नैचुरली गवर्नमेंट को उसके पहले फैसला करना पड़ेगा। इसमें क्या बात है। मैं कह रहा हूं ना आप बैठिये। (व्यवधान) फैसला होगा उसमें क्या बात है। यह तो इम्प्लाइड है। इसमें क्या बात है कामनसैंस की बात है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष जी ने कह दिया फिर क्या बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट फैसला करेगी जो भी फैसला होगा/ गवर्नमेंट करेगी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष जी ने गारंटी दे दी अब और क्या चाहिए। अब तो चलने दो सदन को (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, (व्यवधान) इम्प्लाइड आ जाएगा ना फिर क्या बात है। करेगी, करना ही पड़ेगा फैसला गवर्नमेंट को इसमें क्या बात है इम्प्लाइड है...(व्यवधान)

श्रीमती जकिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लेना चाहूंगी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष जी ने गारंटी दे दी दुबारा क्यों जा रहे हो बैठने के लिए। अब तो उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, 16 तारीख मोहर्रम से पहले फैसला कर देंगे, 16 से पहले कर देंगे।

(मोहम्मद माहिर आजाद एवं श्रीमती सुमित्रा सिंह का धरना समाप्त)

श्री रामस्वरूप : संवेदनशील सरकार है हमारी इतनी जल्दी आपकी बात को सुन लिया। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहती हूं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या विरोधाभास है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिला कलेक्टर ने...

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज बिराजिये। यह सब्जैक्ट क्लोज हो गया। नहीं प्लीज सिट डाउन यह बात समाप्त हो गयी है। मैंने कह दिया उसके बाद यह समाप्त हो गया। आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं आप प्लीज बिराजें। हो गया ...(व्यवधान) हो गया बहुत हो गया। जिस मैम्बर ने उठाया था वह मैम्बर सेटिस्फाइड है फिर आप काहे को बोल रहे हैं? She is satisfied. Why are you speaking now ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : No, she is not satisfied.

श्री उपाध्यक्ष : She is satisfied इसलिए उठकर वहां गई हैं वरना क्यों गई? she has gone from here to there.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Once a matter is placed before the House, it becomes the property of the House.

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। माननीय कटारिया जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Every member of the House is equally concerned about it.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नियम यही है कि स्टेटमैंट सरकार की तरफ से आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आ गया ना तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह स्टेटमैंट आया है?

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना सरकार ने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या स्टेटमैंट हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : वही बात है समझ में ही नहीं आ रही...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : समझने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठों तो सही।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों का यह गम्भीर मुद्दा है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्क्ष : ध्यान आकर्षित ऐसे नहीं होता। बिराजो आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ऐसे कैसे नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मर रहे हैं राजस्थान के किसान।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आ रहा है ना तब बोल लेना।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा तीन साल तक के बछड़े को राजस्थान प्रदेश से बाहर ले जाने पर रोक लगायी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आएगा तब आपको बुलवायेंगे ना ...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर आता नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जो रोक लगायी गयी है उसके सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको इस विषय पर बोलने का मौका देंगे। बिराजों प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीं जी ने कहा कि मैं कलेक्टर से सूचना लूंगी और कलेक्टर यह कहता है कि सूचना भेज दी है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को यह बात हो गयी खतम, why are you opening the issue now ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इस पर गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया फैसला मैंने कह दिया जब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, फैसला कहा हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल हो गया, 16 तारीख पहले इसका फैसला कर देगी गवर्नमेंट. फिर क्या चाहिए आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड है। शाम को चार बजे, पांच बजे, छह बजे इसका जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं देगी जवाब। नहीं देगी गवर्नमेंट जवाब। You cann't force the government to reply. You cann't force.

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका मतलब क्या हुआ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी, न्यूमेरिकली हम लोगों की संख्या कम है...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलियों की सुन लिया करो तीसरे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : संख्या कम का सवाल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यही है सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नियम का सवाल है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यही सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह कहा कि गवर्नमेंट फैसला करे कि 16 तारीख पहले

(श्री उपाध्यक्ष)

इसका फैसला कर देगी। गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दिये हैं कि 16 तारीख पहले इसका फैसला कर देगी फिर क्या चाहिए आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं यही सवाल है आप क्वश्चन अवर तक सस्पैंड करते हैं नहीं अगर बी.जे.पी. वाले चाहते या करते ना तो आप क्वश्चन अवर भी नहीं करते...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : You cann't force the government कि स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। You cann't force.

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं टोटल ध्यानाकर्षण के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना।

मोहम्मद माहिर आजाद : टोटल ध्यानाकर्षण के लिए क्या व्यवस्था है? ध्यानाकर्षण का जवाब कितने दिन में आ जाया करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या जवाब चाहिए आपको, आ गया ना जवाब।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज जवाब आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या जवाब चाहिए आपको?

मोहम्मद माहिर आजाद : जितने ध्यानाकर्षण लगे।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ गया ना इसका तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई प्रोसीजर तो होना चाहिए। क्या तो उसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि तीन दिन में जवाब आएगा, पांच दिन में जवाब आएगा, सात दिन में आएगा। आज हाउस को चलते इतने दिन हो गये, एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लगा। उपाध्यक्ष महोदय, फिर ध्यानाकर्षण का मतलब क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : एवरेजन उसका जवाब मंगाने की कोशिश...(व्यवधान) उसकी व्यवस्था करेंगे।

मोहम्म माहिर आजाद : फिर हम 131 के नियमों में अपने प्रस्ताव देते किसलिये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : उसकी व्यवस्था करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : पूरे सैशन में हमने पिछले सैशन ने दिया उस तक का जवाब आज तक नहीं आया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो हर बात मुख्य मन्त्री जी जैसे कोई खिलौना हो जैसे बात करते हो। क्या बात हुई यह। Why do you ask the Chief Minister every time ? No, you are not allowed.

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : You cann't ask.

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कांग्रेस के मैम्बर्स भी एसोसिएटेड हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही आपको बोलने देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जो राजस्थान के किसानों की समस्या है उसको आप नहीं कहने देते हो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खिलौना भी हिलाने से बोलता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी आप बोलिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी आप देखिये...

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू कीजिये। आप हर बात में मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री क्या बात करते हो। आप। आप कटारियाजी शुरू करिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी सुन लीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कोई गम्भीर विषय नहीं है...(व्यवधान) आप अंकित नहीं करें। बंद कर दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आएगा जवाब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि जवाब नहीं आएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : You cann't force the government. गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जिसने उठाया वह सैटिस्फाई हो गये आप इसको बेकार ही लम्बा कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट ने कह दिया कि 16 तारीख पहले इसका डिसीजन कर देंगे फिर क्या जवाब चाहिए आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना सेटिस्फाई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : They are satisfied.

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री यशवन्त सिंह : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बात कहते हैं वो आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ, काहे की नहीं सुनते। आपको बुलवायेंगे ना। कह तो रहे हैं आपकी पर्ची है। उनकी पर्ची है नम्बर आने दो उनको बुलवायेंगे। नम्बर तो आने दो। माननीय सदस्य उन्होंने पर्ची दी हुई है उनको बुलवायेंगे अभी। यहीं तो कह रहे हैं ..(व्यवधान) आपको भी देंगे ना मना किसने किया है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बीच में कहां आ रहा हूं आप आ रहे हैं बीच में।

श्री उपाध्यक्ष : समझ ही नहीं रहे हैं, बुलायेंगे ना आपको। माननीय कटारियाजी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, न्याय करो।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने देंगे। तसल्ली तो रखो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ इस सदन में और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सोचकर कि कोई विषय हमने उठा दिया या किसी दूसरे ने उठा दिया उस पर कोई एडामेंट होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही गम्भीरता से विषय को लेना चाहिए कि हम वास्तव में जिसने कानून को तोड़ा है, कानून के रखवाले ने उसके साथ हमको उस सख्ती से बर्ताव करना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति या किसी संस्था का सवाल नहीं है। यह जो खैरवाड़ा की घटना हुई यह बात सच है कि उसके पति की हत्या में उसको पकड़ा गया। इसमें कोई दौराय नहीं। महिला पुलिस जाकर के उसको लेकर आयी इसमें भी किसी प्रकार की शंका नहीं। महिला पुलिस स्वयं उस थाने में उपलब्ध थी। पूरे समय तक रही लेकिन उस महिला को लाकर के पहले तो उसे कोटड़ी में बंद किया गया जो कुछ उससे पूछना था उसके बाद सवाल यह आता है कि रात को उसको कोटड़ी से निकालकर के दूसरे कमरे में लाने का काम महिला पुलिस ने क्यों किया? घटना यहां से प्रारम्भ होती है और बदनियती जो पुलिस की है वह यहां से प्रारम्भ होती है। अगर उससे पूछताछ करके उसको कोटड़ी में बंद कर दिया वह कोटरी में बंद रहती सवेरे उसको कोठरी से खोलते। जो भी आपको प्रोसीजर होता वह करते लेकिन उसे उस कोठरी से खोलकर आप दूसरे कमरे में

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लाकर उसको सोने के लिए क्यों कहा गया। उसको लाने वाली वही महिला पुलिस है जो उसको गिरफ्तार करने भी पुलिस के साथ गयी थी और गिरफ्तार करके लायी थी। यद्यपि उसका पिता भी उस थाने में मौजूद था और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई जिस घटना को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि अगर आप वहां मौका जाकर भी देखें तो आपको लगेगा कि वह थाना अपने आप में इतना एकान्त है कि उसके कहीं आस पड़ौस भी नहीं। उसके पिता को भी उस थाने से रवाना कर दिया गया और उसकी अनुपस्थिति में एक तरह से और पता नहीं कब उसको, पिता को वहां से रवाना किया। और उसके साथ पुलिस के कांस्टेबल ने, दो लोगों ने और उसके कोई साहब नाम से जानती है वह महिला किसी को नहीं जानती, वह कहती है कि 50 छोड़कर एक हजार लोगों में खड़ा कर दो तो मैं इन तीनों को पहचान सकती हूं जिन्होंने जबरन मेरे साथ यह कुकर्म किया। अब उस महिला ने भय के कारण से नहीं बताया पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। यह बात सच है कि उसको मजिस्ट्रेट के समाने कहना चाहिए परन्तु न तो उसकी इतनी समझ थी, गांव की महिला थी, न बहुत जानकारी थी, उसे जेल में भेज दिया गया और जेल में जब वह अपने सहयोगी कैदियों के साथ रही और उसमें और जो महिलाएं थीं उनसे जब उसकी आपस में बात-चीत हुई तो उसका थोड़ा भय खुला। उसने अपनी सहयोगी जो कैदी थी उनको उसने बताया कि मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य 1 तारीख की रात्रि को 11 बजे के लगभग 11 और 11.30 हो सकते हैं, समय में कोई अन्तर भी हो सकता है, इस प्रकार की घटना हुई, तो वह कैदी क्योंकि पहले से उस जेल में रह रहे थे उन्हें पता है कि किस प्रोसीजर से इस बात को आगे बढ़ाया जाये। तो उन्होंने वहां जो बोहरा, जो जेल का इन्चार्ज है, क्योंकि इस समय वहां कोई इन्चार्ज जेल का व्यक्ति नहीं है तो उसको चार्ज दिया हुआ है। यह घटना दूसरे दिन जब बोहरा को बताया गया तो एडी.एम. है वह, उस बोहरा ने सारे के सारे बयान लिखित में लिये और लेने के बाद उसने कलेक्टर को बताया कि ऐसे-ऐसे महिला अपने घटनाक्रम को बताती है। और उसके आधार पर फिर उन्होंने उदयपुर के जेल सुपरिटेंडेंट को, जो महिला है, उसको बुलाया और उसके सामने उसके सारे के सारे बयान हुए। इन बयानों के आधार पर कलेक्टर ने और एस.पी. ने इसके बारे में पुलिस की इसमें जो भी घटना हुई, उसको प्रेस के सामने भेज दिया। मतलब यहां भी किसी का कोई मन्तव्य नहीं है किसी को छिपाने या नहीं छिपाने का लेकिन मैं यह समझता हूं कि यदि आज कोई साधारण व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दे तब तो पुलिस तुरन्त

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई बिना जांच करे इज्जतदार हो या इज्जतदार ना हो, तुरन्त गिरफ्तार करके उसको ले आती है। वहां तो कानून अलग है चूंकि यहां उसने अपने सारे बयान, उसकी मेडिकल जांच हो गई उसने जिन कपड़ों को कहा, वह कपड़े प्रिजर्व करके आपने उसको जांच के लिए भेज दिया। मैं चाहता हूं कि केवल थाने से उसको लाइन हाजिर करना यह पुलिस प्रशासन के ऊपर और हम सबके ऊपर एक प्रश्नचिह्न बन जायेगा अगर हम इस प्रकार का दोहरा मापदंड कोई फांसी नहीं लगने वाली है। अगर हम उनके साथ जैसा उन्होंने किया उसी उन पर कार्यवाही होगी। तो व्यवस्था है 164 के बयान कराये जा सकते हैं।

घटना एक तारीख की और जानकारी पांच तारीख की रात को मिली और छह तारीख को यह प्रक्रिया शुरू हुई। मैं स्वयं जेल में जाकर उस महिला से मिलकर आया हूं मैंने उससे बात-चीत की। जो कुछ मैं अपनी समझ से कह सकता हूं कि उसके बयान से और उसके बर्ताव से लगता है कि निश्चित रूप से घटना उसके साथ हुई है। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है यह आपके सोच का विषय है और आपके इंवेस्टीगेशन का विषय है। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि किसी निर्दोष को, जबरदस्ती उसने कह दिया उसको फांसी चढ़ा दो यह भी मेरा कहना नहीं है। लेकिन यह सवाल जरूर है कि इस प्रकार की घटना जब कलेक्टर ने स्वयं ने प्रेस में ब्रीफ की हो और सम्पूर्ण समाज ने, उसे अखबार के माध्यम से सारे राजस्थान ने उसको पढ़ा हो, और उसके बाद इतने दिन कार्यवाही करने में लग जाये तो जनता निश्चित रूप से संदेह की दृष्टि से प्रशासन को देखेगी और यह सोचेगी कि चूंकि पुलिस वालों ने बलात्कार किया इसलिए उन पर जुर्म, कार्यवाही नहीं हो सकती है। उसके पिता, मेरा सौभाग्य यह था कि उसका पिता भी मुझे बाहर मिल गया। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने यह बात कैसे कही कि मैं नहीं जानता हूं, मैं तो वहीं था, नहीं था, बोले मुझे पुलिस वालों से डर लगता है। मेरी लड़की तो अंदर है, मेरी तो अकेली बच्ची थी यह। यह जो घटनाक्रम बतां रहे हैं ना कि उसने पहले पति को कूड़े में डाल दिया, सब बेकार की बात है। कोई नहीं है इस प्रकार की घटना। इस घटना में जरूर उसके ऊपर उसने केरोसीन डालकर पति को जलाने वाली बात कहीं जाती है। क्या चीज सच है यह सब इंवेस्टीगेशन से पता लगेगा लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार का जघन्य अपराध अगर हो जाये उसके बारे में हम इतना समय निकाल दें। सारे अधिकारी चले गये उन्होंने जाकर मौका पर्चा देख लिया सारी चीजें हो गई 164 के बयान करते ही निश्चित रूप से उन लोगों को तुरन्त गिरफ्तार किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाये ताकि हम एक मैसेज समाज में दे सकें कि इस तरह का जघन्य अपराध, वह भी रक्षक-भक्षक बनकर खा जाये इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कोई मुल्जिम हो सकती है, अपराधी हो सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि थाने में उसके साथ रेप किया जाये। यह छूट उनको नहीं मिलें सकती। उसने जो अपराध किया उसकी सजा उसको फांसी मिले, मिले कोई चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि उसके कारण से उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध कर दें और उसके बाद भी हम रेंगतें-रेंगते चलें और कितना समय निकाल दें। हमने इसकी सूचना इतने दिन पहले दी आपको चलाकर अपनी तरफ से यह बात कह देनी चाहिए कि हमने यह सब कर दिया, 164 के बयान, बाकी सारा मेडिकल हो गया सब कुछ चीज हो गई। उसके बाद आपको आगे की कार्यवाही, मेरी आपसे प्रार्थना है, कि निश्चित रूप से जिन मुल्जिमों को जो नामजद देनी है उनको निश्चित रूप, गिरफ्तार करके कार्यवाही को आगे प्रारम्भ किया जाये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथ्य तो बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे, एक हद तक तो सही हैं। किसी को मुल्जिम बनाने के पहले सभी साक्ष्य को जुटाना आवश्यक है और जब यह घटना सरकार के ध्यान में लाई गई उसी दिन हमने केस रजिस्टर करवाया। यहां से सीनियर ऑफिसर क्राइम ब्रांच के मिस्टर ढिल्लो को वहां भेजा और हमने इन्वेस्टीगेशन की प्रक्रिया को पूरी करवाई। जो साथिनों ने बयान पहले दिये थे, अब जो बयान दिये हैं, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कहीं न कहीं विरोधाभास उसमें नजर आता है। जो कपड़े उसने सुरक्षित रखे थे वह हमने यहां पर एफ.एस.एल. में जांच के लिए स्पेशल मैसेंजर से भेज दिये हैं। एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आने के तुरन्त बाद, अगर इस तरह का कथित सत्यता में परिवर्तन नहीं होता तो सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी जो सख्त से सख्त कार्यवाही उसके खिलाफ की जा सकती है उसमें कहीं नहीं हिचकिचायेंगे और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रकरण में सरकार, किसी का दोष साबित होने पर निष्पक्षता से उसके खिलाफ कार्यवाही करवा रहे हैं और जांच में दोषी होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे किसी को नहीं बख्शेंगे चाहे बड़ा से बड़ा आदमी, थानेदार तो क्या अगर डीवाई एस.पी. और दूसरे एडिशनल एस.पी. होंगे, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में नहीं हिचकेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा की पंचायत

(श्री उपाध्यक्ष)

समिति इटावा में अनियमित विद्युत आपूर्ति से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची के केसुली एवं डायलाना कतला में पानी हेतु कुएं खोदने के संबंध में।

(3) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गांवों के विद्युतीकरण में बरती जा रही लापरवाही के संबंध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों एवं अन्य सैनिकों की सहायता हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष में जमा हुई राशि का समुचित उपयोग नहीं होने के संबंध में।

(5) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से रायपुर पंचायत समिति की मगरा विकास योजना का कार्य जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत करने के संबंध में।

(6) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री देवीलाल, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र शाहपुरा में अपूर्ण पड़ी सड़कों का कार्य पूर्ण करवाने के संबंध में।

(8) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कठूमर कस्बे में रैफरल अस्पताल खोलने के संबंध में।

(9) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद की सड़कों की दुर्दशा के संबंध में।

(10) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य की ओर से जिला बारां की पंचायत समिति शाहाबाद के ग्राम महोदरा में पेयजल की भयंकर समस्या के संबंध में।

(11) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से बीसलपुर सिंचाई परियोजना के मुख्य बांध की कुल भराव क्षमता का पानी नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री कय्यूम खान, सदस्य की ओर से पंचायत समिति मसूदा में पेयजल संकट होने के संबंध में।

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज जो डिमांड है वह बहुत महत्तवपूर्ण है और काफी समय लगेगा इसलिए आपकी इजाजत हो तो इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आ गया ना नम्बर सन्तोष रखो जल्दीबाजी क्यों करते हो।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान के किसानों की पशुधन समस्या

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्रीजी नहीं है, मुख्य मंत्रीजी अभी विराजे थे, नहीं है। राजस्थान के किसानों की ऐसी गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अधिकांश लोगों का मुख्यतया धंधा खेती और पशुपालन है और उपाध्यक्ष महोदय 27.1.2000 से हमारे जिले में ऐसे तो अधिकांश जिलों में लोग पशुपालन का धंधा करते हैं। लेकिन हमारे जिला नागौर पर एक ऐसी गाज गिरी 27.1.2000 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक स्टे दिया कि 3 वर्ष तक का बछड़ा न हो जाये जब तक इसको प्रदेश के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। हमारे जिले में कई बड़े-बड़े मेले लगते हैं। वैसे ही अकाल की स्थिति है। लोगों ने पहले ही गायों को छोड़ रखा है। और यह स्टे होने के बाद उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूं कि इन मेलों में जितने भी ग्राहक आये उन्होंने कोई खरीददारी नहीं की पशुओं की, गायों की। पहले ही दुर्दशा और इस स्टे से अब नागौर जिले के परबतसर, नागौर, डेगाना, मेड़ता, बकरी, ढोढुआ, रैण अनेक स्थानों में छोटे, और एशिया में बड़े मेले भी लगते हैं। तो इन मेलों में किसी प्रकार की पशुओं की बिक्री नहीं हुई। अकाल में किसानों की यह हालत है। दो फसल तो वह जमीन से लेते थे और एक फसल वह मेलों की मानते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोग मेलों से रोते आये हैं वापस। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि तीन वर्ष तक का बछड़ा काबू में नहीं रखा जा सकता, वह तो सांड हो जाता है। इस कानून में संशोधन करके जो रोक हाई कोर्ट ने लगायी है, जो बछड़े खेती के लिये ले जाये जाते हैं उनका किसी भी कानून में संशोधन करके परमिट दिया जाये, या कैसे भी किया जाये। राज्य सरकार इस मामले में किसानों की मदद करे और किसानों का जो पशुधन समाप्ति की ओर जा रहा है, हमारा जिला विशेषकर पशु नस्ल के लिये विख्यात है उस धन को बचाया जाये। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर...(व्यवधान) डा. किरोड़ी लाल...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस बात पर मैं भी दो मिनट बोल दूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। मंत्रीजी बोल रहे हैं अभी। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पशुपालकों से जुड़ा हुआ विषय है। मंत्रीजी तो पहले भी यह आश्वासन इस हाउस में दे चुके हैं...

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं वह तो...

श्री देवीसिंह भाटी : जब जनवरी से यह मामला राज्य सरकार के सामने आ गया। अकाल की विभीषिका है, आज पशुपालक उसको चारा डालने की स्थिति में नहीं है और बछड़ों के लिये जहां-जहां भी मेले लगे हैं मैं खुद जैसलमेर में गया हूं। पहली बार एक सरपंच ने प्रयास करके तांडाणा में मेला लगवाया। व्यापारियों को बुलवाया और उस पूरे पशु मेले में उसके अनुनय विनय के बाद में एक ठेकेदार मात्र एक रुपये में एक बैल खरीद कर ले गया। यह सारी स्थिति सामने आती है। यह सारी स्थिति बाद में आती...

श्री उपाध्यक्ष : उनको सुनो तो सही। सुनो ना उनको।

श्री देवीसिंह भाटी : आश्वासन तो देंगे ही यह अभी कि हम कार्यवाही कर रहें हैं। जनवरी से यह मांग है। उपाध्यक्ष महोदय, अब आपसे हम चाहेंगे कि आप प्रोटेक्शन दिलायें, निर्देश दें कि इसको सात दिन में कानून में परिवर्तन कर देंगे...

श्री उपाध्यक्ष : देते हैं, देते हैं। अब बिराजो।

श्री मोहनलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह नागौर जिले के बछड़ों का मामला है। तीन हजार बछड़े बंदी बनाये हुये हैं। चारे की गंभीर समस्या है...

श्री देवीसिंह भाटी : आप कृपा करके मदद कीजिये...

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले उनको सुन लो उसके बाद मैं कहूंगा ना... (व्यवधान) आर्डर-आर्डर...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, नागौर में तीन हजार बछड़े दो महीने से राह तक रहे हैं। उनको मुक्त कराने के लिये सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हम बार-बार निवेदन कर रहे हैं। बछड़े भी परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, प्रशासन परेशान हो रहा है...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, पहले भी मैंने निवेदन किया था कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी बिराजो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं उनकी चिन्ता से सहमत हूं और मैंने आश्वासन भी दिया था कि सरकार इस सम्बन्ध में कि बछड़ों को खेती के काम के लिये राजस्थान से बाहर भेजा जा सके इसके सम्बन्ध में हमने एस.एल.पी. भी दायर की है और एस.एल.पी.

(श्री हरिसिंह)

में अभी समय लग रहा है इसीलिये हम इसमें जो आवश्यक कानून में संशोधन है इसको शीघ्र ही लाने पर विचार कर रहे हैं। यह केवल आश्वासन नहीं है बल्कि इसको क्रियान्वित करने के लिये जा रहे हैं हम। यह समस्या असल में पैदा इसलिये हुई कि कानून तो पिछली सरकार के समय का बनाया हुआ है। और जहां तक उसमें कि बध के लिये बछड़े बाहर नहीं जायें, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि हम बध के लिये बाहर नहीं ले जाना चाहते। उसकी इजाजत भी नहीं देंगे। लेकिन खेती के काम के लिये, बात सही है कि तीन साल से कम उम्र के बछड़े भी बाहर जा करके खेती के काम में आ सकते हैं। इस सम्बन्ध में अमेंडमेंट करने का सरकारें विचार कर रही है और विचार ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि शीघ्र ही इस पर कोई न कोई निर्णय लेकर सदन के सामने हम आयेंगे। यह समस्या इसीलिये पैदा हुई कि कुछ बछड़े बाहर जा रहे थे। उसके सम्बन्ध में एक बड़ा जन आन्दोलन हुआ और विश्व हिन्दू परिषद या किसी औरों की तरफ से आन्दोलन शुरू हो गया, और उस आन्दोलन की वजह से वह सब कार्यवाही एक प्रकार से रुक गयी। हाई कोर्ट के सामने वह लोग गये तो हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि तीन साल से कम उम्र के बछड़े खेती के काम में बाहर नहीं भेजे जा सकते इसीलिये यह समस्या पैदा हुई है और मैं समझता हूं इसका निराकरण करने के लिये यह सरकार शीघ्र ही कार्यवाही करने जा रही है...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इनके पास में पूरा लीगल सैक्शन है। मय सेक्रेटरी को बैठा रखा है। क्या एक दिन के अन्दर यह व्यवस्था नहीं हो सकती? पशुपालकों की इतनी बड़ी समस्या है। हम चाहेंगे कि आप कृपया निर्देश दें कि सात दिन के अन्दर यह ले जायें हाउस के अन्दर...(व्यवधान) कानून में संशोधन करना इतना क्या लम्बा चौड़ा हो रहा है...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : यह 20-20, 30-30,000 की जोड़ी के बैल हैं। बछड़ों की हत्या हो रही है, चारा नहीं मिल रहा है, प्रशासन परेशान हो रहा है। यह...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बहुत बड़ा आन्दोलन किया था उसके ऊपर। यह बहुत बड़ा आन्दोलन आपकी तरफ से हुआ था। यह तो आपकी करामात है इसलिये हो रहा है। इस तरह से हो रहा है...

श्री देवीसिंह भाटी : आपने क्यों मोहर लगायी...(व्यवधान)

श्री अमीन खान : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट...(व्यवधान) एक्ट ही जो बना है यह बीमारी वहां से पैदा हुई है। अभी भी मंत्रीजी आप कहते हो हम संशोधन करेंगे। खेती के लिये यह बछड़ा ले जा रहे हैं, या कटाने के लिये ले जा रहे हैं,

(श्री अमीन खान)

इसका प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा और इस जोखिम में कौन पड़ेगा? जब तक यह एक्ट कायम है, देवीसिंहजी, आप उस मंत्रिमण्डल में मौजूद थे, यह एक्ट पशुपालन धंधे के लिये तबाही का एक्ट है और इससे तबाही होगी। कौन प्रमाण पत्र देगा कि यह बछड़ा खेती के लिये ले जा रहे हैं या कटाने के लिये ले जा रहे हैं। कौन जोखिम में पड़ेगा। कोई जोखिम में नहीं पड़ेगा। कोई जोखिम नहीं लेगा...

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे समय का जो एक्ट बना है उसके अन्दर सारी प्रक्रिया दी हुई है...

श्री सांवर लाल : हमारे समय में कभी भी इस प्रकार की समस्या नहीं आयी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थिति से वाकिफ हो? अब वहां काहे को इस पर चर्चा कर रहे हैं? You know the whole thing.

श्री अमीन खान : और गाय को...(व्यवधान) जिस तरह से खड़ी हैं इस तरह लोग छोड़ रहे हैं। अकाल का भी मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : क्या फायदा मिलना है बोलने से...

श्री अमीन ख़ान : आइंदा राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गाय का धंधा लोग छोड़ देंगे। गाय से लोगों को टके की आमदनी नहीं है सिवाय दूध के। दुधारू गाय जब देखते हैं नील गाय को जिस तरह से लोगों ने खेतों में छोड़ दी है, इस जमाने में भी गाय आवारा घूम रही हैं। अकाल में गाय आवारा घूम रही है। यह कटारियाजी विश्व हिन्दू परिषद में जाकर गायों का बंदोबस्त करें अन्यथा गाय पालक का कोई धंधा ही नहीं रहेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। डा. किरोड़ी लालजी।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हमारा सांचोर में, रानीवाड़ा में जो पशु मेला लगता है...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। खतम हो गयी बात। बिराजिये प्लीज। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : उस मेले में गुजरात के और मध्य प्रदेश के कई लोग बछड़ों को खरीद रहे हैं और वह खेती के काम में लिये जा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। हो गयी ना बात। हां-हां, खेती के काम में लेंगे...

श्री रतनाराम चौधरी : यह नहीं है सारे बछड़ों को तो...(व्यवधान) ले जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। डा. किरोड़ी लाल।

श्री रतनाराम चौधरी : और हर साल मेला भरता है। मेला भी है हर साल सेवाड़िया पशु मेला और सांचोर पशु मेला उसमें अधिक काश्तकार अपने बछड़ों को पाल करके तीन साल का बछड़ा हमारी खेती लायक बन जाता है और...

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बात। हो गयी ना...

श्री रतनाराम चौधरी : गुजरात के व्यापारी उसकी अच्छी कीमत देते हैं। 10-10,000, 15-15,000 की एक जोड़ी की उनकी कीमत है। वह 15,000 रुपये दे करके कोई कटाने के लिये थोड़ी ले जाते हैं। इसलिये यह जो पहले लोगों ने तत्कालीन सरकार ने कानून बनाया था वह हम हिन्दू और... (व्यवधान)

श्री अमीन खान : कीमत भी नहीं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। बिराजिये। हो गयी ना बात, यह व्यवस्था कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : और किसानों का अहित हो रहा है, पशुपालकों का अहित हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, किसानों का भला करने के लिये कर रहे हैं यह।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिये कृपा कर जल्दी से यह संशोधन करवा कर, हां, हम भी साथ हैं। कोई कटाने के लिये नहीं ले जा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बहुत गंभीर है...

श्री रतनाराम चौधरी : उनके बराबर हैं। प्रतिबंध होना चाहिये उसके हम पक्षकार हैं। बाकी जो खेती के लिये जा रहे है उनको छूट होनी चाहिये...

श्री देवीसिंह भाटी : अगर गंभीर होती जो रातों रात उसे हाउस के बीच में ले आते। दस दिन पहले भी आश्वासन दिया था। कानून में इतना लम्बा-चौड़ा क्या संशोधन करना है...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। डा. किरोड़ी लालजी...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने ऐसा कानून बनाया कि उसमें संशोधन करना पड़ रहा है। आपने ऐसा कानून बनाया क्यों था, यह बताइये पहले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी...

श्री देवीसिंह भाटी : हमने तो एक्ट के अन्दर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमें तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं आयी मंत्री महोदय...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के राज में...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप उसको रिजेक्ट कर दो। उस सरकार ने यह कानून बनाया उस कानून को आप रिजेक्ट कर दीजिये...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाकर पशुपालकों की हत्या की है...(व्यवधान) इसी पार्टी ने हमको नुकसान पहुंचाया है और मेले बंद हो गये हैं इनकी वजह से। हमारे मारवाड़ की खेती है पशुधन। सब भारतीय जनता पार्टी वालों ने, यह आर.एस.एस. वालों ने कानून बना करके ...(व्यवधान) हमारे पशुपालकों के साथ अन्याय किया है इन लोगों ने...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज...(व्यवधान) आर्डर-आर्डर। माननीय डा. किरोड़ी लालजी।

राजस्थान में कानून व्यवस्था

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन बड़ी खराब है और अभी हमारे दल के उप नेता ने जो लोमहर्षक घटना केलवाड़ा की सुनायी है, ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार का पुलिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह गया और पुलिस ज्यादती पर उतर आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, चार लोग यू.पी. के थे गाजियाबाद के रहने वाले, वह बालाजी के दर्शन के लिये आये। कहां पर, मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन के लिये। वह चारों व्यक्ति जब दो, ढाई बजे के करीबन बालाजी से महुआ की तरफ जाने लगे तो किसी ने टेलीफोन से यह सूचना दी कि इनकी गाड़ी जो टाटा इंडिका है, उसमें 23 बोतलें शराब की हैं। तो इनकी नाकाबंदी की गयी और यह लोग वीर सिंह, महेशचंद, वेद प्रकाश और राजकुमार, इसमें महेश चंद और वेद प्रकाश तो स्वंतंत्रता सेनानी रहे, इनकी नाकाबंदी की गयी और नाकाबंदी करके इनको पकड़ा गया महुआ में और पकड़ने के बाद चारों के चारों लोगों को थाने में ले गये और थाने में ले जाकर एफ.आई.आर. नं. 84/2000 एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज कर ली गयी। चारों को हिरासत में ले लिया गया, थाने में बिठा लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्या होता है, रात को 11 बजे एक एफ.आई.आर. दर्ज होती है और उसका नम्बर है 3/2000, 11 बजे रात के, पहली एफ.आई.आर. दिन के 3 बजे थाने में दर्ज हुई जिसमें इन चारों को मुलजिम ठहराया गया और रात के 11 बजे एक एफ.आई.आर. इन्हीं में से एक महेश चन्द नाम का व्यक्ति, जो थाने में पिटाई के कारण मर गया, और उसी के साथी जो वेद प्रकाश नाम का है उसको महुवा की पुलिस ने डरा-धमकाकर जबरन एक एफ.आई.आर. दर्ज करायी कि इसको दमे की बीमारी थी और उसके कारण यह व्यक्ति थाने में नहीं, थाने के बाहर मरा हुआ मिला। इसका कारण से मुकदमा थाने में दर्ज कराया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं जिन चारों आदमियों को एक साथ एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार किया

(डा. किरोड़ी लाल)

गया था तो पुलिस ने तुरत-फुरत यह कैसे तय कर लिया कि केवल वाहन चालक ही इसमें दोषी है और बाकी के तीन आदमी दोषी नहीं है? और पुलिस यह कहती है कि थाने के सामने 11 बजे इसकी लाश मिली। जब चारों के चारों व्यक्ति एक साथ थाने में हिरासत में आये तो एक व्यक्ति की लाश थाने के सामने किसकी सूचना पर पुलिस को मिली? पुलिस को किसने सूचना दी और जब पुलिस को यह लाश मिल गयी तो क्या पुलिस ने सही समय पर उसके गाजियाबाद के पते पर सूचना दी? उपाध्यक्ष महोदय, महुवा पुलिस ने परिजनों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। बल्कि पुलिस ने क्या किया? वहां पर जो थाना है, डी.एस.पी. का आफिस है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दौसा से भेजा ताकि इसे किसी प्रकार से बराबर किया जा सके। और रात भर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वहां पर कैम्प रखा और इस बात की कोशिश की गयी, डाक्टरों को बुलाकर कि इसका रात में ही पोस्टमार्टम कर दो और उसके बाद इसको भेज दो। उपाध्यक्ष महोदय, उसका रात में पोस्टमार्टम तो हो नहीं सका और जब सुबह पोस्टमार्टम किया तो जब सूरज की किरणें भी नहीं पड़ी, उससे पहले उसका पोस्टमार्टम किया गया। थाने के दो सिपाही उस डैड बॉडी के साथ भेजे गये और उसको उसके गांव में मारकर डाल आये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब चार आदमी एक साथ पुलिस ने एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार किये तो एक आदमी जो इन्हांने मेनिपुलेट किया है कि पुलिस की पिटाई के कारण से नहीं मरा है तो क्या गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि नेशनल हाइवे पर जाने वाली क्या पहली घटना हुई है? या ऐसी अनेक लाशें महुवा थाने के सामने मिली हैं जिनका पोस्टमार्टम भी पुलिस कराये और पुलिस अपनी गाड़ी से ठेठ गाजियाबाद तक पहुंचाये। पुलिस के सिपाही वहां तक जायें। क्या पुलिस इसमें घेरे में नहीं आ रही है? गृह मंत्री जी, मैं पूछना चाहूंगा आप इस ढंग से पुलिस की इन बढ़ती हुई ज्यादतियों के प्रति आंख मीचोगे तो यह अत्याचार और ज्यादा बढ़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पोस्टमार्टम का मामला है, डा. रामप्रतापजी पोस्टमार्टम के मामले पर बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके दो और सदस्य इसी पर बोलेंगे। इनके लिये भी कुछ मेटीरियल छोड़िये ना।

डा. किरोड़ी लाल : हां, पोस्टमार्टम के मामले को वह कवर करेंगे परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह थाने में कस्टडी में मृत्यु हुई है और इसमें

(डा. किरोड़ी लाल)

पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं ऐसा आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह। डा. रामप्रताप।

डा. रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, इस महेश चन्द की मृत्यु के बारे में जिस प्रकार से मेनिपुलेशन किया गया है उसके बारे में पोस्टमार्टम के कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी मृत्यु का होना अस्थमा की बीमारी बतायी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस मरीज को अस्थमा की बीमारी होगी निश्चित रूप से उसके फेफड़े और हार्ट कमजोर होंगे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि लंग्स राईट और लेफ्ट दोनों हैल्दी हैं। इसी तरीके से पैरीकार्डिन, हार्ट के ऊपर जो झिल्ली होती है वह भी हैल्दी है। हार्ट के लिए भी ऐसा ही लिखा गया है कि हार्ट बिलकुल हैल्दी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी जिसकी उम्र 70 साल के करीब है और वह दमे का मरीज हो, निश्चित रूप से उसके फेफड़ें नार्मल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, दमे के मरीज के फेफड़ों में हमेशा पानी रहता है, रुकावट रहती है और फुलावट ज्यादा रहती है। इसी की वजह से उसके लंग्स और ब्लड वैसल्स नार्मल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। इसके साथ-साथ मेडिकल बोर्ड ने इसके आर्गन्स को प्रिजर्व किया है, विसरे को लिया गया है, पेट की आंतों और स्टोमक को कैमीकल एग्जामिनेशन के लिये प्रिजर्व किया गया है उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी मरता है दमे की बीमारी की वजह से, और मरने के बाद उसके हार्ट और लंग्स को निश्चित रूप से प्रिजर्व करके हिस्टोपेथोलोजिकल एग्जामिनेशन के लिये भेजा जाना चाहिये था। इन तमाम तथ्यों के आधार पर जो कॉज ऑफ डैथ लिखा गया है, सिंक आफ ड्यू टू शॉक जो लिखा गया है। कोई भी एक आदमी जो इस पेशे से संबंधित हो, डाक्टर हो, इस कॉज ऑफ डैथ को देखकर यह कह सकता है कि कितनी बैंकरप्सी हो गयी है। कितना इसको मेनिपुलेट किया गया है। यह तमाम सबूत हैं, यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इसके साथ-साथ एक भी आर्गन को अनहैल्दी नहीं बताया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आयी है...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें और कुछ बचा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कानून के रक्षक भक्षक हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं मेंहदीपुर के बालाजी के लिये पूरे देश में लोगों के मन में अगाध श्रद्धा है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और उसी श्रद्धा से हमारे देश को जंगे आजादी में अपना सहयोग देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को...।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महेश अग्रवाल, वेद प्रकाश अग्रवाल, आते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर, आप काहें पर बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची ही नहीं है। आप काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं। यह इस तरह का मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इजाजत नहीं है। मैंने गलती से इजाजत दे दी, आप बिराज जायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज्ञाकारी हूं। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने एक बार आज्ञा दे दी तो आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस पूरे प्रकरण में जो तीन आदमी आते हैं, उनकी उम्र देखें महेश अग्रवाल उम्र 70 साल, वेद प्रकाश अग्रवाल उम्र 75 साल, राजकुमार जौहरी, उम्र 75 साल, यह लोग कोई आदतन शराब के तस्कर हो नहीं सकते। यह हो सकता है कि इंडिका गाड़ी चलाने वाला चालक ने कोई शराब की बोतल खरीद ली होगी। गृह मंत्रीजी, सबसे पहला संदेह इसमें इसलिए है कि साढ़े तीन बजे गिरफ्तारी होती है और 11 बजे बाद वेद प्रकाश को यह कहते हैं कि यह मर गया पुलिस स्टेशन के बाहर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के लोग जो इंडिका जैसी गाड़ी में सफर करते हैं। अगर उनका ड्राइवर कोई गलत काम करे तो वह छोड़कर दूसरे साधन से गाजियाबाद जा सकते थे। हुआ यह कि इन चारों को पुलिस हिरासत में लिया गया। इतना प्रताड़ित किया गया कि पुलिस के तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे, उन्होंने वहां के लोग कहते हैं, खुले आम रिश्वत मांगी है, डराया-धमकाया, पीटा और उसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है। स्वतंत्रता सेनानियों को किस तरह का सम्मान, किस तरह का आदर यह सरकार देना चाहती है यह एक बानगी है। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि गिरफ्तारी हुई और रात में 11 बजे तक यह लोग क्यों उस थाने में थे? किस कारण से थे? क्या फर्द गिरफ्तारी में, एक व्यक्ति के अलावा तीन आदमियों की गिरफ्तारी है। उपाध्यक्ष महोदय, वह इसलिए नहीं है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि पुलिस को अपने काम को अंजाम देना था। और यह पहली घटना नहीं है। उस पूरे क्षेत्र के अंदर गृह मंत्री जी, आपके थाने नीलाम होते हैं, वही अधिकारी, कर्मचारी वहां लगते हैं जो किसी न किसी भ्रष्ट तरीके से उन थानों पर आते हैं और इस तरह के लोग जब आयेंगे तो उनके हाथों से इसी तरीके के कुकृत्य होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी मांग है चूंकि यह मामला स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ है, गृह मंत्रीजी, आप बड़ा मन रखकर आपकी इस पुलिस से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, आप पूरे प्रकरण को सी.बी.आई. में दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री देवीसिंह भाटी : शिक्षा मंत्रीजी को तो आगाह करें कि अपने एग्जामिनेशन पेपर्स थाने में नहीं रखें। यह कैलवाड़ा थाने में बलात्कार पुलिस के अधिकारियों द्वारा और यह महुवा में इस प्रकार से सरे आम उसको मार-मारकर उसकी हत्या कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। श्री मदन दिलावर।

श्री देवीसिंह भाटी : आपके एग्जामिनेशन पेपर्स कैसे सुरक्षित रहेंगे, उसके ऊपर पुर्नविचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मदन दिलावर...(व्यवधान) बोल दिया ना और क्या होगा...(व्यवधान) गवर्नमेंट ने नोट कर लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या हुई है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : थाने में हत्या हुई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट ने नोट कर लिया।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, नोट नहीं, आसन की तरफ से कोई व्यवस्था तो होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कोई व्यवस्था होती ही नहीं है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : थाने में हत्या हुई है...।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था है इसमें? आप रोज ही बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : सरकार का ध्यानाकर्षण करना...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना ध्यानाकर्षण, गवर्नमेंट में इसको नोट कर लिया।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी भी कुछ बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : बोल जायें तो मैं रोक रहा थोड़े ही हूं।

डा. किरोड़ी लाल : आप व्यवस्था तो दें।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोलें तो मैं कैसे बुलवाऊं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यो की उग्रता को तो समझता हूं लेकिन मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मेहरबानी करके तथ्यों को ज्यादा तोड़-मरोड़कर रखने की कोशिश न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ज्यादा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर न रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि सही दिशा में सही इंवेस्टीगेशन किया जा सके। आप तथ्यों को टर्न देंगे, इंवेस्टीगेशन दूसरी तरफ चला जाएगा और जो कल्प्रिट है वह बच जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखें। सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, जिन्होंने इस पर्ची के जरिये यह मामला उठाया है, उस गाड़ी में 24 बोतल शराब बरामद नहीं हुई थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : हमने खुद ने कहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हुई थी नं? हुई थी। यह कहना कि किसी व्यक्ति ने फोन किया गलत है। हमारी नोर्मल नाकेबन्दी का प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम के तहत यह गाड़ी पांस हुई तब उसकी चैकिंग हुई थी, उस चैकिंग में 23 बोतलें शराब की बरामद हुई। बरामदगी के बाद निश्चित रूप से थाने ले गये। जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं, और ड्राइवर ने यह कबूल किया कि साहब, मेरे शादी थी इसलिए मैंने पड़ौस की दुकान से 23 बोतल शराब खरीदी थी। केवल उस ड्राइवर के खिलाफ केस रजिस्टर करके, बाकी लोगों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया। मैंने तथ्य इकट्ठे किये हैं, वे लोग, जिस गांव के आप बताते हैं, उस गांव के नहीं हैं, दूसरे गांव के हैं, उन्होंने वहां जाकर टेलीफोन किया अपने गांव और वे एसी. कार से जाना चाहते थे क्योंकि वे बीमार थे, वहां एसी. कार अवेलेबल नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने गांव टेलीफोन किया और टेलीफोन करके गाड़ी मंगवायी। उस टेलीफोन का रिकार्ड भी मैंने जब्त करवाया है, जहां उन्होंने खाना खाया है पुलिस थाने के बाहर, उसका भी स्टेटमेंट मैंने रिकार्ड करवाया है और सारी जानकारी जो अभी तक मुझे मिली है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से जांच करवाकर सदन को तथ्यों से अवगत करवाऊंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या किया? कोई उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी जांच करवाएंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सारी रिपोर्ट पर विचार करके मैं हाउस से कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गृह मंत्रीजी से जानकारी करना चाहूंगा कि इस सारे मामले में ड्राइवर दोषी था या वे तीनों आदमी भी दोषी थे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी इंवेंटीगेशन की स्टेज पर है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, केवल ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था 24 बोतलें शराब मिलने के कारण एक्साइज एक्ट के तहत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

सोरसन अभ्यारण्य, जिला बारां में शिकार एवं खनन कार्य

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले में सोरसन एक अभयारण्य है और वहां 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में शिकार करना निषिद्ध है और वन विभाग को उसमें से 14 वर्ग किलोमीटर भूमि स्थानान्तरित की गई है और उसको रक्षित घोषित करने की कार्यवाही की जा रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार के खनन की वन विभाग के निर्देशानुसार एन.ओ.सी. नहीं दी जा सकती और न ही उसमें किसी प्रकार का खनन कार्य किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई खनन के लिए वन विभाग की भूमि पर एन.ओ.सी. लेना चाहता है तो वहां का डी.एफ.ओ. इसके लिए सक्षम अधिकारी होता है और वही खनन करने या नहीं करने की अनुशंषा जिला कलेक्टर को करता है और जिला कलेक्टर उसी आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस केस में जमीन अंता तहसील के महू जागीर गांव की है, जिसका खसरा नम्बर 74, 75 और 78 है, उस जमीन को रेंजर की अनुशंषा पर जिला कलेक्टर ने खनिज विभाग को एन.ओ.सी. जारी कर दी। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एन.ओ.सी. जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी रेंजर नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर 100 ×100 वर्ग मीटर के 6 खनन पट्टे माइनिंग विभाग ने जारी कर दिये। यह जानकारी वहां के लोगों को मिली तो उन्होंने शिकायत की, वन विभाग के अधिकारियों ने इसको गम्भीरता से लिया और वहां के वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आप जिला कलेक्टर और माइनिंग विभाग से कहें कि हमारे अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है, एन.ओ.सी. को निरस्त करें और पट्टे को निरस्त करें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज तक भी ये पट्टे निरस्त नहीं हुए हैं और न एन.ओ.सी. जारी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार इतना हुआ

(श्री मदन दिलावर)

है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिन छह लोगों को माइनिंग की लीज हुई है वे काफी प्रभावशाली लोग हैं और उन प्रभावशाली लोगों ने ही मिलकर इस प्रकार का काम अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर, आई.एस.एस. अधिकारी होता है, वह इस बात को जानता है कि कौन सक्षम अधिकारी है और कौन सक्षम अधिकारी नहीं है। यह जानते हुए भी कि डी.एफ.ओ. अनुशंसा करने के लिए सक्षम अधिकारी है, रेंजर की अनुशंषा को कैसे स्वीकार किया? उपाध्यक्ष महोदय, जो माइनिंग की लीज लेने वाले थे, वे जिला कलेक्टर बारां से मिले और उनसे कहा कि किसी भी कीमत पर हमको ये खनन पट्टे मिलने चाहिए आपको एन.ओ.सी. देने चाहिए, हमने माइनिंग विभाग से सारा का सारा इंतजाम कर लिया है, उनको पता था कि डी.एफ.ओ. एन.ओ.सी. नहीं देगा तो डी.एफ.ओ. को बाईपास करके और रेंजर को पटा करके कि तुम्हें भी इसमें हिस्सा मिलेगा जो बड़ी रकम मुझे मिलेगी और उस बड़ी रकम में से हिस्सा देने के नाम पर रेंजर और जिला कलेक्टर, बारां, आर. एस. गठाला ने लाखों रुपयों की रिश्वत लेकर इस प्रकार का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां वन्य जीवों का शिकार निषिद्ध हो, जहां वन विभाग की जमीन हो, जहां वन्य जीवों के लिए रक्षित घोषित करने की कार्यवाही चल रही हो, इस प्रकार का कृत्य करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। इसलिए इस आई.ए.एस. ऑफिसर, जिला कलेक्टर, बारां, आर. एस. गठाला और वहां के रेंजर, दोनों के खिलाफ कार्यवाही करके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-9) को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-9) को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला, प्रभारी मंत्री, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 10) को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 10) को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।'

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 10) को पुरःस्थापित करती हूं।

समिति गठन का प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम 230(1), 231(1), 232(1) एवं 233(ख) (1) का निलम्बन कर वित्तीय समितियों के मनोनयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में श्री हरिसिंह महुवा, मुख्य सचेतक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 7 अप्रेल, 2000 को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 के उपनियम (1), 231 के उपनियम (1), सहपठित नियम 232 (1), 233 (ख)(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति (क) व (ख) व राजकीय उपक्रम समिति 2000-2001 प्रत्येक के लिए 15-15 माननीय सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया था।

मान्यवर, सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी

(श्री हरिसिंह)

नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231(1) सहपठित नियम 232 (1), 233 (ख) (1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वो उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल एवं समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें। इन कमेटियों का कार्यकाल एक वर्ष, 31 मार्च, 2001 तक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आय-व्यय अनुदान वर्ष 2000-2001। श्री सी. पी. जोशी, शिक्षा मंत्री, अनुदान की मांग संख्या-24, 41 एवं 28 सदन में विचारार्थ एवं सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री सी.पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पचांयत राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-24, शिक्षा कला एवं सस्कृति। (उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,32,32,88,000/- (इक्तीस अरब बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख अठासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति (उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन खान (शिव)

2. बाड़मेर जिले में लगातार अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. बाड़मेर जिले में बाहर से आने वाली फर्जी डिग्रियों की रोकथाम न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

4. राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में लगे शिक्षा सहयोगियों को

(श्री अमीन खान)

कम से कम न्यूनतम मजदूरी के बराबर वेतन देने पर चर्चा के लिए।

5. राज्य में सबसे पिछड़े हुए जिले बाड़मेर में ज्यादा स्कूलें क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

6. बाड़मेर जिले के लिए अल्पसंख्यकों के लिए पिछड़ा वर्ग को एस.टी.सी. में कम से कम 15 सीटें आरक्षित करने पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

7. सीमावर्ती बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में पोलीटेक्निक कॉलेज में विद्यार्थियों की भर्ती में सीमावर्ती जिलों को प्राथमिकता देने के संबंध में चर्चा के लिए।

8. बाड़मेर जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के व्याख्याताओं की गत दस वर्षों से नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

9. समानीकरण के तहत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) प्रथम व द्वितीय द्वारा सरप्लस (अधिशेष) अध्यापकों के पदस्थापन आदेशों के साथ स्थानान्तरण पर प्रतिबंध के बावजूद नान सरप्लस अध्यापकों के स्वेच्छिक स्थानान्तरण किये जाने पर चर्चा के लिए।

10. बाड़मेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं व प्रधानाचार्यों के अभाव में छात्रों की शिक्षा के स्तर में दिनो दिन हो रही गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

11. बहरोड विधान सभा क्षेत्र स्थित उच्च माध्यमिक शालाओं में व्याख्याता के पदों के रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. बिहार से बी.एड. डिग्री धारकों को शिक्षा विभाग व प्राथमिक शिक्षा विभाग व पंचायत राज शिक्षा से भेदभाव बरते जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

13. राजस्थान विश्वविद्यालय में गत वर्षों में नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में की गई अवहेलना के संबंध में चर्चा के लिए।

14. राज्य सरकार द्वारा महिला महाविद्यालय खोलने के लिए इस वर्ष के बजट में कोई प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. गत वर्ष में प्रस्तावित चार आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों) के निर्माण कार्यों की अति धीमी प्रगति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

16. अध्यापकों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही एवं अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

17. रावतभाटा व बेगूं में कॉलेज एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति बाबत चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

18. उनियाना गर्ल्स हायर सैकेण्ड्री स्कूल में अध्यापिकाओं व प्राचार्य की नियुक्ति होते हुए भी पद खाली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. उनियारा सरदार सीनियर हायर सैकेण्ड्री विद्यालय में व्याख्याताओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

20. डूंगरपुर जिले में अध्यापकों की कमी से बच्चों को हो रहे नुकसान के बारे में चर्चा के लिए।

21. डूंगरपुर जिले में स्कूलों में पर्याप्त भवन नहीं होने के बारे में चर्चा के लिए।

22. डूंगरपुर जिले में शिक्षा स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (पचपदरा)

23. ग्राम गोदावास में चल रही प्राथमिक पाठशाला के साथ शिक्षाकर्मी पाठशाला को उसी ग्राम की ढाणियां अखाराम सांई की ढांणी में स्थानान्तरित गरीब बच्चों को शिक्षा का लाभ देने के संबंध में चर्चा के लिए।

24. उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कन्या महाविद्यालय, बालोतरा में प्रोफेसर की नियुक्ति पर चर्चा के लिए।

25. प्राथमिक पाठशालाएं क्रमशः भाण्डियावास, रोडवा खुर्द, जानियाना और भिण्डाकुआ तहसील पचपदरा और झुण्ड तहसीह बायतु को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. माध्यमिक पाठशालाएं क्रमशः कानाना, पारल,असाडा और कोटनोद तसहील पचपदरा को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. पचपदरा तहसील की उच्च प्राथमिक पाठशालाएं क्रमशः चांदेसरा कूड़ी, कोसा व बायतु तहसील के ग्राम गिडा परेऊ को क्रमेन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

28. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चीथवाड़ी की उच्च प्राथमिक विद्यालय को सैकण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

29. जैसलमेर में महिला महाविद्यालय खोलने बाबत चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

30. समानीकरण के नाम से हजारों अनियमित स्थानान्तरण करने से बालकों की पढ़ाई से हो रही भारी क्षति के संबंध में चर्चा के लिए।

31. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष परीक्षा शुल्क में की गई भारी वृद्धि से अभिभावकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

32. जैसलमेर में फर्जी नियुक्तियां देकर स्थानान्तरण के माध्यम से विभिन्न ज़िलों में उनकी सेवायें नियमित करने एवं प्रकरणों की जांच तथा अभी तक फर्जी नियुक्ति देने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

33. बड़े शहरों में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूल करने के पश्चात् भी राज्य सरकार द्वारा कोई नियंत्रण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति के अनुसार अध्यापकों व कर्मचारियों के पद समाप्त व सृजित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

35. सरकार के आदेशों की अवज्ञा के मामले में निलम्बित प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय लाडनूं द्वारा नवनियुक्त प्रधानाध्यापिका को स्कूल का रेकार्ड नहीं देने व उसमें हेराफेरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36. सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन में शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली नहीं अपनाने के कारण फैल रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा पंचायत समितियों की बैठकों में भाग नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा)

38. शिक्षा के गिरते स्तर में सुधार की आवश्यकता एवं ग्रामीण क्षेत्र शालाओं में समय पर अध्यापकों के नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं कमरों की कमी के कारण छात्रों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. भीलवाड़ा जिले के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(डा. रतनलाल जाट)

41. ग्राम मघरास पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की संस्कृत उच्च प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्कता पर चर्चा के लिए।

42. भीलवाड़ा जिले की राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय रामपुर तथा गंगापुर से अध्यापकों की कमी एवं विशेष कर ऐच्छिक विषयों के अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

43. अपात्र लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर बेरोजगारी बढ़ाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

44. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बांरा) में ग्राम केलवाड़ा व भंवरगंज में कालेज खुलवाने एवं जिला बांरा के ग्राम किशनगंज उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर की शिक्षा अगले सत्र से प्रारम्भ किये जाने के लिए चर्चा के लिए।

45. किशनगंज के प्रत्येक स्तर के स्कूलों से अध्यापकों के चले आ रहे रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

46. शिवगंज कॉलेज में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

47. सभी स्तर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा में हो रही उपेक्षा तथा शिक्षा में सुधार पर चर्चा के लिए।

49. सिनेमा तथा टी.वी. के कार्यक्रमों द्वारा भारतीय संस्कृति पर हो रहे आक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

50. झुन्झुनूं जिला मुख्यालय पर तकनीकी शिक्षा कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. झुन्झुनूं जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

52. प्रवेश एवं परीक्षा फीसों में अनावश्यक वृद्धि करने से उपन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. राज्य के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों भवनों की हालत खराब होने, बैठने के लिए समुचित फर्नीचर एवं पीने

(श्री अमराराम)

के पानी की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र, धोद के माध्यमिक विद्यालय मूण्डवाड़ा कन्या माध्यमिक विद्यालय धोद की इस वित्तीय वर्ष में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. 26 फरवरी, 2000 को शिक्षा निदेशक के घर के बाहर धरने पर बैठे अध्यापकों पर निदेशक एवं उनके परिवारजनों द्वारा हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. राज्य के विभिन्न विद्यालयों में विशेषकर सीकर जिले में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

57. अकलेरा जिला झालावाड़ में कालेज नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. झालावाड़ जिले में विभिन्न स्कूलों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

59. खानपुर में पोलोटेक्निक कालेज नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

61. तारज (खानपुर) मे हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

62. राज्य के 14 पोलीटेक्निक कालेजों में कार्यरत गणित एवं अंग्रेजी के 24 प्रवक्ताओं की अधिशेष 150/- प्रति घण्टे की दर से ठेके पर उक्त विषय पढ़वाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

63. राज. उर्दू अकादमी को दिये जाने वाले अनुदान की राशि में वृद्धि नहीं किये जाने से उर्दू प्रेमियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में उर्दू अध्यापकों के काफी लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों पर (नवसृजित 200 पदों सहित) अध्यापक नहीं लगाये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

65. भरतपुर जिले की नगर तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पापड़ा व उच्च प्राथमिक विद्यालय उड़की दल्ला को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में निजी क्षेत्र में (मेवात में) उर्दू एस.टी.सी. व महिला पोलिटेक्निक खोलने की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

(श्री सोहन नायक)

67. विधान सभा क्षेत्र रायसिंग नगर में सीमान्त क्षेत्र के स्कूलों की क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

69. रायसिंहनगर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

70. अहमदिया प्राथमिक विद्यालय मेड़ता सिटी में विद्यार्थियों के अनुपात में अध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

71. राजकीय माध्यमिक विद्यालय पादूकला, डांगावास, मोकाला, को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षकों, कर्मचारियों की नियुक्ति, पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

73. दूदू में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र दूदू के माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों को भरने एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय आकोदा में अध्यापकों की कमी से वातावरण खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. जयपुर जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दांतड़ी, बरदोती, स्वामियों की ढाणी में अध्यापकों के रिक्त पदों को तुरन्त भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

76. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के गुढ़ा चन्द्र जी कस्बे में सैकण्डरी कन्या शाला को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. टोडा भीम में कॉलेज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)

78. झुन्झुनूं जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय उदावास तथा मुकाना को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. स्कूल खोले जाने में किये जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. राज्य में शिक्षा के निरन्तर गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

(श्री हेमन्त कुमार)

81. विधान सभा क्षेत्र दीगोद में डूंगरजा संस्कृत विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. सांगोद कस्बे में कालेज खुलवाने तथा सुल्तानपुर कस्बे में स्थित आई.टी.आई. से एस.टी. के अलावा अन्य सभी को प्रवेश देने पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

83. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के विद्यालय भवन का निर्माण/मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में आदिवासी छात्र/छात्राओं में शिक्षा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आकोला तहसील बल्लभनगर (उदयपुर) में अनुसूचित जन जाति के छात्रों को प्रवेश नहीं देने/विद्यालय से अकारण निकाले जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

88. विधान सभा क्षेत्र खारची में विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को नहीं भरने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र खारची के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

90. भादरा क्षेत्र के कतिपय विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा का केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. भादरा जिला हनुमानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकत पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सभी तरह के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. समानीकरण के तहत किये गये स्थानान्तरण में व्याप्त अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र भादरा के कतिपय विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य, कृषि एवं गृह विज्ञान आदि विषय की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

95. विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) में संन् 1972 में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय कालबकला, नानणा तथा खोड़िया को इस वर्ष माध्यमिक विद्यालय में क्रामेन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) में माध्यमिक विद्यालय बीजागुढ़ा व सेन्दड़ा व गिरी को उच्च माध्यमिक में इसी बजट वर्ष में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 50% से कम परीक्षा परिणाम रखने वाले अध्यापकों की वेतन वृद्धियां रोकने का प्रावधान सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिए सरपंच म.स. सदस्यों को अधिकृत किये जाने एवं उनकी रिपोर्ट पर तत्काल पालना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. सभी विद्यमान विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

100. शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. प्रत्येक विद्यालय में सतर्कता समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

102. विधान सभा क्षेत्र अटरू में चरडाल गांव में माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

103. अध्यापकों के रिक्त पद भरने, ट्यूशन प्रवृत्ति बन्द करने एवं लाखेरी में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

104. उच्च शिक्षा में पृथक-पृथक विषयों के संकाय खोलने एवं शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

105. वर्ष 2000-2001 में जहाजपुर में महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में लुहारी कला, पीपलून्द टीकड़, इंटून्दा, छारेल, विशनिया में छात्र एवं राखेड़ तथा पण्डेर में बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय वर्ष 2000-2001 में खोलने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में अखेपुरा, मण्डावर, इन्दोकिया, धनवाड़ा,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हरशलोका खेड़ा, सवलपुरा, जोजर, पचानपुरा, फतहपुर, गोरमगढ़, रामगढ़, रजवास, गडवोदिया, लवलपुरा, उरना, उथरणा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. जहाजपुर कस्बे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर)

109. शिक्षा, उच्च शिक्षा, परिषद के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

110. सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय को क्रमोन्नत करने एवं तकनीकी कालेज तथा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री सी.पी. जोशी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41, सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,11,72,58,000/- (दो अरब ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख अठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि : —

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों की दशा सुधारने के लिये कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

2. ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच करने में सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति शिव की ग्राम पंचायत-रोहीड़ी-बिसूकला-चोचरा-फोगेरा-चेत्रोडी-सबराला में घटिया किस्म का विकास कार्य करवाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

4. देसूरी निर्वाचन क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

5. पंचायतों में अलग से सचिव नियुक्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. ग्राम पंचायत फूलेता प.स. उनियारा, टोंक के पूर्व सरपंच द्वारा पंचायत कोष का दुरुपयोग करने व उसकी शिकायत पर अभी तक भी जांच नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

7. डूंगरपुर जिले में पर्याप्त छात्रावास नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये।

8. डूंगरपुर जिले में छात्रावासों की सही व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

9. डूंगरपुर जिले में छात्रावासों के निजी भवन नहीं होने से छात्रों को हो रही परेशानी पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

10. पंचायत समिति बायतु और बासोतरा की शेष रही राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन निर्माण नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

11. जैसलमेर जिले में पंचायत समिति नाचणा के विशेष (उप निवेशन क्षेत्र) विकास पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

12. पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ता नियमों में विसंगतियों को दूर किये जाने हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

13. पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का अधिकार संभागीय आयुक्तों को देने के कारण आयी शिथिलता पर चर्चा के लिये।

14. गत वर्ष ग्राम सेवकों के चयन के मामलों में जिला स्थापना समितियों को दरकिनार करके कानून विरुद्ध कलेक्टरों से चयन कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. सी.ओ. जिला परिषद के पद पर भारतीय प्रशासनिक अधिकारी लगाने व उस पद का नाम कलेक्टर विकास किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16. पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्यों को कोई कार्य व अधिकार नहीं सोपें जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

17. सामुदायिक विकास की नई योजनाएं प्रारम्भ नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

18. जिला परिषदों को अधिक अधिकार दिए जाने हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. सरपंच ककोड़, प.स. उनियारा, टोंक द्वारा पंचायत कोष का दुरुपयोग किये जाने पर भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

21. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी को प्रभावी बनाने पर चर्चा के लिये।

22. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

23. भीलवाड़ा जिले में पंचायत राज द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

24. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भीलवाड़ा जिले के विभिन्न सरपंचों के विरुद्ध मिली शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

25. राज्य में ग्रामीण विकास कार्यों के लिये ज्यादा धन राशि का आवंटन करने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

27. सीकर जिला परिषद में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से आ रही कठिनाई की स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. धोद पंचायत समिति का भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

29. पंचायत समितियों में विद्यालयों में काफी लम्बे समय से पड़े रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. पंचायत समितियों में दो से अधिक सन्तान वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधियों पर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

शीघ्र कार्यवाही हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. वर्ष 1999-2000 में नगर व कामां पं. स. में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत के बाद पर्याप्त अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. पंचायत समितियों के विद्यालयों में अन्य राज्यों की गैर-मान्यता प्राप्त फर्जी डिग्री के आधार पर कार्यरत अध्यापकों से बिगड़ रही स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. पंचायत समितियों के अन्तर्गत राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों का वेतन 1200/- से बढ़ाकर 1800/- किये जाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

34. पंचायत समितियों के अन्तर्गत राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में समुचित व्यवस्था हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. सामुदायिक विकास कार्यों में गुणवत्ता की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

36. सामुदायिक विकास कार्यक्रम हेतु सरकार द्वारा नीति निर्धारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

37. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सामुदायिक विकास योजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

38. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खारची में चल रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

39. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने एवं धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

41. सामुदायिक विकास कार्यों की अंकेक्षण कार्यवाही को कारगर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम में प्रशासनिक शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

(श्री हीरासिंह चौहान)

43. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील स्तर पर बालिका छात्रावासों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. सामुदायिक विकास के अन्तर्गत गांवों में प्रसुति सहायता राशि हेतु सरपंच या वार्ड पंच द्वारा प्रमाणिकता को पर्याप्त माने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामूहिक विवाह की राशि पिछड़े एवं अनुसूचित परिवार के जोड़ों के लिये पांच हजार निर्धारित किये जाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

46. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रार्थी गणों को इन्दिरा आवास हेतु स्वीकृति के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिषदों के माध्यम से चयनित परिवार के कल्याण हेतु पंचायत समिति को राशि आंवटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

48. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समुचित कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

49. सामुदायिक भवन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 73,38,34,000/- (तिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि : —

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. ग्रामीण विकास के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खान (शिव)

2. जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव में मखन का पार लालासर, शद्दादकापार, मतुओं की ढाणी, राणाकदेव, मंगलीओ की ढाणी राजबेरा में नलकूप खुदाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. जैसलमेर जिले के गांव मगरा, डिगड़ी, तोगा, दवाडा में नलकूप खुदाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. सीमावर्ती जिला जैसलमेर में नगराजा से भभास, गजसिंह का गांव से मगरा, रामा से कपूरीया रामा से जैसलमेर जिनडा नीमाली रोड़ तक एवं बोगनीआई से कपूरीया व तोगा, हरमा नादा पांचा आदि में सड़के बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. बाड़मेर जिले के ग्राम गंगाला जैसिन्दर से पशु चिकित्सालय भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6. सीमावर्ती जिला बाड़मेर में खानीमानी से खडीन, गूंगा से स्वामी का गांव, मोहम्मदकापार से बाडेकापार, रामसर चौहटन रोड से तामलीपार, गरढीया से सातारिया, कलारीया सौलकिया से उनरोड़, कानासर से आरंग, बिसूकला से धारवी कला की सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

7. जिला पाली की पंचायत समिति रानी, देसूरी के अधूरे कार्यों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

8. टोंक जिले में जवाहर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993 से 1998 तक विभिन्न कार्यों पर खर्च की गई राशि का आज तक सत्यापन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. पंचायत समिति उनियारा में विधायक कोटे से वर्ष 1999-2000 में विभिन्न ग्राम पंचायतों के कार्य स्वीकृति हेतु अनुशंषा दी जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. ग्राम पंचायत ककोड़, पंचायत समिति उनियारा, टोंक के सरपंच द्वारा पंचायत की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी गई राशि का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

11. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

12. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की योजनाएं जिला परिषदों को स्थानान्तरित करने के उपरान्त भी अनेक कर्मचारियों की सेवाएं जिला परिषदों को हस्तान्तरित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा आडिट रिपोर्टों की अनुपालना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

14. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना निदेशकों को अन्य कार्यों में लगाने के कारण अभिकरणों का कार्य बाधित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषदों में मिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अध्यक्षों को कोई अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालुपरा)

17. ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

18. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विधायक कोटे की राशि की स्वीकृति में जिला प्रमुख व पंचैातय समिति के प्रधानों द्वारा चैक पर हस्ताक्षर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

19. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) एवं **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना)

20. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में केन्द्रीय सहायता की सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी पर चर्चा के लिये।

22. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में ऋण उपलब्ध करवाये जाने से बैंकों के असहयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

23. पंचायत समिति कोटकासिम (अलवर) को मेवात विकास बोर्ड में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. पंचायत समिति तिजारा-कोटकासिम में ग्रेवल रोड बनाने में की गयी अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

25. राज्य के समाप्त वित्त वर्ष में विभिन्न योजनाओं पर पिछले वर्षों के मुकाबले में आधी राशि ही खर्च करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीकर जिले की ग्राम पंचायतों का संबंधित योजनाओं की क्रियान्विति हेतु अग्रिम राशि

(श्री अमराराम)

नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

27. मेवात विकास बोर्ड की स्वीकृति राशि में से गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मेवातियों को आसान किश्तों पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. मेवात विकास बोर्ड की धन राशि गैर मेवात क्षेत्रों में व्यय करने से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये।

29. मेवात विकास बोर्ड की राशि से विकास कार्य स्वीकृति का अधिकार जनसेवक के पास होने क बजाय जनप्रतिनिधि को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. मेवात विकास बोर्ड का बजट नहीं बढ़ाये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

31. मेवात विकास बोर्ड की बैठक लम्बे समय से आयोजित नहीं करने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

32. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

33. नगरपालिका टोडाभीम (करोली) में प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर वापस प्राथमिक विद्यालय बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

34. पंचायत समिति प्रतिनिधि एवं जिला परिषद प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

35. विधान सभा क्षेत्र फलासिया की पंचायतों एवं पंचायत समितियों को विशेष अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

36. खारची विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में विकास कार्यक्रम करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

37. जिला परिषद एवं पंचायत समितियों से परामर्श कर ग्रामीण योजनाओं को चालू करवाये जाने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. मगरा क्षेत्रीय कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना की राशि का राज्य के मैचिंग ग्रांट की राशि मई-जून में स्वीकार कर जिला ग्रामीण अभिकरण को राशि का आवंटन समय पर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

40. सरपंचों व पंचायत समिति के सदस्यों को ग्रामों के विकास हेतु आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

41. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की सही ढंग से क्रियान्वयन करने में अंकुश लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

43. राज्य में ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत समग्र विकास कार्यक्रम चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

44. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कूप निर्माण, नाली, खरन्जा आदि कार्यों हेतु अधिक राशि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-24, 41 एवं 28 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा जैसी महत्त्वपूर्ण मांग पर इस सदन में चर्चा होने जा रही है। शिक्षा के ऊपर काफी अच्छा बजट पेश किया गया है जिससे कि शिक्षा की सुविधा और उसके विस्तार का आम जनता को लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिवर्ष आप बजट में नये कालेज, सीनियर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान करते हैं और उनके खोलने के समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौनसा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है।

(13.15 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में साक्षरता की दृष्टि से बाड़मेर जिला सबसे पिछड़ा हुआ है और सीमान्त जिला भी है। इसलिए साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े हुए जिले की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी मेरे साथी शेम-शेम की बात कर रहे थे। आपका भी काफी समय तक शासन रहा, आपने उसके लिए क्या ध्यान दिया, क्या किया। अगर

(श्री हेमाराम चौधरी)

आप भी ध्यान देते तो हमें उसका कुछ लाभ मिलता। इसलिए सभापति महोदय, बाड़मेर जिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला होने के नाते हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ है, केवल राजस्थान में ही नहीं, वहां पर सबसे ज्यादा स्कूल खोले जाएं और सबसे ज्यादा विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाए तभी जाकर हमारा जो जिला सबसे पिछड़ा हुआ है यह आगे आ सकता है।

सभापति महोदय, बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर वहां पर अध्यापक जाना नहीं चाहते। जो स्कूलें सरकार के द्वारा भी खोली हुई हैं वहां पर भी अध्यापकों की बड़ी भारी कमी है। सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता के जो पद हैं वो अधिकांश पद खाली पड़े हैं। कई विषय तो अध्यापकों के अभाव में बंद कर दिये गये हैं क्योंकि उन विद्यालयों में कोई व्याख्याता जब से वह विषय खुला तब से लेकर आज दिन तक गया ही नहीं तो उन विषयों को भी सरकार ने बंद कर दिया। इसलिए, सभापति महोदय, अगर यही स्थिति चलती रही तो आने वाले समय में उन विद्यालयों को भी बंद करना पड़ेगा। इसलिए उन विद्यालयों में विषय को बंद करने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। समस्या का समाधान करने के लिए आप वहां पर व्याख्याताओं का पदस्थापन करें। जब तक व्याख्याताओं का पदस्थापन नहीं होगा आप स्कूल चाहे कितने ही खोलें, कितने ही क्रमोन्नत करें हमारे वहां का शिक्षा का जो प्रतिशत तो कम है ही, साक्षरता की दृष्टि से हिन्दुस्तान में सबसे नीचे है ही, पर साक्षरता की गुणवत्ता की दृष्टि से भी हम शिक्षा में पिछड़ रहे हैं। जब पढ़ाने वाले ही नहीं हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे होगी, वे आगे अपने जीवन में सफल हो सकेंगे या नहीं इसकी कल्पना सभापति महोदय, आप स्वयं कर सकते हैं। आज के इस प्रतिस्पर्द्धा के युग में जहां पर प्राइवेट स्कूलें बहुत ज्यादा संख्या में बड़े-बड़े शहरों में चल रही हैं, बड़े-बड़े लोगों के बच्चे उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके मुकाबले में उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई पढ़ाने वाला नहीं है, केवल स्कूल में दाखिला है वह किस प्रकार से अपना कैरियर बना सकते हैं। इसलिए इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सरकार को सोचने की जरूरत है।

जब तक सरकार इस बारे में नहीं सोचेगी, कोई ठोस या कठोर निर्णय नहीं लेगी तब तक इसके बारे में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। हम हमेशा यह बात विधान सभा में रखते हैं परन्तु उसके ऊपर आज दिन तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इसके बारे में कोई ठोस कार्यवाही की जाए। इसके

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिए मेरा यह सुझाव है सभापति महोदय, कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक से सेवाओं का गठन किया जाय, उनके लिए पृथक से ही नियुक्ति दी जाय। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी करके, अलग से उनको नियुक्ति दी जाय जिससे कि वह फिर शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण न करवा सकें अन्यथा वह एक बार ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति अगर ले भी लेते हैं तो बाद में वह शहरी क्षेत्र में अपना स्थानान्तरण करवा लेते हैं। यह कमी आज की ही नहीं वर्षों की है और हमेशा चलती रहेगी। इसलिए मैं यह चाहूंगा, सभापति महोदय, कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्याख्याताओं की भर्ती अलग से की जाय और शहरी क्षेत्र के लिए भर्ती अलग से की जाय तभी जाकर हमारी जो शिक्षकों की कमी है वह दूर हो सकेगी अन्यथा जितने पद होते हैं उतने तो व्याख्याता पदस्थापित होते नहीं हैं, और जो कमी रहती है वह सारे हमारे बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दें और विद्यालय खोलते समय भी आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा विद्यालय खोलें, ऐसा नहीं कि आप इसका सब जगह बटवारा बराबर कर रहे हो दो सौ विधान सभा क्षेत्रों का विद्यालयों की संख्या में भाग देकर आप विद्यालय खोलते हैं तो फिर यही हुआ जो सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है उसको आगे लाने की सरकार की मंशा नहीं है। इसलिए सरकार की यदि मंशा जो सबसे पीछे खड़ा है उसको आगे लाने की है तो उसको कुछ अधिक मदद देने की जरूरत है और वह मदद इस रूप में दी जा सकती है कि वहां दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विद्यालय खोले जायं, अधिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जायं।

सभापति महोदय, साक्षरता की दृष्टि से 1991 की जो जनगणना है, जो भारत सरकार ने करवायी है उसके आंकड़ों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। चोहटन पंचायत समिति, जिसमें 1991 की महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत है वह 2.23 है। सिर्फ 2.23 प्रतिशत महिलाएं ही हमारी चोहटन पंचायत समिति में पढ़ी लिखी हैं। यह 1991 की जनगणना के आंकड़े हैं। सिणधरी पंचायत समिति में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 2.89 है, धोरीमन्ना पंचायत समिति में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 3.04 है। यह साक्षरता का प्रतिशत शून्य से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को छोड़कर है तो, सभापति महोदय, अगर आप महिला साक्षरता की तरफ ध्यान देना ठीक समझते हैं तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए, बालिका शिक्षा की तरफ ध्यान दें, बालिकाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय खोलें, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलें, माध्यमिक विद्यालय खोलें, सीनियर माध्यमिक

(श्री हेमाराम चौधरी)

विद्यालय खोलें। तभी जाकर यह साक्षरता का जो आंकड़ा है, यह ठीक हो सकता है। अभी जनगणना का काम शुरू होगा। अभी जो वर्तमान स्थिति है वह भी सामने आ जायेगी, थोड़े दिनों बाद परन्तु उसमें कोई ज्यादा विशेष अन्तर नहीं होगा क्योंकि हम वहां पर रहते हैं, हम जानते हैं कि आज वहां क्या स्थिति है और चोहटन पंचाचत समिति में साक्षरता का जो कुल प्रतिशत है मेल और फिमेल मिलाकर तो भी 12.38 है। सिणधरी में 17.07 है, धोरीमन्ना में 16.76 है। यह भी बहुत कम है इसलिए यहां पर आप ज्यादा विद्यालय खोलें और विद्यालयों में जो शिक्षकों की भारी कमी है उसको आप दूर करने की कृपा करें जिससे कि हमारा यह जो साक्षरता का अभाव है, यह हमारे ऊपर एक कलंक है, यह मिट सके, इस कलंक से हम छुटकारा पा सकें। साक्षतरा के नाम पर अरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं परन्तु उनका जनता को कोई वास्तविक रूप में लाभ नहीं मिल रहा है। अब हकीकत को छुपाकर अगर यह पेश किया जाय कि साक्षरता के नाम पर जो अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं उसका हमें लाभ मिल रहा है तो ठीक है आंकड़ें पेश करते रहें। पर हकीकत में, सभापति महोदय, उससे लाभ नहीं मिल रहा है। अगर वास्तव में आप शिक्षा का लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय खोलें। उसके सिवाय यह दूसरी जितनी सारी योजनाएं हैं यह सिर्फ कागजों में है और कुछ गिने चुने लोग ही इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए इन सारी योजनाओं को आप एक विभाग में ले लें और सब को कंसोलिडेट करके इनको प्राथमिक विद्यालयों के अधीन करके सारा पैसा इस तरह से खर्च करें जिससे कि इसका वास्तविक लाभ जनता को मिल सके। खासकर तब तक महिलाओं में साक्षरता नहीं आयेगी तब तक जनसंख्या पर भी नियंत्रण नहीं पा सकेंगे, जनसंख्या की जो वृद्धि जिस गति से हो रही है उसमें बाड़मेर आगे है, पीछे नहीं है। साक्षरता में पीछे है, जनसंख्या की वृद्धि में आगे है। इसका कारण निरक्षरता है। जब तक शिक्षा नहीं आयेगी तब तक परिवार नियोजन को अपनाने में वह महिलाएं आगे नहीं आयेंगी क्योंकि यह अनुभव रहा है कि उन ग्रामीण क्षेत्र में जिन परिवारों में पढ़े लिखे लोग हैं उन परिवारों में जो परिवार पढ़ा लिखा है उन परिवारों में बच्चे कम हैं और जिन परिवारों में शिक्षा बिलकुल नहीं है वह परिवार बढ़ रहे हैं दिनों दिन। इसलिए इस दृष्टि से भी यह जरूरी है कि आप जनसंख्या को रोकना चाहो तो उनमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दें उनकी तरफ, जिससे कि इस परिवार नियोजन को अपनायें क्योंकि यह मेरा अनुभव रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वह इसका पालन पूरा कर रहे हैं और जो पढ़े

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिखे नहीं हैं वह इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय,अभी हाल ही में इस वर्ष समानीकरण के नाम से शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जिस विद्यालय में शिक्षक ज्यादा थे और जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थीं उनको वहां भेजा गया। परन्तु, सभापति महोदय, इस समानीकरण के तहत जो पदस्थापन हुआ है उसमें वहां के जो एस्टेब्लिशमेंट के बाबू हैं उन्होंने इसका जमकर के फायदा उठाया है। उनकी पौ-बारह पच्चीस हो गयी। वे निहाल हो गये रातो रात। यह हकीकत है। अधिशेष करके उनको दूसरे विद्यालय में पदस्थापन के आदेश जारी कर दिये और फिर उन बाबुओं को खुश कर दिया तो वापस पद सृजित हो गये और वापस वहां अध्यापक लग गया। पद बन गया, रातोंरात पद वापस तैयार हो गया और जो अधिशेष हुए उनको वापस पदस्थापित करते समय जहां-जहां भी खाली जगह थी, ठीक जगह थी, कहीं नजदीक थी, हालांकि वहां से उसको हटाना था पर दूसरी कोई नजदीक थी तो जिनके ऊपर वे बाबू मेहरबान रहे उनको अच्छी जगह दे दी और बाकी को बोर्डर पर पटक दिया। सभापति महोदय, किसी को पता तक लगने नहीं देते। हम लोगों को भी इस बात की कतई जानकारी नहीं देते कि किस विद्यालय में अध्यापक अधिशेष है, किस विद्यालय में अध्यापकों के पद रिक्त है। वे अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाए।

इसके अलावा जो समानीकरण की लिस्ट निकली है उसमें उनके साथ-साथ स्थानान्तरण भी हुए हैं। एक तरफ तो आप स्थानान्तरण पर रोक बता रहे हो और दूसरी तरफ आप स्थानान्तरण किये जा रहे हो। हम तो स्थानान्तरण का नाम लेते हैं तो हमारे को एक ही जवाब है कि स्थानान्तरण पर रोक है और दूसरी तरफ उन बाबुओं के लिए कोई रोक नहीं है। अभी 19.2.2000 को हमारे वहां समानीकरण की जो सूची जारी हुई है उसमें बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो अधिशेष नहीं हैं, जिनका स्वैच्छिक स्थानान्तरण किया गया है फिर बाद में हमने पता किया कि यह तो स्वैच्छिक रूपानान्तरण है, अधिशेष में तो नहीं है, समानीकरण से तो प्रभावित नहीं है, स्वैच्छिक है। हम भी कहते हैं कि यह स्वेच्छा से अमुक स्थान पर जाना चाहता है, वहां पद खाली पड़ा है कर दो तो कहते हैं कि स्थानान्तरण पर रोक है।

श्री सभापति : मंत्रीजी बैठे हैं, आपकी बात को नोट कर रहे हैं। आप बोले जाएं। आप भाषण जारी रखो।

श्री अब्दुल अजीज (राज्य शिक्षा मंत्री) : एक बात को लिखे जा रहा हूं। आप कहें तो सुना भी दें।

श्री हेमाराम चौधरी : आप नोट करें या न करें, अपना काम जब मुझे बोलने का अवसर मिला है तो मैं अपनी व्यथा कह-दूं, यह है। सुनवाई करना इनका काम है करे या न करें। इसलिए, सभापति महोदय, 19.2.2000 को जो दो सूचियां जारी हुई हैं, जिनकी कापी मेरे पास है। एक सूची 71 अध्यापकों की जारी हुई है और दूसरी 30 अध्यापकों की जारी हुई है। इसमें कई अध्यापक ऐसे हैं जो अधिशेष में नहीं थे और उनका स्वैच्छिक स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ है रोक के बावजूद। तो आप क्या इस तरह के जो स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे या फिर जो जैसा करता जा रहा है वह ठीक है? 19.2.2000 को जो 71 अध्यापकों की सूची जारी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं। सब के नाम का उल्लेख करने की यहां पर जरूरत नहीं है, कुछ अध्यापकों के नाम बता देता हूं जिनका सिर्फ स्थानान्तरण हुआ है। समानीकरण से उनका कोई लेना-देना नहीं है। जो 71 अध्यापकों की सूची है उसमें क्रम संख्या 2 पर घनश्याम जिसका स्थानान्तरण सेतराऊ से कातरला खिलेरान किया गया है, क्रम संख्या 18 पर आइदान राम का कारटिया से पंवारियाताला किया गया है, क्रम संख्या-21 पर सगराम का देदूसर से नवातला राठौड़ान किया गया है, क्रम संख्या-43 पर जसवंतराम शारीरिक शिक्षक का बांड से इशरोल किया गया है। तो इस तरह से सब का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी सूची 30 की है उसमें भी है। इस तरह से स्थानान्तरण किये हैं और हम हमारी व्यथा जब भी स्थानान्तरण के बाबत रखते हैं तो हमको रोक का ही जवाब मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्रीजी इस पर कोई न कोई कार्यवाही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मंत्रीजी बहुत योग्य और काबिल हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह सब एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क जो नीचे लगे हुए हैं उन्होंने किया है। अधिकारियों को भी वे बाबू लोग सही चीज बताते नहीं हैं और वे नीचे ही नीचे घोटाला करते हैं। इसलिए इसको रोका जाए। क्योंकि मैंने अभी देखा है। अभी शिक्षाकर्मी बोर्ड के तहत पंचायत समिति बायतू में शिक्षाकर्मी के प्रशिक्षण के दो शिविर लगे। उसमें कुछ घोटाला हुआ और फिर बाद में वह घोटाला प्रकाश में आया और प्रकाश में आने के बाद कुछ लोगों ने पैसे खा लिये, उन्होंने पैसा वापस जमा कराया। जिन लोगों ने पैसे खाये और वापस जमा कराये उनका तो कुछ नहीं हुआ और जिसने इस घोटाले को उजागर करने में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया उसको ही सजा दे दी। उसको इस विभाग से वापस अपने विभाग में टेलिग्राफिक आदेश से भेज दिया गया। यह सब नीचे के अधिकारियों का मामला है। मैं सैक्रेटरी

(श्री हेमाराम चौधरी)

साहब से मिला, सैक्रेटरी साहब ने बहुत संतोषप्रद जवाब दिया कि मैं इस मामले को देखूंगा। मैंने कहा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। अच्छा जवाब मिला। लेकिन बात उनके ध्यान में नहीं लायी, उनके ध्यान में उल्टी बात लाते हैं कि सब साहब इसने घोटाला किया है। मैंने कहा कि साहब पैसे किसने जमा कराये? खाये हैं उसी ने तो जमा कराये हैं? पैसा जमा कराने वाला तो वहीं बैठा मौज कर रहा है और जिसमें कोई इसमें कुछ नहीं किया, जिसका इस गबन से कोई लेना देना नहीं है उसको उस विभाग से निकाल रहे हो। तो सैक्रेटरी साहब ने उस बात को माना कि मैं सही जांच करवाऊंगा। मुझे आश्वासन दिया इसलिए सैक्रेटरी साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात को सुना। पर नीचे के स्तर पर यह होता है उसको भी देखने का काम ऊपर के अधिकारियों का है, वे इसको देखें और उस पर कार्यवाही करें। माननीय मंत्री महोदय भी उस पर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : संक्षेप में कर रहा हूं। सभापति महोदय, ये राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं आपने खोली हैं इनमें जो 1200 रुपये आप दे रहे हो पढ़ाने वाले शिक्षा सहयोगी को, यह कम है इसलिए मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इसको दो हजार रुपये किये जाएं क्योंकि 60 रुपये तो आपने न्यूनतम मजदूरी कर दी है इसलिए इनको दो हजार रुपये तो दो। कुछ तो इनको मिले तो यह भी पढ़ाने में रूचि लें। दूसरे अध्यापकों को तो आप इतनी तनख्वाह देते हो तो थोड़ा इनका भी ख्याल रखो। 1200 रुपये आप इनको देते हो इसको मैं बहुत कम समझता हूं, इसलिए, आप दो हजार करने की कृपा करावें।

सभापति महोदय, जहां 40 से अधिक बच्चे हैं, कहीं 50 हैं, 60 हैं, कहीं-कहीं 100 से भी ऊपर है। वहां पर आपने कहा था कि हम अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी लगायेंगे। परंतु अभी तक एक के अलावा दूसरे शिक्षा सहयोगी कहीं नहीं लगे। काफी समय हो गया है इन स्कूलों को प्रारम्भ हुए। इसलिए छात्रों की संख्या के अनुपात में हम निवेदन कर रहे हैं कि आप दूसरे शिक्षा सहयोगी भी लगाने की तुरंत व्यवस्था करवायें जिससे कि शिक्षा पर बुरा असर नहीं पड़े।

सभापति महोदय, संस्कृत शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे बाड़मेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृत की जितनी भी स्कूलें हैं उनमें तो स्टाफ बिलकुल नहीं है क्योंकि उनकी नियुक्तियां जयपुर से होती है और जयपुर के आस-पास के लोगों की ही नियुक्ति होती है। हमारे वहां जिले के

(श्री हेमाराम चौधरी)

तो संस्कृत विभाग में कोई अध्यापक है ही नहीं।

श्री सभापति : अब आप शिक्षा का समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : दो मिनट लूंगा। पहली बार ही बोला हूं।

श्री सभापति : दो मिनट का दो मिनट ही है।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए सभापति महोदय, संस्कृत विभाग इसकी ओर ध्यान दें और वहां पर, उस जिले के शिक्षकों को ही नियुक्ति दें तो ही जाकर हमारे शिक्षक जो बिलकुल ही है ही नहीं और स्कूलें खाली पड़ी हैं तो उनकी पूर्ति हो सकती है।

दूसरा सभापति महोदय, पंचायत समिति में पहले शिक्षकों को नियुक्ति पंचायत समिति को शुरू-शुरू में अधिकार था, उन्होंने दी थी और फिर बाद में उनका चयन जिला परिषद को करना था। जिला परिषद में चयन साल भर में, छह महीने के बाद में किया तो उनका स्थिरीकरण का मामला अटका हुआ है। हमारे वहां पंचायत समिति को या विभाग को भेजा हुआ है। उसमें वह कह रहे हैं कि जिला परिषद करेगी। पहले तो जिस दिन से पंचायत समिति ने नियुक्ति दी थी उस दिन से उनका स्थिरीकरण कर दिया गया है, आज से पहले तो इस प्रकार का होता रहा कि हजारों अध्यापकों का स्थिरीकरण हो गया। अभी कुछ इस प्रकार के क्लेरिफिकेशन के मामले में यह मामला उलझा हुआ है कि पंचायत समिति में नियुक्ति दी, उस दिन से उनका स्थिरीकरण किया जाए या जिला परिषद द्वारा चयन किया गया, उस दिन से किया जाए। जब आज से पहले हजारों शिक्षकों का स्थिरीकरण आपने पंचायत समिति में नियुक्ति की तिथि से किया है तो इनका भी स्थिरीकरण कर दें तथा उनको भी यह लाभ दें। यह सारा मामला अटका हुआ है इसलिए, एक मेरा यह भी आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, अब पंचायतों के आपने चुनाव करा दिये हैं। पंचायतों का, पंचायत समितियों का, जिला परिषद का, सबका गठन हो गया है इसलिए अभी उस समय आप इनका पुनर्गठन नहीं करेंगे पर आपको देर-सबेर पुनर्गठन करना चाहिए। पिछली बार भी, विधान सभा में भी मैंने ही नहीं, मेरे बहुत सारे साथी, 90 से अधिक विधायकों ने लिखकर दिया था कि पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बावजूद भी पुनर्गठन नहीं हो सका क्योंकि चुनाव आने की वजह से चुनाव कराना जरूरी हो गये। अब भी, इस समय भी पुनर्गठन के बारे में सोचा जाना चाहिए। किस प्रकार से किया जाए, कैसे किया जाए, पुनर्गठन करने जो बहुत बड़ी पंचायतें हैं, कई-कई पंचायतें तो हमारी ऐसी हैं, जिनका पुनर्गठन उस समय हुआ नहीं था, रह गई

(श्री हेमाराम चौधरी)

थीं, अब किया जाना चाहिए। यह मेरा मंत्री महोदयजी से एक निवेदन है कि वह इस बारे में ध्यान दें, इस पंचायती राज को मजबूत करें। एक मेरा छोटा सा मंत्रीजी से और निवेदन है कि अभी पंचायती राज के चुनाव हुए। उसमें जो पहले सरपंच था, उनके कार्यकाल में जो उनके द्वारा काम करवाये गये थे, जो इन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये और उनका भुगतान अब नये सरपंच को अगर किया गया, तो अब जो सरपंच है पद पर, उनको वह भुगतान नहीं करेंगे और वह रुक जायेंगे। इसलिये उनके कार्यकाल में जो काम किया, जो इन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लिया है, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, काम उन्होंने करा दिया है, उसमें कोई फर्क नहीं है तो फिर वह पैसा सीधा उनको भुगतान किया जाना चाहिए। मौजूदा सरपंच को नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके सामने तो वह चुनाव लड़ा है। वह उनको कतई पैसा नहीं देगा। इस प्रकार के मामले हमारे ध्यान में लाए हैं। इसका भी आप कोई व्यावहारिक हल निकालें। उनको सीधा भुगतान करायें या जैसी भी आप ठीक व्यवस्था समझें उन्होंने अमानत का पैसा जमा करके काम उस समय पूरा करवा दिया और पैसा अभी तक राज में उनका बकाया पड़ा है इसलिए यह भी मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : अब विराजें आप।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलाल जी सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, बजट सत्र 2000-2001 की अनुदान की मांग संख्या 24, 41 और 28 के संबंध में मैं अपने विचार रख रहा हूं। पूरे भारत के अन्दर शिक्षा का अलख जगाने के लिए संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर "शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो" का नारा दिया। उसके तहत बाबा अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत ने हिन्दुस्तान के भूतपर्वू प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी के नाम पर, वह राजीव गांधी जी जिनका हिन्दुस्तान में किसी खेत और खलिहान से झगड़ा नहीं था। हिन्दुस्तान को एक और अखण्ड रखने के नाम पर शहीद हुए। उन महान आत्मा के नाम पर पूरे राजस्थान के अन्दर हजार नहीं, दो हजार नहीं, 10 हजार नहीं, 16,000 राजीव गांधी पाठशालाएं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने खोलकर इस राजस्थान को गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस गरीब किसान के बच्चे को पढ़ाने

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

के लिए राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। उसके लिए पूरा राजस्थान आदरणीय अशोक गहलोत का आभारी है और वर्तमान में भी 11,000 स्कूलें और खोलने का प्रावधान रखा है, उसके लिए विशेष तौर पर आभारी हैं।

इस बारे में निवेदन है कि शहरी क्षेत्र के अन्दर भी, जो शहर के बाहर बसी हुई एस.सी. एस.टी. की बस्तियां हैं, जिनसे 2-2, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूलें हैं, वहां तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं शहरी क्षेत्र के अन्दर जैसे सरवाड़ और केकड़ी, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, दोनों शहर के अन्दर एस.सी. की बस्तियां शहर से दूर बसी हुई है। अगर उनके अन्दर भी, शहरी क्षेत्र के अन्दर अगर राजीव गांधी पाठशालाएं खोलेंगे तो शिक्षा का अलख शहरों के अन्दर राजीव गांधी पाठशालाओं के माध्यम से जगाने से एस.सी. के लोगों को फायदा मिलेगा और विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्दर मैंने विगत साल भर से स्कूलों के अन्दर संकाय खोलने की सूची भी दे रखी है। आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन स्कूलों के अन्दर विषय संकाय खोलने का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सरवाड़ शहर और केकड़ी शहर के अन्दर जो एस.सी. का बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर अगर शहर में उर्दू विषय है, जो आपने खोलने का प्रावधान रखा है, मैं चाहता हूं केकड़ी और सरवाड़ शहर के अन्दर भी उर्दू विषय आप खोलें और विशेष रूप से केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं जिसकी वजह से कई बार हड़ताल भी हुई और हड़ताल भी इस स्तर पर की गई कि स्कूल के छात्रों ने ही स्कूल के अन्दर ताला लगाकर हड़ताल की। उससे शिक्षकों के और शिष्यों के बीच में जो पहले गरिमा थी, एक निराशाजनक वातावरण देखने को मिला तो मैं चाहूंगा कि उनकी आपस में गरिमा बनी रहे। इसके लिए शिक्षकों के रिक्त पद तुरंत प्रभाव से भरे जाएं और विशेष रूप से उस शिक्षा क्षेत्र के अन्दर पिछली बार भी आदरणीय मंत्रीजी केकड़ी महाविद्यालय में पधारे और पी.जी. कक्षाएं खोलने के लिए उनके सामने ज्ञापन दिया था। आदरणीय मंत्रीजी ने वहां घोषणा भी की थी लेकिन वह पी.जी. कक्षाएं आज तक नहीं खोली गई है जिससे बच्चों को 80 किलोमीटर दूर अजमेर आकर के पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और केकड़ी विधान सभा क्षेत्र एक अनुसूचित जाति का क्षेत्र है जहां गरीब परिवार, एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग के अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसी अवस्था के अन्दर, पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्दर ये पी.जी. कक्षाएं खोलना अति आवश्यक है। आदरणीय मंत्रीजी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। इसी प्रकार से केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की ओर मैं मंत्रीजी का

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां छात्रावास के अन्दर बच्चे जो अध्ययनरत हैं, 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है लेकिन वहां मात्र 35 बच्चे ही अध्ययनरत हैं जबकि 125 एप्लीकेशन्स आई हुई हैं। बाकी बच्चों को महरूम रखा गया है। पिछली बार भी प्रभारी मंत्रीजी अजमेर आए थे तो हम लोगों ने उनके सामने बात रखी। उन्होंने आदेश भी दिये लेकिन उन आदेशों की अभी तक पालना नहीं हुई तो मैं चाहता हूं कि एस.सी. के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 25 छात्र जो अभी तक अध्ययन करने से वंचित है, उनकी तरफ तुरन्त विशेष ध्यान दिया जाए और 60 बच्चों की स्ट्रेंथ हैं, उसको पूरी करवाई जाए। विशेष रूप से आदरणीय सभापति महोदय, एस.सी. का छात्रावास जो अभी निजी भवन में चल रहा है, अब जो 60 बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उन्होंने एक प्रावधान रखा कि हमारे लिए बिल्डिंग छोटी पड़ती है, दूसरी जगह मांगते हैं तो भवन मिल नहीं रहा है और यह भी एक सरकारी भवन के अन्दर चल रहा है और एस.सी. के नाम पर कहीं भवन मिलने में बहुत कठिनाई आ रही है इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, इसके लिए, छात्रावास भवन निर्माण के लिए भी केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, सांखला गांव के अन्दर और प्रोपर केकड़ी के अन्दर और सरवाड़ के अन्दर छात्रावास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। छात्रवृत्ति के बारे में, माननीय सभापति महोदय, आये दिन यह शिकायत रहती है कि चालू सत्र के छात्र दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं या टेन प्लस टू को पढ़कर सीधे कालेज में चले जाते हैं और चालू सत्र के अन्दर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और छात्रवृत्ति का कई बार पैसा लेप्स हो जाता है। हमने हर सभा के अंदर मांग भी रखी है। मैं यह चाहूंगा कि जैसे 675 रुपये छात्रवृत्ति है और उनको थ्रू चैक छात्रवृत्ति दी जाती है जबकि वर्तमान में बचत खाता भी अगर बैंक में खुलवाने जायें तो मिनिमम राशि पांच सौ रुपये से खाता खुलता है इसलिए मैं चाहूंगा कि छात्रवृत्ति को उन छात्रों को नकद राशि के रूप में उसी सत्र के अंदर दिया जावे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पालिका भी है, ऐसी अवस्था में वहां से करीबन बीस किलोमीटर दूर केकड़ी महाविद्यालय के अंदर पढ़ने जाना पड़ता है जबकि हर प्रकार से सरवाड़ नगरपालिका एक अच्छे कस्बे के लिए उपयुक्त शहर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र के अंदर भी एक महाविद्यालय की स्थापना होवे तो बच्चों को लाभ मिलेगा और बच्चे पढ़-लिख पायेंगे। सभापति महोदय, पचांयतों के अधिकार के संबंध में आदरणीय अशोक गहलोतजी,

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जिन विषम परिस्थितियों के अंदर जन प्रतिनिधियों को सम्मान दिलाने के लिए जो पंचायतों के चुनाव करवा कर संवैधानिक दायित्व का निर्वाह किया है उसके अंतर्गत जिला कलेक्टर जो एक सरकारी नौकर है, उस सरकारी नौकर की जगह एक जन सेवक को डीआरडीए का चेयरमेन बनाया, उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के तहेदिल से आभारी हैं। सरपंच को पंचायत समिति का मेम्बर बनाया गया और पंचायत समिति मेम्बर को जिला परिषद का मेम्बर बनाया गया, इसके लिए भी हम लोग उनके तहेदिल से आभारी हैं। आदरणीय सभापति महोदय, जो सरपंच की महिमा है, जो एक सरपंच को अधिकार दिये गये हैं, सरपंच के अंदर राजस्थान के एक मिनि मुख्य मंत्री का स्वरूप दिया गया है। मैं इसकी थोड़ी सी गहराई में बताना चाहूंगा कि सरपंचों का अधिकार अपने आप में पंचायत राज के अंदर बड़ा महत्त्वपूर्ण है। जिस तरह हमारे पूर्वज जानते हैं कि किसी समय गांव के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति या उसके परिवार का व्यक्ति उस गढ़, रावलों, महलों और किलों के सामने से पैदल गुजरने के लिए जाता था तो उसको जूतियां सिर पर लेकर गुजरना पड़ता था और आज आजादी के बाद से लेकर सन् 1970 तक दलित समाज हमेशा शोषित रहा, उसकी पीड़ा को आदरणीय स्वर्गीय अन्तर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधीजी ने समझा और इनकी महिमा को समझ कर, उनके दुःख-दर्द को समझ कर सन् 1970 के अंदर राजा-रजवाड़ों के राज खत्म कर दिये और इन दलितों को समानता का अधिकार दिलाकर के, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आदरणीय राजीव गांधीजी ने पंचायतों के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण दिया। उस आरक्षण के तहत आज अनुसूचित जाति का वह सरपंच उसी गढ़, रावले, महल और किले के समाने उसी चौपाल पर बैठकर छत्तीस कौम की बात करता है, न्याय की बात करता है, गांव के विकास की बात करता है। यह कांग्रेस पार्टी की देन है, यह कांग्रेस सरकार की देन है। एक सरपंच को इतने बड़े अधिकार दिये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, बात करें हम ग्रामीण विकास की योजनाओं की, जिस तरह से ग्रामीण विकास योजनाओं का और समाज कल्याण का पैसा जो पिछली बार पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो गरीबों के नाम का पैसा था, वह गढ़, रावलों, किलों और महलों को सजाने के अंदर खर्च कर दिया गया और गरीबों के नाम पर, विकास के नाम पर कोई पैसा नहीं था। लेकिन इस सरकार ने, गहलोत सरकार ने अब के उसमें प्रावधान रखा है इसलिए मैं चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के अंदर, ग्रामीण जनता जो सत्तर प्रतिशत गांवों के अंदर विराजमान हैं, उसके अंदर अनुसूचित जाति व जनजाति, जो पिछले आठ सालों से महरूम रह गये थे विकास के नाम पर, वह सारा पैसा अब के से ग्रामीण जनता

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

के ऊपर खर्च किया जाय, ज्यादा बढ़िया रहेगा।

सभापति महोदय, इन पंचायतों के माध्यम से गांव के अंतिम छोर पर बैठा हुआ वह किसान व्यक्ति, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने पूर्ण व्यवस्था की है, वह किसान व्यक्ति जिसकी कहीं अकाल मृत्यु हो जावे तो कांग्रेस सरकार दस हजार रुपये उसको आर्थिक मुआवजा राशि देती है, यह कांग्रेस सरकार की देन है। वह किसान व्यक्ति जो खेत से उपज लेकर के कृषि उपज मंडी के रास्ते तक जाता है और चलते ही अचानक आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य की कांग्रेस सरकार पच्चीस हजार रुपये उसको आर्थिक मुआवजा राशि देती है। यह कांग्रेस सरकार की देन है। खेत में काम करते हुए किसान भाई की पूली के अंदर अगर एक अंगुली कट जाये तो पन्द्रह सौ रुपये कांग्रेस की सरकार उसको मुआवजा देती है। यह कांग्रेस सरकार की देन है। खुदा न खास्ता दो अंगुली कट जावे तो तीन हजार रुपये कांग्रेस की सरकार उसको मुआवजा देती है। यह कांग्रेस की सरकार की देन है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाय, हाथ कट जावे तो छह हजार रुपये उसको मुआवजा देती है। यह कांग्रेस सरकार की देन है। इस कांग्रेस सरकार ने गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस किसान व्यक्ति की पूर्ण तौर से व्यवस्था की है। आदरणीय सभापति महोदय, पेयजल, हो सकता है अकाल के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : यह आप उसी समय करें, ठीक रहेगा। अब अपने विषय पर आ जाओ ताकि आपका समय उपयोग हो जावे।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण अंचल का विषय है साहब। मैं ग्रामीण अंचल से चुना हुआ हूं।

श्री सभापति : नहीं, आप जल संकट के ऊपर, उस दिन तारीख निश्चित है, उस दिन कर लेना। बैठें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज शिक्षा पर है, पंचायती राज का नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : तो सभापति महोदय, जैसे मेरे क्षेत्र के अंदर सतरह गांव डूब क्षेत्र में आते हैं और बीसलपुर का बांध हमेशा केकड़ी की छाती को चीर करके और उसमें से पानी गुजर करके उस बीसलपुर बांध में इकट्ठा होता है और उसकी भराव क्षमता 315 क्यूबिक मीटर तक है और अभी वर्तमान में वह 306 मीटर तक भरा हुआ है। उसका कारण है, आदरणीय सभापति महोदय, जब तक केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की जनता नहीं चाहेगी तब तक 315 भरना असम्भव है। चाहे मंत्रीजी, चाहे मुख्य मंत्रीजी कितनी ही घोषणा कर लें कि उसका पानी जयपुर चला जावे, टोंक चला जावे, चाहे जैतारण चला जाय, चाहे भीलवाड़ा चला जाये। अब तक वह 17 गांव जो डूब क्षेत्र में मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में आते हैं, जिनको उनके चाहे अनुसार उनकी जमीन

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

की किस्म के अनुसार जब तक हम मुआवजा देकर उनको अन्यत्र विस्थापित नहीं करेंगे तो 306 से ज्यादा पानी वहां भरना असम्भव है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज जो विषय है उसके अंतर्गत उस ग्रामीण जनता को, जो सतरह गांव डूब क्षेत्र में आते हैं उनका तत्काल प्रभाव से बरसात आने से पहले मुआवजा देकर अन्यत्र विस्थापित कर दिया जाय तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इन्होंने ही देवली के अंदर एक आंदोलन चलाया और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी ने 306 से ज्यादा पानी भरा हुआ था उसके आदेश फरमाये और उस पानी को बाहर निकाला गया और 306 तक ही उसकी भराव क्षमता रखी गई थी जबकि 315 उसकी भराव क्षमता है। तो मैं चाहूंगा कि उन 17 गांव डूब क्षेत्र को अगर विस्थापित दूसरी जगह कर दिया जावे तो 315 तक वह बीसलपुर बांध भरा जावे तथा उससे जयपुर, टोंक, अजमेर जिले के पूरे गांव, मजरों, ढाणियों तक पानी पहुंच सकता है। हो सकता है भीलवाड़ा के अंदर भी पानी जा सकता है। इतनी बड़ी उसके अंदर भराव क्षमता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि 17 गांव जो डूब क्षेत्र में आते हैं उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा राशि दी जावे।

श्री सभापति : समाप्त करें अब।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, जिस तरह ग्राम पंचायतों के अंदर विकास...

श्री सभापति : ग्रामीण अंचल से तो सभी आते हैं माननीय सदस्य, इसलिए अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह विकास के अंदर एम.एल.ए. कोटा है 25 लाख का, सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस 25 लाख को 50 लाख तक बढ़ा दिया जावे तो ग्रामीण विकास के अंदर एक अच्छा सहयोग रहेगा। उसके साथ-साथ एक निवेदन और है। जैसे अभी राज्य सभा के तीन सदस्य चुने गये जिनका निर्वाचन क्षेत्र 154 विधान सभा क्षेत्रों का है और 154 विधान सभा क्षेत्र के अंदर वह तीनों राजस्थान के कांग्रेस के सदस्य चुने गये हैं जिनका सालाना विकास फण्ड छह करोड़ रुपये बनता है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उसके अंदर से तीन लाख नब्बे हजार रुपये 154 सदस्यों में डिवाइड होते हैं 25 को 50 लाख करके और तीन लाख नब्बे हजार और जोड़कर प्रत्येक 154 जो विधायक कांग्रेस के हैं उनको जरा सम्बल प्रदान करें, मैं आपसे ऐसी व्यवस्था चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद। माननीय श्री रामनारायणजी चौधरी। माननीय श्री हरजी रामजी बुरड़क। माननीय श्री संयम लोढ़ा।

एक माननीय सदस्य : बुरड़क साहब आ गये, सर।

श्री सभापति : अब आप तय करें बुरड़क साहब आ गये तो।

(14 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : सभापति महोदय,

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री बुरड़क साहब आ गये हैं तो पहले वे बोल लें।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी जैसी आज्ञा।

श्री सभापति : माननीय बुरड़क साहब।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, आज जो अनुदान की मांगें रखी हैं वे अति महत्त्वपूर्ण हैं। सभी मांगों को एक साथ रखा गया है जबकि इनको अलग-अलग रख करके इसमें पूरा विचार होना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का सबसे पहले पंचायत राज विभाग के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, बार-बार घोषणा यह की जा रही है कि पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं, प्रमुखों को विशेष रूप से अधिकार दिये जा रहे हैं और अधिकारों के नाम पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष उनको जरूर बना दिया लेकिन प्रमुख की अध्यक्षता में जो जिला स्थापना समिति के गठन का प्रावधान पचायत राज अधिनियम में है और पंचायत राज संस्था के कर्मचारियों का चयन करने का काम उस स्थापना समिति का है और वह अधिकार जिला प्रमुख को पंचायत राज अधिनियम में पहले से ही था और नया जो अधिनियम बना उसमें भी है लेकिन आपने देखा होगा पिछले साल जो ग्राम सेवकों का चयन किया गया उसमें जिला स्थापना समिति की बुरी तरह से उपेक्षा की गई और उनको इसमें कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया। जिला कलेक्टरों ने परीक्षा आयोजित की उन्होंने ही परिणाम निकाले और इस पंचायत राज अधिनियम की घोर उपेक्षा की गई। साथ ही साथ इस कार्य में जिला परिषदों की जो निजी आय थी उसमें नियमों की उपेक्षा करके भारी राशि जिला कलेक्टरों के माध्यम से इसमें खर्च करवाई गई। मैंने इस संबंध में पिछले सत्र में सवाल पूछा था तो मुझे जो सरकार से उत्तर मिला उसमें यह लिखा हुआ था कि परीक्षा आयोजित करने का अधिकार जिला स्थापना समिति को है और उन्हीं के द्वारा यह आयोजित की गई है लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है।

श्री देवीसिंह भाटी : थोड़ा जोर से बोलें आपकी बात सुनना चाहते हैं। बेसिक नालेज है आपको।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें घोर उपेक्षा की गई। उत्तर में यह बताया गया है कि यह परीक्षा जिला स्थापना समितियों द्वारा आयोजित की गई है लेकिन जो चयन की सूची जारी की गई उसमें स्थापना समिति का कोई लेना-देना नहीं है। मेरे पास वह आरिजनल सूची है जिसमें जिला कलेक्टर के हस्ताक्षरों से यह जारी की है। इसी प्रकार से जो राशि खर्च की गई है उसके संबंध में बताया यह गया था कि नियमों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में यह व्यवस्था की है कि जिला परिषदों की निजी आय जिला परिषद के अनुमोदन से या स्वीकृति से खर्च की जाएगी लेकिन इसकी भी उपेक्षा की गई। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि पंचायत राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के चुनाव की जो प्रक्रिया पुराने टाइम से चली आ रही थी वह नये नियम 1994 में बने उनमें पुराने नियम समाप्त कर दिये और नये नियम बनाये उनमें आधी-अधूरी व्यवस्था करके चुनाव किस प्रकार से होगा यह कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद में जो भी चुनाव हुए कहीं तो पुराने नियमों के हिसाब से नामीनेशन फार्म भराये गये, बेलट पेपर से चुनाव कराये गये लेकिन आज की तारीख में नियमों में यह व्यवस्था नहीं है कि नामीनेशन फार्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। उसका प्रपत्र कौनसा होगा। न यह व्यवस्था है कि बेलट पेपर से चुनाव होगा कि हाथ उठाकर चुनाव होगा। इस मामले का मैंने विधान सभा में कई दफा पहले उठाया। पूर्व सरकार का और मौजूदा सरकार का उत्तर एक ही मिलता है कि नियमानुसार होगा। अब नियमों में यह व्यवस्था है नहीं आज भी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को स्पष्ट कर दें कि स्थायी समितियों के चुनाव में नामीनेशन फार्म होगा कि नहीं होगा तथा कौनसा फार्म होगा। बेलट पेपर होगा तो उसका कौनसा प्रपत्र होगा। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें पंचायतराज संस्थाओं के कार्य में शिथिलता आ रही है। इसके अलावा अभी आपने सरपंचों, पंचायत राज संस्थाओं के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध जो विभागीय कार्यवाहियां चल रही थीं उनको आपने सम्भागीय आयुक्त को सौंपा है इससे इसमें बहुत शिथिलता आ गई। क्यों आ गई कि उनके लिए यह नया काम था। मंत्री जी का कार्यभार अधिक है तो यह यहां के भी किसी अधिकारी को अधिकार दे सकते थे लेकिन सम्भागीय आयुक्तों को भेजने के बाद इस काम में बड़ी शिथिलता आयी इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इनको अपने स्तर पर या मुख्यालय पर अगर आपको टाइम नहीं है तो आप किसी अधिकारी को यह अधिकार सौंप सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि आप जिस प्रकार से जिला परिषदों को अधिक कार्य सौंप रहे हैं और जिला परिषद के सी.ई.ओ. के पद को आपने विभाजित करके एक सी.ई.ओ. और एक अतिरिक्त सी.ई.ओ. लगा करके जो किया है उससे काम सही रूप से संचालित नहीं हो रहा है और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजना जिसे आप जिला परिषद को सौंप रहे हैं तो जिला परिषद के सी.ई.ओ. का पद आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा का करके उसका जिला कलेक्टर विकास के नाम से अलग पदनाम करके विकास की सारी योजनाएं उनके स्तर पर चलायें तो इस कार्य में गति आएगी।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

क्योंकि अगर विकास के नाम से अलग से जिला कलेक्टर होगा तो बाकी सारे अधिकारियों पर नियंत्रण होने में उनको आसानी रहेगी और कार्य भी अच्छी गति से चलेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, थोड़ा बुरड़क साहब आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। यह मांग संख्या-24 में शिक्षा है, 41 में सामुदायिक विकास है और 28 में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हैं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इसमें पंचायत राज विभाग भी शामिल होगा?

श्री सी. पी. जोशी : सामुदायिक विकास में है।

श्री हीरासिंह चौहान : सामुदायिक विकास एक अलग कार्यक्रम है। प्रसूति सहायता, पारिवारिक सहायता है, वृद्धावस्था पेन्शन है वह आते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : इसी में है साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : नो नो ग्राम पचांयत का तो बिलकुल टोटल...

श्री सी. पी. जोशी : यह प्रश्न माननीय चेयर से पूछा जाए तो उचित रहेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं सभापति महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर करके व्यवस्था चाहता हूं और आपकी मार्फत स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या ग्राम पंचायत भी इसमें आएगी ताकि हम भी वही तैयारी करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि जो अपना बजट हैड है वह इसी नाम से है। ग्रामीण एवं पंचायत राज व्यवस्था इसमें सम्मिलित है।

श्री हीरासिंह चौहान : शामिल है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां।

श्री हीरासिंह चौहान : ठीक है।

श्री सभापति : सामुदायिक विकास में तो ग्रामीण पंचायतों के सब शामिल हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : सामुदायिक विकास के अलग कार्यक्रम हैं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं यही है।

श्री हीरासिंह चौहान : ग्राम पंचायत का एक्ट अलग है उसके कार्यक्रम सारे अलग हैं।

श्री सभापति : यह उसी हैड में शामिल है।

श्री हीरासिंह चौहान : पंचायत राज व्यवस्था टोटल अलग है यह सामुदायिक विकास है।

श्री सभापति : वह पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अलग है...

श्री हीरासिंह चौहान : सामुदायिक विकास है शिक्षा है बिलकुल अलग है इस प्रकार इसलिए स्पष्टीकरण चाह रहे थे।

श्री सभापति : माननीय संदस्य, इंस्टीट्यूशन अलग है पर मांग इसी में है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, अपना जो बजट हैड है वह बजट हैड इसी नाम से है।

श्री सभापति : इंस्टीट्यूशन अलग है मांग वही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : पंचायत राज के नाम से कोई अलग बजट हैड नहीं है। यह सामुदायिक विकास के नाम से बजट में है।

सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आपने जिला प्रमुख को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाने के जो आदेश जारी किये हैं, और उसके अनुरूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो रजिस्टर्ड संस्था है, उनके संविधान में संशोधन करवाया है या तो आपने उसको पढ़ा नहीं है। आप बात करते हैं कि हमने प्रमुख को मजबूत बनाया है और मैं कह रहा हूं कि आपने उसको कमजोर बनाया है। आज तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जो विधान था उसमें कहीं यह प्रोविजन नहीं था कि अभिकरण के प्रस्ताव को कलेक्टर नहीं मानेगा। आपने जो संशोधन किया है उसमें उसको कार्यकारी अधिकारी बनाकर यह अधिकार दिया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अगर कोई प्रस्ताव कलेक्टर उचित नहीं समझता है तो वह उसकी अनुपालना नहीं करेगा। आपने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को और प्रमुख को मजबूत बनाया है या कमजोर बनाया है, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। दूसरा, इसमें जब प्रमुख को कुर्सी पर बैठने के अलावा किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। तो इससे आप उसको मजबूत कैसे समझ रहे हैं, यह मेरे समझ की बात नहीं है। अभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर की एक बैठक हुई। इसमें प्रमुख साहब को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। पास में कलेक्टर साहब बैठ गये ओर वह मीटिंग समाप्त होते ही दूसरी मीटिंग चालू हुई, उसमें उनको उठाकर दूसरी जगह रख दिया और कलेक्टर साहब वहां बैठ गये। यह इस प्रकार की व्यवस्था है इससे आपको पंचायती राज मजबूत होता लगता हो, ऐसी बात नहीं है।

सभापति महोदय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जो गठन हुआ उससे लेकर आज तक किसी भी सरकार ने उनकी आडिट कराना तो अनिवार्य समझा लेकिन उस आडिट रिपोर्ट की अनुपालना कराना किसी ने अनिवार्य नहीं समझा। न तो उस आडिट रिपोर्ट की कोई उपयोगिता रही। उसमें चाहे कुछ भी लिखा दो। आडिट हो गई, यह सर्टिफिकेट आना जरूरी है। इसमें इतने घोटाले निकलेंगे, अभी तो इनके पास बजट ही नहीं है लेकिन

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अगर पांच-सात वर्षों की आडिट रिपोर्ट अगर आप देखो तो करोड़ों रुपये के इसमें गबन हैं। एक पार्टी को पहली किश्त में पेमेन्ट किया उसके दस्तखत है उसी आदमी को दूसरी किश्त का पेमेंट किया उसमें अंगूठे का निशान है। इस प्रकार के सैंकड़ों घोटाले हैं जिसकी ओर न तो विभाग का ध्यान है और न इस पर कार्यवाही करने की किसी को फुर्सत है।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बात शिक्षा के संबंध में भी निवेदन करूंगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी और पंचायतीराज मंत्रीजी ने राजीव गांधी पाठशाला खोलने का जो काम किया है इसका जनसाधारण ने बहुत अच्छा स्वागत किया है। जहां तक हो सके अगर इसमें और अधिक वृद्धि की जा सके तो और जनता इसको उपयोगी मानेगी। शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा आर्थिक हालत में जो स्कूलें खोलने, क्रमोन्नत करने आदि का जो प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है वह स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें मेरा एक निवेदन है कि माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 200 की गई है उसको कम से कम 400 करनी चाहिये क्योंकि दूरदराज के गांवों में नजदीक में माध्यमिक शिक्षा का अभाव बराबर बना हुआ है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आज शिक्षा का स्तर गांवों में इतना गिर गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका उदाहरण यह है कि आज छोटे-छोटे गांवों में जहां दो-दो सौ घरों की बस्ती है वहां पर शहरों से आकर लोगों ने प्राइवेट स्कूलें खोल रखी हैं और भारी फीस वसूल कर रहे हैं। फिर भी लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजकर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। इससे यह साफ है कि शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गिरा हुआ है और जिसका मुख्य कारण है अध्यापकों की अनुपस्थिति। माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा, आप भी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, गांवों में जो शिक्षा विभाग की स्कूलें हैं उसमें अध्यापक बारी-बारी से जाते हैं। सात दिन इसके जाने की बारी है, सात दिन इसकी बारी है। इस हिसाब से वो जाते हैं और एक-एक बिना तारीख का छुट्टी का प्रार्थना पत्र रखा रहता है अगर कोई आ जाये तो उसमें तारीख लगाकर दे दें और यह बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसका जब तक कोई समाधान आप नहीं निकालेंगे तब तक गांवों की शिक्षा का स्तर गिरता रहेगा। प्राइवेट स्कूल छोटे-छोटे गांवों में पहुंच गये सरकारी स्कूलों की उपेक्षा के कारण।

दूसरा मेरा यह निवेदन था कि जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो सरकार से सहायता प्राप्त हैं उनमें अध्यापकों की भर्ती के लिये अलग नियम चल रहे हैं। जब शिक्षा विभाग में और पंचायतीराज विभाग में जो अध्यापकों के चयन का तरीका है

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उसमें वह मेरिट से सेलक्शन करते हैं। लेकिन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मैनेजमेंट मनमर्जी से फर्स्ट डिविजन को छोड़कर थर्ड डिविजन वालों का सलेक्शन कर रहे हैं। उसमें भारी राशि वसूल की जा रही है। इस संबंध में मैंने पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय को पत्र लिखा था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस आने वाले सेशन से आप यह व्यवस्था करें कि सरकारी स्कूलों में जो भर्ती के नियम है वह कड़ाई से उन पर लागू करें और उसके लिये अलग से कोई भर्ती के नियम नहीं होने चाहिये।

इसके अलावा आपने अब छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के पद कम या अधिक करने की आपके विभाग ने जो व्यवस्था कर रखी है उसी के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी आपको यह व्यवस्था लागू करनी चाहिये और उनकी स्कूलों में भी अगर कोई पद अधिक हो तो अनुदानित संस्थाओं में भी यह व्यवस्था लागू करनी चाहिये। कई बार यह चर्चा हो चुकी कि समानीकरण के नाम पर आपके नीचे के स्तर के अधिकारियों ने जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में बनाया है उससे सरकार की छवि को बड़ा आघात लगा है। आपको इस संबंध में जांच करा के कड़ाई से कार्यवाही करनी चाहिये और जो आदेश और दिशा-निर्देश सरकार ने जारी किये थे उनकी किस हद तक पालना हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और किस अधिकारी द्वारा नहीं हुई, इस बारे में आपको सख्ती से काम करना चाहिये। इसके अलावा मेरा एक निवेदन और है। आपने जिला स्तर पर कई जिला शिक्षा अधिकारी लगा रखे हैं। जो प्रशासनिक काम है उसके लिये आपको जिले में कम से कम एक प्रशासनिक अधिकारी लगाकर यह प्रशासनिक काम उनसे लेना चाहिये। सभापति महोदय, प्रशासनिक अनुभव नहीं होने के कारण, अभी पूर्व वक्ता ने भी यह बात कही कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बाबूराज कायम है। जो एल.डी.सी., यू.डी.सी. चाहे वही काम होता है। क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी आपने जिनको बना रखा है उनको किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। इसलिये आपको शैक्षणिक गतिविधियां, स्कूलों के इन्स्पेक्शन और जो भी शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित है, उनके लिये आपने जिला शिक्षा अधिकारी जो मौजूदा आपने बना रखे हैं वह ठीक है, लेकिन प्रशासनिक कामों के लिये आपको हर जिले में, एक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को लगाया जाना चाहिये, ताकि आपका प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र का एक मामला है जो विशेष

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रूप से कहना चाहता हूं। हमारे लाडनूं में राकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय है। वह पुराने टाइम में बाजार के बीच में आ गया। उसमें जगह की कमी थी। वहां पर पड़ौस के किसी दानदाता ने अपना मकान स्कूल को दान में देने के लिये लिखकर दिया। वहां पर जो प्रधानाध्यापिका थी, उसने लोगों के बहकावे में आकर उसी दानदाता का दूसरा नोहरा था उसके पास में, उसको भी हथियाने की चेष्टा की और आपस में विवाद खड़ा करके इस मामले को उलझा दिया। वह दानदाता आज भी करीब 15 लाख रुपये का मकान स्कूल को देना चाहता है। लेकिन सरकार उसको नहीं ले रही है। इस संबंध में उस प्रधानाध्यापिका का राज्य सरकार ने तबादला किया तो उसने उस आदेश की पालना नहीं की। कई दिनों तक उपेक्षा करने के कारण राज्य सरकार ने उसको निलम्बित कर दिया। निलम्बित होने के बाद स्कूल का चार्ज आज तक उन्होंने नहीं दिया। दूसरी प्रधानाध्यापिका लगा दी और फाइलें जो मकान के संबंध में थीं, वो अपने पास ले गई। आज तक स्कूल का चार्ज नहीं दिया। मैंने जिला अधिकारी से बात की तो वे भी इस संबंध में असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह दानदाता मकान दे रहा है उसमें आपका किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है। स्कूल में जगह की भंयकर कमी है। इसलिये एक तो उसका दानपत्र आप जल्दी से जल्दी कराकर इस मामले को समाप्त करें। इसी विश्वास के साथ आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा नाम था।

श्री सभापति : आपका नाम इनके बाद आ जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को बहुत नम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा का जितना हम शब्दों में विश्लेषण करते हैं, इसको अलंकार लगाकर प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वस्तुःस्थिति यह है कि हम सबका शिक्षा के सुधार पर कम से कम ध्यान है। केवल विद्यालय जयादा से ज्यादा कैसे खुले, इस पर हम सब लोगों का ध्यान केन्द्रित रहता है। लेकिन जो खुले हुये हैं वह ठीक प्रकार से संचालित हो, बालकों की ठीक प्रकार से शिक्षा हो, इसके बारे में हमारा ध्यान कम रहता है। चाहे सरकार में मैं रहा हूं या आज कोई और रहा हो। जितने भी पद रिक्त पड़े रहते हैं, इनको भरने के बारे में जिस प्रकार का सिस्टम डवलप होना चाहिये, इतने वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी इन पदों को भरने के लिए कोई ठीक प्रकार से हम प्रक्रिया नहीं अपना पाए। वहां बालक को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पढ़ाने वाला अध्यापक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कितने समय में लगेगा, किस प्रक्रिया से लगेगा, हम वास्तव में उस बालक की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आजकल जिस प्रकार का काम्पीटीशन आया है, शिक्षा के और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, उसका पर्सेंटेज उसको जिंदगी में हर कदम पर मदद करता है या उसका अनर्थ करता है? जब इतना बड़ा विषय उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके सर्टिफिकेट जिंदगी भर उसके साथ चलते हैं। वह चाहेगा जिस सलेक्शन में जाएगा, लेकिन हम इस बारे में बिलकुल चिंतित नहीं है कि उस बालक का पर्सेंटेज कौन बनाएंगा। अगर अध्यापक ही स्कूल में नहीं होगा तो हम किस तरह से उसको शिक्षा दे पाएंगे, लेकिन इस बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है कि माननीय सदस्य बोलेंगे तो मेरे को कहेंगे कि आपके समय ऐसा था। मैं स्वीकार करता हूं कि एक जगह मैं जरूरी फैल हुआ हूं। इससे राजी होने से निहाल नहीं होने वाले। हकीकत समझने की कोशिश करो। अनजानेपन में हाथ झटकने की कोशिश मत करो। मैं अपनी हर बात को स्वीकार करूंगा। अगर मेरे में कोई कमी रही है तो आज भी करूंगा, कल भी स्वीकार करूंगा। केवल हल्केपन से बात करने से काम नहीं चलेगा। मैंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया है।

श्री महेश जोशी : यह किस कुंठा में बोल रहे हैं? किस बात को हल्केपन में ले रहे हैं? आपने कोई बात कही है, उसको हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, यह हल्कापन हो गया? आपके बोलने का कोई तरीका ही नहीं है। आप जब भी बोलते हो इसी तरीके से जहर उगलते हो। आपके बोलने का यह क्या तरीका है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बोलने का तरीका तो जो कुछ मुझे आता है, वही है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी नहीं, यह क्या तरीका है आपका? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है, आप बिराज जाओ। समझने की कोशिश करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह विषय गम्भीर है। इसलिये सब इसे गम्भीरता से लो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्या तरीका है बोलने का? कुछ भी कह दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराज जाइये। आपके नेता बोल रहे हैं। इतना तो रखो अपने नेता का। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं इस कारण से कह रहा हूं कि हमारे यहां जितने भी पद हैं चाहे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हैडमास्टर, व्याख्याता, सैकण्ड

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ग्रेड, थर्ड ग्रेड जितने भी हैं ले लीजिये। इसमें आप हर साल मूल्यांकन कीजिये कि कितने पद आपके पास खाली रह गये। मैंने इसलिये कहा था कि व्याख्याताओं के पदों को भरने में मैं भी लाख प्रयास करने के बाद असफल रहा। डी.पी.सी. पूरी करने के बाद भी। आर.पी.एस.सी. से सारे चयन पूरा करने के बाद भी। सेन्ट पर्सेंट, 50 पर्सेंट की मांग उनसे ली जाती है उससे अधिक, नहीं जा सकते। उससे अधिक तो हम कितनी भी डी.पी.सी. कर लें लेकिन 9-18-27 मिल जाने के कारण से कोई व्यक्ति उस जगह जाकर जोइन नहीं करता। एक बार नहीं चार-चार बार प्रयास कर लिये। दण्ड दे दिया, ट्रान्सफर कर दिया उसके बाद भी व्याख्याता उस पद पर नहीं आता है, और उसके कारण से व्याख्याता ही एक ऐसा पद रहा जिसमें मैं भी सफल नहीं हो पाया।

आप प्रिंसिपल से लेकर थर्ड ग्रेड के टीचर तक चले जाइये, मेरे कार्यकाल का फीगर आप उठाकर देखिये। उसको सारा गिराकर पाइंट चार पर्सेंट वेकेन्सी जरूर रह गई थी। तो इतने बड़े डिपार्टमेंट में जिसमें दो लाख कर्मचारी हो, उसमें किसी के प्रमोशन से और किसी कारण से रिक्त रहता है, बाकी सब पर जीरो पर्सेंट पर है। लेकिन आज स्थिति, वापस उसी स्थिति में पहुंची है। इसलिये मंत्री महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जिस संस्था का संस्था-प्रधान नहीं होगा वह संस्था कैसे चलेगी? पहले भी जब मैंने चार्ज लिया था तो एक हजार हैडमास्टर नहीं थे। सैकण्डरी स्कूल में तीन हजार में से एक हजार, अब उस चीज को कैसे बनाया जाए? आज स्थिति वापस वहां की वहां ही पहुंच गई है, क्योंकि हमने न तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हैडमास्टर का प्रमोशन किया। पिछले सवा साल में किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। हमने पदेन उनको उसी वेतन पर लगाने का प्रयास किया, वह समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो हम उससे कर सकते हैं। व्याख्याताओं के पदों को भरने के लिये जो पिछली बार मंत्री थे उन्होंने यह जवाब दिया, हमें बहुत अच्छा लगा था। उस समय तालियां बजी थीं कि वाह, अब तो व्याख्याताओं का उद्धार हो गया। 15 महीने के बाद भी वहां के वहां ही खड़े हैं। मैंने इस बात को स्वीकार किया कि मेरे समय में भी, लाख कोशिश करने के बाद भी व्याख्याताओं के पदों को नहीं भर सके। उसमें से जो आपने कहा व्याख्याताओं के 80 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गए, 926 व्याख्याताओं को डी.पी.सी. के माध्यम से सलेक्ट किया गया और 1668 वरिष्ठ अध्यापकों की एडहाक प्रमोशन कर उन लोगों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार से 2687

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई। अतः वर्तमान में 1371 व्याख्याताओं के रिक्त पद, इसके लिये इमर्जेंसी रिक्रूटमेंट के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। यह तो जिस समय मैं था, उस समय मैंने बनाकर आर. पी. एस. सी. से इसको भेजा था इस आधार पर कि अगर एजुकेशन में कोई भी मास्टर, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सैकिण्ड ग्रेड हो, कहीं नौकरी करता हो, पंचायत राज में करता हो, अगर वह व्याख्याताओं की क्वालीफिकेशन फुलफिल करता है तो उनको एक बार आर.पी.एस.सी. में बैठने का मोका दे दें सब्जेक्ट के अनुसार, और उनमें से जो भी सलेक्ट हो जाता है कम से कम इन पदों को भर दिया जाए। लेकिन वह इमर्जेंसी रिक्रूटमेंट, जो पिछले बजट भाषण में 6/4 को बोला गया था वह आज भी इस तारीख में भी, आज 11 तारीख है, लगभग एक साल 5 दिन के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। तो हमने इसकी क्या पूर्ति की। और यही नहीं, श्रीमान्, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हम इस बारे में सोचने की कोशिश करें। मैंने किया इसलिये मैं, हो सकता हूं कि मैं बुरा बना हूं, मैंने कई आर्थिक, जो विषय, संकाय नहीं था, एक बच्चा भी नहीं है, संकाय चल रहा है, पहले भी हमारे पास व्याख्याता नहीं है, उनको हम कहां फैलावें, कहां भेजें। विज्ञान विषय आपने दिला दिया बच्चे को, भौतिक शास्त्र पढ़ाने वाला नहीं है। बच्चे का भविष्य क्या होगा? वह वहीं टिका रहेगा। इससे अच्छा तो वह शहर में जाकर पढ़ लेगा तो कम से कम पर्सेंटेज तो ठीक होगा।

इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप व्याख्याता की व्यवस्था, विशेषकर विज्ञान संकाय की नहीं कर सकते हैं तो जितने भी ग्रामीण स्कूलों के बच्चे शहर में पढ़ने गये उनको आप वजीफाबांध दो, ढाई सौ रुपये महीने का हम देंगे तो वह आपको सस्ता पड़ेगा। बनिस्पत यह कि व्याख्याता नहीं होने के कारण से उस बच्चे की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा हो। इसको आप तुरन्त सोचिये। और इसके कारण से यह जो आपकी, जितने संकाय टूटते है उसमें एक कारण यह भी है कि हम समय पर उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने शिक्षा का, जितने खर्च का, मुझे लगता है, एक तरह से हो सकता है, आप मुझसे सहमत न हों। पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। एक-एक गांव में 4-4 स्कूल हैं। एक लड़कों का प्राइमरी स्कूल, एक लड़कियों का प्राइमरी स्कूल, एक सैकण्डरी स्कूल, एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल। मैं नहीं समझता हूं कि वहां, उसे छोटे से 5 हजार के गांव से 45 लोगों का जुलूस निकलकर जाता है, क्या हम इसके बारे में अगर राजस्थान गरीब है और हम, शिक्षा का यह वेस्टेज हो रहा है। इसको रोककर के किसी भी एक तरीके से नहीं ला सकते हैं, इसमें कमी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं ला सकते हैं। क्या पांचवीं के बच्चे और बच्चियों को साथ पढ़ने से कोई पाप लग जाएगा। किस कारण से, इस कारण से कि सड़क साइड पर है और इसलिये लोगों को सुविधाजनक रहता है। इसलिये पद और उसकी नौकरी दोनों उसके साथ चली जाती हैं। इस प्रथा को तोड़िये, जहां भी हो सकता है। इसमें से कमी लाइये और इसमें से जितना आपके पास सरप्लस स्टाफ निकलता है उसको जहां-जहां कमी रहती है, वहां इसको लगाइये। मैंने भी कोशिश की थी समानीकरण की, मैं चार, साढ़े चार हजार पदों को ही तोड़ पाया, उससे ज्यादा नहीं। आपने समानीकरण का प्रयास किया, उसके लिये आपको धन्यवाद। लेकिन एक बात तो जरूर विचार कीजिए कि जो तरीका आपने अपनाया है वह गलत है। समानीकरण आप, 49 बच्चों पर एक अध्यापक की बात की है। अब यह मिडिल स्कूल, अगर टोटल संख्या के आधार पर 49 पर एक अध्यापक लगाएंगे तो गांव के अन्दर, छठी, सातवीं और आठवीं तीनों में मिलाकर 50 बच्चे हैं तो उन 3 क्लास के लिये एक अध्यापक और नीचे जो प्राइमरी के अन्दर डेढ़ सौ बच्चे हैं तो 3 अध्यापक होंगे। अब इन 4 अध्यापकों के आधार पर आप मिडिल स्कूल कैसे चलाएंगे, कैसे उन बच्चों का शिक्षण करेंगे। इसलिये इसको 2 टुकड़ों में बांटिये, पहली से पांचवीं के लिये आप नार्म्स अलग रखिये। छठी, सातवीं, आठवीं के लिए तो प्रत्येक क्लास के हिसाब से एक अध्यापक आपको देना होगा। तब तो आप स्कूल के स्तर को सुधार सकते हैं। मेरा एक और निवेदन है कि हम इस बारे में विचार करें कि जब तब बच्चे की फाउंडेशन हम ठीक नहीं करेंगे उसका धरातल हम ठीक नहीं करेंगे, शिक्षा की दृष्टि से, तो हम उस बच्चे को ऊपर नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरी यह मान्यता है कि आठवीं तक के बच्चों को आप अच्छी शिक्षा, ठीक प्रकार से कर दें उसके बाद बच्चा अपनी गति से अपने आप चल जाएगा। इसके लिये आवश्यक है कि छठी, सातवीं, आठवीं पढ़ाने वाले, जिस प्रकार की आज की गणित है, जिस प्रकार की आज की विज्ञान है और अंग्रेजी है, उसको आप चाहे जिस टीचर को पकड़ा दो, कि आप इसे पढ़ाओ। वह कभी नहीं पढ़ा सकेगा और उसके कारण से हमारा परीक्षा परिणाम, मिडल बोर्ड का कम आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो यह कारण है कि उसको पढ़ाने वाला, जिस स्तर का अध्यापक चाहिए उस स्तर का अध्यापक नहीं है। मैंने मेरे समय में प्रयास किया था और विषयवार थर्ड ग्रेड के अध्यापक, चाहे वे पंचायत समिति में, उस सब्जेक्ट के आप सब लोगों के बायो-डेटा मंगाकर के उनके आधार पर किस-किस स्कूल में कैसे अध्यापक को हम लगा सकते हैं, अपने पास जो उपलब्ध हैं उसी में से, तो मैं समझता हूं कि 70 प्रतिशत समस्या तो अपनी इसी तरह से हल हो सकेगी और 30 प्रतिशत जब नयी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नियुक्ति करते हैं तो थर्ड ग्रेड के विषय अनुसार, यह जो हमारे अपर प्राइमरी स्कूल हैं इसमें अपन अध्यापक लगाने की कोशिश करेंगे तो समस्या का समाधान होगा।

अभी समानीकरण में जिस प्रकार से, समानीकरण का हमारे पास जो आधार है और आधार यह था कि हमने सीनियर सैकण्डरी स्कूल में भी थर्ड ग्रेड के मास्टर लगा रखे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, वहां जितने थर्ड ग्रेड की पोस्टें हैं उनको तोड़ा जा सकता है क्योंकि वहां हमारे पास व्याख्याता उपलब्ध हैं, सैकण्ड ग्रेड टीचर उपलब्ध हैं, वहां उनका कोई उपयोग नहीं है। हम केवल छठी, सातवीं, आठवीं पढ़ाने के नाम से व्याख्याता के तो ढाई पीरियडस भी नहीं आते हैं और वह वैसे ही रहता है। उसके वर्क लोड को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से 32 पीरियड छोड़कर के, मैं सोचता हूं कि 50 प्रतिशत आपके जितने व्याख्याता हैं उनको 32 पीरियड का वर्क लोड नहीं आता सप्ताह में। आप इसको निश्चित रूप से, कम से कम वह 5 पीरियड पढ़ाये तो भी उसको 35 पीरियड का तो हो, 36 पीरियड का तो हो। और उसके आधार पर, चाहे बच्चों का वर्क लोड देखकर के वहां के थर्ड ग्रेड की पोस्टें आप पूरी की पूरी निकालें, यह आपको समानीकरण में मदद करेगा।

एक हमारा नया पेटर्न, और पता नहीं, मैंने उसका प्रयास किया लेकिन उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाये। आज एक सैकण्डरी स्कूल खोलते हैं। नार्म्स के हिसाब से, ढेर सारे अध्यापक वहां हमने एक नार्म्स के आधार पर लगा दिये। एक तो हैडमास्टर होगा 6 सैकण्ड ग्रेड के अध्यापक होंगे, 3 थर्ड ग्रेड के अध्यापक होंगे। एक शारीरिक शिक्षक होगा, एक लाइब्रेरियन होगा, दो एल.डी.सी., यू.डी.सी. होंगे और तीन चपरासी होंगे। मतलब स्कूल तो इतना सा, 5 क्लास हैं और 15 आदमी का स्टाफ है। आप ईमानदारी से, जितनी आपकी संख्या में, सैकण्डरी स्कूल की, मेरी गारण्टी है कि राजस्थान में इन स्कूलों में से लगभग एक हजार स्कूल ऐसे हैं जिनकी संख्या, कुल बच्चों की डेढ़ सौ से नीचे है। डेढ़ सौ से नीचे जहां पर अध्यापक है, उसमें से भी मेरे हिसाब से, आंकड़े यदि मेरे को सही याद रहे हैं तो उस समय भी लगभग 554 स्कूल राजस्थान में ऐसे थे जिनमें पूरे सैकण्डरी स्कूल की संख्या सौ से नीचे थी। अब सौ से नीचे और उनमें इतने अध्यापकों की आवश्यकता कहां है। 6 सैकण्ड ग्रेड से ही हमारा स्कूल, ये 6 क्लासें चल सकती हैं, एक पी.टी.आई. चल सकता है, हैडमास्टर, 7 में हमारा स्कूल चल सकता है। 7 से हमारा स्कूल चल सकता है। अगर हमारे पास छठी, सातवीं, आठवीं की एक्स्ट्रा क्लास हो तो उसके हिसाब से एक-एक थर्ड ग्रेड

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का अध्यापक लगाकर के, अगर हम चाहें तो वहां से हम अध्यापकों को निकाल सकते हैं। पर यह जो मिडल स्कूल से जो आपने निकालने की कोशिश की है, गांव के मिडल स्कूल की दशा, या तो व्याख्याताओं में सबसे पिछड़े हुए हैं राजस्थान में, या फिर गांव के मिडल स्कूलों में अध्यापकों की दृष्टि से शिक्षा, बिलकुल एक तरह से बहुत नुकसान भुगत रही है। शहरों में तो पर्याप्त संख्या है। और इसलिये गांवों में भी कम से कम क्लास के अनुसार छठी, सातवीं, आठवीं में...अब इसमें से जो आपने आदेश जारी किये हैं, अब आपके आदेशों की पालना नहीं और इस समानीकरण के कारण से इतना हो-हुल्लड़ हो रहा है। अगर नियमबद्ध कर दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि एक भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। क्योंकि अगर हमने कोई क्राइटेरिया बनाकर के समानीकरण किया तो किसी को इसमें शिकवा क्या हो सकता है। किसी को भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे डी.ई.ओ. ने और जो हमारे कर्मचारी वहां हैं, उन्होंने मनमर्जी, चाहे जैसे ट्रांसफर ठोक दिये और उसके कारण से आपने केवल अजमेर के ही कोई साढ़े चार सौ जो ट्रांसफर हुए, अजमेर के कलक्टर ने अपने ए.डी.एम. से जांच कराई और जांच कराने के बाद लगभग 60 प्रतिशत खोटे निकले। सारे के सारे वे ट्रांसफर रोक दिये। उससे विभाग की भी एक तरह से बेइज्जती होती है और शिक्षकों में एक गलत धारणा जाती है। मैं सोचता हूं कि जो तरीके और जिन आधारों पर आपने समानीकरण करने की योजना की, उनकी पालना करते तो यह गड़बड़ी नहीं होती। क्योंकि मेरे पास सारी सूची है मैं उस पर समय नहीं खराब करना चाहता हूं। पर मैं आपको यह बताता हूं कि पहले जिस विद्यालय से हटाया गया, एक तरफ से उसको यह कहकर के हटाया उस विद्यालय से कि यहां सरप्लस हो गये। और वह तो ट्रांसफर होकर गया, दूसरा उसकी जगह आ गया। अब यह क्या सबूत बताता है। या तो आपने पहले जो समानीकरण किया वह गलत किया और अगर दूसरा था तो ये बेइमानी के रास्ते हैं, ऐसे अधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। फिर वरिष्ठता के आधार पर जाता है और वरिष्ठता के आधार पर जाना चाहिये चाहे जिसको भेजिये। और वरिष्ठता भी, पूरे शहर में अगर 8 स्कूल हैं तो उसमें जो वरिष्ठता बनती है उसके आधार पर आना चाहिए। एक व्यक्ति कल तो आया उस स्कूल में, एक साल भी नहीं हुआ लेकिन चूंकि वहां पद टूटा है इसलिये आपने उनको भेज दिया। सच बात यह है कि उसका नहीं बनता है। जो उस शहर में, उस गांव में सबसे ज्यादा वरिष्ठ है उस व्यक्ति को भेजना चाहिए। फिर आपने और आदेश निकाला कि असाध्य रोग वालों को हम नहीं हटाएंगे, रिटायरमेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में. दो साल रहे, उनको नहीं हटाएंगे। अगर कोई अंधा, लूला इस प्रकार का, उसको हम नहीं हटाएंगे। पति-पत्नी होंगे, उस केस में हम ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें डेढ सौ ट्रांसफर तो केवल अजमेर में ऐसे हैं जो इन सारे नियमों को ताक में रखकर के कर दिये। मुझे अफसोस इस बात का है, ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को निश्चित रूप से बुलाकर के आपको उसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहिए। मतलब 3 शिक्षक तो मेरे पास नाम हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तीन महीने पहले। उन सेवानिवृत्तों का ट्रांसफर भी इसमें समानीकरण में लगा दिया। अब ये कुछ घटनाएं जो आती हैं, इन घटनाओं को लेकर लोग हमारी आलोचना करते हैं ओर हमारे सारे काम पर पानी फेर देते हैं। यानि बिना बात के, हम इतनी मेहनत से, हम चाहते हैं कि हमको शिक्षक उपलब्ध हो रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से लाकर अपने बच्चों की पढ़ाई करानी चाहिए। लेकिन विशेषकर से, चाहो तो आप, एक गोवर्धन इसराणी है, शीला बालानी है, निर्मला है, ये सब जनवरी के महीने में रिटायर हो गये और उस के बावजूद ट्रांसफर सूची में इनका नाम लिख दिया। इसी तरह से चूरू में हुआ, इसी तरह से जयपुर में हुआ। यह जो समानीकरण, जिस किसी ने भी गलती की है और जो नियम चाहिए उसके अनुसार नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको उसे दण्डित करना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

विभागीय पदोन्नतियां तो बिलकुल समाप्त कर दीं। 15 महीनों में आपको इस बात की फुरसत ही नहीं मिली और फुरसत नहीं मिलने के कारण से, 50 परसेंट पद तो पदोन्नति से ही भरा जाएगा। सीधा सलेक्शन से नहीं हो सकता तो वह पद तो निश्चित रूप से खाली रहेंगे तो हमने पदोन्नति से भरने का प्रयास नहीं किया।

आपका यह प्रतिवेदन 1999-2000, पेज नम्बर 35 और पिछले साल का प्रतिवेदन है 1998-99, उसका पेज नम्बर-48, इन दोनों आंकड़ों को आप देखों, केवल आपने पदोन्नति किसकी की? एक तो संयुक्त निदेशक की की, मतलब दो पोस्टों की केवल आपने पदोन्नति की बाकी तो किसी भी आंकड़ें में कोई फर्क नहीं है। जो आपका पहले था, वहां वह आंकड़ा आज भी वैसा का वैसा है तो आखिर हमने क्या यह सोचा है कि पदोन्नति की आवश्यकता नहीं है। एक तो अपर निदेशक की डी.पी.सी. और एक संयुक्त निदेशक, दो की डी.पी.सी. तो यहां हुई और बाकी किसी की डी.पी.सी. नहीं हुई मतलब पूरे पन्द्रह महीनों में आपको इस बात की फुरसत ही नहीं मिली कि हम डी.पी.सी. करके जो हमारे लिए सक्षम है, उसको हम किसी तरह से पात्रता के आधार पर उसको हम पदोन्नति देकर पदों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को भरे। इस बारे में चिन्ता नहीं की इसके कारण से पद खाली रहे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का अगर कोई मापदंड अगर जनता समझती है तो वह समझती है परीक्षा परिणामों से। इस परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करने की किसी को फुरसत ही नहीं है। हमारे डी.ई.ओ. ने कभी बैठकर संस्था प्रधान को बुलाकर इसके बारे में पूछा ही नहीं। किसी स्टेज पर हम दूसरे भाषण खूब करते हैं, कम से कम वर्ष में एक बार जिला शिक्षा अधिकारी या जो भी सक्षम अधिकारी है, कम से कम जितने भी टेन प्लस टू स्कूल हैं, उनके परीक्षा परिणाम का मोनिटरिंग तो करे कि परीक्षा का परिणाम क्या आया है और किसके कारण से क्या कमियां रही हैं लेकिन किसी को इस बारे में कोई फुरसत नहीं है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि चाहे सैकण्डरी स्कूल हो, चाहे सीनियर हो, चाहे अपर प्राइमरी स्कूल हो, इन तीनों का कम से कम हाफ इयरली के बाद और वार्षिक परीक्षा के बाद निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम क्या रहा है और किसका क्या हुआ, उसके बारे में बराबर निश्चित रूप से उसका मोनिटरिंग होना आवश्यक है। मंत्री महोदय, पिछली बार बजट भाषण में भी आपने कहा और उसके बाद मंत्री महोदय ने स्वयं ने यहां कह दिया कि हम मिडल का बोर्ड बना रहे हैं राजस्थान का। हमें कैसा अजीब लगता है कि जब आप एक साल पहले भाषण देते तो उसकी पूर्ति दूसरे साल के भाषण में भी नहीं होती तो करते क्यों हो? इतनी जल्दी क्या है? बिना कहे तो कुछ काम किये जा सकते हैं, जिसकी कोई घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। पिछली बार मंत्रीजी ने कहा था कि इस वर्ष पहली बार राजकीय उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने का एलान किया गया है जो मैं समझता हूं कि राज्य में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में मील का पत्थर साबित होगा। यह मील का पत्थर कहां गया? ऐसी-ऐसी घोषणा, आप एक बार जब घोषणा करते हैं तो थोड़ा उस पर चिन्तन करके उसको या तो करने के पहले दस बार सोचे कि हमें राज्य स्तर पर एक बोर्ड बनाना है या नहीं बनाना है। बोर्ड बनाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं तो डाइट के माध्यम से हमने पिछली बार परीक्षा करायी, इस बार भी परीक्षा करा लें कोई ऐतराज वाली बात नहीं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह राज्य स्तर पर इस उच्च प्राथमिक का एक बोर्ड बनाना ठीक नहीं रहेगा, शिक्षा के आज के हालात को देखकर। अगर आपको बनाना है तो सम्भागीय स्तर पर बनाओ ताकि बच्चों का परीक्षा परिणाम समय पर आकर उनकी पढ़ाई वापस ठीक प्रकार से चालू हो सकें, नहीं तो यह तीन-तीन महीने का गेप देकर, चार-चार महीने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के बाद परीक्षा परिणाम आये और फिर उसके बाद नवीं में उस बच्चे का एडमिशन हो तो वह उस छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा अगर इससे भी नीचे जा सकते हैं तो जिला स्तर पर जो भी आज आपकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में और क्या सुधार किया जा सकता है, उसके आधार पर भी यदि परीक्षाएं करायी जाए तो निश्चित रूप से उचित रहेगा।

अब आठवीं के रिजल्ट के बारे में आप कहते हैं कि रिजल्ट खराब हुआ। अब रिजल्ट खराब होता है, उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था कि विषय अध्यापक होता नहीं है हमारे यहां और उसके कारण से परीक्षा परिणाम ठीक प्रकार से नहीं रहते हैं और इस बात को भी ध्यान में रखकर हमको निश्चित करना चाहिए।

सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल की परीक्षाओं का विश्लेषण करें तो आपका प्रगति प्रतिवेदन 1999-2000 में पेज नम्बर 61 पर आपने इसका परीक्षा परिणाम के बारे में जो चार्ट दिया है, एक तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कि यह कुल विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट बच्चे भी बैठते हैं और इसके कारण से हमारी जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है जो सरकारी विद्यालय हैं उनका परीक्षा परिणाम किधर जा रहा है क्योंकि हमारी ताकत, तनख्वाह पैसे सब उस पर लग रहे हैं। उसका परिणाम क्या है, इसके बारे में अगर हम आंकड़ों का विश्लेषण करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें तो कोई सुधार नहीं, पिछले साल में और इस साल में अगर आप दोनों आंकड़ों को पढ़ोगे तो 1998 में जहां सैकण्डरी का 46.87 परसेंट रिजल्ट था, इस बार 45.82 परसेंट है, एक परसेंट कम हो गया, यानि कोई विशेष अन्तर नहीं है। उच्च प्राथमिक में पिछली बार, इस बार 56 है और पिछली बार 53 था। फोर पाइंट नीचे था। इस बार आपका उच्च माध्यमिक व्यावसायिक में 53 है और पिछली बार 66 परसेंट था। प्रवेशिका में लगभग वह का वही 41.5 परसेंट और 42 परसेंट है, कोई बहुत ज्यादा परीक्षा परिणामों में इन आंकड़ों में देखने से अन्तर नहीं लगता है लेकिन दूसरी स्थिति में अगर आप जाएं तो आपको अन्तर लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों का गुणात्मक सुधार भी हो। उनकी शिक्षा की दृष्टि से और इस दृष्टि से आप पिछले वर्षों की तुलना करें। मैं इसलिए नहीं कि मैं शिक्षा मंत्री था जिसके कारण से तुलना करके कोई वाहवाही लेना चाहता हूं लेकिन मैंने इस बात की मोनिटरिंग करने की कोशिश की कि हमारा रेगुलर बच्चों का परीक्षा परिणाम सुधरे। मेरे इस आंकड़े में दोनों विद्यालय मिले हुए हैं। निजी शिक्षण संस्थाएं भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं, और हमारे रेगुलर बैठने वाले बच्चे भी हैं उनको भी बाइफरकेट करिये आप। रेगुलर बैठने वाले जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके आंकड़े पकड़िये, प्राइवेट स्कूल का परीक्षा परिणाम तो अच्छा रहता है, वह उसके साथ जुड़ने से हमारे मन को लगता है कि हमने अच्छा परीक्षा परिणाम ले लिया लेकिन वस्तुस्थिति वह नहीं है पर मेरे पास जो आंकड़े हैं, वह दोनों के मिले हुए हैं। माध्यमिक विद्यालय में, जब 1994 में मैंने चार्ज लिया था तब 51 परसेंट परीक्षा परिणाम था और जब मैंने छोड़ा है, नियमित छात्र का तो 60 परसेंट परीक्षा परिणाम छोड़ा है। 60 परसेंट पर, मेरा कोई कीर्तिमान नहीं पर मेरे मन की इच्छा है कि बालकों के परीक्षा परिणामों के ऊपर हमारा ध्यान केन्द्रित हो। इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक जो 52 परसेंट रिजल्ट था, 1994 में, जब मैंने छोड़ा था तब 68 परसेंट रिजल्ट था। मेरे को आपके इसमें यह आंकड़े नियमित छात्रों के अलग से नहीं मिले, इसके कारण से मैं इन दोनों की तुलना नहीं कर सका। यही नहीं प्रथम श्रेणी में पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज भी बढ़ा है। 1994 में सैकण्डरी में 12 परसेंट लड़के फर्स्ट डिवीजन आये तो वह 1998 में 21.8 परसेंट बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए। सैकण्ड डिवीजन 33 परसेंट थे जो बढ़कर 45 परसेंट हुए। उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां 10 परसेंट लड़के ही फर्स्ट डिवीजन थे, वह 18 परसेंट हुए और 47 परसेंट लड़के जो सैकण्ड डिवीजन थे, वे 59 परसेंट बच्चे सैकण्ड डिवीजन पास हुए। इसके पीछे मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आपको परीक्षा परिणामों के ऊपर निश्चित रूप से हमारी मशीनरी को लगाकर इसका मूल्यांकन करना चाहिए।

आपने यह प्रगति रिपोर्ट दी। इसमें आपने सरकारी विद्यालयों की वरीयता में स्थान कहां है, मैंने इस बात की कोशिश की थी कि राजकीय विद्यालय का बच्चा मैरिट में क्यों नहीं आता है, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि राजकीय विद्यालय में जो हमारे टेलेंट टीचर है, उसका मुकाबला अच्छा से अच्छा प्राइवेट स्कूल भी नहीं कर सकता है अगर आप चाहे तो दोनों की परीक्षा कराकर दिखा लें। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छी मैरिट के टीचर है लेकिन हम उनकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से और यह हम उपयोग कैसे करते हैं यह अगर हम चाहे तो निश्चित रूप से वरीयता की जो सूची है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने वरीयता सूची में कौनसा स्थान प्राप्त किया और प्राइवेट स्कूलों ने कौनसा स्थान प्राप्त किया तो हमें अपने आप देखने का मौका मिलेगा और उस दृष्टि से अगर आप चार्ट को देखेंगे, 1998-99 के 84 पेज में दिया, इसमें आपके नहीं है, इसमें इस कालम को खा गये। खाना नहीं चाहिए,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई बात नहीं हमारे कम आये तो आये। हमारा एक भी बच्चा नहीं आया तो हमको अपना आत्मलोचन करने का समय तो मिलेगा, इसमें कौनसी दु:ख की बात है लेकिन अगर हम केवल अपनी बात को छिपाने का प्रयास करेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम शायद इसमें विकास नहीं कर पाएंगे। पिछली बार आपने, हमने, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है लेकिन वरीयता को कम से कम हमने हमेशा दिखाने की कोशिश की कि राजकीय विद्यालय इन प्राइवेट स्कूलों की तुलना में कहां बैठते हैं। लोगबाग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है। मेरी गारंटी है कि इन प्राइवेट स्कूलों से बैटर स्टाफ हमारे पास है अगर हम बिलकुल ईमानदारी से अपने बच्चों के पीछे इन अध्यापकों को काम पर लगाये तो हमारे बच्चे मैरिट में आएंगे। आपने पिछले दो-तीन सालों में देखा होगा कि सैकण्डरी स्कूल की मैरिट में पहले 15 में से पांच स्थान सरकारी विद्यालय के बच्चों ने प्राप्त किया, वह भी अर्थूना जैसा बांसवाड़ा के गांव ने, लगातार तीन साल से बच्चा मैरिट में आ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई कमजोर है। इनकी इतनी बड़ी-बड़ी दुकानें दिखती हैं, इससे कमजोर नहीं है लेकिन हमारी मानसिकता इस बात पर नहीं आयी है। मैं आपको यह चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान में हम पांच मैरिट में थे और गैर सरकारी बालकों में था वह दो था। लड़कियों में हम एक थे और लड़कियों का प्राइवेट स्कूल की पांच थी। इसी तरह से आपका वाणिज्य वर्ग में हमारा एक भी बच्चा मैरिट में नहीं था जितनी भी मैरिट थी वह 13 की 13 प्राइवेट स्कूलों की थी, यह सब हम लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। इसी तरह कला वर्ग में दो मैरिट लड़कों की थी और तीन मैरिट लड़कियों में थी, 12 में से राजकीय विद्यालयों की मैं बोल रहा हूं। माध्यमिक विद्यालय, वरिष्ठ उपाध्याय चूंकि हमारे ही अधिकांश स्कूल हैं और इसके कारण 6 में से 6 में हमारी मैरिट थी। माध्यमिक स्कूल में पिछले साल 11 मैरिट लड़कों में और 6 मैरिट लड़कियों में, यह सरकारी विद्यालय थे। यह सब आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यदि हम वास्तव में चिन्ता करें तो हम अपने सरकारी विद्यालयों के माध्यम से निश्चित रूप से जनता में इस बात को पहुंचा सकते हैं कि राजकीय विद्यालय कोई भंगार नहीं है। दुर्भाग्य क्या है कि आज हर आदमी को लगता है कि राजकीय विद्यालयों में कुछ नहीं होता। एक ऐसा वातावरण बन गया। हम, यहां जितने लोग बैठे हैं न इन सबको ईमानदारी से पूछ लो आपके लड़के कहां पढ़ते हैं कि हमारे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं। अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ेगें तो सरकारी तो भंगार बनने के अलावा और क्या रहना है। इस बारे में कभी किसी ने चिन्ता नहीं की। सुझाव बहुत देते हैं लोगबाग, ऐसा करना चाहिए,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वैसा करना चाहिए। लेकिन हकीकत से इस धरातल पर नहीं टिकते हैं कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आप बोलें। आपकी पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं तो आप बोलना चाहें तो बोलो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी लोग भी बोलेंगे, मैं अकेला नहीं बोलूंगा। शारीरिक शिक्षा के बारे में हमारा ध्यान बिलकुल खतम हो गया। लाख कोशिश करने के बाद हमने इतनी कोशिश की कि हर मिडल स्कूल में भी एक शारीरिक शिक्षक होगा। दुनिया भर की भर्ती कर डाली। लेकिन मैदान पर कहीं भी खेलता हुआ बच्चा नहीं दिखाई देगा। अगर आपके टूर्नामेंट खतम हो जाएं न तो यह थोड़ा बहुत जो कहीं खेल में दिखाई देते हैं यह भी खतम हो जाए। राजस्थान की स्थिति इस प्रकार की है कि हम जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं हमारा बच्चा कहीं से भी कोई भी ट्राफी लेकर नहीं आता है। हम सबको अफसोस होता है इस बारे में कि हमारा खेल का स्तर और शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से हमने इतने पी.टी. आइज. को भर्ती करने के बाद भी, इतना सब कुछ लवाजमा लगाने के बाद भी हमारी उपलब्धि जीरो है। मैदान में कोई खेलता हुआ दिखाई नहीं देता है। निश्चित रूप से आपको टाइम टेबल में डालकर बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिये। मैं तो केवल यह कि 1998-99 में जरूर हमने कुछ स्वर्ण पदक, रजत पदक और कुछ कांस्य लिए हैं। पिछली बार आपको केवल 2 कांस्य पदक मिले हैं एथलीट में और एक कांस्य पदक मिला है बास्केटबाल में। इसके पहले मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने कुछ लिया न आपने लिया पर मेरे कहने का मतलब यह है कि शारीरिक शिक्षा पर जो अपन व्यय कर रहे हैं इस व्यय को देखते हुए हमारी उपलब्धि बहुत गौण है। इस उपलब्धि को कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में देखें।

निरीक्षण, अगर कोई विद्यालय की जान है तो विद्यालय का निरीक्षण है। लेकिन अगर आपकी इस प्रगति रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जीरो है। हमारे जिला शिक्षाधिकारियों और किसी को भी इस बात की चिन्ता नहीं है कि किसी विद्यालय का निरीक्षण हुआ, नहीं हुआ, उसमें क्या कमियां-खामियां हैं, किसी को कोई ताड़ना देनी है, कोई नोटिस देना है, कोई सूचना देनी है, किसी को कुछ लेना-देना नहीं है। हमने पिछली बार एक कोशिश की थी अब वह कितनी सफल हुई, मैं नहीं जानता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर विद्यालय में कम से कम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वर्ष में तीन बार उसका निरीक्षण पैनल निरीक्षण पूरे दिन भर का होना चाहिए। इसके लिए हमने एक सिस्टम डवलप किया था। जितने डिप्टी डायरेक्टर और डी.ई.ओ. हैं जिले में, उन सबको हमने विद्यालय के हिसाब से बांटा था कि सीनियर हॉयर सैकण्डरी स्कूल जितने भी हैं 1042, वह तो डी.ई.ओ. और डिप्टी डायरेक्टर के बीच में बांटकर उनके नीचे उनके नाम लिख दिये कि इन-इन विद्यालयों में आप साल में तीन निरीक्षण करके दिन भर वहां रुक कर रिपोर्ट इकट्ठी करोगे और उसके आधार पर उसका फालो-अप करने का प्रयास करोगे। एक प्रिंसिपल को हमने चार-चार, पांच-पांच पेराफेरी में जो सैकण्डरी स्कूल थे, उस विद्यालय के नाम से नीचे लिखा कि इसमें जो भी प्रिंसिपल आएगा उसकी ड्यूटी होगी कि वर्ष में तीन बार उस विद्यालय का निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट बनाएगा। एक सैकण्डरी के अध्यापक उसकी पेरीफेरी में जो सात-आठ स्कूल होकर मिडल स्कूल उनका चार्ज उसे दिया था। मैं आपसे एक ओर निवेदन करना चाहता हूं। ए.सी.आर. लिखने का अधिकार भी यह जो निरीक्षण दल का व्यक्ति जाता है, उसको आप दीजिए। निश्चित रूप से आपके निरीक्षण के आधार पर विद्यालय के अंदर वातावरण शैक्षिक दृष्टि से बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री जगत सिंह दायमा : पूर्व शिक्षा मंत्रीजी, एक मिनट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जिला शिक्षा अधिकारी हैं, यह पॉवर लैस कैसे हुए, किसने किया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कुछ भी नहीं हुए।

श्री जगत सिंह दायमा : पॉवर लैस हैं बिलकुल, कुछ भी नहीं कर सकते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पॉवर लैस का, केवल इतना ही हो सकता है कि ट्रांसफर करने में उनकी शक्ति भले ही कम हो गयी होगी, लेकिन विद्यालय को देखना, उसकी पढ़ाई देखना, उनमे कहीं पॉवर लैस नहीं है। यह कोई पॉवर नहीं कि केवल ट्रांसफर करने का धंधा करे और दुर्भाग्य इस विभाग की सबसे बड़ी शक्ति अगर कहीं वेस्ट हो रही है...

श्री जगत सिंह दायमा : रिजल्ट्स की कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम आज सोचें, भले पांच-दस साल बाद सोचें। हमारे मर जाने के बाद कोई सोचे कि जब तक इसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी तब तक यह विभाग कभी नहीं चल सकेगा। भले ही हम मन से कितने ही खुश हो जाएं और हमने कोशिश की थी एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की। लेकिन चूंकि इस राजनैतिक अखाड़े में किसको अच्छाई पसन्द आती है, उसको रद्दी की टोकरी में डाल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया। हमने बड़ी मेहनत करके अपने पर जलालता पूर्ण सारा समय गुजारा, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन यह सोचकर किया था कि आखिर इस ढाई लाख की फौज को संभालने के लिए जब तक कोई पॉलिसी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं थे। उसके बाद भी सरकार को छूट थी। अगर सरकार चाहती थी तो 5-50-100-200 ट्रांसफर करना चाहती थी तो अपने आर्डर से कर सकती थी, उस ट्रांसफर पॉलिसी में था। लेकिन चूंकि हमने किया, इसलिए सब खराब किया। इसलिए उसको रद्दी की टोकरी में डालो। यह आपकी मंशा है। डालो, हमें कोई एतराज नहीं है। आप अच्छी बना लीजिए। पर आपको निश्चित रूप से ट्रांसफर पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। जिस ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर ही यह विद्यालय चलेगें।

अब हमारे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिषद हैं। इसी तरह से डाइट हैं। थोड़े इनके कामों का मूल्यांकन करो। मतलब इनका जो मुख्य काम है, वह शिक्षा के गुणात्मक सुधार का काम है। इस गुणात्मक सुधार की दृष्टि से इनका योगदान कितना है? अगर कम है तो इनकी मोनिटरिंग करके इनको इस काम में लगाएं तो निश्चित रूप से मैं वो सारे फिगर नहीं पढ़ना चाहता हूं, केवल पांच कैम्प किए साल भर में। एस.आइई.आरटी. ने उदयपुर में पांच कैम्प किए हैं जिसमें 31 तो प्रधानाचार्य का एक हुआ, 31 प्रिंसिपल का एक हुआ, 23 प्रधानाध्यापक का हुआ, 46 शिक्षा प्रसार अधिकारी का और 11 शैक्षणिक प्रकोष्ठ के लोगों को, यह पांच कैम्प किए हैं जबकि हमारा काम यह है कि निरन्तर शिक्षण-प्रशिक्षण होता रहे। डाइट के माध्यम से भी हम अध्यापकों को प्रशिक्षण कराते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन डाइट का कोई हिसाब पूछे कि इन सर्विस ट्रेनिंग कितनी है? कितने लोग आए, जिनकी सूची बनाकर भेजते हैं, वह आता ही नहीं और आने के बाद अगर वह डी.ओ. को लिखता है तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। निश्चित रूप से प्रत्येक टीचर को जब तक आप उसका प्रशिक्षण साल में 5-10 दिन तक नहीं करोगे, तब तक कभी भी आप इस शिक्षा के वातावरण को सुधार नहीं सकेंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम बिना पैसे के भी शिक्षा विभाग में बहुत कुछ काम कर सकते हैं। उसका प्रयोग हमने किया। भामाशाह सम्मान समारोह। हमारा कुछ नहीं गया। एक शाल गयी और एक मोमेंटो दिया, फोटो खींचा लेकिन इसके कारण हमने 32 करोड़ रुपये बिना सहयोग से राजकीय विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में नहीं, राजकीय विद्यालयों में प्राप्त किये। समाज देता है। समाज को प्रेरित करने के लिए कुछ आधार चाहिए, उसका हमने आधार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तैयार किया। हमने एक काम किया था जो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देगा, उस संस्था को और संस्था प्रधान को पुरस्कार मिलेगा। मुझे बहुत दुःख है यह बात कहते हुए कि विवेकानन्द जयन्ती 12 जनवरी के दिन हमने यह तारीख फिक्स की थी और उन संस्था प्रधानों को जो राजकीय विद्यालय हैं, हमने प्राइवेट स्कूलों का नहीं कहा, राजकीय विद्यालय में जो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सैकण्डरी का रिजल्ट देगा और सीनियर सैकण्डरी का रिजल्ट देगा उसको 50 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। 40 हजार विद्यालय के अंदर काम में लेगा, 10 हजार अपने और अपने स्टाफ के बीच में बांटेगा। और लगातार अगर कोई संस्था प्रधान तीन बार अपने जिले में या स्टेट में फर्स्ट आ गया तो फिर 10 हजार को उसको व्यक्तिगत पुरस्कार का रखा और पिछली बार जब व्यक्तिगत पुरस्कार दिया था तो हमने तीन संस्था प्रधानों को 10-10 हजार पुरस्कार दिया था और हमने उनका सम्मान बढ़ाया, उन्होंने जिस प्रकार का काम किया।

गार्गी पुरस्कार योजना जो हमने शुरु की थी, हमने सोचा था इन बच्चियों को हम किसी तरह से प्रेरित करें आगे की शिक्षा के लिए। तो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट पकड़ा था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो भी बच्ची दसवीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाएगी, सेंट-पर्सेंट बच्ची, चाहे उसके पिताजी इनकम टैक्स देते हों, या नहीं देते हों, हमने बच्चियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और उसके कारण हमने प्रत्येक बच्ची को उसकी अगली क्लास 11वीं में भी उसको एक हजार रुपये मिलेंगे और 12वीं में भी उसको एक हजार रुपये मिलेंगे। ऐसे करके 21 लाख रुपया हमने उन बच्चियों को दिया। पर इस बार आपका गार्गी पुरस्कार बच्चियों को नहीं मिला। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पैसा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बच्चियों का मान बढ़ता है, इसलिए उसको आप निश्चित रूप से प्रारम्भ करावें।

मैं सोचता हूं कि बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की तरफ से हमने प्रयास किया था कि अच्छा काम करने वाले को बालिका फाउण्डेशन के माध्यम से हम उनको पुरस्कृत करें, सम्मानित करें। जो सरस्वती विद्यालय हैं, वह हमने उनके माध्यम से कराये। इसलिए कि यह जो निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें जो वितरित की जाती हैं, यद्यपि निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उस परिवार को 40-50 रुपये की मदद होगी, पैसे में कोई कीमत नहीं होती है लेकिन उस किताब को लाने में गांव को दूरदराज जंगल में बैठा हुआ आदमी तहसील हैड क्वार्टर पर आता है, किताब आठ रुपये की और आने-जाने का टिकट 40 रुपये का और अगर उस पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चे को कब वह किताब दिलाएगा, कब बच्चा पढ़ेगा, कुछ गरीबी के कारण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से कुछ बाहर कहीं मजदूरी करने चला गया। जब तक उसके पिताजी नहीं आएंगे तब तक उसको किताब नहीं मिलेगी। हमने सोचा कि जब सब बच्चों को शिक्षा के घेरे में लाना है तो हमने यह निःशुल्क पहली से पाचंवीं कक्षा के सब बच्चों को और पहली से आठवीं की सारी बच्चियों को शुरू किया। आपने भी उसको किया।

मेरा एक ओर सुझाव है आप कोशिश करिये कि नवीं से बारहवीं तक की सभी बच्चियों को भी निःशुल्क पुस्तकें दें। राज्य सरकार पर भार नहीं पड़ेगा। नवीं से बारहवीं तक की जितनी भी किताबे हैं प्रत्येक किताब पर आठ आने लेवी लगा दीजिए। आठ आने की कीमत बढ़ जाएगी तो काई फर्क नहीं पड़ने वाला खरीदने वाले बच्चे को, लेकिन आठ आने से जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, कम से कम राजस्थान में नवीं से दसवीं, ग्यारहवीं, और बारहवीं में पढ़ने वाली सब लड़कियों को किताबें राज्य सरकार की तरफ से विद्यालय में मिल जाएं। देखिए, आप विद्यालय में बच्चियों का रुकना होगा और हमारी स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

मैं आपसे निवेदन करूं स्कूल एटलस हमने तैयार की, बहुत परिश्रम से तैयार की और स्कूल एटलस के पीछे हमारी भावना यह थी कि एरिए किधर फैला हुआ है, स्कूल कहां है? आपको लगेगा कि दो स्कूल तो तीन-तीन किलोमीटर पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल आ रहे हैं और एक पूरा का पूरा उस तहसील का ऐसा कोना है जिसमें 20 किलोमीटर तक कहीं सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं आ रहा है, कहीं सैकण्डरी स्कूल नहीं आ रहा है।

हमने पंचायत समिति के मैप पर मार्किंग कराया जिससे यह पता लगे कि हमारा जो शिक्षा का चार्ट चल रहा है वह ठीक दिशा में चल रहा है या नहीं। तो निश्चित रूप से उस एटलस को हमने बड़ा बना दिया। आप इसको जिलावाइज बनाकर के छोटे-छोटे ग्रुपों में बनायें ताकि एक जिले की 12 पंचायत समितियां हैं, तो 12 नक्शे होंगे तो उस जिले के हर आदमी को देखकर के वहां के शिक्षा के ढांचे को समझ लेंगे।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, हमने एक प्रयास और किया था जो पता नहीं दफ्तर दाखिल हो गया। जैसे माननीय सदस्य ने कहा था कि जब तब आपका यह जिला शिक्षा अधिकारी सक्षम नहीं होगा तब तक आपकी शिक्षा का ढांचा कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कड़वी घूंट आज पीयो या कल पी लो, पीनी पड़ेगी। इसलिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति 50 प्रतिशत फ्रैश लोगों से करने के लिए प्रस्ताव बनाये थे। फाइल आर.पी.एस.सी. को भी चली गयी थी। कोई नया लड़का 30, 32 साल का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर डीईओ. बनेगा तो उसे 20 साल तक डीईओ. रहना है, वह निश्चित रूप से परिश्रम करके इस शिक्षा के ढांचे को सुधारेगा लेकिन कोई 8 महीने का डीईओ. कोई 3 महीने का डीईओ., कोई 12 महीने का डीईओ. और रिटायरमेंट के बाद वह सोचता है कि कौन झंझट में पड़े फिर बाबू जैसी लिस्ट बनाकर लाता है उस पर ही ठोक देता है, मेहनत करने की कोशिश भी नहीं करता है। अगर हम वास्तव में शिक्षा में गुणात्मकता चाहते हैं तो निश्चित रूप से डीईओ. की भर्ती में 50 प्रतिशत डीईओ. आरपीएससी. से सलैक्ट करके लगायें तो शिक्षा में निश्चित रूप से सुधार होगा।

बीमा योजना भी हमने शुरू की थी। स्कूल ड्रैस के बारे में भी मैंने आपसे कहा था कि बच्चों को जो स्कूल ड्रैस के बजाय पहले कपड़ा देते थे उसको हमने खतम कर के 90 रुपये गरीब बच्चों को दिया ताकि उसके माता-पिता 90 रुपये में दो ड्रैस बना लेंगे। नहीं तो हम राज से कपड़ा खरीदते हैं न वह सड़ता रहता है और बच्चे को साल के अंत में नहीं मिलता।

साक्षरता की दृष्टि से भी मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भले ही सब चर्चा में कहें साक्षरता कुछ नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ सत्य बात यह नहीं है। हिन्दुस्तान में जो साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के आधार पर राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 16 प्रतिशत बढ़ा है जबकि सारे देश का केवल 10 प्रतिशत बढ़ा है। हमने कीर्तिमान स्थापित किया है और इसी कारण से हमको सात में से चार पुरस्कार मिले 1997-98 में जो सात पुरस्कार दिये हैं उसमें से चार पुरस्कार मिले। इसलिए इसको हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर इसमें कोई कमी-खामी है तो उस कमी-खामी को निकाल कर इसकी पुख्ता व्यवस्था करें जिसके कारण से हम जिस रास्ते पर बढ़े हैं, निश्चित बढ़ें।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान एक जैसलमेर प्रकरण की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरी तरफ से मैंने कोशिश की थी, मुझे एक शिकायत प्राप्त हुई कि हमारे कुछ अधिकारियों ने जैसलमेर में फर्जी नियुक्ति दिखायी और फिर ट्रांसफर केस बनाकर के अपने-अपने परिवार के बच्चों को यहां नौकरियां दे दीं। ऐसे केस किसी शिकायत के आधार पर हमने पकड़े और उसकी जांच हुई पकड़ने के बाद। जांच से निश्चित रूप से पाया कि डीईओ. का भाई था, कोई हमारे यहां के यूडीसी. थे, उनकी लड़की थी, कोई हमारा डिप्टी डाइरेक्टर था, उसकी पोती थी। ऐसा सारे केस कर के हमने जांचा और जांचने के बाद हमने कुछ अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया। मैंने कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इस पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगाया लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। इसलिए मन को एक पीड़ा थी कि बहुत मुश्किल से हम लोगों ने प्रयास करके 11.10.1996 को इस काम को शुरू किया था। इसकी जांच रिपोर्ट हमको 6.11.96 को मिल गयी। 5.12.96 को हमने आदेश जारी कर दिया, इनके खिलाफ कार्यवाही करने का और उसमें वो जिला शिक्षा अधिकारी, मैं नाम नहीं पढ़ना चाहता हूं, वह दोषी पाये गये। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो आपसे पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपना निजी सचिव भी उसी आदमी को रखा था जो उसमें आइडेंटिफाई था। दुर्भाग्य है यह शिक्षा का। केवल किसी व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं है, कम से कम एक सिस्टम सुधरना चाहिए कि अगर फर्जी नियुक्ति तो जैसलमेर में दिखाये और ट्रांसफर आर्डर के माध्यम से दौसा, जयपुर में लाकर नौकरी दे। दे मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस केस को आप निकालें। वैसे तो हमने 31.1.1997 को ही यह राज्य अन्वेषण ब्यूरो को दिया हुआ है लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, एक तरह से दफ्तर दाखिल हो गया। कृपा करके वापस इसको ठीक करने की कोशिश करें।

मैं एक चीज और आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायें। माननीय सांवर लालजी ने प्रश्न पूछा था कि जिस वी.डी.ओ. को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, आपने अपने जवाब में माना है कि प्रधान की सहमति से होना चाहिए, गलत ट्रांसफर हुआ। आप अपने लिखित जवाब में दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर कार्यवाही नहीं होगी तो उस अधिकारी के सींग लग जायेंगे। मै सोचता हूं या तो आप उसे अधिकार दे दो, किसी को कोई एतराज नहीं। उसे अधिकार होगा वह करेगा, हमें कोई एतराज नहीं लेकिन जब आप अपने प्रश्न के जवाब में उत्तर देते हैं उसके बाद कार्यवाही नहीं होती, इस विधान सभा में कई बार विषय उठ जाय उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए मैं ठीक नहीं समझता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिक्षा को राजनीति के इस झमेले से बाहर निकालो। इसमें तक-वितर्क मत करो। किस तरह से इसके ढांचे को सुधारा जा सकता है, कैसे बच्चों का शिक्षण अच्छा हो सकता है, जो भी सुझाव आये उन पर गौर करें। इसलिए मैं समझता हूं आप राज्य स्तर पर कोई एक ऐसी कमेटी बनायें जिसका तीन महीने में आपस में विचार-विमर्श हो कि कौनसे सुझाव का हम कैसे पालन कर सकते हैं। आपने 112 करोड़ रुपये बचाया, बहुत अच्छी बात की लेकिन इसमें से कुछ और खामियां इस विभाग में हैं जिनमें से पैसा भी बच सकता है और व्यवस्था भी हो सकती है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन प्राइवेट स्कूलों के बारे में हम रोज चाहे जो बोलते हैं, मैं उन मंत्रीजी का भी वक्तव्य पढ़ सकता हूं जो पिछली बार उन्होंने दिया कि हम इस शोषण को रोकेंगे, क्या रोका? कुछ भी नहीं रोका। अब यह रुक भी नहीं सकता। इसके पोजेटिव पक्ष में आइये। कोई देना चाहता है, पांच हजार रुपये में पढ़ना चाहता है, आती है उसकी खोपड़ी में तो जाने दो, अपने को क्या दिक्कत है। लेकिन कंट्रोल करने का एक रास्ता अपने पास है जिसके लिए मैंने मीटिंग बुलायी थी इन सबकी, एक मीटिंग हुई, दो हुई और उसके बाद आगे नहीं बढ़ा। उसमें कुछ नहीं करना, तुम्हारी मर्जी हो जो फीस लो मैं तो साल के अंत में तुम्हारी बैलेंस शीट देखूंगा कि तुमने इस पैसे को कहां खर्च किया? तुमने बालक के हक में किया, तुमने उसको घुड़सवारी के लिए, एरोप्लेन उड़ाना सिखाया, हमें कोई एतराज नहीं, तुम दस हजार लो लेकिन तू कमा रहा है उसके बाद अगर अध्यापक को नहीं मिल रहा है तो मैं निश्चित रूप से इसको रोकूंगा। और उसको पूरा कराने के लिए आपको जो भी प्रयास करना चाहिए करें। यह जो फार्म भरने के 500 रुपये की जगह 1200 रुपये फीस लेकर क्या बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, अभी तो पैदा ही हुआ था। कम से कम यह जो पहले दिन का इंटरव्यू है, इसे बंद करो। इसका मतलब तो यह है कि किसी के मां-बाप अगर गरीब हैं और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो वह नहीं दिला सकते क्योंकि उसके मां-बाप अंग्रेजी नहीं जानते। किस बात का इंटरव्यू लेना चाहते हैं? अगर उस बच्चे में टैलेंट नहीं हो तो एक साल बाद, दो साल बाद स्कूल से बाहर निकाल देना लेकिन इस कारण से आप नहीं रोक सकते कि उसके माता-पिता की क्षमता है फीस देने की और अगर वह पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने देना चाहिए। आज आप विचार करें कि प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों मे हम 2900 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और हम प्राइवेट स्कूल को देते कितने हैं, 39 करोड़ रुपये की एड देते हैं। अफसोस, 39 करोड़ रुपये की एड देकर के हम वन फोर्थ बच्चों को पढ़ा रहे हैं यह हम कोई न्याय कर रहे हैं। न्याय नहीं हो सकता। इसके लिए मेरा आपको एक सुझाव है कि इस एड को आप काम के साथ जोड़ दीजिये। यह एड के कागज बनाना और यह फर्जीवाड़ा बंद करिये। सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम उठाइये, मिडल का परीक्षा परिणाम उठाइये और प्रत्येक बच्चे में जो फर्स्ट डिवीजन आयेगा तो इतने हजार रुपये मिलेंगे, सेकण्ड आयेगा तो इतना मिलेगा, थर्ड को इतना मिलेगा। पूरे परीक्षा परिणाम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो आपके बोर्ड के माध्यम से हो रहे हैं उसकी शीट मंगा लीजिये और उस विद्यालय का जितना बनता है, उसको चैक दे दीजिये।, निश्चित रूप से वह स्कूल भी आगे बढ़ेगा और हमारी व्यवस्था आगे बढ़ेगी। बिना बात हम इन कागजों के जाल में फंस करके ना तो राज की व्यवस्था से हम पढ़ा सकेंगे। प्राइवेट स्कूल तो निश्चित रूप से आयेंगे। आज गांव तक भी प्राइवेट स्कूल पहुंच रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे बारे में लोगों का विश्वास उठ रहा है। हम वहां बड़ा लवाजमा और इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी अगर सरकारी विद्यालय से विश्वास उठता है तो इससे ज्यादा दुख का विषय हमारे लिए क्या हो सकता है। अच्छे टीचर्स हमारे पास होने के बाद भी हमारा विश्वास उठ रहा है और वहां थर्ड डिवीजन, फेल हुए, जो सरकारी नौकरी में सलैक्ट नहीं होते वह जाकर वहां अध्यापक बनकर अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे पास अच्छा अध्यापक होने के बाद भी हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करके निश्चित रूप से शिक्षा को गुणात्मक दृष्टि से भी, संख्यात्मक दृष्टि से भी देखें।

सभापति महोदय, सारे बच्चों को विद्यालय लाने के लिए हमने दो जिलों में अनिवार्य शिक्षा की थी, आप सम्पूर्ण राजस्थान में अनिवार्य शिक्षा लागू करके शत-प्रतिशत बालक उस उम्र का विद्यालय आना चाहिए। यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : सभापति महोदय, एक प्रसिद्ध लोक कथा है। किसी ने चिड़ियाओं को एक गीत सिखाया कि बहेलिया आयेगा, जाल बिछायेगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना नहीं। उन चिड़ियाओं ने वह गीत रट लिया और उसको मंत्र की तरह रटती रहीं लेकिन बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और वह चिड़ियाएं मंत्र रटती हुई नीचे उतरीं और दाना चुगती हुई उसके जाल में फंस गयीं।

सभापति महोदय, आजादी के बाद लगातार हमारी पूरी व्यवस्था यही बात कहती रही है कि गैर-बराबरी को खतम करने के लिए शिक्षा, दलितों को आगे लाने के लिए शिक्षा, शोषण और दमन के खिलाफ समानता के लिए शिक्षा, महिलाओं, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, सब को समान हक दिलाने के लिए शिक्षा लेकिन इसके बावजूद व्यवहार में हम देखें तो पिछले 50 साल में गैर-बराबरी की शिक्षा को हमने बढ़ावा दिया, भेदभाव के चरित्र वाली शिक्षा को हमने बढ़ावा दिया। भेदभाव के चरित्र वाली शिक्षा को हमने बढ़ावा दिया और हम लोग भी लगातार उन चिड़ियाओं की तरह यही रटते रहें और यही कहते रहें कि बराबरी के लिए शिक्षा।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, 1964 में जब कोठारी कमीशन देश में बनाया गया उस समय 1964 से 1966 के दौरान जो अपनी सिफारिशें दी थी उसमें सबसे प्रमुख सिफारिश यह थी कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली। आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं 35 साल पहले कोठारी कमीशन ने यह बात कही थी कि हमें सार्वजनिक स्कूलों का भी स्तर ऐसा बनाना होगा कि मां-बाप निजी स्कूलों के चंगुल में नहीं फंसे। आज 45 साल पहले उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी हमारी शिक्षा का जो चरित्र है वह वैसा ही है। ऐसा नहीं है। कि सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं हुआ हो लेकिन हमारी नीतियों में अन्तर विरोध है। अच्छी शिक्षा जो हम सबको देना चाहते हैं वह अच्छी शिक्षा समाज के प्रभावशाली वर्ग का अधिकारी बनकर रह गयी है और जिस शिक्षा के जरिये हम समानता का प्रसार करना चाहते हैं वही शिक्षा हमारे लिए विषमता का औजार बन गयी है। सभापति महोदय, पिछले दो-तीन दशकों के आंकड़ों का हम अवलोकन करें तभी पायेंगे कि किसी तरीके से शिक्षा में क्या-क्या वातावरण बना है। इतने सालों के बाद भी सामान्य वर्ग में और आदिवासी समुदाय के बीच में शिक्षा के स्तर में कितना फर्क आया है। सभापति महोदय, आज अगर हम अवलोकन करें तो 1971 में राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य वर्ग और आदिवासी समुदाय वर्ग के बीच शिक्षा का अंतर 18 फीसदी था और 1991 के आंकड़ों का हम अवलोकन करें तो वह अन्तर आदिवासी समुदाय और सामान्य वर्ग के बीच में 18 से बढ़कर 22 फीसदी तक पहुंच गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह जा रही है और जिस समाज के वंचित आदमी को, कमजोर आदमी को हमने अपने शासन का मुख्य केन्द्र माना हुआ है हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद वह पीछे जा रहा है। सभापति महोदय, महिलाओं का जो साक्षरता का अन्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम अवलोकन करें 1971 में सामान्य महिलाओं और आदिवासी महिलाओं के बीच में वह अन्तर 14 फीसदी था और 20 सालों के अन्दर हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद सामान्य वर्ग की महिलाओं और आदिवासी महिलाओं के बीच में वह अन्तर बढ़कर 21 फीसदी तक पहुंच गया।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि लगातार यह अन्तर बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रदेश में जो नामांकन होते हैं विद्यार्थियों के। मैं यह नहीं कहता कि लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई है, लगातार बढ़ोतरी हुई है लेकिन इसके बावजूद इस तरफ हमारा ध्यान नहीं हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितने हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा छोड़कर चले जाते हैं और किस वर्ग में यह आंकड़ा बहुतायत से हमको मिलता है। सभापति महोदय, 1996 और 97 के

(श्री संयम लोढ़ा)

आंकड़ों का हम अवलोकन करें तो 57 फीसदी विद्यार्थियों ने प्राथमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसमें भी अनुसूचित जाति के छात्र 57 फीसदी थे और अनुसूचित जाति की छात्राएं 60 फीसदी थीं। अनुसूचित जनजाति के छात्र 63 फीसदी थे और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं 71 फीसदी थीं और राज्य के 14 जिले आज भी ऐसे हैं जिनमें छात्राओं का नामांकन 14 फीसदी से भी कम है। तो यह सारी स्थिति हमारे सामने मौजूद है और मैं समझता हूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्रीजी हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी की जो टीम है उसके काबिल और योग्य मंत्रियों में से हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे जिस रूप में लगातार सरकारी स्कूलें जैसा कि पूर्व वक्ता ने भी कहा कि इस पर से लोगों का भरोसा नहीं रहा और निजी स्कूलों की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। मैं यह समझता हूं कि हमारे स्कूलों का स्तर ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे कि जो अभिभावकों का आकर्षण निजी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके।

सभापति महोदय, 1978 के अन्दर जहां निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या सिर्फ नौ फीसदी थी 1986 में वह संख्या बढ़कर 17 फीसदी हो गयी और 1976 से 1986 के बीच जो नामांकन में बढ़ोतरी हुई है उसमें निजी स्कूलों का आंकड़ा 57 फीसदी है। इससे आप अनुमान लगाइये कि पिछले 20 सालों में कितनी तेजी के साथ हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर गिरा है लोगों का विश्वास इससे गिरा है। सभापति महोदय, हमने पिछले 50 सालों में दो तरह के भारत तैयार किए। हमने आर्थिक विकास का ऐसा माडल अपनाया कि एक तो धनवानों का भारत तैयार किया दूसरा हमने गरीबों का भारत तैयार किया। और हमारी सारी सरकारी स्कूलें उन गरीब बच्चों की शिक्षा का केन्द्र बन गयी हैं जिनके अभिभावक, जिनके माता-पिता अच्छा धन उन पर खर्च नहीं कर सकें। यह स्थिति किसी भी शासन के लिए बेहतर नहीं कही जा सकती। सभापति महोदय, फीस की बात हो या किसी भी स्तर की बात हो, लगातार इस बात की कल्पना की गयी कि स्कूल प्रणाली को बेहतर बनाया जाए लेकिन व्यवहार के अन्दर उसका असर हमें दिखाई नहीं पड़ा। आजादी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने शिक्षा नीति पर सोचा तो सबसे पहले वह व्यक्ति थे राजीव गांधी जिन्होंने देश को 1986 के अन्दर नयी शिक्षा नीति दी और ग्रामीण प्रतिभाओं के बारे में सरकार ने प्रतिबद्धता व सोच प्रस्तुत करने की कोशिश की आप और हम सब देखते हैं कि राजीव गांधी की वह नवोदय विद्यालय की कल्पना

(श्री संयम लोढ़ा)

आज हम सब लोगों के सामने है। उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को एक अच्छी तालीम प्राप्त करने का अवसर उसके माध्यम से मिल रहा है।

प्रतिपक्ष के हमारे कई साथियों ने लगातार राजीव गांधी पाठशालाओं को लेकर एक आलोचना का वातावरण बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि पिछले साल उन्होंने 12354 राजीव गांधी पाठशानाएं स्वीकृत कीं जिनमें से 11764 राजीव गांधी पाठशालाएं कार्यरत हैं और 05 लाख 39 हजार छात्र-छात्राएं उसमें अध्ययनरत हैं। और अब हमारे जैसे प्रदेश में, जहां लोग ढाणियों में भी रहते हैं गांवों में भी रहते हैं, यह एक ऐसा क्रांतिकारी सोच है जो प्रदेश के बहुत व्यापक हित में है। एक छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा या नन्ही बच्ची एक या डेढ़ किलोमीटर चलकर नहीं जा सकते और होता क्या है वह बाल श्रम में लग जाते हैं। भेड़ें चराने के लिए जाएंगे। घर के छोटे-मोटे काम करेंगे और खेती में मदद करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और उनके सहयोगियों का एक बहुत बड़ा सकारात्मक सोच है कि उन्होंने ये राजीव गांधी पाठशलाओं की स्थापना का निर्णय लिया। आज बड़ा अफसोस होता है जब अखबारों में यह पढ़ते हैं कि राजस्थान, जो हमारे बड़े प्रदेश हैं पन्द्रह, उनमें से पीछे से दूसरे नम्बर पर है। 13वें नम्बर पर अगर राजस्थान का साक्षरता का नाम आता है तो हम लोग इस स्थिति को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकते और मैं समझता हूं कि यह जो प्रयास किया है यह बहुत सार्थक प्रयास है।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में महिला साक्षरता की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। 1991 के आंकड़ों का अवलोकन करें तो आदिवासी महिलाओं की साक्षरता का 4.4 फीसदी था इससे ज्यादा शर्मनाक उदाहरण हम लोगों के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि उन्होंने इस दिशा में भी किस तरीके से लड़कियों के नामांकन बढ़ाया जाए उन्होंने सोचा और उन्होंने यह फैसला किया कि आने वाले वर्षों में मिडल स्कूल्स जहां पंचायत मुख्यालय पर महिला शिक्षा सहयोगी लगायेंगे। उन्होंने यह भी फैसला किया है कि राजीव गांधी पाठशालाओं में जहां पर 60 से अधिक नामांकन है और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अगर वहां दूसरा शिक्षा सहयोगी लगाया जाएगा तो महिला सहयोगी को लगाया जाएगा। मैं समझता हूं यह हमारी सरकार की प्रगतिशील सोच का उदाहरण है, वैज्ञानिक सोच का उदाहरण है और वर्षों से जो शोषण का शिकार हमारी बहिनें और हमारा मातृत्व वर्ग रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका यह बहुत अच्छा प्रयास है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, हमने दो दिन पूर्व भी और आज भी लगातार हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय के दो दिन पूर्व भी विचार सुने, आज उप नेता महोदय के भी विचार सुने। इनकी जिस सोच की सीमा कि इन्होंने जितना कर्जा लिया वह कर्जा मानव संसाधनों के विकास में खर्च किया और उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत करने की बात कही। सभापति महोदय, सदन में जब बोला हुआ वक्तव्य, बोला हुआ शब्द अखबारों में छपता है तो जनता में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है वही हमारा सही जजमैंट है। पूरा राजस्थान यह जानता है सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के आठ साल के शासन में मानव संसाधनों के विकास का कोई काम नहीं हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षण संस्थाओं की नीलामी की। इन्होंने तीन लाख रुपये लेकर सैकण्डरी स्कूल खोले, पांच लाख रुपये लेकर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले और किस मुंह से कहना चाहते हैं कि इन्होंने कर्जा लेकर मानव संसाधनों का विकास किया है। सभापति महोदय, सरकार तो यह है जिसने पिछले साल कितने सैकण्डरी स्कूल खोले, कितने सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले, कितने मिडिल स्कूल खोले और इस साल भी जो इन्होंने जो बजट प्रावधान किया वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। सभापति महोदय, यह मानव संसाधनों के विकास की बात करते हैं। मैं मेरे यहां का उदाहरण आपको बताना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरोही में शिवगंज के अन्दर इनकी पार्टी की ओर से सार्वजनिक कार्यक्रम था। एक दानदाता कालेज की बिल्डिंग बनाकर देने को तैयार था। इन्होंने तीन साल का खर्चा उससे 84 लाख रुपये मांगा और कालेज की इजाजत नहीं दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत को और हमारे पूर्व वित्त मंत्री चन्दन मल जी बैद को और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री को उन्होंने शिक्षा की नीलामी का नहीं सोचा। उन्होंने पहले साल में 14 कालेज राजस्थान के अन्दर स्वीकृत किये और इन्होंने दिखाया कि वह राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के प्रति उनका क्या सोच है, शिक्षा के प्रति क्या सोच है यह बात करते हैं। आठ साल के अपने कुशासन का प्रलाप करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है।

सभापति महोदय, राजीव गांधी ने व्यावसायिक शिक्षा का सोच दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से। इन लोगों ने क्या किया, आठ साल में यह व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं बना पाये और व्यावसायिक शिक्षा का जो अनुदान मिलता है उस अनुदान का यह उपयोग नहीं कर पाये। इनका कोई सोच नहीं था, इनका

(श्री संयम लोढ़ा)

कोई चिन्तन नहीं था कि नई शिक्षा पद्धति के अनुरूप आने वाली पीढ़ी को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए और आठ साल में जो हमारा सोच था, हमारे नेता का सोच था, हमारी पार्टी का सोच था, जो राजीव गांधी की कल्पना थी उसका भट्टा बैठाने का इन्होंने काम किया और प्रदेश के लाखों बेरोजगारी के साथ अन्याय करने का काम इन्होंने किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में एक अराजकता का वातावरण बना हुआ था और स्वायत्ता के नाम पर विश्वविद्यालय में आये दिन हम उच्छृंखलता का माहौल देखते थे। कांग्रेस की सरकार ने पहली बार यह हिम्मत की तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से एम.ओ.यू. साइन करके मंगवाये और इस बात के अधिकार खुद के हाथ में लिये कि जो स्वायत्ता के नाम पर उच्छृंखलता का प्रदर्शन वह कर रहे हैं जिस तरीके की अनियमितताएं वहां पर हो रही हैं उन अनियमितताओं पर शासन का चैक होना चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए। आखिरकार राजस्थान की सरकार उन विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए पैसा देती है और यह जो कदम हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उठाया है, मैं समझता हूं आने वाले वक्त में हमारे विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुधारने में हमें इससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत सहयोग मिलेगा क्योंकि पचास साल के अन्दर स्वायत्ता के नाम पर जिस तरह से हमारी शिक्षण व्यवस्था का विश्वविद्यालयों में जनाजा निकला है वह हमने देखा है और अब जिस सोच के साथ हमारे शिक्षा मंत्री और हमारी सरकार आयी है हमको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में विश्वविद्यालय बेहतर शिक्षा के केन्द्र बन सकेंगे। मैं हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रीजी और साथ में पंचायती राज मंत्रीजी की जानकारी में दो तीन बातें और लाना चाहूंगा।

एक तो मेरी प्रार्थना इनसे यह है कि शिवगंज में कालेज तो पिछले साल आपने खोल दिया, दो फैकल्टीज, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं इस साल आप विज्ञान संकाय खोलने का कष्ट करें और हमारे मुख्य मंत्री की तारीफ तो दुनिया करती है। आप भी बस में जब हमारे साथ आते हो आप भी कहते हो अशोक गहलोत बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं हाउस में भले ही आप कुछ भी कहो, बाहर निकले के बाद जो बात कहते हो वह सबको पता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दुनिया ने नाम सुना है देखा नहीं है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप अपना नहीं तो अपनी मूंछों की इज्जत का ख्याल तो करिये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो तीन बातें हमारे माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। पंचायती राज के अन्दर आपने कई अच्छे फैसले किये और हमको पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे लेकिन मुझे किसी जगह ऐसा महसूस होता है कि एक सोच जो बना हुआ है उस सोच से अलग हटकर काम करने की कोशिश उस रूप में नहीं हो पा रही जिस रूप में होनी चाहिए। आपने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष जिला प्रमुख को बना दिया। आपने इस बात की कोशिश की कि आप जन-प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता को कायम करें लेकिन व्यवहार के अन्दर आप यह देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उसका कार्यान्वयन किस रूप में हो रहा है। सभापति महोदय, हमारे जिले में जिला परिषद की पहली बैठक हुई। मैं उस बैठक में नहीं जा पाया। हमारे माननीय यातायात मंत्रीजी छोगारामजी बाकोलिया उस बैठक में गये थे। उनकी सुपुत्री को हमने वहां निर्विरोध जिला प्रमुख बनाया। आपको जानकार ताज्जुब होगा सभापति महोदय कि जिस जिला कलेक्टर को आपने इस बात के लिए तजबीज किया है कि वह अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक के रूप में उसमें काम करे। आपने इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। पहली मीटिंग में ही वह गैरहाजिर रहे और आपके माननीय यातायात मंत्री जी को मुख्य सचिव को इस बात की शिकायत करनी पड़ी तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इन बड़े लोगों का, इन बड़े अधिकारियों का जो ईगो है, जो उनका अहंकार है वह आप कायम रखो। हम उनके अहंकार को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बिलकुल भी नहीं चाहते। आप तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सचिव पद पर किसी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बैठा दें। इनको ज्यादा कष्ट देने की आप तकलीफ नहीं करें।

सभापति महोदय, पहले जब मैं स्कूल छात्र संघ का अध्यक्ष था मैंने मेरे जीवन में दस कलेक्टर देखे, मैं आपको कहना चाहता हूं मंत्री महोदय आप इस सरकार के काबिल और मजबूत मंत्रियों में हैं और मन्त्री जी आपके सुझावों का इसमें महत्व है दस में से नौ कलेक्टर चोर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा इनके प्रति सहानुभूति मत रखिये। यह जैसे हैं वैसे ही इनके साथ व्यवहार कीजिये, जो जनता को अच्छा रिजल्ट दे सकता है, जो जनता को अच्छा परिणाम दे सकता है उसका उसके अनुरूप उपयोग कीजिये।

मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं पिछले साल देखता हूं कि आपका एक अधिकारी पूरे राजस्थान में शराब बेचने का

(श्री संयम लोढ़ा)

काम् करता है और इस साल मैं देखता हूं कि वही अधिकारी शिक्षा पर काम कर रहा है। आपका सोच क्या है, किस आधार पर आप लोगों को काम देते हैं। जो शराब बेचने का काम कर रहा है वह शिक्षा का भी काम कर सकता है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस पर बहुत गम्भीरता से चिन्तन कीजिये। राजस्थान की जनता ने बहुत मजबूत बहुमत आपको दिया है और अगर आज व्यवस्था के अन्दर जिस सुधार की अपेक्षा है वह सुधार नहीं ला पाये तो आने वाला समय हमको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह मीणा। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। अपने भाषण को दस मिनट में समाप्त करने का कष्ट करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मैं तो पूरे सत्र में पहली बार खड़ा हुआ हूं सभापति महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैंने झुंझुनूं बात की और कलेक्टर साहब से भी बात की उन्होंने तो कहा कि हमने अपनी सारी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। मोहर्रम वाले ताजियों के मामले की ही इंफार्मेशन दे रही हूं आपको।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इस पर व्यवस्था हो चुकी है पहले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, व्यवस्था नहीं दी है। नहीं व्यवस्था नहीं हुई है उसके बाद की बात बता रही हूं आपको। अभी अभी सूचना मिली है...

श्री सभापति : हां फरमाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टेलीफोन करके आयी हूं इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने कहा हमने सरकार को रिपोर्ट भेज दी और अल्पसंख्यक समुदाय से भी बात करके आयी हूं। वह इस बात के लिए अडामेंट हैं कि हम इस बार अपने ताजिये अपनी कर्बला भूमि पर दफन करेंगे और प्रशासन इस बारे में अभी तक चूंकि किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है इसलिए प्रशासन उन्हें वहां करने नहीं देगा। ऐसी हालत में कहीं मुझे, साम्प्रदायिक तत्व जो हैं, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा और उनके दिमाग में किसी और तरह की बात आ गयी तो वहां पर स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आज वैसे तो सदन 8-9 बजे तक बैठेगा क्योंकि सभी शिक्षा पर बोलना चाहते हैं तो मंत्री जी हमें आज ही क्यों नहीं जवाब दे देती इस बारे में, ताकि फैसला हो जाए और हम ऐसी घटना को टाल सकें जो बहुत भंयकर भी हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये। सरकार के बहुत सारे मंत्री बैठे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : इस बात को मंत्री महोदय ने एडमिट किया है कि कलैक्टर की सूचना उनके पास आ गयी है There is nothing new which she wants to present here.

मोहम्मद माहिर आजाद : उन्होंने यह नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हम रिपोर्ट मंगवा रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : ना ना माहिर आजाद जी..(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मामला यह है जैसा कहा माननीय सुमित्रा सिंहजी ने, सरकार के मंत्री बैठे सुन रहे है आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं। इन्फार्मेशन आपने दे दी है सरकार चाहेगी तो शाम तक स्टेटमेंट दे देगी। (व्यवधान) यह मामला माहिर आजादजी, विवाद का नहीं है। It is not a disputed matter.

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) लाइसेंस होल्डर हैं उनसे भी बात की ..(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : There is nothing new in it. आपकी बात सुनने के बाद मंत्री महोदय ने यह कहा है कि कलेक्टर की सूचना उनके पास है। (व्यवधान) आप सुन ही नहीं रहे फिर क्या मतलब है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं कहा (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं बता रहा हूं आपको।

श्री सभापति : आप कह रहे हैं यह भी तो केबिनेट मंत्री हैं (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप इस बात को (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप नाराज क्यों हो रहे हैं। हो सकता है मैंने नहीं सुना हो और इतने सारे लोग हैं। अगर यह कहा है माननीय मंत्रीजी हम निवेदन यही तो कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय ने यह कहा था कि समय पर कार्यवाही हो जायेगी। यह नहीं कहा कि रिपोर्ट मेरे पास आ गई। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कलेक्टर की रिपोर्ट आ गई। सभापति महोदय, कोई अराजकता फैले और लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो उससे पहले कोई फैसला ले ले। सरकार सदन को आश्वस्त कर दे कि हां साहब ताजिये वहीं दफनाये जायेंगे उसकी इजाजत दी जायेगी। इतना ही हम चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य सरकार के जिम्मेदार मंत्री बैठे हैं अगर वह कोई व्यवस्था देना चाहेंगे तो दे देंगे आपने अपनी बात तो रख दी है।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय इसमें मौलिक अधिकारों का हनन है।

श्री सभापति : क्या कहना चाह रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : जबरदस्ती ही इसे...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जबरदस्ती कैसे अगर आप इस बात को ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं आपसे।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुमेरपुर में एक्सीडेंट हो तो आप लीडर आफ अपोजीशन को लेकर चले जाओ। कोई भी चीज का मामला हो तो हमको बोलने ही नहीं देते... (व्यवधान) आप सुमेरपुर में, पाली में एक्सीडेंट हो तो चीफ मिनिस्टर और लीड़र आफ अपोजीशन को भी लेकर चले जायेंगे और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय का और झुंझुनूं का मामला है तो आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान) यह कोई पर्यटन से सम्बन्धित मामला नहीं है। जब आपको बोलना था तो चुप रहीं आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये वह बोल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, आप एक मिनट विराजिये वह जवाब दे रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : यह तब से बैठे थे ना यहां पर क्यों नहीं बोले यह जब से। क्या जवाब देंगे यह।

श्री सभापति : दे रहे हैं ना जवाब विराजें क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान) यह जवाब दे रहे हैं। सुनो तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सभापति : आपने अपनी बात को कह दिया... (व्यवधान) आप सुनोगे तो सही। आपने अपनी बात कह दी। माननीय सदस्य विराजिये। वह स्टेटमेंट दे रहे हैं बात कह रहे हैं सुनो तो सही। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी जवाब दें कि मोहर्रम में दफनाये जायेंगे कि नहीं दफनायें जायेंगे... (व्यवधान)

सभापति : वह बोल रहे है आप सुनना नहीं चाहते हैं? माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं आप कुछ सुनो तो सही, उनका स्टेटमेंट तो आने दें, प्लीज सिट डाउन। श्री जगमाल सिंह जी, कृपया सुनिये कोई बात ठीक नहीं (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, सरकार सारी सूचनाएं... (व्यवधान)

श्री सभापति : मानीय मंत्रीजी कह रहे हैं सुनो तो सही। उनका स्टेटमेंट तो आने दो। सुनिये, कृपया सुनिये। कोई बात वह कह रहे है तो कहने दीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : जब से यहीं बैठे थे और पिछली बार भी करबला के ऊपर नहीं दफनाये गये उनके ताजिये और

(श्री जगत सिंह दायमा)

आपके कांग्रेस में रहते हुए भी नहीं दफने। आप उनसे वोट लेकर आये हो अब क्या होगा। आप लोग यह टोपी उखाड़ करके बी.जे.पी. में बैठ जाते तो हमारी समझ में आती थी यह बात। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज जगमाल सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा : कांग्रेस में रह करके भी...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : क्यों बैठ जाऊं इस बात के लिए।

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं?

श्री जगत सिंह दायमा : मैं मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस सरकार साम्प्रदायिक है। हिन्दू मुस्लिम को लड़ाती है।

श्री सभापति : सरकार के माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप सुनना चाह रहे हो। (व्यवधान) जगमाल सिंह जी सिट डाउन Let the answer be finished by the Hon'ble Minister.

श्री जगत सिंह दायमा : क्या बोलेंगे यह।

श्री सभापति : आप विराजिये वह जवाब दे रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए अभी तक। क्या बोलेंगे इस बात के लिए।

श्री सभापति : आप विराजिये जगमाल सिंहजी। वह जवाब दे रहे हैं ना बैठो तो सही।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं इनकी क्यों सुनूं। नहीं सुनता मैं तो इनकी।

श्री सभापति : नहीं सुनोगे तो आप रिकार्ड मत कीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, यह सरकार साम्प्रदायिक है। हिन्दू मुस्लिम लोगों को लड़ा रही है।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री सभापति : इस साल की बात है अभी की बात है।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हिन्दू मुस्लिम लोगों को लड़ा रही है कांग्रेस की सरकार। यह साम्प्रदायिकता ठीक नहीं है। (व्यवधान) राजस्थान में अशांति हो जायेगी।

श्री सभापति : माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग कीजिए। प्लीज जगमाल सिंह प्लीज। आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री सभापति : सहयोग कीजिए। मेरा निवेदन है सहयोग कीजिए। उनका जवाब, माननीय मंत्रीजी क्या कहना चाह रहे हो बोलिये। माननीय मंत्रीजी को सुनिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री सभापति : मंत्रीजी बोल रहे हैं। प्लीज जगमाल सिंहजी। जवाब दे रहे हैं। टेक योवर सीट प्लीज। जगमाल सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री सभापति : जवाब दे रहे हैं, आप बैठो तो सही। प्लीज टेक योवर सीट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार साम्प्रदायिक है। हिन्दू मुस्लिमों को लड़ा रही है। झगड़े करा रही है। जानबूझकर इस मैटर को पैंडिंग रखना चाहती है। ताकि हिन्दू मुस्लिम दंगे हो यह अशांति फैलाना चाहते हैं... (व्यवधान) साम्प्रदायिकता बढ़ाना चाहते हैं।

श्री सभापति : आहूजाजी साहब, माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साम्प्रदायिक दंगों को रोकना चाहिए, सरकार ठीक से जवाब दे। माननीय सदस्य जो कहना चाहते हैं...(व्यवधान) आप बैठिये, आपको कहना है क्या। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री सी. पी. जोशी : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्यता ने जिस बात पर ध्यान आकर्षित किया है मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं...

(15.35 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि आपकी भावनाओं को हमने सुन लिया है इस समस्या के बारे में सरकार सजग है और सरकार इसमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी।

श्री अब्दुल अजीज : यही उत्तर है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) सरकार सजग है। सरकार को एक एक बात का पता है परन्तु आप जरा शांत रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कौन होते हैं कि शांत रहें? (व्यवधान) यह आसन कह सकता है। यह नहीं कह सकते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आप बैठिये। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कह सकते हैं। आप कहेंगे हम बैठ जायेंगे। (व्यवधान) आप शांत रहने के लिए कहेंगे... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वह तारीख आयेगी तब व्यवस्था हो जायेगी। इससे पहले कुछ नहीं हो सकती व्यवस्था। मैं कहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय पिछले समय से बेहतर व्यवस्था हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : तुरन्त बैठिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय जगमा सिंहजी, हो गया ना।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप शाम तक इस समस्या का निराकरण आप कर देंगे, यह सदन में कह दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री अब्दुल अजीज : आप ताजिये आज दफनाना चाहते हो क्या। कल दफनाना चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको ज्यादा मालूम है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : समयानुसार सब काम ठीक होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको सब मालूम है। जगह मालूम है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : समयानुसार सब ठीक होगा, सब व्यवस्था हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) आप कहां बीच में आ गये?

आप बैठिये प्लीज। What is the issue कोई इश्यू ही नहीं है इसमें आप क्यों बहस कर रहे हैं? आप विराजिये। नहीं बोलेंगे। आप बैठिये प्लीज। आप बैठिये। जब यह कोई व्यवस्था नहीं जब यह अश्यू सुबह डिजोल्व हो गया, बात हो गई और कह दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से...

श्री सुरेन्द्र व्यास : तब बात नहीं हुई थी। नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसके बाद माननीय सुमित्राजी ने झुंझुनूं टेलीफोन मिलाकर के कलेक्टर से बात की है, वहां के माइनोरिटी के लीडर से बात करी है।

श्री उपाध्यक्ष : कलेक्टर ज्यादा है या गवर्नमेंट ज्यादा है ?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बात सुनने का कष्ट कीजिए। माइनोरिटी के लोगों से बात करी है।

श्रीमती कमला : मैं लेटेस्ट जानकारी सदन को बता दूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बताइये आप मिनिस्टर हैं। वह बोल रही हैं, बोलने दीजिए उनको।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, सुबह सदन में जो वांछित सूचना मैंने दी थी उसके बाद में मैंने बात की विभाग में और मुझे मालूम हुआ कि कलेक्टर ने जो पहले रिपोर्टस् हमने मांगी थी वह भेज दी है और सचिव महोदय से मैंने कहा है कि वह सारे कागजात की समीक्षा करके मुझे मिलें और मिलने के बाद में हम बैठ करके उसका जो कुछ भी पहलू बनता है कानूनी है, लॉ एण्ड आर्डर से सम्बन्धित है वह मिल बैठ करके उसका 1-2 दिन के अन्दर फैसला कर लेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक।

श्रीमती कमला : आज क्या होगा? यह कोई तरीका है क्या? (व्यवधान) आज कोई मुहुर्त है क्या?

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। आपने माहिर आजाद साहब आधा घंटे तक माननीय सिंचाई मंत्रीजी से बात की है और आपको गृह मंत्रीजी ने सैटिस्फाई किया है फिर आप वापस आ गये और खड़े हो गये। क्या मतलब है यह? प्लीज। Please try to understand. कोई जादू नहीं कि एक मिनट में फैसला हो जाये। गवर्नमेंट देख रही है। गवर्नमेंट ने सुबह स्टेटमेंट दे दिया कि हम देख रहे हैं। अभी भी आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, आपको आधा घंटे गृह मंत्रीजी से बात करा दी। माननीय सदस्य।

श्री अमीन ख़ान : हमदर्द बनना चाहते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : फलौदी में बन गये ना आप। फलौदी में बन गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी, प्लीज माननीय सदस्य, आप बैठिये...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बीच में क्यों बोलते हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, यह कौन होते हैं बोलने वाले?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

+ + + बीच-बीच में...(व्यवधान) हम आसन से बात कर रहे हैं, हम आसन से बात कर रहे हैं। आपने + + + नहीं ले रखा है। + + + नहीं हो अकेले। बैठिये आप... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : हम भी बोल रहे हैं। हम भी बोलेंगे। आपको कौनसा... (व्यवधान) हम भी बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। बैठिये प्लीज। आप बैठिये...

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां हो गया। आप बैठिये। अब बैठ जाओ ना आप। काहे को एडामेंट करते हो...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह कोई तरीका है क्या माननीय सदस्य के बोलने का...

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो इस बात को खतम करते हैं ना। आप बैठो। प्लीज। जब यह सारी बात हो गयी है और आपके सामने इतना डिस्कशन हो गया और आपकी नालेज में सारी बात है फिर आपने हाउस में आकर उठा ली। मतलब कुछ तो आप हाउस की डिगनिटी मेनटेन करो। यह क्या बात हुई? You have been fully satisfied. अभी आप बात करके आये हो और फिर वह वापस उठा लिया आपने और जो पाइंट है इसको समाप्त करो। क्या बात हुई उसमें। You should have told सुमित्राजी, कि मैं बात करके आया हूं। (व्यवधान) कौन माननीय सदस्य बोल रहे थे। आप बोल रहे थे? बोलो।

श्री जगत सिंह दायमा : + + + सुन लो बात। मेरी तो आपके पक्ष में है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24, व 41 और 28 शिक्षा, कला एवं संस्कृति (उच्च शिक्षा, तकनीकी), सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों पर बहुत महत्त्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं स्वयं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हुआ यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन बने सवा साल हुआ और विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर पिछले बजट सत्र में 800 मिडिल स्कूल, 400 सैकण्डरी और 200 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलकर के राजस्थान में शिक्षा का वातावरण बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया और, इतने स्कूल खोले भी। यही नहीं, सरकार ने 16,000 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलकर साक्षरता के परसेंटेज को जिस तरह से आगे बढ़ाना था निश्चित तौर पर बढ़ाया है और इसके

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्री रघुवीर सिंह)

तहत पांच लाख तीस हजार से भी अधिक छात्रों का इनवाल्मेंट हुआ है।

हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री युवा नेता राजीव गांधी ने जो सपना देखा था कि 21वीं सदी में भारत कैसा जाये तो उसके अनुरूप उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारा भारत 21वीं सदी में पूर्ण साक्षर होकर प्रवेश करे। उसी नीति के अन्तर्गत हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने यह उत्कृष्ट और साहसिक कदम उठाया और प्रयास किया। इस वर्ष भी हमारी सरकार ने आर्थिक संकट के बावजूद भी 800 मिडल स्कूल, 200 हायर सैकण्डरी स्कूल और 11,000 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने का जो बजट में प्रावधान रखा है, स्वागतयोग्य है।

अब मुझे निवेदन यह करना है कि पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस सरकार के समय शिक्षा का जिस तरह से व्यावसायीकरण हुआ उससे शिक्षा किसको मिली, किसको नहीं मिली, सदन के माननीय सदस्य भिज्ञ हैं। कमजोर तबके के लोग जहां रहते थे, ग्रामीण परिवेश में लोग रहते थे, वह शिक्षा से दूर इसलिये रहे जिनको शिक्षा सैकण्डरी तक प्राप्त करनी थी वह इसलिये शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास तीन लाख रुपये नहीं थे। सीनियर सैकण्डरी तक जिनको शिक्षा प्राप्त करनी थी वह शिक्षा इसलिये प्राप्त नहीं कर सके कि उनके पास पांच लाख रुपये इकट्ठे नहीं हुये। परन्तु हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वह निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य है और इसके लिये प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी स्वागत करना चाहिये।

मैं शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा कि अभी बजट में जिस तरह से उन्होंने 200 सैकण्डरी स्कूल खोलने का जो प्रावधान रखा है यह समय के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कम है। इसलिये मेरा आग्रह है कि चाहे आप मिडल स्कूल कुछ कम कर दें परंतु सैकण्डरी स्कूल 200 के वनिस्पत 400 करें। आज के समय के हिसाब से प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल होना ही चाहिए। क्योंकि पंचायत सर्किल इतने बड़े-बड़े हैं कि बच्चे दस किलोमीटर, बारह किलोमीटर तक पैदल जाकर शिक्षा प्राप्त करें, बड़ा कठिन कार्य है इसलिये यह मेरा आग्रह है कि होना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि शिक्षा मंत्रीजी, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक सीनियर सैकण्डरी जिसमें सारी आधारभूत सुविधाएं हो, हास्टल उसी में हो, खेल के मैदान भी उसी में हो, जिस तरह से आवासीय विद्यालय पिछले साल खुले थे उसी तरह से प्रत्येक पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर ऐसी व्यवस्था करें और दो सैकण्डरी स्कूल उस सर्किल में कहीं भी सलेक्ट करें जिनको पूर्ण सुविधाओं

(श्री रघुवीर सिंह)

के साथ सलेक्ट करें और उनको चालू करावें। निश्चित तौर पर आर्थिक भार तो आयेगा ही परंतु उसका रिजल्ट अच्छा आयेगा और जिनको शिक्षा मिलने की आवश्यकता है उनको मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में सबसे बड़ी विडम्बना है और तकलीफ भी इस बात की है कि जो गांवों में स्कूल हैं, सैकण्डरी है, चाहे मिडल स्कूल भी हैं उनमें कई बार यहां सदन में बात उठी भी है कि इसमें भी फोर्थ क्लास नहीं होने की वजह से वहां बच्चों को पानी लाना पड़ता है दूर-दूर से। घंटी बच्चों को बजानी पड़ती है। वहां के टीचर्स काफी तरह की असुविधाएं महसूस करते हैं। इस बात को कई माननीय सदस्य भी जानते हैं और व्यक्तिगत मुझे इस बात की जानकारी है। इसलिये मेरा आग्रह है कि कम से कम फोर्थ क्लास तो प्रत्येक स्कूल में होना ही चाहिये। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण दूं। सैकण्डरी स्कूल है सींगतवाड़ा करके वहां एक भी फोर्थ क्लास नहीं है। अगर सैकण्डरी स्कूल में फोर्थ क्लास नहीं है तो क्या उम्मीद करें। इसलिये कई विभाग ऐसे हैं जहां अनावश्यक भरे हुये हैं उनको वहां से हटाकर या जहां ज्यादा लगे हुए हैं उनको अस्त-व्यस्त करके इधर-उधर हटाकर के और समायोजित करें। जहां बिलकुल नहीं है या कम हैं वहां पर फोर्थ क्लास लगायें ताकि फोर्थ क्लास की जितनी भूमिका स्कूल में होती है वह निश्चित तौर पर समय पर पूरी हो सके।

हमारे विद्वान शिक्षा मंत्रीजी एक नयी सोच आगे लाये हैं और उन्होंने प्रयास भी किया है कि प्रत्येक सीनियर सैकण्डरी में या सैकण्डरी में जहां भी कम्प्यूटर लगाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य है। परंतु मैं जहां तक सोचता हूं इतनी लम्बी सोच के पहले हमें यह सोचना पड़ेगा क्या वहां आधारभूत सुविधा जो चाहिये, वह हैं? क्या वहां गांवों में बिजली है, या बिजली आती है? या कम्प्यूटर में क्या-क्या साधन चाहिये? हम एक कम्प्यूटर दे रहे हैं और सीनियर स्कूल में एक क्लास में ही बाई दी वे सीनियर स्कूल में, 12वीं क्लास में 80 बच्चे हों, दो सैक्शन हों तो एक कम्प्यूटर पर वह 80 बच्चों का नम्बर मेरे ख्याल से एक साल में दो बार से ज्यादा वह बच्चा कम्प्यूटर पर नहीं बैठ पायेगा। कैसे वह पढ़ायेंगे। तो पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा कम्प्यूटर देने के पहले।

माननीय मंत्रीजी की चिट्ठी भी हमारे पास आयी थी कि ऐसे विद्यालयों में आप अपने कोटे का पैसा देकर कम्प्यूटर खरीदवायें। परंतु लेने के पहले हमें इसके लिये असुविधाएं क्या-क्या हैं इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा...

श्री मदन दिलावर : चिट्ठी क्या-क्या खरीदने के लिये आयी थी?

श्री रघुवीर सिंह : विराजिये। विराजिये। गांवों में जो ठीक है, आपकी सोच जमाने के हिसाब से, समय की रफ्तार के हिसाब से मंत्रीजी ठीक है। परंतु पहले हमें यह जो असुविधाएं हैं इनकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है ताकि आपकी सोच है उसमें कुछ पाजीटिव हल निकले।

एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात जैसें माननीय सदस्य शैलेन्द्रजी ने उठायी थी कि व्यावसायिक शिक्षा की क्लासें चलती थी। उसमें लैब मशीन, क्राफ्ट क्लासेज, टाइपिंग आदि भी सिखाते थे। वह शिक्षा पता नहीं, वह क्लासेज कहां गयीं। उसका क्या रिजल्ट है, मंत्रीजी शायद बतायेंगे अपने उत्तर में। हमारी जानकारी में तो आज बंद के बराबर हो गये हैं। तो उसके पीछे सोच क्या थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ, यह निश्चित तौर पर बतायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह ट्राइबल सब प्लान एरिये में आता है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में है और टी.एस.पी. एरिये का गठन 1975 में हुआ। इस सोच के आधार पर किया गया था कि यह जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनको शिड्यूल एरिये में लेकर जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं, उससे अतिरिक्त सुविधाएं देकर, यह जो पिछड़ा इलाका है, उसको सबके जो आगे बढ़े हुए हैं, उनके बराबर में या उनके आसपास लाने का जो इरादा था, उसमें यह प्रावधान था कि अतिरिक्त मद्द करके इनको शिक्षा दिलायी जाये। मुझे यह कहते हुए तकलीफ अवश्य हो रही है एक परंपरा सी रही है, व्यावहारिक तौर पर जिस तरह से स्कूल खोले गये वह व्यावहारिकता से अलग रहा। अतिरिक्त स्कूल नहीं दिये गये। जैसे इस साल की बात करूं, पिछले साल जब स्कूल खोले आपने दो-दो स्कूलें एक विधायक के लिये फिक्स की। दो-दो सेकण्डरी स्कूल आपने दिये, एक सीनियर सैकण्डरी दिया, चार मिडल दिये, अगर इसमें थोड़ा सा और सोचते कि ट्राइबल सब प्लान एरिये में कुछ अतिरिक्त स्कूल दिलाये जायें तो उसका फायदा निश्चित रूप से वहां के लोगों को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम राजनीति में आते हैं तो सेवा के साथ-साथ कुछ वोट प्राप्त करने की भी लालसा रहती है कि हम कौनसा काम ऐसा करें जिसकी वजह से हमारे वोट बढ़ें तो पिछले समय में मैंने दो सैकण्डरी स्कूल के प्रस्ताव दिये, खुल गये। एक अधिकारी ने अपनी तरफ से होशियारी लगा दी। मेरा प्रस्ताव नहीं, विभाग का प्रस्ताव नहीं, कहीं का कोई प्रस्ताव नहीं और एक शहपुर-सराड़ा सैकण्डरी स्कूल खोल दिया। मेरा तीसरा खुल गया तो मैं क्यों बोलने लगा, जबरदस्ती वापस धकेलने से रहा। मैं भी खुश हुआ कि खुल गया। वहां के लोग भी खुश हो गये। मिठाइयां बांटी गयी, बच्चों का एडमीशन शुरू कर दिया

(श्री रघुवीर सिंह)

और दो पंचायतों के आसपास के जो भी लोग थे वह राजी हो गये कि स्कूल खुल गया। एम.एल.ए. साहब तो बहुत अच्छे हैं, तीन सैकण्डरी स्कूल खुलवाकर ले आये। थोड़े दिन बाद अखबार में आया कि वह स्कूल निरस्त किया जाता है। दो-तीन पंचायतों के लोग मेरे ऊपर इतने नाराज हो गये कि पिछली बार जब चुनाव थे मुझे उस गांव में जाने तक नहीं दिया, उलटा प्रचार यह कर दिया, खैर कटारिया साहब तो ऐसे नहीं हैं, कहते नहीं है परन्तु इनकी पार्टी के लोग ऐसे हैं कि प्रचार कर देते हैं कि आपके एम.एल.ए. ने ही कैन्सिल कराये हैं तो एक अधिकारी की गलती से लोग मेरे से नाराज हुए। मेरी पार्टी से कट गये। मेरे वोट कट गये तो इससे निश्चित रूप से हमारी साख भी घटती है। हमें तकलीफ भी होती है। जब भी ऐसा फैसला करें, सोचें। सलूम्बर में भी ऐसा का ऐसा किया। सलूम्बर में दो स्कूल खोले, धरियावद में स्कूल खोला। सलूम्बर के विधायक ने कहा कि मेरे यह दो स्कूल हैं, खोल दिये। फिर धरियावद वालों ने दो मांगे तो एक निरस्त कर दिया और जुलाई से अभी तक स्कूल चलता रहा और अब कहते हैं कि आपके एक स्कूल ही नहीं है, मेसपुर में। यह जो अधिकारियों की गलती से हमें परेशानी होती है तो निश्चित रूप से इसे चैक करने की जरूरत है।

ट्राइबल सब प्लान एरिये में जहां शिक्षा की बात करें, उस एरिये में मेरे ख्याल से पुरुषों की शिक्षा 14 परसेन्ट होगी और महिलाओं की दो परसेन्ट शिक्षा होगी इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में वहां अतिरिक्त मद करने की आवश्यकता है। मंत्री जी हालांकि हमारे लगते हुए क्षेत्र से हैं, माडा क्षेत्र से आते हैं, हमारे ट्राइबल सब प्लान एरिये की सारी परिस्थितियां समझते हैं मैं उम्मीद करूंगा कि आप अतिरिक्त मद करके उस क्षेत्र में शिक्षा का वातावरण अच्छा बनायेंगे ताकि जो लोग सालों-साल से पिछड़े हुए हैं वह कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

तकनीकी शिक्षा की जहां आपने प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर, प्रत्येक तो नहीं कह सकता हूं, मेरे जिले में एक खैरवाड़ा है, वहां मिनि आई.टी.आई. खोल रखे हैं परन्तु वहां सब्जेक्ट मोमबत्ती बनाना, सिलाई जैसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव यह है कि मिनी आई.टी.आई. हों उसमें कम्प्लीट कोर्स होना चाहिये। उसमें दो साल का कोर्स हो तो दो साल का हो, 6 महीने का हो, तो 6 महीने हो और सारे ट्रेडस हों। इलेक्ट्रिक के, फीटर के, चाहे मैकेनिक के हों, जो भी हो, अब उस एरिये में मोमबत्ती का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। वहां आकर फालतू में लोग अपना समय बरबाद करते हैं। उनको पारितोषिक के तौर पर हम कुछ दे देते हैं। इसलिए

(श्री रघुवीर सिंह)

मेरा सुझाव है कि यह सारे सब्जेक्ट हों और वहां पर्याप्त सुविधा हो और जो लोग वहां से निकलें उनको लोन की पूरी सुविधा हो, रोजगार की भी व्यवस्था करें। ऐसा उनको प्रशिक्षित करें कि वह वहां से निकलने के बाद लोन लेकर अपना रोजगार प्रारम्भ कर सकें। ताकि वह आगे बढ़ सकें।

मिडल स्कूल की जहां बात है, मिडल स्कूल आपने जिला परिषदों को दिये हैं यह निश्चित रूप से पंचायती राज को मजबूत करने की आपकी सोच है, परन्तु अभी थोड़ी सी सस्पेंस यह है कि क्या मिडल स्कूल सारे जिला प्रमुख के अंडर में रहेंगे या डीईओ. के अंडर रहेंगे। उनका नियंत्रण कौन करेगा। यह थोड़ा स्पष्टीकरण करें। राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला निश्चित रूप से एक वरदान सिद्ध हुई हैं, विशेषकर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जहां की भौगोलिक परिस्थितियां विपरीत हैं। पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां लोग ढाणियों में रहते हैं उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है। मैं यह नहीं कह सकता कि सीकर है, झुंझुनूं है, अजमेर में इसका फायदा हुआ है या नहीं हुआ है परन्तु बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, उदयपुर यह जो एरिया है वहां जरूर इसका फायदा हुआ है। परन्तु इसके साथ ही मेरा थोड़ा सा सुझाव यह है कि इससे एनरालमेंट बढ़ा है, सुविधा हुई है परन्तु फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता यह है कि आने वाले समय में इसके रिजल्ट क्या होंगे? शिक्षा का स्तर क्या होगा और इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि एक-एक राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला में चयन प्रक्रिया जो है, जहां हम स्कूल खोल रहे हैं उसी ढाणी का या उसी वार्ड का सदस्य होना चाहिए पढ़ाने वाला, यह तो ठीक है परन्तु उस गांव में अगर कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ टीचर मिले या ज्यादा से ज्यादा पढ़ा-लिखा हो उसको प्राथमिकता देनी चाहिये ना कि उस वार्ड के ही कम पढ़े लिखे को लगा देंगे तो उससे शिक्षा का स्तर गिरेगा और हमें साक्षरता के साथ-साथ शिक्षा का भी स्तर बढ़ाना है। इसलिए उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और मेरा सुझाव है कि इसमें ट्रेन्ड टीचर्स, एक-एक ट्रेन्ड टीचर्स अवश्य उस विद्यालय में लगाने चाहिए। इससे हमारा ज्यादा फायदा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में प्रधानों ने ब्रांच स्कूलें खोली थी, एक प्राइमरी स्कूल है उसकी ब्रान्चें खोल दी थी। एक टीचर भेज दिया, जो वहां खुला हुआ नहीं है परन्तु एक टीचर लगा दिया वह स्कूल अभी तक चल रहे हैं। तो मुझे निवेदन यह करना है कि आप इस ब्रांच स्कूलों को रेगुलराइज

(श्री रघुवीर सिंह)

कर दें। बच्चे वहां पढ़ ही रहे हैं, टीचर वहां लगा हुआ है उसको प्राथमिक विद्यालय की मान्यता दे दें। एस.डी.आई. जो हैं, उसके लिए मेरा यह सुझाव है कि शिक्षा विभाग के टीचर्स नहीं लेकर उसमें स्पेशल पंचायती राज से ही लेना चाहिये। उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है वह फुलफिल करें, चाहे आर.पी.एस.सी. से निकलें, कैसे ही करें, अलग से ऐसी व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के मामले में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह : बस पांच मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट कहां है।

श्री रघुवीर सिंह : मैं वैसे भी बहुत कम बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और बहुत बोलने वाले हैं।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय की अभी पिछले समय में ऐसी रिपोर्ट थी कि पूरे कंट्री में इसका नाम सर्वोच्च स्तर पर आया था कि यहां के आई.ए.एस., आई.पी.एस. जो निकले हैं वह सबसे ज्यादा हैं। इसलिए सबसे पहले नम्बर पर था इसके लिये तो मंत्री जी को बधाई दूं, इस सरकार को भी बधाई दूं, और जो भी इसमें योग्य हैं उन सबको बधाई दूं। राजस्थान विश्वविद्यालय से बहुत विद्वान लोग निकले हैं। प्रो. इकबाल नारायण, टी.के. उन्नीथान डा. होशियार सिंह ऐसे-ऐसे लोग निकले हैं। निश्चित रूप से इसका स्तर ऊंचा है परन्तु थोड़ा सा निवेदन यह भी है कि इसमें कुछ कमियां भी हैं कि पिछले समय में कुछ अखबारों में भी ऐसी विज्ञप्तियां निकली थीं कि राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग एप्लाई नहीं करें। परन्तु हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता यह है कि यहां परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाती हैं। रिजल्ट्स समय पर नहीं आ पाते हैं और पी.जी. क्लासेज लगभग मई में शुरू होती हैं, जून-जुलाई तक समाप्त होती हैं।

उनके रिजल्ट निश्चित रूप से सितम्बर-अक्टूबर तक आते हैं तो उसकी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय, जे.एन.यू., यहां पर एडमिशन जुलाई फर्स्ट वीक में समाप्त हो जाते हैं, यहां से निकलने वाले लड़के वहां पर हमेशा एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यहां पर एकेडमिक चार्ट बनाना चाहिए, शैक्षणिक चार्ट बनाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मेरी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे ध्यान है, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए, अभी और अवसर आएंगे बोलने के।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा पर निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र टी.एस.पी. में बांसवाड़ा, कुशलगढ़, सागवाड़ा, सलूम्बर के अलावा कहीं महाविद्यालय नहीं है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जहां रह रहा हूं सराड़ा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सराड़ा में खोल दें, मुझे यह निवेदन करना है कि खैरवाड़ा, सराड़ा, गोगुन्दा, कोटड़ा ऐसी जगहें हैं, जहां 100-100 किलोमीटर तक जाने के बाद कॉलेज दिखता है और ऐसे गरीब इलाकों में रहने वाले विद्यार्थी उदयपुर जैसे शहर में जाकर, कमरा किराये पर लेकर या किसी अन्य तरह से पढ़ने में बहुत असुविधा महसूस करते हैं। पिछले साल भी आपने 14 महाविद्यालय खोले तब भी इस एरिये को वंचित रखा, इस वर्ष भी कोई...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस साल महाविद्यालय खोल ही नहीं रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह : खोल ही नहीं रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसा अभी बजट में कहा गया कि प्राइवेट सैक्टर में खोलने की बात की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से वहां के लड़के बिलकुल पढ़ नहीं सकते, इसलिए नहीं पढ़ सकते कि प्राइवेट कॉलेजों में वहां के लड़के एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे, फीस ही इतनी होती है। इसलिए मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि यह एरिया आपसे छाना नहीं है, चाहे आप खैरवाड़ा में खोलें, चाहे आप केसरियाजी में खोलें, जहां पूरी आधारभूत सुविधाएं अभी मौजूद हैं, वहां कॉलेज खोले देंगे तो वहां के एरिये के विद्यार्थी लाभ ले सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन तो काफी करना था, आपने मुझे पाबंद कर ही दिया है तो लास्ट बात कहता हुआ मैं समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर। नहीं, प्लीज, आप बैठिये, नहीं आप बैठिए, बस हो गया, बहुत हो गया। अगली बार नहीं बोलने दूंगा फिर।

श्री रघुवीर सिंह : माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास में आपने नहीं किया है, केन्द्र सरकार ने जो किया है कि बी.पी.एल. में 10 से 20 लोग मिल करके लोन लेकर धंधा करें, यह बिलकुल व्यावहारिक नहीं है, वहां के लोग उल्टा आपस में लड़ते हैं, यह योजना के फेल होने की बहुत बड़ी साजिश है, आप इसमें निश्चित रूप से रुचि दिखाइए और किसी भी तरह से इस व्यवस्था को बदल करके पहले जैसी व्यवस्था करें। धन्यवाद आपने समय दिया।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, शिक्षा में एक ऐतिहासिक क्रांति आई है। पहली बार राजस्थान में ऐसा किया गया है, कोशिश की गई है। महात्मा गांधी की कल्पना थी, राजीव गांधी की कल्पना थी कि गांव में रहने वाला आदमी, ढाणी में रहने वाला आदमी, एस.सी. का बच्चा, आदिवासी एरिये में रहने वाल एस.सी. का बच्चा, स्कूल में जाए और अध्ययन करे और इस समाज के काबिल बने। पहली बार हमारे शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की सोच ने उस ओर कदम बढ़ाया है और राजस्थान में एक साथ 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई हैं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की उच्च शिक्षा के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले साल भी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत अच्छे कदम उठाए गए थे। पिछली बार 14 महाविद्यालय राजस्थान में खोले गए, राजनीतिक इच्छाशक्ति की दृष्टि से भी खोले गए, भौगोलिक और क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी खोले गए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर लोग गरीब और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि और पैदावार की दृष्टि से कमजोर है। इसके साथ ही लगता हुआ फागी और बस्सी क्षेत्र आता है। हमारे क्षेत्र में बच्चों को 100-100 किलोमीटर दूर जाकर उच्च शिक्षा अध्ययन करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा जब तक उच्च शिक्षा अध्ययन नहीं करेगा, हम कितने भी फैसले कर लें, कितने ही कॉलेज खोल लें, गांव का बच्चा ऊपर नहीं उठेगा, गांव का बच्चा ऊपर नहीं उठेगा तो यह समाज ऊपर नहीं उठने वाला है, राजस्थान ऊपर नहीं उठने वाला है, गरीब ऊपर नहीं उठने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में 100-100 किलोमीटर दूर बच्चे उच्च शिक्षा में पढ़ने जाते हैं। करीब 5-6 हजार विद्यार्थी वहां उच्च शिक्षा में पढ़ने की स्थिति में हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे लोग आने-जाने का किराया देकर और जयपुर में मकान लेकर उच्च शिक्षा में अध्ययन करने में असमर्थ हैं। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अगर एक महाविद्यालय खोल दिया जाता है तो फागी विधान सभा क्षेत्र, बस्सी से लगता हुआ, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र, सांभर विधान सभा क्षेत्र में 10-20-30-40 किलोमीटर क्षेत्र के हजारों बच्चों को उच्च शिक्षा में अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे यहां ग्राम पंचायत ने 48 बीघा जमीन

(श्री बाबूलाल नागर)

कॉलेज के नाम पर अलॉट कर रखी है, बहुत से गांव वाले लोग भी जन सहयोग से भवन बनाने के लिए भी तैयार हैं इसलिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि दूदू में एक महाविद्यालय खोला जाए जिससे गरीब का बच्चा उसमें पढ़ सके और शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समानीकरण की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि समय का अभाव है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा काम किया गया है लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों के अधिकारियों को एक टेबल पर बैठाकर समानीकरण किया जाता तो जो बहुत सी शिकायतें आई हैं और समस्याएं आई हैं, वह नहीं आती। यही कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आज मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास और मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। लेकिन अभी जैसा प्रति पक्ष के उप नेता महोदय ने कहा, इस शिक्षा में राजनीति से ऊपर उठकर हम विचार करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे केवल वाह-वाही हो सकती है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही कारण है कि आजादी के 50-52 साल बाद भी राजस्थान का शिक्षा में नम्बर नीचे से आता है और स्कूली शिक्षा में आज भी शिक्षकों की कमी है। इसका खामियाजा राजस्थान के उन इलाकों और जिले के उन क्षेत्रों को भोगना पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है और पहले से ही पिछड़े हुए हैं। चाहे प्राइमरी एजूकेशन की बात हो या सैकण्डरी एजूकेशन की बात हो, सबसे पहले उन विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति होगी जो आगे बढ़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां शिक्षक पहले ही कम है, वहां पर हमेशा कमी रहेगी और इस तरह का शिक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं, उसका शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का मुख्य कारण यही है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, इसके साथ-साथ अपनी पोस्टों को बरकरार रखने के लिए जो नामांकन आ रहे हैं, चाहे प्राइमरी शिक्षा में हो, प्राइमरी शिक्षा में जितने नामांकन हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आज भी फर्जी नामांकन है। विद्यार्थी पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में और नामांकन आपके स्कूल में है। आप आश्चर्य करेंगे एक प्राइमरी स्कूल में पहली, दूसरी कक्षा में विद्यार्थी होंगे 120 और तीसरी, चौथी व पांचवीं तीनों कक्षाओं में 15 विद्यार्थी होंगे। हर साल पहली और दूसरी कक्षा में 100 विद्यार्थी रहते हैं और तीसरी, चौथी

(श्री उपाध्यक्ष)

व पांचवी में गायब रहते हैं। केवल अपने पद बचाने के लिए ऐसा करते हैं। कोई भी शिक्षा अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमको भोगना पड़ रहा है। हम शिक्षा के लिए बाहवाही करते हैं, हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य राजीव जी का नाम ले रहे हैं, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। लेकिन बढ़ाने के खिलाफ जो कार्य राजस्थान की सरकार आने के बाद कर रही है शिक्षा की फीस में बढ़ोतरी डेढ़ी या दुगुनी नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पांच गुनी करने जा रही है। प्रवेश में, शिक्षा में, जो विद्यालय या महाविद्यालय में नहीं आ सकता उन विद्यार्थियों की परीक्षा फीस पांच गुनी और किसी ने नहीं राजस्थान की सरकार ने बढ़ायी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पश्चिम बंगाल में कितनी है ?

श्री अमराराम (धोद) : पश्चिम बंगाल में की तो बात छोड़िए, पश्चिम बंगाल में राज्य के बजट का 29 प्रतिशत वहां की शिक्षा पर खर्च होता है। यहां हालत यह बनते जा रहे हैं आज फीस में हर प्राइवेट में पांच गुनी, बी.एड. व एस.टी.सी. में जो ट्रेनिंग लेने जा रहा है उसकी डेढ़ गुनी, जो 8 हजार थी वो 12 हजार कर दी है, 12 हजार थी वह 18 हजार कर दी है। महाविद्यालय शिक्षा हो चाहे स्कूली शिक्षा हो, जितनी शिक्षा महंगी होगी उतने अनपढ़ ज्यादा होंगे। यह काम राजस्थान की सरकार कर रही है। शिक्षा में वो वंचित हैं जिनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है वे उन स्कूलों में नहीं जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में मोदी इंस्टीट्यूट है जिसमें एक लड़की की सालाना फीस 65 हजार रुपये है। जो परिवार अपनी बच्ची के लिए 65 हजार रुपये खर्च कर सकता है उन पर तो आप कितना ही बढ़ाएं, लेकिन जो अपनी फीस नहीं दे सकता, जो शिक्षा से वंचित है, केवल आप शिक्षा में लाना चाहते हैं तो उन पर शिक्षा का भार बढ़ेगा तो मैं समझता हूं शिक्षा का विरोधी कार्य करेंगे।

अभी माननीय उप नेता महोदय ने कहा था राजस्थान में 90 प्रतिशत एड स्कूल और कॉलेज लेते हैं, लेकिन उनमें विद्यार्थी के साथ वही लूट है, शिक्षकों के साथ वही लूट है। हमारी राजस्थान की जनता का 90 प्रतिशत बजट लेने के बाद भी वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के साथ लूट कर रहे हैं जिसको रोकने के लिए राजस्थान की कोई भी सरकार आज तक विचार करने को तैयार नहीं है।

जहां तक समानीकरण का सवाल है निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन जो एन.सी.ई.आर.टी. के नोर्म्स थे, जो 40

(श्री अमराराम)

विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का नोर्म्स था, उसको बढ़ाकर अगर आप 50 करते हो और फिर सरप्लस बनाते हो तो मैं समझता हूं अगर 80 बना देंगे तो जितने शिक्षक हैं वो सब सरप्लस हो जाएंगे। उसमें भी किस तरह की धांधली है, हो सकता है मंत्री महोदय के मंसूबे बहुत बढ़िया रहे हों लेकिन जिस प्रकार की धांधली शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे राजस्थान में की है, जिस तरह से धन इकट्ठा करने का काम किया है उसके खिलाफ अगर राजस्थान का शिक्षक राजस्थान के शिक्षा निदेशक के सामने धरना देने जाए, मंत्रीजी के इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन स्कूल में विद्यार्थी क्या जाएंगे प्राथमिक शिक्षा का शिक्षा निदेशक, जिसका कार्यालय बीकानेर में है, एक साल में 10 दिन भी उसको शिक्षा निदेशालय में नहीं बैठा सकते। नाजायज समानीकरण के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करके उनसे जेब भरने का काम करें और विरोध करने के लिए आएं तो इस प्रजातंत्र में उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका है उन शिक्षकों को अपमानित करने का, कोई एक शिक्षा निदेशक जो आई.ए.एस. है जिनके परिवारजन दूर धरने पर बैठे हुए शिक्षकों पर हमला करते हैं, उनको वहां धरना नहीं देने देते हैं केवल इस बात के लिए कि कार्यालय में बैठे नहीं और घर के सामने धरना नहीं दें। कोई भी इस बात के लिए इजाजत नहीं दे सकता। गलत काम भी करे, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, यह काम राजस्थान सरकार और उसके शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं हमारे मंत्री जी एक रोज कह रहे थे कि फर्जी डिग्रीधारी बिहार से लेकर 25 हजार...

श्री देवीसिंह भाटी : कौनसे मंत्रीजी को सुना रहे हैं? यहां न तो कैबिनेट मंत्री हैं न राज्य मंत्री हैं, न कोई नोट कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठे हैं ना, तीन-तीन, चार-चार बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा महत्त्वपूर्ण मामला है, शिक्षा की मांग पर चर्चा हो रही है, कोई है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे हैं ना।

श्री अब्दुल अजीज (राज्य मंत्री, शिक्षा) : आपको कुछ दिखायी देता है ?

मास्टर भवंरलाल : हम बैठे हैं यहां। मैं बैठा हूं स्टेट पंचायती राज मंत्री।

श्री उपाध्यक्ष : दो-दो बैठे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : आपको कुछ दिखायी देता ही नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : दोनों मंत्री कहां हैं, न शिक्षा के हैं, न पंचायत के हैं।

मास्टर भंवरलाल : हम बैठे हैं यहां।

श्री अब्दुल अजीज : इनको अपना नाम लिखाने के अलावा कुछ दिखायी देता नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : कोई नोट तो करे।

श्री उपाध्यक्ष : कर रहे हैं ना वो। बैठे हैं ना मंत्रीजी।

श्री अब्दुल अजीज : आपको तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए, नाम लिख जाए और कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ताड़ना दो सरकार को।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, ताड़ना की आवश्यकता नहीं है।

मास्टर भंवरलाल : ताड़ना की आवश्यकता क्या है, बैठे हैं ना दो-दो मंत्री।

श्री उपाध्यक्ष : जिनकी डिमाण्ड है दो-दो मंत्री बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसकी डिमाण्ड है?

श्री उपाध्यक्ष : वो दोनों मंत्री बैठे हैं उनकी डिमाण्ड है। आपको ध्यान ही नहीं है।

मास्टर भंवरलाल : हम बैठे हैं। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री रतन लाल ताम्बी : चूरू जिले के हैं ये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बड़े दहाड़कर कह रहे थे कि पूर्व सरकार ने बिहार के नकली डिग्रीधारियों को 25 हजार की नियुक्ति दे दी। मंत्री महोदय यह उत्तर बता दें राजस्थान के सीकर की जिला परिषद ने दरभंगा की यूनिवर्सिटी जो 18 तारीख को यह लिखकर देती है, हमारे यहां से जो सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं उनकी जांच हम तीन महीने तक नहीं भेज सकते, और उसी 18 तारीख को व्यक्तिगत जाकर लाकर देने वालों ने दी है। दरभंगा विश्वविद्यालय लिखता है इस तारीख के बाद हम तीन महीने तक उनका सत्यापन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रिकार्ड जब्त है और उसी तारीख में उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूप से वेरफिकेशन आ जाता है। राजस्थान की सरकार के अधिकारी उनको नियुक्ति दे देते हैं, और किसी राज में नहीं जोशीजी के राज में नियुक्ति फर्जी डिग्रीधारियों को दी हैं। इसका सबूत है दरभंगा विश्वविद्यालय, उनको वेरीफ़ाई न करके फर्जी वेरिफिकेशन कराकर और किसी के राज में नहीं जोशीजी के राज में नियुक्ति होती है। फिर स्टे होता है, लेकिन आज तक उन विद्यार्थियों को बार-बार, ये आदेश

(श्री अमराराम)

और किसी विभाग के नहीं शिक्षा विभाग से सीकर की जिला परिषद को गये, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हुई। जो योग्यताधारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन फर्जी लोगों की नियुक्ति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यही हालत राजस्थान विश्वविद्यालय में है जहां भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार करने वालों को खुली छूट देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्जी लोगों को एडमिशन देने से वहां राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो से 420 में चालान हो जाता है। उनको सस्पेंड नहीं करते और केवल सस्पेंड ही नहीं, जो करोड़ो रुपये के घोटाले किये हैं, राजस्थान के अखबार की एक खबर का हैडिंग पढ़कर सुनाना चाहूंगा, "पूर्व प्रचार्य के खिलाफ करोड़ों की अनियमितताओं के आरोप, विस्तृत जांच की सिफारिश।" कौन कर रहा है? राजस्थान सरकार की तरफ से जो फाइनेंसियल ऑफिसर है वो रिकमण्ड करते हैं लेकिन क्योंकि उनकी पहुंच सरकार के ऊपर तक के लोगों के साथ है, सिसोदिया को कोई सस्पेंड नहीं करेगा, करोड़ों रुपये विद्यार्थियों का धन वो गबन करेगा, लेकिन सस्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं वे राज के संरक्षण प्राप्त हैं। जो संरक्षण प्राप्त नहीं हैं उन पर कार्यवाही होगी, लेकिन जो सरकार के संरक्षण प्राप्त लोग हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। महाविद्यालय के प्राचार्य और कम्प्यूटर का निदेशक होने के बाद 10 साल से उन्होंने अपने ऑडिट नहीं करवाये। इनके ऑफिसर लिखते हैं कि पूर्व वाइस चांसलर नहीं वर्तमान वाइज चांसलर भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान की सरकार ने अनुदान रोका, लेकिन अनुदान रोकने के बाद भी सजा, जो दोषी हैं उनको देने की बजाय विद्यार्थियों की जो परीक्षा फीस थी वह बढ़ाकर उनको दी जाती है। तो जहां पारदर्शी होने की बात करते हैं, मैं समझता हूं केवल वह कहने की बात है, राजस्थान की सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। यही शिक्षा के साथ जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसकी पैठ है जिसमें घोटाले हुए, प्री पी.जी. का घोटाला हुआ उसमें आज तक चालान नहीं हुआ उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ा घोटाला है। राजस्थान के इतिहास में पी पी.जी. का घोटाला हुआ, पकड़े गये, परीक्षाएं निरस्त हो गयी लेकिन जो लोग पकड़े गये उनका चालान राज्य अन्वेषण ब्यूरो से आज तक नहीं हुआ। यह क्या सबूत देता है? इस बात का देता है कि जिन लोगों की ऊपर तक पहुंच है उन पर कार्यवाही नहीं होगी। जो करोड़ो रुपयो का घोटाला कर जायं, उनकी जांच नहीं होगी। केवल जांच उनकी होगी जिनकी राजनीतिक पहुंच नहीं होगी। उच्च शिक्षा

(श्री अमराराम)

में जो निदेशक थे क्योंकि उन पर कार्यवाही होगी क्योंकि वह दलित वर्ग से हैं वह प्रायोरिटी में ऊपर से ऊपर हैं लेकिन उनको हटाया जायेगा, यह कहकर हटाया जायेगा कि महाविद्यालयों में शिक्षकों के अनियमित स्थानान्तरण किये गये हैं। स्थानान्तरण उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय करते हैं और अगर उन्होंने भी किये हैं, केवल इसलिए कि वह केवल एक दलित वर्ग का है, उसकी पहुंच नहीं है इसलिए उन पर कार्यवाही होगी और अपनी घोषणाओं पर भी कायम नहीं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्रीजी मेरे विधान सभा क्षेत्र में पधारे थे एक दलित वर्ग के बाबा खींवादास ने प्राइवेट महाविद्यालय खोला, पूरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी महाविद्यालय नहीं था, बड़ी मेहनत करके, गरीब से पैसा इकट्ठा करके कालेज बनाया, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्रीजी वहां पधारे। उन्होंने घोषणा की कि पिछले वित्त वर्ष में यह ऐसा महाविद्यालय है जिसका दलित वर्ग के लोगों ने खोलकर शिक्षा में एक अहम भूमिका निभाकर शुरू किया है मंत्रीजी ने कहा कि इस साल इस खींवादास महाविद्यालय को 98 प्रतिशत अनुदान इसी वर्ष में मिल जायेगा। लेकिन आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, 98 प्रतिशत तो छोड़िये, 10 प्रतिशत भी अनुदान आज तक नहीं मिला और जो पहुंच वाले हैं उनको पहले साल में 90 प्रतिशत अनुदान मिल जायेगा। इसलिए ऐसी बातें केवल कहने के लिए हो सकती है। सबसे बड़ी, उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि जो समाज का सबसे कमजोर तबका और स्कूल छोड़ने में जिसका प्रतिशत हाइएस्ट है, उसकी आजीविका को हम नहीं बढ़ायेंगे तो हम कितने ही महाविद्यालय खोल दें, कितने ही हम शिक्षक लगा दें, वह विद्यार्थी, वह परिवार जो इस राजस्थान के आखिरी छोर पर गरीबी की रेखा पर बैठे हुए हैं, उसकी इनकम को हम सौर्स नहीं करेंगे तो कितने ही विद्यालय, महा-विद्यालय खोल दें उसकी साक्षरता नहीं बढ़ पायेगी। इसलिए मेरा इस माध्यम से कहना है कि उसको आगे बढ़ाने का काम करें।

जहां तक पंचायती राज का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं इसी बजट में, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि राजस्थान में 237 पंचायत समितियों में 236 पंचायत समितियों में खुद का भवन है, केवल पंचायत समिति धोद है जिसका भवन आज तक नहीं है। मंत्रीजी ने कहा था अगली बार बजट आने से पहले पंचायत समिति धोद का भवन बन जायेगा। लेकिन आज फिर वही मांग है, मंत्री जी जरूर इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि एक जो आश्वासन उन्होंने दिया था वह तो एक साल में पूरा नहीं हुआ है और मुझे विश्वास

(श्री अमराराम)

है केवल यहां घोषणा करने से नहीं, इच्छाशक्ति से लागू करने के बाद होगा। आज केवल मात्र एक पंचायत समिति है जिसका भवन आज तक 53 साल की आजादी के बाद भी नहीं है।

जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती संस्थाओं का सवाल है उसमें आज जिस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, जिस तरह के अधिकार कहने के लिए हम कह सकते हैं, हम डिसैंट्रलाइजेशन की बात कर सकते हैं, राजीव गांधी पाठशालाओं की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन जो वित्त आयोग का, फाइनैंस का जो पैसा पंचायत राज संस्थाओं को जाना चाहिए था, राजीव गांधी पाठशालाओं में एक आर्डर से पूरा का पूरा पैसा उन पंचायतों का वहां लगाया गया है। यह क्या अधिकार था? उन पंचायतों का पैसा अगर अपने विकास में लगाते, अगर राजस्थान की सरकार स्वर्ण जयन्ती पाठशाला राजीव गांधी के नाम से शिक्षा में चलाती है तो पाठशाला क्यों चलाये, प्राइमरी स्कूल 16 हजार खोले, हम धन्यवाद देते, हम आपके साथ हैं लेकिन केवल वाहवाही लेने के लिए स्कूल के नाम पर केवल 12 सौ रुपये में अध्यापक रखकर उन विद्यार्थियों के साथ, उनके परिवारों के साथ, जिनके बच्चे आज तक भी 53 साल की आजादी के बाद स्कूल नहीं जा सके, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जांच कर लें कि प्राइमरी एजुकेशन जो पंचायती राज के अण्डर में था उसका जो हाल हुआ है अगर वह केरंगे तो वह सामने आयेगा और उससे भी बुरा हाल आप राजीव गांधी पाठशाला के द्वारा राजस्थान के उस गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े के साथ कर रहे हैं। उनके साथ मैं समझता हूं कि न्याय करेंगे, उसको पूर्ण स्कूल बनायें, अध्यापक लगायें, उनमें व्यवस्थाएं करें। आज स्कूलों की हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां स्कूल की बिल्डिंग नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं होगी तो टाटपट्टी नहीं होगी, फोर्थ क्लास नहीं होगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे जहां विद्यार्थी के आराम के लिए सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में तो आपका पियोन होगा लेकिन मीडल स्कूल में पियोन नहीं होगा, जो बड़े लड़के हैं उनके लिए व्यवस्था होगी लेकिन छोटे वालों के लिए नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए तो भी साधनों की आवश्यकता होती है उनको बढ़ायें। अन्त में मैं इन्हीं बातों के साथ, जो आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रतन लाल।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-24, "कला, शिक्षा और संस्कृति, मांग संख्या-41 और मांग संख्या-28 पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक मांग

(डा. रतन लाल जाट)

संख्या-24 का सवाल है, निश्चित रूप से यह देश जब आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के मन में एक बहुत बड़ी आशा और अपेक्षा थी और जनता के मन में भी कि उनकी रोजी रोटी और कपड़े के साथ-साथ समुचित शिक्षा उनको मिल सके। इस तरह की एक बहुत बड़ी आशा थी और उसी के अनुरूप उन्होंने भारत के संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व, डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी, में आर्टिकल 39 में और 45 में साफ तौर से यह प्रकट किया था कि 14 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन आगे आने वाले 18 सालों में राज्य उनको प्रदान करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन नीति निर्देशक तत्वों का आज दिन तक पालन नहीं हुआ। यदि पालन हो जाता तो आज शिक्षा में जो कमियां है, शिक्षा संख्यात्मक व गुणात्मक दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ पा रही है, उससे कहीं और ज्यादा आगे बढ़ गयी होती। बार बार और सब जगह करीब करीब एक बात की जरूर चर्चा की जाती है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जायेगा लकिन मैं सोचता हूं कि यह बातें केवल चर्चा तक ही सीमित रही है। आमूलचूल परिवर्तन आज दिन तक मैं सोचता हूं, इस शब्द को भी अच्छी तरह से शायद नहीं समझ पा रहे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से और साक्षरता के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है, यह एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। 1991 तक की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता का प्रतिशत है वह 38.55 है और महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत तो वास्तव में इससे भी ज्यादा दयनीय है, 20.44 है। देश की महिला साक्षरता का प्रतिशत है 39.29 उससे भी लगभग आधा है। निश्चित रूप से यह जो प्रतिशत है साक्षरता का, वह शहर और ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिशत के दृष्टिकोण से और खास तौर से पुरुष और महिलाओं की साक्षरता के प्रतिशत की दृष्टिकोण से काफी विषमता लिये हुए है। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान में पिछले 8 साल में यह साक्षरता का प्रतिशत 38 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। यह बहुत ही बड़ा, जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह प्रतिशत राजस्थान में बढ़ा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय कटारिया साहब ने काफी विस्तृत बातें कही थी मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वह पहला कदम राजस्थान में गरीब के बच्चे को पांचवीं तक निःशुल्क पाठ्य सामग्री मिले, बालिकाओं को आठवीं तक पाठ्य सामग्री निःशुल्क मिले, इसकी व्यवस्था पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में की गयी थी और लगभग 53 करोड़ रुपये उस पर खर्च किया गया था।

(डा. रतन लाल जाट)

शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछली सरकार ने जो महत्त्वपुर्ण कदम उठाये थे, यह उसी की वजह थी जिसकी वजह से राजस्थान को सत्यन मित्र पुरस्कार मिला था और ऐसे पुरस्कार जो केवल मात्र सात बार मिले हैं। उनमें से चार पुरस्कार राजस्थान को मिले, यह हमारे लिए एक गौरव की बात है।

योजनाएं बहुत चलाई गयीं, मैं विस्तृत में नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा आगे बढ़े इसके लिए सरस्वती योजना चालू की गयी, गुरु मित्र योजना चालू की गयी और शिक्षाकर्मी योजना चालू की गयी। हमारे शिक्षक साथी स्कूलों में रहकर ज्यादा से ज्यादा हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकें, उनका परीक्षा परिणाम बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो, यह हमारा और आपका सभी का प्रयत्न रहता है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछली बार सरकार ने प्रयत्न किया था कि जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम कम रहा है या जीरो प्रतिशत रहा है, ऐसे अध्यापकों का इस आधार पर स्थानान्तरण किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार 360 के आस पास ऐसे स्थानान्तरण किये गये थे, पर इस शासन के आने के बाद गरीब के बच्चों के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है कि जिनका परीक्षा परिणाम जीरो प्रतिशत रहा है उन अध्यापकों को पुनः उसी जिले में लगा दिया गया है। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है।

जब हम शिक्षा बजट की बात करते हैं तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कांग्रेस का लम्बे समय तक राजस्थान में शासन रहा है, लगभग 40 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है और 40 वर्षों में शिक्षा के बजट की स्थिति यह रही कि केवल मात्र 663 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में और खासतौर से अंतिम वर्ष में केवल 2900 करोड़ रुपये शिक्षा के बजट में रखकर के शिक्षा राजस्थान में आगे बढ़े, इसका बहुत महत्तवपूर्ण प्रयत्न किया गया था।

शिक्षकों को, जो बी.एड. कर ले, एम.एड. कर ले, ट्रेनिंग कर ले, प्रशिक्षण के बाद भी शिक्षक इधर उधर घूमते रहते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासन में 39739 अध्यापकों को रोजगार दिया गया था, उनकी नौकरी पर लगाया गया था।

राजीव गांधी स्कूलों की बात की गयी कि इन्होंने राजस्थान में 12500 स्कूल खोले हैं और उसमें 15930 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर रहे हैं। दसवें वित्त आयोग का सब पैसा और पंचायतों के विकास का सब पैसा करीब-करीब उन स्कूलों में लगा दिया गया। तुरन्त आनन-फानन में स्कूल बना दिये गये थे और जो भवन बनाये

(डा. रतन लाल जाट)

गये उनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि भवन की ऐसी जर्जर स्थिति हो गयी, कई तो टूटने के कगार पर आ गये। क्योंकि तुरंत उनको बनवाया गया था। जिस तरीके से बनवाना चाहिए था उस तरीके से वह नहीं बन पाये थे और कई बार जिलाधीश महोदय ने और सीईओ. ने उनको गिराने के आदेश दिये थे। इस प्रकार के कई प्रमाण मिलेंगे। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें पढ़ाने वालों को जो पैसा दिया जाता है, हमको सभी को यह पता है, कई बार यह चर्चा राजीव गांधी स्कूलों की हो चुकी है इसलिए मैं विस्तृत नहीं कहूंगा, केवल मात्र उनको 1200 रुपये दिया जाता है। जहां हमने मिनिमम वेजेज में कुशल, अकुशल और अर्द्धकुशल के जो अलग-अलग 60, 64 और 68 रुपये तय किये हैं उसके मुकाबले में काफी कम तनख्वाह दी जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन स्कूलों में जो अध्यापकों की भर्ती हुई थी, बी.ए. पास, एम.ए. पास, बी.एड. किये हुए व्यक्ति उस पंचायत क्षेत्र में, उस गांव में उपलब्ध होते हुए भी कई ऐसे स्थानों में बाहर के गांव से लाकर के, उसका राजनीतिकरण करके इन राजीव गांधी स्कूलों में अध्यापकों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को लगाया गया है। स्कूल खोले, अच्छी बात है लेकिन कम से कम इन में क्वालिफाइड टीचर लगाये जाते, उनको अच्छी तनख्वाह दी जाती ताकि गरीब के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। एक ही वर्ष में इतनी बड़ी बिल्डिंग की मैं सोचता हूं कि आवश्यकता नहीं थी, एक एक कमरा बनाकर के शुरूआत की जा सकती थी और आगे जाकर के आवश्यकतानुसार उस भवन को बनाया जा सकता था।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय कटारिया साहब ने काफी अच्छी बातें कहीं हैं इसलिए मैं केवल अपने सुझाव देना चाहूंगा। अभी व्याख्याताओं की बात चली थी। स्कूल व्याख्याताओं की वास्तव में बहुत ज्यादा कमी है। पिछली सरकार ने, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को एडमिट किया है कि व्याख्याताओं की कमी को वे उस समय पूरा नहीं कर पाये थे। 50 प्रतिशत व्याख्याता आर.पी.एस.सी. के माध्यम से आते हैं और 50 प्रतिशत व्याख्याता प्रमोशन से आते हैं। लेकिन जब 9-18-27 का लाभ उनको मिल चुका होता है तो इसके बाद वह इन पदों पर जोइन नहीं करता है और यही कारण है कि वे इन पदों को चाहते हुए नहीं भर पाये। पिछली सरकार ने इमरजेंसी रिक्रूमेंट की एक योजना बनाकर के ऐसे पदों को भरने का पूरा प्रयत्न किया था और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस प्रकार के भी आदेश दिये थे कि जो रिक्त पद पड़े हैं, कम से कम तीन-तीन महीने की अस्थायी नियुक्ति ऐसे रिक्त पदों पर दे

(डा. रतन लाल जाट)

दी जाए ताकि कोर्ट कचहरी और केसेज जो इस तरह के बाद में हो जाते हैं उनसे भी बचत हो सके।

इसके अलावा मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से खासतौर से निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यापकों के जो रिफ्रेसर कोर्सेज हैं, उनको ट्रेनिंग देने की जो बात है, ऐसे कई रिफ्रेसर कोर्सेज समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि अध्यापक साथी इन रिफ्रेसर कोर्सेज में जाते नहीं है, उपस्थित होते नहीं हैं।

स्कूलों में थर्ड ग्रेड टीचर्स की जहां तक बात है, आज उनकी जितनी आवश्यकता नहीं है जितनी सब्जैक्ट टीचर की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे सब्जैक्ट टीचर पर सारा ध्यान देकर उनको लगाने की बात करें।

अच्छे परिणामों के आधार पर शिक्षकों को जो सम्मानित करने की बात की है, वास्तव में एक सराहनीय कदम पिछली सरकार ने उठाया था। इस योजना को निश्चित रूप से और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था और करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा को निश्चित रूप से जोड़ा है लेकिन इस पर और ज्यादा ध्यान देकर बच्चों का हम सर्वांगीण विकास कर सकें इस दृष्टिकोण से भी प्रयत्न किया जाना चाहिए।

समानीकरण की यहां काफी बात की जा चुकी है और इसके नाम पर काफी स्थानान्तरण भी हुए हैं और इसी सर्वोच्च सदन में कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाये थे। समानीकरण में इस प्रकार की बातें हुई थीं। वास्तव में समानीकरण अगर किया गया है और जो नार्म्स हैं उनको कठोरता से पालन करके उसके आधार पर अगर किया जाता तो एक उचित कदम सरकार का होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से उच्च शिक्षा की बात कहना चाहूंगा। राजस्थान में लगभग आठ यूनिवर्सिटीज हैं और चार डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इसके साथ-साथ 278 कालेजेज कार्यरत हैं। महिला शिक्षा के दृष्टिकोण में हमारी जनसंख्या के अनुपात में इस उच्च शिक्षा का महिलाएं केवल 0.75 प्रतिशत ही उपयोग कर पाती हैं। यह वास्तव में सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। महिला शिक्षा आगे बढ़े, महिलाओं की काफी भागीदारी हो, इस दृष्टिकोण से हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हमें इस बात की बराबर चिंता दिखानी चाहिए और उच्च शिक्षा राजस्थान में आगे बढ़े।

जैसा मैंने निवेदन किया था कि कांग्रेस लम्बे समय तक सत्ता में रही है लेकिन 1980 से लेकर 1990 तक 10 वर्षों में

(डा. रतन लाल जाट)

कांग्रेस सरकार ने केवल चार महाविद्यालय खोलें हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1990 से 1998 के आठ साल में 32 कालेजेज खुले थे। उन्होंने केवल चार कालेजेज खोले थे 10 सालों में।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक साल में ही 14 खोल दिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : जरा पिछला भी तो देखो आगे बढ़ो तो। आंकड़ों की बात मैं बता रहा हूं, आप वैरिफाई कर लीजिये कि गलत हैं या सही हैं। 10 सालों में केवल आपने 4 कालेजेज खोले हमने 32 खोले। जहां तक प्राइवेट कालेजेज की बात है, कांग्रेस शासन में 1980 से 1990 तक केवल मात्र 39 कालेजेज खुले थे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1990 से 1998 तक 47 कालेजेज खुले थे। महिला शिक्षा के दृष्टिकोण से 1990 तक गर्ल्स कालेज केवल मात्र सात खुले थे। हम महिला शिक्षा की प्रति कितने संवेदनशील हैं, यह आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि 1990 तक केवल मात्र 7 गर्ल्स कालेजेज खुले थे और 1990 से 1998 तक आठ वर्षों में 29 खुले। यह संख्या इस बात को बताती है कि पिछली सरकार महिलाओं की शिक्षा के प्रति कितनी जागरुक रही है। यह तो मैंने गवर्नमेंट कालेजेज की बताई है। प्राइवेट कालेजेज इन आठ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में काफी संख्या में खुले थे और उनकी संख्या 37 थी। इसके साथ-साथ पिछली सरकार ने प्रयत्न किया था कि कोई भी जिला मुख्यालय है वह आज पोस्ट ग्रेजुएट कालेज से नीचे नहीं रहे, इसका भी पूरा प्रयत्न करके उसको पूरा करने की कोशिश की गयी थी। 68 एस.डी.एम. हैड क्वार्टर में से पिछली सरकार ने 32 पर, सभी महाविद्यालय खोल चुके थे। जहां तक आदिवासी और जनजाति क्षेत्र की बात करते हैं ट्राइबल बेल्ट की, उसमें 40 सालों के कांग्रेस शासन में केवल मात्र तीन महाविद्यालय खोले थे, ट्राइवल बेल्ट में केवल तीन महाविद्यालय खोले थे। वह भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आठ साल के शासन में पांच महाविद्यालय खोले गये थे उन तीन के अतिरिक्त, सागवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ और इसके साथ-साथ लड़के और लड़कियों की ज्यादा सेक्शन्स की जब मांग आने लगी सरकार की तरफ से तो सरकार ने प्रयत्न करके उस समय 281 नये सेक्शन्स खोलने की बात कही थी। अभी वर्तमान बजट में मुझे देखने को मिला है कि माननीय मंत्रीजी ने प्रावधान तो रखा है,सब जगहों पर बड़ी प्रेसिंग की बात आती है कि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही हैं, हर कालेज में सेक्शन और बढ़ाया जाए लेकिन केवल मात्र 75 सेक्शन्स बढ़ाने की बात कही गई इस

(डा. रतन लाल जाट)

बजट में इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब वह अपनी बात बतायें इस मांग के बाद तो निश्चित रूप से और ज्यादा सेक्शन्स बढ़े राजस्थान में ताकि छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े। आप इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। शिक्षा का सत्र नियमित हो, इस बारे में भी ऐसे काफी महत्त्वपूर्ण प्रयास पिछली सरकार ने किए थे और इसके साथ-साथ छात्र-छात्राओं के कालेज में...

श्री महेश जोशी : माननीय डाक्टर साहब, मेरा यह भी अनुरोध है कि लगे हाथ कितने विश्वविद्यालय आपके समय में खुले, उसकी भी गिनती बता दो। कितने इंजीनियरिंग कालेज, कितने मेडिकल कालेज, इसके बारे में भी जरा बता दो।

डा. रतन लाल जाट : वह खुले हैं, बिलकुल खुले हैं। निश्चित रूप से खोले हैं, मैं बताऊंगा आपको आपके सामने दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर खोली है, बीकानेर में खोला है। (व्यवधान) छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्यता के बारे में काफी महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये थे और आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि स्टूडेंट्स आजकल...

श्री महेश जोशी : दयानन्द यूनिवर्सिटी किसने खोली, वह भी बता दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके मंत्रीजी अक्षम हैं क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं नहीं, वह बता रहे हैं सारी बातें। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जहां नये प्रधानाध्यापक लेने की बात है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनके पास तो आंकड़े हैं।

श्री महेश जोशी : उच्च शिक्षा के हमारे पास भी आंकड़े हैं। वह जो बता रहे हैं, वही हमारे पास है आंकड़े। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे नवयुवकों को, छात्र-छात्राओं को अपाइंटमेंट कम से कम 1000 लेक्चरर्स उस समय में, इन आठ सालों में लेक्चरर्स के रूप में अपाइटमेंट दिया गया था और वर्तमान में हालत यह है कि लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार से नौकरी मिल नहीं पा रही है। तो उनको अपाइंटमेंट के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कदम पिछली सरकार ने उठाया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि विश्वविद्यालयों की जो आर्थिक स्थिति है और जो दूसरी शैक्षणिक स्थिति है, वह आपसे और हमारे से छिपी हुई नहीं है और उस दृष्टिकोण से विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर एक प्रकार से प्रहार करने का इस बार प्रयत्न किया है कि आपको जब तक आर्थिक सहायता

(डा. रतन लाल जाट)

नहीं देंगे जब तक उन्होंने 16 ऐसे सब्जेक्ट्स निर्धारित किये हैं कि इनकी पालना आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम आपको आर्थिक सहायता नहीं देंगे और एम.ओ.यू. पर उनसे साइन करवाये गये। स्थिति सुधरनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं लेकिन निष्पक्ष रूप से उनकी स्वायत्तता पर इस प्रकार से प्रहार नहीं होना चाहिए...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा समय बढ़ा दूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : इकट्ठा ही बढ़ा दो जवाब देने तक। एक घंटा तो मुझे ही चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मांग पारित होने तक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डा. रतन लाल जाट : मैं निवेदन कर रहा था...

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनिश्चित काल तक सदन का समय कभी नहीं बढ़ता है (व्यवधान) कोई निश्चित समय होता है, आधा घंटा, एक घंटा।

श्री उपाध्यक्ष : अनिश्चित काल क्या, निश्चित काल है कि जवाब हुआ और समाप्त हो जाएगा। अनिश्चित तो, एक-एक घंटा बढ़ाने से होती है। अब ये निश्चिन्त हो गये कि जब जवाब आएगा, तब तक रहेगा। सब निश्चिन्त हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी : मांग समाप्त होने तक there is no limit. यह व्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष : जिसको जाना है वह चला जाएगा, रह जाएंगे वह बोल जाएंगे और समाप्त हो जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन से वह व्यवस्था हो गई है। अध्यक्षीय व्यवस्था है उपाध्यक्ष महोदय कि समय अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। तब दूसरी बात चीफ व्हिप की तरह से प्रस्ताव आता है कि एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए। मैं तो आपको अध्यक्षीय व्यवस्था आपकी जो है, वह मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय अब तो बढ़ गया। अगली बार सोचेंगे। अब तो बढ़ गया सो बढ़ गया।

मांग संख्या-24, 41 एवं 28 पर विचार

डा. रतन लाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस एम.ओ.यू. पर किन परिस्थितियों में उनके द्वारा साइन किये गये थे, किस दबाव में किये गये थे, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुधरे, शैक्षणिक जगत में काफी सुधार हो और यह आवश्यक है लेकिन उनकी स्वायत्तता पर भी प्रहार न हो और मैं चाहूंगा कि आपका जब एम.ओ.यू. लागू कर दिया गया है, जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर उससे सहमति प्रकट कर दी गई है। तो समय-समय पर उनकी मंथली मोनीटरिंग बराबर उस एम.ओ.यू. की कंडीशन के आधार पर होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बे समय से यह प्रयत्न चल रहा था कि उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग बने। पिछले बजट सत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कई साथियों ने, मैंने खुद ने भी इस हाउस में यह पुरजोर मांग की थी कि वास्तव में उदयपुर में जहां पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से बननी चाहिए और उसके बाद उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय अलग से बन गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक एक विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सवाल है, जो इसका कार्य क्षेत्र है, वह निश्चित रूप से अन्य जिलों में और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि जितना पैसा, जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर हम लगा चुके हैं तो कई ऐसे जिले मौजूद हैं, केवल 11 जिलों में यह कार्यरत है...

श्री सी.पी. जोशी : I am sorry to intervene, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला जो मामला है is linked with agriculture university department.

डा. रतन लाल जाट : हां लेकिन उच्च शिक्षा से सम्बन्धित है इसलिए मैंने आपको निवेदन किया है कि इसका कार्य क्षेत्र निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा की जहां तक बात है, कौंसिल फोर हायर एजुकेशन, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है और वास्तव में शिक्षा में सुधार हो गुणात्मक दृष्टि से और यू.जी.सी. और सेंटर की हमारी संस्थाओं से बराबर रेपट रह सके उस दृष्टि से कौंसिल फोर हायर एजुकेशन बहुत आवश्यक है लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दिन तक चाहे इसके पीछे जो भी कारण रहे हों, वह बन नहीं पाई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से शिक्षा जगत में इस प्रकार की संस्था की बहुत उपादेयता है, बहुत ही आवश्यक है।

(डा. रतन लाल जाट)

इसके साथ ही हमारे यहां पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर्स के कई पद कई यूनिवर्सिटी में रिक्त पड़े हैं। वाहस चांसलर महोदय यूनिवर्सिटी ने कई बार ऐसे पदों को एडवरटाइजमेंट किया है, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार बार एडवटाईजमेंट किया है, लोगों ने एप्लाई किया है लेकिन आज तक उन प्रोफेसर्स के पदों पर किसी प्रकार का इन्टरव्यू करके नियुक्ति नहीं की गई है। उसके लिए आपके मार्फत मेरा निवेदन है कि ऐसे पदों पर निश्चित रूप से भर्ती होनी चाहिए, बहुत जल्दी इन्टरव्यू होकर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रीवेल्यूएशन के भी हमारे यहां कई मामले यूनिवर्सिटी के पास पेंडिंग हैं और जहां तक रीवेल्यूएशन का सवाल है, आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसका छात्रों के ऊपर, 30 नम्बर की जगह उससे जस्ट डबल 60-60, 61-61 नम्बर आए हैं रीवेल्यूएशन में, इसके पीछे जैसे भी कारण रहे हों लेकिन कई बार ऐसे हमारे मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं, वे भी इससे काफी प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये रीवेल्यूएशन के पेंडिंग केसेज हैं, उस पर भी दोबारा से विचार किया जाए।

जहां तक यूनिवर्सिटी में टेम्प्रेरी टीचर्स का सवाल है, यह मुद्दा काफी लम्बे समय से विचाराधीन है सरकार में, दुर्भाग्य है कि जो लोग हमारी यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 15-15, 20-20 सालों से वहां पर अपनी पढ़ाई का काम कर रहे हैं और कई जगह तो ऐसे उदाहरण भी मिल रहे हैं कि जो टीचर्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं 15-15, 20-20 सालों से उनके बच्चे-बच्चियां भी वहां पर एज ए स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है लेकिन उनके पिताजी की नौकरी आज तक अस्थाई है, टेम्प्रेरी है। इसलिए माननीय मंत्रीजी, से निवेदन करना चाहूंगा कि जो टैम्परेरी टीचर्स के मामले हैं कई बार इसके बारे में कहा जाता है कि वे बैक-डोर एन्ट्री से है या और किसी तरह से है लेकिन कुछ भी हो, आज वह पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम उनको एवजी अध्यापक नहीं कह सकते हैं और अगर एवजी समझते हैं तो बहुत पहले ही उनको हमको नौकरी से निकाल देना चाहिए था। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मसला टेम्प्रेरी टीचर्स का है। इस पर भी निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से...

श्री उपाध्यक्ष : अब तो मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे।

डा. रतन लाल जाट : मैं बहुत कम समय ले रहा हूं साहब अभी, मैं संक्षेप में बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बीस मिनट हो गये आपको।

डा. रतन लाल जाट : सिलेबस की जहां तक बात है वह भी समय-समय पर कमेटी आफ कोर्सेज की बैठक होकर के उस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए और मैं तो निवेदन करूंगा कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं उसके बजाय जोब ओरिएंटेड कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज में शुरू किये जायं ताकि विद्यार्थी अपना शिक्षण कार्य पूरा करने के बाद अपनी डिग्री को लेकर नहीं फिरे, न नौकरी के पीछे दौड़े। अपना किसी न किसी प्रकार का, स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर कोई न कोई धंधा कर सके, इसलिए सिलेबस पर भी पुनर्विचार तुरंत आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ग्रामीण सेक्शन बढ़ाने की बात मैंने निवेदन कर दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोलेजेज हैं उनमें यह काफी प्रेसिंग डिमांड है और सेक्शन जो इस बजट में रखे हैं वह काफी कम रखे हैं, इसलिए निश्चित रूप से टेक्निकल बढ़ाने की बात की जानी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन का जहां तक सवाल है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान में इस समय तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से इंजीनियरिंग स्नातक तक के कोर्सेज चल रहे हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चल रहे हैं और दस्तकार तक से लेकर इंजीनियरिंग तक के सभी प्रशिक्षण हमारी आई.टी.आई. के माध्यम से और इनके माध्यम से चल रहे हैं। राज्य में कुल सात इंजीनियरिंग कोलेजेज हैं, पांच निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय इस समय कार्यरत हैं और पोलीटेक्निक कालेजेज भी काफी अच्छी तादाद में चल रहे हैं, आई.टी.आई. हैं। लेकिन इन सब को देखते हुए इस वर्ष जो बजट का प्रावधान इसमें किया गया है, 365 लाख रुपये का किया गया है अनुदान के दृष्टिकोण से, सहायता के दृष्टिकोण से। तकनीकी शिक्षा और कम्प्यूटर शिक्षा आज निजी क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक है और यह इसलिए आवश्यक है, आज सूचना-प्रौद्योगिकी का जमाना है और हमारी युवा पीढ़ी खास तौर से जिनके सामने रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है उसको देखते हुए तकनीकी शिक्षा को निश्चित रूप से और ज्यादा ध्यान देकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रों की फीस में, परीक्षा शुल्क में इस बार काफी बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी, जो शुल्क दिया जा रहा था उससे अगर डबल भी कर दी जाय तो फिर भी कोई समझ में आने वाली बात होती है, लेकिन छात्रों का परीक्षा शुल्क तीन सौ रुपये से बढ़ा कर एक-एक हजार रुपये कर दिया, यह वास्तव में एक बहुत बड़ा भार हमारे विद्यार्थियों पर है। आदेश की प्रतिलिपि मैं लाया हूं। इसलिए इसमें निश्चित रूप से

(डा. रतन लाल जाट)

पुनर्विचार किया जाकर जो फीस बढ़ाने वाली बात है उसको कम किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में जो पोलीटेक्निक कालेजेज चल रहे हैं उन पोलीटेक्निक कालेजेज में 14 महाविद्यालयों में कार्यरत लगभग 24 जो प्रवक्ता हैं जिनका आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन हुआ है और जो गणित और अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं उनको सरप्लस करने का सरकार विचार रख रही है, सरकार उसको क्रियान्वित करना चाहती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डाइरेक्टर, पोलीटेक्निक एजुकेशन ने इस तरह का एक प्रस्ताव बनाकर बी.एफ.सी. में दिया है कि पोलीटेक्निक कालेजेज के गणित और अंग्रेजी के इन आर.पी.एस.सी. से सेलेक्टेड लोगों को कम कर दिया जाय। मैं सोचता हूं कि इस बारे में ए.आई.सी.टी.ई. के नोर्म्स हैं और वह नोर्म्स इस बात को बताते हैं कि आप आर.पी.एस.सी. से जो इस प्रकार के सलेक्टेड लोग हैं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकेंगे और उनकी किसी भी प्रकार से अगर भर्ती करनी है तो इसके बारे में उन्होंने लिखा है...

एक माननीय सदस्य : यह आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी है क्या।

डा. रतन लाल जाट : मैं ए.आई.सी.टी.ई. के नोर्म्स की बात कर रहा हूं, आल इण्डिया टेक्निकल एजुकेशन कमेटी है वह, आल इण्डिया कांग्रेस नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जो संस्था टेक्निकल एजुकेशन को गवर्न करती है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमान प्रसादजी। समाप्त हो गया आपका। बहुत हो गया।

डा. रतन लाल जाट : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं संक्षिप्त में निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको बहुत ज्ञान है। इतना ज्ञान एक साथ नहीं, समझ में नहीं आयेगा।

डा. रतन लाल जाट : यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। जहां कालेजेज से कालेजेज में, जहां हम किसी सिविल इंजीनियर को लगाने की बात करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपके ही मेम्बर कम होंगे, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है।

डा. रतन लाल जाट : जहां सिविल इंजीनियर को एजुकेशन देने की बात करते हैं और उसको गणित पढ़ाने की बात करते हैं और वहां पर अगर डेढ़-डेढ़ सौ रुपये में ठेके पर लोग रखे जायेंगे जबकि वहां पर क्वालिफाइड और आर.पी.एस.सी. से सलेक्टेड लोग हैं उनमें कमी की जायेगी, एक दुर्भाग्य की बात है। यहां बताया गया है, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध है, 162 पोस्ट कम से कम आपकी रिक्त हैं, अगर आपको कमी ही करनी है तो उन 162 पोस्ट में से कम करें, इनको नहीं करें। ए.आई.सी.टी.ई.

(डा. रतन लाल जाट)

के नोर्म्स की बात कह रहा था—"Teaching and other staff shall be selected according to the procedure, qualification, experience and pay-scales, as prescribed by AICTE from time to time, and they shall be paid full salary, allowances regularly and in time." इसका मतलब जो डेढ़ सौ रुपये में ठेके पर इन रेगुलर को हटाकर दूसरे लोगों को भर्ती करके गणित और अंग्रेजी पढ़ाने की बात पोलीटेक्निक कालेजेज में की जा रही है, यह वास्तव में एक दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इस मुद्दे पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। अंत में...

श्री उपाध्यक्ष : अंत हो गया आपका।

डा. रतन लाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बहुत छोटे-छोटे हो गये। अब तो आप विराजें प्लीज। विराजिये प्लीज। छोटी बात क्या करनी है, आप बड़े आदमी हैं, छोटी बात क्या करनी। श्री हनुमान प्रसादजी।

डा. रतन लाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज।

डा. रतन लाल जाट : मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जो इण्डिया के 16 रीजनल इंजीनियरिंग कालेजेज हैं उनमें एक बहुत महत्त्वपूर्ण संस्था है और उसमें 5 नवम्बर, 1999 को प्रिंसीपल का वहां पर रेगुलर सलेक्शन चयन समिति के माध्यम से हो गया था। उसमें प्रोफेसर डी.वी.एस.वर्मा जो पुरकेश यूनिवर्सिटी में आलरेडी वहां पर प्रोफेसर हैं, काफी लम्बा-चौड़ा उनका एकेडेमिक कैरियर है, 15 वर्षों से वहां पर प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं, पचास से ज्यादा उन्होंने शोध पत्र लिखे हैं। और जो चयन समिति बनी थी उसमें इसी सरकार के पहले जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी उनकी चेयरमैनशिप में चयन समिति जिसमें जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के वहां पर प्रतिनिधि और एक्सपर्टस, यहां के शिक्षा सचिव, पूरी चयन समिति ने उनका सलेक्शन कर लिया था लेकिन आज दिन तक, लगभग छह महीने होने आये हैं, ऐसे क्वालिफाइड और मेरिटोरियस आदमी को, चयन प्रक्रिया का प्रोसीजर पूरा करके प्रोफेसर वर्मा को वहां पर आज दिन तक प्रिंसिपल के रूप में नियुक्ति नहीं दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी वजह से पूरे एम.आर.ई.सी. में जो एक एकेडेमिक एटमास्फीयर, रिसर्च का वर्क और दूसरे काम जो होने चाहिए थे वह नहीं हो पा रहे

(डा. रतन लाल जाट)

हैं। मैं दूसरे व्यक्ति की आलोचना नहीं करना चाह रहा हूं, कौन किस रूप में काम कर रहा है, किस तरह की बात है, लेकिन चयन समिति के मार्फत इसी सरकार में सलेक्शन होकर के जिस प्रोफेसर का चयन हुआ है, आज दिन तक उसका पदस्थापन नहीं किया गया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत इसका फैसला करके प्रोफेसर वर्मा को एम.आर.ई.सी. के प्रिंसीपल के रूप में नियुक्ति दी जाय ताकि वहां का एकेडेमिक एटमास्फीयर सुधर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(17.00 बजे)

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24, 28 और 41 तीनों पर ही संक्षेप में मेरे विचार व्यक्त करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार की सवा साल की जो उपलब्धियां हैं उनको देखते हुए एक तरह से इसमें आमूलचूल परिवर्तन है और विशेष तौर से विश्वविद्यालय जो नये खुले हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर, कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर और बीकानेर तथा कोटा में भी सामान्य विश्वविद्यालय की जो योजना है वह अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देती है। एक पहले वर्ष में 14 महाविद्यालय प्रारम्भ करना, अभी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कुछ आंकड़े यहां पर प्रस्तुत किये उनको देखते हुए यह जो अंक है, यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। पिछले वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए, उसी क्रम में इस वर्ष भी क्रमोन्नत करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, यह स्वागत योग्य है। इस संबंध में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए उनमें समय पर समुचित स्टाफ नहीं लगा और उससे जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विशेष तौर से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां पर विषय के जो प्राध्यापक थे वे उपलब्ध नहीं हुए और खास तौर से अंग्रेजी विषय के जो सामान्य तौर पर नहीं मिले, तो बड़ी मुश्किल से वहां जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया उन्होंने अपना कोर्स किसी तरह से पूरा किया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्रमोन्नति के साथ-साथ विषय के जो भी प्राध्यापक हों उनकी नियुक्ति आवश्यक है वरना उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशालाओं की जो स्थापना की गई है प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में एक विशेष महत्व रखती है। पिछले वर्ष 12500 और इस वर्ष 11000 प्राथमिक विद्यालय खोलने की जो बात है उसमें मैं एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। पिछले

(श्री हनुमान प्रसाद)

वर्ष जो भवन निर्माण हुए वे दसवें वित्त आयोग की धनराशि से हुए हैं। इस वर्ष सम्भवतः वह धनराशि उपलब्ध नहीं रहेगी फिर भी जो भवन निर्माण हुए उनसे एक सुविधा तो ढाणियों में या जो गांव से बाहर बसे हुए व्यक्ति थे जिनके क्षेत्र में यह विद्यालय प्रारम्भ हुए हैं वहां एक तरह से सामुदायिक केन्द्र की तरह यह बिल्डिंग मिली है और उसका दोनों तरह से उपयोग हो रहा है और इसका लोगों ने स्वागत किया है। इसमें जो शिक्षासेवी या जो अध्यापक के बतौर व्यक्ति उसी वार्ड का लगाया है उसमें मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है मैं भी उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि उस पंचायत क्षेत्र में यदि प्रशिक्षित बी.एड. किया हुआ व्यक्ति उपलब्ध है तो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए वरना जो शिक्षा का स्तर है उसमें कमी आएगी। इसी तरह के मानदेय जो निर्धारित किया है 1200 रुपये वह भी कम से कम 2000 रुपये किये जाने की आवश्यकता महसूस करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत-सी योजनाएं चल रही हैं जैसे शिक्षाकर्मी है, लोक जुम्बिश के माध्यम से भी हम गांव तक प्राथमिक शिक्षा के प्रति रूझान पैदा कर रहे हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी है, सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम भी है लेकिन इसके अलावा भी शिक्षा में कुछ ऐसे अनूठे प्रयोग किये जा रहे हैं जिनके कारण भ्रांति भी हो रही है और बहुत-से मामलों में तो शिक्षक भी उन कार्यक्रमों के बारे में पूरे अवगत नहीं हैं। तो मैं एक ही सुझाव देना चाहूंगा जैसा प्रस्ताव है, इन सभी योजनाओं को इस ढंग से देखकर इनका मिला-जुला रूप यदि हो, समन्वित रूप से इन्हें चलाने के लिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं। शिक्षाकर्मी और राजीव गांधी स्वर्ण जयंति पाठशालाओं का जो प्रारूप है वह करीब-करीब एक-सा ही है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर नयी पाठशालाएं हर पंचायत क्षेत्र में आवश्यक नहीं हैं। खास तौर से जो झुन्झुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर ये जिले हैं जहां शिक्षा के प्रशिक्षित व्यक्ति भी उपलब्ध हैं वहां पर बी.एड. से कम व्यक्ति को इस कार्य में लगाना मैं उपयुक्त नहीं समझता। एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं। समानीकरण की जो प्रक्रिया की गई वह बहुत सराहनीय कदम है खास तौर से 16000 के लगभग आवश्यकता से अधिक अध्यापक आपको उपलब्ध हुए और उनको जिन विद्यालयों में नहीं थे वहां जो पदस्थापित किया गया है, वह सराहनीय कदम है। यह प्रक्रिया सतत् रूप से चलनी चाहिए। खास तौर से कस्बे या शहर हैं जहां सुविधाएं उपलब्ध हैं। अध्यापक वहां प्रतिनियुक्ति या और किसी आधार पर पहुंच जाते हैं और सुदूर के जो विद्यालय हैं वे अध्यापकविहीन रह जाते हैं और उससे बहुत बड़ा नुकसान

(श्री हनुमान प्रसाद)

शिक्षा जगत में हो रहा है। एक और कमी महसूस करता हूं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रवक्तागण विशेष तौर से विज्ञान विषय के इनकी बहुत कमी देखी है और इस कमी का कारण स्पष्ट नजर आता है। पिछले लम्बे समय से न तो जितने पद रिक्त हैं उनके लिए डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट किया गया है और पदोन्नति की कार्यवाही में भी शायद विलम्ब हुआ है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रवक्तागण के लिए उनका या तो रिक्रूटमेंट हो या पदोन्नति हो जिस रूप से भी उपलब्ध हो सके उसके लिए शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक समझता हूं। मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। शिक्षा के जगत में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता रहती है जैसे जिला शिक्षा अधिकारी। वैसे एस. डी. आई. जो पंचायत समिति स्तर पर भी आप लगाते हैं, उनको भी निरीक्षण का कार्य देते हैं। इसी तरह से आपके बहुत से पद ऐसे हैं लेकिन उसमें जो रिक्रूटमेंट का तरीका है उसमें कुछ अनिवार्यताएं आपने रखी हुई हैं कि उसको शिक्षा जगत में पांच साल का अनुभव हो बी.एड. करने के बाद। मैं इसमें सुझाव देना चाहूंगा कि शिक्षा का एक प्रशासनिक अधिकारी कैडर अलग से नियोजित किया जाए और उसमें न तो अनुभव की आवश्यकता हो और न बी.एड. की आवश्यकता हो। आप रिक्रूटमेंट के बाद जो भी शिक्षा में प्रशिक्षण की उसे आवश्यकता है उतने समय का प्रशिक्षण रखकर उसको आप प्रारम्भिक स्तर से तैयार कीजिये ताकि यह कैडर आपका बने। शुरू में इसका बहुत विरोध हो सकता है तो एक सुझाव मैं यह दे सकता हूं कि आप 25% तक इस ढंग से प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें आप आगे चल कर जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जो शिक्षा अधिकारी हैं उन पदों पर पदस्थापित करेंगे और उसी में से आगे पदोन्नति के आधार पर वे ऊपर के पदों पर भी जो प्रशासनिक ढ़ांचा है वह सुदृढ़ होगा।

शिक्षा के स्तर के बारे में और विभिन्न स्तरों पर भी विशेष तौर से प्राथमिक शिक्षा में मैंने अनुभव किया है उसमें शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी तरह से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे हैं उनका शिक्षा का स्तर विशेष तौर से उपयुक्त नहीं है उस स्तर का नहीं है जितना होना चाहिए। इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो प्राध्यापकों, अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की कमी है उसको पूरा करके और उनको समुचित प्रशिक्षण देकर उपलब्ध करायें। साथ ही जिन अध्यापकों का कार्य

(श्री हनुमान प्रसाद)

सराहनीय है, उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

मैं इसके अलावा ग्रामीण विकास के संबंध में जो प्रतिबद्धता जाहिर की गई है ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की आधारभूत ढांचे को विशेष तौर से जन उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करके सुदृढ़ करने की जो बात है, उसका स्वागत करता हूं। इस संबंध में जो बजट में प्रावधान है उससे ऐसा महसूस होता है कि यह सब कार्य पूर्ण रूप से हाथ में लिये जाने मुश्किल है। विधायक कोटा में जो 25 लाख का प्रावधान पिछले वर्ष हुआ, मैंने सालभर में यह अनुभव किया है कि इस धनराशि के अतिरिक्त और कोई धनराशि किसी कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं थी जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर से पेयजल की जो समस्याएं हमारे सामने आई उनका निराकरण किया जा सके। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि समुचित धनराशि इस संबंध में उपलब्ध करवायी जाये। आपने मुझे विचार व्यक्त करने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष जी, मैं बधाई देना चाहूंगा वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को जिन्होंने मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग साइन किया वेरियस यूनिवर्सिटी के साथ में। अभी विपक्ष के सम्मानीय सदस्य इस मेमोरेंडम के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहां सरकार इतनी बड़ी धनराशि यूनिवर्सिटी पर खर्च करती है स्वायत्तता के नाम पर वह मनमर्जी में जो आवे वह कर लेवे, किसी कानून कायदे का लिहाज नहीं, किसी नियमों से चले नहीं। आज यूनिवर्सिटी से आम आदमी यह मानकर चलता है कि वह गांव के गरीब आदमी के, पिछड़े के, दलित के हित में काम करेंगे, शिक्षा देंगे, शोध कार्य करेंगे। बजाय उसके यह विश्व विद्यालय ऐसे केन्द्र बन गये जहां पर गांव के आदमी का, गरीब आदमी का, पिछड़े आदमी का कैसे उत्पीड़न किया जा सकता है, उसकी यह मिसाल बन गये। मैं एक छोटी सी मिसाल के रूप में बताना चाहता हूं। राजस्थान विश्व विद्यालय में, अभी माननीय श्री जाट साहब बता रहे थे। कि यह जो एडहोक टीचर्स हैं, उनको रेगुलराइज कर दीजिए। इन एड होक टीचर्स की अगर आप कहानी देखें तो यह ब्लेटेन्टली ओवर रूलिंग आफ द रूल्स था। लोगों ने बिना एडवरटाइजमेंट किये, बिना वैकेंसी डिक्लेयर किये हुए, बिना किसी इन्टरव्यू के सैंकड़ों आदमियों को यूनिवर्सिटी में भर लिया और पिछली सरकार ने इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की उनका नियमितीकरण कर दिया जाये। उनके लिये आर्डिनेंस लाने की कोशिश

(डा. करण सिंह यादव)

की गई और सरकार और सरकार के कर्मचारियों पर इस बात का दवाब बनाया गया कि यह 166 ऐसे लोग हैं जिनको आप भर्ती कर लीजिए, इनको आप रेगुलर कर दीजिए क्योंकि इनको 6 महीने हो गये, इनको 7 महीने हो गये। यह वह लोग हैं जिन्होंने लोगों का हक मारा है। राजस्थान के तत्कालीन उच्च शिक्षा सचिव की मेरे पास एक. रिपोर्ट है। उन्होंने जो कन्क्लूजन निकाले है, उनके कुछ कन्क्लूजन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं : —All the appointments are in violation of Act of 1974. जिसमें एड होक अपाइंटमेंट किये जाते हैं। Appointments of 87 persons were made without issuing any public advertisement and threfore irregular. Provisions relating to reservation have been totally ignored.

उपाध्यक्ष जी, पिछली बार मैंने सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि राजस्थान में पिछले 6-7 साल में कितने एड होक अपाइंटमेंट हुए। उन्होंने मुझे फिगर दी थी 304 एड होक अपाइंटमेंट हुए। मैंने पूछा इसमें आरक्षित वर्गों के कितने लोग हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मिलाकर 7 लोगों को नियुक्ति दी गई थी, यह हालत है राजस्थान विश्वविद्यालय के। जहां पर हम सामाजिक न्याय की उम्मीद करते हैं। जहां से गरीबों के प्रति और पिछड़ों के प्रति देखभाल का एक सिलसिला चलेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर हम नियन्त्रण नहीं रखेंगे और इनको मनचाही छूट दे देंगे, बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि आप एड होक अपाइंटमेंट करो, अर्जेंट टेमप्रेरी अपाइंटमेंट करो तो भी उसमें आरक्षण के प्रावधान किये जाने चाहिये। लेकिन इन्होंने कभी नहीं किये और आपके मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग साइन होने के बाद का मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी आपके ध्यान में एक आदेश लाना चाहूंगा। जो 4.1.2000 को निकला जिसमें कुछ इरेंगुलर अपाइंटमेंट को टर्मिनेट किया गया।

"In pursuance of the decision of the Horible High Court, D.B. Appeal, the University of Rajasthan and another connected members, the decision taken by the Syndicate in its meeting, the services of the following employees at present working in the various departments of the University are hereby dispensed with through this termination order with immediate offect. Consequently they shall not be allowed any type of salary and other allowancer from 5.1.2000. यह 4 तारीख को इन लोगों का टर्मिनेशन आर्डर

(डा. करण सिंह यादव)

हुआ और वहां की सिंडीकेट इतनी पावरफुल है कि आप कुछ भी मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग लिखा दीजिए, आप कोई भी कानून कायदा उनको बता दीजिए। 12 तारीख को इन्होंने फिर एक डिसीजन लेकर नया आर्डर निकाल दिया।"

"In pursuance of the decision taken by the Syndicate in its meeting held on 11.1.2000 of this order......The termination of services of the following employees on the basis of D.B. Judgement of the High Court is kept in abeyance till further orders."

हाई कोर्ट के एक नहीं कम से कम आधा दर्जन ऐसे आर्डर हैं जिनमें बार-बार कहा गया कि आप कोई अपाइंटमेंट नहीं करोगे, हर अपाइंटमेंट में आप रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। यह नमूना है स्वायत्तता के नाम पर जो संस्थाएं चल रही है। मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी आपसे अनुरोध है कि आपने जो मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग साइन किया है उसकी कड़ाई से पालना कीजिए, रिव्यु कीजिए। जिन संस्थाओं को हम इतना पैसा दे रहे हैं, जिन पर हम इतना खर्चा कर रहे हैं वह हमारे प्रति और सरकार के प्रति जवाब देह हो और अकाउंटेबल हो, यह प्रार्थना मैं आपसे करना चाहूंगा।

आप चूंकि टेक्निकल एजुकेशन के भी मिनिस्टर हैं, शिक्षाविद् है आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद राजस्थान का आम आदमी करता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा पिछले बजट में राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा आईटीआई. नहीं खोली गई थी। मात्र 4 आईटीआई. कालेज खोली गई थी जिनमें एक मेरे क्षेत्र बहरोड में थी। एक शायद किशनगढ़ में थी, एक पीपाड़ में थी। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि उन चारों में से एक भी कालेज का पत्थर नहीं लग सका। उनके ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं हो सका। कारण मुझे नहीं मालूम है मंत्री महोदय, लेकिन मैं आपसे यह जरूर गुहार करना चाहूंगा कि उन चारों आईटीआई. कालेज को खोलने की घोषणा आपने की थी, आपकी सरकार ने की थी, मंत्री महोदय ने की थी। आपके बजट में उसका नोटिफिकेशन है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो चार आईटीआई. संस्थान हैं, इस बार के बजट में मुझे जानकारी नहीं है कि उनके लिये प्रावधान है या नहीं है। अगर किसी कारण से किसी अफसर के ओवर लुक करने से कहीं इसमें छूट गया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें बजटीय प्रावधान दें और जब आप अपना उद्बोधन करें तो उसमें इस बात के लिये एश्योर करें कि जो प्रोजेक्ट पिछले साल गवर्नमेंट, ने चालू किये थे वह वित्तीय अनुशासन की वजह से, बैन लगने की वजह

(डा. करण सिंह यादव)

से, फाइनेंसियल कांस्ट्रेटस की वजह से जिन कामों को हम नहीं कर पाये हैं उन कामों को आप वापस इस साल के बजट में इन्क्लूड करेंगे, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष जी, आज ज्योति बा फुले का जन्म दिन है। ऐसे संत का जिसने इस देश में पिछड़ों के लिये और खास तौर से महिलाओं की शिक्षा के प्रति एक क्रान्तिकारी कार्य इस देश में किया है। आज के दिन मैं आपसे यह गुहार करना चाहूंगा कि हम लोग आज स्त्री शिक्षा की बार-बार बात करते हैं। मुझे बहुत खेद के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि इस बार के बजट में महिलाओं के लिये वैसे तो कोई कालेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि आम सदस्यों की भी यह भावना है कि कम से कम महिलाओं के मामले में और महिलाओं में खास तौर से रूरल एरिया में जहां पर प्राइवेट संस्थाएं नहीं आ सकती, जहां पर कामर्शियल एस्टेब्लिश्मेंट नहीं हो सकते, कमाई का जरिया मानकर जहां नयी संस्थाएं नहीं खोल सकते, ऐसी जगह पर आप कुछ महिला कालेज का प्रावधान करते। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान सरकार की पहले एक नीति हुआ करती थी कि कहीं पर अगर लोग जन सहयोग से अपनी बिल्डिंग बना कर दें, एक साल का पैसा 30-40 लाख जो सरकार उसको चलाने के लिए निर्धारित करे, वह पैसा दे लड़कियों के लिये और तीन साल का खर्चा अगर लड़कों के कालेज़ के लिये दे और वहां पर सारे मानदण्ड हों तो ऐसी जगह पर लड़कियों और लड़कों के कालेज खोले जा सकते हैं। मेरी जानकारी में आया है कि वह जो पुरानी नीति थी उसको शायद हम रिव्यु कर रहे हैं। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मामले में कोई ठोस नीति बनाये और कुछ ऐसा करें कि गांवों के लोग-बाग, जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वह इस दिशा में सक्रिय होकर जन सहयोग से इमारतें बनावें। सरकार की मदद करने के लिये अगर उनको साल-दो साल तक कहीं खर्चे की व्यवस्था करनी है तो वह भी करें। वह भी करें, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे करें जिससे स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों में इन्टरेस्ट बना रहे। मेरा क्षेत्र हरियाणा से बिलकुल जुड़ा हुआ है। आस-पास में शिक्षा का बहुत प्रादुर्भाव है। मेरे बहरोड क्षेत्र के अंदर और मुंडावर, बानसूर में जिस क्षेत्र का बहरोड केन्द्र बनता है वहा पर लड़कियों के लिये कोई कालेज नहीं होने की वजह से स्त्री शिक्षा में हम बहुत पिछड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मेरी प्रार्थना के ऊपर ध्यान देंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : जमीन फ्री। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : स्कूल एजुकेशन के मामले में निश्चत रूप से यहां सदन

(डा. करण सिंह यादव)

में अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के साथ मैं अपने आपको जोड़ता हूं। व्याख्याता के पद भारी संख्या में खाली पड़े हैं और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में जहां पर पिछली सरकार ने पैसे लेकर स्कूल खोले थे। गांव में जब जाते हैं तो गांव के लोग इस बात का दोषारोपण करते हैं कि सरकार ने 3 लाख, 5 लाख रुपये लेकर हमारे कालेज खोले थे और जिस दिन से कालेज खुले हैं स्कूल खुले हैं उस दिन से न तो कभी लेक्चरर आया न कभी वरिष्ठ अध्यापक आया। इनका किस स्तर पर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट करेंगे, या कोई योजना बनाएंगे? मंत्री महोदय, आपसे बहुत उम्मीद है। इस मामले में तीव्र गति से कार्यवाही होनी चाहिये। इन सालों में लगभग पिछला एक साल सवा साल बिना अध्यापक के गुजरा है।

समानीकरण के नाम पर निश्चित रूप से यह बहुत क्रान्तिकारी काम हुआ है। राजस्थान में जहां लोगों को शहरों से निकालकर गांवों में भेजा है। यह निश्चित बात है इसमें अनियमितताएं हुई हैं। आपकी व आपके जो दूसरे मंत्री महोदय थे उनकी मंशा इस मामले में सही रही होगी। उच्च अधिकारियों की मंशा सही रही होगी लेकिन ग्रास रूट लेवल जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर्स थे उनके साथ में काम करने वाला क्लर्क और पी.एस. थे, उन लोगों ने भारी भ्रष्टाचार किया है। इसके लिये अगर आप हमसे सबूत मांगेगे तो हो सकता है सबूत लाकर आपके सामने देने में हम अक्षम हों, लेकिन आम हवा है कि मैं अपने जिले के लिये कह सकता हूं। अलवर जिले के अंदर जो एलीमेन्ट्री एजुकेशन के डी.ई.ओ. गये हैं, डी.ई.ओ. शायद दोनों नहीं थे उनकी जगह ए.डी.ई.ओ. काम कर रहे थे। और उनके नीचे काम करने वाले स्टाफ, आप अलवर की सड़क पर जाकर पूछ लीजिये। लोग-बाग आपको बता देंगे कि इन लोगों ने पैसे कमाये हैं। इन लोगों के बारे में अगर कोई प्रमाण नहीं मिले तो प्रमाण मत देखिये। कम से कम इतना तो कर दीजिये कि यह लोग आगे किसी प्रशासनिक पद में रहे, उनका वहां से तबादला कर सके। उनको वापस ऐसे शिक्षण क्षेत्र में लगा दीजिये कि उनके हाथ में आगे से पैसे कमाने का, इस तरह का काम करने का मौका नहीं रहे। जहां आपको प्रूफ मिले वहां ऐसा एग्जाम्पलरी पनिश्मेंट दें कि लोग आगे के लिये सोचे कि किस तरह से गरीब अध्यापक को अपने इन्टरेस्ट में लेकर, किस तरह से भ्रष्टाचार इस मामले में पनपा। यह सबके सामने हैं, इसको रोकने का आपको प्रयास करना होगा।

एक समस्या की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहले शिक्षा विभाग में अगर किसी अध्यापक की मौत हो जाती थी, निधन हो जाता था तो उसके आश्रित को अगर उसने

(डा. करण सिंह यादव)

बी.एड. किया हुआ है तो उसको शिक्षक की नौकरी मिल जाती थी। जब से यह फिफ्थ पे कमीशन लागू हुआ है, अध्यापक का ग्रेड 9-ए हो गया। आपके नियमों में शायद ऐसे प्रावधान हैं कि सिर्फ नवीं ग्रेड तक के लोगों को ही नौकरी दी जा सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी कानूनी अड़चनें आ रही हैं, नियमों की अड़चनें हैं, उसे दूर करके ऐसे प्रावधान कीजिये। जैसे पहले शिक्षक का बेटा या पत्नि बी.एड. किया हुआ होता था तो टीचर बन सकता था। ठीक उसी तरह से आने वाले समय में भी वह टीचर बन सकें। अगर नियमों में कोई अड़चन है तो उसे दूर करने की कृपा करें।

मंत्री महोदय, मुझे बहुत वेदना होती है, बिहार की डिग्रियों के मामले को लेकर। मुझे मालूम है आपकी खुद की मनःस्थिति है, आपके विभाग के अधिकारियों की मनःस्थिति है। आम आदमी यह समझता है कि बिहार से आने वाली हर डिग्री फर्जी है। आम आदमी यह समझने लग गया। क्योंकि अखबार में एक बार खबर छप गई कि बिहार के किसी एक विश्वविद्यालय के ऊपर सी.बी.आई. की या किसी इंवेस्टीगेशन एजेंसी की जांच चल रही है। या तो हमारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो हम उन विद्यार्थियों की डिग्रियों को लेकर कह दें कि आप यहां एप्लाई मत कीजिये। आपके शिक्षा विभाग में अनेकों लोग काम कर रहे है। आपकी एवं पंचायत समिति में मिथिला यूनिवर्सिटी वाले को दे दी जाती है। दूसरी पंचायत समिति के अंदर मना कर दिये जाते हैं। कम से कम जो नियम हो वह सारे राजस्थान में तो एक से ही हो। आपके पास में ठोस प्रमाण है कि यह डिग्रियां फर्जी हैं आप सबको निकालिये। बाड़मेर में मिल गई, जैसलमेर में नहीं मिल रही। जैसलमेर में मिल गई, जालौर में नहीं मिल रही। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्री जी ने यह घोषणा कर दी कि 25000 डिग्रियां फर्जी हैं। (व्यवधान) उनकी जांच कर ली। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है। वरिष्ठ मंत्री है वह और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जांच करके कहा कि 25000 डिग्रियां फर्जी हैं। वह निकालेंगे। वे जो कहते हैं, करते हैं...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जो गरीब किसान के लड़के हैं जो खेती भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, कम से कम उनको वहां पर एडमिशन मिलता है। बी.एड. की डिग्री लेकर आते हैं और प्रशिक्षित है उनको नौकरी मिलनी चाहिये। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : इन डिग्रियों का मामला, जब तक कोई बात नहीं आ जाती...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : लालू जी की दी हुई डिग्रियां है यह। बिहार की डिग्रियों की बात करते हो। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : पटना और पाटलीपुत्र तो किसी जमाने में शिक्षा के केन्द्र हुआ करते थे। वहां डिग्रियों के बारे में सत्यापन करके, पर मेरा निवेदन यह है कि एक दृष्टिकोण अपनाया जाए। अलवर में उनको नौकरी मिल जाती है, बाड़मेर में नहीं मिलती है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि इस कारण से इस विभाग के अंदर इस मामले को लेकर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, और कई जगह पर सीईओ. और कन्सर्न्ड आफिसर हैं उन्होंने कानूनों की, कागजों की आड़ लेकर कहीं पर नियुक्ति दे दी, कहीं पर नहीं दी। इस मामले में विभाग अपना दृष्टिकोण, अपनी पालिसी बनाये, यह निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आपसे बहुत-सी अपेक्षाएं हैं। यह अपेक्षाएं देखकर सम्भवतः आपके ऊपर शिक्षा का भार सौंपा गया है। इस प्रार्थना के साथ में, कि स्त्री शिक्षा के ऊपर और टेक्निकल एजुकेशन के नाम पर जो आई.टी.आई. का मैंने निवेदन किया है, इसमें इन बातों का आप अपने भाषण में या बाद में उल्लेख करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देकर बैठना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने विचार शरीक करना चाहता हूं। राजस्थान में शिक्षा का प्रचार हुआ है। 1947 की तुलना में देखा जाए तो आज बहुत ज्यादा विकास हुआ है। लेकिन आवश्यकतानुसार देखा जाए तो यह विकास छोटा पड़ता है। हर सरकार और हर शिक्षा मंत्री इस विषय को गम्भीरता से लेकर सुधार करना चाहते हैं। इससे पहली वाली सरकार में माननीय कटारिया जी शिक्षा मंत्री थे। कटारिया जी ने स्कूल का समय भी बदला, ड्रेस बदली, सरस्वती योजना चलाई, गार्गी योजना चलाई। इस सारी छटपटाहट से ऐसा महसूस होता है कि वह कुछ करना चाहते थे लेकिन उन्होंने जो फैसला किया उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। पैसे लेकर स्कूल खोले। उन्होंने सोचा तो ठीक होगा लेकिन जब जनता नहीं चाहती है, सरकार को वह फैसला करना चाहिये जिसे जनता स्वीकार करे। हमारे सदन में ऐसे हालात हो गये हैं कि ना पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को कितनी भी बढ़िया बात हो उन्हें ना ही करना है। मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। सी. पी. जोशी ने जो आइडिया दिया है राजीव गांधी पाठशाला का और यह निश्चित बात है कि राजीव गांधी पाठशाला ने राजस्थान में शिक्षा का माहौल बना दिया है। और इस स्तर तक पहुंचा दिया ढाणी और गांव में, मजरे में शिक्षक लोग जाना नहीं चाहते थे, पहुंचना नहीं चाहते थे।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आने-जाने का साधन नहीं था। कई तरह की समस्याएं बताया करते थे वहां पर शिक्षा का माहौल बना और नियमित माहौल बना। अनौपचारिक रूप से प्रौढ़ शिक्षा से और इधर-उधर की योजनायें नहीं बनाकर नियमित माहौल बनाया, इसके लिये मैं मौजूदा शिक्षा मंत्री को जिन्होंने अपने आइडिया, अपनी सूझबूझ और अपने अनुभव से इस राजस्थान की जनता को यह माहौल दिया। इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

वेतन रुपये का जहां तक सवाल है, केवल पैसे से शिक्षा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 6000 रुपये लेने वाले शिक्षक का काम और 1200 रुपये में पढ़ाने वाले शिक्षा सहयोगी का काम दोनों की तुलना कर लीजिये, पहली और दूसरी क्लास की। मुझे एक हैडमास्टर की कान्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, शिक्षा जैसा पवित्र काम करने वाले आप लोग हैं, आप इसे गम्भीरता से लें। जो मां-बाप बिना पढ़ा लिखा है और अपने बच्चे को आपके सुपुर्द करके यह महसूस करता है कि मेरा बच्चा पढ़-लिखकर आयेगा। आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। पूरे समय तक मेहनत नहीं करते। 1200 रुपये में जो शिक्षक लगा हुआ है, जो शिक्षक सहयोगी के नाम से जाना जाता है, उसका स्थान देखिये कितनी मेहनत करता है दिनभर। उन लोगों में से एक सज्जन ने खड़े होकर कहा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा कि वह अस्थाई है और हम स्थाई हैं। यह 6000 और 5000 की और 1200 रुपये की तुलना नहीं करता हूं, यह तुलना करता हूं उसकी मानसिकता की। 1200 रुपये लेने वाले के लिये निश्चित रूप से कम है। उसका पैसा बढ़ना चाहिये। उसको कम से कम 1800 मिलने चाहिये। लेकिन उसकी मानसिकता की बात बता रहा हूं जो लड़का और मौहल्ले का रहने वाला है, जो बेरोजगारी से घूम रहा था, जिसकी कोई वक्त नहीं थी, उसको महसूस ही नहीं हो रहा था कि मुझे कोई काम मिलेगा समाज में, उसको इस शिक्षा सहयोगी का काम मिल गया। वह बड़ी तल्लीनता से, बड़ी लगन से काम कर रहा है। उसको धन्यवाद देता हूं, उस शिक्षा सहयोगी को जो 1200 रुपये में काम करने को तैयार है और राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि 1200 रुपये की जगह उनको 1800 रुपये दिए जाएं। प्राथमिक शिक्षा की बात आती है। राजीव गांधी पाठशालाएं नई खोलने की बात की है। शिक्षा मंत्रीजी ने बजट में रखा है। खोलिये, बिलकुल खोलिये लेकिन नई राजीव गांधी पाठशालाएं खोलते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, शिक्षा मंत्रीजी। क्योंकि अब 40 बच्चों का आपने क्राइटेरिया बनाया, 40 बच्चे जहां होंगे स्कूल खोल दी जाएगी। बड़ी मुश्किल से

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मिल पाएंगे। अब शिक्षा के नाम पर नहीं रहकर के शिक्षा सहयोगी के लिये स्कूल खुलने लग गयी है। कहीं ऐसा न हो जाए कि शिक्षा सहयोगी के काम के लिये राजीव गांधी पाठशाला खोलकर के उसका दुरुपयोग होने लग जाएगा। अब इसके बजाय, भले ही आप राजीव गांधी पाठशालाएं कम खोल दें लेकिन जहां राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गयी हैं वहां पानी का इंतजाम जरुर करें। वहां हैण्ड-पम्प नहीं है। पानी पीने के लिये बच्चे अपनी बोतल में पानी लेकर आते हैं। बड़ा संकट हो रहा है, छोटे-छोटे, नन्हें-मुन्ने बच्चे पानी के लिये तरसते रहते हैं। राजीव गांधी पाठशालाओं के साथ में आपको पीने के पानी का इंतजाम भी करना पड़ेगा।

प्राइमरी स्कूल के लिये, पहले के जो स्कूल चल रहे थे उनमें सिंगल टीचर स्कूल हैं, आप अंदाज लगाइये उस सिंगल टीचर स्कूल का टीचर जब कभी छुट्टी पर चला जाता होगा, जब कभी बीमार रहता होगा तो वहां के बच्चों का क्या होता होगा। अब कम से कम ऐसा मौका आना चाहिए कि सिंगल टीचर स्कूल खतम कर देना चाहिए। वहां डबल टीचर हो जाना चाहिए ताकि वहां पर एक दूसरे की व्यवस्था को सम्भाल तो सकें। गये वर्ष भी मैंने इसी सदन में निवेदन किया था प्राथमिक शिक्षा के बारे में कि विकास अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी ब्लाक में होता है। वह सारी शिक्षा का काम भी देखता है। उसके नीचे एस.डी.आई. भी काम करते हैं। विकास अधिकारी विकास का काम करता है। सबसे पहले विकास का काम नजर आता है। एस.डी.आई. से भी विकास का काम करता है और प्राइमरी शिक्षा की तरह कोई देखने वाला नहीं है। मैंने निवेदन किया था शिक्षा मंत्रीजी से, राजस्थान की सरकार से, कि ब्लाक लेवल पर एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए। जिसको मात्र शिक्षा का काम नजर आये, विकास का काम करने वाला दूसरा होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार को, जिन्होंने ब्लाक लेवल पर शिक्षा अधिकारी को कर दिया। इसके अलावा, शिक्षा प्रसार अधिकारी जो बैठता था, वह अलग से है। लेकिन अब पंचायती राज में जो प्राइमरी शिक्षा दी गयी है, इस प्रारम्भिक शिक्षा में भी एक विसंगति है। आपने आठवीं तक की कक्षाओं को प्रारम्भिक शिक्षा में लेकर पंचायत राज को दे दिया। लेकिन सैकण्डरी स्कूल में चलने वाली मिडल स्कूल को किसके साथ दिया, उसको कौन सम्भालेगा। उसकी अब तक भी विसंगति बनी हुई है। इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने एक आइडिया और दिया समानीकरण का। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को लाभ हुआ है, स्कूलों को लाभ हुआ है। समानीकरण के नाम पर 16 हजार शिक्षक, जहां पर लड़के कम और शिक्षक ज्यादा, ऐसे स्थान थे, वहां

(श्री रामचन्द्र सराधना)

पर जो मात्र अपनी रोजी-रोटी के लिये बैठे हुए थे, जिनको पढ़ाने के लिये काम नहीं था ऐसे लोगों को उठाकर के समानीकरण के नाम पर दुसरे, जो कम टीचर स्ट्रेन्थ वाले स्कूल थे उनको वहां पर भेजने की कोशिश की गयी है। एक अच्छा यह तरीका था। लेकिन जैसे और माननीय सदस्य भी कह रहे हैं समानीकरण के नाम पर बड़ा गलत तरीका अपनाया गया है। वह इसलिये अपनाया गया कि जिस समय समानीकरण का काम चल रहा था, राजस्थान में, उस समय जन प्रतिनिधि तो पंचायत राज में उलझे हुए थे और कर्मचारी हड़ताल में उलझे हुए थे तथा डीईओ. ने अपनी मनमर्जी से टीचर्स की टोली बनाकर के ट्रांसफर किये। ऐसे-ऐसे ट्रांसफर कर दिये जिन लोगों को 6 महीने पहले जनता की शिकायत पर दूसरी जगह भेजा गया था उनको वापस उन्हीं जगह ले लिया गया समानीकरण के नाम पर। और एक नया शब्द परिवेदना जोड़ दिया, जिस किसी ने परिवेदना दी, मैं आपको निवेदन करता हूं मेरे जमुवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के खरकड़ा, जहां मिडिल स्कूल है, वहां से, 3 टीचर्स को पद सहित ट्रांसफर किया और लूनेठा गांव में लगाया। लेकिन तीनों में से एक भी लूनेठा नहीं गया। पद सहित खरकड़ा से हटा दिया गया और ट्रांसफर उनका तीसरी जगह कर दिया गया। अब पता नहीं, वह पोस्ट कहां गयी। जब डीईओ. से हमने बात की तो डीईओ. कहते हैं कि देखो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो आर्डर की पालना करनी थी। राजस्थान सरकार कहती है, वह करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सरकार को, मानीय शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले की प्राइमरी शिक्षा की जो डीईओ. हैं, उनके लिये 5 विधायकों ने लिखकर दे दिया, शिकायत कर दी कि कुछ भी काम नहीं करती हैं और बिलकुल ही नियंत्रण, सम्भाल नहीं कर पाती हैं। कन्ट्रोल नहीं है जयपुर जिले में उसको भी जांच में रख दिया आपने और उस पर भी गौर नहीं किया कि प्राइमरी शिक्षा का क्या हश्र हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दे पर आपको गम्भीरता से विचार कर तुरन्त उसका फैसला करना चाहिए। समानीकरण के नाम से ये जो विसंगतियां हुई हैं, इनको ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए।

डीईओ. का जहां तक सवाल है, जब आपने डीईओ. बना दिया, अफसर बना दिया, अधिकारी बना दिया तो अधिकारी अपने प्रशासन का ही काम करेगा। पहले जब हम पढ़ते थे उस समय इंस्पेक्शन का काम हुआ करता था। हम भी जानते हैं इस बात को कि इंस्पेक्शन जब कहीं भी नहीं होता, किसी विभाग में, किसी आफिस में इंस्पेक्शन यदि नहीं होता है तो उसमें एक

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जो टैरर होना चाहिए, एक डर होना चाहिए, निरीक्षण का वह खतम हो जाता है। आज स्कूलों का कोई इंस्पेक्शन करता ही नहीं है। वह डी.ई.ओ. जो बैठा है, जिला अधिकारी बैठा है, वह तो अधिकारी है उसके इंस्पेक्शन का काम नहीं है। वह केवल मीटिंग्स करता है और राजकीय आदेश लेता है, उनकी पालना करने के लिये नीचे लैटर छोड़ देता है। मैं निवेदन करता हूं कि डी.ई.ओ. के साथ में एक ऐसा असिसटेंट लगा दिया जाए जो कि मीटिंग्स को अटेण्ड करे। लेकिन डी.ई.ओ. स्कूल में इंस्पेक्शन करे और जाकर देखे। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि जयपुर जिले के जो इंस्पेक्टर बैठे हैं उनकी रिपोर्ट ले लें 12 महीनों की कि कितने स्कूलों को जाकर उन्होंने देखा। कितने इंस्पेक्शन किये उन्होंने और इंस्पेक्शन किये तो वहां पर क्या मिला और उसके खिलाफ उन्होंने क्या कार्यवाही की। सबसे बड़ी बात यह हो गयी कि स्कूलों का इंस्पेक्शन नहीं है, स्कूलों का आब्जर्वेशन नहीं है, स्कूलों के बारे में कोई गम्भीरता से देखता नहीं है अधिकारी कि यह स्कूल चलते हैं या नहीं चलते हैं। अपनी मनमर्जी से समानीकरण के नाम पर हैड-मास्टरों का भी ट्रांसफर कर दिया। जहां से हैड-मास्टर का ट्रांसफर किया, वहां खाली कर दी और खाली जगह है वहां भेज दिया। यह कैसा समानीकरण हुआ। यह केवल डी.ई.ओ. ने अपनी मनमर्जी से राजस्थान की सरकार को बदनाम करने के लिये और समानीकरण जैसा एक बढ़िया उपाय था उसको बदनाम करने के लिये उन्होंने ऐसा किया। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से चाहूंगा कि इसको गम्भीरता से लेकर जयुपर डी.ई.ओ. के बारे में इसकी जांच कराएं और उसको असलियत बताएं।

सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल के बारे में निवेदन करूंगा। सन् 97 में खवाराणीजी, जमुवा रामगढ़ में एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली थी। उसमें आज तक स्टाफ नहीं है। कहने को बात तो बी.जे.पी. की बात कांग्रेस कर दें और कांग्रेस की बात बी.जे.पी. कर दे। लेकिन भला इन्होंने भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह रही, भले ही डी.पी.सी. नहीं की हो, इनको व्याख्याता नहीं मिले होंगे। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि 9-18-27 का जो लाभ दिया कर्मचारियों को, शिक्षकों को, उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। वह इसलिये कर दिया कि प्राइमरी में बैठा हुआ बी.ए. पास टीचर, बी.ए., बी.एड. टीचर हो, यह समझता है कि मेरा 9 वर्ष पूरे होते ही परमोशन हो जाएगा, मैं गांव क्यों छोडूं, 18 वर्ष पूरे होते ही दूसरा परमोशन हो जाएगा, मैं आगे क्यों जाऊं और 27 वर्ष होते ही मेरा फाइनल परमोशन हो जाएगा, मुझे गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। न सीनियर सैकण्डरी स्कूल देखना है न सैकण्डरी स्कूल देखना है। यदि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल

(श्री रामचन्द्र सराधना)

देखूंगा तो मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिये इनके मन में रही नहीं। यह 9-18-27 का जो परमोशन दिया, जो लाभ दिया इन लोगों को वह सबसे बड़ा घातक रहा शिक्षा जगत में। इसीलिये आज पोस्टें खाली हैं, लेक्चर्स नहीं मिलते, लेक्चर्स क्यों नहीं मिलते, जाना नहीं चाहते। मिलते सब हैं, परमोशन करने के लिये, परमोशन पर जाते हैं, वह फोर-गो कर देते हैं। वह कहते हैं क्यों जाएं, गांव छोड़कर। घर छोड़ना पड़ेगा, बाल-बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। पैसा वही का वही मिलेगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि 9-18-27 से बड़ा नुकसान रहा। यह भी हमारे लिये बड़ा घातक रहा।

आज के सन्दर्भ में, इस बदले हुए पक्ष में निवेदन करना चाहूंगा कि सभी छात्र फर्स्ट डिवीजन नहीं हो सकते हैं, सभी छात्र मैरिट में नहीं जा सकते हैं और सभी छात्रों को नौकरी नहीं मिल सकती है। इस नये सन्दर्भ में निवेदन करता हूं राजस्थान की सरकार से कि शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए और तरीके से, ऐसा नहीं कि जैसे पहले जोड़ दिया और एक चैप्टर चला दिया, या कहीं कोई एक खराद की मशीन लगा दी और छोड़ दिया। इसको मूलतः, आमूलचूल परिवर्तन करके ऐसा बना दिया जाए कि सैकण्डरी पास या बी.ए. पास करने के बाद में वह छात्र अपने पिता की छाती पर जाकर नहीं चढ़े कि मैं रोजगार चाहता हूं। दिक्कत उसकी यह हो जाती है कि 14 वर्ष तक उसको पढ़ाता लिखाता है और फिर उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाता है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मुझे नौकरी लगाओ। नौकरी नहीं मिलती है तो मैं काम नहीं करूंगा। सच्चाई भी यह है, जो छात्र 14 वर्ष पढ़ाई करेगा, 15 वर्ष पढ़ाई करेगा, 5-7 वर्ष की उम्र गवाएंगा, 20-21 वर्ष का हो जाएगा। फिर भी वह रोजगार के लायक नहीं बना तो उसका जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिये सरकार से निवेदन करते हुए मेर बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और ग्रामीण विकास, पंचायती राज और विशिष्ट योजना संगठन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आज कला और संस्कृति भी है और उसमें आपके सदस्यों की गम्भीरता और चिन्तन देखिये कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की संख्या कम है। सीटें खाली पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना समय गंवा रहे हैं। आप अपनी बात कहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : वे छेड़ेंगे तो जवाब तो दूंगा ही। आज शिक्षा जैसे... (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य, हम तो बैठे हुए हैं। बैठने वालों को तो धन्यवाद दो आप। जो नहीं बैठे हैं, उनकी ओर तो आपने नजर डाल ली, जो बैठे हुए हैं उनको तो धन्यवाद दें। हम हमेशा बैठे रहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे पीछे नहीं है। पीछे थोड़े ही दिखाई देता है।

श्री रामस्वरूप : पीछे काहे को देखो। पीछे मुड़कर भी देखो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे पीछे अभी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, उनका नोटिस मत लीजिए। आप चालू रखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ही बात कह रहा हूं।

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है और मैं अब समय के अभाव को देखते हुए और चार-पांच दिन के अवकाश की वजह से सब लोगों को जाने की जल्दी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय सम्बन्धित मंत्रीजी को देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस देश की यह शिक्षा पद्धति जिसको लार्ड मेकाले के नाम से हम जानते हैं, जिसने बाबू बनाने के लिए और एल.डी.सी. बनाने के लिए यह शिक्षा पद्धति लागू की थी, हम हर बार चर्चा करते हैं और हर व्यक्ति इसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो समय आने वाला है, वह इस तरीके का आ रहा है कि रोजगार के साधन कम हो रहे हैं। आर्थिक संकट के कारण आज नौकरियों में छंटनी कर रहे हैं। नये रोजगार के साधन हैं नहीं इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस शिक्षा को आप बड़े विद्वान हैं, आपने एम.ए. फिजिक्स और एम.ए. मनोविज्ञान में किया है। आप मानसिकता और परिस्थिति को समझते हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनायें ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी आ रही हैं, वह शिक्षा प्राप्त करने के वाद अपने जो भी पुश्तैनी लघु और कुटीर उद्योग है, उन उद्योगों से अपनी जीविकोपार्जन करें। शिक्षा प्राप्ति के बाद केवल नौकरी की तरफ नहीं भागे। आज स्थिति यह हो गयी है कि हमने हमारे मौहल्ले में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाया उस प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में कुछ लड़के शिक्षा अर्जित करने लगे। अक्षर ज्ञान हुआ। एक लड़का जो 200, 300 रुपये रोज नगीनों का काम करके कमाता है, उसको साधारण शिक्षा का ज्ञान हो गया, वह आकर कहता है मेरी नौकरी लगा दो, चाहे चपरासी की नौकरी लगा दो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना चाहिए।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, हम बात बहुत लम्बी-चौड़ी करते हैं कि समान शिक्षा होनी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चाहिए। एक तरफ बड़े-बड़े भवन, अटालिकाएं और उनमें सारे साधन, सारी सुविधाएं, एयर कंडीशन कमरे और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालक, ऊपर छत नहीं या नीचे बैठने के लिए दरी-पट्टी नहीं। शैक्षिक माहौल नहीं और उसके बावजूद फिर उसको अध्यापक की कमी। आज आपने जो रिपोर्ट दी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को जरा देखिये। माध्यमिक शिक्षा का, पेज 35 पर व्याख्याताओं के रिक्त पदों की स्थिति, हिन्दी के 420, रसायन विज्ञान के 33, अर्थशास्त्र के 144, चित्रकला के 50, उर्दू के 15, अंग्रेजी के 384, भौतिकी के 49, भूगोल के 138, जीव-विज्ञान के 47, गणित के 42, इतिहास के 295, वाणिज्य के 125, संस्कृत के 203, नागरिक शास्त्र के 398, शारीरिक शिक्षक के 51, आज करीब 2400-2500 अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर जरा आप अन्दाजा लगाइये कि बच्चों की स्थिति क्या होगी, वह कैसे पढ़ पाएंगे? जमुवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो अभी बात कह रहे थे, मैं उसका समर्थन करता हूं कि यह वास्तविक स्थिति है कि यह 9, 18 और 27 का लाभ जो शिक्षकों को दिया गया इसका कारण है कि अध्यापक कम मिले। मैं भी एक अध्यापक का लड़का हूं। मेरे पिताजी पंचायत समिति में अध्यापक पर शुरू हुए लेकिन उनके मन में लालसा रहती थी कि मेरी तनख्वाह कैसे बढ़े, मुझे प्रमोशन कैसे मिले। उन्होंने फिर बी.ए. किया, बी.एड. किया, सैकण्ड ग्रेड का प्रमोशन लिया, फर्स्ट ग्रेड का लिया और जिला शिक्षा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए। जब उनको बिना कुछ किये यथा-स्थिति में ही आप लाभ दे देंगे तो न तो वह आगे अपना अध्ययन करेंगे और न उनके मन में आगे कोई लालसा ही होगी। इसलिए इस पर आपको विचार करना चाहिए। आज व्याख्याताओं की जो कमी आ रही है, वह इसी कारण से आ रही है। (व्यवधान) दिया था, उसी के कारण रहे न, यह अब नहीं दे रहे हैं तो नहीं रहेंगे लेकिन उसके रिजल्ट तो अब तक आ रहे हैं इसलिए समान शिक्षा होनी चाहिए। (व्यवधान) कह रहे हैं न बंद कर दिया, पहले ही।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को उद्योग बना दिया गया। आज जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, उनमें जाकर देखिये कि क्या स्थिति है। आज गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। मास्टरों की तनख्वाह सरकारी के वनिस्पत बहुत कम है। किसी को दो हजार देंगे, 1800 रुपये देंगे और बच्चों की फीस है ज्यादा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्राइवेट संस्थानों पर आपका अंकुश नहीं है, चाहे सोफिया स्कूल हो, चाहे महाराजा जयुपर का स्कूल हो, चाहे आपके सेंट एनसल्म हो, चाहे दूसरी शिक्षण संस्थाएं हो, कोई इस तरीके का कानून

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपको बनाना चाहिए कि उन पर भी आपका कोई नियंत्रण हो। उसमें भी कुछ बच्चे जो मध्यम श्रेणी के आते हैं या गरीब परिवार के आते हैं, उनके लिए भी कोई आरक्षण की व्यवस्थ हो। उनको भी यह हक होना चाहिए कि वे भी दूसरे बच्चों के साथ वहां पर पढ़ सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम रिक्त पदों की बात कर रहे थे। यहां पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा यह कहा गया कि 200 उर्दू के अध्यापकों के नये पद सृजित किये जाएंगे लेकिन मुझे यह कहते हुए पड़ा अफसोस होता है कि एक भी पद नहीं भरा गया। एक भी पद। मैं आज पांच सौ रुपये व्यक्ति को दे दूं और उसको कहूं कि इसमें से खर्च एक भी मत करना, तो यह देना थोड़े ही हुआ। आपने 200 उर्दू अध्यापकों के पदों को भरने की घोषणा इस पवित्र सदन के अन्दर, इस उच्च सदन के अन्दर की और उसके बाद एक भी अध्यापक को उसमें नियुक्ति नहीं दी गयी और अब उसी बात को आप इस साल कह रहे हैं, फिर इसको अगली साल कहना और जब चुनाव का साल आये तब आप नियुक्ति देना। कम से कम राजस्थान के भोले-भाले मासूम अल्पसंख्यकों को तो आप इस तरीके का धोखा मत दीजिए। उनको भुलावे में मत रखिये। आज स्थिति यह है कि पहले से 89 पद खाली चले आ रहे थे, वे तो चले आ रहे हैं। 200 पद और सृजित किये, उसमें से आपने एक भी भरने का काम नहीं किया। आपने यह एक नीति बना रखी है कि जहां भी दस छात्र उर्दू पढ़ना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स या छात्र लिखकर दें देंगे तो हम उर्दू अध्यापन की व्यवस्था कर देंगे लेकिन इसको कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात को मनवाने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है आदेश। आप किसी को आर्डर दे दें कि यह करना है। दूसरा होता है उपदेश कि पाप करेगा तो नरक में जाएगा और पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाएगा और तीसरा तरीका होता है आचरण। जो आप दूसरे से चाहते हो वह पहले खुद करो इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी मेरा आपसे निवेदन है कि आपको आचरण के जरिए यह जो घोषणाएं की हैं, इनको अमल में लाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन पदों को तो भरिएं और इस बीच के पीरियड में जो उर्दू अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उस पद को उर्दू अध्यापक के बजाए सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाता है, उसको भी उर्दू अध्यापक का पद रखिये। आज स्थिति यह हो रही है कि कालेज और यूनिवर्सिटीज

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में लड़के नहीं मिल रहे हैं क्योंकि नीचे से पढ़ने वाला आ ही नहीं रहा है। आप एक उर्दू विभाग, पी.एच.डी. खोल दीजिए, यूनिवर्सिटी में खोल दीजिए लेकिन सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में नहीं होंगे तो आपको आगे कहां से छात्र मिलेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्तियों में समान नीति नहीं अपनायी जा रही है। मैंने शिक्षा मंत्रीजी को कहा। मैंने पचांयत विभाग के डाइरेक्टर साहब को भी कहा, कमिश्नर साहब से भी मैं मिला। जम्मू-कश्मीर से बी.एड. करके लड़का आये, अलवर में उनको नियुक्ति दे दी। उनको सवाईमाधोपुर में नियुक्ति दे दी लेकिन बाड़मेर, शिव से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, मैंने इनसे भी निवेदन किया, इन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से और वहां के बी.डी.ओ. से और जिला परिषद के सी.ई.ओ. से बात की लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गयी, परेशान होते रहे। आखिर वे हाईकोर्ट में गये। हाईकोर्ट ने फैसला किया तब जाकर उनको नियुक्ति दी है। इस तरीके का एक उदाहरण मैं आपके समक्ष और रखना चाहता हूं। यह जो शारीरिक शिक्षक थे, इन शारीरिक शिक्षकों को अलवर में तो नियुक्ति दे दी 11 लोगों और भरतपुर में 11 लोगों का सलेक्शन कर लिया गया। चयनित कर लिया। लिस्ट निकाल दी और उसके बावजूद भी आज तक उनको नियुक्ति नहीं दी है। दो साल हो गये, 1998, 20 नवम्बर को 11 आदिमियों की सूची जारी की थी लेकिन आज तक इनको नियुक्ति नहीं दी परेशान होकर घूम रहे हैं इसलिए जिनको चयनित कर लिया, इण्टरव्यू ले लिया, सब कुछ कर लिया और कोई दोष नहीं, अलवर में उनके साथियों को नियुक्ति मिल गयी और भरतपुर में यह परेशान हो रहे हैं।

इसी तरीके से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह कहते हैं कि अल्पसंख्यकों में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों का शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, एक लड़की शबनम शैयद पुत्री श्री शैयद निजामुद्दीन, मैरिट में, लड़के और लड़कियों की दोनों की मैरिट में पहला नम्बर आया। उसने फर्स्ट डिवीजन बी.ए., मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, सीनियर हायर सैकण्डरी में फर्स्ट डिवीजन और बी. पी. एड. में फर्स्ट डिवीजन और इसका मैरिट में फर्स्ट नम्बर, 1997 में इसका आपने चूरू के अन्दर सलेक्शन कर दिया और चयनित करके इसको लैटर जारी भी कर दिया। और उसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी ने आज दिन तक उसको नियुक्ति नहीं दी। वह दर-दर की ठोकरें खाली घूम रही है। ऐसे कौन अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएगा कि इतना होने के बाद भी मैरिट में लड़के और लड़कियों का फर्स्ट नम्बर आने के बाद भी इसको नियुक्ति नहीं मिल रही

(मोहम्मद माहिर आजाद)

है। इसलिए मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरी के इस तरीके के नियम बनायें कि सारे जिलों में एक-सा व्यवहार होना चाहिये। या इनका इस तरह का कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड बने जो प्रदेश स्तर पर इसकी पालिसी तय करे और वहां इन लोगों को जो अपाइंटिंग आथोरिटी है इनको बुलाकर नियम और कायदे-कानून बनाएं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल कायदे-कानून बना देने, नियम बना देने, संविधान में संशोधन करने से पार नहीं पड़ती है। जब तक जो लोग बैठे हैं उसका एक्जीक्यूशन और क्रियान्विति सही तरीके से नहीं करेंगे, वह सही तरीके से करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियुक्ति के मामले में सब जगह समान नीति अपनानी चाहिए।

जहां तक प्राइमरी और अपर-प्राइमरी एजुकेशन का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामरथ यात्रा और पशु मेले का उदघाटन था, माननीय पशुपालन मंत्रीजी और मैं दोनों गये थे। हम तीन-चार गांवों में गये। मैं आपको सही निवेदन कर रहा हूं गांवों के नाम आपको बता देता हूं छापर, रणियाला, घुसेपुर, एडवर्ड मानपुर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जो प्राइमरी और मिडल स्कूल के भवन 1992 में या 1995 में बने, उनमें पट्टियां नहीं ऊपर, नीचे फर्श नहीं। किसी की दीवार टूटी हुई है, किसी ने उसमें जानवर बांध रखे हैं, किसी ने उसमें कूड़ा भर रखा है। मैंने मास्टरजी से बात की कि मास्टर साहब, यह बच्चे बाहर हैं, आप धूप में बैठाकर पढ़ा रहे हो, इतनी तेज गर्मी आ गयी। मास्टरजी कहने लगे अन्दर कब कौनसी पट्टी गिर जाए, मैं यह जोखिम नहीं लेना चाहता। हमने कहा आप इसका प्रस्ताव भिजवाएं, इसकी मरम्मत की कोई व्यवस्था करवाइये। बोले साहब, बीसियों बार जिला परिषद और बी.डी.ओ. को लिख चुके। वह कहते हैं कि मरम्मत के नाम पर, रिपेयर के नाम पर हमारे पास कोई कालम ही नहीं है। कोई बजट नहीं है, कैसे मदद करें। स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां स्कूल भवन बन गये वहां कोई इस तरीके की बिल्डिंग है जिसमें बच्चे बैठ नहीं सकते। उनकी बिल्डिंग बना दी, इसकी रिपेयर की भी आप व्यवस्था कराइये। इसकी सार-संभाल भी हो और जिनके कार्यकाल में बने, उनकी जिम्मेदारी आइद करते हुए उनके खिलाफ भी आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

मैंने पिछले सेशन में भी आपसे एक बात कही थी कि जिन सरपंचों ने पैसा खाया। गलत मस्टरोल भरे और गलत मटीरियल लगाकर और अपूर्ण कार्य छोड़ रखे हैं उनका कोई टाइम फिक्स हो जाए कि इतने दिन के अंदर इनके खिलाफ कोई फैसला हो जाएगा। आज पांच-सात साल से काम चल रहा है, कोई सरपंच रहा नहीं, कोई कहां चला गया, कोई कहां चला

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गया, आप कैसे उसकी जिम्मेदारी आइद करेंगे? आपको कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाना चाहिए और जब भवन बनता है तब उसका इंसपेक्शन होना चाहिये। उसमें पंचायत समिति के जेईएन. का भी हिस्सा होता है, उसमें और लोगों का भी हिस्सा होता है। वह सब मिलकर पास कर देते हैं और अधूरे कार्य का पैसा उठा लिया जाता है। सरकार एक तरफ आर्थिक संकट की बात कर रही है और दूसरी तरफ इस तरीके की स्थिति हो रही है। इसलिए इसमें सुधार लाने के लिए आपको यह काम करना चाहिये।

जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शिक्षा मंत्री डा. बी. डी. कल्ला जी ने खुद, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. पी. सी. व्यास जी ने सारे विधायकों को चिट्ठी लिखी की आप अपने विधायक कोष का जो पैसा है, उस पैसे में से कुछ पैसा हमको कम्प्यूटर के लिए दे दें, हम कम्प्यूटर शिक्षा या तकनीकी शिक्षा लागू करना चाहते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक एक विधायक ने भी अपने पैसे में से, कम्प्यूटर के लिए मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी की अपील को नहीं माना होगा। उसका एक कारण है। पहले जो कम्प्यूटर खरीदे गये वही बेकार पड़े हैं, उनका उपयोग ही नहीं हो रहा है, उनको चलाने वाला ही नहीं है। इसलिए आप तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। अभी कई सदस्य कह रहे थे माननीय संयम लोढ़ा जी कह रहे थे कि राजीव गांधी का एक सपना था कि हम इस तकनीकी शिक्षा के जरिये देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। लेकिन इसका कोई सैट-अप तो बनाएं, कोई इसका प्लान तो बनाएं, इसकी रूपरेखा तो बताइये कि आप किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। आपकी स्थिति तो यह हो रही है। इस तकनीकी शिक्षा के बारे में एक तरफ आप तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि राजस्थान पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में, राज्य के 14 पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत गणित और अंग्रेजी के 24 प्रवक्ताओं को आपने सरप्लस घोषित कर दिया और सरप्लस घोषित करके अब आप कह रहे हैं कि हम तो 150 रुपये पर-डे पर जो टेम्परेरी—

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बंद करने की घण्टी बजायी है, आप थोड़ा ध्यान रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, ठीक है। घण्टी आप बजाते रहिये, मैं अपनी बात कहता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कहते नहीं रहोगे, समाप्त करोगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको सरप्लस कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके गवर्नमेंट आफ राजस्थान का फाइनेंस एक्सपेंडिचर फर्स्ट डिवीजन ने मिनिट्स आफ द मीटिंग बजट फाइनेंस कमेटी, नॉन प्लान 2000-2001, इसमें आप कह रहे हैं कि 162 पद रिक्त हैं। 162 पद आप रिक्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन 14 पोलीटेक्निक कालेज के गणित और अंग्रेजी जैसे इम्पार्टेंट विषय, इसके बिना आप क्या टैक्निकल एजुकेशन देंगे। उन 24 को सरप्लस कर रहे हैं और जो आर.पी.एस.सी. से सलेक्ट हुए हैं, दस साल से, आपके यहां शिक्षा अर्जन का काम कर रहे हैं, दस साल का अनुभव है और इनको हटाकर इनकी जगह आप कह रहे हैं कि हम 150 रुपये रोज पर टेम्परेरी लोगों को लगाकर उनसे पढ़ाएंगे। किस तरीके की टैक्निकल एजुकेशन देना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिन लोगों को अनुभव है, उन लोगों की सेवाओं का उपयोग लीजिए। इनको सरप्लस करने से कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। आपका मसाला भी खतम हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं हुआ, नहीं, मेरे पास बहुत है अभी। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि अभी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं की बात कही गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम जो मजदूरी करने वाले आदमी हैं, उसको 60 रुपये मिनिमम मजदूरी देने की बात करें और जिससे हम शिक्षा दिलवा रहे हैं, अध्ययन का कार्य करवा रहे हैं, उसको 1200 रुपये दे रहे हैं। इसलिए इस संबंध में मेरा आपसे एक निवेदन है कि उस वक्त तो जल्दबाजी में आपसे गलती हो गयी और आपने आठवीं पास, दसवीं पास, जो भी मिला, उसको लगा दिया। काश, इसकी जगह आप उस गांव में जो एस.टी.सी. ट्रेण्ड या बी.एड. ट्रेण्ड शिक्षित बेरोजगार बैठा है, उसको आप लगाएं तो वह इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, कि मैं हो सकता है कभी परमानेंट भी हो जाऊं। वह बच्चों को जरूर शिक्षा दे पाएगा और नहीं तो कम से कम आप इसको 1200 से बढ़ाकर 1800 कीजिए।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आपको महिला शिक्षा पर जयादा जोर देना चाहिये क्योंकि पुरुष पढ़ता है तो एक अकेला इफरात पढ़ता है, एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन पढ़ता है और महिला और बालिका पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है, एक परिवार पढ़ता है। और खासकर मैं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर के लिए मांग करता हूं कि आप वहां महिला पोलीटेक्निक, महिला

(मोहम्मद माहिर आजाद)

एजुकेशन के केन्द्र खोलिए। अगर सरकारी क्षेत्र में आपके आर्थिक संकट है, नहीं खोल सकते तो आप प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, पब्लिक सेक्टर में यह दीजिए। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में चाहे ए.एन.एम. आती हों, चाहे बी.एड. करके टीचर आ रहे हों, चाहे बिहार से आ रहे हों, चाहे कश्मीर से आ रहे हों, चाहे कर्नाटक, महाराष्ट्र से आ रहे हों, क्यों नहीं हम राजस्थान में भी प्राइवेट सेक्टर में टैक्निकल एजुकेशन के और इस तरीके के अन्य प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोलते? इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको खोलना चाहिये महिलाओं के बारे में।

एक निवेदन मैं विश्वविद्यालय के बारे में करना चाहता हूं। पूर्व शिक्षा मंत्रीजी, अभी यहां बैठे थे, कहीं चले गये। पिछले सैशन में अपनी रिप्लाई में यह बात कही थी कि राजस्थान में उच्च शिक्षा अन्य प्रान्तों की वनिस्पत सस्ती है। लेकिन अभी आज ही समाचार-पत्र में आया है और तीन-चार दिन से बराबर आ रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो परीक्षा शुल्क है, उसको चार गुना या पांच गुना बढ़ाने जा रहा है और उसने अपनी सलाहकार समिति में इस तरीके का प्रस्ताव भी ले लिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि फीस को आप एक हद तक 10-15-20 प्रतिशत से बढ़ा सकते हैं लेकिन आप चार गुना या पांच गुना वृद्धि करेंगे तो यह छात्रों के साथ अन्याय होगा। इस तरीके का जन विरोध के लिए इनको कदम नहीं उठाना चाहिये।

अन्त में, मैं दो-चार सुझाव, क्योंकि मंत्रीजी के पास विशिष्ट योजना संगठन भी है, उसमें मेवात विकास बोर्ड आता है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मेवात विकास बोर्ड से संबंधित मैं दो-तीन सुझाव और देना चाहता हूं। मेवात विकास बोर्ड की पहली मीटिंग जब माननीय सी.पी. जोशीजी ने ली थी तब यह कहा था कि बी.जे.पी. के शासन काल के अंदर मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर तीन महीने में कम से कम एक मीटिंग हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि डेढ़ साल होने आया, एक ही मीटिंग हुई, उसके बाद दूसरी मीटिंग नहीं हुई। इसलिए नियमित रूप से मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग भी होनी चाहिए। और इसका बजट जो दो करोड़ था इसको घटाकर पिछली साल एक करोड़, सवा करोड़ किया। और अब मेवात विकास बोर्ड का यहां जो जवाब मुझे दिया है इसमें तो केवल 58 लाख 62 हजार रुपये कर दिये। अलवर के लिये 39 लाख 8 हजार और भरतपुर के लिये 19 लाख 54 हजार।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि मेवात क्षेत्र के विकास के लिये इस बजट को पूर्व की तरह दो करोड़ किया जाना चाहिये। इस बजट को बढ़ाया जाना चाहिये और इस बजट के जरिये जो विकास के कार्य किये गये हैं, वह ऐसे क्षेत्रों में किये गये हैं जहां मेवाती लोग रहते ही नहीं हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। इन्होंने उठाकर ढाबक में, चीरथला में रसिया में, करोडर में, पालका में, पेंडगा में जहां एक भी मेव कम्युनिटी का मकान नहीं है, वहां कहीं स्कूल बना दिया, कहीं पशु चिकित्सालय बिना स्वीकृति के बना दिया, कहीं सड़क के ग्रेवल के नाम पर पैसा दे दिया। जिस भावना से मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था, उस हिसाब से इसके कार्य स्वीकृत किये जाने चाहिये। एक मांग यह करना चाहता हूं कि मेवात विकास बोर्ड की धनराशि से जो कार्य स्वीकृत किये जाएं उसका अधिकार पब्लिक सर्वेंट को नहीं होकर जन-प्रतिनिधियों को होना चाहिए। इसमें पांच तहसीलें अलवर की आती हैं और तीन विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के आते हैं, आठों विधायकों की राय लेकर के इस पैसे का उपयोग विकास में लेना चाहिए।

(18.00 बजे)

अंत में एक आखरी सुझाव मैं आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं 1974 से 1977 तक माननीय मोहन लालजी छंगाणी शिक्षा मंत्री थे और स्वर्गीय फारूक हसन साहब राज्य शिक्षा मंत्री थे। एक तरफ आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं दूसरी तरफ सारे विभागों को एक ही जगह केन्द्रित कर लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देता हूं कि 1974 से 77 के बीच भी यह आदेश निकाल दिये गये थे, यह निर्णय हो गये, यह बंटवारा हो गया था कि थर्ड ग्रेड और सैकण्ड ग्रेड के टीचर्स के काम-काज, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारे शिक्षा राज्य मंत्री करेंगे। आज हमारे शिक्षा राज्य मंत्रीजी खाली बैठे हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ बोर्ड करता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विकेन्द्रीकरण करते हुए कम से कम सैकिण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर्स का भार राज्य मंत्री पर हो। माननीय सी. पी. जोशीजी, अगर आप एम.एस.सी., फिजिक्स हैं तो श्री अब्दुल अजीज साहब भी बी.एस.सी. और एल.एल.बी. हैं। पढ़े-लिखे आदमी हैं इसलिए कम से कम थर्ड ग्रेड और सैकिण्ड ग्रेड के टीचर्स तक का काम तो कुछ विकेन्द्रीकरण करते हुए, डि-सेंटरलाइज करते हुए आप शिक्षा राज्य मंत्रीजी को दीजिये। इसका सुझाव देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जयहिंद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लालजी। आपकी उनके साथ चल रही नहीं दिखे इसलिए चाहते हो आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मेरी उनसे खूब चलती है, मैं तो इनकी बात करता हूं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा, सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की मांग पर चर्चा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है राजस्थान के गांवों के अन्दर एक वातावरण बन गया है कि अब यह विकास के कामकाज हो नहीं सकते। इसका सीधा सा कारण है। क्योंकि जब से सरकार बनी है एक ही प्रचार-प्रसार इन्होंने किया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसके लिए मैं निवेदन कर सकता हूं कि भारत सरकार की जो स्पोन्सर्ड योजनाएं हैं, चाहे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हो, उपाध्यक्ष महोदय, इसका अचीवमेंट केवल 5.47 परसेंट रहा है जो हमारे लिये विशेष चिंता की बात है। दूसरी, इंदिरा गांधी आवास योजना, जो गांव के गरीबों के लिए आवास उपलब्ध करवाने की योजना है, जिसका अचीवमेंट केवल 71 परसेंट रहा है। आश्वासित रोजगार योजना 44 परसेंट है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजयोजना का 4.73 परसेंट अचीवमेंट है, उपाध्यक्ष महोदय। नेशनल ओल्ड एज पेन्शन, जिसमें गांव के जो लोग हैं उनको पेन्शन मिलती है, आपका उसका अचीवमेंट है 5.09 परसेंट। इस प्रकार से कोई भी योजना आप देख लीजिये, सारी की सारी योजनाओं की ओवर आल जो उपलब्धि आप कह सकते हैं वह 40 परसेंट रही है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार अपना 50 परसेंट भी योजनाओं का अचीवमेंट नहीं ले सकती तो वह सरकार गांवों का, गरीबों का कैसे विकास करेगी, गांव में कैसे काम करेगी? यह हम सब के लिए बड़ी चिंता की बात है।

(18.04 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार भारत सरकार की जिन योजनाओं में अपना अंशदान देना होता है उनको तो पूरा नहीं दे पाती इसके अलावा जो सेंट-परसेंट, हंड्रेड परसेंट भारत सरकार की स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब है। एक यह जो योजना है, सेनिटेशन प्रोग्राम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, इसकी उपलब्धी इस वर्ष में जीरो परसेंट है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, पंचायत राज मंत्रीजी, सामुदायिक विकास बगैर गांवों के अन्दर पैसा लगाये नहीं हो सकता और जब से आपकी सरकार बनी है आपने गांवों की पूरी उपेक्षा कर दी है। आपकी राजस्थान सरकार की तो विकास की कोई योजना ही नहीं है। भैरोंसिंहजी ने जो अपना गांव

(श्री सांवर लाल)

अपना काम योजना चलायी थी उसमें भी आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास किसी भी योजना को चलाने के लिए पैसा नहीं है। भारत सरकार जो पैसा देती है उस योजना को भी आप पूरा नहीं करके ग्रामीण जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हो। एक ओर आप कहते हो कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है और दूसरी ओर जो पैसा मिलता है आप अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखते, पैसा आपकी सरकार कंट्रीब्यूट नहीं करती इस वजह से समय से उन योजनाओं की उपलब्धी नहीं हो पाने से गांव के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा।

सभापति महोदय, एक बात और कही गयी। अब की बार पंचायत राज चुनाव में जो सफलता मिली है उसका बहुत ज्यादा इनको अंहकार हो गया और यह कहते हैं कि जनमत हमारे साथ है। सभापति महोदय, मैं माया में आया हुआ एक आर्टिकल है, उसकी दो-चार लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। "इस बार पंचायत चुनाव के तय शुदा कार्यक्रम को झटका देने के लिए कर्मचारी हड़ताल के राजनीतिकरण का नियोजित प्रयोग हुआ। हड़ताल हुई लेकिन पंचायत चुनाव को हकीकत में बदलने का इंतजाम गहलोत सरकार ने शिक्षाकर्मी योजनाओं से लाभांवित हुए शिक्षा कर्मियों के सहयोग से कर लिया। परिणामस्वरूप स्थापित हुआ कि हजार खामियों के बावजूद ग्रामीण मतदाता तेजी से भाजपा का मोह छोड़ कांग्रेस की ओर आ गया।" सभापति महोदय, इस बार चुनावों में इनका जो उपयोग किया गया उसकी वजह से राजस्थान के पंचायत राज चुनाव में पहली बार गांव के अन्दर अशांति का माहौल रहा, और इसके लिए आप चाहो तो मैं कुछ आंकड़े भी आपकी सेवा में पेश कर सकता हूं। पहली बार पंचायत राज चुनाव में राजस्थान के अन्दर मर्डर हुआ। इसके अलावा कोई मुकदमें थानों में दर्ज हुए हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमेशा होते हैं।

श्री सांवर लाल : मुख्य सचेतक महोदय, यह सब आप लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक करवाया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पिछले चुनाव के आंकड़े और देख लो आप उठाकर, उनके वनिस्पत अब की बार कम हुए हैं।

श्री सांवर लाल : पिछली बार तो बिलकुल शांति रही है और अगर आपके पास इनके अलावा आंकड़े हैं तो आप दे देना। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, इनसे ज्यादा अगर हो तो दे देना आप।

श्री सभापति : आगे बढ़ो।

श्री नाथूराम अहारी : आप तो विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री सांवर लाल : विषयान्तर क्या है, मैं जान रहा हूं, माननीय सदस्य। मेरा निवेदन

(श्री सांवर लाल)

है कि इस बार जो चुनाव हुआ उसमें भयंकर धांधलियां की गयीं और जनता स्वतंत्र वोटिंग करती तो उसका रिजल्ट भी कुछ और ही होता।

सभापति महोदय, जब यह सत्ता में नहीं आये एक घोषणा पत्र जारी किया और जनता के साथ बहुत बढ़-चढ़ कर वायदे किये- निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार नौकरशाहों को सौंप दिये गये। कांग्रेस अपनी पुरानी मान्यताओं और आस्थाओं को दोहराते हुए घोषणा करती है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पंचायत राज संस्थाओं को पुराने अधिकार वापस दिलाये जायेंगे। इन संस्थाओं को ज्यादा प्रशासनिक, वित्तीय अधिकार देकर मजबूत बनाया जायेगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : बनाया है।

श्री सांवर लाल : बनाया जो सुन तो लेओ न। आपको तकलीफ हो रही है कि एलर्जी हो रही है सुनने से?

श्री अब्दुल अजीज : शिक्षा पर बोलिये, आप पंचायत राज पर बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, यह पंचायत राज मंत्रीजी से मैंने एक सवाल किया था।

श्री अब्दुल अजीज : आज सब्जैक्ट शिक्षा पर है, शिक्षा पर बोलिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पंचायत पर भी है। आपको क्या पता पंचायत क्या है। आप बिना महकमे के हो।

श्री सांवर लाल : अब आपके पास तो कोई महकमा नहीं है न, आप बिना महकमे के हो। बोर्ड बैठा हुआ है आपके ऊपर तो।

सभापति महोदय, मैंने एक अतारांकित प्रश्न किया माननीय मंत्री महोदय से।

श्री सभापति : बोलिये, सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को सुना तो दूं, उनका जवाब तो उनके ध्यान में है कि नहीं है।

मंत्री महोदय से मैंने एक सवाल किया था। यह कहते हैं पंचायत राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को मजबूत करेंगे। यह विभाग का मंत्रीजी के अनुमोदन के बाद मेरे ख्याल से जवाब होगा। क्या उक्त स्थानान्तरण नियम व कानून संगत हैं? मंत्रीजी कह रहे हैं, जी नहीं। यदि नहीं, तो क्या सरकार कानून के उल्लंघन पर उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाकर के कार्यवाही की जायेगी? सभापति महोदय, चार-चार, छह-छह महीने में जब सरकार मान रही है और मंत्रीजी कहते हैं मैं बहुत काम्पीटेंट हूं, बड़ा-पढ़ा लिखा हूं, कानून का ज्ञाता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : आप से कम पढ़ा-लिखा हूं मैं। आप जितना पढ़ा-लिखा नहीं हूं मैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह आप ही का जवाब बता रहा हूं मैं। अगर आपकी नीयत यह हो कि आप केवल कागजों में अधिकार दे रहे हों और बाकी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं वहां पर आप विकास अधिकारी से ही काम करवाना चाहते हैं तो कह दो हमको।

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट, आप मेरी बात सुनिये। एक तो मेरे को वह फीगर्स वापस करेक्ट कर दें जो आपने साइट की है कि 5 परसेंट पैसा ठीक यूज हुआ है, I will be very happy,....

श्री सांवर लाल : कौनसा?

श्री सी. पी. जोशी : जो आपने रूरल डवलपमेंट के फीगर्स साइट किये हैं।

श्री सांवर लाल : हां।

श्री सी. पी. जोशी : जिसमें आपने कहा कि एस. डी. एस. वाई में पांच परसेंट।

श्री सांवर लाल : एस. डी. एस. वाई. है 5.46 परसेंट।

श्री सी. पी. जोशी : यह जो कागज है, जो आपका सोर्स है वह दे दें तो मैं ठीक कर लूं। कम से कम मैं अपने आपको करेक्ट कर लूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकारी सोर्स है, कोई निजी सोर्स तो होता नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : आप बता दें कौनसा सोर्स है, जानकारी मिल जायेगी।

श्री सांवर लाल : आपके इस सरकारी महकमे से ही लिया है हमने, और कहां से लायेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : वह महकमा कौनसा है, यह ध्यान रहे न मेरे को। आपको पता नहीं शायद अभी तक पुराना ही महकमा चल रहा हो।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, यह 16.3 तक की परफोमेंस है, कोई 14 दिन में आपने तीर मार लिया तो मुझे पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं यह फाइनेंशल प्रोग्रेस ऑफ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्टर रूरल डवलपमेंट। यह मार्च का है।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रोफेसर सांवर लालजी नहीं बता सकते जो आप बता रहे हो।

श्री सांवर लाल : एक ही बात है जो सब स्थानों में है। (व्यवधान) आपके 40 प्रतिशत से ज्यादा हो तो तो बता देना।

श्री सी. पी. जोशी : यह मेरे आंकड़े 40 परसेंट हो सकते हैं माननीय सांवर

(श्री सी. पी. जोशी)

लालजी साहब, आपके मंत्री जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनसे जांच करके करेक्ट कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप एक जिम्मेदार विधायक हैं। आप मंत्री रहे हुए हैं। जिस मंत्रीजी को साइट कर रहे हैं। भारत सरकार में भी हम आंकड़े भेजते हैं जहां आपके मंत्री हैं।

श्री सांवर लाल : आपकी बात सुन ली मैंने।

श्री सी. पी. जोशी : प्रोफेसर सांवर लालजी, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम यह तो कहते कि आंकड़े हम 16 के ही क्यों कहते हैं? फिर तो पिछले साल भी करते न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी 16 मार्च को।

श्री सी. पी. जोशी : पिछली साल भी करते न। इसीलिए मैंने कहा न। या तो आंकड़े देने चाहिए थे आज के या देते अगली साल के या पिछले साल के देते। अपन वही बात रखें जो चीज सामने हो। कम से कम चीज तो सामने हो।

श्री सांवर लाल : अच्छा आप विराजें। अगर आपने 14 दिन में कोई विशेष प्रोग्राम कर दिया हो और इस तरह से ही फण्ड का अगर उपयोग करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप 14 दिन में कर सकते हैं और 350 दिन में नहीं कर सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 14 दिन तक टोटल फण्ड का यूटिलाइजेशन करके भारत सरकार के पास यू. सी. आप पेश कर देते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : इसके बारे में क्या कहना है माननीय मंत्री महोदय? जो मैंने कहा आपने जवाब दिया। आंकड़ों के ऊपर तो आप आ गये। यह तो आपके अधिकार की बात है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया उठा चुके हैं। मैं इसका जवाब दे दूंगा। आपको दुबारा उठाना ही नहीं चाहिए। माननीय गुलाब चन्दजी ने इस चीज को उठा लिया है।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन है कि कानून में जो ट्रांसफर इलीगल होता है वह नल एण्ड गोल्ड होता है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो एक्स जगह से वाई जगह पर बैठा हुआ है और इलीगली बैठा हुआ है। इस जिम्मेदारी को तय करिये। तब तो आपको जानेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : इस जिम्मेदारी को करने का, मैंने कहा कि आपके नेता प्रश्न उठा चुके हैं। आप इन्तजार करें। मैं जवाब दे दूंगा। आप क्यों एजीटेट कर रहे हैं?

श्री सभापति : आप भिनाय की बात करते-करते कहां पहुंच गये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी, पूरा जवाब देखना पड़ेगा।

श्री सांवर लाल भिनाय और राजस्थान एक ही बात है। राजस्थान से अलग थोड़े ही है साहब।

श्री सभापति : आप शिकायत तो करते रहते हैं भिनाय की।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 166 व्याख्याता हैं वे ऐसे लगे हुए हैं मेडिकल की तरह। माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटीज में भर्ती होती नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में चार सेक्शन और बढ़ गये हैं। वर्क लोड हो गया तो वी. सी. की छाती पर जाते हैं तत्काल भर्ती करनी पड़ती है। एक बात और उन्होंने कही है कि तत्कालीन सचिव ने यह टिप्पणी की। अगर सचिव के भरोसे ही राज चलाना है तो जनता के बीच में हमको जाना और जनता के ग्रिवेंसेज सुनने की आवश्यकता नहीं है। सेक्रेटरी क्या टिप्पणी करता है उसके ऊपर सरकार को फैसला करना है। 20-20, 25-25 वर्षों से राजस्थान विश्वविद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों के भविष्य के साथ आप क्या करना चाहते हैं? उनको यह कहो कि आरक्षण देना है तो दीजिए आप। कौन मना करता है? चाहे एस.सी. के लिए चाहे एस.टी. के लिए हो। आने वाली पोस्ट पर तो आप रिजर्वेशन कर दीजिए। अगर हम यह कहें कि उनकी भर्ती इलीगल है यह कतई मैंनेज चीज है इसलिए उन लोगों को जो 20-20 छोरा-छोरी वहां से पढ़-पढ़ कर चले गये। कई बच्चे तो वहां नौकरी लग गये। उनमें शिक्षा के बारे में इस प्रकार की बात कहना कि_

डा. करण सिंह यादव : आप एडहॉक में थोड़े ही हो। आप चिन्ता क्यों कर रहे हो?

श्री सांवर लाल : साहब, मैं मेरी चिन्ता नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी कर रहा हूं जिनकी चिन्ता करनी चाहिए। और मुझे तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप मण्डल आयोग में आओगे कि नहीं? मैंने कहा कि हमारे समाज के लड़कों को आने दीजिए। मेरे को आने की जरूरत नहीं है। मैं एम.एल.ए. बन गया और राजस्थान विश्वविद्यालय का लेक्चरर हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कोई बात कह रहा हूं। जिनके साथ बीत रहा है उनकी बात थोड़ी बहुत सुनो आप।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, बहुत विद्वान हैं। गई बार इन्होंने बहुत स्कूल्स क्रमोन्नत करवाये हैं और बजट था उसमें भी 120 करोड़ की बचत कर ली। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसा कौनसा मेजिक आपने कर

(श्री सांवर लाल)

दिया? समानीकरण के नाम से जो स्टैण्डर्ड बने हुए थे कि इतने टीचर यहां पर रहेंगे और इतने यहां पर रहेंगे, उन टीचर्स की कटौती आपने कर दी। इसी जगह जहां पर क्रमोन्नत किया इन जगहों पर आपने भेज दिया और कई जगह अनियमितताएं हैं, उनकी बात तो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि यह तो आपकी प्रशासनिक पकड़ के ऊपर है आपके अधिकारी जैसा आप आदेश देते हैं वह करते हैं या नहीं करते हैं पर जो नीति आपने बनायी है कि समानीकरण करके और विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया और इस बार भी शिक्षा विभाग के बजट में किसी प्रकार की विशेष बढ़ोतरी नहीं है जिसके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी 200 सैकण्डरी को सीनियरी सैकण्डरी कर दें, 200 मिडल को सैकेण्डरी कर दें और 1000 मिडल स्कूल्स कर दें फिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह के पदों की कटौती करके हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह शिक्षक भेजने लग गये जो शहर के शिक्षक हैं वे आज तक नहीं गये। अजमेर के शिक्षक नहीं गये। अभी माननीय कटारियाजी कह रहे थे कि दूसरी जगह भी नहीं जाएंगे और हमारे जो छात्र हैं उनको पढ़ाने वाले शिक्षक तो होंगे नहीं। केवल स्कूलों का नाम होगा कि यह सीनियर है, यह सैकण्डरी है और यह मिडल स्कूल है इसलिए मंत्री महोदय, आप वही काम करो कि जो आपको बजट मिले। बजट के अलावा इस प्रकार की कटौती करके स्टेण्डर्ड में करने लग गये तो छात्रों के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं होगा और 49 पर एक, आठवीं में 49 होंगे। छठीं, सातवीं और आठवीं में तो एक बढ़ायेंगे। बता दीजिए आप। आपके बजट में...

श्री सी. पी. जोशी : आप समानीकरण के पक्ष में या गुलाब चन्दजी कटारिया जो कह रहे हैं उसके खिलाफ हैं। आप बता दीजिए कि आप समानीकरण के पक्ष में हैं या खिलाफ?

श्री सांवर लाल : मैं कह रहा हूं कि मैं इन चीजों के पक्ष में नहीं हूं जो नारमल एक्जिस्टिंग स्टैण्डर्ड है। उस स्टैण्डर्ड को आप बनाकर आप कटौती कर रहे हैं। आप सदन को कांफिडेंस में लेते।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी जो आपकी पार्टी के थे जिसमें आप भी मंत्री थे। क्या आपको मालूम है कि यह नीति उस समय बन गयी थी? यह जानकारी है कि नहीं, बाई द वे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कि यह चालू थी।

श्री सी. पी. जोशी : नहीं कटारियाजी, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं। आप तो शिक्षा मंत्री थे। आपने अभी यह कहा बड़े गर्व से...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : संख्या को बढ़ाकर कटौती नहीं की गयी है।

श्री सी. पी. जोशी : प्रोफेसर सांवर लालजी, आपको भी यह मालूम है कि नहीं कि समानीकरण की जो प्रक्रिया है वह तत्कालीन शिक्षा मंत्री कटारियाजी के समय में पास हुई थी। उस समय ये मंत्री थे। उस समय पास हुई है।

श्री सांवर लाल : अब हमको पता नहीं। आप हमारी नीतियों को ही काम में ले रहे हो तो लेओ। फिर उसी तरीके से लेओ न। हमने पास किया था 40 के ऊपर। आपने 49 कर दिया।

श्री सी. पी. जोशी : उसी तरीके से लें रहे हैं जिस तरीके से गुलाब चन्दजी कटारिया ने चालू की थी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : समानीकरण की नीति उस केविनेट में लागू नहीं हुई थी और जो आपने लागू की है वह भी गलत है। आपने अपने घोषणा पत्र में एक दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सन 2000 तक ग्रामीण क्षेत्रों में तीनों संकाय प्रारम्भ कर दिए जाएंगे। आपने बात तो कही लेकिन कहीं एक विषय भी खोला हो तो बता दीजिए। तीन संकाय का नाम आप ले रहे हो कि हम तीनों संकाय कर देंगे लागू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीनों संकाय? इसमें लिखा है?

श्री सांवर लाल : हां। इसमें लिखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस घोषणा पत्र में?

श्री सांवर लाल : हां। माननीय सभापति महोदय, बड़ा प्रचार प्रसार किया था।

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : आपने पढ़ा ही आज है। पहले पढ़ा ही नहीं कभी।

श्री सांवर लाल : और प्रचार प्रसार यह कर रहे हैं कि हम अधिकार सम्पन्न बना देंगे।

एक माननीय सदस्य : आपको पढ़ना सिखा दिया।

श्री सांवर लाल : आपका तो किशनपोल से आगे कोई काम ही नहीं है उप-मुख्य सचेतक महोदय। काहे को लफड़े में पड़ रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका काम नहीं पड़ेगा।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, आज जिला प्रमुख की हालत, अध्यक्ष बना दिया डी.आर.डी.ए. का और मीटिंग के अन्दर जितनी दयनीय स्थिति होती है, उनको है क्या? आज कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए माननीय मंत्री महोदय, अगर आपको अधिकार देने हैं तो अधिकार दीजिए। केवल बात करने से और लोगों को गुमराह करने से अधिकार नहीं हो जाएंगे। अब आप कहते हो हमने इंजीनियरिंग कालेज खोल दिये,

(श्री सांवर लाल)

पोलीटेक्निक खोल दिये। अब 1999-2000 में चूरू पोलीटेक्निक में 40 छात्रों को प्रवेश दिया है। वे 40 छात्र बीकानेर में पढ़ रहे हैं। आप क्या करना चाहते हो माननीय मंत्रीजी? आप खोल तो रहे हैं चूरू में और पढ़ रहे हैं बीकानेर में। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा आप सुधारिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : पर्चा अलग आउट हो गया।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अब अधिकारियों का एक नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, यह जो निष्पादन आय-व्ययक, 2000-2001, उच्च शिक्षा विभाग। इसका पेज चार और पांच देखें। इसमें लिखा हुआ है आय व्यय अनुमान 1999-2000, संशोधित अनुमान 1999-2000 फिर आगे दिया है आय-व्ययक अनुमान 2000-2001 अब यह दिया है। राशि रुपयों में है या पैसों में लाखो में है करोड़ों में है या हजारों में है, यह कुछ भी नहीं है। आखिर कम से कम यह पत्र जारी करें उससे पहले कुछ तो लिखना चाहिए। यह राशि जो दी जा रही है यह राशि लाखों में है या करोड़ों में है? इतनी लापरवाह ब्यूरोक्रेसी है और डाक्टर साहब ब्यूरोक्रेसी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से डाक्टर साहब तारीफ करते हैं तो हालत बड़ी खराब हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ब्यूरोक्रेसी से निकलकर आये हैं न इसलिए।

श्रीमती बीना काक : आपके टाइम की आदत पड़ी हुई है। सुधर जाएगी।

श्री सांवर लाल : हमारे टाइम में तो + + + इधर उधर। आपके यहां तो देखते ही नहीं हैं कि मंत्रीजी बैठे भी हैं कि नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। आप अपनी बात कहें और भाषण समाप्त करें।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में चर्चा नहीं हो।

श्री सांवर लाल : चाहे पंचायत राज का क्षेत्र हो। गांवों को बड़ा निराश किया। सभापति महोदय, राजीव गांधी के नाम से, जिनके नाम से सारे के सारे यहां बैठे हुए हैं। उस नाम को ही इन्होंने बदनाम कर दिया। 15-1500, 11-12000 स्कूले खोल रहे हैं। स्कूल किसको कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन आफ स्कूल। आप 1200 रुपये के स्कूल को मान्यता दे रहे हैं। आज राजीव गांधी के नाम से 5000-5000 रुपये तनख्वाह देते तो हम भी कहते कि इन्होंने अपने

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

नेता के प्रति सम्मान दिखाया। अगला स्वर्ग में गया। सब लोग उनके पीछे यहां बैठे राज कर रहे हैं। और 12-12000 रुपये एक मजदूर को नहीं देती राजस्थान सरकार, हिन्दुस्तान सरकार। वह इस प्रकार का मानदेय दे रहे हैं। यह मानदेय है या अमान है इसके ऊपर भी आप जरा विचार कर लो। शिक्षा मंत्रीजी अगर वास्तव में आपकी थोड़ी बहुत भी श्रद्धा राजीव जी के प्रति है तो हमारा सुझाव मान लें और इनका मानदेय कहो चाहे कुछ भी कहो, अगर मान ही बढ़ाना है तो पांच-पांच हजार रुपये कर दो।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय प्रोफेसर साहब जो राजीव गांधी स्वर्ण जयंति पाठशालाएं खोली हैं, मध्य प्रदेश में भी खोली गयी थी, यहां भी उसी पैटर्न पर खोली, आपकी केन्द्र सरकार ने इन पाठशालाओं की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि हम भी इस पैटर्न पर जो राज्य सरकार यह खोलेगी उनको पैसा देंगे। आपकी सरकार ने प्रशंसा की है और आपके वित्त मंत्रीजी ने प्रशंसा की है और आप आलोचना कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : कोई प्रशंसा नहीं की।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री परसादी लाल : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने जो स्कूलें खोलीं उनकी प्रशंसा की है।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, आज तक अगर किसी अखबार में कोई प्रशंसा आयी तो आप बता दीजिये। अगर राजीव जी के नाम से पांच हजार रुपये किसी पढ़ाने वाले को देने में आपको तकलीफ है तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार का शिक्षा का वातावरण बना है, माननीय सभापति महोदय, यह 1200 रुपये तो घंटे, दो घंटे जो प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ाते हैं उनको दिये जाते हैं। आप पाठशाला कैसे कह सकते हो। नये-नये जो गांव के बच्चे हैं उन बच्चों का भविष्य आप इसी लेवल पर साफ करना चाहते हो। अगर आपका यह इरादा हो तो बहुत चिन्ता की बात है। मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो वातावरण बन रहा है यह पूरा का पूरा वातावरण ग्राम विरोधी वातावरण है और सरकार के खिलाफ भी लोगों का माहौल बन रहा है। मैं तो आप लोगों को सावचेत करना चाहता हूं। एक साल में आपने ऐसा वातावरण बना लिया, अगर इसी प्रकार की रीतियां-नीतियां चलती रहीं तो दो तीन साल के बाद आप जाओगे कहां गांवों के अन्दर? यह बड़ी चिन्ता का विषय है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ताम्बीजी। आपका इरादा नहीं है तो अहारीजी को बुला दूं।

श्री रतन लाल ताम्बी : जैसा आप चाहे...

श्री सभापति : हां, बोलिये अहारीजी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा, कला संस्कृति, तकनीकी शिक्षा और सामुदायिक विकास के बारे में चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें शरीक करना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में अभी हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने खूब कांग्रेस की बुराई की है, राजीव गांधी के बारे में बुराई की है लेकिन इनको यह याद है कि यह गरीबों के बड़े हिमायती बनते हैं इन्होंने पैसा लेकर स्कूलें खोलीं यह आपको मालूम है। इतनी बढ़ चढ़ कर कैसे बात कर रहे हैं। आपको यह कहते समय और तय करते समय +++ भी नहीं आयी कि पैसा लेकर कभी हुआ है ऐसा? कभी भी नहीं हुआ है ऐसा। इसके बाद मैं कटारिया साहब को भी कहता हूं कि मैंने नवागांव, पुणाली, कहारी और सिसोद में.. (व्यवधान) मेरी बात सुनिये आप तीन स्कूलें खोलीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे कार्यकाल में जितनी स्कूलें खुली उतनी किसी साल में, किसी सरकार में मिली हों तो बता दो।

श्री नाथूराम अहारी : आप मेरी बात तो सुनो। तीन स्कूलें हमने खुलवाई थी लेकिन आपने उनको कैन्सिल करवाया और इस साल मैंने खुलवाई हैं। यह नजरिया है आपका गरीबों के प्रति। आप क्या करते हैं।

यह आपका नजरिया है। इसके साथ ही मैं ललित किशोर चतुर्वेदी के बारे में भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे यहां 5-6 साल से रोड खराब पड़ी थी उसके लिए मैं भूल से चला गया था, उनको मैंने लिखित दिया। मैं क्या करूं इनके पास पहुंच गया तो मैं लिख दूं। फलौद में रोड टूटा हुआ है पांच साल हो गये तो इन्होंने लिख दिया कि सात दिन के अन्दर इस रोड को ठीक करा दिया जाएगा। सात दिन, आप चले गये तब तक नहीं किया और वह अब कराया है। यह आपका काम है। तो जब कांग्रेस आयी इन्होंने गये साल भी रोड बना दी, खड्डे पूरे-पूर दिये, एक भी खड्डा नहीं रहने दिया। एक एक फीट के खड्डे पड़े हुए थे क्या बात कर रहे हैं आप और बीस-बीस किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियां नहीं चलती थी। यह हालत है और आप कह रहे हो कि पूर दिये।

शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जब से यह कांग्रेस आयी थी उस समय से इन्होंने कांग्रेस में मिडल स्कूल से माध्यमिक स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों को मिडल स्कूलों में क्रमोन्नत किया और इस साल और किया और आपने नहीं किया।

इसी तरह मैं बताना चाहता हूं राजीव गांधी स्वर्ण जयंती के बारे में आप बहुत बुराई कर बैठे हैं, खूब किया है लेकिन आपको मालूम है कि आपका जो बेरोजगार

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूराम अहारी)

बैठा हुआ है उसको 1200 रुपये तो क्या 12 पैसे भी मिलता है? आप कहते हो कि यह बहुत बुरा कर दिया, बुरा कर दिया। उनसे जाकर पूछो तो सही वह क्या कहते हैं। हमको चार सौ रुपए दे दो तो भी काम करेंगे यह कहते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है वह और आप कहते हैं कि वह बहुत बुरा कर दिया। आप कहते हो कि पांच हजार रुपया दो, पांच हजार रुपये देंगे,वह भी देंगे। आपने सारा खजाना तो खाली कर दिया था और अब कहां से दें? आपने जो खाली किया उसको भरेंगे तभी देंगे और इस साल और हमने...

मोहम्मद माहिर आजाद : काहे से भरोगे?

श्री नाथूराम अहारी : कहां से भरेंगे आपको मालूम नहीं है। काहे से भरेंगे जब आप मंत्री बनेंगे तब बताओगे कि काहे से भरे जायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें। आप अपनी बात करें।

श्री नाथूराम अहारी : बड़ी तरकीब से भरेंगे और आप देखते रहना क्या होगा।

श्री जगत सिंह दायमा : आपके मुंह में घी शक्कर। अगली बार मंत्री बनेंगे।

श्री नाथूराम अहारी : आपने यह भी कहा निजीकरण जो प्राइवेट स्कूलों के बारे में आप बता रहे हो, प्राइवेट स्कूलें आपके राज में ज्यादा हुई हैं। सभापति महोदय, इनके राज में ज्यादा हुई और वह स्कूलें इसलिए खोली गयी। +++ आपको आंकड़े देखकर बता सकता हूं मैं, +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आपने +++ नहीं पहनी है क्या?

श्री नाथूराम अहारी : और पांच साल और रहते तो पता नहीं क्या करते...(व्यवधान) +++ सारा +++ कर दियां, पूरे राजस्थान का +++ कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह गम्भीर बात है इसका फैसला करो आप। यह खुद +++ पहनते हैं बिना +++ के कोई नहीं है।

श्री नाथूराम अहारी : कटारिया साहब सुबह उठकर के मेरे मकान के यहां जो बताते हैं लोग कि मेरी तरफ से बताते हैं लोगों को...

श्री जगह सिंह दायमा : +++

श्री नाथूराम अहारी : आपने जो किया है जनता ने आपको शिक्षा दे दी है इसलिए आपका फतीहा है वह इनको बदलना पड़ेगा तब ही जाकर के वह राजस्थान में जो खराबियां आपने फैलाई हैं उनको हम ठीक कर पायेंगे।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने नीचे देखा कि नहीं इनके + + +

श्री नाथूराम अहारी : आप बैठ जाइये।

श्री सभापति : बोलिये आप अहारी साहब।

श्री नाथूराम अहारी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि उस एरिये में ज्यादा से ज्यादा स्कूलें खोली जानी चाहिए और जो स्कूलें अभी इस साल खोलने का बजट रखा है उसको दुगुना करना चाहिए तब ही जाकर के हमारे आदिवासी एरिये में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। यह मेरी आपसे मांग है।

राजीव गांधी जो स्कूलें खोली हैं उसमें यह हम मानते हैं कि इनका पैसा कम है, तनख्वाह कम है लेकिन मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको आपकी स्थिति के अनुसार जब जब भी आप कर सकें उनका पैसा बढ़ाना चाहिए। इन स्कूलों में हैण्ड पम्प नहीं हैं तो इन हैण्ड पम्पों को भी सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं इसलिए इनमें हैण्ड पम्प खोदने की भी स्वीकृति जल्दी से जल्दी देनी चाहिए।

अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार ने अध्यापक भर्ती नहीं किये थे। एक इंटरव्यू लिया था बांसवाड़ा में, तो आदिवासियों को छोड़ दिया था। आदिवासियों ने सत्याग्रह किया तब जाकर के वापस आदिवासी बच्चों को लिया गया और आप कहते हैं कि आदिवासियों के हम हिमायती हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अध्यापकों की जो कमी है उसकी पूर्ती करने के लिए अध्यापक जो ट्रेण्ड हैं उनकी भर्ती करें और जो भी रिक्तियां हैं उसे पूरी कराने की कोशिश करें।

इसके साथ ही आदिवासी एरिये में स्कूलों की हालत बहुत खराब है। स्कूल के भवन पूरे नहीं हैं और जहां-जहां भी स्कूलों के भवन नहीं हैं वहां पर सरकार से मेरी मांग है कि उन भवनों को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं और अध्यापकों की जो कमी है उसको भी पूरा करवायें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि, जब भर्तियां होती हैं बच्चों की, उस समय जाति प्रमाण-पत्र के लिए बच्चे, तहसीलदार के यहां इस तरह से भीड़ लग जाती है कि उनको बहुत परेशानी होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक पांचवीं का बच्चा जाति प्रमाण-पत्र पेश करता है तो छठी के लिए फिर जरूरत पड़ती है। मैंने कटारिया साहब के टाइम में भी यह निवेदन किया था कि एक बार जाति प्रमाण-पत्र ले जाने के बाद रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नाथूराम अहारी)

को इस तरह से बार-बार जाति प्रमाण-पत्र नहीं मांगना चाहिए। (व्यवधान) इन्हीं को तो कह रहा हूं। तो मेरी मांग है कि...(व्यवधान) नहीं बदलती है। मैं तो सुझाव दे रहा हूं। बदल जाती तो यह बात नहीं है। सुझाव दे रहा हूं। इसके साथ ही पंचायती राज के बारे में भी मेरी एक सलाह है कि जो कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाये और बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस के प्रधान और प्रमुख आये हैं मेरी एक मांग है कि बी.जे.पी. का जिस तरह से अपना अधिकार था पंचायतों का, उस पर जो सांप बनकर बैठे थे। कांग्रेस ने इसका विकेन्द्रीकरण करके किया है उससे ज्यादा इन पंचायती राज को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा दिये जाये। उनको सहायता दी जाती है वह भी आप लोगों ने केन्द्रीकरण कर रखा था लेकिन कांग्रेस सरकार में सीधा पंचायतों को, सरपंच को पैसा दिया जाता है जिससे गांवों की कमेटी, अपनी इच्छानुसार विकास कर पायेंगी। मैं इस मौके पर आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि पंचायत में जो ग्रुप सैक्रेटरी रखे हैं उनकी उपस्थिति बराबर नहीं रहती है तो उनको पाबन्द किया जाये कि यह लोग कम से कम अपने एरिया में रहे। जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए कोई ऐसा नियम बनाकर उनको पाबन्द किया जाये। आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत महत्त्वपूर्ण विभाग के ऊपर चर्चा हो रही है और मुझे आपने समय दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : पहले आपका नाम पुकारा था आप नहीं बोले और कोई दिखाई नहीं दिया तो/यह खड़े हो गये। आप लोग सब सो रहे थे नाम पुकारते हैं तब बोलते है नहीं हैं। बोलिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई बात नहीं। मैं भी आपका ही बच्चा हूं ताम्बी साहब से कह रहा हूं। आपका ही बच्चा हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण मांग तो वह है जिस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया है। कला और संस्कृति पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। सबसे पहले मैं इस बात का जवाब चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी सुनो। (व्यवधान) आप इसको ऐसे मत करो।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही को थोड़ा गम्भीर लें। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपस में चर्चा नहीं करें। आप बोलिये।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।

मैं सबसे पहले इसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कला और संस्कृति का विकास होना चाहिए और

(श्री जगत सिंह दायमा)

मैं देख रहा हूं कि जब से अमरीका के राष्ट्रपति क्लिंटन यहां पर आये हैं जबसे हमारी मंत्री महोदया माननीय बीना काकजी का कला और संस्कृति में विकास हो रहा है, हुआ है। मैं कह सकता हूं इस बात के लिए कि उस दिन के बाद में उनके रहन-सहन, खान-पान, चाल-ढाल, पहनावा उनके सब कुछ बदल गये हैं, हाव-भाव सब कुछ बदल गये हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सरकार कुछ बदली-बदली नजर आती है। इसका मैं चाहूंगा कि क्या कुछ उन्होंने प्राप्त किया इसकी बात सदन में रखें। इसका जवाब मुझे सदन में अवश्य मिलेगा।

दूसरा, आज ऐसा शुभ दिन है। मैं आज याद करता हूं उस महान विभूति को जिसका नाम महात्मा ज्योतिबा फूले, + + + बात आई और गई। महात्मा ज्योतिबा फूले का आज जन्मदिन है और किसी महानुभाव ने भी उनको आज याद इसलिए नहीं किया कि किसी को पिछड़ों की दलितों की बात और उनका ध्यान उनकी तरफ रहता ही नहीं। (व्यवधान) डाक्टर करण सिंहजी और मेरी तो एक ही बात है। मैं चाहूंगा जिस तरीके से इस सरकार ने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती के तहत स्कूलें खोलीं मैं यह बात कहूंगा कि उनका ध्यान ढाणी पर गया मैं उनको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए परन्तु आज मैं यह जरूर चाहूंगा कि जब ऐसे दिन चर्चा हो रही है। शिक्षा जगत पर, शिक्षा पर कि महात्मा ज्योतिबा फूले का आज जन्मदिन है और उन्होंने सबसे पहले इस देश में कार्य किया था कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। जिसके पीछे आपको याद है इस बात को कि कोई तैयार नहीं हुआ, कोई स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया तो उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ने के लिए तैयार किया। ऐसे महानुभाव की याद में मैं चाहूंगा आज शिक्षा मंत्री यहां पर घोषणा करें कि आज बहरोड में महिला कालेज की घोषणा करें कि खुलेगा और उसका नाम होगा महात्मा ज्योतिबा फूले गर्ल्स महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है और उनको याद करना है तो आज यह काम जरूर करेंगे। बहरोड में किया है। और भीटेड़ा गांव में हमारे पास में काफी बड़ी जगह है 2-4 बार मीटिंग वहां पर हो चुकी है माननीय डाक्टर करण सिंहजी वहां पर मीटिंग लोगों की ले चुके हैं वह सारा प्रबंध तो हम कर देंगे। घोषणा मात्र आपको करनी है। एक ही बात है बहरोड और बानसूर में कोई फर्क नहीं समझता। मेरा मन बहुत बड़ा है दरिया दिल है। आप नहीं समझोगे।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेरे से पहले माननीय सदस्य ने विचार रखे हैं उनके साथ मैं अपने विचारों

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

को जोड़ता हूं। दुबारा से उन सबके ऊपर कह कर समय खराब नहीं करना चाहता। दो बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, वह दो बातें यह है कि माननीय अशोक गहलोतजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने टेक्निकल शिक्षा में जो दलित, एस.टी., एस.सी. का कोटा था इसको बढ़ा कर 6 से 12 और 8 से 16 किया। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी और कांग्रेस की सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा परन्तु मैं यह भी चाहता हूं कि जो ओ.बी.सी. है, अन्य पिछड़ा वर्ग है उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उसका कोटा भी निर्धारित करना चाहिए। निर्धारित यह होना चाहिए, सभापति महोदय, मेरा अटेंशन है इसके प्रति जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं चाहे एजुकेशन संस्थाएं हैं या दूसरी संस्थाएं हैं इन संस्थाओं में ओ.बी.सी., एस.टी., एस.सी. इनकी कम से कम 50 प्रतिशत सीटें होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आज जो प्राइवेट संस्था हैं सोफिया संस्था है और जेवियर्स, सेन्ट ऐंसलम इन संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ कर जाते हैं उनके सामने हमारे गांव का बच्चा जब खड़ा होता है तो इनफीरियरिटी काम्पलैक्स उसमें भर जाता है।

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है आप बोलिये। आप बढ़िया बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : हीनभावना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संस्कृत में बोलो आप तो।

श्री जगत सिंह दायमा : संस्कृत मेरे को आती नहीं।

तो इनमें हीनभावना पैदा हो जाती है। वह टाई, कोट लगाकर जाता है सामने हमारा बच्चा, जो ऐसे स्कूल में पढ़कर आता है जिसके पास बैठने के लिये टाट पट्टी नहीं है, जिस पर बैठा है उसमें खड्डे पड़े हुये हैं।

मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं शिक्षा मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वैसे तो कई स्कूल हैं पर एक स्कूल का नाम लेना चाहता हूं माजरा रावतसर। उसमें स्कूल की दीवार फटी पड़ी है...(व्यवधान) यह बना तो अभी बी.जे.पी. के समय में ही है परंतु वहां पर कोई पैसा नहीं दिया जाता कि उस स्कूल की फटी हुई है उसको ठीक तो करवा लें।

यही नहीं आपने स्कूल तो खोल दिये परंतु पांचवीं तक के स्कूल में सिर्फ एक कमरा। स्कूल में टीचर हैं परन्तु उसके पास में बैठने के लिये कुर्सी नहीं है वह किस पर बैठकर पढ़ायेगा...

श्री हरिसिंह (महुवा) : शांति निकेतन भी पेड़ के नीचे शुरू हुआ।

श्री जगत सिंह दायमा : वहां आप पढ़कर आये हो ना। वहां आप पढ़कर आये हो हम देख रहे हैं इस बात को हम। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह हमारा स्टूडेंट जब ऐसे स्टूडेंट के सामने आता है तो उसमें हीनभावना पैदा होती है। यह हीनभावना तभी खतम होगी जब इन प्राइवेट संस्थाओं में हमारे 50 परसेंट ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुये एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लड़कों को भर्ती किया जायेगा। यह भर्ती होनी चाहिये तब जाकर के यह काम हो पायेगा...(व्यवधान) खर्चा तो सरकार वहन करेगी इसमें क्या बात है। अगर चलाना है तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बंद कीजिये।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि आज शिक्षा में, टैक्निकल शिक्षा में आज हम दक्षिणी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। वहां प्राइवेट संस्थाओं को इतनी मात्रा में दे रखे हैं मेडिकल कालेज, एग्रीकल्चर कालेज, इंजीनियरिंग कालेज कि आज हमारे राजस्थान के हजारों-हजारों बच्चे वहां जाते हैं। बैंगलोर जाते हैं। वहां जाकर क्या होता है कि हमारा जो बच्चा जाता है उसका दस प्रतिशत कम नम्बर लगा करके फिर भर्ती किया जाता है। पी.एम.टी. वगैरह, पी.ई.टी. वहां भी है। पर हमारे बच्चे की दस प्रतिशत कम, घटा करके फिर जाकर वहां भर्ती किया जाता है। फिर जब यहां पर भर्ती नहीं होते हमारे बच्चे इन स्कूलों में तो वहां मोटी रकम दी जाती है। मोटी रकम देकर शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। सभापति महोदय, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे लोगों को तैयार किया जाना चाहिये जो लोग यहां पर आकर मेडिकल कालेज खोल सकते हों, जो टैक्निकल एजुकेशन दे सकते हों, जो इंजीनियरिंग कालेज खोल सकते हों। मैं कहता हूं कि जब आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती स्कूल खोले नहीं, तब तक आप बता दीजिये कि वह बच्चे वहां पढ़ते थे। खोल दिये तो वहां पर स्टूडेंट्स आ गये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं अगर ऐसी संस्थाएं आप खोल देंगे तो आपको स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और जब स्टूडेंट्स मिलेंगे तो जैसे नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजादजी ने कहा है कि जो शिक्षा है, जो आज हम डिग्री ले लेते हैं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं मिलता। ऐसी टैक्निकल एजुकेशन का अगर हम खोलेंगे, तकनीकी शिक्षा के संस्थान खोलेंगे तो मैं कह सकता हूं उसमें विद्यार्थी भी मिलेंगे और विद्यार्थी मिलेंगे तो निश्चित रूप से वह अपना काम स्वयं खोल सकते हैं।

एक निवेदन और है कि जो पैसा आपने प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर और कहना चाहिये सम्पूर्ण साक्षरता के ऊपर जो पैसे लगा रखे हैं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं मेरे विचार से किसी का मेल खाता हो, नहीं खाता हो, मैं कहना चाहता हूं यह बेकार है। कोई मतलब नहीं है इसका। बेकार

(श्री जगत सिंह दायमा)

शक्ति आप लगा रहे हो। अगर यह शक्ति नये जो बच्चे हमारे पढ़ने आ रहे हैं अगर यह पैसा और शक्ति उनके ऊपर लगायी जाये तो निश्चित कह सकता हूं कहीं न कहीं हमको लाभ मिल सकता है। अब आधी सी तो कट गयी, आधी सी और कट जायेगी। इनको कितना ही पढ़ा लो और कितना ही कुछ कर लो। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर जो पैसा लगाया जाता है वह पैसा हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं, जहां टीचर नहीं हैं, जहां पर पाठशालाएं हैं परन्तु नाम-नाम की है, वहां पर बिल्डिंग नहीं है, वहां पर फर्नीचर नहीं है, वहां ब्लेक बोर्ड नहीं है, पेंसिल नहीं है, चॉक नहीं है, कॉपी नहीं है, उसके ऊपर लगाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूं कि पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कहते हैं कहीं यह जो पिछड़े लोग हैं इनको आप डाक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी बात में अगर उनको कहीं दम लगता है तो यह जितने भी एजुकेशन सेंटर हैं उसमें पढ़ाई का सारा प्रबंध कर दें और जब हमारे पिछड़े लोग उसमें दाखिला लेंगे, अच्छी तरह पढ़-लिख जायेंगे तो फिर यह बात भी खतम हो जायेगी कि हमारे 33 परसेंट और इनके 80 परसेंट। तो इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? इस बात के लिये अगर आपको आरक्षण खतम करना है तो जो हमारी बैकवर्ड लाइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा के लिये अलग से आपको प्रबंध करना चाहिये। मैं लास्ट में यह बात कहते हुये पर्यटन...

श्री सभापति : कला पर बोल चुके हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं लास्ट में यहीं पर अपने विचार समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री संजीव बेनीवाल-(अनुपस्थित), श्री घनश्याम जैन-(अनुपस्थित)...

श्री रामस्वरूप : जो मौजूद हैं उनके तो आप नाम लेते नहीं, जो लोग चले जाते हैं उनके नाम लेते हो।

श्री सभापति : माननीय हरचन्द सिंह सिद्धू-(अनुपस्थित) आप बोलेंगे। माननीय श्री ताम्बीजी...(व्यवधान) अब आपको बुलायेंगे। हीरासिंहजी आपको बुलायेंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज हम शिक्षा, कला, संस्कृति, पंचायती राज और ग्रामीण विकास की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति और विकास शिक्षा पर आधारित है। हमारे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

देश में साक्षरता का प्रतिशत 39.29 है और हमारे प्रदेश का 38.55 है और बिहार के बाद नीचे से राजस्थान की स्थिति साक्षरता की है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की वर्तमान सरकार ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और शिक्षा के क्षेत्र को काफी महत्व देने का मानस बनाया है, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है।

राजीव गांधी स्वर्ण जयंति स्कूल ग्रामों में निश्चित रूप से साक्षरता और शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण योजना है। इसका ग्रामीण क्षेत्र में जनता ने बहुत स्वागत किया और इसको एक तरह से शिक्षा की क्रान्ति की दिशा में ढाणी और ग्राम तक पहुंचना निश्चित रूप से स्तुत्य कहा जा सकता है। केवल कुछ लोगों की मानसिकता इस राजीव गांधी का नाम जुड़ने से इस सारी योजना के प्रति आप जो संकीर्णता रखते हैं, मैं समझता हूं उचित नहीं है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सोनिया गांधी का नाम और जोड़ दो।

श्री रतन लाल ताम्बी : और राजीव गांधी के नाम से ढाणी और ग्राम में स्कूल जाना राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है और राजीव गांधी का नाम चाहे जितना ही कहें गांव और ढाणी तक इसके कारण पहुंचा है।

(18.50 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इस मौके पर समय के अभाव में बहुत ज्यादा लम्बी बात न कहकर सुझाव के तौर पर कुछ बातें अनुरोध करना चाहता हूं।

हमारे राजस्थान में जो जिले हैं उनमें दस जिले ऐसे हैं जो राजस्थान का शिक्षा का प्रतिशत 38.95 से भी वहां साक्षरता का प्रतिशत कम है। मैं राजस्थान के इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि चाहे पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने राजनीतिक आधार पर स्कूल खोलने में असंतुलन रखा, और उसमें कई क्षेत्र काफी पिछड़े रह गये हैं, इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान के उन जिलों को प्राथमिकता सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी या मिडल स्कूल खोलने में दी जानी चाहिये जो राजस्थान के साक्षरता के प्रतिशत से भी न्यून हैं। उनको प्राथमिकता देकर असंतुलन समाप्त करने की दिशा में मेरा यह सुझाव आपको मान्य होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। मैं राज्य सरकार के इस प्रयास की भी सराहना करना चाहता हूं कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत सभी शिक्षा की योजनाएं देकर एक जगह उन सबको केन्द्रित करके जो व्यवस्था की है, निश्चित रूप से यह शिक्षा का विकेन्द्रीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण और प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी उपयुक्त रहेगा और इससे शिक्षा का गुणात्मक स्तर सुधरेगा ऐसा मेरा मानना है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

राजस्थान सरकार ने इस बात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि राजस्थान में निरक्षरता को मिटाना है तो अगले दो-तीन वर्षों में जो कदम उठाये जा रहे हैं, जो हमारे सामने योजनाएं आयी हैं उसको देखते हुए मैं समझता हूं बहुत कुछ इसमें संभावनाएं लगती हैं। मैं इस दृष्टि से यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि हमारा एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बने। प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कॉलेज हो जाये, 4-5 पंचायतों पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल और आगे जाकर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल और पांच सौ से एक हजार की जनसंख्या पर उच्च प्राथमिक विद्यालय, इस तरह का एक मास्टर प्लान शिक्षा के संबंध में बनाना चाहिये जिससे आगे जाकर शिक्षा का प्रसार योजनाबद्ध तरीके से हो सके। मैं इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार राजस्थान की सरकार ने एक साथ 14 महाविद्यालय खोले थे। अभी कुछ आंकड़े सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये कॉलेज के बारे में, मैं समझता हूं पिछले 10 साल में जो कॉलेज खोले गये थे, महिला शिक्षा को छोड़कर, 14 एक साथ कहीं नहीं खोले गये हैं और इस वर्ष के बजट में कॉलेजों को खोलने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मेरा यह मानना है कि पिछली सरकार ने उपेक्षा की, जिन क्षेत्रों से राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव किया। वह इतने असंतुलित और पिछड़े रह जायेंगे इसलिए कम से कम जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जहां पर जिला केन्द्रों से बहुत दूरी है और जहां के लड़के आज भी 700-800 बाहर जाते हों, उस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाये यह उपयुक्त नहीं है। मैं खास तौर से मेरे क्षेत्र के लिये निवेदन करना चाहता हूं। आज भी मेरे क्षेत्र के 250-300 के बीच में ऐसी छात्राएं हैं जो कॉलेज शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि वह दूसरे कस्बों में आर्थिक दृष्टि से और अन्य कई कारणों से नहीं जा सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में आपने इस साल नहीं रखे थे, गत वर्ष भी 10 से 14 खोले हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस बार एक कॉलेज जहाजपुर में खुलेगा। मैं समझता हूं जहाजपुर जैसे क्षेत्र में जहां इतनी बड़ी तादाद में लड़के बाहर पढ़ रहे हों और पढ़ने की बहुत गुंजाइश लड़कियों की भी है। इस दृष्टि से भी राज्य सरकार इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी विचार रखेगी ऐसा मेरा मानना है। इस वर्ष 200 हायर सैकण्डरी और 200 सैकण्डरी स्कूलें खोलने का प्रावधान रखा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार ने इस बात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि राजस्थान जो देश में शिक्षा की दृष्टि से बिहार के बाद पिछड़ा है। उसको आगे बढ़ाया जाये। तो यह प्रावधान बहुत कम हैं।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

अभी समानीकरण के नाम पर बहुत अच्छे प्रयास किये गये। उससे लगभग 120 करोड़ रुपये की बचत हुई है, मितव्ययता रही है और करीब 18000 के आसपास अध्यापक जो अनावश्यक रूप से जहां आवश्यकता नहीं थी वहां थे और जहां आवश्यकता है वहां पहुंचे हैं, मैं समझता हूं इस कदम को निश्चित रूप से सराहना करने का आधार मानना चाहिये और आगे भी समानीकरण के लिये और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि कई मिडल स्कूल ऐसे हैं जहां 300-350 लड़के हैं वहां एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, और सीनियर हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी में 5-5, 6-6, 8-8 हैं। तो मैं चाहता हूं कि वहां 4 या 5 रख दिये जायें और बाकी ऐसे मिडल स्कूल जहां पर पिओन नहीं हैं वहां उपलब्ध करा दिये जायें। छोटे-छोटे बच्चों के सामने एक परेशानी आ रही है। मेरा सुझाव यह है कि अगले वर्ष प्रोग्राम 400 सैकण्डरी स्कूलों को रखना चाहिये, 300 सीनियर हायर सैकण्डरी का रखना चाहिये। इसके लिये कई तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय प्रयास करेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे ऐसा मेरा मानना है। राजीव गांधी विद्यालय जो गत वर्ष खोले गये उसमें लगभग साढ़े पांच लाख नये छात्र भर्ती हुए हैं। मैंने एक बार किसी डिबेट में सुना था कि वही प्राथमिक शाला में जाने वाले छात्र इसमें प्रवेश कर गये, यह बात नहीं है, मैं गांवों में घूमता हूं, देखता हूं कि इसमें एकदम नये लड़के आये हैं। बल्कि अब तो हमारे सामने यह मांग आयी है कई जगह की 80-80, 85-85 लड़के विद्यालय में हैं, जहां पर एक अध्यापक की ओर मांग है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि किसी अच्छी योजना की सराहना करनी चाहिये और वह कैसे आगे बढ़ सके उस दृष्टि से भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं इस मौके पर आई.टी.आई. के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, जैसे पिछली सरकार के समय भी हम मांग करते रहे कि जहाजपुर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। दो-ढाई लाख की जनसंख्या है। देश की सेनाओं में वहां के हजारों परिवार काम करते हैं इस बार भी राजौरी सेक्टर में पिछले 10-11 महीनों में वहां के दो सूबेदार, नायब सूबेदार शहीद हुए हैं। मैं समझता हूं ऐसे क्षेत्र में आई.टी.आई. न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिये भी प्रावधान करने की आवश्यकता है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जो मुख्य-मुख्य बातें भी उनको निवेदन की है और मैं चाहता हूं कि शिक्षा में गुणात्मक

(श्री रतन लाल ताम्बी)

रूप से भी काफी सुधार करने की आवश्यकता है और अध्यापकों को नये-नये प्रशिक्षण मिलते रहें, उसके आधार पर उस विद्यालय की गुणात्मकता बढ़े, इसके प्रयास की आवश्यकता है। इस पर भी ध्यान देनें की मेरी आपसे मांग है।

अब मैं सीधे पंचायती राज पर आना चाहता हूं। पंचायती राज महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की कल्पना थी। उसको साकार करने में जब-जब भी कांग्रेस शासन में आयी, पूरा प्रयास किया। राजीव गांधी जी ने 1994 में संशोधन करके जो नया स्वरूप दिया, उसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का जो शासन राजस्थान में था। हम लोगों ने आपस में विचार किया, हमें भी बुलाया गया, हमने भी काफी सुझाव दिये और उन सुझावों का जिस ढंग से उनको चाहिये था उसका राजनीतिक हिसाब किताब ज्यादा रखा गया, बजाय कि जनता की शिकायत उनके पास जाये और विकेन्द्रीकरण व्यवस्था उसमें हो। इसको नहीं सोचा गया।

वर्तमान सरकार ने इस दिशा में जो शुरू से कांग्रेस की मांग रही थी, आपके जमाने में आन्दोलन भी किये थे और कई बार इसके लिये प्रयास भी किये गये थे परन्तु आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस सरकार ने निश्चित रूप से ध्यान दिया है। खास तौर से पंचायत राज का प्रधान और प्रमुख का समन्वय, सरपंच का समन्वय नीचे नहीं था। इसको सबसे पहले अधार बनाकर समन्वय स्थापित किये गये और इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को किस तरह विकेन्द्रीकरण रूप में मजबूत की जा सके वह प्रयास किये गये हैं। यह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय प्रयास है।

पंचायती राज में ग्राम सभा के स्तर पर जो निर्णय होता है उसको क्रियान्वित करना और ग्राम सभाएं चार साल में करना एक अच्छा कदम था इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम और उठाया है वार्ड सभा गठित कर दी, वार्ड के लोग मिल कर बैठकर के अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करें और अपना निर्णय करें और पंचायत समिति के स्तर पर, जिला परिषद के स्तर पर, प्रशासनिक कार्य समिति और उसमें स्थापना समिति और गठित की है उन निर्णयों को देखकर के क्रियान्विति करें यह एक अच्छी बात है।

राजस्थान में पंचायती राज को इससे एक नयी दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। पंचायती राज के चुनाव भी जिन परिस्थितियों में जैसे भी हो सकते थे अच्छे से अच्छे कराने का प्रयास किया गया है। अब आम जनता का जनादेश है उसको मानने में इस तरह की इधर-उधर की बात करके हम कोई कमियां निकालें यह ठीक नहीं है। राजस्थान की जनता ने वोट दिया, जनता ने जो फैसला किया उसको मानकर ही आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिये।

(19.00 बजे)

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मैं पंचायती राज संशोधन के बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। आबादी भूमि, तालाब के पेटे अतिक्रमण बढ़े हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। पंचायती राज मंत्रीजी, नियमों में प्रावधान है कि हर वर्ष जुलाई महीने में पूरी पंचायत का सर्वे किया जाएगा कि किस-किस जमीन पर अतिक्रमण है, उसकी बराबर जवाबदेही आपके सचिव पर और कुछ पंचायतों में कमेटी पर रखी है, वह कहीं एक्जिक्यूट नहीं हो रहा है। चरागाहों पर अतिक्रमण है। आपने निश्चित रूप से कुछ निर्णय किए हैं, वह लागू कहां होता हैं, इसको आज देखने की आवश्यकता है। निर्णय बहुत सारे हैं, वह लागू नहीं होते हैं, उसकी जवाबदेही निश्चित रूप से जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह खास तौर से देखने की बात है, अभी पंचायती राज चुनाव हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हार गए, कांग्रेस के बन गए, एम. पी. कांग्रेस के बन गए, वहां स्वीकृति हुई, स्वीकृति होने के बाद काम शुरू करने लगा तो कह दिया कि वहां काम शुरू न किया जाए। एक नयी कमेटी रजिस्टर्ड करके पैसा देने की व्यवस्था करने लगे। आप एक निर्वाचित संस्था हैं, प्रजातंत्र में आपका विश्वास होना चाहिए, कोई कारण हो, उसमें कोई कमी हो, अभी काम शुरू ही नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार हो, घपला हो, बेइमानी हो तो आपको बदलने की बात होनी चाहिए।

भीलवाड़ा जिले की बात मैं खास तौर से नहीं कहना चाहता हूं, सवाईमाधोपुर और करौली जिले की बात मैं रखना चाहता हूं जो मेरे सामने आई है। मान लिया भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बन गया, कांग्रेस का कोई विधायक अपनी अनुशंषा करता है और उस आधार पर विधायक फण्ड से पैसा देना चाहता है, वहां का प्रमुख दस्तखत ही नहीं करता चैक पर, ये बातें जो हो रही हैं, इस तरह की हमारी संकीर्ण भावना से पंचायती राज को जो एक मजबूती मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है। मैं समझता हूं कि इन बातों को भी देखने की आवश्यकता है।

अविश्वास प्रस्ताव के मामले में मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि एक वर्ष की अवधि के बाद अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। बजाय इसके आपने दो वर्ष कर दिया। अगर कोई निकम्मा है, काम नहीं करता है, पंचायतों में घोटाले, भ्रष्टाचार जैसी कई बीमारियां हैं तो आप दो वर्ष के लिए क्यों छोड़ते हैं, इसलिए एक वर्ष ही इसमें करना चाहिए।

हम साक्षरता को बढ़ाना चाहते हैं। हमने उस समय भी जोर दिया था कि हिन्दी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पढ़ने-लिखने वालों को, एक्जिक्यूशन पावर सरपंच को है तो चाहे वह दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, चौथी पढ़ा हो, सरपंच कम से कम पढ़ा लिखा हो। आप उदाहरण देंगे कि राष्ट्रपति, एम. एल. ए., एम. पी. अंगूठा छाप ही बन सकते हैं तो सरपंच क्यों नहीं बन सकता। राष्ट्रपति, एम. एल. ए., एम. पी. को एक्जिक्यूशन के पावर नहीं है जो पंचायत के सरपंच के पास है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रावधान जो पिछले पंचायती राज में था, सन् 1959 में और 1953 में भी था, उस आधार पर सरपंच हिन्दी पढ़ा लिखा हो, क्लास चाहे दूसरी, तीसरी ही पढ़े, यह कोई अनिवार्य नहीं कि मिडल हो, सैकण्डरी हो, पर कम से कम हिन्दी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सके, इस बात को देखने की आवश्यकता है।

इसी तरह पंचायत की भूमि अतिक्रमण के मामले में बड़े घोटाले हो रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपको अपने जिले की बात कहता हूं। उपाध्यक्षजी, आपको भी ध्यान होगा, चर्चा हुई थी, अभी-भी पुराने सरपंचों के पास रिकार्ड है, वह चार्ज नहीं दे रहे हैं, भूमि विक्रय के पट्टे बना रहे हैं और वह आज भी पुराने बिल बना-बना करके, मिट्टी डलवाने के बना रहे हैं, अभी एक जगह पर दौरे पर गया तो, 58 हजार रुपये का बिल बन गया, बेलेंस तो दे नहीं रहे हैं और 58 हजार रुपये का बिल बन गया, आठ ट्रोली मिट्टी की डाल दी और 58 हजार रुये का बिल बन गया। यह काम जो हो रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं आपके अधिकारियों के स्तर पर भी मिलीभगत है। सरपंच लोग लगातार मांग करते हैं कि चार्ज दिलवाइए, हमारी बैठकों में नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ढर्रा इन 10 सालों में पंचायती राज का राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ा है। इसके लिए इच्छा शक्ति और मजबूती के साथ नियमों और कानूनों में संशोधन करके जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे तो पंचायती राज ठीक चलेगा वरना हालत बहुत खराब होगी। आप करोड़ों रुपए गांवों के विकास के लिए दे रहे हैं, वह सही ढंग से गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : खुद की अमानत भी जमा कर रहे हैं

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, यह भी बता रहा हूं आगे मैं। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं वह ठीक है। अभी मेरी दो पंचायतों का सवाल आ गया, 58 हजार रुपए, एक तो पंचायत में जमा कर लिए पुराने सरपंच ने, चुनाव के बाद की बात है। एक में शायद 37-38 हजार रुपए बताए। इस तरह से जमा करके, यह लिख रहे हैं कि हमने इन कामों में खर्च किए और उसके फर्जी बिल वाउचर बना रहे हैं, जेईएन. एईएन. बना रहे हैं नीचे, सारे का सारा उस तरह का भर दिया है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में आपकी ऑडिट व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, यह सब मैनेजेबल मामला चल रहा है। इन 10 सालों में आपने सबसे ज्यादा पंचायती राज का जो कूण्डा किया है, राजस्थान की जनता इससे बहुत परेशान है, करोड़ो रुपए, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दे रही है और गांवों में जाकर भौतिक सत्यापन, अगर सही ढंग से अंकेक्षण कराएं तो पोल खुल जाए। आज राजस्थान के करोड़ों गरीब लोगों का पैसा भ्रष्ट लोगों की जेब में पहुंच रहा है। इन कानून कायदों और व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज से सम्बन्धित विधायकों का एक सेमिनार रखिए। इस सेमिनार में पंचायती राज को, और उसके संसाधनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर और हमारे पास जो पैसा पंचायती राज योजनाओं का है, वह किस प्रकार से, ठीक प्रकार से लगे, उसको आज देखने की आवश्यकता है, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। हम कई सुझाव देंगे। पिछली सरकार को कई सुझाव दिए, पर उन्होंने कुछ माने, बाकी अधिकांश नहीं माने, उनकी इच्छा शक्ति राजनीतिक दृष्टि पंचायती राज को इस तरह से चलाना था, पंचायती राज में जितनी राजनीति घुसाएंगे, उतनी ही उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी।

पिछली सरकार ने भी कहा था और आप भी यही कह रहे हैं कि विकास सेवा का गठन करेंगे लेकिन अभी तक वह विकास सेवा गठित नहीं हुई। जब तक आप अपनी अलग से विकास सेवा गठित नहीं करेंगे, आज बी.डी.ओज. की हालत यह है कि आज करोड़ों रुपए पंचायती राज की योजनाओं का जाता है। आज भी कई जगह ऐसे बी.डी.ओज., लगे हुए हैं जो अन्य विभागों से आए हैं। उनकी सोच और आज के विकास सेवा के लोगों की सोच में अंतर आयेगा। मैं तो शुरू से ही मांग करता रहा हूं कि पंचायती राज में जब ज्यादा पैसा नहीं था, उस समय गुलाब सिंहजी साहब, जैसे प्रमुख थे, आप जैसे बड़े-बड़े लोग, यह सब थे, उस समय आर. ए.एस. बी.डी.ओज. लगाते थे, इससे कम पैसा होते हुए भी काम अच्छे ढ़ंग से चलता था और गांवों में उसका एक वातावरण था, जन सहयोग, श्रमदान, कई तरह की योजनाएं थीं। आज ईमानदारी की बात है कि पंचायती राज में जनता की रुचि नहीं है। उस वक्त करप्शन नहीं था, अब करप्शन इतना बढ़ा है, यह लाइलाज कैंसर है, अगर ग्रामों को और पंचायती राज को वास्तव में उठाना है तो इस कैंसर की बीमारी का इलाज करने के लिए आपको इच्छाशक्ति और ईमानदारी से सोच करके उसको लागू करने की आवश्यकता है।

अब मैं प्रशिक्षण की बात कहना चाहता हूं। पंचायती राज के आपने इतने कानून-कायदे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बनाएं हैं, सब बातें किताब में भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी अभी इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी। अभी नये बनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि पंचायती राज मंत्रीजी जो काफी सोच रखते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ कर भी रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पंचायतों में सबसे पहले हरेक पंचायत में सचिव उपलब्ध कराएं। इतने सारे अधिकारी-कर्मचारी सरप्लस बैठे हैं, नगर पालिकाओं के भी, दूसरे भी हैं, तीसरे भी है, आपने लगाए भी हैं। ज्योंही विधान सभा का सत्र समाप्त हो, कम से कम मई महीने से राजस्थान की 9 हजार, जितनी भी पंचायतें हैं, उनमें सचिव की व्यवस्था करें। अलग से बजट की आवश्यकता नहीं है। सरप्लस कई जगह हैं, उनमें से आप निकाल कर लगाइए, को-आपरेटिव के पास हैं, सिंचाई विभाग के पास हैं, स्वायत्त शासन विभाग के पास हैं कई जगह हैं, उन सबको आप निकालें। आपने जैसे 120 करोड़ रुपए शिक्षा में मितव्ययता बरती, उसी तरह सब निकल सकता है। मैं यह चाहता हूं कि अंकेक्षण का जो महालेखाकार के स्वरूप अन्तर्गत है, बदला जाए। अंकेक्षण वाले भी आजकल लेन-देन के धंधे में फंसे रहते हैं, सौदेबाजी चलती है और जैसी एम.पी. चाहे वैसी बनवा लो, जो चाहो वह प्रमाण पत्र मिल जाता है, यह स्थिति है। वर्तमान में कानून जवाबदेही नाम की चीज बहुत कम है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह, हमारी अवधारणा है तो इसको हमको हर स्तर पर लागू करने की दृष्टि से पंचायती राज और को-ओपरेटिव का सबसे ज्यादा पैसा आज गांवों में जा रहा है, उस पैसे का सही ढंग से उपयोग हो सके, इस बात की निश्चित रूप से व्यवस्था करें।

पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी नेट वर्क, सब बातें अच्छी सोच रहे हैं। कम्प्यूटर से पंचायत समितियों को जोड़ने की बात सोच रहे हैं, आगे जाकर पंचायती राज को भी आप जोड़ना चाहते हैं। जितनी पारदर्शिता आप लाना चाहते हैं, उसी तरह का वातावरण नीचे तक बने और यह जनता को महसूस हो कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो खुली छूट खाने, घोटाले और भ्रष्टाचार की थी, उसमें परिवर्तन इस राज के साथ नजर आना चाहिए। हम उस समय भी प्रश्न उठाते थे, काफी यहां बात करते थे, कई बार आपने यहां प्रश्न के जरिये कई बातें स्वीकार कीं, आप सस्पेंड भी करते थे और तीन दिन बाद बहाल भी कर देते थे, आप का यह धंधा भी था। तो अगर आरोप प्रमाणित है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही हो यह संदेश जाना चाहिए नीचे, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। मैं समझता हूं इस दिशा में भी आपका प्रयत्न निश्चित रूप से होगा। मैं इस मौके पर पंचायत राज के तालाबों के संबंध में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले कह दिया आपने तालाबों के बारे में।

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं कहा तालाबों के बारे में। पंचायत राज में तालाब अभी भी कई जगह रेवेन्यू खाते में दर्ज है, कहीं किस खाते में दर्ज है। 50 एकड़ तक के तमाम तालाब जिसमें पेटा, उसकी सिंचाई, उसका बंबूल, पान, पापड़ी, घास, सिंगाड़ा, कमल, जो भी अडंग-बड़ंग सब होता है वो सारे के सारे पंचायत को एक साथ दे देने चाहिए। उसमें कई एजेंसियां लगी हुई हैं, कहीं रेवेन्यू बीच में आ जाता है, कहीं सिंचाई बीच में आ जाता है इसलिए इनकी सारी इनकम पंचायत राज को निश्चित रूप से मिले इस तरह की व्यवस्था करेंगे। भूमि विक्रय के बारे में वर्तमान कानून में और थोड़ी सख्ती लाएंगे और अतिक्रमण में जो लाखों-करोड़ों रुपयों की जमीनें हैं, जो बड़े-बड़े कस्बों में हैं वो कब्जा नहीं हटे, कोई बात नहीं, आपकी जो रेट्स है उससे पैसा तो वसूल हो जाए, पंचायतों के संसाधन तो बढ़ जाएं, यह व्यवस्था आप करेंगे तो ही पंचायत राज मजबूत होगा और पंचायत राज के प्रति गांवों में एक धारणा बनी हुई है, गरीबों के विकास की कई प्रकार की योजनाएं हैं उनका सही ढ़ग से लाभ मिल सके, पेंशन के फार्म बगैरह कई अटके पड़े हैं, कई उनकी तस्दीक में दिक्कत होती है, कहीं क्या होता हैं, ऐसा लोग मानते हैं, एक समयबद्ध कार्यक्रम हो और एक पारदर्शिता पचांयत राज में नीचे से ऊपर तक पहुंचे इस तरह की व्यवस्था आप करेंगे ताकि हमारे राजस्थान की जो हालत बिगड़ी हुई है उसमें सुधार होगा ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मीनाक्षी जी, आप बोलेंगी? (व्यवधान) आप लोग बोल गये इसलिए उधर के अलावा दूसरा बोल नहीं सकता क्या?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ये पांचवें बोल रहे हैं, साहब उधर से।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान) तो फिर सुनो, आपको सुनने के लिए बैठे रहें 10 बजे तक।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ऐसा है पांचवें बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : आप बोल लिये इसका मतलब सब बोल लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।. आप बैठिए, बैठिए।

श्री रामस्वरूप : हम यहां + + +. बैठे हैं क्या सुबह से। हम बैठे रहते हैं आखिरी तक। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजे प्लीज। आप बैठिए।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक छात्रों का हित है मैं खुद एक छात्रा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : जितने माननीय सदस्यों के नाम हैं सबको बुलाऊंगा, आज आपको थका दूंगा, आप चिन्ता मत करो।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : इसलिए मैं छात्रों के संबंध में बोलना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे क्या तकलीफ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय + + +

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सत्ता पक्ष से जो बोला वह एक ही बात बोला, दूसरी बात बोल नहीं रहा। आप बुलवाइए तो इधर बुलवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको ध्यान नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आपको जितना समय है उस दृष्टि से कह रहे हो क्या। आपका तो नाम ही नहीं है, काहे को बोल रहे हो। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : रामायण में सारे एक जैसे ही बोलते हैं + + +

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक छात्रों का सवाल है, छात्रों की जिंदगी का सवाल है, मैं खुद एक छात्रा हूं इसलिए छात्रों की बात करना चाहती हूं, छात्रों का दर्द बताना चाहती हूं। आज की जो शिक्षा है वो रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए, क्योंकि जब छात्र अपनी शिक्षा पूरी करता है तो उसके हाथ में क्या आता है, उसके पेट में भूख होती है, तन पर एक जोड़ा कपड़ा होता है और हाथ में वो डिग्री होती है जो कि उसको इस ऑफिस से उस ऑफिस तक, इस स्कूल से उस स्कूल की ओर न जाने कितने चप्पलें तोड़ने के बाद भी उसका नतीजा हमें विधान सभा के बाहर एड़ियों के बल, पेट के बल रेंगते हुए छात्र नजर आते हैं, कभी सी. एम. हाउस के बाहर नजर आते हैं। (व्यवधान) यह सब आपके राज में भी हुआ था। हमारे राज में तो केवल पेट के बल ही रेंग रहे हैं आपके राज में न जाने कितने आत्मदाह हुए, न जाने कितनी आत्महत्याएं हुई और न जाने कितने बेरोजगार इधर से उधर हुए।

आज यदि शिक्षा रोजगारोन्मुखी नहीं होगी तो उसका नतीजा हमें विधान सभा में देखने में आयेगा, न जाने कितने ही नेता पैदा होंगे, न जाने कितने रोड इंस्पेक्टर पैदा होंगे। ये सब शिक्षा के रोजगारोन्मुखी न होने के कारण होता है। आज अनेक समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी दिन प्रतिदिन

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो उसके बाद में जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, मैंने इस सदन में डेढ साल में कितनी ही बार कहा है खानुपर में और उसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं कहीं कालेज नहीं है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में केवल एक पी.जी. कालेज है और राजस्थान में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां के छात्र परीक्षा देने नाव में बैठकर जाते हैं, आही नदी में जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके भविष्य का सवाल है। इसलिए इस बार जैसा कि बोल रहे हैं कालेज नहीं खुलेगा तो मेरा सरकार से कहना है कि इस बार वहां पर कालेज खुलना चाहिए, क्योंकि न जाने कितनी जिंदगियां अंधेरे में भटकती हुई रह जाएंगी, क्योंकि कभी पेपर छूट जाते हैं, ऐसा कई बार होता है कि नाव वाला नाव डालने से मना कर देता है, क्योंकि नदी ज्यादा उफान पर आ जाती है। इसलिए वहां पर कालेज खुलना चाहिए। वहां पर एक भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। इस बार भी तीन-चार इंजीनियरिंग कालेज खुले हैं, लेकिन वे जहां पर पहले होते हैं वहीं खोले जाते हैं और जहां पर एक भी कालेज नहीं होता है वहां पर कोई कालेज नहीं खोलते हैं। तो हमारे क्षेत्र में भी इस ओर ध्यान देना चाहिए।

एक और बात मैं मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि जो छात्रसंघ चुनाव होते हैं वो सत्र के अंतिम समय पर होते हैं, नवम्बर या दिसम्बर में होते हैं जब छात्रों की परीक्षाएं चल रही होती है और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां लग जाती हैं। यदि ये चुनाव जुलाई या अगस्त में जब छात्र प्रवेश लेता है उसी समय हो जो जाए तो पूरे साल काम करने का मौका मिलेगा और जो उसकी कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन पास करते ही कोई कहां चला जाता है, कोई अपने रोजगार में लग जाता है और उसकी कार्यकारिणी के आधे से ज्यादा सदस्य चले जाते हैं। इसलिए ये चुनाव जुलाई या अगस्त में ही होने चाहिए।

आज सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है और जो हमारे साथी विपक्ष के बैठे हैं वे बार-बार सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार ने यह नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, लेकिन मैं कहना चाहती हूं सरकार ने अनेक काम किये हैं, कई शिक्षण संस्थाएं खोली हैं और कई छात्रों को रोजगार दिया है। तो मैं कहती हूं कि हमें ऐसे समय में विचलित नहीं होना चाहिए। अंत में मैं यही कहती हूं—

सुख की सेज जिन्हें कभी प्रिय नहीं होती है,

सफलता सदा उसी के कदम चूमती है,

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

दुख की धार पार कर जाता है जो,

गंगा सदा उसी भगीरथ के पीछे होती है।

तो हमारे पीछे छात्रों की गंगा है, हमारे पीछे देश की गंगा है तो हम जरूर सफल होंगे। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ममताजी।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने बोलने का मौका दिया आखिर में महिलाओं को, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। शिक्षा के क्षेत्र का जहां तक सवाल है पहले से काफी सुधार आया है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि अभी भी सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। इतने वित्तीय संकट के बाद भी हमारी सरकार ने जो स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए सोचा उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, 200 सैकण्डरी, 200 हायर सैकण्डरी और एक हजार मिडल, यह बहुत बड़ी बात है उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और जो किसी ने नहीं बताया सबसे बड़ा उत्तरी भारत की हमारी लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में खोली है उसके लिए हम तहेदिल से मुख्य मंत्रीजी का और शिक्षा मंत्रीजी का धन्यवाद करते हैं और ऐसी लॉ यूनिवर्सिटी जिसमें सारे पी.जी. कोर्सेज हैं कम्पनी लॉ, लेबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, यह बहुत बड़ी बात है। एक बात और भी है। जिन कोर्सेज के लिए हमारे बच्चे बाहर जाते रहे हैं आउट ऑफ स्टेट, वो बहुत बड़ी बात है, अब हमारे इसी राज्य में कई कालेजेज ऐसे खोले हैं जिससे हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं बैंगलौर बच्चा जाता है या पूना जाता है 40-40 लाख का डोनेशन पेरेंट्स देते हैं वो खतम होगा। अभी माननीय सदस्य जगत सिंहजी कह रहे थे कि इंग्लिश स्कूल्स का जो चलन है उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां जितनी अनियमितताएं हैं जिनकी वजह से हम लोग अंग्रेजी स्कूलों की तरफ भागते हैं। अगर इन स्कूलों में भी, हिन्दी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए तो मैं सोचती हूं कि हमारे जो अभिभावकगण, संरक्षकगण हैं वे अंग्रेजी स्कूलों की तरफ नहीं जाएंगे। अंग्रेजी स्कूलों में सेकण्ड और थर्ड क्लास में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी है जो हमारे यहां हायर सैकण्डरी में भी अभी शुरू नहीं हुई है, हालांकि यह प्रोविजन है कि हमारे यहां हायर सैकण्डरी के बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अगर आप इंगलिश मीडियम स्कूल का बच्चा जो फोर्थ और फिफ्थ में पढ़ रहा है उससे ऐसी बात करते हैं तो वह इंटरनेट तक की बात करता है। इसलिए मेरा निवेदन

(श्रीमती ममता शर्मा)

है माननीय मंत्री महोदय से कि इन स्कूलों को हमें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समानीकरण हुआ लेकिन समानीकरण में मुझे कहने में अफसोस है कई अनियमितताएं भी हुई। पहले भी किसी माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया है कि जो डी.ई.ओ. लगे हुए हैं, तीन-तीन साल, चार-चार साल से एक जगह जमे हुए हैं उन्होंने इतनी मनमानी की है, उन्होंने किसी के सुनने की कोई परवाह ही नहीं की और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी.ई.ओ. यह कहे, सरकारी नौकर अगर यह कहने लगे, सरकारी अधिकारी कहने लगे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया जायेगा तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहूंगी कि उनको कोई न कोई ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी जगह लगाना चाहिए, उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह होनी चाहिए कि वह थोड़ा अपने आपको निहत्था महसूस करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि भवनों की बहुत बुरी हालत है और इतनी बुरी हालत है कि पट्टियां गिरने पर हैं और बच्चों की जान को पूरा-पूरा खतरा है। जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो कई ग्रामीण लोग हमसे कहते हैं, सरपंच साहबान हमसे कहते हैं कि साहब, हमारी स्कूल की मरम्मत कराइये। मैं जानती हूं सरकार पर वित्तीय संकट है और 8 साल की पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसीलिए यह नौबत आयी है। आप ऐसा बैंक रपट करके गये हैं कि इसीलिए यह हालत हो रही है, हम करा लेंगे पांच साल के अन्दर अन्दर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में शिक्षकों की बहुत कमी है, कहीं 320 छात्र हैं, दो ही कमरे हैं और शिक्षक भी तीन ही हैं तो उसका खामियाजा हमारे ग्रामीण लोगों को भुगतना पड़ता है, ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ता है। हमने जिस तरह से राजीव गांधी पाठशाला खोलकर एक नया उदाहरण कायम किया है और यह दिखाया है कि हमने शिक्षा और साक्षरता को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पहुंचाया है। इसमें भी हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारी सरकार की सराहना हो और ग्रामीण जनता को किसी भी तरह से इस बात की अनुभूति हो कि सचमुच सरकार बदली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक बात, जो एक बहुत अहम मुद्दा है जिसे मैं निवेदन करना चाहूंगी जो बड़े गांव हैं, कस्बे की तरह हैं या पंचायत समिति के हैडक्वाटर्स हैं उनकी एक सबसे बड़ी समस्या सामने आयी है कि शिक्षक स्टूडेंट्स को बाध्य करते हैं ट्यूशन के लिए और बाकायदा धमकी दी जाती है कि अगर आप ट्यूशन नहीं लेंगे तो आपको फेल कर दिया जायेगा। अगर ऐसे टीचर्स के नाम आते हैं तो उन्हें सचमुच

(श्रीमती ममता शर्मा)

में सजा देनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की हिम्मत वह न जुटा सकें। मेरे ही क्षेत्र का एक डोरा गांव है, उसकी हालत इतनी बुरी है कि जब जाते हैं तो ग्रामीण जनता कहती है, हालांकि बात वह डेढ़ साल पुरानी है लेकिन ग्रामीण जनता कहती है कि साहब, मास्टर साहब आते हैं, दारू की बोतल खोलते हैं और पीकर चले जाते हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा? बहुत शर्म की बात है हालांकि मैंने वहां स्टाफ भी चेंज करवाया है और काफी सुधार भी आया है लेकिन ऐसे शिक्षकों को हमें सजा देनी चाहिए। पंचायती राज के टीचर्स को जब हम कहते हैं कि आपकी शिकायत आ रही है कि आप स्कूल में नहीं जाते हैं, आप पढ़ाते नहीं हैं तो वह कहते हैं कि साहब, आप हमारा एक्स्ट्रा वर्क बन्द करवा दीजिये, हम स्कूल में आ जायेंगे क्योंकि जनगणना के लिए भी उन्हीं लोगों को जाना पड़ता है। तो इन कामों के लिए हमें दूसरे कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए ताकि वह रेगुलर स्कूल जायं और बच्चों को शिक्षा दे सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी पाठशाला की हालत यह हुई है ट्राइबल के ऐसे ऐसे गांवों में राजीव गांधी पाठशाला के स्कूल खुले हैं, ऐसी ऐसी पाठशाएं खुली हैं जो यह भी नहीं जानते थे कि कागज क्या है और शिक्षा क्या है और पढ़ाई क्या है। और आज वह धन्यवाद दे रहे हैं, उनके बच्चियां पढ़ने जा रही हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्रीमती ममता शर्मा : साहब, इतनी सी ही देर में ही, सभी टाइम लेते हैं। आपने महिलाओं को टाइम ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम दिया जब ही तो बोल रहे हो आप।

श्रीमती ममता शर्मा : साहब, हमारी संख्या 50 परसेंट है। हमारी सरकार ने दर्जनों प्राइवेट कालेजेज इस बार खोले हैं और टेक्निकल कालेजेज खोले हैं उसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल सभी कालेजेज खुले हैं और खास तौर पर देखने की बात यह है कि अधिकतर कालेज ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं इससे वहां के स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात हमारी सरकार की है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कालेजेज खुलना, टेक्निकल कालेजेज खुलना, यह बहुत बड़ी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मंत्रीजी से कुछ पंचायत की बात कहना चाहती हूं। एक तो पंचायतों का रिआर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पंचायतें गठित की वह अपने हिसाब से की, अपने वोटों के हिसाब से की, उनका रिआर्गेनाइजेशन अत्यन्त आवश्यक है। पंचायत हैडक्वाटर्स के पास ही पंचायत

(श्रीमती ममता शर्मा)

के गांव हों यह बहुत ज्यादा आवश्यक है। सरपंचों व अधिकारियों के द्वारा अभी जैसा माननीय सदस्य ताम्बी साहब फरमा रहे थे, सरपंचों व अधिकारियों पर भी अंकुश अत्यन्त आवश्यक है जो पुराने अधूरे काम हैं और जिनका पैसा ले चुके हैं उनका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए उन पर यह अंकुश लगाकर किसी भी तरह से उनसे हिसाब लेना अत्यन्त आवश्यक है जो हमारे पंचायत हैडक्वाटर्स पर शिविर लगते हैं उससे हमारी ग्रामीण जनता को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। और इतिहास में 50 वर्ष के बाद मेरी जो पंचायत समिति है तालेड़ा उसमें जब शिविर लगा तो 68 हजार ग्रामीण आये और 60 हजार ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का निवारण किया। उसके लिए मैं पंचायत राज मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इसी सिलसिले में अपनी भी एक बात कहूंगी। मैं पहले छोड़ गयी माफ करियेगा, बूंदी का गर्ल्स कालेज जो है वह तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने बूंदी शहर से सात किलोमीटर दूर खोला है। बूंदी इतनी बड़ी जगह नहीं है जहां कि ऑटो या सिटी बसेज अवेलेबल हों और लड़कियों के लिए प्राब्लम होती है, जब वह साइकल्स और इनसे जायं। तो वहां कोई भी अभिभावक अपनी लड़कियों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि ब्वायज कालेज के पास ही एक बहुत बड़ा भवन है उसमें गर्ल्स कालेज को शिफ्ट किया जाय क्योंकि वहां उस गर्ल्स कालेज में केवल 242 लड़कियां हैं। (व्यंवधान) वह तो पहले कहा था, उन्होंने कालेज खोला नहीं, उन्होंने तो भवन निर्माण करवाया है।

अब मैं कला और संस्कृति के बारे में दो मिनट के लिए बोलना चाहूंगी। रोम के बाद हिन्दुस्तान ऐसी जगह है, हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी धरोहर कला, संस्कृति बहुत रिच है, बहुत रंग बिरंगी और बहुत रिच है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें बूंदी सबसे ज्यादा रिच है।

श्रीमती ममता शर्मा : बूंदी सबसे ज्यादा रिच है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अफसोस है कि बूंदी की तरफ कोई निगाह नहीं डालता इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अफसोस जाहिर कर रही हूं। जितनी भी धरोहर हमारे यहां है, हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक धरोहर, इसका व्यवस्थित रूप से प्रचार और प्रसार होना चाहिए, वैसे तो हमारी मंत्रीजी इसके लिए काफी जागरुक हैं लेकिन फिर भी कई बार कई कमियां नजर आती हैं हालांकि वह कमियां वित्तीय संकट की वजह से भी हैं। जयपुर से ऐसे कंडक्टेड ट्यूअर्स अगर आर्गेनाइज किये जाय जो तीन-तीन दिन हमारी एसी. बसेज में लोगों को घुमाएं और सारे सर्किट्स जो हैं उनमें दिखायें कि

(श्रीमती ममता शर्मा)

यहां क्या है, फोर्टस एण्ड पैलेसेज, हमारी बहुत बड़ी-बड़ी झीलें अगर उनको दिखाया जाय, एक बहुत अहम मुद्दा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की वॉल पेंटिंग्स जो है फ्रेसकोज, उनकी पूरे संसार में चर्चा है लेकिन उनके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है। और यह चार-चार सौ, पांच-पांच सौ साल पुरानी हैं और फ्रेसकोज अगर प्रोटेक्ट नहीं किये गये तो यह बिलकुल खतम हो जायेंगे और एक कागजों पर इतिहास रह जायेगा कि वह फ्रेसकोज हमारे यहां पर कभी किसी जमाने में हुआ करते थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगी कि इस पर जरूर ध्यान दें।

बूंदी का एक छोटा सा मुद्दा मैं कहूंगी कि हमारे यहां सुखमहल के नाम से इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पास बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी। उसको सुखमहल जैतसागर के नाम से जाना जाता है। जैतसागर में किसी जमाने में दो साल पहले तक पैडल पुशर्स भी थे, ट्यूरिस्ट भी आता था और वहां पर लोकल व्यक्ति भी शाम को नौका विहार के लिए जाया करते थे। लेकिन इर्रिगेशन विभाग की कृपा से वहां पर कमल की जड़ों का ठेका दे दिया गया और उस ठेकेदार ने थोड़ी सी जगह के बदले पूरे तालाब को कमल की जड़ों से भर दिया है और उसने इतना पाल्यूशन फैला दिया है कि जो आदमी उससे आंख धो लेता है तो उसकी आंखों में जलन हो जाती है और अगर कोई नहा लेता है तो उसको एलर्जी हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे यह समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट कहता है कि हमने टूरिज्म को दे दिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट कहता है कि हमने इर्रिगेशन से अभी नहीं लिया है। तो मैं इस बात का खुलासा करना चाहती हूं कि उसके लिए हमने कम से कम जो एस्टिमेट बनाया है वह करीब 10 लाख रुपये का बना है। कम से कम उस तालाब में जो कमल की जड़ें हैं उनको हटाने के लिए जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाया जाए, मेरा ऐसा मानना है। इसके लिए तो कहीं से भी वित्त का इंतजाम करके माननीय मंत्रीजी से कहूंगी कि कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी : गणगौर कहां डूबी थी?

श्रीमती ममता शर्मा : उसी तालाब में डूबी थी। हाडो ले डूब्यो गणगौर। सब उसी जगह का किस्सा है, उसी तालाब का किस्सा है। तो उसको तो संवारना, सजाना हमारा कर्तव्य बनता है। इतनी बात कह कर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी एक बोलें। आप तीनों में से कोई एक बोल लो।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप बैठ जाइये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास के ऊपर अपने विचार रखना चाहूंगा। (सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने प्रदेश में विकेन्द्रीकरण की शासन व्यवस्था को अपनाया। आज भी ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, पंचायत समितियों के चुनाव होते हैं और जिला परिषदों के चुनाव होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पंचायत राज मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में और जिला परिषद में जो जो प्रस्ताव लिये जाते हैं उन प्रस्तावों पर राज्य स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की जाती है? उन प्रस्तावों के ऊपर कोई भी यहां काग्नीजेंस लेने को तैयार नहीं हैं जितने भी प्रस्ताव जो व्यावहारिक होते हैं, जिन प्रस्तावों के ऊपर सरकार को काग्नीजेंस लेकर के उसका उत्तर भी देना चाहिए, व्यवस्था भी देनी चाहिए लेकिन आपके पंचायत राज विभाग में कोई भी इस प्रकार का सैल बना हुआ नहीं है जो इस प्रकार का जवाब दे।

माननीय पंचायती राज मंत्रीजी मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं कि हमारी पंचायत समिति रायपुर ने कुछ टैक्स लगाने के लिए फाइल भेजी, यह फाइल 1997 में भेजी गयी और इस प्रकार के टैक्स थे जो आपके पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार टैक्स लग सकते थे लेकिन उन टैक्सों की फाइल का आज भी निराकरण नहीं किया। अगर उस टैक्स की फाइल को स्वीकार करते तो पंचायत समिति रायपुर को कम से कम तीन लाख का टैक्स प्रतिवर्ष आरा मशीनों से, होटलों वालों से, व्यवसाय कर से प्राप्त होता। लेकिन आपके इस पंचायती राज निदेशालय ने आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं दी। पंचायत राज मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष आपने ग्राम सेवकों के, ग्रुप सचिवों के टैस्ट भी लिये। हमारे पाली जिले के बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं कहां जांची गयी? जयपुर में उन बच्चों की जांची गयी। जयपुर में जांचने के बाद जो बिलकुल फेल होने वाले लड़के थे उन लड़कों को पास कर दिया। बड़ा हल्ला-गुल्ला मचा, अखबारों में भी काफी टीका-टिप्पणी आयी। लेकिन आज दिन तक हमारे पाली जिले में ग्रुप सचिवों की कोई नियुक्ति नहीं हो रही है और न ही आपके यहां से फाइल का निस्तारण हो रहा है जिसके कारण से हमारे यहां पर पंचायत समिति में कहीं तो 8 ग्रुप सचिव हैं, कहीं 10 ग्रुप सचिव हैं और बड़ी भारी कमी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामले हैं इनको तत्काल निर्णित करना चाहिए लेकिन अभी तक उसके बारे में किसी प्रकार

(श्री हीरासिंह चौहान)

का निर्णय नहीं लिया। पंचायत समितियों से, जिला परिषदों से जो भी प्रस्ताव आते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई काग्नीजेंस नहीं लिया जाता।

माननीय मंत्रीजी, आपने कई सेमीनार किये, कई प्रकार के अखबारों में आपने पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं आपने अमल में लाने के लिए प्रयोग के तौर पर काफी बातों को लिखा लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी अभी-अभी 10 प्रतिशत जो ग्राम सभाएं होती हैं वह ग्राम सभाएं भी सक्सैसफुल नहीं होती हैं। अब आप वार्ड सभा पर चले गये। आप गांव वालों को क्या देना चाहते हैं? वार्ड में 100 घर होते हैं। वार्ड सभा के स्तर तक आप प्रस्ताव बना-बना कर लाना चाहते हैं। दुनिया भर के प्रस्ताव आपके पास आ जाते हैं। आर्थिक संसाधन है नहीं, किस व्यवस्था के तहत, साधनों के तहत आप कार्यवाही करायेंगे? हर गांव वाला चाहता है, हर वार्ड वाला चाहता है कि हमारे वार्ड में इतना काम हो, हमारे वार्ड में अमुक काम हो, लेकिन बिना साधन इस प्रकार के कोई काम हो नहीं सकते इसलिए पंचायत राज मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप मजबूत बनाइये।

आपकी पंचायत समिति की बैठकों में आपके उप खण्ड स्तर के, तहसील स्तर के, आपने एक्ट में दे रखा है, बार-बार उनको नोटिस दिया जाता है लेकिन कोई भी अधिकारी पंचायत समिति की बैठकों को अटेंड नहीं करता। जब तक वहां अधिकारी है, एईएन. है, जेईएन. है, वहां का जो भी अधिकारी है, अगर इन पंचायत समिति की मीटिंगों को अटेंड नहीं करेगा तो जो भी वहां निर्णय लिये जाते हैं, आपके राज्य स्तर पर भेजते हैं, जिला परिषद में भेजते हैं वहां पर कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये संस्था जो आपने बनायी है, यह संस्था बहुत महत्त्वपूर्ण है। आपने विकेन्द्रीकरण किया है कि जिले की समस्या जिला परिषद से निपट जाए, पंचायत समिति की समस्या पंचायत समिति स्तर पर निपट जाए लेकिन इसका जब तक हम खुलासा करके इसको कठोर नियमों में बांधकर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अभी ताम्बी साहब बोल रहे थे, 1994 में एक्ट पास किया गया। अविश्वास आने के लिए दो साल की अवधि रखी। अब आप कह रहे हैं कि एक साल कर दी जाए। आप गांवों के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? गांवों के माहौल को ठीक करना है तो यह अविश्वास की प्रक्रिया बहुत खतरनाक है, यह न तो आपको छोड़ेगी और न हमको छोड़ेगी, किसी को बख्शने वाली नहीं है। आप आरोप

(श्री हीरासिंह चौहान)

लगाते हैं कि हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के घोटाले करवाये हैं। क्या सरपंच हमारे थे क्या? सरपंच आपके थे, सरपंच हमारे थे। ये सरपंचों के चुनाव पार्टी स्तर पर होते हैं क्या? लेकिन हमको केवल यह कहना है कि पिछली सरकार ने यह कर दिया, पिछली सरकार ने यह कर दिया। पिछली सरकार ने तो जितने भी भ्रष्ट सरपंच थे उनको बाकायदा चुनाव लड़ने से निष्कासित किया, वे चुनाव में भाग नहीं ले सके। लेकिन किसी सरकार पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि किसका सरपंच होता है सरपंच गांव का चुना हुआ होता है। भ्रष्टाचार है तो गलत किया है, दंडित करो न उसको। कौन रोक रहा है? पिछली सरकार ने बचाया या हम बचाना चाहते हैं? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के महज आरोप लगाने से, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं लेकिन कौन किसका सरपंच है, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, पंचायत राज मंत्रीजी, मुझे थोड़ा शिक्षाकर्मी योजना का अनुभव है। यह शिक्षाकर्मी योजना पिछले तीन-चार साल से, आठ-दस साल से हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी लेकिन अब इस योजना को या तो आप बंद करना चाहते हो या इसको आगे बढ़ाना चाहते हो। आपने स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को चालू करने के बाद में या तो इस योजना को बन्द करो और अगर बन्द नहीं करना चाहते हो कम से कम शिक्षाकर्मी योजना के तहत जहां-जहां भी छात्रावास है, प्रशिक्षण केन्द्र हैं वहां पर पुनः भर्ती करके उनको संचालित करने की व्यवस्था करो। एक बात के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इसके लिए बजट प्रावधान नहीं थे, आप केन्द्र सरकार के साथ सारी कार्यवाही करके आपने इसके लिए बजट का प्रावधान किया। एक धन्यवाद पचांयत राज मंत्रीजी आपको और देना चाहता हूं, हमने आपसे निवेदन किया था कि मगरा विकास और योजना बनायी जाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तीन चार जिलों में जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके रोजगार के कोई काम नहीं हैं। इस बजट में कम से कम एक प्रावधान तो आपने किया कि मगरा विकास योजना बनायी लेकिन मेरा निवेदन है कि केवल 10 लाख रुपये देकर के, केवल एरिया चिन्हित करके नक्शा बनाने का काम नहीं होना चाहिए, इस बजट वर्ष में कम से कम आपको 2-3 करोड़ रुपये

(श्री हीरासिंह चौहान)

देनें चाहिए ताकि इस योजना का फायदा हो सके। मैं माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए नाना प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार की ओर से पैसे मिलते हैं और 20 प्रतिशत पैसे स्टेट गवर्नमेंट देती है। पिछले वर्ष में 300 करोड़ रुपये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मेचिंग ग्रांट के जो पैसे मिलने चाहिए वह नहीं मिलने से 300 करोड़ रुपये लैप्स हुए। क्या सालभर में गांव में कोई काम हुआ? एक साल में गांव में कोई काम नहीं हुआ? अभी हमने आपका यह निष्पादन आय-व्यय अनुमान देखा है। उसमें डी.डी.पी. में पिछले साल भर में हमारे पाली जिले में कोई काम नहीं हुआ। इस साल आपने कुछ अलाटमेंट बताया है और डी.डी.पी. की राशि जिसका राजसमंद और उदयपुर जिलों में कोई प्रयोग ही नहीं है। वह डी.डी.पी. का जिला नहीं है। उस जिले में भी आपने, इसमें यह लिखा है कि डी.डी.पी. के जिले हैं, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जालौर, झुंझनूं, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, पाली, सीकर, ये जिले हैं लेकिन पिछले वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत इस क्रम में उदयपुर और राजसमंद जिलों में क्रमशः चार और छह परियोजना आवंटित कर 28.10 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा अभिकरणों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा भी दोनों जिलों को राज्यांश के रूप में 6.25 लाख रुपये उपलब्ध करा दिये गये हैं एवं शेष 3.10 लाख रुपये भी उपलब्ध करवाये जाने की बात है। और है क्या, मरू विकास कार्यक्रम। मरू विकास कार्यक्रम के तहत Udaipur and Rajsamand Districts are not included at all.

अब हमारे यहां पर तो हमने देखा है, सब जगह गये हैं। हम बीकानेर की तरफ भी गये हैं, हमारी कमेटी के टूर में गये थे। गंगानगर भी गये हैं, हनुमानगढ़ में गये हैं, जैसलमेर भी गये हैं, बाड़मेर भी गये हैं लेकिन यह डी.डी.पी. की राशि, इस आवंटन में तो बताया गया है लेकिन जिस समय हम दिसम्बर में गये थे, वहां पर किसी प्रकार की राशि का आवंटन नहीं किया गया था इसलिए यह योजना विभिन्न प्रकार की, ग्रामों का विकास करना चाहते हैं, ग्राम का विकास केवल इस ग्राम विकास की योजना जो दे रखी है, दसों प्रकार की योजना हैं उसमें 75 प्रतिशत, बहुतायत योजना में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देता है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देता है। कुछ एम.पी. फण्ड के होते हैं, कुछ एम.एल.ए. फण्ड के होते हैं और यह सारा पैसा मिलकर गांव के विकास में लगाते हैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पैसे का जब तक समुचित उपयोग नहीं होगा और ये बहुत सारी योजना है। आप जिला परिषद के मार्फत कुछ करना

(श्री हीरासिंह चौहान)

चाहते हैं, कुछ पंचायत समितियों के मार्फत करना चाहते हैं लेकिन यह जब तक पैसा नहीं आता है, यह सारी योजना कागजों में रह जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन योजनाओं पर तत्काल और यह जो बजट का एलोकेशन है, माननीय भैरोंसिंह जी के राज में मई में बजट का एलोकेशन हो जाता था और जिलों में चला जाता था। इस साल दिसम्बर, जनवरी, फरवरी तक बजट नहीं गया और जब बजट नहीं गया तो काम कहां से होगा। इसलिए सरकार को चाहिए, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी, इस बात की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिये कि राज्य के बजट का एलोकेशन मई में कम्प्लीट होकर सारा, जो भी फण्ड आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप जिलों को ट्रांसफर कर दीजिये। जब तक यह जिलों में ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक यह किसी प्रकार का काम नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। शिक्षा विभाग में समायोजन की बात बहुत चल रही है। मैं पंचायतीराज विभाग की बात करना चाहता हूं। पता नहीं किस समय कौनसा आदेश गया था जो 12 महीने से पंचायती राज संस्थाओं में एक भी अध्यापक का ट्रांसफर नहीं हुआ है। किस प्रकार का प्रतिबंध हमने लगाया है। अभी हमारी पंचायत समिति में 14.3.2000 को एक रिजोल्यूशन पास किया। हमारा विकास अधिकारी कहता है कि अभी इसमें प्रतिबन्ध लगाया है जिला परिषद के एडिशनल सीई.ओ. को कहा तो वह कह रहा है कि प्रतिबन्ध है। हमने कहा कि प्रतिबन्ध है पर हमारे कम से कम 20 टीचर हैं, स्कूलों में अधिक बैठे हैं, जहां उनकी जरूरत नहीं है, हम उनका समायोजन करना चाहते हैं। वह लैटर 1.4.2000 को आपके पंचायती राज निदेशालय को भेजा है। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज 45 दिन हो गये हैं। 45 दिन में कागजों में कोई भी काग्नीजेंस नहीं लिया जा रहा है। यह कोई व्यवस्था थोड़े ही चल सकती है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आपका आग्रह है कि मैं समाप्त करूं लेकिन पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आपको सभी प्रकार की पृष्ठ भूमियां मालूम हैं। इसलिए इस पंचायती राज को सशक्त करना, मजबूत करना है तो पंचायत समिति है, जिला परिषद है और ग्राम पंचायतें हैं, इनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान में रखकर जो भी आपके अधिकारी हैं, जो इन योजनाओं के साथ, गांव के साथ, इन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनको स्ट्रिक्ट रहकर, उनको आपको डाइरेक्शन देने पड़ेंगे। और आप जब तक स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, आपका यह लोकतंत्र में हल्ला-गुल्ला मचाना, गांव में किसी प्रकार का काम नहीं हो सकता।

(श्री हीरासिंह चौहान)

गांव में जो लोग सोचते हैं कि पंचायत के चुनाव हुए पंचायत समिति के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए तो वह रिजल्ट ओरयंटेड नहीं होगा। इसलिए अंत में मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके इस सारी व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए प्रभावशाली निर्देशन की जरूरत है, डाइरेक्शन की जरूरत है और इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अमीन ख़ान : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोल रहा हूं। मैं कोई लम्बा-चौड़ा नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। मैंने मंत्रीजी को काल=अपोन कर लिया है। बैठिये आप प्लीज। ये बोल लें, उसके बाद बोल लेना। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये बैठिये।

श्री रामस्वरूप :...आप मेहरबानी करके हमें दो मिनट का समय दें। हम यहां बैठे हुए हैं सुबह 10 बजे से लगातार और...(व्यवधान) सुन रहे हैं। यहां पर हमारा नम्बर काटा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, हमें समय दिया जाये बोलने के लिए।

श्री अमराराम चौधरी : हमें हमारे क्षेत्र की कई स्कूलों के बारे में कहना है। हम दो मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमें शिक्षा पर बोलने के लिए जनता ने भेजा है। हम हमारी मांग दो मिनट में रखना चाहते हैं। जो माननीय सदस्य चले गये उनका तो आपने नाम दे दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : इस अकाल के अन्दर आपके पास कोई टैंकर नहीं है कि उन टांकों को भरने के लिए, मास्टरों के लिए, मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। इस प्रकार की हालत है राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है साहब, दो मिनट का समय दें, शिक्षा पर बोलना चाहते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें दो मिनट का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप शुरू कीजिये।

श्री अमराराम चौधरी : कैसे क्या विकास करेंगे ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दो मिनट का समय हम चाहते हैं। जो लोग यहां से चले गये। पूरा सदन खाली पड़ा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है। आपका नाम ही नहीं है। (व्यवधान) आपकी पार्टी ने आपका नाम ही नहीं दिया तो आप काहे को बोलना चाहते हैं ? (व्यवधान) नहीं दिया है आपका नाम। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं और उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय रामस्वरूप जी, विराजिये, विराजिये। नहीं देंगे दो मिनट का समय।

श्री रामस्वरूप : दो मिनट का समय मांग रहे हैं। मात्र दो मिनट का समय आपसे मांगा था।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप। नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपसे विनम्र निवेदन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस कोई आर्डर से चलता है, ऐसे नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम उम्मीद में थे कि हमको समय मिलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं देंगे, नहीं देंगे। माननीय रामस्वरूप जी, विराजिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नहीं, मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ अन्याय है और हम यहां बैठते हैं और आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। सुबह से शाम तक यहां बैठे रहते हैं। सारे लोग चले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलेंगे। आप बैठिये बैठिये। (व्यवधान) आप काहे को बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस है क्या, मंत्रीजी यह क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप : मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके चीफ व्हिप से स्वीकृति लीजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं।

श्री अमराराम चौधरी : वहां आज दो-दो महीने से पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। आप बैठिये प्लीज।

श्री अमराराम चौधरी : हम लोग भी चुनकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई नियम तो सुनते नहीं हैं। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : 5-5 मिनट दे दो। पांच मिनट इनको और पांच मिनट इनको दे दो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, हाउस कोई आर्डर से चलता है। मुख्य सचेतक जी ने जो लिस्ट दी है, मुख्य सचेतक ने जो लिस्ट दी है, उसके अनुसार मैंने इनको बुला लिया। उनका नाम नहीं है। (व्यवधान) आप बैठिये, बैठिये आप। आप उनसे कहिए, मुझे मत कहिए। मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। आप हाउस को आर्डर में चलने दीजिये। यह कोई तरीका नहीं है। इसका कोई एंड ही नहीं है। अंकित नहीं हो। आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप बैठिये। आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप बैठिये प्लीज।

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है, आप काहे को बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप काहे को बोल रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति, मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में सम्मानीय सदस्यों ने जो कट मोशन दिये हैं, उनका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं और उन कट मोशन के जवाब मैं उन माननीय सदस्यों को अपने विभाग की तरफ से दूंगा...

मैं उन माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं जिन माननीय सदस्यों ने आज की डिबेट में भाग लेकर अपने विचार अभिव्यक्त किये। मेरे को यह प्रसन्नता है कि हमारी सरकार बनने के बाद लगभग एक साल हो गया, आज हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि पिछली सरकार जो सत्ता में थी, उनके कार्यक्रमों के कारण या उन्होंने जो काम किये उसके कारण हम विभाग में क्या काम कर पाये या नहीं कर पाये, यह स्थिति आज हमारी नहीं है। आज हम सदन में पिछले एक साल में जब हम सत्ता में आये उसके बाद हमने जो कार्यक्रम किये और जो कार्यक्रम हम आगे करना चाहते हैं उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले विरोधी पक्ष के उप नेता जो बड़ी सादड़ी से आये हैं उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि जो विचार उन्होंने अभिव्यक्त किये, मैं ऐसा मानता हूं कि यह विचार उनके व्यक्तिगत विचार नहीं थे। जब वे बोल रहे थे तो शायद वह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, विधान सभा के उप नेता के रूप में बोल रहे थे। जो बातें उन्होंने कही उन बातों के संबंध में मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी में विचार हुआ होगा, उनकी पार्टी के सदस्य भी उन सब विचारों से सहमत हैं जो बातें बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह मेरा सौभाग्य है कि आज जिन तीनों मांगों के बारे में चर्चा हो रही है उन तीनों मांगों का संबंध है हमारी सरकार अगले चार साल में किस दिशा में कदम उठायेगी, चाहे वह ग्रामीण विकास का सवाल हो, चाहे पंचायती

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी).

राज का सवाल हो, चाहे वह शिक्षा का सवाल हो। हमारी सरकार की यह स्पष्ट मान्यता है कि हमारी सरकार अगले चार साल में ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट को आधार बनाना चाहती है विकास का। हमने पचास साल में जो कल्पनाएं की विकास की उस कल्पना में हमने आधार बनाया फिजिकल असेट्स को। हमने आज गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, सड़क की व्यवस्था की, इर्रिगेशन की व्यवस्थाएं की, स्कूल खोले, अस्पताल की व्यवस्था की, उसमें कमी और खामी है इसकी चर्चा की जा सकती है और की भी जानी चाहिए क्योंकि एक गिलास में जब आधा गिलास पानी भरा हुआ होता है तो एक पक्ष यह कह सकता है कि इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि आधा गिलास खाली है। हम उन लोगों में से हैं, हमारी पार्टी ने पचास साल में प्रयत्न किया, इसलिए हम कहते हैं कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है। हमने जो कुछ किया उसमें और काम करना बाकी है लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं उनकी कल्पना और उनकी मानसिकता है कि आधा गिलास खाली है। तो जिनकी मानसिकता आधा गिलास खाली की है उस मानसिकता को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगले चार साल में किस तरह से हम राजस्थान के ग्रामीण विकास की दृष्टि से ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट को आधार बनाकर विकास की कल्पना कर रहे हैं उसके संबंध में जो हमारा चिंतन है, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसके बाद माननीय विपक्ष के नेता जो भी अपने प्रश्न रखना चाहें, वह रखें और मुझे खुशी होगी कि जिन आधारों को लेकर हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं नई सदी में, उसमें पंचायती राज भी एक भूमिका अपनाता है, ग्रामीण विकास की भी एक भूमिका है और उन सबसे बड़ी भूमिका है शिक्षा की भूमिका। अब शिक्षा के परिदृश्य में, आज हम यह चर्चा करें कि हायर एजुकेशन के संबंध में क्या चर्चा है, भीलवाड़ा जिले से आने वाले जो सदस्य हैं उन्होंने हायर एजुकेशन के संबंध में अपनी चर्चा यहां अभिव्यक्त की।

श्री उपाध्यक्ष : सहाड़ा से।

श्री सी. पी. जोशी : सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रामीण विकास के संदर्भ में आंकड़े दिये और अपने विचार अभिव्यक्त किये। मैं उन सब चीजों को धीरे-धीरे, जो उन्होंने प्रश्न उठाये उनके संबंध में ध्यान आकर्षित करूंगा लेकिन मैं पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का क्योंकि वह तत्कालीन उस समय के

(श्री सी. पी. जोशी)

हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्या उनको यह जानकारी है कि 2000-2001 में राजस्थान की जो जनसंख्या है वह हो जायेगी करीब 5.2 करोड़? जब 5.2 करोड़ व जनसंख्या हो जायेगी, उसमें प्रोजेक्शन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी संख्या होगी 1.30 करोड़। जो आंकड़ें हायर एजुकेशन के हैं, मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। वहां पर एस.टी. की पोपुलेशन की कितनी पर्सेंटेज है, एस.सी. की पोपुलेशन की कितनी पर्सेंटेज है, एस.टी. की महिलाओं का कितना पर्सेंटेज शिक्षा ले रही है, एस.सी. की महिला कितनी शिक्षा ले रही है, ओ.बी.सी. की कितनी शिक्षा ले रही है, माइनोरिटी की कितनी शिक्षा ले रहे हैं, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हूं, पर क्या पचास साल बाद हमारे मन में यह कल्पना नहीं होनी चाहिए कि जो यह 5.2 करोड़ जनसंख्या है जिसमें 1.30 करोड़ केवल मात्र 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इनकी शिक्षा की कल्पना कौन करेगा। जब तक इनकी शिक्षा की कल्पना हम नहीं करेंगे तब तक हम कितनी ही बातें कर लें, शिक्षा में यह परिवर्तन होना चाहिए, यह सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन यह चीजें हैं, इनका सीधा सम्बन्ध राजस्थान की फाइनेंशियल पोजीशन से है। इनका सीधा सम्बन्ध है भारत सरकार फाइनेंशियल पावर जो डिवोल्यूशन करती है स्टेट्स को, उसके फार्मूले के आधार पर राजस्थान सरकार को कितना पैसा मिलता है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमने एक सोची-समझी रणनीति के अन्तर्गत कहा और फिर कहना चाहते हैं कि पंचायती राज को जब हमने एम्पावरमेंट किया, पंचायती राज को हमने सुदृढ़ीकरण का काम किया तब हमें मालूम था कि यह चुनाव का अंतिम वर्ष है और नये चुनाव होने वाले हैं और आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि नये चुनाव हुए। नये चुनाव होने के बाद पब्लिक ने हमें मेन्डेट दिया और मेन्डेट इस बात के लिए दिया कि पंचायती राज को धुरी बनाकर हम ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट को कैसे डवलप करना चाहते हैं। इसलिए हमारे मन में कल्पना है कि जो पंचायत के माध्यम से कम्युनिटी को आधार मानकर, समुदाय को आधार मानकर यह 1.30 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें एस.टी. के बच्चे हैं, एस.सी. के बच्चे हैं, माइनोरिटी के बच्चे हैं, जो ढाणी में रहते हैं, जो मजरों में रहते हैं उनको सबसे पहले शिक्षा के काम में जोड़ें। और जब मैं यह बात कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब मुझे परिदृश्य याद आता है जिसमें यदि हम यह खड़े होकर कह दें कि आज अलवर से जो माननीय सदस्य आये हैं और बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि वहां पर बिहार से लोग आये हैं उनकी डिग्री की व्यवस्था नहीं है, उनकी नौकरी के

(श्री सी. पी. जोशी)

संबंध में यह व्यवस्था है। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में जैसलमेर में एक केस पकड़ा, उसकी कार्यवाही के संबंध में क्या है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, हमने यह आधार बनाया है कि प्राथमिक शिक्षा जो पहली से पांचवीं की शिक्षा है, यह शिक्षा गवर्नमेंट के जो एम्पलाई, थर्ड ग्रेड टीचर हैं, जो थर्ड ग्रेड टीचर बाड़मेर में नहीं जाते हैं, जो बांसवाड़ा में नहीं जाते हैं, जो झालावाड़ में नहीं जाते हैं और इंटीरियर में नहीं जाते हैं, उनके भरोसे यदि हमने प्राथमिक शिक्षा की कल्पना की जो अगले पचास साल भी यह 1.30 करोड़ जो बच्चे हैं वह शिक्षा के क्षेत्र से वंचित हो जायेंगे।

इसलिए हमने यह आधार बनाया है कि कम्युनिटी को, पंचायत राज को एम्पावरमेंट करके पंचायत के चुने हुए सरपंच को अधिकार देकर, ग्राम सभाओं के माध्यम से हम चयन करना चाहते हैं कि किस जगह पर आपकी पंचायत में पढ़ने वाले बच्चे उपलब्ध हैं और किस जगह पर पढ़ने वाले साधन-सुविधा उपलब्ध नहीं है। और यह प्रयोग हमने पिछली बार किया था और आज फिर हम कहना चाहते हैं, हमने 9184 पंचायत के चुने हुए सरपंच, एक साल था, यही समय था जब हम विधान सभा में थे और हमने एक मई को, जब विधान सभा चल रही थी तब हमने कहा कि एक मई को ग्राम सभा करायेंगे। ग्राम सभा में पैरा टीचर का सलेक्शन करायेंगे, राजीव गांधी पाठशालाओं की लोकेशन के लिए करेंगे, तब लोगों के मन में कल्पना नहीं थी। आज एक साल लगभग होने आया है,आज एक साल पहले किसी के मन में कल्पना नहीं थी कि राजीव गांधी पाठशालाएं खुल सकती हैं। राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वालों का चयन ग्राम से पढ़ा हुआ सरपंच कर सकता है, यह मन में कल्पना नहीं थी। आज मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, हमने उन चुने हुए सरपंच को यह पूछा नहीं कि वह भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह कम्युनिस्ट पार्टी के हैं क्योंकि हमारी फिलासपी थी 73वें अमेंडमेंट के बाद की पंचायत के चुने हुए सरपंच को शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए हमने उनसे शिक्षा का, उनसे पैरा टीचर का सलेक्शन करवाया और उसके बाद स्कूल भवन कहां बनना चाहिए उसका काम करवाया और स्कूल भवन बनाने के लिए हमने व्यवस्था कराई कि टी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. के पैसे के साथ-साथ अकाल राहत के काम को हमने जोड़ा। आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि आज दो महीने के उस प्रयोग के बाद राजस्थान में न केवल तेरह हजार जगह हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं लेकिन हमने पहली बार एक सोसियल इंजीनियरिंग

(श्री सी. पी. जोशी)

का एक कंसेप्ट भी चेंज किया पढ़ाने वाले का। आज दिन तक पढ़ाने वाला जो अध्यापक था वह शहर में रहने वाला था, टाउन में रहने वाला था। वह सवर्ण जाति का था या बड़ी जाति का था, लेकिन गांव में पचास साल पहले जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसान ने अपने बच्चे को दसवीं क्लास पढ़ाई, गांव के आदिवासी ने जिस बच्चे को पढ़ाया, शिडयूल्ड कास्ट के आदमी ने जिस बच्चे को पढ़ाया, जो महिला पढ़कर आई उसको शिक्षा में जुड़ने का अवसर इसलिए नहीं मिलता था कि वह कालेज में नहीं पढ़ा था, शहर में नहीं पढ़ा था। उनके पर्सेंटेज नहीं बनते थे, उनके मेरिट के जो फार्मूले बना रखे थे उससे वह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आ रहे थे। इसलिए हमने पंचायत में अमेण्डमेंट कराकर, बड़ी सादड़ी से जाने वाले माननीय सदस्य, आप इस बात को जानते हैं कि शिक्षाकर्मी योजना क्यों प्रारम्भ हुई। शिक्षाकर्मी योजना इसलिए प्रारम्भ की कि इंटीरियर क्षेत्र के अंदर गांव में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं जाते हैं। उनके डिफिकल्ट एरिया है, वह स्कूल ठीक ढंग से नहीं चलते हैं। यह शिक्षाकर्मी योजना जब हमने प्रारम्भ की जिसमें आठवीं क्लास में पढ़ाने वाले तीन हजार आदमी शिक्षा कर्मी का काम कर रहे हैं तब तो शिक्षा के साथ कम्प्रोमाइज नहीं होता है और राजीव गांधी पाठशाला में तेरह हजार आदमियों का हमने सलेक्शन किया जिसमें केवल मात्र एक हजार बच्चे आठवीं पास हैं, बाकी सब बच्चे दसवीं से ज्यादा पास है तब शिक्षा से क्वालिटी में कम्प्रोमाइज हो जायेगा, शिक्षा घट जायेगी। यह बातें कहना सरल हैं लेकिन हमारे मन में कल्पना है कि अगले चार साल में पहली से पांचवीं तक पढ़ाने का काम हम पंचायत के माध्यम से करना चाहते हैं। और जब पंचायत के माध्यम से कराना चाहते हैं, इसलिए हमने वार्ड सभा को आधार माना है। हमें मालूम है इस बात का कि पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल है, पंचायत मुख्यालय पर आठवीं स्कूल है, पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर है, पंचायत मुख्यालय पर बिजली की व्यवस्था है, पंचायत मुख्यालय पर पीने के पानी की व्यवस्था है। लेकिन ढाणी में रहने वाली जगह में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ढाणी में स्कूल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमने यह फैसला किया है कि वार्ड सभा होगी, जो फैसले करेगी। यदि चालीस बच्चे पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाने का काम करने के लिए पैरा टीचर कैसे बने, कहां स्कूल खुलना चाहिए, यह निर्णय करने का काम वार्ड सभा करेगी। इसलिए हमने कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन किया। हिन्दुस्तान के इतिहास में राजस्थान पहली सरकार है जिसने पंचायती राज में वार्ड सभाओं को आधार बनाया है कि वार्ड सभा को आधार बनाकर हम काम करायेंगे। हमने यह हाइपोथिटिकली बात नहीं की है। जब हमने वार्ड सभा कराने का काम किया है, तो

(श्री सी. पी. जोशी)

पिछली बार जब हमने ग्राम सभा कराई थी तब ग्राम सभा कराने के लिए, हमने 9184 पंचायतों के अंदर ग्राम सभा करवाने के लिए हमने सोलह हजार अध्यापकों का चयन किया, उनको ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद ग्राम सभा कराई उस ग्राम सभा में हमने उनको कहा कि इसका विलेज प्रोफाइल बनायें। यह बात सही है।

(20.00 बजे)

जब विलेज प्रोफाइल बनाने की बात हमने कही तो हमें मालूम था कि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं लोगों ने अपनी सारी जो कल्पनाएं की थीं उनको उसमें जुड़वा दिया। कई आदमियों ने पुल की बात कर दी किसी ने सड़क की बात कर दी। जितने संसाधन होने चाहिए उससे ज्यादा प्रस्ताव दिये लेकिन हमारे मन में कल्पना थी कि लोगों के मन में विश्वास पैदा होना चाहिए कि हम कोई योजना कैसे बना सकते हैं। अब जो हम कहने की स्थिति में हैं संविधान में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रोविजन किया है जिस संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत 73वें अमेंडमेंट के बाद किसी भी सरकार को राजस्थान सरकार ही नहीं हिन्दुस्तान की हर सरकार को प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान पास कराना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से। उसके बाद विधान सभा में चर्चा होगी। यह संवैधानिक व्यवस्था है। हम चाहें या नहीं चाहें। अब हिन्दुस्तान में यह परिवर्तन होगा इस परिवर्तन के अन्तर्गत प्लान बन कर आएगा डिस्ट्रिक्ट पर और इस प्लान की ये टोप्सीटर्वी को बदलना चाहते हैं। यह प्लानिंग कमीशन जो दिल्ली में बैठकर प्लान की बात करता है यह राजस्थान सरकार या अलग-अलग प्रदेश के लोगों के प्लान की बात करता है। यह प्लान की बात अब स्टार्ट होगी नीचे से और इसको धुरी बनाया हमने वार्ड में। इसलिए वार्ड सभा के माध्यम से हम बनाना चाहते हैं कि वह निर्णय करके कि मैं स्कूल खोलने का काम कर सकता हूं मेरे कहने से पैरा टीचर लग सकता है। मेरे कहने से यह काम हो सकता है। उस काम को करने के लिए हम ट्रेनिंग करा कर अगली 1 मई से 10 मई तक राजस्थान की 9184 पंचायतों में लगभग 1.03 वार्ड हैं वहां पर उन सब में हम वार्ड सभा करवा रहे हैं और वार्ड सभा कराने के पहले हम हर वार्ड सभा को करने वाला जो आदमी है, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देकर कि कैसे वार्ड सभा में काम करना है, कैसे प्लान करना है। कैसे पेरा टीचर का सलेक्शन करना हैं। क्या उसमें नियम होंगे, क्या कानून होगा, कैसे व्यवस्था करनी है उसको आधार बनाकर हम यह काम करना चाहते हैं। पिछले समय में जो बातें हुई जिसमें हमारे माननीय सदस्यों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि राजीव गांधी पाठशाला के सलेक्शन में आपने वार्ड को आधार बना दिया जिससे उस वार्ड का आदमी सलेक्शन हो गया इसमें बदलाव होना चाहिए। हम इससे सहमत हैं। हमने

(श्री सी. पी. जोशी)

परिवर्तन किया है। अब वार्ड आधार नहीं बनेगा। अब आधार बनेगा कि यदि वहां पर स्कूल खुलनी है और उस पंचायत में उस कैटेगरी का आदमी उपलब्ध है, सबसे पहले हम बी.ए.बी.एड. या एम.ए., बी.एड. आदमी हो उसको बनायेंगे उसके बाद बनायेंगे हायर सैकण्डरी एस. टी. सी. के को। ये जो ट्रेंड आदमी अवेलेबल हैं उनको हम पहले काम देंगे और उसमें भी पहले काम हम देंगे जहां पर राजीव गांधी पाठशाला में 50 से ज्यादा बच्चे हो गये। वहां पर दूसरा टीचर, आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंति है, उस काम को करने के लिए सेंकड जो टीचर होगा वह केवल मात्र महिला होगी। यह काम हम करना चाहते हैं। और यह काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारे मन में कल्पना है कि पांचवीं क्लास तक को पढ़ाने का काम पंचायतों को करना है तो 15 मई को सम्पूर्ण राजस्थान की 9184 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर पैरा टीचर्स का सलेक्शन होगा, फीमेल पैरा टीचर का और 15 मई को पूरे राजस्थान में 9184 पंचायतों में महात्मा फूले की कल्पना को पूरा करने के लिए 10 हजार के करीब महिलाओं को शिक्षा के काम में जोड़ने का काम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से करेंगे वह सरपंच साहब चुनेंगे। उस पंचायत में जो हमारी पढ़ी-लिखी बहनें हैं पढ़ी-लिखी हमारी बहु बन कर आ गई है, पढ़ी-लिखी हमारे जो घर पर बैठी हुई माता है, हमारी उन लोगों को जो पढ़ी लिखी होकर समाज के इस काम में नहीं जुड़ रही हैं उनको पहली और दूसरी कक्षा के काम को करने के लिए जोड़ना चाहते हैं। और जब मैं यह बात कहना चाहता हूं तब मुझे यह जानकारी है कि जब हमने समानीकरण की बात की, समानीकरण में कमी और खामी हो सकती है। पर समानीकरण के माध्यम से हमने 17 हजार अध्यापकों को आज सेकेंडरी स्कूल से निकाल कर मिडिल स्कूल से उनको जोड़ा है। 17 हजार आदमियों को हमने अलग-अलग जगह रखा उसमें कमी है खामी है उसमें गड़बड़ हो सकती है उसको ठीक करेंगे लेकिन हमारी पोलिटिकल बिल थी 17 हजार आदमी जो गांव में बैठने वाला 8वीं क्लास तक का बच्चा है उसको पढ़ाने की सुविधा नहीं मिल रही है। उस काम को करने के लिए हमने 17 हजार आदमियों को सैकण्डरी स्कूल से निकाल करके एलीमेंटरी स्कूल से जोड़ा है। आज हमें जानकारी है कि 17 हजार...

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बाद में पूछ लेना। माननीय जगत सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा : बाद में आप सुनेंगे नहीं। मेरी भावना की आपने कदर की महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर...

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना। अंकित नहीं हो।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह बाद में कह लेते न आप।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता था तब 17 हजार को समानीकरण करके हमने उनको एलीमेंटरी एजुकेशन से जोड़ा तो हमें यह जानकारी है जितने अपर यू.पी.एस. स्कूल हैं अपर मिडिल स्कूल हैं उनमें 1 से 7 के टीचर नहीं है हमें जानकारी है, लेकिन 17 हजार की व्यवस्था करके हमने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की। 17 हजार और कमी को पूरा करने के लिए यह जो पंचायत मुख्यालय पर पैरा टीचर फीमेल 10 हजार जोड़ रहे हैं, 10 से 12 हजार टीचर मिलेंगे उन 12 हजार टीचर को हम यू.पी.एस. को जोड़ेंगे तो जो अगले साल हमारे मन में कल्पना है कि किसी भी यू.पी.एस. में टीचर की कमी के कारण 1 से 7 का जो कंसेप्ट है उसमें 1 से 5 तक कर सकें, 1 से 4 तक कर सकें। लेकिन सम्पूर्ण राजस्थान में हम यह व्यवस्था करेंगे कि कोई भी मिडिल स्कूल में कम से कम 4 या 5 अध्यापक वहां पर उपलब्ध हों, यह व्यवस्था करने की हमारे मन में कल्पना है। और जब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहता हूं, मैं बड़ी सादड़ी से आने वाली माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि 8वीं क्लास में जब हमें 5वीं क्लास तक की सारी शिक्षा का काम पंचायत के साथ जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर छठी, सातवीं और आठवीं की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए तो 6ठीं, 7वीं, 8वीं की एजुकेशन के साथ कम्प्रोमाइज नहीं हो। इसके लिए जो स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, आज 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, मेथेमेटिक्स में, सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं इंग्लिश में। इसलिए हमने, आपने अपने समय में भी प्रयास किया और हमने उसको आगे बढ़ाया। आज तीसरी क्लास में हमने अंग्रेजी की व्यवस्था की। बुक्स अवेलेबल कराने का काम किया। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 6ठीं, 7वीं, 8वीं में मेथेमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस इन तीन विषयों के अध्यापकों को उपलब्ध करा सकें। यदि हम 8वीं क्लास में, तब हमारे मन में जो कल्पना है जिसके प्रति आप भी सतर्क हैं कि यदि हम यह करना चाहते हैं तो 6ठीं, 7वीं, 8वीं की शिक्षा की क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

महोदय, हमारे मन में भी कल्पना है कि हमारे थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं अभी तक जो सीनियरिटी उनकी बनी हुई है उनकी सीनियरिटी में सब्जैक्ट का जो आधार बनना चाहिए उनकी जो लिस्टे बनें, उनमें सब्जैक्ट का आधार बनना चाहिए। आज हमें मालूम है कि यू.पी.एस. में जो हैड मास्टर बना हुआ है अपनी स्वीट बिल के अन्दर जिन-जिन सब्जैक्ट के एग्जाम नहीं होते हैं उनको पढ़ाने के लिए उन टीचर्स को लगा देते हैं जो उनके नजदीक के हैं। हमनें हमारे डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के साथ बैठकर जयपुर में, उदयपुर में हमने पहली बार राजस्थान में जो मिडिल स्कूल के हैड मास्टर हैं उनके साथ बैठकर दिन भर सेमीनार की। हमने प्राइवेट स्कूल के हैड मास्टर हैं 8वीं क्लास के, उनके साथ मीटिंगें कीं और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी तरह से 6ठीं, 7वीं और 8वीं की एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो हमारी जो शिक्षा के प्रति कल्पना है, उन कल्पनाओं को हम साकार नहीं कर सकेंगे।

इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि 6ठीं, 7वीं, 8वीं के संबंध में यह काम पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन यह काम पूरा करने के लिए एक मोटा काम है बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सैम्पल दिया स्टेटिस्टिक्स का कि 16% हमने राजस्थान में लिट्रेसी का प्रतिशत बढ़ा। माननीय विपक्ष ने नेता ने कहा कि हमने पिछले पांच साल में ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट में इतना पैसा खर्च किया। ह्यूमन रिसोर्सज डवलपमेंट में कोई खर्च नहीं किया। यह जो स्टेटिस्टिक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य यह स्टेटिस्टिक्स आज दिन तक जो 16% बेस है वह 16% बेस से एनरोलमेंट जो प्रवेशोत्सव आपने करवाया है, जिस प्रवेशोत्सव में जिस राजसमन्द जिले में मैं आता हूं, जिस राजसमन्द जिले में कम्पलसरी एजुकेशन के नाम से जिन लोगों का एनरोलमेंट कर दिया है, वे इफेक्टिव लड़के इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। और जो एनरोलमेंट का नम्बर है, वह फीगर बताता है कि 16% राजस्थान की लिट्रेसी बढ़ गई है। इसलिए हमने यह नया काम किया है। 1 से 10 मई तक जब हर वार्ड में वार्ड सभा होगी तो हम जो 6 से 14 साल तक का बच्चा है वह बच्चा स्कूल में जा रहा है या नहीं तथा किस स्कूल में जा रहा है, कहां पढ़ रहा है, एन.एफ.पी. सेन्टर के साथ जुड़ा हुआ है, लोक जुम्बिश के साथ जुड़ा हुआ है या डी.पी.ई.पी. के साथ जुड़ा हुआ है, सरस्वती योजना के साथ जुड़ा हुआ है उनकी जानकारी लेकर हम पूरे राजस्थान में शिक्षा दर्पण बनाना चाहते हैं। शिक्षा दर्पण का मतलब

(श्री सी. पी. जोशी)

पंचायत के पास स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल होगी कि इस पंचायत में 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं या राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ रहे हैं, या एन.ए.पी. सेन्टर में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में यदि हमारे पास यह जानकारी आ गई कि इस गांव में स्कूल में पढ़ने वाले 400 लड़के हैं और 300 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं सौ बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम उस पंचायत के सरपंच को यह कहेंगे कि ये सौ बच्चे इनके नाम हैं इन सौ बच्चों को पढ़ाने के लिए पर बच्चा जो आपकी व्यवस्था चाहते हैं वह पंचायत देगी। लेकिन अगले 2003 तक राजस्थान का हर बच्चा 6 से 14 साल तक का साक्षर बनना चाहिए यह व्यवस्था करने के लिए हम शिक्षा दर्पण का काम करना चाहते हैं। जब हम खड़े होकर कहेंगे कि यह जो लिट्रेसी प्रतिशत है, जिस ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट के नाम पर 25 हजार करोड़ रुपये को जस्टिफाई कर रहे हैं विपक्ष के नेता, तब हम बतायेंगे कि यह 16% राइज नहीं है यह फिक्टिसियल एनरोलमेंट के आधार पर जो एचीवमेंट है, अपने आप में गर्व कर रहे हैं, यह बेस बनेगा। पहली बार राजस्थान में वार्ड सभा को आधार बनाकर हर गांव में जो 6 से से 14 साल का बच्चा है उनमें पढ़ने वाले कितने हैं, कितने स्कूल में जा रहे हैं उस प्रतिशत को आधार बनाकर अगले 50 साल में राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य क्या बने, कहां स्कूल खुलनी चाहिए, क्या स्कूल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इस जानकारी को लेकर हम शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा को पंचायत राज से जोड़ने के पीछे जो मन में कल्पना है वह कल्पना इस आधार पर है कि पंचायत के चुने हुए सरपंच साहब जो कभी हमारे पास आते हैं डी.ई. और पी.ई. के लिए जो घूमते हैं इस बात के लिए कि इसमें आज इतना भ्रष्टाचार हो गया। इसमें हो गया, उसकी सारी एनर्जी उसमें खर्च नहीं हो यह भी आवश्यक है। पंचायत का चुना हुआ सरपंच अपने गांव में कितने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है इसकी भी हम आने वाले समय में एस.एफ.सी. के जो हमारे चेयरमेन हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब स्टेट फाइनेंस कमीशन बने तब स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन ब्लेकेट नहीं होनी चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन होनी चाहिए इस ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट के आधार पर और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 237 पंचायत समितियां, एक पंचायत समिति ऐसी है जहां लिट्रेसी प्रतिशत 10 प्रतिशत से कम है। 15 ऐसी पंचायत समितियां

(श्री सी. पी. जोशी)

हैं जहां लिट्रेसी प्रतिशत, टु लिट्रेसी प्रतिशत 10 से 20 प्रतिशत के बीच में हैं। 103 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां लिट्रेसी प्रतिशत केवल मात्र 20 से 30 प्रतिशत है और 30 से 40 प्रतिशत के बीच में केवल मात्र 93 पंचायत समितियां हैं। केवल मात्र 25 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर अबाव 40 पर्सेंट टु लिट्रेसी पर्सेंटेज है। क्या यह हमारा आधार नहीं बनना चाहिये कि जिन पंचायत समितियों में लिट्रेसी का पर्सेंटेज 10 पर्सेंट है, 20 पर्सेंट है, 30 पर्सेंट है उनको भी एस.एफ.सी. का पैसा उतना ही मिले और दूसरी पंचायत समितियों को आधा ही मिले? हमारे मन में कल्पना है कि एस.एफ.सी. का जो पैसा है उसको भी आधार बनाना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोंसेज डवलपमेंट में यदि कोई पंचायत समिति पिछड़ी हुई है तो उस पंचायत समिति में शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा पैसा मिलना चाहिये। दूसरी पंचायत समिति में इरिगेशन का पैसा मिलना चाहिये, तीसरी पंचायत समिति में इलेक्ट्रीसिटी का पैसा ज्यादा मिलना चाहिये। और यह काम तभी हो सकता है जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के आधार पर उस डिस्ट्रिक्ट के प्लान बनें।

इसलिए हमारे मन में कल्पना है कि राजस्थान में हम अगले दो-तीन साल में बजट का जो आधार बनाना चाहते हैं वह बजट विधान सभा में डिस्कस नहीं हो, वह बजट पहले गांव का आदमी डिस्कस करे। उनकी कल्पनाओं के आधार पर करें। डिस्ट्रिक्ट पर बैठकर काम करे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को मजबूत करने के लिये अभी हमने सेमीनार की। उस सेमीनार में केरल के अनुभव को हमने लिया। जिस केरल स्टेट में 32-42 पर्सेंट पैसा डिवोलुशन कर रखा है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। हमने उनके साथ बैठकर मीटिंग की, डिस्कस किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को मजबूत करना है तो जो महाविद्यालय में इकोनोमिक्स के डिपार्टमेंट के आदमी है, जो सोसियल साइंस डिपार्टमेंट के आदमी हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट में रिटायर इंजीनियर है, जो उस डिस्ट्रिक्ट में रिटायर आफिसर है उन सबकी सर्विसेज को लेकर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में इस तरह की व्यवस्था की जाये कि वह डिस्ट्रिक्ट लेवर पर बैठकर निर्णय कर सकें कि यह जो जिले के लिये योजना बन रही है, उसमें उस आधार पर जिले में यह काम होना चाहिये, किस जिले में सड़क की व्यवस्था करनी है, किस जिले में इलेक्ट्रीसिटी की व्यवस्था करनी है, किस जगह पर दूसरी व्यवस्था करनी है। यह आधार जो 50 साल में हमने ह्युमन रिसोर्सेज डवलपमेंट में पैदा कर दिया है जो रिटायर होकर आ गया उनके अनुभवों के आधार

(श्री सी. पी. जोशी)

पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जो चुने हुए जिला परिषद के सदस्य हैं, जो चुने हुए म्युनिसीपेलिटी के मेम्बर हैं जिनके आधार पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी है, उनके साथ बैठकर योजना को बनाये। एक बार यह सब ठीक ढंग से हो जाये। राजस्थान सरकार के मन में कल्पना है, ओ.टी.एस. में हमने जो मिनिस्टर्स की मीटिंग की उसमें डिस्कस किया तब हमारे मन में कल्पना थी कि धीरे-धीरे हम लोगों को एक अधिकार दें कि 9 पर्सेंट, 10 पर्सेंट पैसा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जाये। उसके आधार पर वह प्लान बनाकर उसको एग्जिकुशन करे, खर्चा करे और धीरे-धीरे इस पैसे को हम बढ़ाये जिससे राजस्थान में प्लान करने की जो कल्पना है उसमें गांव का गरीब आदमी भागीदारी कर सके और वह अपने साथ जुड़ सके। कल्पना मन में लेकर हमने इस पंचायतीराज व्यवस्था के साथ ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग को जोड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह भी कहना चाहता हूं भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर आंकड़े कोट किये। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने उनको सपोर्ट किया। मैं उनकी जानकारी में कहना चाहता हूं जो आंकड़े उन्होंने दिये वह करेक्ट नहीं है। हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है वह है 1998-99 में एलोकेशन आफ फंड हुआ था 557 करोड़ रुपये और 1999-2000 में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एलोकेशन आफ फंड का क्राइटेरिया बदल दिया। राजस्थान सरकार को पैसा एलोकेशन हुआ था 404 करोड़ रुपया। अब हमारी सारी कोशिश करने के बाद जिसमें यह भी सम्मिलित है कि 805.62 करोड़ रुपये की 1999-2000 में यूसीज. बाकी थी। हमने कोशिश करके आज जो यूसीज. बाकी हैं उसमें 420.27 करोड़ में करंट ईयर की यूसी. हैं 225.36 करोड़ और बैक लाग की यूसी. हैं 194.9 करोड़। यह काम हमने पूरे ढंग से किया। इसलिए भारत सरकार ने इस बार जो हमारा एलोकेशन किया है वह किया है 597.99 करोड़। यह भारत सरकार का इंडिकेशन है। यह हमारे मन में कल्पना है कि जो एलोकेशन आफ फंड भारत सरकार करना चाहती है उसको हम ठीक ढंग से कर सके। यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाके में जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्थाओं के बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि आज जेईन. और एईन. मिलकर यह काम करते हैं। मैं उन चर्चाओं के संबंध में खाली यही बात कहना चाहूंगा कि पंचायती राज के संबंध में एक्ट आयेगा और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। हम यह आर्डिनेंस बिल के रूप में ला रहे हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि पिछले एक साल में हमने पंचायती राज के नियम में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और यह

(श्री सी. पी. जोशी)

परिवर्तन किया है कि यदि नीचे के लेवल पर गड़बड़ी हो रही है तो पंचायत में काम करने वाला वी.एल.डब्ल्यू. है, जे.ईन. है, बी.डी.ओ. है वह भी अकाउंटेबल होगा चुने हुए प्रतिनिधि के साथ, यह हमने कानून में परिवर्तन कर दिया। उसके साथ पैसे वसूल करने के लिये को-आपरेटिव ला में जिस तरह की व्यवस्था है उसकी प्रोपर्टी को आक्सन करके भी पैसा वसूल करेंगे, यह भी व्यवस्था हमने कर दी है। राजस्थान सरकार ही पहली सरकार है, आप इस बात को बार-बार कहते हैं कि हमने दो बच्चों के लिये नार्म्स बनाकर पापुलेशन के संबंध में काम किया। हिन्दुस्तान में एक ऐतिहासिक काम किया, हमने भी ऐतिहासिक क्रिमिनलाइजेशन आफ पालिटिक्स के कहते हैं कि किमिनलाइजेशन ऑफ पोलेटिक्स के संबंध में क्या बात हो सकती है। हमने नियम बनाया कि ऐसी सभी धारा में जिसमें चालान हो सकता है, पांच साल की सजा हो सकती है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह हमने हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार पंचायती राज में इनेक्ट करके बताया है कि क्रिमिनल्स को डिस्करेज करने के लिए हम यह काम कर सकते हैं। लोग कोर्ट में गये। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि यह जो राजस्थान सरकार ने नियम बनाया है वह नियम सही है। आज हम हिन्दुस्तान के लोगों के सामने उदाहरण बता सकते हैं कि पंचायती राज में एक प्रोविजन किया है। विपक्ष के माननीय सदस्य कह सकते हैं कि आपने यह जो धारा लगाई है उसके पीछे पोलिटिकल मोटिव्ज है आपका। जो लोग पोलिटिकल मुवमेंट में भाग लेंगे उनके ऊपर धारा लगायी जायेगी, उनको डिबार कर देंगे। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पोलिटिकल मुवमेंट में भाग लेना, पोलिटिकल मुवमेंट के साथ जुड़ना और क्रिमिनल एक्ट करना अलग-अलग चीजें हैं। हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस धारा को लाने के पीछे हमारे मन में पोलिटिकल एक्टीविटी को कर्ब करने की इच्छा नहीं है। राजनीति चलती है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंदोलन में भाग लेने से, इस बात से हम भिज्ञ है। लेकिन हम इस आड़ में क्रिमिनल इंडलजेंस जो इन्वाल्व हैं, जिसमें पांच साल की सजा हो सकती है ऐसे सभी लोगों को यदि इसके साथ इक्वेट कर देंगे तो हिन्दुस्तान में क्रिमिनल की पोलिटिक्स को दूर करने का कोई काम नहीं कर सकेगा। हमने अपने मन में कल्पना लेकर संविधान में यह भी परिवर्तन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक्ट में हमने और परिवर्तन किये। मैं समझता हूं कि उस संबंध में मैं आज ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य भी अभी चार-पांच दिन की छुट्टी में अपने घर पर जाना चाहते हैं। इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि इस संबंध में मैं

(श्री सी. पी. जोशी)

और ध्यान आकर्षित करूं। ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि पंचायती राज एक्ट के संबंध में जब चर्चाएं होंगी जब हम बिल लेकर आयेंगे, उस संबंध में माननीय सदस्य जो बात कहेंगे उस बारे में मैं निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं के आधार पर जो भी बात कहनी होगी, कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की कि बहुत पद खाली हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं। आज जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास उपलब्ध है उसमें व्याख्याता स्कूल के 13216 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 2444 पद रिक्त है। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II में 29251 पद हैं, उसमें 2134 पद खाली है। अध्यापक ग्रेड III में 15355 पद हैं, उसमें 825 पद खाली है और यह जो हमने स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट किये हैं वह यह बताते हैं कि यह जो हमारा पर्सेंटेज है उसके आधार पर स्वीकृत पदों के मुकाबले में 10.86 सैकण्डरी एजुकेशन में और 5.49 एलीमेन्ट्री एजुकेशन में, यही पद हमारे खाली है। लेकिन मैं यह बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि आज शिक्षा विभाग में प्रमोशन के नाम पर प्रमोशन फोरगो होकर डी.पी.सी. के जो काम हैं वह ठीक ढंग से नहीं होते हैं। हमने कल ही चर्चा की और हमारे मन में कल्पना है कि डी.पी.सी. के परव्यू में जो भी अध्यापक आयेगा यदि वह अपना प्रमोशन फोरगो भी करता है तब भी उसका ट्रान्सफर होगा। प्रमोशन के साथ हम लिंक नहीं करेंगे। प्रमोशन ले या नहीं ले, प्रमोशन नहीं लेने के नाम पर उस स्थान पर रहे, यह प्रोविजन नहीं करना चाहते। हम यह प्रोविजन करना चाहते हैं कि जो शिक्षक प्रमोशन के परव्यू में आयेगा यदि वह फोरगो करता है तब भी उसका ट्रान्सफर होगा और प्रमोशन होगा तब भी उसका ट्रान्सफर होगा। जिससे 50 पर्सेंट का जो हमारा बैकलाग है उसको हम ठीक ढंग से पूरा कर सके, यह हमारे मन में कल्पना है। जो चिंता आपने व्यक्त की उस चिंता के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि डी.पी.सी. के संबंध में आपने जो कहा, डी.पी.सी. का काम हम समय पर नहीं करवा सके। नहीं करवा सके, मंजूर है। क्योंकि नहीं करवा सके, डी.पी.सी. के काम को करने के पहले हम समानीकरण के काम को पूरा करना चाहते थे। उस काम को हमने आज पूरा किया और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगले दो महीने में हमारी सरकार ने परमिशन दे दी, जितनी भी विभाग की डी.पी.सी. है यह डी.पी.सी. नहीं कि आपने कोर्ट की कहकर डायरेक्टर की कर दी या अपर डायरेक्टर की कर दी, हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा

(श्री सी. पी. जोशी)

विभाग में जितने पद हैं थर्ड ग्रेड से सैकिण्ड ग्रेड में लाना, सैकिण्ड ग्रेड से सीनियर टीचर्स लाना है, सीनियर टीचर्स से प्रिंसिपल लाना है इन सबकी डी.पी.सी. हम दो महीने में करने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे कोई शिकायत नहीं रह सके।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं मैं इस बात से सहमत हूं। आज हमें रिजल्ट को आधार बनाना पड़ेगा। आपने भी स्टेटिस्टिक्स दी उसमें बताया कि प्राइवेट के और गवर्नमेंट के आपने आंकड़े मिला दिये, मैं भी इससे सहमत हूं। हमें निश्चित तौर पर साल में दो बार हैड मास्टर के साथ बैठकर चर्चा करने की आवश्यकता है कि किस स्कूल का रिजल्ट का पर्सेंटेज कम क्यों है, उसमें इनपुट करना है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन में एक कल्पना और है और उसको साकार करने के लिये मैं सारे सदन के माननीय सदस्यों का समर्थन चाहूंगा। वह इसलिए कि यह जो पोलिटिकल काम है उस पोलिटिकल काम के साथ कुछ अनप्लीजेंट काम भी करने पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस बार अकाल की स्थिति है, राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। हमारे सब माननीय सदस्य मुझे इस बात के लिये छूट देंगे कि स्थानान्तरण के संबंध में मेरे से ज्यादा मांग नहीं करेंगे। मैं ट्रांसफर पालिसी को परिवर्तन करना चाहता हूं और मैं इस पर डिबेट कराना चाहता हूं। ट्रांसफर पालिसी पर मेरे बहुत स्पष्ट मत है। हमारे जो एम.एल.ए. हैं उनको अधिकार होना चाहिये कि जो खाली जगह पड़ी हुई है उस खाली जगह को विषय के आधार पर स्कूल को आइडेंटीफाई करना चाहते हैं और जो खाली जगह है उस पर हमारा कोई पोलिटिकल वर्कर या एम.एल.ए. भी रिकमन्डेशन करता है तो वहां उसकी पोस्टिंग होनी चाहिये, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बार उस नेट में आने के बाद उस अध्यापक का दुबारा ट्रान्सफर होगा वह रिजल्ट के आधार पर होगा। हम एक बार प्रिविलेज देना चाहते हैं कि जो भी कोई अध्यापक जो खाली जगह पड़ी हुई है स्कूल के सब्जेक्ट के आधार पर, हम आरोप लगा रहे हैं कि जो खाली स्थान पड़े हुए हैं उसमें एक डी.ई.ओ. समानीकरण के नाम पर पैसा खा गया, ट्रान्सफर कर गया। उस चीज के बनीस्पत हमारे जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी रखकर बताना चाहते हैं कि खाली जगह पर वह जिसको चाहे उसकी रिकमण्डेशन पर करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बार जब वह एक बार उस नेट में आ जाएगा तो उस अध्यापक का ट्रान्सफर उसकी सर्विस लाइफ में दुबारा पोलिटिकली कहने से नहीं होगा। फिर उसके रिजल्ट का ट्रान्सफर होगा। उसके स्कूल के रिजल्ट क्या रहे, सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या

(श्री सी. पी. जोशी)

रहा, उसको आधार बनाकर हम उस डेट के बाद ट्रान्सफर करेंगे। इसलिये हम एक रिकार्ड बनाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक कल्पना है, कि मेरे साथी मुझे इस बात के लिये माफ करेंगे, 17000 समानीकरण के हमने ट्रान्सफर किये। अब 17000 के बाद हमने ट्रान्सफर शुरू किये तो 17000 आदमी क्या वापस आ जाएंगे असमानीकरण हो जाएगा। 17000 आदमी जो पढ़ाने का काम करें वह साल भर तक पढ़ाने का काम ठीक ढंग से कर लें, और जो खाली जगह पड़ी हुई हैं, उन खाली जगह में 2-3 चीजों का नियम बनना चाहते हैं। ऐसे अध्यापक जो पिछले 15 साल से शहर में नहीं है शिक्षक संघ के नाम पर, 20-20, 15-15 शिक्षक संघ, शिक्षक संघ के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लगकर ये, उसमें भी हम नियम बनाना चाहते हैं। नियम बनाना चाहते हैं शिक्षक संघ के पदाधिकारी मई और जून महीने में मंत्री से रोज मिलें। लेकिन यह जो टाइम है स्कूल में पढ़ाने का उसमें शिक्षक संघ एक कागज़ लेकर ड्यूटी लेकर आता है, इस शिक्षक संघ को हम डिसकरेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षक संघ अपनी बात कहे, लेकिन उनके लिये हम अपने सैक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक दिन मुकर्रर कर देंगे, अधिकारियों को भेज देंगे। लेकिन रोज रोज शिक्षक संघ के नाम पर जो शिक्षक आते हैं उस एक्टीविटिज के लिये भी हम इन सबके अध्यक्षों से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, कि यह चीज शिक्षक संघ में नहीं चलेगी। क्यों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 15 साल से ऐसे अध्यापक जो कभी एक शिक्षक संघ में गये कभी दूसरे में गये कभी तीसरे में गये, वह 15 साल से शहर में बैठे हैं और ईमानदारी से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। गांव का गरीब अध्यापक आज भी शहर में नहीं आ पा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो आदमी 15 साल तक शहर में रह गया उसे शहर में आने का अधिकार नहीं होना चाहिये। जो आदमी 15 साल से बाहर बैठा हुआ है, शिक्षक संघ का पदाधिकारी नहीं है, शिक्षक संघ के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, जो चीजों को मैनेज नहीं कर सकता है, उस आदमी को भी अवसर मिलना चाहिये। खाली जगह शहर में है, यहां पर आने के लिये, यह एक विचार है, इन विचारों को मैं शेप देना चाहता हूं सब सदस्यों से राय लेकर। यह नहीं कहना चाहता कि कोई नियम बन गये, कानून बन गये, लेकिन यह बात जरूर है कि यदि इस मैन पावर को दुबारा ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट में जोड़ना है तो हमें कुछ ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, ट्रांसफर पॉलिसी में।

अब मैं बड़ी सादड़ी के माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान सरकार

(श्री सी. पी. जोशी)

को सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जो दूसरे रोग से पीड़ित हैं उनके लिये हम मन में यह सोचें कि असाध्य रोग से पीड़ित आदमी घर बैठ जाए, हम उनको तनख्वाह दे दें कम्पकेशन दे दें लेकिन नौकरी से छुट्टी कर दें। कब तक हम राजस्थान में असाध्य रोग के नाम पर व्यवस्था करेंगे कि हम उन्हें पूरा पैसा भी दें और पढ़ाई का काम भी नहीं होने दें, क्या हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि शिक्षा में रिजल्ट को आधार बनावे, मैं समझता हूं कि इस संबंध में भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमें कोई विचार और चर्चा करने की आवश्यकता है। इस विचार के आधार पर हम यदि कोई नतीजे निकाल लेंगे तो राजस्थान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा की मान्यता है वह भी ठीक ढंग से हो सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक कल्पना और है जिसके संबंध में मैं बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य से बहुत डिफर करता हूं। आपने समानीकरण किया, आपने एक्सपेंडिचर के आधार पर स्कूलें कम कीं, उसमें सबसे ज्यादा साइंस के सब्जेक्ट बंद हुये हैं। गांवों में बंद हुये हैं। आपकी नीयत अच्छी होगी लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कि गांवों में जहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में आर्टस थी, कॉमर्स थी, साइंस थी पिछले सालों की हमारी व्यवस्था के कारण वहां पर साइंस सब्जेक्ट को खत्म हो गया। साइंस की फैकल्टी नहीं है, कॉमर्स की फैकल्टी नहीं है, आज वहां पर आर्टस की फैकल्टी रह गई। आज इस बात की आवयकता है कि हम सब्जेक्ट स्कूल खोलें। सैकण्डरी खोलें, आयर सैकेण्डरी खोलें। इससे भी ज्यादा आवश्यकता है कि क्या एक पंचायत समिति में कम से कम एक हायर सैकण्डरी स्कूल या दो हायर सैकण्डरी स्कूल में हम कम से कम मीनिमम फकेल्टीज हैं उन फैकल्टीज की व्यवस्था वहां पर कर सकें तो गांव का गरीब आदमी मन में कल्पना लेकर पढ़ सके, कि मैं आर्टस का विषय, कॉमर्स, साइंस का विषय लेकर पढ़ सकता हूं। इस संबंध में नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है।

और सोचने के संबंध में जब बात करते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मुझे जानकारी है कि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिये लगभग 75-100 करोड़ की राशि होगी, प्राइमरी स्कूल से लगाकर अपर एजुकेशन तक। ग्रांट इन एड के रूल बदलना चाहता हूं। यह ग्रांट इन एड के रूल, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य मुझे नहीं मालूम, मंत्री बनने के बाद यह मालूम पड़ा कि एक बार जिस संस्था को ग्रांट मिल जाए उस संस्था की परमीशन मंत्री के पास नहीं आती, क्लर्क लेवल पर उसकी

(श्री सी. पी. जोशी)

सेंक्शन हो जाती हैं। इनके नियमों और कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज शहर में जिन स्कूलों ने एफिलिएशन के नाम पर एप्लाई कर दिया, नवीं, दसवीं को एफिलिएशन बोर्ड से नहीं मिला, वह लोगों से पैसा ले रहे हैं, नवीं और दसवीं के नाम पर। जो पुरानी स्कूलें है जिन्हें सीनियर हायर सैकण्डरी के लेवल पर, बच्चों को एग्जाम दिलवा रहे हैं, लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। यह जानकारी हमारे दिमाग में आने के बाद हम नये सिरे से अगर ग्रांट इन-एड के रूल के आधार को बदलना चाहते हैं। उन संस्थाओं को, जो संस्थायें ऐसी पंचायत समिति में या ऐसी तहसील में काम कर रही हैं जहां लिटरेसी का पर्सेंटेज कम है, वहां पर ग्रांट-इन-फंड मिलनी चाहिये। जो गर्ल्स एजुकेशन को पढ़ाने का काम कर रही हैं, वहां पर व्यवस्था करनी चाहिये।

हमारे मन में एक कल्पना और है। राजीव गांधी पाठशाला का कार्यक्रम हमने गांवों में चलाया। यह कार्यक्रम हम शहर में भी चलाना चाहते हैं। शहर में इस कार्यक्रम को चलाने के लिये हमारे मन में एक कल्पना है। इस कल्पना को साकार करने के लिये हम डिसकशन करने के बाद नतीजे पर पहुंचेंगे। मन में एक कल्पना है, जो कच्ची बस्ती में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं उसका बच्चा-बच्ची यदि पढ़ने के लिए जाए राजस्थान सरकार कोई नई स्कूल प्राइमरी और मीडिल स्कूल शहर में नहीं खोलेगी। जो शहर के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके स्पेस को मानते हैं, उनकी इम्पोरटेंस को मानते हैं। वहां पर स्कूल वाला इस बच्चे को भर्ती करेगा उसका उसको 40 रुपये प्रति मंथ राज्य सरकार देंगी। इन ल्यु ऑफ द स्टूडैन्ट। वह बच्चे को भर्ती करने का काम करेंगे, तो कूपन लेगा हमसे, कूपन लेने के बाद जिसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिये, इस प्राइवेट स्कूल के मेनेजमेंट को पर स्टूडेण्ट 40 रुपये राजस्थान सरकार रिइम्बर्स करेगी। क्यों करना चाहते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय? आज शहर की स्कूल, आप जानकर आश्चर्य करेंगे सबसे ज्यादा जो शिक्षक की नेतागिरी है, सबसे जयादा ट्रान्सफर, सबसे ज्यादा जो फला एक-एक स्कूल में है वो केवल शहर के अन्तर्गत रहने वालों की व्यवस्था के ही है। 25-25 पढ़ने वालों छात्र हैं, 10-10 मास्टर बैठे हुये हैं। 1950 में स्कूल चल रही थी, 1955 में मिडिल स्कूल चल रही-थी। वहां की पुरानी स्ट्रेण्थ के आधार पर यह काम हो रहा था। उस स्पेस को भी हम जगह-जगह हटाना चाहते हैं। मेरे मन में कल्पना है

(श्री सी. पी. जोशी)

कि शहर में रहने वाला गरीब आदमी, कच्ची बस्ती में रहता है, शिड्यूल्ड कास्ट का है, ट्राइव का है, माइनोरिटी का आदमी है, वहां स्कूल भवन नहीं बना सकते हैं तो शहर में जो प्राइवेट स्कूल का स्ट्रेक्चर डवलप हो गया, उनमें पढ़ने के लिये बच्चा जाएगा तो उसको कम्पनसेट करने के लिये सरकार कूपन बनाने की व्यवस्था करेंगी, यह भी कल्पना लेकर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं।

मैं समझता हूं हमारे मन में जो कल्पना थी, जिस कल्पना के आधार को लेकर हम प्राइमरी एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को कम्युनिटी को जोड़ना चाहते थे। पंचायत राज में शिक्षा को क्यों जोड़ा? पंचायत राज में शिक्षा को जोड़ने के बाद हमारे मन में कल्पना है कि पंचायत में पहली से पांचवी तक जो पढ़ने का काम है वह सब धीरे-धीरे काम करे। लेकिन जब हम बात करते हैं, तो यह सब सदस्य कहते हैं कि 1200 रुपये में आप काम करवा रहे हो। 1200 रुपये में काम करवा रहे हैं, यह मजदूरी से भी कम है। मुझे मालूम नहीं कि हमारे जो विपक्ष के सदस्य हैं जो कैसैक बिहेव करेंगे। हमने शिक्षा कर्मी योजना स्टार्ट की तब हमारे मन में कल्पना क्या थी, संसाधनों का उपयोग करने की हमारे मन में कल्पना थी शिक्षाकर्मी योजना हमने लागू की थी। तब हमने आठवीं पास लोगों के साथ पढ़ाने का काम किया। आज 3000 आदमी शिक्षा कर्मी योजना में काम कर रहे हैं। वे आठवीं पास हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छे आये हैं। मिनीमम लेवल आफ लर्निंग के लिए शिक्षा के सम्बन्ध में आउटपुट दे रहे हैं, अच्छा प्रयोग है। लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेण्ट चीज यह है जो हमारे थर्ड ग्रेड टीचर्स, बी.एड. के टीचर्स बना रहे हैं वह वन-टाइम ट्रेनिंग लेकर टीचर बन जाते हैं। एस.टी.सी. कर ली, टीचर बन गये। बी.एड. कर लिया टीचर बन गये। लेकिन शिक्षा कर्मी में सबसे बड़ा इनपुट यह है कि रेगुलर ट्रेनिंग हर साल की होती है। इसको आधार बनाकर राजस्थान सरकार ने यह व्यवस्था की है कि राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने का काम करने वाले व्यक्ति को हर साल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यह एक दिन का काम नहीं है। पिछली बार भी हमने सलैक्शन किया एक जून से 30 जून तक, 245 जगह पर। उनको एक स्थान पर रखकर हमने ट्रेनिंग करवाई थी। वह ट्रेनिंग पूरी हो गई और दूसरी कराना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक परिवर्तन और कर रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में अब भारत सरकार ने नियम और कानून बदल दिये। अब यह व्यवस्था कर दी है कि स्वर्ण जयन्ती

(श्री सी. पी. जोशी)

रोजगार योजना के अन्तर्गत हमें एस.एच.सी., ग्रुप बनाने पड़ेंगे। स्माल हैल्थ ग्रुप बनाने पड़ेंगे। इसें यह नियम बना रखा है इतने आदमी बी.पी.एल. फैमिली के होंगे, इतने एस.सी., एस.टी. के होंगे, 20 प्रतिशत आदमी होंगे जो दूसरे भी हो सकते हैं। हमारे मन में कल्पना है कि राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वाला पैरा-टीचर, भाई और बहन, उसको एस.एस.सी. ग्रुप का हम केटेलिस्ट बनाना चाहते हैं और ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। अगले 3 साल में राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वाला आदमी न केवल पंचायत राज के बारे में जानकारी रखेगा, यह जो स्वास्थ्य के बारे में आईईसी. की योजना है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने का करिकुलम उसके साथ जोड़ रहे हैं। एस.एच.सी. के केटेलिस्ट के रूप में भी यह करना चाह रहे हैं और अगले 3 साल में 'डाइट' के माध्यम से राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वाला जो पैरा-टीचर है उसको कम्प्यूटर की लिट्रेसी का पूरा कोर्स कराना चाहते हैं। 3 साल बाद राजस्थान के हर गांव में एक आदमी क का मतलब कबूतर नहीं जानता होगा, क का मतलब कम्प्यूटर भी होता है। कम्प्यूटर का उपयोग कैसे होता है। गांव का गरीब आदमी यह काम कर सके डिस्ट्रिक्ट इंटरनेट की सहातया से काम कर सके, यह व्यवस्था करके, हमारे मन में कल्पना है कि उस आदमी को हम खड़ा करना चाहते हैं।

हमारे मन में कल्पना है कि ग्रामीण विकास के साथ भी हम इसको जोड़ रहे हैं। इसलिये अगले 3 साल बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्टेटिक्स देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे मन में कल्पना है, जो हम स्पेस खतम कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड टीचर की उस स्पेस में खतम करने के बाद हम 3 साल, जब लड़का 5वीं क्लास आ जाएगा, ड्राप-आउट रेट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे पहली क्लास में बच्चा जब पढ़ने जाता है तो 57 प्रतिशत लड़के पांचवी क्लास तक ड्राप आउट हो जाते हैं। हम राजीव गांधी पाठशाला में दो आधार बना रहे हैं। एक है, मिनिमम लेवल आफ लर्निंग, पांचवीं क्लास तक पंचायत समिति में बोर्ड बनेगा और उनका एक्जामिनेशन होगा। मिनिमम लेवल आफ लर्निंग में अटेण्ड किया या नहीं किया। फिर दूसरा वहां पर 100 बच्चे भर्ती हुए पहली क्लास के लिये उनमें से 75 बच्चे पांचवी क्लास में पढ़ने आएंगे। ये दो आधार होंगे। वह 3 साल, 4 साल शिक्षा सहयोगी बनने के बाद एक रेगुलर ग्रेड लेने के अधिकारी बनेंगे। इसलिये हम मन में कोई कल्पना लेकर के, वन टाइम प्रोग्राम बनाकर कोई काम नहीं करना चाहते हैं। समाज को बदलने का, परिवर्तन करने का काम भी हम नहीं करना चाहते हैं। हम तो हमारे मन में कल्पना है, हम तो संस्कृति की बात करते हैं, अयोध्या

(श्री सी. पी. जोशी)

की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं। गुरुकुल में पढ़ाने वाला आदमी कौनसी एम.ए. की डिग्री करके आया था, आक्सफोर्ड से आया था। किस जगह से आया था? उस गुरुकुल की कल्पना करके यदि हम गांव के गरीब आदमी को पढ़ाने का काम करें तो शिक्षा के साथ कम्प्रोमाइज हो रहा है और आप गुरुकुल की शिक्षा की बात करें, अयोध्या की बात करें, भगवान राम की बात करें तो संस्कृति का उत्थान हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हमको विश्वास है कि उस गांव के गरीब आदमी की, जिस गांव के गरीब आदमी को पढ़ने का अवसर मिला था, पहली जनरेशन के पढ़े-लिखे लोग हैं, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वे कभी किसी भी राजीव गांधी पाठशाला में जाकर कह दें कि वहां पर इस तरह की शिक्षा नहीं हो रही है तो हम अपने आपको विदड्रा कर लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारी तरफ तो आओ, सब बड़ी-सादड़ी, बड़ी-सादड़ी कह रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : बड़ी सादड़ी के नेता ये हैं, आप नेता बन जाएंगे तो आपके पास...(व्यवधान) अभी आ जाएंगे, आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं। आ जाएंगे, वे विषय भी आ जाएंगे। (व्यवधान)

मैं बड़ी सादड़ी के सदस्य की बात कह रहा हूं तो कोई मैं इंडीविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो लीडर हैं, जो एक फिलासफी लेकर राजस्थान में राजनीति कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और एक बात की मुझे तकलीफ हुई कि जिस समानीकरण की प्रशंसा कर रहे थे उप नेता, उसी समानीकरण का विरोध कर रहे थे इनके भिनाय के सदस्य। यह इनकी 2 तरीके की बातें देखिये। एक समाज में व्यवस्था यह होनी चाहिए। जो हमारे मन में फिलासफी है इसमें कहीं भी चर्चा करके, हम बात कर सकें...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्रीजी, हम बोलें तो...(व्यवधान) मैंने कोई विरोध नहीं किया (व्यवधान) जो मंत्री महोदय आप आक्षेप कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लेना बाद में, इनके बोलने के बाद में पूछ लेना आप।

श्री जगत सिंह दायमा : बीजेपी. से अलग भी विपक्ष है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ हायर एजुकेशन के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। हायर एजुकेशन के सम्बन्ध में मुझे यह बात कहनी है...

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे थे लोग घर जाना चाहते हैं, उसका क्या हुआ?

श्री सी. पी. जोशी : मैं समझता हूं कि सबकी रुचि है। सबकी रुचि पर है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं। आप परमीशन दे दें तो...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हायर एजुकेशन के सम्बन्ध में जो मोटे मुद्दे हैं उस पर सभी सदस्य चिन्तित हैं। मैं सोचता हूं सबसे मोटी समस्या हायर एजुकेशन में स्टूडेण्ट यूनियन के इलेक्शन की है। नम्बर दो-रेवेल्यूएशन के सम्बन्ध में है। आज 70 से 80 प्रतिशत लड़के रेवेल्युएशन करवा रहे हैं। रेवेल्युशन की एक ऐसी मीनैस खड़ी हो गयी है जिसमें एक रैकेट डवलप हो गया है। दूसरी समस्या यह है। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी समस्या यह है कि एडमिशन के सम्बन्ध में जो नियम और कानून हैं उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एक्ट्स और स्टेट्यूटरी प्रोविजन हैं उन एक्ट्स, स्टेट्यूट के अन्तर्गत जो कमेटी आफ कोर्सेज बनी हुई हैं, जो एकेडमिक कौंसिल बनी हुई है, जो सिंडिकेट बनी हुई है उन सबका जो काम है, जिन कामों के लिये एक्ट में प्रोविजन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बात सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मुझे कहते हुए तकलीफ है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 तरह के एड-होक टीचर लगे हुए हैं। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं। एक तो वे लगे हुए हैं जो 168 प्रक्रिया के अन्तर्गत बने और एक वे लोग जो कोई नियम और कानून के अन्तर्गत नहीं बने।

मैं समझता हूं कि मैं एक विषय में नहीं जाना चाहता कि जो व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन आज स्थिति यह बन गयी है कि एक्ट में, जैसा बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आर्डिनेंस हम ला नहीं सकते हैं क्योंकि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन में प्राब्लम है। केवल मात्र एडहॉक जो लेक्चरर लगे हुए हैं, दोनों केटेगिरी के, उसमें एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का नम्बर बहुत कम है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कालेजों में एक हजार लेक्चरर की शोर्टेज है। जितने हमारे गवर्नमेंट कालेज हैं उनमें एक हजार से ज्यादा कमी है। जिन कालेजों को ग्राण्ट-इन-एड हम देते हैं, उन ग्राण्ट-इन-एड कालेजों की संख्या बहुत ज्यादा है। मन में एक कल्पना है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये हायर एजुकेशन सलैक्शन बोर्ड बनाया जाए। हायर एजुकेशन बोर्ड बनाने के बाद इस व्यवस्था को ठीक कर लिया जाए। चाहे पोलीटेक्निक के, इंगलिश के, और चाहे मैथेमेटिक्स के टीचर हों, चाहे वे राजस्थान यूनिवर्सिटी में एड-होक काम करने वाले हों, राजस्थान में जितने कालेजों की व्यवस्था है उन कालेजों में कितने सब्जेक्ट के, कितने टीचर्स की आवश्यकता है जिससे ओ.बी.सी., एस.सी.,

(श्री सी. पी. जोशी)

एस.टी. का कोटा भी पूरा हो जाए और इन सब समस्याओं का निराकरण हो सके, इस सम्बन्ध में नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है। जिससे हम समझ सकें कि जो लोग 15 साल से, 20 साल से टीचिंग का काम कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से, नियम और कानून के अन्तर्गत उनकी विवेचना में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन यदि कोर्ट की रिक्वायरमेंट के आधार पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में सलैक्शन का प्रोसेस शुरू करें और बाकी जगह पर इनके जोब के सम्बन्ध में व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का भी निदान ठीक ढंग से हो सकता है। इस सम्बन्ध में भी हमें सोचने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं स्टूडेण्ट इलेक्शन के सम्बन्ध में कुछ मन में कल्पनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि नियम नहीं बने हैं लेकिन आप इस पर रि-एक्ट जरूर करें। क्या यह आवश्यकता नहीं है कि हम उसी लड़के को चुनाव लड़ने के लिये अलाउ करें जो कम से कम 60 प्रतिशत मार्क्स आब्टैन करे। क्या हम होस्टल में उन लोगों को ही परमीशन दें जो रेगुलर पास हो रहा है। जो रेगुलर पास नहीं हो रहा है। उसे होस्टल में एडमिशन को पात्र नहीं होगा। (व्यवधान) क्या यह समझने की आवश्यकता नहीं है आज दुबारा हमारे सम्बन्ध में कि आज हम किस तरह से, हमारे जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट कालेज में, गांव में जो कालेज बने, पी.जी. कालेज, उनके बच्चों को भी इंटरनेट से जोड़ें। हमने अभी कोशिश की। जितने रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं उनसे बात करके कोशिश की। हम टेण्डर लेना चाहते हैं, टेण्डर लेकर हम करना चाहते हैं कि जिस तरह से कालेज अन्दर, डिग्री के अन्दर बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. करने के लिये हिन्दी और अंग्रेजी में से एक विषय पास करना जरूरी है, उसी तरह से हम एक तीसरा केरिकुलम डालना चाहते हैं कि राजस्थान में ग्रेजुएट की डिग्री उसी आदमी को मिलेगी जो कम्प्यूटर का कोर्स भी पूरा करेगा और कम्प्यूटर के कोर्स को पूरा करने के लिये हम प्राइवेट सैक्टर के साथ इंटरनेट को जोड़ने के लिये राजस्थान के सभी कॉलेजों में एक साथ यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि कम्प्यूटर की ट्रेनिंग शुरू हो जाए, इंटरनेट का काम शुरू हो जाए और साथ में बी.ए., बी.एससी. की डिग्री के साथ एक कंडीशन डाल दी जाए कि नियमों और कानून में परिवर्तन करके, यह. बी.ए., बी.एससी. की डिग्री तभी मिलेगी कि वह जब कम्प्यूटर की डिग्री कर सके। इसलिये गांव में रहने वाला आदमी, जिसको हमने पी.जी. कॉलेज खुलवाकर पढ़ने के लिये वहां खड़ा कर दिया लेकिन उसको इंटरनेट की सुविधा उधर नहीं मिल रही है। तो वह गांव में हिन्दी

(श्री सी. पी. जोशी)

में एम.ए. कर रहा है, पोलिटिकल साइंस में एम.ए. कर रहा है लेकिन उसे जानकारी नहीं हैं कि इंटरनेट का उपयोग क्या है, लेप-टॉप का उपयोग क्या है। दिल्ली की लाइब्रेरी इंटरनेट से जुड़ चुकी है। आज लाइब्रेरी के लिये बुक्स की आवश्यकता नहीं है। आज इंटरनेट पर हम बैठे-बैठे किसी भी जगह की लाइब्रेरी की जानकारी ले सकते हैं। यह सुविधा राजस्थान के हर कॉलेज में उपलब्ध हो। इस सम्बन्ध में हमने व्यवस्था की है। हम बहुत शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र के साथ एण्टर करके एक ट्रांसपरेंसी के साथ आना चाहते हैं, ग्लोबल टेण्डर करना चाहते हैं जिससे हम व्यवस्था कर सकें कि वहां पर एक भवन बन जाए। प्राइवेट सैक्टर के आदमी कम्प्यूटर लगा दें, ट्रेनिंग का काम भी वे करवा दें और हमारा जो गांव का, जो कालेज में पढ़ने वाला हामरा लड़का है। वह सुविधा को उपलब्ध कर सके। मन में यह कल्पना लेकर हम राजस्थान में अगले 2 साल में कालेज में पढ़ने वाले लड़के को भी कम्प्यूटर का एक कोर्स, वह पढ़ सके कालेज में, इस सम्बन्ध में कल्पना लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हायर एजुकेशन का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वह क्राइसिस है कि हमारा जो पोलिटिकल मायोपिक विजन है कि हमारी पार्टी का वाइस चांसलर बनना चाहिए, हमारी पार्टी का आदमी सलैक्शन कमेटी का मेम्बर बनना चाहिए, इसने सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम को डेमेज किया। हम चाहते हैं राजस्थान के जितने रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं, किसी भी पार्टी के हों, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में कमिटमेंट है उसके आधार पर वाइस चांसलर का सलेक्शन होना चाहिए। उसके आधार पर सिंडिकेट की सलैक्शन कमेटी का मेम्बर बनना चाहिए। पार्टी की लोयल्टी के आधार पर सलैक्शन कमेटी का मेम्बर बनाएं, पार्टी की लोयल्टी के आधार पर वाइस चांसलर बनाएं तो शिक्षा के क्षेत्र मेंजो कल्पनाएं लेकर चल रहे हैं, वह कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में कल्पना है सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। यह काम हमने किया है, यह काम संविधान में प्रदत्त है। संविधान जब बदल देगा, तब बदल देगा। लेकिन संविधान के अन्दर हमने निष्ठा व्यक्त की है। जब तक इन वेल्यूज को चेंज करने वाला आदमी वाइस चांसलर नहीं बनेगा, सलैक्शन कमेटी का मेम्बर नहीं बनेगा। तब तक न्याय नहीं कर पाएंगे। इस सम्बन्ध में भी सोचने की आवश्यकता है।

नगर से जो माननीय सदस्य जीतकर आये हैं उनकी चिन्ता थी उर्दू विषय के सम्बन्ध में। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। 200 तो सैकिण्ड ग्रेड के टीचर और 400 थर्ड ग्रेड के टीचर। मैं एक बात

(श्री सी. पी. जोशी)

बड़े विनम्र शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं, जिसमें मैं आपकी सहमति भी चाहता हूं। ये उर्दू पढ़ाने वाले सैकण्ड ग्रेड टीचर, ये उर्दू पढ़ाने वाले थर्ड ग्रेड टीचर...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : थर्ड लेंग्वेज पंजाबी और सिन्धी भाषा के बारे में भी आप कृपा करके बताएं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : जानकारी लेकर बता दूंगा, जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। अभी जो जानकारी है, वह दे रहा हूं। जानकारी लेकर बता दूंगा आपको।

मेहरबानी करके राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा लिखा व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सके, इस सम्बन्ध में नियम और कानून बनाने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के अल्पसंख्यक का लड़का तो घूमता रहे और यू.पी. का लड़का, आकर अल्पसंख्यक का थर्ड ग्रेड का टीचर बन जाए, सैकण्ड ग्रेड का टीचर बन जाए। यह राजस्थान सरकार आंख मींचकर नहीं रह सकती है। राजस्थान सरकार का कमिटमेंट है कि अल्पसंख्यक के लोगों को आगे लायें लेकिन उन लोगों को आगे लायें जिनको यहां पर पढ़ने का अवसर है, जो यहां से पढ़ने के बाद थर्ड ग्रेड के टीचर बन सके।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका जो एस.टी.सी. उर्दू ट्रेनिंग का अजमेर में स्कूल है वह बंद पड़ा है। उसकी हालत खराब है, और दूसरा खोलना चाहिए। इसका मतलब तो आप यह कहना चाहते हैं कि यहां तो हैं नहीं उर्दू बी.एड. और न एस.टी.सी. है और बाहर के को लेंगे नहीं तो ये पोस्ट तो ऐसे के ऐसे खाली रह जाएगी। (व्यवधान) यह तो ऐसे ही खाली रह जाएगी, चार साल तो खाली रह जाएंगी। (व्यवधान) आप एक बार एड-हॉक ले लें और फिर आप...(व्यवधान)...

श्री सी. पी. जोशी : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप मेरी बात तो सुनें। (व्यवधान) हमारी बात तो सुनें। (व्यवधान) हमको राज करना है, हमारी बात सुनें ना। व्यवस्था हमें करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं डाइट के अन्दर उर्दू विषय की एस. टी. सी. करने वालों की व्यवस्था करेंगे, वह बंद नहीं कर रहे हैं। अब प्राइवेट जो एस.टी.सी. करा रहा था, प्राइवेट जो सी.बी.एड. करवा रहे थे, जो लोगों को बेरोजगार घुमा कर काम कर रहे थे उनको हमने राजस्थान में इस साल से बंद कर दिया। राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। राजस्थान के सैकण्ड ग्रेड टीचर की व्यवस्था इतनी है। यह लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जिससे मां-बाप अपने बच्चे को फिजिकल एजुकेशन के नाम पर यदि काम करें, तो राजस्थान सरकार ने यह

(श्री सी. पी. जोशी)

निर्णय लिया है कि इस साल से सी.पी.एड. की ट्रेनिंग बन्द, प्राइवेट सैक्टर में नहीं होगी। इस साल से प्राइवेट एस.टी.सी. बन्द, इस साल से केवल मात्र डाइट में एस.टी., एस.सी. माइनोरिटी के जो आदमी हैं, राजीव गांधी पाठशाला में जो पढ़ाने वाले आदमी हैं, उनके लिए ही हम व्यवस्था करेंगे बाकी के लिए हमारा काम नहीं है। पहले वे शिक्षक बनें, ट्रेनिंग लें और उसके बाद शिक्षा के साथ जुड़े। यह जो प्राइवेट सैक्टर में लोगों ने दुकानें खोल ली और यह व्यवस्था करके आज सरकार के सामने खड़ा कर दिया, सरकार की मान्यता बिलकुल साफ है, इस व्यवस्था में कहीं न कहीं बदलाव करना चाहिए और हमने यह बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ क्योंकि मैं जानता हूं कि अब कमलाजी भी अपनी बात कहना चाहती हैं, बीनाजी भी अपनी बात कहना चाहती हैं, मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की बात है और एक बीकानेर में हमने इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया और एक इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया अजमेर में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जब पिछली साल बजट रखा तो तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में बहरोड में और पीपाड़ में जो बातें की गयी थीं, आज मैं उस फाइनेंशियल स्थिति में नहीं हूं, कहने के लिए लेकिन जो कालेज चल रहे हैं, उन कालेज को ठीक ढंग से चलाने के लिए हम एक व्यवस्था करना चाहते हैं। जैसे आज बीकानेर के अन्दर पोलीटेक्निक आलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस से अप टू डेट हो गया। लेकिन वहां पर यदि इंजीनियरिंग कालेज का छात्र भी पढ़े, विद द अंडरस्टेंडिंग कि यह सेपरेट इंजीनियरिंग कालेज है, हम पोलीटेक्निक को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। वहां पर पोलीटेक्निक भी रहेगा और इंजीनियरिंग कालेज भी रहेगा। यही व्यवस्था हम अजमेर में करना चाहते हैं, उसका ओप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। जो भी संसाधन उपलब्ध हो गये हैं, उस आधार पर जहां-जहां तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पिछली बार घोषणाएं कीं, उनका जितना उपयोग हो सकेगा, उसका उपयोग हम लेंगे और यहां पर तकनीकी शिक्षा खोलने के लिए बजट में जैसे ही इलेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी और गवर्नमेंट को ईज आउट हो जाता है तो जिन जगह पर तकनीकी एजुकेशन के सम्बन्ध में और प्रोविजन कर रखे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से और वित्त मंत्रीजी से व्यवस्था करके इनको चलाने के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। यही मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहते हुए यह बात पूछना चाहता हूं कि पालीटेक्निक कालेज खुला चूरू में, 1998-99 में और बच्चों को एडमिशन आपने दिया बीकानेर में। वहां बिल्डिंग के लिए पैसा दिया जो पिछली सरकार ने, उसके बाद आपने जो प्रोविजन किया, वह पैसा अभी ट्रांसफर नहीं किया तो यह व्यवस्था सुधारने की क्या आप इच्छा रखते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी, सैकण्डरी और मिडल स्कूलों की कई माननीय सदस्यों ने मांग रखी है। जो जीर्ण-शीर्ण बिल्डिंग है, ऐसी हालत में है कि बच्चे उसमें बैठकर पढ़ भी नहीं सकते, क्या उनकी मरम्मत के लिऐ कोई अलग से व्यवस्था करेंगे?

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सिन्धी और पंजाबी के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री जगह सिंह दायमा : एक क्वेश्चन मेरा भी है।

श्री ज्ञानदेव आहूआ : उनके सामने लिस्ट है, जगह-जगह पर पढ़ाई की जा रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : टूटी-फूटी बिल्डिंग है, उनके लिए कहना है।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से एक सवाल करना चाहता हूं। यह तो मैंने आपको धन्यवाद दे दिया कि आपने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर महिलाओं को अबके नौकरी देने की बात कही। इसका तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं परन्तु इसमें एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की महिलाओं का आरक्षण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मेरा काम ही यही है और कोई काम नहीं है मेरा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, आप लोग तो...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : मानीय जगत सिंहजी, विराजिये, आपस में बात नहीं करें।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी फरमाया था कि मैं जवाब दूंगा। जब भिनाय में जो आपने कमिट किया था, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसलमेर के बारे में कहा, भिनाय के बारे में उन्होंने कहा, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने चूरू के पालीटेक्निक कॉलेज के सम्बन्ध में बातें कहीं। मैं ईमानदारी से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भिनाय के अधिकारी

(श्री सी. पी. जोशी)

को जिसने कानूनके खिलाफ काम किया है, उसमें प्रक्रिया में डिले हो सकता है लेकिन उसको बचाने की कोई इच्छा नहीं है। जिसने भी नियम के खिलाफ किया, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

जैसलमेर के सम्बन्ध में भी मैंने जानकारी ली है और मुझे जानकारी यह है कि चालान पेश करने की स्टेज आ गयी है, मैं समझता हूं कि उस सम्बन्ध में भी सरकार की मंशा बहुत साफ है। हम किसी भी स्टेज पर किसी भी गलत आदमी को प्रोटेक्ट करने की हमारी मंशा नहीं है।

चूरू के माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह फरमाया कि दो च्वाइस है या तो उन बच्चों को वहां पढ़ाने की व्यवस्था बंद कर दें या आज जो व्यवस्था है उसमें हम उसका किस तरह बेस्ट उपयोग कर सकें, इस सम्बन्ध में इंकंविनिएंस है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यह व्यवस्था ठीक ढंग से सुधर सकें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाकी माननीय सदस्य ने, दायमा साहब और नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनके अनुभवों का लाभ लेकर, नया-नया शिक्षा मंत्री बना हूं, कोशिश करूंगा कि उनके अनुभवों का लाभ लेकर कुछ काम कर सकूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन इन मांगों को पास करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कमलाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्रीमती कमला : फिर पूछ लेना, मिलते ही रहेंगे अभी तो, असेम्बली चलेगी, पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो सम्पूर्ण जवाब दे दिया अब क्या बचा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए यह कहा कि चुनावों में हम यह नये परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं और मेरा दल पूर्णतः आपका समर्थन करते हैं और यह चुनाव में जो भी शर्तें आप डालना चाहे, जिससे शिक्षा का एक वातावरण बन सकें, हम उसके साथ हैं।

श्रीमती कमला : धन्यवाद।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय मंत्रीजी, आज शिक्षाकर्मी और

(श्री अमराराम चौधरी)

प्राथमिक पाठशाला एक साथ चल रही है, उसके लिए आप अलग करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये-बैठिये।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको बैठाइये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा-कर्मी और प्राथमिक पाठशाला एक ही स्कूल के अन्दर चल रही है। एक स्थान पर चल रही है, उनको आप अलग करेंगे या नहीं करेंगे? ढाणियों में स्कूलों के लिए कह रहे हैं तो जो आपके शिक्षा-कर्मी स्कूल है, वह आप ढाणी में स्थानांतरित कर दीजिए, यह मेरा कटौती प्रस्ताव भी है।

श्रीमती कमला : आप अब विराजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कह दी न बात।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : शिक्षा मंत्रीजी, मेरा यह निवेदन है, यहां पर आप कह रहे हैं कि बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहने चाहिए। एक स्थान पर दो स्कूलें सालभर से चल रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सिन्धी और पंजाबी के बारे में भी कहे। मंत्री महोदय, आप सिन्धी और पंजाबी के बारे में कहे। उर्दू के बारे में कहा और सिन्धी और पंजाबी के बारे में नहीं कहा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन, माननीय विधायक, आप नहीं सुनेंगे तो आप बहुत बड़ा काम मिस करेंगे। (व्यवधान) आप नहीं सुनेंगे मुझे तो बहुत पछताएंगे। बहुत पछताएंगे, नहीं सुनेंगे तो। विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्रीमती कमला : मेरा आप सुनकर जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटा-सा सवाल किया है, माननीय सदस्य ने। मैं निवेदन करूं...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं देना चाहते सवाल को, क्या करें? इधर से यह बोल रहे हैं, उधर से वह बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शिक्षा मंत्रीजी आपने सिर्फ यह कहा कि जहां पर दोहरी संस्था एक ही स्थान पर चल रही है, माननीय जोशी साहब...(व्यवधान)...

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य को असेम्बली में क्वेश्चन पूछ कर जवाब दे चुका हूं, उन्हें मालूम है, मेरे से व्यक्तिगत बात कर ली तो अब क्वेश्चन नहीं करें। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : शिक्षा मंत्रीजी, आपने जवाब यह दिया है कि दो

(श्री अमराराम)

ग्रुप बने हुए हैं। एक हटाना चाहता है, दूसरा नहीं हटाना चाहता है तो आप दोनों में से एक हटा दीजिए, आप निर्णय लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हटा देंगे।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह नहीं, हम तो दोनों रूप से तैयार जो जाएंगे कि स्कूल भी वहां होनी चाहिए, ऐसा थोड़े ही है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। एक तो लेना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हटा देंगे।

श्रीमती कमला : विराजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जो भी हो, आप अपने विवेक से निर्णय ले लीजिए लेकिन आपने जवाब दिया है कि एक ग्रुप तो चाहता है कि शिक्षाकर्मी रहे, दूसरा चाहता है कि प्राइमरी स्कूल रहे, अब उसमें से आप कौनसा निर्णय ले रहे हैं? ढाणियों में स्कूल खोलिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : ले लेंगे निर्णय, विराजिये आप। आर्डर, आर्डर। माननीय कमलाजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिन्धी भाषी और पंजाबी भाषी के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? शिक्षा मंत्रीजी, आप जवाब दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यह कहा, आपने यह पूछा तो उन्होंने यह कहा है कि इसका अभी जवाब देने की मेरी तैयारी नहीं है। मैं जवाब लेकर आपको बता दूंगा, यह कह चुके हैं। उन्होंने कहा है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (संस्कृत शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन और माननीय विधायकगण और शायद आप भी यह सोच रहे होंगे कि न तो माननीय सदस्यों ने संस्कृत के बारे में कुछ बोला, न माननीय सदस्यों ने, एकाध के अलावा कोई कटौती प्रस्ताव दिया और न बजट के अन्दर संस्कृत का नाम लिखा गया, फिर भी मैं क्या बोलना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए बोलना चाहती हूं।

सामान्य शिक्षा का भारी-भरकम बजट, लम्बे-चौड़े आंकड़े और मानव संसाधन की बहुआयामी योजनाएं और भौतिक विकास के बड़े-बड़े निर्माण के आधार उन सबके सामने संस्कृत में खड़ी हूं बहुत छोटी-सी काया और बहुत छोटा-सा मेरा आकार आपको नजर आता है और वास्तव में प्रथम दृष्टया समाज के लिए और आपके लिए मेरी काया बहुत छोटी-सी है। (व्यवधान) नहीं, आप सुनिये, मजाक मत करिये। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो माननीय मंत्री महोदय जो बोले हैं वह बोल अधूरे ही रह जाएंगे इसलिए कि आप जिन संसाधनों के साथ, जिन भौतिक तैयारियों के साथ नये जमाने के स्वागत

(श्रीमती कमला)

के साथ यह सारा ताम-झाम लेकर आये हैं, वह तो सिर्फ माध्यम है अगर लक्ष्य है तो वह संस्कृत में है और इसलिए मैं हूं आप जानते हैं कि यह सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक वर्चस्वपूर्ण इंसान बना सकें, हम एक उत्कृष्ट व्यक्ति बना सकें, हम इस प्रजातंत्र में उन लोगों को गढ़कर तैयार कर सकें। जो इस देश के...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या प्रवचन है?

श्रीमती कमला : प्रवचन नहीं, सत्य है यह। यह सत्य है, प्रवचन नहीं है। अभी आप माथा नीचे कर लेंगे थोड़ी देर में। (व्यवधान) हां, मैं बता रही हूं।

***श्री राजेन्द्र राठौड़** : मैं क्यों कर लूंगा?

श्रीमती कमला : आपका निजी का नहीं कर रही हूं मैं। सुनने वालों को सबको कह रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम पीछे वाले नहीं करेंगे।

श्रीमती कमला : हां, सभी करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि यह सब कुछ जो आज हम कर रहे हैं इंटरनेट पर इंसान को पहुंचाना चाह रहे हैं उससे सारी दुनिया को जोड़ना चाह रहे हैं। वेबसाइट पर संसार को जोड़ रहे हैं और जितनी भी ऊंची से ऊंची आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान और तकनीकें हमारे इस देश के इंसान को पकड़ाना चाहते हैं। उस इंसान का अस्तित्व, उस इंसान का वर्चस्व, उस इंसान का हुनर, उस इंसान की पहचान अगर कहीं है तो इस संस्कृत के अंदर मौजूद है। इसके अक्षुण्ण कवच के अंदर इस देश की संस्कृति, इस देश का आध्यात्म इस देश का जीवन दर्शन और इस देश के नैतिक और सामाजिक मूल्यों की अवधारणा के ऊपर खड़ा इंसान इतना सुरक्षित और इतना चिरंतन अस्तित्व के साथ खड़ा है कि हम उस संस्कृति के बिना कुछ भी नहीं हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है। आप जो बार-बार यह बात सुनते हैं—

"कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।"

उसके पीछे क्या है, उसके पीछे यह है कि संस्कृत एक भाषा है, अपने आप में कुछ नहीं, एक भाषा है। और उस भाषा में हमारे मनीषियों ने युगों-युगों से अपने ब्रह्माण्ड के साथ, प्रकृति के साथ सृष्टि के साथ अपना सांमजस्य बिठाकर, उसके साथ पूरा सम्पूर्ण जीवन जीकर उसके अणु-अणु के साथ जो ज्ञान और विज्ञान का अपरिमित भण्डार उन्होंने इकट्ठा किया है, जो आज संस्कृत वांग्मय के अंदर सुरक्षित है और इस संस्कृत भाषा के कवच के अंदर सुरक्षित है। उसने इंसान को बनाने का आपको पहला रास्ता दिखाया है। अगर इंसान एक वर्चस्वपूर्ण और उत्कृष्ट इंसान नहीं है तो न वो अच्छा घर बसा सकता, न वो अच्छा समाज बना सकता, न वो अच्छा प्रजातंत्र चला सकता और न वो अच्छी सरकार चला सकता। आज जो कुछ भी गिरावट समाज में, दुनिया

(श्रीमती कमला)

में, मानव में अगर आई है तो वह इसी कारण से आयी है। इसलिए संस्कृत अपने आप में वह प्राचीनतम भाषा है जिसकी लिपी और व्याकरण दुनिया में सर्वाधिक वैज्ञानिक है। आज का जो कम्प्यूटर है वह आज तक 63 अरब शब्द संस्कृत के गिन चुका है लेकिन फिर भी वह खतम नहीं हुए हैं। इसकी शब्दावली इतनी अपरिमित है और इसमें जो ज्ञान है, चाहे खगोल शास्त्र लीजिए, चाहे समुद्र शास्त्र लीजिए, चाहे ज्योतिष विज्ञान लीजिए, चाहे आपके आयुर्वेद लीजिए, चाहे आपके वास्तु विज्ञान लीजिए, चाहे जीवन के छोटे से छोटे कण से और छोटी से छोटी सांस से लेकर ब्रह्माण्ड के बड़े से बड़े स्वर संचारित हैं। प्रकृति की जो आवाजें संचारित हैं उनसे बनी हुई यह भाषा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : त्राहिमाम-त्राहिमाम।

श्रीमती कमला : देखिए, यह आपके ऊपर से निकलने वाली चीज है। मेहरबानी करके आप शांति से बैठे रहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : त्राहिमाम, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : जो असत्य का सहारा लेकर यह संसार जी रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त यह संसार जी रहा है, जिस इंसान ने अपने चरित्र को खोकर बड़े से बड़े राष्ट्रों को नीचा दिखाया है। आज इंसान-इंसान को मारने पर उतारु है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या सच्चाई और ईमानदारी शांति और सुख की खोज में निकल पड़ी है। उसका ज्ञान देने वाला, उसका रास्ता बताने वाली यह संस्कृत है। अगर इसको आपने नहीं पनपाया, इसके रास्ते को आपने नहीं चुना, इसको आपने अस्तित्व नहीं दिया तो आपके मारे से तो यह नहीं मरेगा, यह चिरंतन अस्तित्व है। इसका वर्चस्व आकर्षक है और इसकी महिमा अगाध है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। इसलिए आज भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और भारत आज भी दुनिया का गुरु है, वह इसी के पीछे है। मेहरबानी करके इसके अस्तित्व को, इसके वर्चस्व को, इसके ज्ञान-विज्ञान के अपार भण्डार को आप अपने सिर-माथे पर रखिये, तभी सामान्य शिक्षा का जो यह भौतिक रूप है, इसका लक्ष्य तभी पूरा होगा जब संस्कृत को आप अपने इस देश में वह स्थान देंगे जो इसको वांछित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करती हूं इंसान बनिये, शुद्ध इंसान बनिये, सच्चे इंसान बनिये। भारत के प्रजातंत्र को चलाने के लिये अपने जीवन को सुधारिये। धन्यवाद। जयहिन्द।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक संस्कृत का श्लोक। आखिर में एक संस्कृत का श्लोक। संस्कृत का एक श्लोक तो पढ़ दें। संस्कृत का एक श्लोक। संस्कृत नहीं आती क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कला एवं संस्कृति मंत्रीजी। आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले अल्प भाषा मंत्रीजी बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रही हैं न कला एवं संस्कृति मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय माहिर आजाद जी, आप विराजिए। प्लीज। Don't provoke anybody.

मोहम्मद माहिर आजाद : संस्कृत पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं था। वह बोली। तो अल्प भाषा मंत्रीजी को भी दो मिनट बुलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस बंद हो गया क्या? Why are you agitating so much ? आ रहा है, नम्बर आ रहा है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप।

श्रीमती बीना काक (कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो शायर इकबाल का एक शेर याद आ रहा है : —

"कि मुझे फिके जहां क्यों हो,
यह जहां तेरा है या मेरा।"

माननीय सदस्यों ने...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्लिटन का तो नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इसका जवाब मैं दूंगी अभी। मांग संख्या-24 कला एवं संस्कृति से संबंधित विषय कितना महत्त्वपूर्ण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक कटौती प्रस्ताव आया है। अब यह दायरा मेरा है या आपका, यह प्रायोरिटी आपकी है या मेरी और यह कला और संस्कृति सिर्फ आपकी है या मेरी, यह मुझे समझ नहीं आया। लेकिन कटौती प्रस्ताव मिलें या नहीं मिलें, इसका मुझे गम नहीं।

"मंजिल की जुस्तजूं में
मेरा कारवां तो है"
मुझे इसी में खुशी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कटौती प्रस्ताव आया, इसका मैं जवाब देना चाहती हूं। टी.वी. के कार्यक्रमों द्वारा भारतीय संस्कृति पर हो रहे आक्रमण के महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं, सदन को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस तरह के आक्रमणों को हम हमारी कला और संस्कृति की गतिविधियों के द्वारा कला को संरक्षित रखने के लिए, पुनर्जीवित रखने के लिये और सुरक्षित रखने के लिये कटिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं। एक माननीय सदस्य इधर से और दो माननीय सदस्य उधर से बोलें, डेढ़ कहूंगी, आप तो खैर मखैल कर

(श्रीमती बीना काक)

रहे थे। ममता जी बोली थीं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उनके सुझाव के लिये। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कटिबद्ध हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेल मंत्रीजी। (व्यवधान) आप किस पर बोल रहे हैं, काहे पर बोल रहे हो? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : अल्प भाषा मंत्रीजी को बुलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये नीचे। + + + माननीय खेलकूद मंत्रीजी, नहीं बोलना?

मास्टर भंवरलाल (राज्य मंत्री, खेलकूद) : नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अल्प भाषा मंत्रीजी को, साहब हमारे कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : I was very serious.

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। नहीं, आप काहे पर बोल रहे हो? है ही नहीं नाम। बिराजिये। (व्यवधान) आप काहे पर बोल रहे हैं? बोलना जरूरी है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : दो मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह विभाग इससे संबंधित है। राज्य मंत्री का विभाग है अल्प भाषा का। अल्प भाषा राज्य मंत्री जवाब देने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनकी मांग ही नहीं है। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञानवान मंत्री हैं। वन मंत्रीजी से ज्यादा ज्ञानवान आदमी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मंत्रीजी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, यह बात क्या हुई? (व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं मोहममद माहिर आजाद का सदन से बहिर्गमन)

मांग संख्या-24 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24 कला एवं संस्कृति (उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,32,32,88,000/- (इकतीस अरब बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख अठासी हजार) तक की राशि, जिसमें

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(21.00 बजे)

मांग संख्या-41 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,11,72,58,000/- (दो अरब ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख अठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-28 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,38,34,000/- (तिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख चौतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 17 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.01 बजे सोमवार, दिनांक 17 अप्रेल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-324 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

नागौर वृत के क्षेत्राधिकार में कार्यरत 220 केवी एवं 132 केवी ग्रिड सबस्टेशन का विवरण

(अ) 220 केवी ग्रिड सबस्टेशन

क्र.सं.	स्थान	स्थापित क्षमता
1.	मेड़तासिटी	1×100 + 1×50 एमवीए
2.	नागौर	2×100 एमवीए

(ब) 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन

1.	नागौर	49.5 एमवीए
2.	कुचैरा	37.5+(6.0 एमवीएं (11 केवी))
3.	पीपासर	25.0 एमवीए
4.	मकराना	1×7.5 + 12.5 (11 केवी)+2×12.5+1×25 एमवीए
5.	नावांशहर	1×25 एमवीए
6.	कुचामनशहर	2×6.0 (11 केवी)+3×12.5 एमवीए
7.	पीपासर	1×12.5 एमवीए
8.	मेड़तासिटी	3×12.5 (33 केवी)+11 केवी-6 एमवीए
9.	खाम्बा बादान	20/25 एमवीए (33)
10.	गोटन	1×12.5 (33 केवी) 6+6 - 11 केवी
11.	भैरून्दा	20/25 + 12.5 (33 केवी)
12.	डिडवाना	2×25 एमवीए

(स) 33/11 केवी सब स्टेशन

1.	नागौर	1×5 एमवीए, 1×3.15, 1×1.6 एमवीए

1	2	3
2.	गोमेलाव	1×1 एमवीए, 1×1.5 एमवीए
3.	पोथियासी	1×1.6 एमवीए, 1×1.5 एमवीए
4.	माजू	2×3.15 एमवीए
5.	खाजवाना	2×3.15 एमवीए
6.	इन्दोकली	1×3.15 एमवीए
7.	रूण	1×5 एमवीए, 1×3.15 एमवीए
8.	असावरी	1×3.15 एमवीए
9.	ग्वालू	1×3.15 एमवीए
10.	संखवास	2×3.15 एमवीए
11.	बूनरावता	1×3.15 एमवीए
12.	झूझण्डा	1×3.15 एमवीए
13.	पालड़ी जोधा	1×3.15 एमवीए
14.	मूण्डवा	2×3.15 एमवीए
15.	खारड़ा	1×3.15 एमवीए
16.	माणकपुर	1×3.15 एमवीए
17.	लालाप	1×3.15 एमवीए
18.	कड़लू	1×3.15 एमवीए
19.	बलाया	1×3.15 एमवीए
20.	टांकला	1×3.15 एमवीए
21.	कुमारी	1×1.6 एमवीए
22.	मेड़	1×3.15 एमवीए
23.	बेराथल कला	1×3.15 एमवीए

1	2	3
24.	पाचलासिद्धा	1×3.15 एमवीए
25.	खण्डाला	2×3.15 एमवीए
26.	भावझडा	1×3.15 एमवीए
27.	बैरावास	1×3.15 एमवीए
28.	पांचवा	3150×2, 1000×1 केवीए
29.	चितावा	5000×2, 3100×1 केवीए
30.	खोरण्डी	3150×2, 1600×1 केवीए
31.	टोडास	3150×1, 1600×2 केवीए
32.	भावंता	3150×1, 1600×1 केवीए
33.	जिसिया	3150×1, 1600×1 केवीए
34.	शिव	3150×1 केवीए
35.	लालास	3150×1 केवीए
36.	लाम्बा	3150×1 केवीए
37.	रानासर	5000×1 केवीए
38.	इण्डासी	3150×1 केवीए
39.	बोरावड़	1×5, 1×3.15 एमवीए
40.	भीचावा	1×3.15
41.	मच्छीपुरा	1×3.15, 1×1.6
42.	बेसरोली	1×3.15
43.	राश्वलिया	1×1.5
44.	मिण्डकिया	1×3.15
45.	बुड़सु	1×3.15

1	2	3
46.	मकराना	1×5.0
47.	नावां	3.15+1×1+1.6×1
48.	राजास	2.08×1, 1.6×1
49.	मारोठ	3.15×1, 1.5×1 एमवीए
50.	मीण्डा	3.15×1+1.6×1 एमवीए
51.	राजलिया	3.15×1
52.	मुआना	3.15×1 एमवीए
53.	गौगोर	3.15×1 एमवीए
54.	मीठड़ी	3.15×1 2.00×1 एमवीए
55.	चौसला	1.6×1 एमवीए
56.	परबतसर	1.5+1.6 एमवीए
57.	रोहिन्डी	1×3.15 एमवीए
58.	बागोट	1×3.15, 1×2.5 एमवीए
59.	मंगलाना	1×1.6 एमवीए
60.	बिदीयाद	1×5, 1×3.15 एमवीए
61.	भादवा	1×3.15+1×1 एमवीए
62.	गुलर	1×3.15, 1×1.6 एमवीए
63.	हरनॉवा	1×3.15, 1.1.6 एमवीए
64.	भेंकरी	1×1.6 एमवीए
65.	पीह	1×1.6+1×1 एमवीए
66.	पीलवा	1×3.15+1×1.6 एमवीए

1	2	3
67.	खाम्पालाई	1600 केवीए
68.	जसनगर	3150 केवीए, 1600 केवीए
69.	कात्यासली	3150 केवीए, 1600 केवीए
70.	सातलावास	3150 केवीए
71.	आकेली "ए"	3150 केवीए, 1000 केवीए
72.	सुगदड़ा	3150 केवीए
73.	रेण	3150, 3150 केवीए
74.	बड़गांव	3150 केवीए
75.	भानास	3150 केवीए
76.	भैसड़ा	3150 केवीए
77.	हिरण खुरी	3150 केवीए
78.	लिलिया	3150 केवीए
79.	नवला सागर	3150 केवीए, 1600 केवीए
80.	मेंडतारोड	5000 केवीए
81.	मंगराना	3150 केवीए 1000 केवीए
82.	लाम्बा जाटान	3150 केवीए 1500 केवीए
83.	लुनियास	3150 केवीए 1000 केवीए
84.	इन्दावड़	3150 केवीए
85.	गागुड़ा	3150 केवीए
86.	बासनी सेजा	3150 केवीए
87.	कुम्पड़ास	3150 केवीए
88.	मोकंला	3150 केवीए, 1600 केवीए

1	2	3
89.	सिरसला	3150 केवीए
90.	पुन्दलू	3150 केवीए
91.	मोखा चान्दावता	3150 केवीए
92.	दाढांढासनी	3150 केवीए
93.	कुड़ाया	3150 केवीए
94.	बींटन	3150 केवीए
95.	छापरी	3150 केवीए
96.	टालनपुर	3150 केवीए
97.	रियाश्यामदास	3150 केवीए
98.	डेगाना जंक्शन	1600 केवीए 3150 केवीए
99.	बुटाटी	3150 केवीए 1600 केवीए
100.	साजु	3150 केवीए, 1600 केवीए
101.	टुगोर दासा	3150 केवीए
102.	हरसौर	3150 केवीए, 1600 केवीए
103.	निम्बड़ी कलां	3150 केवीए
104.	ढाढरिया कला	3150 केवीए
105.	जावला	3150 केवीए
106.	निम्बड़ी चान्दावता	3150 केवीए
107.	पादुकलां	1600 केवीए, 1500 केवीए
108.	रियाबड़ी	3150 केवीए, 2500 केवीए
109.	आलनियावास	3150 केवीए, 1600 केवीए
110.	रोहिता	3150 केवीए
111.	भैरून्दा	3150 केवीए

1	2	3
112.	धांवला	2500 केवीए 1600 केवीए
113.	डीडवाना	1×3.15, 1×1.5, 1×1.6 एमवीए
114.	तोषीना	1×3.15 एमवीए
115.	खुनखुना	2×3.15 एमवीए
116.	केराप	1×3.15 एमवीए
117.	सुरादसन	1×3.15 एमवीए
118.	मौलासर	1×3.15 1×3.000, 1×1.6 एमवीए
119.	खाखोली	1×3.15 एमवीए
120.	केसपुरा	1×3.15 एमवीए
121.	सादड़या	2×1.6, 1×1.00 एमवीए
122.	निमोद	1×3.15 एमवीए 1×1×88 1×1.6 एमवीए
123.	निम्बकाबास	1×3.15 एमवीए
124.	धनकोली	2×3.15 एमवीए
125.	नुवा	2×3.15 एमवीए
126.	सुद्रासन	1×3.15 एमवीए
127.	जायल	1×3.15 एमवीए
128.	रोल	2×3.15 एमवीए
129.	बड़ीखादू	1×3.15 एमवीए, 1×1.6 एमवीए
130.	डेह	1×3.15 एमवीए
131.	झाड़ेली	1×3.15 एमवीए
132.	ढेहरी	1×3.15 एमवीए
133.	अड़वड़	1×3.15 एमवीए
134.	बरसुना	1×3.15 एमवीए
135.	जोरतांकला	1×3.15 एमवीए

परिशिष्ट-"ब"

जिला नागौर में, नागौर वृत में जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2000 तक की गई विद्युत आपूर्ति का विवरण

क्र.सं.	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का नाम	जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2000 तक की गई विद्युत आपूर्ति (यूनिट लाखों में)
1.	नागौर	390.02
2.	खींवसर	184.32
3.	कुचेरा	346.18
4.	डीडवाना	323.40
5.	मेड़ता	500.29
6.	गोटन	138.37
7.	लम्बा जाटान	88.46
8.	भैरुन्दा	278.68
9.	मकराना	340.85
10.	नावां शहर	122.20
11.	कुचामन सिटी	276.22
12.	चितावा	28.10
13.	दांतारामगढ़	61.80
	कुल योग	**3078.89**

परिशिष्ट-"स"

नागौर जिल में भविष्य में स्थापित किये जाने वाले 220/132/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों की सूची

220 के.वी.	कुचामन सिटी
132 के.वी.	1. बागोट
	2. मौलासर
	3. लाडनूं
	4. संजू

नागौर वृत के अधीन प्रस्तावित नये बनाये जाने वाले 33/11 के.वी. सब स्टेशनों की सूची जो वर्ष 2000-2001 के फेज प्रोग्राम में सम्मिलित करवायें जायेंगे की सूची : —

1. बडाबरा	2. बडायली
3. देवली	4. हरसोलाव
5. शिव	6. जेवलियावास
7. देशवाल	8. गंठिया
9. अड़कसर	10. दाऊसर
11. डाकीपुरा	12. टेहला
13. बावड़ी	14. कालोली
15. देऊ	16. रोल चान्दावता
17. ओ.पी.एस. नागौर	18. ईड़वा
19. बरना	20. नागंड़ी
21. कुड़छी	22. बिरलोका
23. टुकलिया	

प्रस्तावित 33/11 के.वी. सब स्टेशनों की सूची जिनकी तकनीकी स्वीकृति हो गई लेकिन वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है : —

1. नगवाड़ा
2. पांचोला
3. मण्डावरा

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-326 की सूची)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

मुख्य अभियन्ता,

सार्वजनिक निर्माण विभाग,

जयपुर।

क्रमांक एफ. 7(15) शिक्षा-3/99 जयपुर, दिनांक 21.7.99

विषय : वार्षिक योजना 1999-2000 में राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से दिये जाने वाले पूंजी निर्माण कार्यों में राज्यांश की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

निर्देशानुसार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश संख्या एफ. 14(1) शिक्षा-4/97 दिनांक 1.6.99 की प्रति संलग्न कर लेख है कि वार्षिक योजना 99-2000 में राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग की सहायता से किए जाने वाले पूंजी निर्माण कार्यों में स्वीकृति राशि 190.93 लाख जिनमें से राज्यांश के 68.70 लाख रुपये बजट निर्णायक समिति की बैठक में स्वीकृत किये गये हैं। उक्त राशि राज्य अनुदान के रूप में व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार की जाती है : —

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	पूंजी निर्माण	कुल लागत	यू.जी.सी. हिस्सा	राज्यांश
1	2	3	4	5	6
1.	राज. महा वि., ब्यावर	प्र.शा. कक्षा-कक्ष	10.66	8.00	2.66
2.	राज. महा वि., सिरोही	पुस्तकालय, स्टाफ रूम	5.93	5.00	0.93
3.	राज. महा वि., चुरू	प्र. शा. रिनोवेशन	7.98	5.98	2.00
4.	राज. महा वि., केकड़ी	पुस्तकालय	4.10	4.00	0.10

1	2	3	4	5	6
5.	राज. महा वि., बेहरोड	कक्षा-कक्ष	6.67	5.00	1.67
6.	राज. महा वि., डीग	पुस्तकालय	5.25	4.50	0.75
7.	राज. महा वि., टोंक	पीजी. कक्षा-कक्ष	12.25	8.00	4.25
8.	राज. महा वि., निम्बाहेड़ा	हाल एवं पोर्च	5.34	4.00	1.34
9.	राज. महा वि., नाथद्वारा	हाल/कक्ष	6.00	4.00	2.00
10.	राज. महा वि., बूंदी	प्र.शा. कक्षा-कक्ष	8.14	5.50	2.64
11.	राज. कन्या महा वि., अलवर	प्र.शा. कक्षा-कक्ष	7.45	5.50	1.95
12.	राज. महा वि., आबूरोड	प्र.शा. कक्षा-कक्ष	6.00	4.50	1.50
13.	राज. महा वि., प्रतापगढ़	प्रयोगशाला	6.82	5.00	1.82
14.	राज. कन्या महा वि., कोटा	कम्प्यूटर कक्ष	8.02	6.00	2.02
15.	राज. महा., अजमेर	कक्षा-कक्ष यूजी.	8.00	6.00	2.00
		कक्षा-कक्ष पीजी.	20.43	15.30	5.13
16.	राज. महा., भीलवाड़ा	कक्षा-कक्ष यूजी.	8.43	6.00	2.43
		कक्षा-कक्ष पीजी.	18.00	13.00	5.00
17.	राज. महा., बीकानेर	कक्षा-कक्ष यूजी.	8.00	6.00	2.00
		कक्षा-कक्ष पीजी.	9.20	6.90	2.30
18.	राज. महा., सूरतगढ़	कक्षा-कक्ष	5.00	3.50	1.50
19.	राज. महा., किशनगढ़	कक्षा-कक्ष	7.00	5.00	2.00
20.	राज. महा., पाली	कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला	7.00	5.00	2.00
21.	राज. महा., नसीराबाद	प्रयोगशाला	5.69	4.00	1.69
22.	राज. महा., बांदीकुई	पुस्तकालय	5.37	5.00	0.37
23.	राज. महा., सवाईमाधोपुर	कक्षा-कक्ष	9.32	5.50	3.82

1	2	3	4	5	6
24.	राज. महा., कालाडेरा	कक्षा-कक्ष	7.44	5.25	2.19
25.	राज. महा., राजगढ़	कक्षा-कक्ष	6.00	4.50	1.50
26.	राज. महा., सीकर	रीडिंग रूम प्रशा. (यू.जी.पी.जी.)	12.87	9.50	3.01
27.	राज. महा वि., चित्तौड़गढ़	कक्षा-कक्ष	7.63	5.00	2.63
28.	राज. महा वि., डूंगरपुर	प्रयोगशाला	6.00	4.50	1.50
29.	मीरा कन्या महा., उदयपुर	कक्षा-कक्ष	8.00	6.00	2.00
		योग	259.99	190.93	68.70

यह व्यय बजट मद 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 202-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, (1) ( ) आयोजना (व्यय) 1999-2000 से वहन किया जाएगा।

भवदीय,

ह/-

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कृषकों को फव्वारा सैट

330. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला जयपुर में प्रदर्शन के लिए कुल कितना बीज वितरित किया गया? उक्त में से पंचायत समिति बस्सी में कितना बीज, किस-किस किसान को वितरित किया गया? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति बस्सी के कितने काश्तकारों को फव्वारा सैट दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2000 से 2001 में कितने फव्वारा सैट/ड्रिप सिंचाई सैट जयपुर में वितरित करने का प्रस्ताव है? उक्त में से अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों को कितने दिये जाने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) जिला जयपुर में प्रदर्शन के लिये वर्ष 1999-2000 में 334.41 क्विंटल बीज वितरित किया गया। उक्त में से पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र में 38.924 क्विण्टल बीज वितरित किया गया। ग्रामवार लाभान्वित कृषकों की सूची परिशिष्ट-अ (पृष्ठ-1 से 8) पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति बस्सी के 349 कृषकों को वर्ष 1999-2000 में फव्वारा सैट अनुदान पर दिये गये हैं। कृषकों की सूची परिशिष्ट-ब (पृष्ठ-1 से 9) पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2000-2001 में 4,000 फव्वारा सैट एवं उद्यानिकी फसलों हेतु 250 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई सेट जयपुर जिले में वितरित करने का प्रस्ताव है। इनमें से लगभग 1,200 फव्वारा सैट एवं 75 हैक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई सैट अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को दिये जाने का प्रस्ताव है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बसेड़ी-बयाना सड़क पर निर्मित पुल का पुर्निर्माण

331. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार बसेड़ी-बयाना सड़क पर बनी सांमरी एवं तरसूमा पुलिया को ऊंचा कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त दोनों पुलिया पर वर्ष 1990 से फरवरी, 2000 तक पुलिया नीची होने के कारण कितनी दुर्घटना घटी है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बसेड़ी से बयाना सड़क पर ग्राम सामरी एवं तरसूमा के पास बनी पुलिया को ऊंचा करने हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है। राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर इन पुलियाओं के पुनः निर्माण की स्वीकृति निर्भर करती है।

(2) बरेठा से बसेड़ी रोड पर पुलिया सामरी व तरसूमा पर वर्ष 1990 से फरवरी, 2000 तक में पुलिस विभाग के रिकार्ड अनुसार 7 (सात) दुर्घटनाएं घटी हैं।

बाल रश्मि सोसायटी जयपुर के विरुद्ध कार्यवाही

332. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में समाज कल्याण के अधीन बाल रश्मि सोसायटी में गम्भीर अनियमितताओं के उजागर होने के बाद विभाग द्वारा कोई जांच करवाई की गई? क्या उक्त सोसायटी द्वारा नियम के विपरीत बच्चों को गोद देने/राज्य से बाहर भेजने/उनके रख-रखाव में लापरवाही बरतने/रिकार्ड में हेराफेरी करने/वित्तीय और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई है? यदि हां, तो कब? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाल रश्मि सोसायटी और उनके पदाधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध हत्या, बलात्कार एवं धोखाधड़ी करने के मामले भी हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं एवं विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा जांच करवाई जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 3.7.99 को राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। संस्था के पदाधिकारियों एवं अन्य के विरुद्ध पुलिस स्टेशन, बस्सी में आठ अभियोग दर्ज किये गये है। जिनमें से तीन मुकदमे सी.आई.डी. (सी.बी.) दहेज प्रकोष्ट, जयपुर में विचाराधीन है। (परिशिष्ट-"ब") शेष 5 प्रकरणों में श्रीमती एलिस गर्ग, निर्मल गोधा, श्री सतीश चन्द्र जैन पुत्र मुगल चन्द जैन दौसा, श्री अब्दुल सत्तार पुत्र इमामुद्दीन, श्री सत्यनारायण पुत्र मूलचन्द, श्री सीताराम पुत्र घासी निवासी बस्सी के विरुद्ध अभियोग है।

विभाग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सिणधरी/धोरीमन्ना/गुढ़ामालानी के लम्बित कृषि कनेक्शन

333. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के उप-खण्ड सिणधरी, धोरीमन्ना व गुढ़ामालानी में कुल 575 उपभोक्ताओं ने कृषि कनेक्शन हेतु दिनांक 31 मार्च, 1999 तक मांग-पत्र की राशि जमा कराई थी और इनके लम्बित कृषि कनेक्शनों को दिनांक 30 अप्रेल, 1999 तक जारी किया जाना था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। जिला बाड़मेर के उपखण्ड सिणधरी, धोरीमन्ना व गुढ़ामालानी में माह मार्च, 1999 तक जिन 575 आवेदकों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा करवाई थी उनमें से 439 आवेदकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 59 आवेदकों को सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। 75 आवेदकों को सामान ले जाने के लिए नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी आवेदकों द्वारा सामान प्राप्त नहीं किया है। संशोधित मांग-पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण दो आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं।

जिला कलेक्टर नागौर द्वारा गणतंत्र दिवस पर सम्मानित व्यक्ति

334. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर कार्यालय नागौर द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2000 को कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें विकास अधिकारी पंचायत समिति जायल भी थे? यदि हां, तो किस विशेष उपलब्धी के लिये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विकास अधिकारी को जिला स्तर से आरोप पत्र भी दिया था? यदि हां, तो कब-कब और क्यों? आरोप पत्रों की प्रति तथा जारी किये गये नोटिसों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकार से जिला स्तर पर सम्मानित करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश/निर्देश जारी कर रखें हैं? यदि हां, तो कब-कब और क्या-क्या? उक्त आदेशों/दिशा-निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विकास अधिकारी जब अजमेर जिले में कार्यरत था तब भी इनको आरोप-पत्र मिलता था? यदि हां, तो कब और किस सम्बन्ध में?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) क्या उक्त कार्य में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/दिशा-निर्देशों की पालना हुई है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में 200 व्यक्तियों को 10,50,000/- रुपये के ऋण वितरित करवा कर लाभान्वित करवाने तथा 68 लाख रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करवाने तथा बैंकों से अग्रिम ऋण वितरण करवाने में द्वितीय स्थान पर तथा अग्रिम राशि के समायोजन में प्रथम स्थान पर सराहनीय कार्य किये जाने के लिये सम्मानित किया गया।

(2) जी, नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश/दिशा निर्देशों के अनुसार ही जिला-स्तर पर कार्यवाही की जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां।

भाग-3 से संबंधित सूची

Rule 7 of the Rajasthan Civil Services (Grant of Reward Merit Awards and Merit Certificates) Rules, 1973 as it stands on 8-8-1995.

7. (1) Grant of Reward in the form of Merit Certificate Government may grant to Government Servants on the occasion of 15th August or 26th January or any other function Certificate for,

(i) rendering meritorious Service or exhibiting high sense of duty, or

(ii) in recognition of exceptional performance shown by him.

2. The Heads of Departments may make recommendations to Government every year by the 15th July and 25th December or on a date prescribed by the Government in a prescribed proforma in respect of Government Servants employed under them for awards or Merit Certificate giving brief statement about their career and indicating detailed reasons as to how the services of the Government Servant have proved exceptionally useful.

Provided that in exceptional circumstances when the secretary to Government has personal knowledge of the outstanding work of certain officer, he may recommend his name even if the Head of the Department has not made recommendation for such officer.

3. The Merit Certificate will be given to a limited number of employees and the Administrative Department will recommend not more than two Gazetted officers and two Non-Gazetted Officials alongwith confidential Reports of the last seven years to the Chief Secretary to Government in the Cabinet Secretariat latest by the dates given in sub-Rule (2).

Provided that the Merit Certificate shall be awarded to an employee only once in the entire service period and that at least 2 of the seven years Annual Performance Apprisal Reports shall be outstanding and remaining very good.

"(4) The recommendations made under sub-rule 3 shall be examined by the following committees :—

(a) Committee for Gazetted officers

(i)	Chief secretary to Government	convenor
(ii)	Chairmen, Board of Revenue	Member
(iii)	Development Commissioner &	Member
	Principal Secretary	Secretary,
	Rural Development & Panchayati Raj Deptt.	
(iv)	Special Secretary (Cabinet) Secretary	
	or	

Dy. Secretary (Cabinet) in case there is no post of Spl. Secretary (Cabinet)

(b) Committee for Non-Gazetted Officials

(i) Special Secretary (Cabinet) convenor

or

Dy. Secretary (Cabinet) in case there is no post of Spl. Secretary (Cabinet)

(ii) Two Dy. Secretaries nominated by the Chief Secretary. Members

Note :

(i) The recommendations of the committee for granting Merit Certificates in respect of Gazetted Officers shall be submitted to the Chief Minister for final approval.

(ii) The recommendations of the committee for granting Merit Certificate in respect of Non-gazetted officials shall be submitted to Chief Secretary for final approval.

(iii) The number of selected persons both Gazetted officers and Non-gazetted officials shall not exceed ten.

(iv) The certificates granted under this rule shall be in the nature of a letter of recommendation and shall not carry any service benefits or any weightage in the matter of promotion, or advance increments etc. but shall be placed in the ACR's Dossiers.

करौली में पर्यटन मिडवे का निर्माण

335. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कैलादेवी (करौली) पर्यटकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थान है?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष कैलादेवी मेले के अवसर पर 40 लाख से अधिक पर्यटक आये हैं?

(3) क्या पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में उक्त स्थान पर मिडवे के निर्माण का निर्णय लिया गया था?

(श्री जनार्दन गहलोत)

(4) क्या भिडवे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो अब सरकार द्वारा कब तक कार्य पूर्ण कराया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। यह स्वदेशी पर्यटकों के लिये महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा कैलादेवी मेले के अवसर पर अलग से पर्यटक आगमन की सूचना संकलित नहीं की जाती है। तथापि अनुमान के आधार पर मेले में गत वर्ष लगभग 40 लाख श्रद्धालु आये थे।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा कैलादेवी के निकट "यात्रिका" का निर्माण कराया गया है।

(4) यात्रिका के मुख्य भवन का निर्माण हो चुका है। शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जा रहा है।

जिला झुन्झुनूं में विभिन्न योजनाओं पर व्यय

336. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला झुन्झुनूं में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम में अन्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र में चलाये जा रहे हैं? उक्त कार्य हेतु कौन-कौन अधिकारी नियुक्त है?

(2) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 की अवधि में किस-किस कार्यक्रम पर कितना-कितना व्यय किन-किन आइटम्स पर किया गया हैं?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं में महिला विकास कार्यक्रम जिले की सभी पंचायत समिति में जिला महिला विकास अभिकरण के माध्यम से चलाया जा रहा है। बाल विकास कार्यक्रम जिले की सूरजगढ़ एवं झुन्झुनूं पंचायत समितियों में बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। महिला विकास अभिकरण में परियोजना निदेशक के पद पर श्रीमती मोहिनी शर्मा एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरजगढ़ के पद पर श्री श्याम लाल शर्मा कार्यरत है। जबकि बाल विकास परियोजना अधिकारी, झुन्झुनूं का पद रिक्त है।

(2) वर्ष 1998-99 में बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों में 49,45,868/- रुपये एवं महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 11,81,598/- रुपये व्यय किये गये हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान फरवरी, 2000 तक बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 34,34,787/- रुपये एवं महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 14,08,476/- रुपये व्यय हुए हैं। मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

बाल विकास कार्यक्रम				महिला विकास कार्यक्रम			
क्र.सं.	मद	व्यय 98-99	99-2000 (2/2000) तक	क्र. सं.	मद	व्यय 98-99	99-2000 (2/2000) तक
1.	संवेतन	19,85,679	15,33,024	1.	प्रशासनिक व्यय	9,37,269	12,20,763
2.	मानदेय	22,05,478	14,61,439	2.	किशोर बालिका योजना	1,34,877	1,34,378
3.	यात्रा व्यय	2,81,732	96,910	3.	सामग्री प्रकाशन	62,354	26,344
4.	चिकित्सा व्यय	41,133	16,536	4.	बाल विवाह रोकथाम	4,500	4,633
5.	कार्यालय व्यय	66,118	36,876	5.	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन	12,100	6,599
6.	भवन किराया	49,321	16,313	6.	विविध कार्यक्रम	4,196	—
7.	विज्ञापन	2,862	—	7.	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम	21,850	4,008
8.	वाहन संधारण व्यय	54,322	25,347	8.	महिला सहायता समिति	4,452	11,751
9.	डिक्री संबंधी व्यय	—	55,150				
10.	खाद्यान्न एवं परिवहन व्यय	02,59,223	01,93,192				
		49,45,868	34,34,787			11,81,598	14,08,476

जावदा (चित्तौड़गढ़) में स्वास्थ्य सुविधाएं

337. **श्री घनश्याम जैन** (बेगू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ में जावदा रावतभाटा से 60 किलोमीटर दूर होने के बाद भी वहां चिकित्सा सेवायें नहीं है ?

(3) क्या सरकार जावदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत-सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र की 30,000 तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र की 20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है। भारत-सरकार द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

(2) जी, नहीं। ग्राम जावदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है जिसके माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) जी, नहीं। ग्राम जावदा पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ के अन्तर्गत आता है। पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ में जनसंख्या मापदण्ड के अनुसार 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विपरीत वर्तमान में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। अतः ग्राम जावदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और खोलने का औचित्य प्रतित नहीं होता।

जिला झालावाड़ में भू-सर्वेक्षण हेतु आवंटित राशि

338. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

जिला झालावाड़ में भू-सर्वेक्षण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी और उसमें से कितनी व्यय हुई तथा सर्वेक्षण की क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भू-सर्वेक्षण कार्यों हेतु जिलेवार कोई भी आवंटन अलग से नहीं किया जाता है। झालावाड़ जिले में भू-सर्वेक्षण कार्य कोटा में स्थापित इकाई द्वारा किया जाता है। कोटा इकाई के अधीन कोटा, बून्दी, बारां एवं झालावाड़ जिले आते हैं।

इकाई कोटा को वर्ष 1999-2000 में वेतन भत्तों सहित कुल 15.16 लाख रुपये आवंटित किये गये एवं 14.29 लाख रुपये

(कृषि मंत्री)

व्यय हुए। इस इकाई द्वारा वर्ष 1999-2000 में झालावाड़ जिले में 5550 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण कार्य किया गया है जिस पर 4 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

जिला बांसवाड़ा की सड़कविहीन ग्राम पंचायतें

339. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार जिला बांसवाड़ा की प्रत्येक ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? उक्त जिले में अब तक कौन-कौनसी पंचायत को सड़क से जोड़ा गया और कितनी पंचायतें आवागमन के साधनों से वंचित हैं? उक्त जिले की सड़क विहीन ग्राम पंचायतों को अब कब तक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

जी, हां। बांसवाड़ा जिले की कुल 325 ग्राम पंचायत है। उनकी सूची परिशिष्ट-"अ" में दर्शाई गई है। उनमें अब तक 254 ग्राम पंचायत डामर सड़क से, 21 मेटल सड़क से एवं 48 ग्रेवल सड़क से जोड़ दिये गये हैं। शेष 2 ग्राम पंचायत अभी तक पूर्णरूप से किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हुए है। सड़क से बिना जुड़ी 2 ग्राम पंचायतों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति आश्वासित रोजगार योजना में जारी हो चुकी है। कार्य का पूर्ण होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-340

(स्थगित)

बाड़मेर में गिर्ल लिग्नाइट आधारित परियोजना का निर्माण

341. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में जालिया, कपूरडी, डी.एल.एफ. एवं डी. एल. एफ. पावर परियोजना गिर्ल लिग्नाइट आधारित लगाई जा रही है? क्या उनकी स्वीकृति भी हो चुकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उक्त परियोजनाओं के निर्माण के लिये मैसर्स वेल्ट पावर, जयपुर के साथ समझौता किया है? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब कब तक उक्त परियोजनाएं चालू कर उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार/राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने बाड़मेर जिले के जालीपा एवं कपूरड़ी में 2×300 मेगावाट (प्रत्येक) की

(ऊर्जा मंत्री)

लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई व मै. वेस्ट पावर, जयपुर को प्रायोजक घोषित किया गया है। इस परियोजना के तहत लिग्नाइट खनन व लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह स्थापित करना है। अब तक इस परियोजना का प्रतिवेदन तैयार नहीं हुआ है, अतः किसी तरह की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले की गिराल व सोनेरी माइन्स पर क्रमशः 1×100 मेगावाट व 1×150 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित परियोजना के लिए मैसर्स डी.एल.एफ. पावर लि. को सहमति प्रदान की है। लेकिन अब तक इस परियोजना का प्रतिवेदन भी तैयार नहीं हुआ है अतः किसी प्रकार की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी, नहीं। मै. वेस्ट पावर, जयपुर को जालीपा व कपूरड़ी परियोजना हेतु केवल प्रायोजक नियुक्त किया है। अभी तक विद्युत क्रय अनुबन्ध व क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(3) अभी तक उक्त परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना का वित्तीय समापन नहीं हो पाया है। वित्तीय समापन होने के पश्चात ही इन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है।

पंचायत समिति देवली (टौंक) में विज्ञापन हेतु भुगतान की गई राशि में अनियमितता की जांच

342. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति देवली, जिला टौंक द्वारा 1994-95 से 1996-97 में विज्ञापन हेतु 38,329 रुपये की राशि सीधी ही एक सम्पादक को दी थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि पंचायतों को मिलने वाले अनुदान की थी? यदि नहीं, तो फिर किस मद से इसका भुगतान किया गया?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व प्रधान श्री प्रभुलाल सैनी पंचायत समिति, देवली व पूर्व कैशियर श्री बालमुकुन्द सोमानी की मिलीभगत से ऐसा किया गया? क्या इस सम्बन्धी शिकायत, तत्कालीन विकास अधिकारी देवली ने अपने पत्र संख्या/एस.पी.-1 दिनांक 9-12-97 के द्वारा जिला कलेक्टर टौंक को लिखित में की थी?

(4) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा पंचायत वार सूची तैयार कर जिला कलेक्टर टौंक को प्रस्तुत करते हुए उसकी वसूली की कार्यवाही करने

(श्री दिग्विजय सिंह)

की अनुमति चाही थी? जिला कलेक्टर टौंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 18 नवम्बर, 1999 को इस सम्बन्ध में एक पत्र निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भी लिखा गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, नहीं। अपितु पंचायत समिति के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों द्वारा विज्ञापन की राशि का भुगतान किया गया था।

(2) जी, हां।

(3) उक्त प्रकरण में दायित्व का निर्धारण जांच कार्यवाही के पश्चात् ही किया जा सकेगा। जी, हां।

(4) जी, हां। किन्तु उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त पत्र जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(5) जी, हां। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टोंक द्वारा इस प्रकरण में की गई प्राथमिक जांच की रिपोर्ट को संभागीय आयुक्त, अजमेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवा दिया गया है।

भरतपुर में प्रस्तावित पर्यटन विकास

343. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन विकास की दृष्टि से भरतपुर एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उक्त जिले के पर्यटन विकास हेतु गत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब सरकार द्वारा भरतपुर में पर्यटन के विकास हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा जिले के पर्यटन विकास हेतु गत 5 वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। विभाग उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप प्राथमिकताओं के आधार पर जिलों में पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाके उनका क्रियान्वयन करता है।

परिशिष्ट-"क"

क्र.सं.	वर्ष	कार्य	राशि लाख रु.
1) राज्य योजनान्तर्गत			
1.	1995-96	पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर का निर्माण	15.00
2.	1995-96	डीग महल में रंगीन फव्वारों का संचालन	3.00
3.	1996-97	—	00.00
4.	1997-98	पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर का निर्माण	10.00
5.	1998-99	डीग महल में रंगीन फव्वारों का संचालन	4.10
2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत			
6.	1998-99	भरतपुर में उपयोग हेतु टेन्ट खरीदने बाबत	6.475
7.	1998-99	डीग किले के विकास कार्य	1.00
8.	1999-2000	मार्गस्थ सुविधा डीग का निर्माण	2.08
9.	1999-2000	म्यूजियम भरतपुर में जनसुविधाओं का निर्माण	2.30

3) वर्ष 1998-99 में एक पर्यटक ईकाई को डी.जी. सेट क्रय हेतु अनुदान राशि रु. 50000/- दिंये गये

4) नगर परिषद सीमा क्षेत्र में पेईंग गैस्ट योजना लागू

5) दिल्ली, आगरा, जयपुर के ट्रांइगल ट्यूर में भरतपुर को शामिल किया गया

6) शाही रेलगाड़ी को भरतपुर रोका जाकर पर्यटकों को भरतपुर का भ्रमण करवाया जाना

7) ब्रज महोत्सव आयोजित किये जाने में सहयोग प्रदान किया गया

8) पर्यटन साहित्य का मुद्रण व वितरण

9) जिले में प्रशिक्षित ट्यूरिस्ट गाइड उपलब्ध कराना

नोहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

344. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में कहां-कहां कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं और कितने बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) महिला एवं बाल विकास कार्यालय नोहर में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) पंचायत समिति नोहर के अन्तर्गत कितने केन्द्र और खोले जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में कुल स्वीकृत 262 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 255 केन्द्र संचालित हैं। 07 आंगन बाड़ी केन्द्र बन्द हैं। संचालित एवं बन्द आंगन बाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) बाल विकास कार्यालय नोहर में कुल 27 पद स्वीकृत है उक्त पदों में से 22 पद रिक्त है। रिक्त पदों को शीघ्र ही भरे जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(3) पंचायत समिति, नोहर में अब कोई आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं हैं।

परिशिष्ट-"अ"

बाल विकास परियोजना, नोहर के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	वि.वि.	क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	वि.वि.
1	2	3	1	2	3
1.	नोहर-ए		20.	2 आर पी एम	
2.	–"– बी		21.	सोतीबड़ी	
3.	–"– सी		22.	6 आर पी एम	
4.	–"– डी		23.	6 बारानी	
5.	–"– ई		24.	आपूवाला	
6.	15 बारानी		25.	चकदेईदासपुरा	
7.	बड़बिराना-ए		26.	दलपतपुरा-ए	
8.	–"– बी		27.	–"– बी	
9.	–"– सी		28.	रायसिंहपुरा	
10.	ललाना दिख-ए		29.	दोले का बास	
11.	–"– बी		30.	दुर्जाना	
12.	ललाना अ. ए–"– बी		31.	मेघाना-ए	
13.	–"– बी		32.	–"– बी	
14.	ललाना श्योपुरा		33.	खोपड़ा	
15.	नथवानियां		34.	नहराना	
16.	रतनपुरा-ए		35.	भोगारावा	
17.	–"– बी		36.	खरसाड़ी	
18.	–"– सी		37.	ललानियां	
19.	16 के एन. एन.		38.	नगरासेरी	

1	2	3	1	2	3
39.	जबरासर-ए		61.	–"– बी	
40.	–"– बी		62.	–"– सी	
41.	–"– सी		63.	चाकराजासर	
42.	जोजासर		64.	मालिया	
43.	श्योरानी		65.	भातलदेसर	
44.	बालासर		66.	लाखासर-ए	
45.	टिडियासर-ए		67.	–"– बी	
46.	–"– बी		68.	30 एन टी आर	
47.	सूरपुरा		69.	किकराली	
48.	जोरावपुरा		70.	रामगढ़-ए	
49.	भंगूली		71.	–"-बी	
50.	रातुसर		72.	–"– सी	
51.	रानीसर केन्द्र बन्द है।		73.	–"– डी	
52.	ढाबी रायकान		74.	उज्जलवास-ए	
53.	नोहर-एफ		75.	–"– बी	
54.	–"– जी		76.	परलीका-ए	
55.	–"– एच		77.	–"– बी	
56.	–"– आई		78.	–"– सी	
57.	–"– जे		79.	–"– डी	
58.	–"– के		80.	–"– ई	
59.	–"– एल		81.	22 एन टी आर	
60.	दीपलाना-ए		82.	वरवाली-ए	

1	2	3	1	2	3
83.	–"– बी		105.	–"– बी	
84.	–"– सी		106.	नपाऊ-ए	
85.	12 डी पी एन		107.	–"– बी	
86.	5 जी जी एम (ए)		108.	मुन्सरी	
87.	–"– (बी)		109.	हमीरदेसर	
88.	ढीलमीजा-ए		110.	थालड़का-ए	
89.	–"– बी		111.	–"– बी	
90.	–"– सी		112.	–"– सी	
91.	बिरकाली-ए		113.	टोवरीया-ए	
92.	–"– बी		114.	–"– बी	
93.	–"– सी		115.	–"–सी	
94.	असरजाना		116.	भगवान-ए	
95.	सोनड़ी-ए		117.	–"– बी	
96.	–"– बी		118.	ढ़ढेला-ए	
97.	–"– सी		119.	–"– बी	
98.	–"– डी		120.	देईदास-ए	
99.	न्योलखी-ए		121.	–"– बी	
100.	–"– बी		122.	ठाणीलालखां	
101.	–"– सी		123.	भूकरका-ए	
102.	लालपुरा		124.	–"– बी	
103.	किकरालिया		125.	–"– सी	
104.	झेदासर-ए		126.	–"– डी	

1	2	3	1	2	3
127.	22 आर डब्लू डी		149.	गोरखाना-ए	
128.	22 आर डब्लू डी (ए)		150.	–"– बी	
129.	25 आर डब्लू डी		151.	भंवरपुरा-ए	
130.	27 आर डब्लू डी		152.	–"– बी	
131.	34 आर डब्लू डी		153.	अरडकी	
132.	निरवाल		154.	बैनपुरा	
133.	16 से डब्लू डी		155.	बाचसर	
134.	1 सी वाई एम		156.	नीमला	
135.	8 बी पी एम		157.	भगवानसर-ए	
136.	बुधवालिया-ए		158.	–"– बी	
137.	–"– बी		159.	खुईयां-ए	
138.	4 सी वाई एम		160.	–"– बी	
139.	9 एस पी एम		161.	करमसाना	
140.	कनवानी-ए		162.	धानसिया-ए	
141.	-"- बी		163.	–"– बी	
142.	–"– सी		164.	–"– सी	
143.	सरदारपुरा-ए		165.	सिरगसर-ए	
144.	–"– बी		166.	–"– बी	
145.	गेधेली-ए		167.	पाण्डुसर-ए	
146.	–"– बी		168.	–"– बी	
147.	–"– सी		169.	भिराजसर	
148.	–"– डी		170.	जोखासर	
			171.	सुरजनसइ	

1	2	3
172.	ढाणी भोभुआन	
173.	उदासर बडा	
174.	सोगठिया	
175.	फेफाना-ए	
176.	–"– बी	
177.	–"– सी	
178.	–"– डी	
179.	–"– ई	
180.	–"– एफ	
181.	–"– रामसरा	
182.	–"– गुडिया-ए	
183.	–"– बी	
184.	–"– सी	
185.	–"– जसाना-ए	
186.	–"– बी	
187.	–"– सी	
188.	–"– डी	
189.	चाख्वासी-ए	
190	–"– बी	
191.	मलवानी-ए	
192.	–"– बी	
193.	जनानियां	
194.	पदमपुरा-ए	
195.	–"– बी	
196.	राजपुरिया	
197.	जे.एस.एन.	
198.	पल्लू-ए	
199.	–"– बी	
200.	सिरासर	
201.	विसरासर	
202.	केलनिया	
203.	कल्लासर	
204.	स्वरूपदेसर	
205.	उदासर	
206.	लाडम	
207.	प्रेमपुरा	
208.	रनियासर	
209.	बन्नासइ	
210.	दूधी	
211.	नेयासर	
212.	मोटेर	
213.	धनियासर	
214.	धीरदेसर	
215.	कुलचासर	

1	2	3	1	2	3
216.	मालासर		240.	खोड़ा-ए	
217.	ढाणी लेधान		241.	–"– बी	
218.	रावतसर-ए		242.	22 ए जी केन्द्र बन्द है।	
219.	–"– बी		243.	घराना-ए	
220.	–"– सी		244.	–"– बी	
221.	–"– डी		245.	राचको	
222.	–"– ई		246.	कानसर-ए	
223.	–"– एफ		247.	–"– बी	
224.	धन्नासर-ए		248.	देवासर	
225.	–"– बी		249.	चोरडी बड़ी	
226.	4 ए एम		250.	बोगासर	
227.	29 डी डब्ल्यू डी		251.	खेदासरी	
228.	9 डी ए डब्ल्यू एम		252.	धांधुसर	
229.	माहेला		253.	पोहेड का-ए	
230.	4 जे बी डी		254.	–"– बी	
231.	5 के बी डी		255.	भेरुसरी-ए	
232.	रामपुरामटोरिया-ए		256.	–"– बी केन्द्र बन्द है।	
233.	–"– बी		257.	99 आर डी	
234.	बरमसर-ए		258.	भाखरोवाली	
235.	–"– बी		259.	मोधनगर	
236.	पूरवसर-ए		260.	आरडब्ल्यूएस	
237.	–"– बी		261.	7 डी डब्ल्यू डी केन्द्र बन्द है।	
238.	ढाणी माहेली		262.	16 डी डब्ल्यू डी केन्द्र बन्द है।	
239.	लखेरा				

राज्य के चिकित्सालयों में रिक्त पद

345. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कुल कितने किस-किस श्रेणी के अस्पताल है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पतालों में डाक्टरों के कुल कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज रखें।

(3) राज्य में कितने एडपोस्ट व सब सेंटर है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त एडपोस्ट व सबसेंटरों में सभी श्रेणी के नर्सों के कुल कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में श्रेणीवार कुल 370 अस्पताल है एवं 17 शैक्षणिक चिकित्सालय है। जिलेवार श्रेणीवार अस्पतालों की संख्या की सूची एवं उनमें डाक्टरों के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य के श्रेणीवार अस्पतालों में डाक्टरों के 652 पद रिक्त है। डाक्टरों के रिक्त पदों की संख्या सूची जिलेवार प्रश्न के भाग एक के साथ दर्शायी गई है।

(3) राज्य में वर्तमान में 9926 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है जिनमें से 1104 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकृत कर एडपोस्ट/उच्चीकृत उपकेन्द्र में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 13 शहरी एडपोस्ट भी स्वीकृत है। उप स्वास्थ्य केन्द्र (एडपोस्ट/उच्चीकृत उपकेन्द्र) एवं शहरी एडपोस्टों की जिलेवार संख्या एवं उनमें नर्स श्रेणी प्रथम/द्वितीय के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) राज्य के उप स्वास्थ्य केन्द्र (एडपोस्ट/उच्चीकृत उपकेन्द्र) एवं शहरी एडपोस्टों में नर्स श्रेणी प्रथम/द्वितीय के कुल 178 पद रिक्त है। रिक्त पदों की जिलेवार संख्या प्रश्न के भाग 3 की सूची के साथ दर्शाई गई है।

श्रेणीवार अस्पतालों की जिलेवार संख्या एवं उनमें डाक्टरों के रिक्त पदों की संख्या का विवरण

जिले का नाम	अस्पतालों की श्रेणियाँ						कुल	डाक्टरों के
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्टम	अस्पताल	कुलरिक्त पद
1. अजमेर	1	–	2	3	8	1	15	29
2. अलवर	1	–	–	6	13	–	20	22
3. बांसवाड़ा	1	–	–	1	10	–	12	38
4. बाड़मेर	–	1	1	1	7	1	11	28
5. भरतपुर	1	–	–	3	7	1	12	14
6. भीलवाड़ा	1	–	–	5	11	1	18	27
7. बीकानेर	–	–	1	2	3	–	6	11
8. बून्दी	–	1	–	1	4	1	7	9
9. बारां	–	1	–	2	6	–	9	22
10. चित्तौड़गढ़	–	2	–	4	8	1	15	37
11. चूरू	–	1	2	2	7	3	15	31
12. डूंगरपुर	–	1	1	1	5	1	9	25
13. धौलपुर	–	1	–	1	2	–	4	9
14. दौसा	–	–	1	1	5	–	7	14
15. श्रीगंगानगर	1	–	–	4	4	–	9	17
16. जयपुर	–	2	1	5	12	2	22	26
17. जैसलमेर	–	1	–	1	1	1	4	11
18. जालौर	–	1	–	1	6	1	9	17
19. झालावाड़	–	1	–	3	7	1	12	12
20. झुन्झुनूं	–	1	–	3	8	2	14	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	जोधपुर	–	–	–	5	10	–	15	17
22.	कोटा	–	–	–	2	7	1	10	17
23.	नागौर	–	1	1	4	9	2	17	29
24.	पाली	1	–	1	2	10	2	16	34
25.	राजसमन्द	–	–	2	1	7	–	10	26
26.	सवाईमाधोपुर	–	1	–	1	3	1	6	11
27.	करौली	–	1	–	1	4	–	6	8
28.	सीकर	1	–	–	3	12	–	16	23
29.	सिरोही	–	1	–	1	5	1	8	15
30.	टोंक	–	1	–	2	5	2	10	12
31.	उदयपुर	–	–	–	6	12	1	19	31
32.	हनुमानगढ़	–	1	–	2	4	–	7	14
		8	**20**	**13**	**80**	**222**	**27**	**370**	**652**

राज्य में वर्तमान में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एडपोस्ट/उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलेवार संख्या एवं उनमें नर्सों के रिक्त पदों का विवरण)

क्र.सं.	जिले का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र	एडपोस्ट/ उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र	एडपोस्ट शहरी	नर्स श्रेणी प्रथम/ द्वितीय के रिक्त पदों का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	269	(41)	1	23
2.	अलवर	460	(71)	–	–
3.	बांसवाड़ा	336	(34)	–	9
4.	बाड़मेर	416	(29)	–	–
5.	भरतपुर	366	(41)	–	–
6.	भीलवाड़ा	376	(54)	1	11
7.	बीकानेर	216	(18)	–	11
8.	बून्दी	174	(20)	1	–
9.	बारां	208	(44)	–	10
10.	चित्तौड़गढ़	391	(47)	–	12
11.	चूरू	344	(35)	1	20
12.	डूंगरपुर	303	(21)	–	–
13.	धौलपुर	168	(21)	–	–
14.	दौसा	226	(21)	–	–
15.	श्रीगंगानगर	370	(26)	–	9
16.	जयपुर	495	(71)	2	5
17.	जैसलमेर	123	(10)	–	1

1	2	3	4	5	6
18.	जालौर	299	(34)	–	3
19.	झालावाड़	228	(30)	–	3
20.	झुन्झुनूं	335	(32)	1	5
21.	जोधपुर	463	(44)	5	9
22.	कोटा	156	(34)	–	–
23.	नागौर	539	(45)	1	15
24.	पाली	421	(52)	–	2
25.	राजसमन्द	217	(25)	–	2
26.	सवाईमाधोपुर	201	(23)	–	–
27.	करौली	222	(19)	–	–
28.	सीकर	407	(43)	–	–
29.	सिरोही	195	(25)	–	1
30.	टोंक	252	(29)	–	7
31.	उदयपुर	517	(52)	–	16
32.	हनुमानगढ़	233	(13)	–	4
	योग	**9926**	**(1104)**	**13**	**178**

1. राज्य के निम्नानुसार 17 शैक्षणिक चिकित्सालय है।

1. जयपुर

1. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर
2. महिला चिकित्सालय
3. जनाना अस्पताल
4. मनोरोग चिकित्सालय
5. सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान
6. वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय

उदयपुर

1. महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय
2. पन्नाधाय महिला चिकित्सालय
3. वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, बाड़ी

बीकानेर

1. पी.बी.एम. चिकित्सालय

कोटा

1. महाराव भीम सिंह अस्पताल
2. जे.के. लोन अस्पताल

जोधपुर

1. महात्मा गांधी अस्पताल
2. मथुरादास माथुर अस्पताल
3. उम्मेद अस्पताल
4. वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय

अजमेर

1. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सड़कों का नवीनीकरण

346. **डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष जयपुर जिले में सड़कों के नवीनीकरण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई?

(2) उक्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की कितनी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति दी गई और उनमें से कितनी सड़कों का नवीनीकरण किया गया?

उत्तर

(1) गत वर्ष 1998-99 में जयपुर जिले में राज्य सड़कों के नवीनीकरण हेतु गैर योजना मद में राशि 343.59 लाख रुपये आवंटित किये गये।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्ष 1998-99 में नवीनीकरण का कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ।

सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों को अनुदान राशि

347. **श्री ज्ञान चन्द पारख** (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में किन-किन स्थानों पर सरकार द्वारा एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा वृद्धाश्रम संचालित किये जा रहे हैं एवं किन-किन आश्रमों में वृद्धों की संख्या कितनी हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा संचालित आश्रमों में कितनी राशि वृद्धों की देख-रेख, खाने, आदि पर एवं कितनी राशि अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन या अन्य संस्थापन व्यय में खर्च होती हैं? गत दो वर्षों की सूची आश्रमवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस आश्रम को कितनी-कितनी राशि दी जा रही है और नहीं, तो क्या सरकार अब उक्त आश्रमों को अनुदान देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य में पुष्कर एवं टोंक में दो वृद्धाश्रम संचालित किये जा रहे हैं जिनमें क्रमशः 15 एवं 10 वृद्ध व्यक्ति आवास कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) गत दो वर्षों में इन संस्थाओं में रहने वाले वृद्धों की देख-रेख पर 4,13,670 रुपये। अधिकारी, कर्मचारी के वेतन भत्तों पर 9,32,153 रुपये तथा अन्य संस्थापन व्यय में 1,51,695 रुपये कुल व्यय हुए हैं। जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है।

(3) सामाजिक संस्थाओं को अनुदान देकर वृद्धाश्रम का संचालन नहीं किया जा रहा है।

राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह टोंक की माह अनुसार वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 की प्रशासनिक व्यय, भवन किराया, भोजन वस्त्रादि एवं कार्यालय व्यय की सूचना तथा लाभान्वित वृद्धजनों की संख्या का विवरण

माह	वर्ष 1998-1999								वर्ष 1999-2000							
	प्रशासनिक व्यय								प्रशासनिक व्यय							
	संवेतन	यात्रा भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	भवन किराया	भोजन वस्त्रादि	कार्यालय व्यय	लाभा. की सं.	संवेतन	यात्रा भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	भवन किराया	भोजन वस्त्रादि	कार्या. व्यय	लाभा.
अप्रैल	–	–	–	–	–	–	–	15	26258	–	–	26285	–	1385	–	12
मई	–	–	–	–	–	–	–	12	26512	–	–	26512	1200	4307	1140	13
जून	27662	206	852	28720	3600	30647	1520	12	67891	336	3129	71356	2400	3948	60	13
जुलाई	26180	653	–	26833	–	5733	53	12	28646	–	–	28646	–	1389	275	12
अगस्त	27369	–	1955	29324	2400	9428	750	9	33567	350	678	34595	1200	23421	3335	13
सितम्बर	17859	1007	1014	19880	1200	2432	1236	9	54108	–	–	54108	1200	14976	496	12
अक्टूबर	39632	335	–	39967	1200	371127	470	9	29656	346	–	30002	–	2436	290	11
नवम्बर	25013	–	–	25013	1200	1880	–	10	30200	–	–	30200	3600	–	–	11
दिसम्बर	30389	1279	–	31668	1200	16199	457	10	29746	–	–	29746	–	8313	286	11
जनवरी	25085	–	–	25085	1200	4041	235	9	30212	–	–	30212	–	–	–	10
फरवरी	26251	168	169	26588	1200	14614	3031	10	–	–	–	–	–	28442	989	10
मार्च	25651	1358	2000	29009	1200	10096	1247	10	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।							
योग	**271091**	**5006**	**5990**	**282087**	**14400**	**132197**	**8999**		**356823**	**1032**	**3807**	**361662**	**9600**	**88617**	**3871**	

वृद्ध एवं अशक्त गृह, पुष्कर में वर्ष 98-99 एवं 99-2000 का व्यय एवं लाभान्वित संख्या

	वर्ष 98-99				वर्ष 99-2000		
क्र.सं. माह	लाभान्वित संख्या	लाभान्वित पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	माह संख्या	लाभान्वित व्यय	लाभान्वित पर	प्रशासनिक व्यय
1. अप्रेल, 98	16	8132	11900	4/99	13	8258	27223
2. मई	15	7622	11827	5/99	14	8894	23679
3. जून	16	8131	11827	6/99	13	8258	11696
4. जुलाई	17	8639	12125	7/99	15	9529	11696
5. अगस्त	15	7622	13328	8/99	12	7623	11696
6. सितम्बर	15	7622	13328	9/99	12	7623	11696
7. अक्टूबर	14	7114	26369	10/99	12	7623	11779
8. नवम्बर	15	7622	31167	11/99	13	8258	11779
9. दिसम्बर	15	7622	27623	12/99	14	8894	13356
10. जनवरी, 99	14	7114	27174	जनवरी 2000	15	9529	13459
11. फरवरी	12	6098	24174	फरवरी	15	9529	7788
12. मार्च	13	6606	27959	मार्च	14	8894	9530
योग	**177**	**89944**	**238862**		**162**	**102912**	**65377**

एरियर	52811	12301
यात्रा व्यय	4983	5982
चिकि. व्यय	3985	6780
किराया	1832	1129
कार्या. व्यय	4990	3597
	68601	30389
	238862	165377
	307463	195766

कीटनोद (बालोतरा) में प्रस्तावित सब ग्रिड स्टेशन

348. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000 में राज्य के किस-किस उप खण्ड में नये 33/11 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन बनाये जावेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बालोतरा उप खण्ड के ग्राम कीटनोद में 33/11 के/वी. ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण करने की स्वीकृति बोर्ड द्वारा दे दी गई है? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में राज्य में विभिन्न सब-डिवीजनों में बनाये गये 33/11 के.वी. के सब-स्टेशनों की सूची संलग्न है। वर्ष 2000-2001 में बनाये जाने वाले सब-स्टेशनों का वार्षिक कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-"अ"

राज्य में वर्ष 1999-2000 में विभिन्न सब-डिवीजनों में बनाये गये 33/11 केवी स्टेशनों का वृतवार विवरण

क्र.सं.	वृत का नाम	सब-डिवीजन का नाम	वर्ष 1999-2000 में बनाये गये 33/11 केवी संबस्टेशन का नाम
1	2	3	4
		बीकानेर जोन	
1.	बीकानेर	ग्रा. उपखण्ड, नोखा	गजरूपदेसर
		वि. उपखण्ड, कोलायत	बज्जू
		वि. उपखण्ड, नोखा	सरुंडा
		वि. उपखण्ड नोखा	बीकासर औ. क्षेत्र
2.	हनुमान	ग्रा. उपखण्ड, हनुमानगढ़ जं.	लीलावाली

1	2	3	4
		वि. उपखण्ड, पीलीबंगा	जाखड़वाला
		वि. उपखण्ड, हनुमानगढ़ जं.	शिव मंदिर
3.	श्री गंगानगर	वि. उपखण्ड, विजयनगर	2 डी.एम.
		झुंझुनूं जोन	
1.	झुंझुनूं वृत	वितरण, बिसाऊ	चूहेला
		ग्रामीण, झुंझुनूं	बड़ा गांव
		वितरण, झुंझुनूं	रोड नं.2 झुंझुनूं
		वितरण, गुढ़ागौडजी	भाटीवाड़
			गढ़लाकलां
2.	सीकर वृत	वितरण, नवलगढ़	कारी
		ग्रामीण, लक्ष्मणगढ़	नैछवा
		वितरण, खाटूश्यामजी	लामियां
		वितरण, लोसल	भीमा
			बामणी-तलाई
3.	चूरू वृत	वितरण, डूंगरगढ़	लालगढ़
		अमृतवाली	आडसर
		वितरण, राजलदेसर	आलसर
		ग्रामीण, सादुलपुर	भोजान
		वितरण, रतनगढ़	कुसुमदेसर
		वितरण, सरदारशहर	फूलासा
		अजमेर जोन	
1.	अजमेर जोन	पवस, विजयनगर	भिनाय

1	2	3	4
		पवस, विजयनगर	भिनाय
		पवस, रूपनगढ़	भरवा
		किशनगढ़ रीको	रीको किशनगढ़
		ब्यावर (सीएसडी-11)	गोविंदपुरा
		मदार (अजमेर)	एमडीएस युनिर्वसटी
		सिटी डिवीजन-4, अजमेर	माखुपुरा
2.	भीलवाड़ा वृत	पवस, शाहपुरा	पनुतिया
		ग्रावि, माण्डलगढ़	माडलगढ़
		सिटी सब डिवीजन, भीलवाड़ा	पंचवटी
3.	नागौर वृत	मूंडवा (पवस)	पालडी जाधा
			खरंडा
			बलाया
			मानकपुरा
		डेगाना (पवस)	ईडवा
		मेड़ता (ग्राविनि)	धण्टिया
			रियाश्यामदास
		मोलासर (पवस)	सुद्रासन
		कुचामन (पवस)	इण्डाली
		खींवसर (पवस)	बैराथल
		जायल (पवस)	बैरसूना
		मकराना (पवस)	मकराना सिटी
		नागौर (पवस)	नागौर सिटी

1	2	3	4
		डीडवाना (पवस)	केराम
		मेड़ता (ग्राविनि)	जारोड़ा
		जोधपुर जोन	
1.	जोधपुर नगर वृत	—	
2.	जोधपुर जिला वृत	ग्राविनि भोपालगढ़	विरानी
			मछली
		पवस, बिलाड़ा	छापर
		पवस, पिपाड़सिटी	कापरड़ा
		ग्राविनि, बावड़ी	केलाबाकला
			भवाद
		ग्राविनि, तिंवरी	पांचला खुर्द
		पवस, फलौदी	जाम्बा
		ग्राविनि, सांचौर	पलादर
			पांचला
		ग्राविनि, रानीवाड़ा	मांग
			मेथीवाड़ा
		ग्राविनि, भीनमाल	निम्बावास
		ग्राविनि, जालौर	देवावास
3.	बाड़मेर वृत	ग्राविनि, शिव	हरसाणी
		ग्राविनि, सिणधरी	मेहलू
		पवस, बाड़मेर	हरसाफंटा

1	2	3	4
		पवस, बालोतरा	बुधावाड़ा
		ग्राविनि, धोरीमन्ना	सोनड़ी
		ग्राविनि, जैसलमेर	धायंसर
		ग्राविनि, गुढ़ा मालानी	सांवड़ा
4.	पाली वृत		भेडाणा
		जयपुर जोन	
1.	जयपुर जिला वृत	जमवारामगढ़	नेवर
		जोबनेर	सुन्दरियावास
		(ग्रामीण चौमूं)	मानपुरा माचेड़ी
			रीको
			कालाडेरा
		जोबनेर	धाटोलाई
		गोविन्दगढ़	सिंगोद खुर्द
		ग्रामीण, चौमूं	धिनोई
2.	जयपुर नगर वृत	–	–
3.	दौसा वृत	शहर, दौसा	दौसा, सिविल लाइन्स
		ग्रामीण, दौसा	औ. क्षेत्र बापी
		उदयपुर जोन	
1.	उदयपुर वृत	स.अ. (पवस) बल्लभनगर	खैरोदा
2.	बांसवाड़ा	स.अ. (पवस) बिच्छीवाड़ा	रामपुर
		स.अ. (पवस) बिच्छीवाड़ा	माण्डा
		स.अ. (शहर) सागवाडा	पाड़वा
		स.अ. (ग्रामीण) सागवाड़ा	बालोदा
3.	चित्तौड़	स.अ. (पवस) छोटी सादड़ी	कारुन्डा

1	2	3	4
		अलवर जोन	
1.	अलवर वृत	स.अ., मुण्डावर	जाट बहरोड
		मालाखेड़ा	हल्दीना
			नसरपुर
		स.अ. (पवस) शाहजहांपुर	रायसराना
2.	भरतपुर वृत	स.अ. (पवस) धौलपुर	पुराना पावर हाउस धोलपुर
		स.अ. (शहर) भरतपुर	जनाना अस्पताल
			चोरी चार बाग भरतपुर
		स.अ. (ग्रा.) भरतपुर	ऊंचा, नंगला, सेवर (भरतपुर)
		कोटा जोन	
1.	कोटा वृत	सांगोद	कमोलर
		तालेड़ा	अल्फानगर
		रा. मण्डी	लखारिया
2.	झालावाड़	बारां	बम्बोलिया
		अटरू	मोठपुर
3.	स. माधोपुर	टोंक	रिको टोंक
		टोंक	बहीर टोंक
		मालपुरा	टोरड़ी
		मालपुरा	अविकानगर
		खण्डार	बहरावन्डा कलां

जिला परिषद बाड़मेर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण

349. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) एवं **श्री भरोसीलाल** (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जिला परिषद् बाड़मेर में जुलाई, 1999 में नियुक्तियां दी गई थी? क्या उनमें 16% आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति की 840 में से 135 सीट आती है, जबकि अनुसूचित जाति को कुल 95 नियुक्तियां दी है? यदि हां, तो क्यों? उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला परिषद् बाड़मेर में अनुसूचित जाति के बेरोजगार शिक्षक जो सामान्य वर्ग की वरीयता सूची में आ रहे थे, उनको सामान्य वर्ग में नियुक्तियां नहीं दी गई? क्या अब और नियुक्तियां दी जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद बाड़मेर द्वारा माह जुलाई 1999 में दी गयी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति को कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.9.98 के तहत भर्ती में कुल स्वीकृत पदों के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया गया। चयन से पूर्व कार्यरत कुल 2819 अध्यापकों में से, अनुसूचित जाति के 490 अध्यापक कार्यरत थे। व जुलाई 1999 को दी गयी नियुक्तियों द्वारा 95 और पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा गया है। इस प्रकार 585 पदों पर अनुसूचित जाति के अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं।

पीपल्दा (कोटा) की सड़कों की मरम्मत

350. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999-2000 में विभाग द्वारा निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कें व अन्य कार्य स्वीकृत होने के बाद भी शुरू नहीं करने व शुरू कार्य भी बन्द करने के आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में वर्तमान में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं

(श्री रामगोपाल बैरवा)

व कितने कार्य ऐसे हैं जो स्वीकृत होने के बाद भी शुरू नहीं किये गये या बाद में बन्द कर दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व स्वीकृत कार्यों को शुरू करने व अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1999-2000 में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व रिपेयर का कार्य विभाग द्वारा कराया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 99 में वित्ती संसाधनों के संदर्भ में स्वीकृत सड़कें व अन्य निर्माण कार्य बंद कर दिये गये थे।

(3) कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में वर्तमान में 6 सड़कें आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त है। कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत 7 कार्यों में से 5 कार्य शुरू करवाने के पश्चात् बंद किये गये थे तथा दो कार्य शुरू नहीं करवाये गये हैं जिनकी सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। वर्ष 2000-2001 में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य, स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करना एवं अधूरे कार्यों को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करेगा।

प्रपत्र-"अ"

I. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ष 1999-2000 में प्रगति पर रहे कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	जोब नं.	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)
	5054-सीओएल (आर एण्ड बी) स्टेट हाइवे		
1.	स्ट्रेन्थिनिंग आफ इटावा राजोपा सनमानपुरा रोड किमी. 2/0 से 4/0 (एस.एच. 19)	468/5054/एसएचडब्ल्यू/पी/ 99-2000	10.00
2.	मिसिंग लिंक राजोपा सनमानपुरा इटावा एस.एच. 19 0/500 (बोरदा रोड)	469/ —"—	7.00
	5054-सीओएलन (आर एण्ड बी) रिनीवल एण्ड **मोर्डनाइजेशन**		
3.	रिनीवल आफ सम्पर्क सड़क गेता किमी. 7, 8, 9	823/5054/एम.ओ.डी/पी/ 99-2000	9.00
	5054-सीओएल (आरएण्ड बी) एमएनपी रोड		
4.	निर्माण कार्य बी.टी. रोड करवाड से खातोली 6. किमी.	732/5054/एमएनपी/पी/ 96-97	24.00
	5054-सीओएल एम.एन.पी. (आई.आर.बी.एफ. **III नाबार्ड)**		
5.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क जलोदा खातियान (बी. टी. 3.5 किमी.)	327/5054/एम. एल. पी/पी/ 97/98	15.96

II. पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत किन्तु प्रारम्भ नहीं किये गये कार्यों की सूची : —

क्र.सं.	कार्य का नाम	जोब नं.	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)
	5054-सीओएल (आर एण्ड बी) रिनीवल एण्ड **मोर्डनाईजेशन**		
1.	स्ट्रेन्थिनिंग आफ खातोली गुडला सड़क किमी. 115	875/5054/ओडी/पी/ 99-2000	5.00
	बी.एम.एस.पी. वर्क		
2.	सम्पर्क सड़क गून्दी (बी.टी. 2 किमी.)	492/5054/पी.एम.एस.पी/ पी/99-2000	20.00

ग्राम हींगी (कोटा) में आवासीय विद्यालयों का निर्माण

351. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला कोटा के ग्राम हींगी तहसील सांगोद में वंचित वर्गों हेतु आवासीय विद्यालय परियोजना के तहत आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है?

(2) क्या उक्त आवासीय विद्यालय हेतु के.एफ.डब्ल्यू. से प्रथम किश्त की राशि प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो निर्माण संबंधी प्रक्रिया कितनी पूर्ण हो गई? क्या उसमें लागत अनुभाग तैयार कर सत्यापन हेतु के. एफ. डब्ल्यू. को भेज दिये है ?

(3) राज्य सरकार ने अपने जिम्मे का कितना-कितना काम इस सम्बन्ध में कर लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा ग्राम हींगी, तहसील सांगोद, जिला कोटा में वंचित वर्गों की बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

(1) के.एफ.डब्ल्यू. से प्रथम किश्त की राशि 2,68,34,791.00 रुपये दिनांक 28.3.2000 को प्राप्त हो गयी है। आवासीय विद्यालय, हींगी के निर्माण प्रक्रियान्तर्गत प्रारम्भिक डिजाइन का कार्य किया जाकर निर्माण कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ ठेकेदार का चयन किये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जाकर योग्यतम ठेकेदारों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। के.एफ. डब्ल्यू. एवं राजस्थान सरकार के मध्य परियोजना के लिए किये गये "प्रथमक समझौता" के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा सलाहकार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। के.एफ.डब्ल्यू. से प्रथम राशि की प्राप्ति हेतु सलाहकार द्वारा प्रत्याशित प्रारम्भिक व्ययों के अनुमान तैयार व सत्यापन किये जाने के उपरान्त के.एफ.डब्ल्यू. को भेजे गये तथा तदानुसार के.एफ.डब्ल्यु. से प्रथम किश्त की राशि प्राप्त हुई।

(3) राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालय हींगी के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में विद्यालय के प्रारम्भिक डिजाइन का कार्य कर लिया गया है तथा निर्माण कार्य हेतु निविदा जारी कर विभिन्न ठेकेदारों से पूर्व योग्यता दस्तावेज प्राप्त किये जाकर इनकी जांचोपरान्त योग्यतम ठेकेदारों की सूक्ष्म सूची तैयार की जा चुकी है। योग्यतम सूची के ठेकेदारों से निर्माण कार्यों हेतु विस्तृत वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन में विद्युतीकरण

352. **श्री मोहन लाल** (झालरापाटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री मोहन लाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन के कितने राजस्व गांव विद्युतीकृत होने शेष है?

(2) उक्त शेष रहे गांवों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा?

(3) क्या मजरे, ढाणियों को भी इस वर्ष विद्युतीकृत करने का विचार है? यदि-नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन के अन्तर्गत कुल 389 ग्राम हैं, जिनमें से माह मार्च, 2000 तक 344 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। 45 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन के शेष रहे 45 ग्रामों का विद्युतीकरण आवंटित लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत आगामी वर्षों में शनैःशनैः किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) विद्युतीकृत गांवों में वर्णित मजरों एवं ढाणियों में मौजूदा वित्तीय संकट को देखते हुए निकट भविष्य में विस्तार करना कठिन है।

अनुदानित संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर नियंत्रण

353. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में कितनी निजी शिक्षण संस्थाएं राजकीय अनुदान पर चल रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं को दिये जाने वाली अनुदान की वार्षिक राशि कितनी है?

(3) क्या सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली फीस पर अंकुश लगाते हुए फीस वसूली का मानदण्ड निर्धारित करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार ने उक्त संस्थानों के भवनों का मानदण्ड तय कर रखा है? यदि हां, तो इसके तहत बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं क्या है?

उत्तर

(1) उदयपुर में 65 निजी शिक्षण संस्थाएं राजकीय अनुदान पर चल रही हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-"अ" एवं "ब")

(2) उक्त संस्थाओं को वर्ष 98-99 में दिये जाने वाले अनुदान की राशि रुपये 659.29 लाख है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। इसके तहत बच्चों को कक्षा का कक्ष खेल का मैदान, प्याऊ, पुस्तकालय, सभा भवन एवं शौचालय, जहां आवश्यक हो, प्रयोगशाला आदि की सुविधाएं संस्थाओं द्वारा दी जानी चाहिये।

उदयपुर जिले में संचालित मान्यता प्राप्त अनुदानित निजी विद्यालय

(परिशिष्ट-अ)

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनुदानित स्तर
1	2	3
1.	महिला मण्डल बाप्राशि. ग्राम सेवा केन्द्र	प्रावि.
2.	महिला मण्डल प्रावि. सोलंकियों की घाटी	"
3.	महिला मण्डल प्रावि. चांदपोल	"
4.	महिला मण्डल प्रावि. मदनपोल	"
5.	महिला मण्डल प्रावि. सूर्यपोल	"
6.	राज. महिला विद्या. उदयपुर	"
7.	राज. महिला परिषद्, बाल निकेतन मोती चोहट्टा/वि. कोलोनी, बोहरवाड़ी	"
8.	राज. महिला परिषद, प्रा. वि. मेति चोहट्टा	"
9.	जवाहर विद्यापीठ कन्या प्रावि., कानोड़	"
10.	आदर्श बाल मन्दिर, उदयपुर	"
11.	विद्यानिकेतन प्राविं. से4 उदयपुर	"
12.	ज्ञान मन्दिर प्रावि., उदयपुर	"
13.	बाल शिक्षा सदन, प्रा. वि., उदयपुर	"
14.	रोशनलाल शर्मा, पब्लिक स्कूल	"
15.	रेल्वे प्रा. वि. उदयपुर	"
16.	जवाहर विद्यापीठ प्राप. .वि., कानोड़	"
17.	जवाहर बाल मंदिर, कानोड़	"
18.	अन्जुमन उप्रावि, उदयपुर उप्रावि	उप्रावी
19.	विद्याभवन रामगिरी, उप्रावि, उदयपुर	"

1	2	3
20.	विद्या निकेतन से4 उदयपुर	उप्रावी
21.	सरस्वती शिशु निकेतन उप्रावि	"
22.	गोस्वामी रामपुरी उप्रावि	"
23.	विद्या विहार से. 4 उदयपुर	"
24.	श्री जवाहर जैन शिक्षण संस्थान हि.सें. 11 उदयपुर	"
25.	वर्द्धमान उप्रावि, उदयपुर	"
26.	राज. महिला परिषद, उदयपुर	"
27.	संगीत नाट्य निकेतन, उदयपुर	"
28.	वधिर विद्यालय, उदयपुर	"
29.	विद्या भवन कला संस्थान, उदयपुर	"
30.	राज. विद्यापीठ कम्यूनिटी सेंटर	"
31.	राज. विद्यापीठ लोक शिक्षण संस्थान, उदयपुर	"
32.	राज. विद्यापीठ, जनपद, उदयपुर	"
33.	राज. विद्यापीठ जनता कॉलेज, डबोक, उदयपुर	"
34.	राजस्थान विद्यापीठ, कुम्भा कला केन्द्र	"
35.	मीरा कला केन्द्र, उदयपुर	"
36.	राज. महिला वि. सिलाई व कशीदाकारी विभाग	"
37.	राज. म. वि. विशिष्ठ पूर्व प्रावि	"
38.	महिला मण्डल प्रोढ एवं उद्योग शिक्षण केन्द्र	"
39.	जवाहर विद्यापीठ, उद्योगशाला, कानोड़	"
40.	महिला परिषद, उद्योगशाला	"
41.	विद्या निकेतन, बदनोर	"
42.	सरस्वती निकेतन, आपड़	"
43.	श्री माधव वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, उदयपुर	वरिष्ठ उपाध्याय

परिशिष्ट-"ब"

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनुदानित स्तर
1.	नव भारत सीमावि, उदयपुर	सीमावि
2.	श्री जवाहर विद्यापीठ सीमावि, कनौड़	सीमावि
3.	विद्याभवन सीमावि, उदयपुर	सीमावि
4.	राजस्थान विद्यापीठ श्री मन्नाराम सीमावि, डबोक	सीमावि
5.	भूपाल नोबल सीमावि, उदयपुर	सीमावि
6.	कृषि पंडित सावरमल जनजाति कृषि विद्यालय सीमावि, झाडोल	सीमावि
7.	रा.म.वि. ग्रोएडा सीमा वि. उदयपुर	सीमावि
8.	श्री जवाहर जैन शिक्षण संस्थान	सीमावि
	उदयपुर	सीमावि
9.	महिला मंडल बासीमावि, उदयपुर	सीमावि
10.	रा.म.परि. बासीमा वि, उदयपुर	सीमावि
11.	दिगम्बर जैन बासीमावि, उदयपुर	सीमावि
12.	श्री जवाहर जैन शिक्षण संस्थान मावि उदयपुर	मावि
13.	बी.एस. शिक्षा भवन मावि, उदयपुर	मावि
14.	राजस्थान विद्यापीठ रमेशचन्द्र श्रमजीवी मावि, उदयपुर	मावि
15.	विद्यानिकेतन मावि, उदयपुर	मावि
16.	सरस्वती शिशु निकेतन मावि, उदयपुर	मावि
17.	विद्याभवन मावि, रामगिरी, उदयपुर	मावि
18.	वर्द्धमान बामावि, उदयपुर मावि	मावि
19.	दिगम्बर जैन बामावि, उदयपुर	मावि
20.	विद्याभवन गो.से. शिक्षण महाविद्यालय उदयपुर (सेवा प्रसार केन्द्र साथ में)	शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय
21.	सरस्वती निकेतन मावि. आयड़, उदयपुर	मावि
22.	रा.म.परि.बा.मा.वि. उदयपुर	मावि

सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर का अपूर्ण भवन

354. **श्रीमती यास्मीन अबरार** (सवाई-माधोपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय में अव्यवस्था है, जिसके कारण अस्पताल परिसर में सुअर/कुत्ते घुसते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई उपाय करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय में 150 शय्याओं को बढ़ाकर 300 शय्याओं का बनाने का विचार रखती है?

(3) उक्त चिकित्सालय में अभी जांच के कौन-कौन से उपकरण हैं? क्या सरकार जो आधुनिक उपकरण नहीं है वो उक्त अस्पताल में उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है? उक्त भवन पर अब तक किन-किन मदों से कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है तथा पूर्ण होने में कितनी और राशि की आवश्यकता है और क्या सरकार ने उक्त राशि का आवंटन किया है?

उत्तर

(1) जी नहीं, सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर में कोई अव्यवस्था नहीं है। अस्पताल की चार दिवारी कुछ जगह से टूटी हुई है। चार दिवारी का न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण उसकी मरम्मत कार्य न्यायालय के निर्णय होने के उपरान्त ही करवाया जाना संभव हो सकेगा।

(2) जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2000-2001 की बजट निर्णायक समिति में चिक्रित्सालयों की शैयाओं की वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन प्रस्तावित नहीं होने के फलस्वरूप सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर को 150 शैय्याओं से बढ़ाकर 300 शैया करने का विचार नहीं है।

(3) सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर में जांच के उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा घोषित निजी संस्था नीति के अन्तर्गत उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) जी हां, सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर के अपूर्ण भवन को राज्य सरकार द्वारा समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही पूर्ण किया जाना संभव हो सकेगा। उक्त भवन पर अब तक स्वीकृत/व्यय की गई राशि की मदवार विवरण तथा पूर्ण होने तक आवश्यक राशि का विवरण निम्नांकित है : —

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय लाखों में
1.	निर्वन्धराशि योजना	गहन चिकित्सा इकाई	14.00	13.99
2.	यथा	प्रवेश हाल एवं पोर्च	4.90	4.90
3.	यथा	आपातकालीन सेवा भवन	4.00	4.01
4.	अल्पबचत योजना	यथा	4.00	3.80

विभाग की वार्षिक योजना 2000-2001 में चिकित्सालयों के आधुनीकरण, नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण इस वर्ष राशि उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न के भाग संख्या-3 की सूची :

जांच के उपलब्ध उपकरणों की सूची

क्र.सं.	उप-करण का नाम	उपलब्ध
1.	एक्स रे मशीन	4
2.	ई.सी.जी. मशीन	6
3.	कार्डियेकमोनीटर	2
4.	डिफ्रिब्रीलेटर	2
5.	अल्ट्रासोनिक थैरेपी यूनिट	1
6.	सोनोग्राफी मशीन	1
7.	इंक्यूबेटर	1
8.	फोटोक्लोरीमीटर	2
9.	सेमी ओटो एनेलाईजर	1
10.	सेन्ट्रीक्यूगल मशीन	2
11.	ग्लूकोमीटर	1
12.	अल्ट्रासोनिक ए बायोमीटर	1

तारांकित प्रश्न संख्या-355

(स्थगित)

तहसील छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) के मजरों का विद्युतीकरण

356. **श्रीमती मधु दाधीच** (निम्बाहेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आदिवासी क्षेत्रों में स्थित मजरों के विद्युतीकरण के लिये सरकार की क्या योजना है?

(2) उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक संभव है? तहसील छोटी सादड़ी के ग्राम धानावे जी, भोजपुर, रामाखेड़ा, सोमपुर कमोलिया, रेला, हरियाछोह बगला माताजी मजरों के विद्युतीकरण की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल के आर्थिक संकट को देखते हुए फिलहाल मजरों तथा ढाणियों में विस्तार करना कठिन है।

(2) उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-399 का विवरण)

राजस्थान वित्त निगम

वर्ष 1998-99 के दौरान नीलामी के माध्यम से विक्रय की गई इकाइयों की सूची

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	स्थान	विक्रय मूल्य
1	2	3	4
1.	मै. कोरडियल ओरगेनिक	किशनगढ़	14.67
2.	मै. शर्मा मार्बल	किशनगढ़	0.45
3.	मै. जगदम्बा मार्बल	किशनगढ़	29.40
4.	मै. शिवशक्ति पोलीथिन	धौलपुर	0.54
5.	मै. गुरुद्वारा शक्ति ट्रान्सपोर्ट	धौलपुर	4.75
6.	मै. गीता साल्ट महापुरा	मकराना	2.75
			1.72
7.	मै. विक्टोरिया साल्ट उद्योग, महापुरा	मकराना	3.00
8.	मै. संजय साल्ट उद्योग	मकराना	4.00
9.	मै. संत एन्टरप्राइजेज	हनुमानगढ़	1.30
10.	मै. कवातरा फर्नीचर एण्ड स्टील	हनुमानगढ़	2.51
11.	मै. राजस्थान पोलीपेक लेमीनेटर प्रा. लि.	सवाईमाधोपुर	2.81
12.	मै. एस. के. वाटर मीटर	भिवाड़ी	4.05
13.	मै. वी. एस. एन्टरप्राइजेज	भिवाड़ी	5.10
14.	मै. सनराइस आयल मिल	भिवाड़ी	7.44

1	2	3	4
15.	मै. कृष्णा इन्ड.	भिवाड़ी	9.75
16.	मै. दुर्गा प्लास्टिक इन्ड.	भिवाड़ी	7.60
17.	मै. अमरेन्द्र सिंह	भिवाड़ी	10.51
18.	मै. सनराइस टेकनोफेब प्रा. लि.	भिवाड़ी	47.11
19.	मै. राजन इन्ड. कारपोरेशन	भिवाड़ी	13.00
20.	मै. प्रिया एन्टरप्राइजेज	भिवाड़ी	3.75
21.	मै. टोफिल वेलवेट प्रा. लि.	भिवाड़ी	12.95
22.	मै. कम्पोनेन्ट फेबरिकेटर्स	भिवाड़ी	6.00
23.	मै. शिवा प्लास्टिक	भिवाड़ी	0.67
24.	मै. राजेन्द्र कुमार जैन	श्रीगंगानगर	2.95
25.	मै. गणेश इन्ड.	श्रीगंगानगर	4.25
26.	मै. लक्ष्मी पोली पेकर्स	उदयपुर	9.25
27.	मै. शेख मोटर्स	उदयपुर	0.51
28.	भीलवाड़ा वीविंग लि.	भीलवाड़ा (सी)	22.00
29.	शिवकर्मा पुत्र नरसाराम	नागौर	0.98
30.	मै. नवाब खान पुत्र कसम खान	नागौर	1.16
31.	मै. मोडर्न टेक इन्ड.	नागौर	6.55
32.	मै. हनुमान दाल एण्ड आयल मिल	नागौर	0.50
33.	मै. श्रीराम आयल एण्ड मसाला मिल	टोंक	0.09
34.	मै. इकबाल मदनी मोहम्मद	टोंक	0.58
35.	मै. शीशमहल मार्बल	बांसवाड़ा	2.65
36.	मै. दर्शन मार्बल इन्ड.	बांसवाड़ा	2.23

1	2	3	4
37.	मै. शांता ग्रेनाइट	सिरोही	3.81
38.	मै. भवानी ग्रेनाइट	सिरोही	3.70
39.	मै. सिंघी इन्ड.	सिरोही	3.05
40.	मै. बोकाड़िया टेक्सटाइल	सिरोही	15.25
41.	मै. कमल ग्रेनाइट	सिरोही	3.75
42.	मै. श्याम आयल मिल	सिरोही	2.75
43.	मै. आकाश इन्ड.	वी.के.आई.ए.	13.81
44.	मै. अंजली. टेक्सटाइल	वी.के.आई.ए.	15.11
45.	मै. टाइम्स फार्मा	वी.के.आई.ए.	15.01
46.	मै. एम.डी.स्टील.	वी.के.आई.ए.	6.61
47.	मै. नन्दनी इन्ड.	वी.के.आई.ए.	5.81
48.	मै. अनुपम लुब्रीकेन्ट	वी.के.आई.ए.	24.01
49.	मै. श्री सिद्धी विनायक कारपोरेशन	वी.के.आई.ए.	13.35
50.	मै. जैन स्टोन इन्ड.	अजमेर	4.01
51.	गोल्डन पेक्स	ब्यावर	0.32
52.	मै. श्रीनाथ पावरलूम	ब्यावर	7.61
53.	मै. अटरू मेटल इन्ड.	बारां	0.36
54.	मै. गायत्री रोलिंग शटर	बारां	0.20
55.	मै. एबी. ब्रादर फैब्रीकेटिंग एंड इन्जी.	डूंगरपुर	3.16
56.	मै. पाटीदार ग्रेनाइट	डूंगरपुर	2.52
57.	मै. अग्रवाल वुडन इन्ड.	बूंदी	3.11
58.	मै. कोटा स्टोन कटिंग एंड पोलिशिंग	बूंदी	1.16

1	2	3	4
59.	मैं. झांकल इन्ड.	चूरू	1.81
60.	मै. जूरीया आयरन इन्ड.	चूरू	1.45
61.	मै. लक्ष्मी केमिकल	चूरू	10.00
62.	मै. मीठालाल जैन	पाली	4.61
63.	मै. जुगल फिनिशिंग	पाली	3.47
64.	मै. महावीर इन्ड.	पाली	3.00
65.	मै. पारस प्रभु ग्रेनाइट	पाली	3.25
66.	मै. महादेव सर्विस स्टेशन	पाली	0.16
67.	मै. दहाई केमिकल	अलवर	3.15
68.	मै. अरावली मार्बल	अलवर	1.80
69.	मै. चारन इन्ड.	अलवर	3.80
70.	मै. हंसराज राजपूत	अलवर	0.60
71.	मै. अग्रवाल छपाई केन्द्र	अलवर	0.31
72.	मै. राधा आयल मिल	अलवर	0.38
73.	मै. प्रवीन मेटल इन्ड.	अलवर	7.40
74.	मै. इन्द्रसिंह	अलवर	1.71
75.	मै. कनिष्का कन्स्ट्रक्शन	अलवर	2.36
76.	मै. मूलचंद जाट	अलवर	1.51
77.	मै. मीरा सीमेंट	अलवर	4.31
78.	मै. करनसिंह जाट	अलवर	2.24
79.	मै. आलविन इन्जी. वर्क्स	अलवर	10.75
80.	मै. बालाजी मार्बल	अलवर	4.31

1	2	3	4
81.	मै. विश्वकर्मा इन्जी. वर्क्स	अलवर	0.20
82.	मै. कुसुम एक्रेलिक	अलवर	3.87
83.	मै. एक्रे. मिनरल	अलवर	2.74
84.	मै. मुख्तयार सिंह	अलवर	0.76
85.	मै. आशीर्वाद शू	अलवर	0.75
86.	मै. अलवर मेटल	अलवर	3.29
87.	मै. श्री स्टोन पोलिश फैक्ट्री	कोटा	0.10
88.	मै. भारत सर्विस स्टेशन	कोटा	0.07
89.	मै. शारदा बुनाई	कोटा	0.01
90.	मै. सविता रेगजीन	कोटा	0.01
91.	मै. सुन्दरी रेगजीन	कोटा	0.01
92.	मै. लालमती रेगजीन	कोटा	0.01
93.	मै. निर्मल स्टोन इन्ड.	कोटा	4.21
94.	मै. के. एस. एन्टरप्राइजेज	कोटा	0.16
95.	मै. पी. जी. आर. हास्पीटल	कोटा	89.96
96.	मै. अम्बिका प्रिन्टिंग प्रेस	जोधपुर (सी)	0.25
97.	मै. अनुपमा ग्रेनाइट	झुन्झुनु	4.05
98.	मै. महेश वायर इन्ड.	सीकर	1.85
99.	मै. गोयल ग्रेनाइट इन्ड.	सीकर	2.60
100.	मै. चांडुका फ्लोर मिल	सीकर	0.07
101.	मै. होटल विजयन्त एण्ड रेस्टोरेंट	सीकर	21.51
102.	मै. एस. आर. टी. ग्रेनाइट इन्ड.	सीकर	2.85
103.	मै. श्री डूडीकली चुना भट्टा	बालोतरा	0.75
104.	मै. शक्ति ट्रेडर्स	जयपुर (सी)	0.80
105.	मै. प्रीमियर फूड	जयपुर (सी)	8.75

1	2	3	4
106.	मै. शेखावत ट्रान्सपोर्ट कं.	जयपुर (सी)	2.10
107.	मै. चम्पा प्लास्टिक इन्ड.	चित्तौड़गढ़	2.68
108.	मै. हनुमान एज कटिंग इन्ड.	चित्तौड़गढ़	1.45
109.	मै. सिन्थेटिक एमरी इन्ड.	दौसा	6.25
110.	मै. मोहम्मद जाफर	बीकानेर	0.91
111.	मै. श्रीनाथ वूलन	बीकानेर	6.81
112.	मै. कमल एन्टरप्राइजेज	बीकानेर	3.01
113.	मै. वीयरवैल फैब्रिक्स प्रा. लि.	आबूरोड	7.25
114.	मै. सागर फूड इन्ड.	आबूरोड	6.01
115.	मै. ए टू जेड ग्रेनाइट	आबूरोड	0.50
116.	मै. ओम मार्वल लि.	आबूरोड	73.00
117.	मै. सोनगिरी एण्ड रवि एसोसिएट	आबूरोड	3.60
118.	मै. श्रीराम लाइम कारपोरेशन	आबूरोड	0.25
119.	मै. विजय कम्प्यूटर फोरम प्रा. लि., भरतपुर	भरतपुर	3.01
120.	मै. भगवान एग्रीकल्चर इन्ड.	भरतपुर	0.41
121.	मै. अल्का इन्ड.	भरतपुर	3.55
122.	मै. मोडर्न कैम	भरतपुर	2.24
123.	मै. कमल आयल मिल, फागी	फागी	1.31
124.	मै. इंडियन बाक्स मैन्युफैक्चरिंग	जयपुर	2.30
125.	मै. दुर्गा मार्बल इन्ड.	गरवा	0.50
			746.95 लाख

अर्थात् 7.47 करोड़

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-406 की सूची)

फार्मेसी कोन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त राजस्थान के फार्मेसी शिक्षण संस्थानों की मान्यता स्थिति

क्र.सं.	नाम विद्यालय	मान्यता वर्ष	
		बी. फार्मा	डी. फार्मा
1.	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एवं साइंस, पिलानी	सत्र 2001-2002 तक	—
2.	बी. एन. कालेज आफ फार्मेसी, उदयपुर	सत्र 2000-2001 तक	सत्र 2000-2001 तक
3.	लाधू मैमोरियल कालेज आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, जोधपुर	सत्र 1997-98 तक	सत्र 1998-99 तक
4.	एस. एम. एस. मेडिकल कालेज पब्लिक हैल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयपुर	—	सत्र 1997-98 तक
5.	लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर	—	सत्र 2000-2001 तक
6.	महर्षि अरविंद कालेज आफ फार्मेसी, जयपुर	—	सत्र 1995-96 तक
7.	परमानन्द डिग्री कालेज, गजसिंहपुर	—	सत्र 1998-99 तक
8.	महाराजा सूरजमल कालेज आफ फार्मेसी, भरतपुर	—	सत्र 1997-98 तक
9.	नेहरू मैमोरियल कालेज आफ फार्मेसी, हनुमानगढ़ टाऊन	—	सत्र 2000-2001 तक
10.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	—	सत्र 1997-98 तक
11.	श्री बजरंग कालेज आफ फार्मेसी, डीग	—	सत्र 1999-2000 तक

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-407 की सूची)

क्रम. संख्या	नाम चिकित्सा संस्थान	पद नाम	रिक्त पदों की सं.	रिक्ति की दिनांक
1.	जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ टाऊन	1. विशेषज्ञ	2	1.1.2000
		2. कनिष्ठ विशेषज्ञ	3	1996, 1998, एवं 1999 से
		3. चिकि. अधिकारी	1	1.11.1999
		4. नर्स अधीक्षक (श्रेणी-प्रथम)	1	जुलाई, 1995
		5. नर्स अधीक्षक (श्रेणी-द्वितीय)	2	जुलाई, 1995 एवं 1.4.1999 से
		6. नर्स, श्रेणी-प्रथम	10	8 पद जुलाई, 1995 से 1 पद अक्टूबर, 1999 से एवं 1 पद 1.3.2000 से
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पक्का सारण	1. प्रसाविका	1	23.2.2000

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-413 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

जिलेवार आवंटित राशि का विवरण वर्ष 1999-2000 (योजना मद)

क्र.सं.	जिले का नाम	आवंटित राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	अजमेर	279.00
2.	नागौर	894.18
3.	भीलवाड़ा	262.53
4.	बीकानेर	195.24
5.	चूरू	772.06
6.	श्रीगंगानगर	147.20
7.	हनुमानगढ़	370.66
8.	जयपुर	1078.82
9.	झुन्झुनूं	274.76
10.	सीकर	385.10
11.	अलवर	436.02
12.	जोधपुर	542.53
13.	बाड़मेर	357.73
14.	जैसलमेर	98.08
15.	पाली	373.62
16.	सिरोही	107.21
17.	जालोर	324.94

1 2		3
18. भरतपुर		478.60
19. धौलपुर		191.66
20. दौसा		178.54
21. टोंक		344.37
22. कोटा		341.48
23. बारां		334.63
24. बूंदी		283.35
25. झालावाड़		205.50
26. सवाई माधोपुर		451.85
27. करौली		199.64
28. उदयपुर		266.37
29. राजसमन्द		146.26
30. चित्तौड़		405.30
31. बांसवाड़ा		208.98
32. डूंगरपुर		176.30
	योग	11112.51
	13% चार्जेज	1438.12
		12550.63
	अन्य मद	949.37
	कुल योग : –	**13500.00**

परिशिष्ट-"ब"

जिलेवार आवंटित धनराशि का विवरण वर्ष 1999-2000 (गैर योजना मद-सामग्री)

क्र.सं.	जिले का नाम	आवंटित राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	अजमेर	294.60
2.	नागौर	380.00
3.	भीलवाड़ा	245.85
4.	बीकानेर	304.34
5.	चूरू	232.00
6.	श्रीगंगानगर	232.00
7.	हनुमानगढ़	165.00
8.	जयपुर	709.84
9.	झुंझुनूं	200.00
10.	सीकर	168.00
11.	अलवर	332.00
12.	जोधपुर	433.00
13.	बाड़मेर	292.00
14.	जैसलमेर	98.00
15.	पाली	239.00
16.	सिरोही	116.00
17.	जालौर	213.00
18.	भरतपुर	198.00
19.	धौलपुर	101.00
20.	दौसा	125.00

1	2	3
21.	टोंक	117.00
22.	कोटा	154.87
23.	बारां	98.00
24.	बूंदी	110.00
25.	झालावाड़	93.00
26.	सवाई माधोपुर	90.00
27.	करौली	110.00
28.	उदयपुर	303.50
29.	राजसमंद	104.00
30.	चित्तौड़	228.00
31.	बांसवाड़ा	175.00
32.	डूंगरपुर	128.00
	योग	**6790.00 लाख**

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-415 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र संगरिया में संचालित उमावि/मावि. का विवरण

(1) रा. उ. मा. वि., संगरिया	1. रा.मा.वि., तुंकेरा
(2) रा. उ. मा. वि., मालारामपुरा	2. रा.मा.वि., मोरजण्ड सिखान
(3) रा. उ. मा. वि., सार्दुल शहर	3. रा.मा.वि., किशनपुरा उत्तराद्धा
(4) रा. उ. मा. वि., लालगढ़ जाटान	4. रा.मा.वि., नाथवाना
(5) रा. बा. उ. मा. वि., सार्दुलशहर	5. रा.मा.वि., ढाबां
(6) रा. बा. उ. मा. वि., लालगढ़ जाटान	6. रा.मा.वि., रासुवालां
	7. रा.मा.वि., किकरवाली
	8. रा.मा.वि., नगराना
	9. रा.मा.वि., लीलावाली
	10. रा.मा.वि., बोतावाली
	11. रा.मा.वि., लाधुवाला
	12. रा.मा.वि., मोरजण्ड खारी
	13. रा.मा.वि., मन्नीवाली
	14. रा.मा.वि., पन्नीवाली जाटान
	15. रा.मा.वि., कालवासिया
	16. रा.मा.वि., ताखरावाली
	17. रा.मा.वि., सरदारपुरा जीवन
	18. रा.मा.वि., खाटसजवार
	19. रा.मा.वि., खारूवाला
	20. रा.मा.वि., अलीपुरा
	21. रा.मा.वि., चकमहाराजका
	22. रा.मा.वि., हाकमाबाद
	23. रा.मा.वि., संतपुरा
	24. रा.मा.बा.वि., शाहपीनी
	25. रा.मा.बा.वि., संगरिया

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-416 का विवरण)

जन्मतिथि संशोधन के प्रकरणों की सूची : —

क्र.सं.	छात्र का नाम/पिता का नाम	विद्यालय का नाम
1.	महेन्द्र राम/श्री कुम्भा राम	रा.मा.वि., चाऊ
2.	ईश्वर राम/श्री तेजा राम	रा.मा.वि., चाऊ
3.	लाखा राम/श्री पांचा राम	रा.मा.वि., बोड़वा
4.	गजेन्द्र अपूर्वा/श्री रमेशचन्द्र	रा.उ.मा.वि., मूण्डवा
5.	पपा राम/श्री सोनाराम	रामावि., पाचौड़ी
6.	नरेश कुरडिया/श्री जगदीश चन्द्र	विजयानन्द सूरी उ.मा.वि., नागौर
7.	रामप्रसाद/श्री भंवरलाल	रा.मा.वि., शंखावास
8.	परमेश्वरी/श्री भंवरलाल	रा.बा.मा.वि., मेड़ता रोड़
9.	राम किशोर/श्री बाबू लाल	रा.मा.वि., चैनार
10.	रामनिवास/बलवीर सिंह	नोबल उ.मा.वि., कुचामन
11.	लालचन्द/परसराम	जौहरी उ.मा.वि., लाडनूं
12.	जितेन्द्र/रामनिवास	उ.मा.वि., परबतसर
13.	अजुनी राम/सुखा राम	रा.मा.वि., करकेड़ी
14.	उर्मिला/बजरंगलाल	रा.बा.मा.वि., लाडनूं
15.	भैरा राम/भींवा राम	रा.मा.वि., आकोदा
16.	पेमाराम/मोहनराम	रा.मा.वि., रताऊ
17.	प्रदीप कुमार/भैरा राम	रा.उ.मा.वि., बड़
18.	हेमराज/गणेश राम	रा.मा.वि., बस्सी
19.	श्याम लाल/मोहनलाल	रा.मा.वि., नं.2 कुचामन
20.	जीवराज/श्याम सिंह	रा.उ.मा.वि., जसवंतगढ़
21.	मीना राठौड़/जगदीश सिंह	रा.उ.मा.वि., बिदियाद
22.	पूर्णा राम/किशना राम	रा.मा.वि., रताऊ
23.	जगदीश/रामदेव	रा.उ.मा.वि., खुनखुना

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-417 की सूची)

पंचायत समिति बौली व बामनवास में 114/99 से 31/3/2000 तक जारी घरेलू कनेक्शनों का सूची ग्रामवार निम्नांकित है : –

संशोधित प्रत्युत्तर

क्र.सं.	गांव का नाम	जारी घरेलु कनेक्सनों की संख्या	क्रम संख्या	गांव का नाम	जारी घरेलू कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति बौंली					
1.	बौंली	146	15.	पीपल्दा	10
2.	राठौड़	1	16.	हिन्दुपुरा	3
3.	कुशलपुरा	1	17.	जस्टाना	14
4.	बोरदा	5	18.	घाटानेनवाडी	2
5.	बपूई	1	19.	हरसोली	3
6.	बास टोरड़ा	6	20.	भाडोली	9
7.	टोण्ड	2	21.	शेषा	4
8.	दतुली	4	22.		1
9.	कोडयाई	26	23.	खेडा	2
10.	मलारना वोड	61	24.	गालदकला	8
11.	पीपलवाड़ा	16	25.	खिरखिडी	1
12.	निवपुरा	8	26.	सोयला	6
13.	मलारनाडूंगर	15	27.	बहनोली	1
14.	बासडा बनेसिंह	3	28.	जटावद्दी	2

1	2	3	4	5	6
29.	बागडोली	6	पंचायत समिति बामनवास		
30.	डीडवारी	1	1.	बारोदा	3
31.	कुटका	1	2.	जाहिरा	1
32.	अनियाला	2	3.	पट्टीखुर्द	3
33.	खिरनी	21	4.	सुकार	4
34.	गुडलाचन्दन	19	5.	पिपलाई	22
35.	कराडा	22	6.	गण्डाल	8
36.	करेल	18	7.	बाडीला	15
	कुल	451	8.	लिवाली	41
				कुल	103

ह.

अधीक्षण अभियन्ता

रा. रा. वि. म. सवाई माधोपुर

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-418 का विवरण/सूची)

परिशिष्ट-"अ"

विद्युत विभाग द्वारा कृषि, घरेलू, अघरेलू तथा औद्योगिक कनेक्शन देने संबंधी नियम निम्न प्रकार से है :

कृषि श्रेणी

कृषि कनेक्शन के लिये सामान्य श्रेणी में कृषि नीति अनुसार पंचायत समितिवार आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ग्रामवार वरीयता के अनुसार मांग-पत्र जारी कर, मांग-पत्र की राशि जमा होने पर व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन दिये जाते हैं। अनु. जाति व जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनु. जन जाति के आवेदकों को हाथों हाथ वरीयंता अनुसार मांग-पत्र जारी कर, मांग-पत्र की राशि जमा करवाने व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन दिये जाते हैं।

घरेलू

यह कनेक्शन मूल रूप से घरेलू कार्य हेतु जैसे लाइट, पंखे, एवं घरेलू उपकरण इत्यादि हेतु ही प्रदत्त किए जाते हैं।

घरेलू कनेक्शन में तकमीना समान औसत दर के आधार पर बनाया जाता है

	शहरी क्षेत्र	रु/कनेक्शन
(अ)	जे.डी.ए., यू.आई.टी., नगर निगम एवं हाउसिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित कच्ची बस्तियों एवं विकसित कालोनियों हेतु	रु. 1500/-
(ब)	अन्य कालोनिया एवं अविकसित क्षेत्र जैसे सहकारी एवं निजी कॉलोनिया	रु. 2500/-
(स)	ग्रामीण क्षेत्र	रु. 1200/-.

उपरोक्त चार्जेज में आबादी क्षेत्र या उससे जुड़े क्षेत्र में एल.टी. लाइन का अधिकतम 200 मीटर तक का विस्तार किया जाता है। यदि मौजूदा एल.टी.लाइन आबादी क्षेत्र से काफी दूर हो तो उस स्थिति में आबादी क्षेत्र तक समस्त लाइन तथा अतिरिक्त 200 मीटर तक लाइन का विस्तार (आबादी क्षेत्र के अंदर) मण्डल के खर्च पर किया जायेगा। कनेक्शन दिए जाने के लिए अतिरिक्त लाइन का विस्तार किया जाना हो तो उस स्थिति में 120/- रु. प्रति मीटर या 80/- रु. प्रति मीटर क्रमशः थ्री फेस एवं सिंगल

फेस लाइन के लिए 1200/- रु. के अतिरिक्त लिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आबादी या आबादी से जुड़े क्षेत्र में अधिकतम एल.टी.लाइन 200 मीटर लम्बाई तक होगी। 200 मीटर से अतिरिक्त लाइन के वास्तविक चार्जेज उपभोक्ता से वसूल किये जायेंगे।

अघरेलू

यह कनेक्शन व्यावसायिक कार्य हेतु अघरेलू प्रतिष्ठान जैसे कि दुकान, होटल इत्यादि के लिए दिए जाते हैं। अघरेलू श्रेणी के कनेक्शन के लिए उपभोक्ता से लाइन विस्तार का वास्तविक व्यय लिया जाता है।

ट्रांसफारमर बैंक अप चार्जेज रु. 250/- कि.वा. की दर से वसूल किए जाते हैं जो कि कनेक्शन जारी होने के बाद अगले माह से 60 बराबर किश्तों में वापस लौटाए जाते हैं एवं 2 माह के मिनिमम चार्जेज के बराबर प्रतिभूति राशि ली जाती है। 50 कि.वा. से ऊपर के कनेक्शन 11 के.वी. सप्लाई वोल्टेज पर जारी किए जाते हैं। एक से ज्यादा उपभोक्ता के लिए सब स्टेशन लगाने या क्षमता बढ़ाने का व्यय वहन किया जाता है।

उद्योग

25 हा. पा. तक के सम्बद्ध भार के छोटे उद्योगों को एस.आई.पी. श्रेणी में कनेक्शन जारी किए जाते हैं। 26 हा.पा. से 150 हा.पा. तक के सम्बद्ध भार वाले उद्योगों को मध्यम औद्योगिक श्रेणी में कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

60 हा.पा. से ऊपर सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं को 11 के.वी. सप्लाई वोल्टेज पर कनेक्शन जारी किए जाते हैं। उपभोक्ता इसमें स्वयं का ट्रांसफारमर लगाता है व 11 के.वी. पर मीटरींग की जाती है। उपभोक्ता की सुविधा हेतु विद्युत बोर्ड ट्रांसफारमर उपलब्ध करा सकता है। जिसमें कि उपभोक्ता को ट्रांसफारमर की कीमत का किराया विद्युत बोर्ड के नियमों के तहत देना होता है।

150 हा. पा. से ऊपर सम्बद्ध भार या 126 के.वी.ए. एवं उससे ऊपर की कान्ट्रेक्ट डिमांड वाले उद्योगों को वृहत इण्डस्ट्रीज की श्रेणी के कनेक्शन देय होते हैं।

रीको क्षेत्र में परिक्षण व वितरण हेतु अतिरिक्त लाइन खींचने का खर्चा रीको द्वारा वहन किया जाता है एवं सब स्टेशन में बदलाव यदि कोई हो तो उसका खर्चा विद्युत मंडल वहन करता है। अन्य क्षेत्र में अब सर्विस लाइन का खर्च उपभोक्ता को वहन करना होता है।

एस.आई.पी. श्रेणी में 2000/- प्रति पोल एवं एम.आई.पी. श्रेणी में 1000 रु. प्रति पोल की सब्सिडी दी जाती है।

परिशिष्ट-"ब"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

(DEPARTMENT OF COMMERCIAL OPERATIONS)

STATEMENT INCLUDING THE PRE-REVISED & REVISED RATES

w.e.f. FROM BILLING MONTH OF NOVEMBER, 1999

(TOTAL RATES INCLUDING FUEL SURCHARGE AND ELECTRICITY DUTY)

Rates in P/Unit

S.No.	Category	Rates
1	2	3
I.	DOMESTIC SERVICE :	
	(a) Upto 50 Units/month.	175*
	(b) Above 50 Units/month.	240*
II.	NON-DOMESTIC SERVICE :	
	(i) First 100 Units/month.	400
	(ii) Above 100 Units/month.	440
III.	PUBLIC STREET LIGHTING :	
	(a) In Panchayat/Municipal areas having population below one Lakh.	290**
	(b) In Municipal Areas having population one Lakh & above.	320**
IV.	AGRICULTURE SERVICE :	
	(A) METERED SUPPLY :	

1	2	3
1.	Connections in Rural Areas :	
	(a) Wells released under normal agriculture Tariff	72
	(b) Wells released under Nursery category till conversion	160*

Notes :

* (a) In Rural Areas only, a rebate of 10% under Domestic Service in the above "Rate of Charges" shall be allowed.

* (b) In Rural & Urban Areas, a rebate of 5-Paise per Unit under Domestic Service in the above "Rate of Charges" shall be allowed if the consumer uses "Solar Water Heating System" after approval by RSEB.

** If the 'Timer' is provided on the Road Light circuit, a rebate of 30 paise/unit in trariff will be allowed.

* W.e.f. billing month of December, 1999

S.No.	Category	Rates
1	2	3
IV.	AGRICULTURE SERVICE :	
	(A) METERED SUPPLY (Contd.) :	
2.	Connections in Urban Areas & connections receiving Supply from continuous/24 Hours Supply feeders :	
	(a) Wells released before 1-1-95.	112
	(b) Wells released on and after 1-1-95.	142
	(c) Agriculture Connections in Farm Houses	222
	(B) FLAT RATE SUPPLY :	
(i)	Connections in Rural Areas :	
(a)	Wells released under normal agriculture Tariff	Rs. 60 per HP/month plus 5% ED
(b)	Connections released under Special General Agricultural Connection Scheme of 96-97	Rs. 60 per HP/month plus 5% ED

1	2	3
(ii)	Connections in Urban Areas and connections receiving supply from continuous/24 Hours supply freeders :	
(a)	Wells realeased before 1-1-95	Rs. 95 per HP/month plus 5% ED
(b)	Wells released on and after 1-1-95	Rs. 120 per HP/month plus 5% ED

NOTES :

* w.e.f. billing month of December, 1999.

This rate shall be applicable from the month in which other General category well connections having priority of the same month and year are released under general Agriculture category quota in that village.

S.No.	Category	Rates
1	2	3
IV.	AGRICULTURE SERVICE (Contd.) :	
(C)	MISCELLANEOUS SUPPLY (Poultring Farming & Fisheries only)	
(i)	Connections in Urban Areas and connections receiving supply from continuous/24 Hours supply feeders :	
	Metered Connections :	142
(ii)	Connections in Rural Areas :	
	Metered Connections :	112
V.	SMALL INDUSTRIAL SERVICE : (Upto 25 HP conn. load.)	339
VI.	MEDIUM INDUSTRIAL SERVICE : (Above 25 HP & upto 150 HP conn. load but not exceeding maximum demand of 125 KVA)	372
VII.	BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD :	372
VIII.	LARGE INDUSTRIAL LOAD : (Above 150 HP conn. load &/or maximum demand above 125 KVA)	395

परिशिष्ट-"स"

उपभोक्ता का तखमीना बनने के पश्चात् उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने हेतु विद्युत मंडल की जनरल कंडीशन्स आफ सप्लाई के क्लाज-4 (सी) के प्रावधानों का विवरण निम्नप्रकार से है : —

कृषि श्रेणी : —

कृषि श्रेणी के कनेक्शनों के लिए आवेदकों को जारी किये जाने वाले मांग-पत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित मदों में निर्धारित राशि को जोड़कर मांग पत्र दिया जाता है।

1. लाइन/पोल चार्जेज दूरी के अनुसार
2. सब-स्टेशन/ट्रांसफोर्मेशन चार्जेज हा. पा. के अनुसार
3. फिक्सड सर्विस चार्जेज हा. पा. के अनुसार
4. पीवीसी सर्विस लाइन-10 मीटर हेतु
5. केपेसिटर हेतु राशि मय टेस्टिंग फीस-केपिसिटर क्षमतानुसार

अन्य श्रेणिया : —

1. तकमीना राशि नियमानुसार ली जाती है, जो कि उपभोक्ता को वापस नहीं लौटाई जाती है। इसमें अतिरिक्त लाइन खींचने का खर्चा, लेबर, फिक्स चार्जेज, सब स्टेशन क्षमता बढ़ाने का खर्चा इत्यादि सम्मिलित होते हैं।
2. प्रतिभूति राशि दो माह के मिनिमम चार्जेज के बराबर नकद ली जाती है।
3. ट्रांसफार्मर बैक-अप-चार्जेज (घरेलू श्रेणी के अलावा) लिए जाते हैं।
4. उस परिसर पर यदि कोई बकाया हो तो वह राशि नया कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ता से वसूल की जाती है।
5. मीटर व मीटर बक्से की कीमत आवेदक से ली जाती है। मीटर की कीमत अदा न करने की स्थिति में मीटर का किराया प्रति माह के हिसाब से लिया जाता है।

शुरू में डिमाण्ड नोट यू.पी.सी. द्वारा भेजा जाता है किन्तु यदि उपभोक्ता द्वारा 30 दिवस तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो रजिस्टर्ड एडी. द्वारा पुनः स्मरण-पत्र भेजा जाता है।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-419 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र जालौर के वर्ष 1986-87 तक की लम्बित कृषि आवेदकों की सूची

लम्बित सामान्य श्रेणी आवेदन

जिलावृत्त—जोधपुर खण्ड—जालौर उपखण्ड—जालौर श्रेणी—सामान्य

क्र.सं.		आवेदक का नाम	प्रार्थित विद्युत भार H.P. में	आवेदन की तिथि
1		2	3	4
सन् 98-99				
		सामतीपुरा		
1.	01	देवाराम पुत्र श्री रणछोड़जी	3	16.1.85
		जालौर-बी		
2.	02	पुनमा राम श्री अचलाजी माली	5	27.2.85
3.	03	हिमताराम पुत्र श्री पूनमाजी माली	5	27.2.85
4.	04	सोनिया पुत्र श्री दरगाजी माली	3	6.5.85
5.	05	हासिया पुत्र श्री मनाजी माली	7.5	21.5.85
6.	06	खेताराम पुत्र श्री थानाराम जी माली	7.5	27.7.85
7.	07	बगदाराम पुत्र श्री रावता माली	5	27.7.85
8.	08	किसना, हासिया, देवा पुत्र श्री अमराजी	5	27.7.85
9.	09	शंकर लाल, मोहन लाल पुत्र समेला	7.5	31.12.85
10.	10	गणेशाराम पुत्र श्री अन्नाजी	3	31.12.85
		सामूजा		
11.	11	वरदाराम पुत्र श्री हरजीजी	10	16.1.86
		सांकरणा		
12.	12	सूरज सिंह पुत्र श्री समरथाजी	5	3.1.86

1		2	3	4
		देवकी		
13.	13	सोनासिंह पुत्र श्री गणनत सिंह	7.5	1.11.85
		महेशपुरा		
14.	14	वीरमाराम श्री दीकमाजी	5	5.10.85
15.	15	वीरमा लुम्बा पुत्र श्री टीकमाजी	7.5	5.10.85
16.	16	भैरूसिंह पुत्र श्री पदम सिंह	5	5.10.85
17.	17	आत्माराम पुत्र श्री भीकाजी	5	19.10.85
		बिछावाड़ी		
18.	18	प्रभुजी पुत्र श्री मोतीजी सुथार	5	5.10.85
19.	19	मूथाजी, जैरूपजी पुत्र श्री किस्तुरजी	5	5.10.85
20.	20	किसना पुत्र श्री कपूरजी सुथार	5	5.10.85
सन् 1995 2000				
		देवकी		
21.	1	भीमसिंह पुत्र श्री भूतसिंह	7.5	7.4.86
		जालौर		
22.	2	अचलिया पुत्र श्री चमनजी माली	5	14.4.86
23.	3	रूगापुत्र श्री सगरामा माली	5	14.4.86
24.	4	हनीफ खां मलीर खां पुत्र श्री पुले खां	7.5	20.10.86
25.	5	मूलचन्द पुत्र श्री अखाजी	5	12.1.87
26.	6	मूलचन्द पुत्र श्री अखाजी	5	12.1.87
27.	7	मूलचन्द पुत्र श्री अखाजी	5	12.1.87
		सांकरणा		
28.	8	प्रतापसिंह जवानजी पुरोहित	7.5	20.6.86
		भागली पुरोहितान		
29.	9	केशवलाल समरथा जी	5	3/2 हा. 26.6.86
30.	10	प्रेमसिंह तार सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	5	27.6.86

1		2	3	4
		सरूपुरा		
31.	11	जोगाराम गमनाराम राजाराम रावताजी चोधरी	7.5	10.11.86
		डकातरा		
32.	1.	मनफूल सिंह चुन्नी लाल	7.5	15.3.86
99.2000				
		मंडगांव		
33.	1.	श्रीमती रूकमणी देवी दीप चन्द	7.5	6.5.86
34.	2.	बागसिंह कान सिंह	5	9.5.86
35.	3.	पूमचन्द भंवर लाल	7.5	2.12.86
		रानीवाड़ा कांबा		
36.	4.	भगवानदास मनफुलसिंह	10	7.5.86
37.	5.	श्रीमती अतरकंवर हेम सिंह	7.5	5.9.86
38.	6.	राण सिंह पीर सिंह	7.5	9.5.86
39.	7.	भोपाल सिंह किशन सिंह	7.5	9.5.86
40.	8.	शिवनाथ सिंह प्रताप सिंह	7.5	21.5.86
41.	9.	भीक सिंह प्रताप सिंह	7.6	21.5.86
42.	10.	बरंगा समरथाजी कुम्हार	5	21.5.86
43.	11.	जबरसिंह दल सिंह राजपुत	7.5	21.5.86
44.	12.	पूरीया समरथाजी कुम्हार	5	21.5.86
45.	13.	मरसा भेरा भील	5	21.5.86
46.	14.	बलवन्त सिंह मूल सिंह	5	21.5.86
47.	15.	जबरसिंह देवी सिंह	5	21.5.86
48.	16	गणेशा कालू जी अग्रवाल	7.5	21.5.86
49.	17.	दलपत सिंह लगन सिंह	7.5	21.5.86

1		2	3	4
50.	18.	लखीमा देवी जी भांबी	7.5	21.5.86
51.	19.	बगता भूराजी भील	7.5	21.5.86
52.	20.	उम्मेद सिंह पीर सिंह राजपुरा	7.5	21.5.86
53.	21.	मसरा भोमाजी भील	5	21.5.86
54.	22.	सांवलीया नेमाजी भील	5	21.5.86
55.	23.	तारीया गामाजी कुमार	7.5	7.8.86
56.	24.	रामनिवास	7.5	2.12.86
		आकोली		
57.	25.	हक सिंह अजीत सिंह	7.5	20.5.86
58.	26.	जम सिंह मूल सिंह	5	18.6.86
59.	27.	ढेबा जोगा भील	5	18.6.86
		रायपुरिया		
60.	28.	प्रहलादा होसाजी	5	20.5.86
61.	29.	भबुता भेरा	5	20.5.86
62.	30.	फाउड़ा भीमा पुरो	5	20.5.86
63.	31.	वगता बालाजी	5	20.5.86
64.	32.	गणेशा हीराजी	5	20.5.86
		डकोतरा		
65.	33.	गिरधारी लाल मगाजी पुरो.	7.5	20.5.86
66.	34.	हरीचन्द चिमन लाल पुरो	7.5	20.5.86
67.	35.	वगदाराम उकाजी पुरो.	5	20.5.86
68.	36.	मानाजी खंगारजी सुथार	5	20.5.86
		साथु		
69.	37.	भूर सिंह पीर सिंह	5	28.6.86
70.	38.	जैरूपा फुआजी	5	28.6.86

1		2	3	4
71.	39.	जालम सिंह समेल सिंह	5	18.9.86
		नून		
72.	40.	सरीया प्रभुजी पुरोहित	7.6	16.7.86
73.	41.	हरिकृष्ण सवाजी	7.5	16.7.86
74.	42.	परवत सिंह उम सिंह	7.5	18.7.86
75.	43.	आसू सिंह मगाजी	7.5	28.9.86
76.	44.	प्रताप सिंह धन्नाजी	7.5	27.2.87
		चांदया		
77.	45.	जवान सिंह धोकल सिंह राजपूत	5	12.8.86
78.	46.	दुरजन सिंह रूग सिंह	5	17.11.86
		नागणी		
79.	47.	केसर सिंह देवी सिंह	7.5	25.8.86
80.	91.	छोगा खेता	7.5	7.10.85
	92.	हेमूसिंह धन सिंह	7.5	7.10.85
81.	93.	सवा सरदारा	7.5	7.10.85
82.	94.	हेम सिंह धन सिंह	7.5	7.10.85
83.	95.	खिम सिंह गणेश सिंह	10	3.10.85
84.	96.	रतन सिंह भोपाल सिंह	5	3.3.86
85.	97.	वीर सिंह जय सिंह	7.5	3.3.86
86.	98.	वने सिंह रावत सिंह	7.5	3.3.86
87.	99.	ओटिया हकमा	7.5	3.3.86
88.	100.	ओटिया धरमा	5	3.3.86
89.	101.	तलसा खूबा	7.5	3.3.86
90.	102.	छोगा हंसा	5	23.9.86

1		2	3	4
		थलवाह		
91.	103.	मकना जेपा	7.5	6.3.86
		सायला		
92.	109.	राण सिंह समेल सिंह	5	21.9.84
		आलासन		
93.	110.	भंवरा धुका	5	30.11.85
		उनडी		
94.	111.	भूरसिंह मोती सिंह	7.5	30.3.83
		सायला		
95.	74	खूबला खंगारा	5	9.7.86
96.	75	हथा सगरामा	7.5	9.7.86
97.	76.	लसाराम मगाजी	7.5	16.8.86
98.	77.	कपूर सिंह ताराजी	7.5	24.10.86
99.	78.	भंवरा मसरा भोपा	7.5	12.3.87
	79.	गणेश जबरिया	7.5	12.3.87
100.	80.	राण सिंह समेल सिंह	5	12.3.87
		ओटवाला		
102.	81	रूप सिंह भोप सिंह	5	19.4.86
103.	82.	मोती खां सकरम खान	5	12.3.87
104.	83.	जोरा राम भोपाराम	5	31.3.87
		खारल		
105.	84.	भोप सिंह हड़वत सिंह सरदार सिंह	5	9.7.86
106.	85.	अजवा	5	30.7.86
107.	86.	मगदा थकना	5	12.3.87

1		2	3	4
		बाकरा		
108.	87.	कान्ती लाल उक चन्द	10	24.5.86
		केसवाना		
109.	88.	सुमेर सिंह लक्ष्मण सिंह	5	9.9.86
110.	89.	हिमता रगिया	5	12.9.86
111.	90.	कालू सिंह उकाजी	5	19.12.86
		कतरासन		
112.	91.	मंगल सिंह देवी सिंह	7.5	12.3.87
113.	92.	मंगल सिंह देवी सिंह	7.5	12.3.87
		आलासण		
114.	93.	घेवर चन्द लछाजी	7.5	20.6.86
115.	94.	गणेशा रासा सादलिया	7.5	29.9.86

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-421 की सूची)

घाटोल विधान सभा क्षेत्र की अविद्युतीकृत गांवों की सूची

घाटोल पंचायत समिति

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड़ नं.	पं.स.	क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	पं. सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सापठो की कुण्डी	24/1/5		19.	सुवावा बरगोढ़	86	
2.	रूप पुरा	6		20.	पडिया पोर	91	
3.	श्यामपुरा	13		21.	जेतपुरा	92	
4.	आमली कला	15		22.	बांसड़ी खेडा	95	
5.	काली मगरी	17		23.	लोड	98	
6.	सांचोर	19.		24.	हमीरगढ़	101	
7.	दाण्डा सेवजी	20.		25.	कुनीका आडा	103	
8.	दाण्डा बन्जारा	21		26.	हडमतिया	104	
9.	सूरपुर	22		27.	महापुरा गुढा	107	
10.	अमरपुरा	23		28.	महापुरा चारेल	108	
11.	पठारा	25		29.	गरडा	114	
12.	सोबला	33		30.	गरनावट	115	
13.	मदनपुर	44		31.	रोहनिया	302 पी.खं.	
14.	पंसा का टाण्डा	49		32.	भेगड़ी	304 पी.खुं.	
15.	रोदनिया कालिया	81		33.	पुकयीपुरा	306 पी.खुं.	
16.	गांगजी का खेड़ा	82		34.	बदनपुरा	24/1/141	
17.	बेरी पुरा	83		35.	पादरा	144	
18.	सुवावाना	83					

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	वानगढ़ा	150		51.	रीछड़ी	254	
37.	कुशाली तालाब	156		52	मालिया	255	
38.	डेनिया तालाब	157		53.	बड	256	
39.	आकलिया	159		54.	बिलडिया	258	
40.	काईयोंका रोड़ा	164		55.	बड़ाबदा	259	
41.	सादड़ी	166		56.	नलदा	262	
42.	मुन्दरी पाड़ा	168		57.	खररोटी	294	
43.	कीका की नाल	196		58.	आरवापुर	295	
44	भोज राठौड़	197		59.	कुपडा	296	
45.	गदड़ा	200		60.	हरो	297	
46.	भीमा का खेड़ा	205		61.	सालिया	298	
47.	धखलौड़	207		62.	माण्डली	300	
पीपलखूंट पंचायत समिति				63.	रानपुर	301	
48.	करी	210		64.	मांडली	303	
49.	सिदड़ी मछुड़ी	237		65.	ठाकरा	305	
50.	बावड़ी	253		66	मऊ	316	

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-426 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के चयनित सम्बल ग्रामों की सूची

परिशिष्ट-1

1. चकश्यामपुरा
2. बाढ़ भाजूपुरा
3. गिरधारीपुरा
4. रामरखपुरा
5. झीझा
6. ब्रह्मपुरी
7. हरध्यानपुरा
8. पृथ्वीपुरा
9. केसुपुरा
10. हरिरामपुरा
11. भौन्यावाला
12. कानपुरा
13. खेडलावास जटवाड़ा
14. रलावता
15. अचलपुरा
16. खेडामलूकपुरा
17. मीठावास
18. पोलारामा
19. रामजीपुरा
20. चकचांदपुरा
21. महाराजपुरा
22. बाडमहाराजपुरा
23. द्वारकापुरा
24. कुपाकाबास
25. महादेवपुरा
26. गुढाकापाड़ा

परिशिष्ट-2

वर्ष 1990 से 2000 तक जयपुर जिले में डामर की सड़कों से जुड़े हुये सम्बल ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील
1.	लुनियावास	सांगानेर
2.	डूंगरी खुर्द	फुलेरा
3.	रामजीपुरा कलान	फुलेरा
4.	दाउवास	जयपुर
5.	केला का बास	जमवारामगढ़
6.	थली	चाकसू
7.	उरशेरा	दूदू
8.	लखेसरा	सांगानेर
9.	जयपुरा	सांगानेर
10.	मनोहरपुरा	सांगानेर
11.	खरकड़ा	जमवारामगढ़
12.	भालोजी	कोटपूतली
13.	नरसिंहपुरा	आमेर

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-427 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों छात्रों अध्यापकों का विवरण

(परिशिष्ट-क)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	स्वीकृत पद्द
1	2	3	4
1.	अमरपुरा थेड़ी	312	09
2.	अराईयां वाली	310	07
3.	कुम्हारावालीं ढाणी	167	06
4.	गाहडू	219	06
5.	चौडिलांवाली	254	08
6.	जोरावरपुरा	224	06
7.	फतेहपुरढालिया	367	08
8.	भोमपुरा	453	10
9.	मलकोका	163	06
10.	नन्दराम की ढाणी	236	07
11.	रामसरानारायण	304	08
12.	सतीपुरा	135	07
13.	नं. 2 हनुमानगढ़ टाऊन	354	14
14.	कैनाल कोलोनी हनुमानगढ़ जं.	236	07
15.	लखुवाली हेड.	194	08
16.	26 एस.एस. डब्लू	170	06
17.	मोहनवारिया	315	08

1	2	3	4
18.	मेनावाली	264	06
19.	रणजीतपुरा	251	09
20.	सुभानवाली	157	06
21.	पुरुषोतमवाला	198	06
22.	गुरुसर	258	06
23.	डब्ली बास कुतुब	435	10
24.	नुरपुरा	144	05
25.	7-8 डी.एल.पी.	141	06
26.	30 एस. एस. डब्लू.	179	06
27.	श्यामसिंहवाला	133	06
28.	पालेवाली ढाणी	61	06
29.	कमाना	227	05
30.	उत्तमसिंहवाला	203	06
31.	श्रीनगर	129	06
32.	जक बड़सिंहवाला	95	06
33.	चोटियांवाली	127	06
34.	मटोरियांवाली ढाणी	157	06
35.	समन्दनगर	127	06
36.	डबरवाला	243	06
37.	नं. 1 हनुमानगढ़ ढा.	309	13
38.	चिस्तियां	242	08
39.	बनवाला	85	06

1	2	3	4
40.	चानुकायली ढाणी	137	07
41.	नवां	255	07
42.	बालिका, हनुमानगढ़ टा.	316	18
43.	बालिका फतेहगढ़	154	09
44.	बालिका रोड़ावाली	212	09
45.	रेल्वे हनुमानगढ़ जं.	223	08
46.	22 एस. एस. डब्लू.	138	04 नवक्रमोन्नत
47.	42 एस. एस. डब्लू.	149	02 नवक्रमोन्नत
48.	19 एस.एस. डब्लू.	141	03 नवक्रमोन्नत
49.	4-5 आर. डब्लू. डी.	126	01 नवक्रमोन्नत
50.	आदर्शनगर	113	02 नवक्रमोन्नत
51.	8 एल. एल. डब्लू.	124	02 नवक्रमोन्नत
	योग	**10,666**	**349**

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-430 की प्रति)

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : गृह. 1(2) स्था/स.वा.वि.धि/96/39040 जयपुर, दिनांक : 26.06.96

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित महिला पर्यवेक्षक/पुरुष पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके समक्ष अंकित परियोजनाओं में प्रशासनिक दृष्टि से तुरन्त प्रभाव से लिये जाते हैं : —

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहाँ को	वि.वि.
1	2	3	4	5
1.	सुश्री/श्रीमती माया रानी सक्सैना	किशनगंज बारां	कोटा शहर	रिक्त पद पर
2.	श्री इन्द्रपाल	झालरापाटन (झालावाड़)	कोटा शहर	रिक्त पद पर
3.	श्री आशुतोष दाधीच	बालोतरा (बाड़मेर)	आबूरोड (सिरोही)	श्रीमती जय श्री कृष्णन के स्थान पर
4.	सुश्री/श्रीमती फूल वासनबाल	नदबई (भरतपुर)	अराई (अजमेर)	रिक्त स्थान पर
5.	श्रीमती अर्चना सिंह	कठूमर (अलवर)	अलवर	श्रीमती गीता अटवाल के स्थान पर
6.	श्रीमती गीता अटवाल	अलवर	कठूमर (अलवर)	श्रीमती अर्चना सिंह के स्थान पर

1	2	3	4	5
7.	श्रीमती सरोज वाला	भादरा (हनुमानगढ़)	सूरतगढ़ (गंगानगर)	रिक्त पद पर
8.	श्रीमती महेन्द्र सिंह गहलोत	बायतू (बाड़मेर)	शेरगढ़ (जोधपुर)	श्री अनिल चौहान प. पर्य. निलम्बित के स्थान पर
9.	श्रीमती महिपाल सिंह	सिवाना (बाड़मेर)	फलौदी (जोधपुर)	रिक्त पद पर
10.	श्रीमती भीमा राम	बाड़मेर	सिवाना (बाड़मेर)	श्री महिपाल के स्थान पर
11.	श्रीमती शिवचरण शर्मा	कोटड़ा (उदयपुर)	बाड़मेर	श्री भीमाराम के स्थान पर
12.	श्रीमती मधु माथुर	बस्सी (जयपुर)	जयपुर (प्रथम)	श्रीमती काजलराज के स्थान पर
13.	श्रीमती काजल राज	जयपुर (प्रथम)	बस्सी (जयपुर)	श्रीमती मधु माथुर के स्थान पर
14.	श्रीमती उषा शर्मा	फागी (जयपुर)	जयपुर (द्वितीय)	श्रीमती पुष्पा सिंह के स्थान पर
15.	श्रीमती पुष्पा सिंह	जयपुर (द्वितीय)	आमेर (जयपुर)	रिक्त पद पर
16.	श्रीमती जयश्री कृष्णन	आबूरोड़ (सिरोही)	पिण्डवाड़ा (सिरोही)	रिक्त पद पर

नोट : —1. विभाग के आदेश संख्या 69548 दिनांक 15.12.94 द्वारा क्रम संख्या 16 एवं क्रम संख्या 53 पर क्रमशः श्रीमती मीना का नाम महिला पर्यवेक्षक का परियोजना फागी (जयपुर) से आमेर (जयपुर) एवं श्रीमती शशि कला महिला पर्यवेक्षक का परियोजना सायला (जालौर) से परियोजना फागी (जयपुर) में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।

2. क्र.सं. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 पर अंकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके स्वयं के प्रार्थना पर होने के कारण उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह.
निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान-सरकार

महिला और बाल विकास विभाग

क्रमांक : एफ. 1(2)/स्था/मब्रावि/95/30210 जयपुर, दिनांक : 31/5/97

कार्यालय-आदेश

श्री आशुतोष दाधीच, पुरुष पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना, आबूरोड (सिरोही) को प्रतिनियुक्ति पर बाल विकास परियोजना किशनगढ़, (अजमेर) में तुरन्त प्रभाव से महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध लगाया जाता है।

ह.

निदेशक,

महिला और बाल विकास विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : —एफ. 1(2) (38) स्था/मब्रावि/88/ 17711 जयपुर, दिनांक : —1/4/99

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश सांखला, पुरुष पर्यवेक्षक कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिणधरी (बाड़मेर) का उनकी स्वयं की बीमारी के प्रार्थना पत्र के कारण अस्थाई रूप से मुख्यालय, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, शेरगढ़ (जोधपुर) किया जाता है।

ह.

निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : एफ1(2) ( ) स्था/मबाविं/99/39226　　　　जयपुर, दिनांक : 30.6.99

कार्यालय आदेश

निम्नांकित महिला पर्यवेक्षको/पुरुष पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके समक्ष अंकित परियोजना में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है : —

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	वि.वि.
	सर्व सुश्री/श्रीमती/श्री			
1.	दुर्गादान, पु. पर्यवेक्षक	परि. धौर मिन्ना (बाड़मेर)	परि. सिर सिरोही	महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध
2.	विद्या शर्मा, म. प.	परि. जालौर (ग्रा	परि.) शाहपुरा (भीलवाड़ा)	रिक्त पद पर
3.	लक्ष्मी अचवानी, म. प.	परि. वैर (भरतपुर)	परि. सेवर (भरतपुर)	श्रीमती सावित्री चन्दनानी के स्थान पर
4.	सावित्री चन्दनानी, म.प.	परि. सेवर (भरतपुर)	परि. वैर (भरतपुर)	श्रीमती लक्ष्मी अचवानी के स्थान पर

ह.

निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग

राज., जयपुर।

परिशिष्ट-17

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

पंचायत समिति इटावा, जिला कोटा में विद्युत सप्लाई में अव्यवस्था

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

महोदया,

पंचायत समिति इटावा जिला कोटा में विद्युत की सप्लाई लाखेरी 132 के.वी. सब स्टेशन से होने व बीच में चम्बल नदी के कारण बार-बार ट्रिप आने, लाइन फाल्ट होने से विद्युत सप्लाई में हमेशा ही परेशानी रहती है व लाखेरी 132 के.वी. से भी लौड सेटिंग के समय सप्लाई की जाने वाली अन्य लाइनों की सप्लाई बन्द नहीं कर हमेशा इटावा लाइन को ही काट दिया जाता है। जिसमें इटावा क्षेत्र में हमेशा ही विद्युत की परेशानी होती है। वर्तमान में मा. शिक्षा बोर्ड की परीक्षा चल रही है। जिसमें छात्रों के अध्ययन के लिए शाम को 7 से 11 बजे तक बिजली मिलना आवश्यक है परन्तु इसके विपरीत इस क्षेत्र में गत 15, 20 दिनों से शाम को कभी 2 घण्टे कमी, 1 घण्टे कमी, 3 घण्टे बिजली गुल रहती है। जिससें छात्रों के अध्ययन कार्य में परेशानी होती है। व आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए छात्रों व जनता में रोष व्याप्त है।

अतः आप छात्रों के भविष्य व जनता की समस्या को मध्य नजर रखते हुये पंचायत समिति इटावा क्षेत्र में शाम को विद्युत की नियमित सप्लाई की व्यवस्था करने का श्रम करें। धन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम केसूली में पेयजल समस्या

[श्री केसाराम चौधरी (खारची)]

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र खारची में ग्राम केसूली में जी. एल. आर. बना हुआ है किन्तु भरने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए केसूली बांध के ओटे के पास एक कुआं खोदने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो, उक्त गांव में पेयजल की समस्या हल हो सकती है। इसी के साथ ग्राम डायलाना कल्ला में भूतिया महादेव मंदिर के पास एक कुआं और खुदवाया जावें तो उक्त गांव में पेयजल की समस्या हल होगी ही 'अपितु गांव में ओवर हैड टेंक भी बना हुआ है जो खाली पड़ा है। खाली पड़े रहने के कारण उक्त टेंक ख़राब हो जायेगा। उक्त क्षेत्र की जनता आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या के ना झुझना पड़े इसलिए उक्त कुओं की खुदाई करवाने की स्वीकृति करवाकर पेयजल की समस्या का निवारण करवाये। धन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के गांवों में विद्युतीकरण में लापरवाही

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)]

मान्यवर,

प. स. बामनवास के ग्राम राधेकी, सारंगपुरा, रामनगर गोठ, बाद सोहन, रामसिंहपुरा, गूजर कोलेता, नांगतलाई, बानौर जारवोंलास खुर्द, बाढ़पुरा, रामसिंहपुरा-II, बाढ़ झौंपड़ी, गढ़ी का बैरवा की ढ़ाणी, आरपुरया, महरावंडा एवं माधोपुरया तणा प. स. ग्राम धौराला, पीरखेड़ा खुर्द, चक सोगवास, सगरतपुरा, गोठड़ा मांगरौल, सामोली, मोहम्मदपुरा, रघुवंटी, गोलपुर, डूंगरी बिलौली, बिलौली वाड़ी आदि गांवों की लाइने सन् 89 से हैं। इस संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को 6.6.79 को पत्र। भी ध्यान आकर्षित कराया था। किन्तु अभी तक किसी भी क्षति लाइन को ठीक नहीं कराया जिससे इन गांवों में संकट पैदा हो गया है।

इसी प्रकार बिजली बोर्ड ने विधान सभा क्षेत्र बामनवास के सभी ग्रामों का प्रतिशत विद्युतीकरण कागजों पर तो दिखा रखा है किन्तु मौके के उपर प. स. बामनवास के 15 गांवों एवं प. स. बौंली के 14 गांवों की लाइन अभी तक नहीं खींची गई है, इस बात की जानकारी मा. ऊर्जा मंत्री ने विधान सभा के गत सत्र में प्रश्न सं. 126 के जरिए दि. 98 को दी थी, और यह भी कहा था कि शनै शनै इन गांवों की विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। किन्तु मंत्रीजी की यह घोषणा भी निष्प्रभावी रही। इसी प्रकार प. स. बामनवास के करीबन 21 गांवों तथा प. स. 28 गांवों में बिजली की लाइन चोरी हो जाने की बात को भी सत्र 22.3.99 को ऊर्जा। प. स. के द्वारा स्वीकार किया गया था। इन सब गांवों को एफ. आई. आर. से विभिन्न थानों में दर्ज है, किन्तु अभी तक इन गांवों की लाइन विभाग द्वारा नहीं खींची गई हैं। बामनवास प. स. के ग्राम ककराल गूजर ठोकर या, बैराड़ा, महरावंड, माधोपुरया की लाइन सन् 97 से तक से अब तक इसे नहीं खींचा गया।

घरेलू श्रेणी के आवेदकों की मांग पत्र की राशि जमा होने के बाद ज्यादा समय निकल जाने के बाद भी प. स. बामनवास के 674 एवं प. स. के 935 घरेलू कनेक्शन जारी नहीं किए हैं। ग्राम रामनगर से 24.12.92 को बेरखड़ी के 9.12.98 एवं आरपुरया, माधोपुरया 27.5.93 को जमा करा देने के बावजूद भी आज तक विद्युत कनैक्शन नहीं किए गये हैं।

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास के उल्लिखित गांवों में विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से विभाग द्वारा काफी लम्बे समय से भारी लापरवाही बरती जा रही है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उल्लिखित गांवों को विद्युतीकृत करवाये।

कारगिल युद्ध मुख्य मंत्री सहायता कोष में जमा हुई राशि का समुचित उपयोग

श्री मदन दिलावर (अटरू)

महोदय,

भारत के ऊपर पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र में अघोषित आक्रमण कर हमारे देश की सीमाओं को छोटा कर भारत देश को छोटा करने का प्रयास किया गया था परन्तु हमारे देश के जांबाज सैनिकों ने देश की रक्षा हेतु परिवार बच्चे बहन मां-बाप पत्नीयों की चिन्ता न करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए कई जांबाज सैनिक शहीद हो गये। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिकों व उनके परिवार के पति तथा सीमा पर लड़ रहे सैनिकों के पति अपार श्रद्धा व जबरदस्त देश भक्ति का ज्वार देशवासियों, में उमड़ा उसी संख्या में राजस्थान वासियों ने भी महाराणा प्रताप व भामाशाह की परम्पराओं को कायम रखते हुये राज्य कर्मचारियों व आम जनता ने अपार धन शहीदों/सैनिकों, में कल्याणार्थ राजस्थान के मुख्य मंत्री को उपलब्ध करवाया। यह धन 21,54,87011/- रुपये प्राप्त हुये।

उसमें से 11,89,40000/- रुपये कर्मचारियों के काटे गये वेतन से प्राप्त हुये। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस देश भक्ति की भावनाओं के साथ जनता ने सैनिकों/शहीदों के परिवार के कल्याण के लिये धन उपलब्ध करवाया सरकार उसको दबा कर बैठ गयी। जनता ने यह धन किसी अन्य उपयोग के लिये नहीं दिया था देशभक्ति की भावना व सैनिकों के कल्याण के लिये धन उपलब्ध करवाया था परन्तु इस निकम्मी सरकार ने उसका दुरुपयोग किया जो कि राष्ट्रीय सैनिक कल्याण कोष में जमा कराना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया परन्तु सरकार द्वारा मात्र 2 करोड़ 91 लाख 25 हजार 218 रुपये की राशि है। शहीदों व सैनिकों को खर्च की शेष धन का यह सरकार आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए अन्य कार्यों में उपयोग ले रही है लेना चाहती है जो निन्दनीय है। धन्यवाद।

रायपुर पंचायत समिति की मगरा विकास योजना का कार्य जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाने विषयक

[श्री हीरासिंह चौहान (सांचोर)]

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में निवेदन निम्न प्रकार से है : —

11वीं विधान सभा के द्वितीय सत्र में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 दिनांक 6.4.99 की विशिष्ट योजना संगठन ने यह स्वीकार किया है कि पंचायत समिति, रायपुर में मगरा विकास योजना नानणा सन् 1995 से विचाराधीन है जिसको जे.आर.वाई. इनोवेटिव के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव तत्कालीन परियोजना निदेशक, पाली द्वारा प्रेषित किया गया था। उन्होंने प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि प्रस्तावित योजना जलग्रहण विकास कार्यक्रम पर आधारित होने से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाली इस योजना को डी.डी.पी. का सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकार करने के प्रस्ताव भेजे।

पंचायत समिति रायपुर जो जल ग्रहण योजना के कार्यों का निष्पादन करने की एजेन्सी होने के कारण दिनांक 1.11.95 को मगरा विकास योजना के अन्तर्गत सात माइक्रो-वाटर शेड में से 2 माइक्रो वाटर शेड संख्या 3 व 5 दिनांक 19.12.95 को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने आवंटित किया है, लेकिन किसी न किसी कारण से मगरा विकास योजना नानणा को बार-बार टाला जाकर इस क्षेत्र के विकास में इन योजनाओं की स्वीकृति देने में विलम्ब किया जा रहा है।

पंचायत समिति रायपुर को जलग्रहण क्रियान्वयन ऐजेन्सी द्वारा आवंटित माइक्रो वाटर शेड की सी. पी. आर. भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्तुत कर दी गई, जिसके विषय में भी इस प्रश्न के संलग्न उत्तर में बताया गया है कि पंचायत समिति रायपुर को विशेष सहायता उपलब्ध करवा कर सी. डी. आर. सही ढंग से लागू कर योजना को स्वीकृत किया जावे। लेकिन पिछले एक वर्ष से इसकी स्वीकृति नहीं होने से क्षेत्र का विकास इस योजना के अन्तर्गत किया जाना था जो नहीं हो रहा है।

अतः विशिष्ट योजना संगठन मंत्रालय राजस्थान शासन पुनः आवश्यक निर्देश जिला विकास अभिकरण को जारी कर जलग्रहण विकास योजना नानणा को तुरन्त स्वीकृत किया जावे। धन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की सड़कों की मरम्मत

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत खराब टूटी-फूटी है कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ हैं आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही हैं विधान सभा चुनावों में इन सड़कों के गड्डों ने कांग्रेस को 155 सदस्यों का बहुमत दिलाया है। कांग्रेस शासन आने के बाद भी एक रुपया मरम्मत के नाम पर नहीं लगाया गया है। पेच वर्क भी नहीं कराया गया हैं कोई नई सड़क भी नहीं बनाई गई हैं इसलिये सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को निम्नलिखित सड़कों की मरम्मत कराने के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1. बाड़ीजोड़ी रायपुर जागीर टटेरा चीपलाटा गणेश्वर नीमकाथाना।
2. नीमकाथाना से टोडा।
3. पाटन से डाबला इस सड़क में पाटन से 2 किमी. की हालत तो ज्यादा ही खराब है पाटन की जनता ने बी.जे.पी. के शासन में कई दफे रास्ते जाम कर प्रदर्शन किया लेकिन नतीजा ज़ीरो रहा।
4. नीमकाथाना से मांवड़ा-खुर्द, मांवड़ा कलां जीलो तक।
5. नीमकाथाना से चला, कांवट।
6. चला से गुहाला झुन्झुनूं जिले बोर्डर तक।
7. मांवडा-खुर्द से मेवाड़ा (झुन्झुनूं) तक वाया गांवोली सीहाड़े।
8. नीमकाथाना-भूंदोली-बांसड़ी खुर्द।

मेरे तारांकित प्रश्न 11.3.99 के उत्तर में दिया हैं 1999-2000 के बजट में 26 लाख 7.50 लाख रुपये सड़क सुदृढ़ीकरण के लिये रखे गये हैं उनमें भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक रुपया खर्च नहीं हुआ हैं यह रुपया श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में लगाया है।

कृपया मंत्री महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र से सौतेला व्यवहार न करके पूर्ण रूप से सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करायेंगे। धन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में अपूर्ण सड़कों का कार्य

[श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा)]

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में अधूरी बनी सड़के, पुलिया के कारण मेरे क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा एवं संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मेरे क्षेत्र की जनता को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है अतः अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने, डामरीकरण करने तथा नई सड़कें निर्माण करने की आवश्यकता है। अभी जनता में भारी आक्रोष व्याप्त है।

धन्यवाद।

कठूमर कस्बे में रैफरल अस्पताल खोलने विषयक

[श्री रमेश खींची (कठूमर)]

महोदय,

उपरोक्त विषय के सर्न्दभ में निवेदन है कि सदन में मुझे निम्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। **प्रस्ताव** :—श्रीमान् स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर के अन्तर्गत कस्बा कठूमर में पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय है आसपास की 32 पंचायत कठूमर कस्बे से लगती है इस क्षेत्र के मरीजों को या तो अलवर जो कि करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है या फिर भरतपुर जो कि 75 कि.मी. दूरी पर है ले जाना पड़ता है। क्षेत्र में समुचित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है आसपास के गांवों में ना तो डिस्पेंसरी है ना ही कोई बड़ा अस्पताल है। गत वर्षों में इस क्षेत्र में मलेरिया का भारी प्रकोप रहा है जिसमें जनहानि भी हुयी है ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं होने एवं चिकित्सक नहीं होने के कारण हुआ। अतः पंचायत समिति मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय में रैफरल अस्पताल खोलना नितान्त आवश्यक है।

साथ ही खेरली कस्बे के रैफरल अस्पताल जो कि 30 शैय्या का है को क्रमोन्नत कर 50 शैय्या का कर विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का कष्ट करें जिससे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

विधान सभा क्षेत्र दीगोद की सड़कों की दुर्दशा

[श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)]

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र दीगोद जिला कोटा की सड़कों के हालात पर आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पंचायत समिति सांगोद क्षेत्र में देवली से सांगोद, देवली से आंवा, कनवाल धूलेट तथा दरा से सांगोद मार्ग की सड़कों की हालत बहत ही खराब है। सड़क की दोनों साइड बुरी तरह से कटी हुई है तथा गड्ढे पड़े हुए है। सड़क के मध्य में भी गड्ढे पड़े हुए हैं। रोजाना दुर्घटनाएं होती है तथा वाहन खराब होते हैं। देवली से आवां मार्ग का काफी हिस्सा वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। डामर बिलकुल नहीं है गिट्टी उखड़ी हुई है तथा बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं।

पंचायत समिति सुल्तानपुर में भी सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। सुलतानपुर से मौरा व सुतानपुर से मंडावत मार्ग बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त है। बड़े-बड़े पड़े हुए हैं वाहन चलाना भी दुर्लभ है।

कोटा इटावा मार्ग में उम्मेदपुर कंवरपुरा सुल्तानपुर तक का मुख्य मार्ग भी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग को भारी आवागमन होने से तथा जिले का मुख्य मार्ग होने के कारण उम्मेदपुरा से सुल्तानपुर सड़क चौड़ी करने का प्रावधान था वह कार्य भी अधूरा पड़ा है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बहुत ही कठिनाई होती है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित कर आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त सड़कों की भी शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाये तथा उम्मेदपुरा से सुल्तानपुर तक सड़क को चौड़ा कराने का कार्य भी प्रारम्भ करवा कर जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

ग्राम महोदरा, पंचायत समिति शाहाबाद (बारां) में पेयजल संकट

[श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)]

महोदय,

ग्राम महोदरा पंचायत समिति शाहाबाद जिला बारां में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। यहां लगे हैण्ड पंप खराब हो चुके हैं तथा यहां लगाया गया ट्यूबवैल से पानी जो टंकी बनी हुई वहां तक पानी नहीं पहुंचा जिसके कारण पेयजल की भंयकर समस्या उत्पन्न हो गई है इसलिए जो पाइप लाइन खराब लगी हुई है उसको तुरन्त बदला जावे ताकि पीने के पानी की सुविधा उत्पन्न हो सके एवं एक ट्यूबवैल और लगा दिया जावे ताकि पूरे गांव को पीने का पानी मुहैया हो सके एवं पशुधन को भी पानी उपलब्ध हो सके। इसी आशा के साथ।

बीसलपुर सिंचाई परियोजना में पूरी भराव क्षमता तक पानी नहीं रोकने से उत्पन्न समस्या

[श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)]

महोदय,

बीसलपुर सिंचाई परियोजना का मुख्य बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उसकी भराव क्षमता 31 फीट रखी गई है। अब करीब तीन वर्षों से इसे अपनी भराव क्षमता के अनुसार पानी नहीं रोका जा रहा है और विस्थापितों को मुआवजा नहीं दिये जाने की आड़ में इस बांध से काश्तकारों को सिंचाई से वंचित रखा जा रहा है। इस परियोजना से टोंक जिले की टोंक, देवली व उनियारा तहसीलों के 219 ग्रामों की कुल 68293 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई से वंचित रखा जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के काश्तकारों को अपनी भूमि को सिंचित करने से महरूम होना पड़ रहा है, जिससे करोड़ों रुपयो के उत्पादन का नुकसान हो रहा है। यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि नहरों का कार्य 1993-94 से चल रहा है और काफी कार्य पूर्ण हो चुका है यही नहीं, उप नहरें भी तैयार हो गई हैं और स्थिति यह आ गई है कि इन नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो यह नहरें जो "सीमेंट लाइनिंग" है टूटने लगेगी।

गत वर्ष भी इस परियोजना में पर्याप्त पानी आया था और माननीय सिंचाई मंत्री महोदया ने अपनी देवली भ्रमण के समय यह निर्देश दिये थे कि वर्ष 1999 में इसे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा भरा जावे और काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी दिया जावे, पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाद में इन आदेशों में तब्दीली कर दी गई और बांध को पूरा नहीं भरा गया केवल 306 फीट ही भरा, जिससे सिंचाई नहीं हो।

यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि डूब क्षेत्र में आने वाली ग्रामों को व प्रभावित निवासियों को अपना पूरा मुआवजा मिलने के बाद भी बार-बार में उनके द्वारा इस पर दबाव बनाकर बांध को पूरा नहीं भरने दिया जाता है और वह लोग अपनी उस भूमि व संपतियों का मुआवजा ले लेने के बाद भी उसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे अन्य काश्तकारों को सिंचाई लाभ से वंचित रखा जा रहा है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा और माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी वर्षा ऋतु के "चार महीने" है इससे पूर्व इन समस्याओं का यदि कोई तुरन्त हल किया जाकर इस वर्ष 2000 में इसमें पूरा पानी रोका जावे जिससे की इस वर्ष काश्तकारों की भूमि को पानी मिल सकें, इसके साथ-साथ अपने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे कि नहरों का सर्वे पूर्ण कर उन पर काम चालू किया जावे।

इस सिंचाई परियोजना से जो सिंचित क्षेत्र इस क्षेत्र में वंचित रह रहा है उसमें पानी लगे और उत्पादन में वृद्धि हो। अतः प्रक्रिया और नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान दिला रहा हूं।

पंचायत समिति, मसूदा में पेयजल संकट

[श्री कय्यूम ख़ान (मसूदा) **]**

महोदय,

पंचायत समिति मसूदा के कुल 141 गांव वर्तमान में पूर्णतः या आंशिक रूप से जल संकट से त्रस्त है। कुल 1000 हैण्ड पम्पों में से 450 हैण्ड पम्प पूर्ण रूप से एवं 375 हैण्ड पम्प आंशिक रूप से सूख चुके हैं शेष रहे 175 पानी देने वाले हैण्ड पम्पों में से अधिकांश खारे पानी युक्त होने से कोई विशेष राहत नहीं दे पा रहे हैं ग्रामीणों के पारम्परिक जल स्रोत जैसे पनघट कुएं बावड़ियां इत्यादि भी अधिकांश सूख चुकी हैं एवं कुछ निजी कुओं में जिनमें थोड़ा बहुत पानी शेष है उसी पर आश्रित हैं। इसके लिए ग्रामवासियों को दूर जाना पड़ता हैं एवं निजी कुएं के मालिकों द्वारा कमजोर वर्गों के ग्रामीणों को लताड़ या प्रताड़ना भी झेलनी पड़ सकती है। जिला प्रशासन द्वारा इस विकास खण्ड के 13 गांवों में पेयजल परिवहन स्वीकृत किया गया परन्तु वितरण नियमित नहीं हैं बताया जाता हैं कि परिवहन ठेकेदार की दरें उपयुक्त नहीं है। ऐसे में भी गरीब जनता के कष्टों में वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन एवं पेयजल अभियांत्रिकी विभाग से दिसम्बर, 99 से है। पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प पाइप उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाता रहा है परन्तु माह अप्रेल में 2000 पाइपों की मांग के विरुद्ध मात्र 90 पाइप ही उपलब्ध करवाए गए हैं जो कि अत्यन्त कम है। इन पाइपों के अभाव में हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान भी सफल नहीं हो पा रहा हैं एवं ग्रामीण जनता यह देखकर हैरान है कि हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान की टीम गांव में आती है और पाइपों की कमी से बिना मरम्मत किए वापस चली जाती है।

राज्य सरकार के निर्देश है कि जिन गांवों में पी.एचईडी. की स्कीमें है वहां जिला प्रशासन टेंकर द्वारा पेयजल परिवहन की स्वीकृति नहीं दे सकता यह नियमन उन गांव वालों के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है क्योंकि पी.एचईडी. द्वारा ग्राम मसूदा, भगवानपुरा, जालिया, कानिया, ध्यामगढ़, रामगढ़, कानिया, इत्यादि में भंयकर जल संकट के उपरान्त भी परिवहन प्रारम्भ नहीं किया जा रहा हैं नहीं कोई अतिरिक्त जल स्रोत बनाया गया है। ग्राम मसूदा पंचायत समिति मुख्यालय है उसमें 194 घन्टे से मात्र 20-25 मिनट पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है जो कि न के बराबर कहा जा सकता है। पेयजल

परिवहन में 10 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन का आधार भी अपर्याप्त है जबकि पशुओं की संख्या के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ग्रामीण स्वयं के पानी व्यवस्था से अधिक अपनी आजीविका स्रोत अपने पशुओं के लिए अत्यधिक दुःखी है ऐसे में राज्य सरकार को चाहिये कि जल परिवहन के लिए स्थानीय अधिकारियों को दरें व वितरक निर्धारित करने के लिए अधिकृत करें एवं जहां पी.एचईडी. स्कीमें है वहां एईएन., पी.एचईडी. को परिवहन स्वीकृति के लिए अधिकृत करें।

हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु अविलम्ब पाइप व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाऐ जावें एवं नये हैण्ड पम्प शीघ्र ड्रिल करवाए जावें।

जल परिवहन की मात्रा निर्धारण में पशुओं के लिए 30 प्रति पशु प्रतिदिन भी स्वीकृति का आधार रखा जावें।

क्षेत्र में ऐसे कुएं जो सार्वजनिक पेयजल उपयोग में लिए जा रहे हैं उन्हें गहरा राहत मद से करवाया जावें।